एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
HLL Lifecare Limited
(A Government of India Enterprise)

वार्षिक प्रतिवेदन
55th ANNUAL REPORT
2020 - 2021

विषय - सूची

CONTENTS

निदेशक मंडल	7	7	Board of Directors
अध्यक्ष का भाषण	12	13	Chairman's Speech
अंशधारियों को सूचना	16	17	Notice to Shareholders
निदेशकों की रिपोर्ट	32	33	Directors' Report
कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट	100	101	Report on Corporate Governance
प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण	118	119	Management Discussion and Analysis
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	172	173	Auditors' Report
भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	198	199	Comments of the Comptroller and Auditor General of India
वर्ष 2020-21 के लिए तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखा	204	205	Balance Sheet and Statement of Profit & Loss for the year 2020-21
लेखे को टिप्पणियाँ	218	219	Notes to Accounts
समेकित वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	358	359	Auditors' Report on the Consolidated Financial Statements
समेकित वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	384	385	Comments of the Comptroller and Auditor General of India on the Consolidated Financial Statements
वर्ष 2020-21 के लिए समेकित वित्तीय विवरण	390	391	Consolidated Financial Statements for the year 2020-21
समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणियाँ	408	409	Notes to Consolidated Financial Statements

डॉ. मनसुख मांडविया

Dr. Mansukh Mandaviya

सम्माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संघ कैबिनट मंत्री

Hon'ble Union Cabinet Minister for Health & Family Welfare

डॉ. भारती प्रविण पवार

Dr. Bharati Pravin Pawar

सम्माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संघ राज्य मंत्री
Hon'ble Union Minister of State for Health & Family Welfare

श्री. राजेश भूषण आई ए एस

Shri. Rajesh Bhushan IAS

सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

Secretary, Ministry of Health & Family Welfare
Government of India

निदेशक मंडल

Board of Directors

श्री के.बेजी जोर्ज आई आर टी एस
Shri. K. Beji George IRTS
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

डॉ.धर्मेन्द्र सिंह गंगवार आई ए एस
Dr Dharmendra Singh Gangwar IAS
अपर सचिव & एफ.ए,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मंत्रालय, भारत सरकार
Additional Secretary &
F.A, Ministry of Health &
Family Welfare,
Government of India

डॉ.मंदीप कुमार भंडारी आई ए एस
Dr Mandeep Kumar Bhandari IAS
संयुक्त सचिव
स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार
Joint Secretary
Ministry of Health &
Family Welfare,
Government of India

श्री ई.ए. सुब्रमण्यन
Shri E.A. Subramanian
निदेशक (तकनीकी एवं प्रचालन)
Director (Technical & Operations)

श्री टी. राजशेखर
Shri T. Rajasekar
निदेशक (विपणन)
Director (Marketing)

डॉ. गीता शर्मा
Dr. Geeta Sharma
निदेशक (वित्त)
Director (Finance)

डॉ. पी. विजयचंदर रेड्डी
Dr P. Vijayachander Reddy
स्वतंत्र निदेशक
Independent Director

दृष्टिकोण/ दौत्य तथा उद्देश्य

दृष्टिकोण

निरंतर नवाचार के ज़रिए सस्ती एवं गुणवत्तावाले स्वास्थ्य रक्षा समाधान प्रदान करके समविष्टि पर संकेंद्रित विश्वस्तरीय सम्मानित संगठन बन जाना।

दौत्य

कॉर्पोरेट दृष्टिकोण पूरा करने की ओर, एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड ने निम्नलिखित दौत्य उल्लिखित किया है जो प्रमुख क्षेत्रों पर संकेंद्रित हैं :

- अंतर्राष्ट्रीय मानक पूरा करने वाले गुणवत्तावाले उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करना।
- उत्तम प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों को अपनाने से निरंतर सुधार के द्वारा उत्कृष्टता।
- नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, लागत प्रबंधन और उपभोक्ता रक्षा के द्वारा उपभोक्ता आनंद और मूल्य सृजन।
- चुनौतीपूर्ण व्यवसाय वातावरण की आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए मानव संसाधन विकास पर केंद्रित करना।
- कॉर्पोरेट प्रशासन और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के उच्चतम मानक बनाए रखने के द्वारा सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध कोर्पोरेट बन जाना।
- हरी पहल और धारणीय विकास के प्रोन्नमन के ज़रिए पृथ्वी माँ की भलाई और भविष्य पीढियों के लिए प्रतिबद्ध रहना।

उद्देश्य

- उच्च गुणवत्ता लागत प्रतियोगी के साथ प्रचालन की त्वरित वृद्धि और ग्लोबल स्तर हासिल करना और प्रत्येक मुख्य उत्पाद श्रेणी में मुख्य तीन खिलाडियों में एक बन जाना।
- अनुसंधान एवं विकास पहल के ज़रिए निरंतर नवाचार की संस्कृति बनाना।
- 90% से अधिक कर्मचारी संतुष्टि स्तर के साथ भारत में विकल्प के नियोक्ता रहने के लिए प्रयास करना।
- समाज को प्रतिबद्धता के साथ पुनरुत्पादन एवं महिला स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सामाजिक संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त करना - इन खंडों में सभी सरकारी एवं बहुपार्श्वीय पहलों को कार्यान्वित करने के लिए विकल्प के साझेदार बनना।
- अधिकार हीन एवं अल्पाधिकार प्राप्त वर्गों को सशक्तिकरण और आर्थिक मुख्य धारा में शामिल करने केलिए उनके फायदा की ओर क्षमता निर्माण, कौशल विकास और अवसंरचना विकास पर संकेंद्रित करना।
- उच्च सतत विकास की ओर नेतृत्व कर रहे संसाधनों के संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन जो पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों पर ज़ोर देकर कंपनी अपना दृष्टिकोण/दौत्य पूरा करने का प्रयास करेगी।

VISION, MISSION & OBJECTIVES

VISION

To be a globally respected organisation, focusing on inclusiveness by providing affordable and quality healthcare solutions through continuous innovation.

MISSION

To accomplish the Corporate Vision, HLL Lifecare Ltd has outlined following Mission which focus on six key areas:

Provide quality products and services meeting international standards.

Excellence through continual improvement by adoption of best technologies and practices.

Customer delight and value creation through innovation, R & D, cost management and customer care.

Focusing on human resource development to meet the needs of challenging business environment.

Be a socially committed corporate by maintaining highest standards of corporate governance and corporate social responsibility.

Committed to the well-being of mother earth and future generations through green initiatives and promotion of sustainable development.

OBJECTIVES

The company will strive to fulfill its vision/mission by

Attaining rapid growth and global levels of operations with high quality cost competitiveness and be among the top three players in each main product category.

Create a culture of continuous innovation through R& D initiatives.

Strive to be the employer of choice in India with employee satisfaction levels of over 90%.

Be recognized as the leading social organization in the field of Reproductive and Women's Healthcare with commitment to the society - a partner of choice for implementing all government and multi-lateral initiatives in these segments.

Focussing on capacity building, skill development and infrastructural development for the benefit of the marginalized and under privileged sections for their empowerment and inclusion in the economic mainstream.

To place emphasis on environmental friendly activities that brings out conservation of resources and waste management leading to top sustainable development.

गुणवत्ता नीति

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड प्रतिबद्ध है :

- हमारे ग्राहकों को गुणवत्ता के उच्चतम सुसाध्य स्तर के किफायती स्वास्थ्य रक्षा समाधानों को लगातार प्रदान करना।
- हमारी प्रक्रियाओं, उत्पादों और सेवाओं को लगातार सुधार करना, उत्तम प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों को अपनाना और हर समय राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करना।
- नवान्वेषण, अनुसंधान व विकास, लागत प्रबंधन पर फोकस करना और हमारे ग्राहकों के अपेक्षाओं के अनुसार राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर ग्राहक मूल्य प्रदान करना।
- सामूहिक अभिशासन तथा सामूहिक सामाजिक दायित्व से युक्त उच्चतम मानकों को पूरा करनेवाले संगठन बन जाना।

सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण नीति

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड पर्यावरण के संरक्षण, व्यावसायिक जोखिमों को दूर करना और स्वस्थ एवं सुरक्षित कार्य स्थान बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं :

- पर्यावरण पर किसी प्रतिकूल प्रभाव को रोकना और उपयुक्त विधिक एवं अन्य अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करना ।
- कर्मचारी प्रशिक्षण और उनकी भागीदारी के साथ सुरक्षित प्रचालन प्रथाओं को अपनाना ।
- पर्यावरणिक गुणवत्ता को, अपशिष्ट एवं उत्सर्जन कम करके, पुनः उपयोग, रीसाइक्लिंग, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को कम करने के ज़रिए, सुधार करना ।
- स्थानीय प्रबंधन प्रणाली एवं उत्तम प्रथाओं पर वैश्विक एवं सुसंगत दृष्टिकोण के लिए प्रयास करना और स्थायी निष्पादन प्राप्त करना ।
- सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की आवधिक समीक्षा ।

प्रयोगशाला गुणवत्ता नीति

- राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जाँच प्रणाली का अनुपालन करके तथा अच्छे व्यावसायिक आचरणों के प्रयोग द्वारा विश्वसनीय, सुसंगत, निष्पक्ष तथा अनुमार्गणीय जाँच परिणाम सुनिश्चित करना।
- गुणवत्ता प्रचालन में सम्मिलित सभी कार्मिकों को आई एस ओ/आई ई सी 17025 : 2017 के अनुरूप प्रबंधन प्रणाली की नीतियों और कार्यविधियों के साथ सक्षम करना और सुपरिचित बनाना, सुनिश्चित करना तथा उसको उनके कार्य में कार्यान्वित करना ।
- प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता को निरंतर सुधारना ।

ऊर्जा नीति

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड सबसे लागत प्रभावी, कार्यक्षम और पर्यावरणिक रूप से जिम्मेदार तरीके के ज़रिए ऊर्जा प्रापण और उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है :

- ऊर्जा कार्यक्षमता निष्पादन नियमित रूप से समीक्षा करना और सुसंगत सुधार अपनाना ;
- प्रापण प्रक्रिया में ऊर्जा कार्यक्षम को एक मुख्य मापदंड के रूप में प्रयोग करना और नवीकरणीय ऊर्जा श्रोत के उपयोग को बढ़ावा देना;
- ऊर्जा उपयोग, उपभोग और कार्यक्षमता से संबंधित उपयुक्त विधिक और अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन।
- कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के बीच में ऊर्जा की उद्योगी खपत और संरक्षण की आवश्यकता संबंधी जागरूकता का बढ़ावा देना सुनिश्चित करना।

QUALITY POLICY

HLL Lifecare Limited is committed to:

Consistently provide our customers with affordable Healthcare solutions of the highest possible level of quality.

Continually improve our processes, products and services, adopt best technologies and practices and meet national / international regulatory requirements at all times.

Focus on innovation, R&D, cost management and deliver customer value nationally and globally, conforming to the needs of our customers.

Be an organization that meets highest standards in Corporate Governance and Corporate Social responsibility.

SHE POLICY

HLL Lifecare Limited is committed to protect environment, eliminate occupational hazards and maintain a healthy and safe work place by

Preventing any adverse impact to the environment and complying with applicable legal and other requirements.

Adopting safe operating practices, with employee training and their involvement.

Improving the environmental quality by minimizing waste & emission, reusing & recycling, reducing the use of natural resources.

Striving for a global and consistent approach that builds on local management system & best practices and to achieve sustainable performance.

Periodic review of safety, health and environment management system.

LAB QUALITY POLICY

HLL Lifecare Limited is committed to:

Ensure reliable, consistent, impartial and traceable test results by using test methods complying with national / international standards and by following good professional practices.

Ensure that all personnel involved in the testing operations are competent and familiar with the policies and procedures of the management system conforming to ISO/IEC 17025: 2017 and implement the same in their work.

Continually improve the effectiveness of the management system.

ENERGY POLICY

HLL Lifecare Limited is committed to buying and using energy in the most cost effective, efficient and environmentally responsible way through:

Regularly reviewing the energy efficiency performance and adopt relevant improvement;

Using energy efficiency as one of the key criteria within procurement process and encourage usage of renewable energy source;

Compliance of applicable legal and other requirements related to energy use, consumption & efficiency;

Ensuring promotion of awareness about the need for diligent consumption and conservation of energy among the employees and other stakeholders.

अध्यक्ष भाषण

प्रिय सदस्यों,

मैं आपकी कंपनी की 55 वीं वार्षिक सामान्य बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले साल की तरह, हम फिर से वस्तुतः मिल रहे हैं क्योंकि कोविड-19 महामारी के निरंतर प्रभाव के कारण सुरक्षा उपायों और सावधानियों को अपनाने की आवश्यकता है। आप सभी के साथ जुडना हमेशा एक खुशी की बात होती है, और हालांकि वेर्च्वल आज आपकी स्वागत करना मेरा सौभाग्य है।

एचएलएल सभी हितधारकों के साथ अपने व्यवहार में पारदर्शी है क्योंकि संस्था हमेशा कार्यों को सही तरीके से करना चाहता है। एचएलएल ने कोविड-19 महामारी से लडने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से लगभग रु. 3,500 करोड मूल्य की आपातकालीन प्रापण की सुविधा प्रदान की। जब पूरा देश कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन में था, कई कर्मचारियों ने लॉकडाउन के सभी कठिनाइयों और महामारी के खतरे के बावजूद एचएलएल निगमित कार्यालय में लगभग चौबीसों घंटे काम किया। कोविड-19 से लडने के लिए दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के प्रापण एक ऐसा समय था जब एचएलएल के मानव संसाधनों की क्षमता पूरी तरह से सामान्य सीमा से बढ गई थी।

यह वास्तव में ध्यान देने योग्य है कि आपकी कंपनी मज़बूत और स्वस्थ होकर उभर रही है और नई ऊँचाइयों को छू रही है। मुझे एचएलएल टीम वर्क और समर्पण पर पूरा भरोसा है। हम धीरे-धीरे कोविड के प्रभाव से वापस आ रहे हैं और एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य की ओर बढ रहे हैं।

2021 की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में आपके साथ साझा करते हुए मुझे खुशी हो रही है:

एचएलएल का निष्पादन
कंपनी के निष्पादन के मुख्य हाइलाइट्स नीचे दिए जाते हैं।

- वर्ष 2020-21 के लिए प्रचालन से राजस्व रु.5081.31 करोड था , जिसमें से सामान्य प्रचालन से राजस्व रु.1513.03 करोड है ।
- कर के पूर्व लाभ, वर्ष 2019-20 के रु.124.58 करोड की तुलना में वर्ष 2020-21 में मुख्य रूप से कोविड संबंधित प्रचालन के कारण 21.64% की वृद्धि दर्शाकर रु.151.54 करोड है।
- कर के बाद लाभ, वर्ष 2019-20 के रु.110.48 करोड की तुलना में वर्ष 2020-21 में रु.112.33 करोड है।
- वर्ष के दौरान निवल मूल्य ने 31.03.2020 तक के रु.298.08 करोड से 31.03.2021 तक रु. 385.73 करोड तक बढा है। एचएलएल बायोटेक के डीमर्जर 01.04.2019 से प्रभारी होने के कारण, एचएलएल की शेयर पूँजी रु.290.41 करोड से घटकर रु.15.53 करोड हो गई है।
- एमओएचएफडब्लियु ने 21 फरवरी 2020 को एचएलएल को कोविड-19 से निपटने के लिए आपातकालीन चिकित्सा आपूर्ति के क्रय के नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया, ताकि सरकार को महामारी से निपटने में सक्षम हो सके। आपातकालीन चिकित्सा आपूर्ति में निहित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण में कवरऑल (गारमेंट्स), एन 95 मास्क, गॉगल्स, नाइट्राइल दस्ताने, फेस शील्ड, ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क और अन्य उत्पाद जैसे वेंटिलेटर, हैंड सैनिटाइज़र आदि शामिल हैं। एचएलएल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार भारत और विदेश दोनों से उपरोक्त उत्पादों का प्रापण प्रारंभ किया। जनवरी 2021 के दौरान एमओएचएफडब्लियु ने वैक्सीन के प्रापण की जिम्मेदारी भी एचएलएल को सौंपी।

CHAIRMAN'S SPEECH

Dear Members,

I warmly welcome each one of you to the 55th Annual General Meeting of your Company. Like last year, we are again meeting virtually as the continued impact of COVID-19 pandemic necessitates adoption of safety measures and precautions. It is always a pleasure to connect with you all, and although virtual it is my privilege to host you today.

HLL is transparent in its dealing with all stakeholders as the organization always wants to do things in the right way. HLL facilitated emergency procurement involving value about ₹ 3,500 Cr. for and on behalf of Ministry of Health & Family Welfare and Ministry of External Affairs, Government of India to fight COVID-19 pandemic. When entire country was under lockdown owing to COVID-19 pandemic, several employees worked in HLL Corporate Office almost round-the-clock tirelessly despite all the hardships of lockdown and threat of the pandemic. Procurement of medicines and medical devices to fight COVID-19 was a time when capabilities of HLL's human resources were fully stretched beyond normal limits.

It is really noticeable that your Company is emerging stronger and healthier and is scaling new heights. I do have full faith in HLL team work and dedication. We are slowly bouncing back from the impact of COVID and moving towards a bright and prosperous future.

I am happy to share with you the performance of HLL and some of the important achievements of 2021.

Performance of HLL

The major highlights of your Company's performance are given below:

- Revenue from operations for the year 2020-21 is ₹5081.31 Cr, out of which Revenue from Normal Operations is ₹1513.03 Cr
- Profit Before Tax is ₹151.54 Cr in 2020-21 compared to a profit of ₹ 124.58 Cr in 2019-20 reflecting a growth of 21.64 % mainly due to COVID related operations.
- Profit After Tax is ₹112.33 Cr in 2020-21 compared to a profit of ₹ 110.48 Cr in 2019-20.
- Net Worth has increased from ₹298.08 Cr as at 31.03.2020 to ₹385.73 Cr as at 31.03.2021 during the year. Due to demerger of HLL Biotech Limited with effective from 01.04.2019, HLL share capital has reduced to ₹15.53 Cr from ₹290.41Cr.
- MOHFW on 21st February 2020 nominated HLL as the nodal agency for procurement of emergency medical supplies to combat COVID-19, to enable government to deal with the pandemic. The emergency medical supplies covered Personal Protective Equipment Kits consisting of Coverall (Garments), N95 mask, Goggles, Nitrile Gloves, Face Shield, Triple Layer Surgical mask and other products like Ventilators, Hand sanitizers etc. HLL as per directions from MoHFW, initiated the procurement of above products from both India and abroad. During January 2021, MOHFW entrusted the responsibility of procurement of Vaccine also to HLL.

- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड व्यवसाय लाइन ने एचएलएल राजस्व में रु.3568.28 करोड का योगदान दिया है।

एचएलएल के समनुषंगियों का डीमर्जर

आपकी कंपनी को क्रमशः 24 मार्च 2021 और 31 मार्च 2021 को एचएलएल बायोटेक लिमिटेड और एचएलएल मेडीपार्क लिमिटेड के डीमर्जर के संबंध में डीमर्जर याचिका दर्ज करने के लिए एमसीए से अंतिम आदेश प्राप्त हुए।

तदनुसार, ये दोनों कंपनियाँ एचएलएल की सहायक कंपनियों के रूप में बंद हो गई हैं।

तदनुसार, आज की तारीख में, एचएलएल को तीन (3) समनुषंगी कंपनियाँ और एक (1) संयुक्त उद्यम कंपनी है।

निष्कर्ष

अंत में निदेशक मंडल की तरफ से, मैं भारत सरकार के विविध विभागों, विशेषतः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिये गये सहयोग एवं समर्थन के लिए, अपना हार्दिक धन्यवाद और अभिस्वीकृति अदा करता हूँ । मैं इस अवसर पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री (एमओएचएफडब्लियु), राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, सचिव (एमओएचएफडब्लियु) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्य वरिष्ट अधिकारियों को विशेष रूप से कृतज्ञता अदा करने के लिए विनियोग करता हूँ । मैं बोर्ड के मेरे सहयोगियों को भी, कंपनी को चलाने के लिए उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और योगदान के लिए धन्यवाद करता हूँ । आगे, मैं एचएलएल के सभी कर्मचारियों को कंपनी को मज़बूत करने में उनके अमूल्य योगदान एवं समर्थन के लिए धन्यवाद करता हूँ।

अब हम कंपनी के लिए और हर एक के लिए उज्ज्वल और चमकदार भविष्य की नई आशा के साथ, 2022 का इंतज़ार कर रहे हैं। एक मज़बूत, उज्ज्वल और बढ़नेवाले एचएलएल की कल्पना करना हमारा कर्तव्य है। नवान्वेष विचार और कडी मेहनत निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ाएगा। आइए हम आत्मविश्वास के साथ भविष्य का सामना करने के लिए तैयार रहें और नए विकास के अवसरों को जब्त करने के लिए तैयार रहें।

आपकी कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट अभिशासन मार्गनिर्देशों का पर्याप्त रूप से अनुपालन किया था ।

मैं, आज के वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित आप सबको फिर से धन्यवाद देता हूँ ।

मैं अब सूचना के अनुसार कार्यसूची मदों को आपके विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता हूँ ।

के.बेजी जोर्ज आई आर टी एस
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डिन : 08419099

तारीख : 30.11.2021
स्थान : तिरुवनंतपुरम

- During the FY 2020-21 COVID business line has contributed ₹3568.28 Cr to HLL Revenue.

Demerger of HLL Subsidiaries

Your company received final orders from MCA for the demerger petition filed w.r.t the demerger of HLL Biotech Limited and HLL Medipark Limited on 24th March 2021 and 31st March 2021 respectively. Accordingly, these two companies have ceased as subsidiary companies of HLL.

Accordingly, as on date, HLL has three (3) subsidiary companies and one (1) Joint Venture Company.

Conclusion

To conclude, on behalf of the Board of Directors, I would like to convey my sincere thanks and acknowledgment for the co-operation and support extended by various departments of Government of India, particularly by the Ministry of Health & Family Welfare. I take this opportunity to specially thank Honorable Health Minister (MoHFW), Minister of State for Health, Secretary (MoHFW) and other senior officials of MoHFW for reposing its confidence on HLL. I would also like to thank my colleagues on the Board for their valuable contribution in steering the Company. Further, I thank all employees of HLL for their invaluable contribution and support in strengthening the Company.

Now we look forward to year 2022, with new hope to a vibrant and bright future both for the company andfor each one of us. It is our duty to visualize a strong, vibrant and growing HLL. Innovative thinking and hard work will definitely propel us forward. Let us be ready to face the future with confidence and be geared to seize new growth opportunities.

Based on the self-assessment, MoU score for the year 2020-21 is within the “Very Good” range as per the Self Evaluation Report.

Your Company had substantially complied with Corporate Governance Guidelines issued by Department of Public Enterprises.

I thank all present here once again for having attended today’s Annual General Meeting. I now move the Agenda items as per notice for your consideration and approval.

Date: 30-11-2021
Place: Thiruvananthapuram

K Beji George IRTS
Chairman & Managing Director
DIN: 08419099

सं.एचएलएल/सीएस/III-152(एच)/2021 26 नवंबर, 2021

सूचना

एतद्‌द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्य निबाहने के लिए एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के शेयरधारकों की 55 वीं वार्षिक सामान्य बैठक वीडियो कॉन्फेरेन्सिंग (वी सी)/अन्य ऑडियो विज़ुअल मीन्स (ओवम) के ज़रिए 30 नवंबर, 2021 (मंगलवार) पूर्वाह्न 10.30 बजे को आयोजित की जाएगी।

सामान्य कार्य :

1. विचार करना और अंगीकार करना

   (क) 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के साथ-साथ निदेशक मंडल और सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी & ए जी) की टिप्पणियाँ।

   (ख) 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी & ए जी) की टिप्पणियाँ।

2. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित निवल मूल्य 19.28 करोड का 5% लाभांश राशि घोषित करना।

3. वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेश मंडल को प्राधिकृत करना।

   निम्नलिखित संकल्पों को सामान्य संकल्प के रूप में संशोधन के साथ या संशोधन के बिना विचार करना और उपयुक्त माना जाता है तो पारित करना।

   "संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(1) की अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक तय करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

विशेष कार्य

4. **वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन ।**

   निम्नलिखित संकल्पों को सामान्य संकल्प के रूप में संशोधन के साथ या संशोधन के बिना विचार करना और उपयुक्त माना जाता है तो पारित करना।

   "संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 (3) के प्रावधानों और सभी अन्य प्रायोज्य प्रावधानों यदि कोई है और इसके अधीन बताये गए नियमों के साथ पढे, के अनुसरण में, मेसर्स आर जे गोयल & कंपनी 31 कम्युनिटी सेंटर, अशोक विहार, चरण - 1, दिल्ली - 110052, फर्म पंजीकरण नं. 000026 को देय रु.4,00,000 (चार लाख मात्र) पारिश्रमिक प्लस माल और सेवा लागू कर और यात्रा की प्रतिपूर्ति और उनके द्वारा किये गये अन्य खर्च की पुष्टि कंपनी एतदद्वारा दी जाती है जिनको निदेशक मंडल द्वारा 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत रिकोर्डों की लेखापरीक्षा आयोजित करने की ओर कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किये गये थे।

No. HLL/CS/III-152(h)/2021 26th November 2021

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 55thAnnual General Meeting of the shareholders of HLL Lifecare Limited will be held on 30th November, 2021 (Tuesday) at 10.30 am through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OVAM") to transact the following business:-

ORDINARY BUSINESS:

1. To consider and adopt

   a) the audited Standalone Financial Statements of the Company for the year ended 31st March 2021 along with the Report of the Directors and Statutory Auditors together with comments of the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) thereon.

   b) the audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st March 2021 along with the Report of the Statutory Auditors together with comments of the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) thereon..

2. To declare dividend amounting to INR 19.28 Cr. being 5% of the net-worth for the financial year ended 31st March, 2021.

3. To authorize the Board of Directors to fix remuneration payable to the Statutory Auditors of the Company for the year 2021-22.

   To consider and, if thought fit, to pass the following resolution, with or without modification as an ordinary resolution:

   "RESOLVED THAT pursuant to the requirement of Section 142(1) of the Companies Act, 2013, the Board of Directors of the Company be and are hereby authorised to fix the remuneration payable to the Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India for the year 2021-22".

SPECIAL BUSINESS:

4. **Ratification of Cost Auditor's remuneration for the financial year 2021- 22**

   To consider and, if thought fit, to pass the following resolution, with or without modification as an ordinary resolution:

   "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Sec 148(3) and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act 2013 and read with the Rules made thereunder, the Company hereby ratifies remuneration of INR 4,00,000/- [Rupees Four Lakh only] plus applicable Goods and Services Tax and reimbursement of travelling & out of pocket expenses to M/s. R J Goel & Co 31, Community Centre Ashok Vihar phase-I, Delhi 110052 , Cost Accountants, with Firm Registration No. 000026 , who were appointed by the Board of Directors as Cost Auditors of the Company to conduct the audit of the cost records of the Company for the financial year ending 31st March 2022."

5. एचएलएल मेडीपार्क लिमिटेड को आईएनआर 20 लाख का अतिरिक्त अस्थायी ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव

निम्नलिखित संकल्पों को विशेष संकल्प के रूप में संशोधन के साथ या संशोधन के बिना विचार करना और उपयुक्त माना जाता है तो पारित करना।

संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम , 2013 की धारा 179, धारा 180, धारा 185 और धारा 186 के प्रावधानों के अधीन, बनाए गए नियम पढे और इस तरह के अन्य प्रवधान, जो उपयुक्त हो सकते हैं, किसी भी सांविधिक संशोधन (ओं) इसके लागू होने के समय, फिर से अधिनियमित कंपनी के सदस्यों की सहमति और इसके बाद कंपनी के निदेशक मंडल (जिसे बाद में बोर्ड संदर्भित किया जाता है) के अनुरूप होना चाहिए,जिसे तब तक शामिल करने के लिए माना जाएगा, जब तक संदर्भ से अन्यथा, बोर्ड की कोई समिति या कोई भी निदेशक या अधिकारी इस संकल्प के तहत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग द्वारा अधिकृत है, उनके पूर्ण विवेक में लाभदायक और कंपनी के हित में मेसर्स एचएचएल मेडिपार्क लिमिटेड को ऋण देने के लिए,शेयर पूंजी के 60% से अधिक में, कंपनी के नि:शुल्क भंडार और प्रतिभूतियों के प्रीमियम या कंपनी के फ्री रिज़र्व और प्रतिभूतियों के 100%, जो भी अधिक हो, कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 186 के अधीन, समय-समय पर एक या अधिक अंशों में, एचएलएल (अब 8.4%) द्वारा प्राप्त केश क्रेडिट सुविधा पर लागू अधिकतम ब्याज दर से जुडे ब्याज की दर,(i) रु.1.53 करोड की अधिकतम राशि (एक करोड तिरपन लाख रुपये मात्र), यदि कंपनी के मौजूदा निवेश, ऋण, गारंटी या प्रतिभूति के साथ प्रदान की जाने वाली निवेश/ अधिग्रहण, ऋण, गारंटी, प्रतिभूति धारा 186 के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक हैं या (ii) धारा 186 के अधीन निर्धारित अधिकतम सीमाएँ (जो समय-समय पर संशोधित की जा सकती हैं), जो उच्चतर हो।

6. एचएलएल मेडीपार्क लिमिटेड को आईएनआर 61.26 लाख का लेखा शेष ऋण की ओर बदलने का प्रस्ताव

निम्नलिखित संकल्पों को विशेष संकल्प के रूप में संशोधन के साथ या संशोधन के बिना विचार करना और उपयुक्त माना जाता है तो पारित करना।

संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम , 2013 की धारा 179, धारा 180, धारा 185 और धारा 186 के प्रावधानों के अधीन, बनाए गए नियम पढे और इस तरह के अन्य प्रवधान, जो उपयुक्त हो सकते हैं, किसी भी सांविधिक संशोधन (ओं) इसके लागू होने के समय, फिर से अधिनियमित कंपनी के सदस्यों की सहमति और इसके बाद कंपनी के निदेशक मंडल (जिसे बाद में बोर्ड संदर्भित किया जाता है) के अनुरूप होना चाहिए,जिसे तब तक शामिल करने के लिए माना जाएगा, जब तक संदर्भ से अन्यथा, बोर्ड की कोई समिति या कोई भी निदेशक या अधिकारी इस संकल्प के तहत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग द्वारा अधिकृत है, उनके पूर्ण विवेक में लाभदायक और कंपनी के हित में मेसर्स एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड को ऋण देने के लिए,शेयर पूंजी के 60% से अधिक में, कंपनी के फ्री रिज़र्व और प्रतिभूतियों के प्रीमियम या कंपनी के फ्री रिज़र्व और प्रतिभूतियों के 100%, जो भी अधिक हो, कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 186 के अधीन, समय-समय पर एक या अधिक अंशों में, एचएलएल (अब 8.4%) द्वारा प्राप्त केश क्रेडिट सुविधा पर लागू अधिकतम ब्याज दर से जुडे ब्याज की दर,(i) रु.214.16 लाख की अधिकतम राशि (एक करोड तिरपन लाख रुपये मात्र), यदि कंपनी के मौजूदा निवेश, ऋण, गारंटी या प्रतिभूति के साथ प्रदान की जाने वाली निवेश/ अधिग्रहण, ऋण, गारंटी, प्रतिभूति धारा 186 के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक हैं या (ii)धारा 186 के अधीन निर्धारित अधिकतम सीमाएँ (जो समय-समय पर संशोधित की जा सकती हैं), जो उच्चतर हो।

5. Proposal to provide additional temporary loan of INR 20 lakh to HLL Medipark Ltd.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as a Special Resolution:

RESOLVED THAT subject to the provisions of Sec. 179, Sec. 180, Sec. 185 & Sec.186 of the Companies Act, 2013 read with rules made there under, and such other provisions, as may be applicable, including any statutory modification(s) or re- enactment(s) thereof for the time being in force, consent of the Members of the Company be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Company (hereinafter referred to as the 'Board'), which term shall be deemed to include, unless the context otherwise, any Committee of the Board or any Director or Officer(s) authorised by the Board to exercise the powers conferred on the Board under this resolution), to make loan(s) to M/s. HLL Medipark Ltd. in their absolute discretion deem beneficial and in the Interest of the Company, in excess of 60% of the paid-up share capital, free reserves and securities premium of the Company or 100% of free reserves and securities premium of the Company, whichever is more, as prescribed under Section 186 of the Companies Act, 2013, from time to time, in one or more tranches, at a rate of Interest linked to maximum interest rate applicable to Cash Credit facility availed by HLL (Presently 8.4 %) up to (i) maximum amount of INR 1.53 Cr. (Rupees One Crore Fifty Three Lakhs) if the investments / acquisitions,loans, guarantee, securities to be provided along with the Company's existing investments, loans, guarantee or securities are in excess of the limits prescribed under Section 186 aforesaid or (ii) the maximum limits so prescribed under Section 186 (as may be amended from time to time), whichever is higher."

6. Proposal to convert account balances of INR 61.26 lakh into loan to HLL Medipark Ltd.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as a Special Resolution:

RESOLVED THAT subject to the provisions of Sec. 179, Sec. 180, Sec. 185 & Sec.186 of the Companies Act, 2013 read with rules made there under, and such other provisions, as may be applicable, including any statutory modification(s) or re- enactment(s) thereof for the time being in force, consent of the Members of the Company be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Company (hereinafter referred to as the 'Board'), which term shall be deemed to include, unless the context otherwise, any Committee of the Board or any Director or Officer(s) authorised by the Board to exercise the powers conferred on the Board under this resolution), to make loan(s) to M/s. HLL Medipark Ltd. in their absolute discretion deem beneficial and in the interest of the Company, in excess of 60% of the paid-up share capital, free reserves and securities premium of the Company or 100% of free reserves and securities premium of the Company, whichever is more, as prescribed under Section 186 of the Companies Act, 2013, from time to time, in one or more tranches, at a rate of interest linked to maximum interest rate applicable to Cash Credit facility availed by HLL (Presently 8.4 %) up to (i) maximum amount of INR 214.16 lakh if the investments / acquisitions, loans, guarantee, securities to be provided along with the Company's existing investments, loans, guarantee or securities are in excess of the limits prescribed under Section 186 aforesaid or (ii) the maximum limits so prescribed under Section 186 (as may be amended from time to time), whichever is higher."

7. 1:1 अनुपात में बोनस शेयर जारी करने का प्रस्ताव

निम्नलिखित संकल्पों को विशेष संकल्प के रूप में संशोधन के साथ या संशोधन के बिना विचार करना और उपयुक्त माना जाता है तो पारित करना।

संकल्प किया जाता है कि कंपनी नियम 2014 के नियम 14 (शेयर पूँजी और डिबेंचर) के साथ पठित (किसी भी सांविधिक संशोधन या तत्समय लागू होने वाले उसके पुनः अधिनियम सहित)कंपनी अधिनियम , 2013 की धारा 63 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई है, के अनुसार और संस्था का अंतर्नियम और ऐसे अन्य अनुमोदनों के अधीन और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के पूंजी पुनर्गठन पर डीआईपीएएम मार्गनिर्देशों के अनुसार, शेयरधारकों की सहमति और कंपनी के विद्यमान शेयरधारकों को 1:1 के अनुपात में यानी (रु. 10/- की नाममात्र मूल्य के हर 1 (एक) इक्विटी शेयर केलिए प्रत्येक रु. 10/- रुपए के नाममात्र मूल्य के 1(एक) इक्विटी शेयर) बोनस शेयर जारी करने के उद्देश्य से कंपनी के आरक्षण में से 15, 53,50,000/- पूँजीकृत किया जाएं।

आगे संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, कंपनी के कार्यात्मक निदेशक और कंपनी सचिव को, और एतद्द्वारा कंपननियों के रजिस्टार या ऐसे अन्य प्राधिकरणों के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजें, प्राधिकरण पत्रों , आवेदनों और रिटर्न पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए गंभीर रूप से अधिकृत है।

बोर्ड के आदेशानुसार
जयकृष्णन ए.आर
कंपनी सचिव

स्थान : तिरुवनंतपुरम

टिप्पणियाँ :

1. कोविड -19 महामारी के प्रकोप के कारण, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (इसके बाद में 'एमसीए' के रूप में संदर्भित) ने दिनांक 8 अप्रैल 2020 और 13 अप्रैल 2020 के सामान्य परिपत्र सं. क्रमशः 14/2020 & 17/2020 (बाद में सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित)के साथ पठित दिनांक 05 मई 2020 के अपने सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 के अनुसार वीसी/ओएवीएम के ज़रिए वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करने की अनुमति दी। तदनुसार एमसीए परिपत्र और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी का एजीएम वीसी/ओएवीएम के ज़रिए आयोजित किया जा रहा है। यह एजीएम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित किया जाएगा।
2. चूँकि यह एजीएम वीसी/ओएवीएम के ज़रिए आयोजित किया जा रहा है, सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति का परवाह न की जाती है। तदनुसार सदस्यों कंपनी द्वारा व्यवस्थित वीसी/ओएवीएम सुविधा के ज़रिए एजीएम में भाग ले सकते हैं। कंपनी द्वारा सुनिश्चित करने के लिए यह ध्यान लिया गया है कि कंपनी द्वारा व्यवस्थित वीडियो कॉन्फेरेन्स सुविधा सभी सदस्यों को आसानी से भागीदारी के लिए दो तरफा टेलिकॉन्फ्रेसिंग की अनुमति देती है। सदस्यों को साथ -साथ प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती हैं या कंपनी सचिव के ई-मेल पते पर पहले से प्रश्न प्रस्तुत करना चाहिए।
3. बैठक में भाग लेने की सुविधा बैठक शुरू करने के लिए निर्धारित समय से 15 मिनिट पहले खुली रखी जाएगी और ऐसे निर्धारित समय के बाद 15 मिनिट की समाप्ति के बाद ही बंद किया जाएगा।
4. उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के 103 के अनुसार सामान्य बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता, वीसी/ओएवीएम के ज़रिए आयोजित सामान्य बैठक के लिए भी बढ़ायी गयी है। इसलिए वीडियो कॉन्फेरेंस के ज़रिए एजीएम में भाग ले रहे सदस्यों को बैठक के कोरम के लिए गिना जाएगा।
5. बैठक के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीके के संबंध में, संबंधित एमसीए परिपत्र यह निर्धारित किया जाता है कि यह कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के प्रावधानों पर आधारित होगा या परिपत्र में दिए गए तरीके से होगा। आपकी कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुसार, बोर्ड के अध्यक्ष कंपनी की प्रत्येक सामान्य बैठक में अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करेंगे। तदनुसार बोर्ड का अध्यक्ष, इस एजीएम के लिए

7. Proposal to issue Bonus shares at 1 : 1 ratio

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT in pursuant to the provisions of section 63 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rule 14 of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), and subject to the articles of association and subject to approval of Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) such other approvals and in accordance with the DIPAM guidelines on Capital Restructuring of Central Public Sector Enterprises (CPSE), consent of the shareholders be and is accorded that the sum of ₹ 15,53,50,000/- be capitalized out of the reserves of the Company for the purpose of issue of bonus shares to the existing shareholders of the Company in proportion of 1:1 i.e. (1 (One) equity shares of nominal value ₹10/- each for every one (1) equity shares of nominal value of ₹ 10/-.

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this resolution, the Functional Directors and Company Secretary of the Company be and is hereby severally authorised to do all acts, deeds, matters and things necessary, proper or desirable and to sign and execute all necessary documents, authority letters, applications and returns with the Registrar of Companies or such other authorities. By the order of the Board

By the order of the Board

Jaikrishnan A R
Company Secretary

Place: Thiruvananthapuram

Notes:

1. In view of the outbreak of COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter referred to as "MCA") has vide its General Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020 read together with General Circular Nos. 14/2020 & 17/2020 dated 08th April, 2020, 13th April, 2020 & 13th January, 2021 respectively (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars"), permitted the holding of Annual General Meeting through VC/OAVM. Accordingly, in accordance with the MCA Circulars and provisions of Companies Act 2013, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM. This AGM shall be deemed to be held at the Registered Office of the Company.

2. Since this AGM is being held through VC / OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the Members can join the AGM through VC/OAVM facility arranged by the Company. All care has been taken by the Company to ensure that the video conference facility arranged by the Company allows two-way teleconferencing for the easy participation of all the Members. The Members are allowed to ask questions concurrently or shall submit the questions in advance at the email address of the Company Secretary.

3. The facility for joining the meeting will be kept open for 15 minutes before the scheduled time to start the meeting and will be closed only after the expiry of 15 minutes after such scheduled time.

4. As per the aforementioned MCA Circulars, the requirement of quorum for a general meeting in pursuance of 103 of Companies Act, 2013 has been extended for general meeting held through VC/OAVM also. Therefore, the Members attending AGM through video conference will be counted for the quorum of the meeting.

5. With regard to the manner of appointment of Chairman for the meeting, the relevant MCA circulars stipulates that either it shall be based on the provisions of Articles of Association of the Company or in the manner as

अध्यक्ष होगा।

6. सामान्यतः, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 105 के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में भाग लेने एवं मतदान करने के लिए हकदार सदस्य को इसमें भाग लेने के लिए एक प्रॉक्सि को नियुक्त करने एवं उसकी ओर से मतदान देने के लिए हकदार है और प्रॉक्सी कंपनी के सदस्य होने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि यह एजीएम वीसी/ओएवीएम के ज़रिए आयोजित किया जा रहा है, सदस्यों के प्रत्यक्ष उपस्थिति की आवश्यकता के बिना काम चलाता है और फलस्वरूप प्रॉक्सियों की नियुक्ति के लिए सुविधा इस एजीएम के लिए लागू नहीं है।

7. सांविधिक लेखापरीक्षक या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि कंपनी द्वारा प्रदान की गई वीसी/ओएवीएम सुविधा के ज़रिए एजीएम में भाग लेंगे।

8. जब आपकी कंपनी में सदस्यों की कुल संख्या 50 से नीचे आती है, तब अध्यक्ष की सहमति से मतदान हाथ दिखाकार करने का निर्णय ले सकते हैं, जब तक न किसी भी सदस्य द्वारा मतदान की मांग की जाती है। यदि कोई संकल्प पर बैठक के दौरान कोई मतदान किया जाना आवश्यक है तो सदस्यों को अपना मतदान कंपनी सचिव के ई-मेल आईडी jaikrishnanar@lifecarehll.com पर दे सकते हैं।

9. एमसीए परिपत्रों के अनुसार, एजीएम सूचना, वित्तीय विवरणों और अन्य दस्तावेज़ें शेयरधारकों के ई-मेल पते में इलेक्ट्रॉनिक मोड के ज़रिए भेजे जा रहे हैं।

10. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 112 और धारा 113 के अनुसरण में, सदस्यों के प्रतिनिधियों को वीडियो कॉन्फ्रेस के ज़रिए बैठक में भाग लेने और मतदान करने के उद्देश्य से नियुक्त किया जाएगा।

11. सूचना की प्रति कंपनी के वेबसाइट पर भी पोस्ट की जाएगी।

12. किसी भी प्रकार की सहायता के लिए सदस्य को व्यावसायिक घंटे के दौरान कंपनी सचिव से संपर्क कर सकता है। सदस्यों के अनुरोध पर, सांविधिक रजिस्टर/संबंधित दस्तावेज़ों का निरीक्षण इलेक्ट्रॉनिक मोड के ज़रिए उपलब्ध कराया जा सकता है।

13. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अनुसरण में, सरकारी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सी & ए जी) द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(1) के अनुसार, लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक सामान्य बैठक में तय किया जाना है या ऐसे ढंग से वार्षिक सामान्य बैठक में कंपनी निर्धारित कर सकती है। सी & ए जी ने पत्र सं. सीए/वी/सीओवाई/केंद्र सरकार, एच लैटेक्स (1)/218 दिनांक 14 अगस्त, 2020 द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में मेसर्स श्रीधर & कंपनी, श्रीनिधि, टी.सी. 37/275, पद्मतीर्थम, नॉर्थ स्ट्रीट, तिरुवनंतपुरम, केरल को नियुक्त किया है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2021 -22 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक नियत करने की ओर निदेशक मंडल को प्राधिकृत करने के लिए आवश्यक प्रस्ताव सदस्यों के समक्ष रखा गया है।

14. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में, विशेष कार्य से संबंधित प्रमुख तथ्यों में रखे व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है।

provided in the Circular. As per the Articles of Association of your Company, the Chairman of the Board shall preside as Chairman at every general meeting of the Company. Accordingly, the Chairman of the Board will be the Chairman for this AGM.

6. Generally, pursuant to the provisions of the Section 105 of the Companies Act, 2013, a member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a member of the Company. Since this AGM is being held through VC/OAVM, the requirement of physical attendance of members is dispensed with and consequently the facility for appointment of proxies is not applicable for this AGM.

7. The Statutory auditor or his authorized representative will attend the AGM through VC/OAVM facility provided by the Company.

8. As the total number of members in your Company falls below 50, the Chairman may decide to conduct a vote by show of hands, unless a demand for poll is made by any member. If a poll is required to be taken during the meeting on any resolution, the members may convey their vote at the Email i.d of the Company Secretary at jaikrishnanar@lifecarehll.com

9. In line with the MCA Circulars, AGM Notice, financial statements and other documents are being sent through electronic mode to the e - mail addresses of the shareholders.

10. In pursuance of section 112 and section 113 of the Companies Act, 2013 representatives of the Members shall be appointed for the purpose of participation and voting in the meeting through video conference.

11. A copy of the notice shall also be posted on the website of the company.

12. For any assistance, a member may contact the Company Secretary during business hours. Upon request of members, the inspection of statutory register/related documents can be made available through electronic mode.

13. Pursuant to Section 139 (5) of the Companies Act, 2013, the Statutory Auditors of a Government Company are appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG). In terms of Section 142(1) of the Companies Act, 2013 the remuneration of auditors has to be fixed by the company in the annual general meeting or in such manner as the company in annual general meeting may determine. C&AG has vide letter No.CA/V/COY/CENTRAL GOVERNMENT, HLATEX(1)/506 dated 23rd August, 2021 appointed M/s. Sridhar & Co., Chartered Accountants, Sreenidhi, TC.37/275, Padmatheertham, North Street, Trivandrum, Kerala as Statutory Auditors of the Company for the year 2021-22. Accordingly, necessary resolution has been placed before the Members for authorising the Board of directors to fix up the remuneration to the Statutory Auditors of the Company for the financial year 2021-22.

14. Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Companies, Act, 2013 with Companies (Management and Administration) Rules 2014, setting out the material facts in respect of Special Business is annexed.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार स्पष्टीकरण विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन के अनुसरण में, विशेष व्यवसाय के लिए प्रस्तावित प्रमुख तथ्यों और कारणों निर्धारित करनेवाले स्पष्टीकरण विवरण नीचे दिये गये हैं:

मद सं. : 4 वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन।

कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के अधीन कंपनी (लागत रिकार्ड और लेखा परीक्षा) नियम 2014 के साथ पढित व्यवहार में रहे लागत लेखाकार द्वारा आयोजित इसके लागत रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा के लिए निदेश की जाती है। 28 सितंबर, 2021 को आयोजित 281 वीं बोर्ड बैठक में, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए फर्म पंजीकरण नं. 000001 के साथ मेसर्स आर जे गोयल & कंपनी 31 कम्युनिटी सेंटर, अशोक विहार, फेज - 1, दिल्ली - 110052 , फर्म पंजीकरण नं. 000026 की नियुक्ति और पारिश्रमिक का अनुमोदन दिया। कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 (क)(ii) के साथ पढित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 (3) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों द्वारा लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक का अनुसमर्थन किया जाना है। तदनुसार, 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक के अनुसमर्थन के लिए सामान्य संकल्प को पारित करने की ओर सदस्यों की अनुमति माँगती है। कंपनी के कोई निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार उपर्युक्त सामान्य संकल्प से संबंधित या नियंत्रित नहीं है। बोर्ड आपके अनुमोदन के लिए उपर्युक्त संकल्प की सिफारिश करते हैं।

बोर्ड उपरोक्त संकल्प आप के अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है।

उपरोक्त सामान्य संकल्प में निदेशकों में से कोई या कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार संबंध या हित रखते हैं।

मद सं : 5 एचएलएल मेडीपार्क लिमिटेड को आईएनआर 20 लाख का अतिरिक्त अस्थायी ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने एचएलएल को कार्यालय ज्ञापन एफ नं. 12012/52/2010-एनएम(पीटी)एचपीई दिनांक 25 अक्तूबर, 2016 द्वारा तमिलनाडु के चेंगलपट्टु में 330.10 एकड़ भूमि उप पट्टा पर देने केलिए और मेडीपार्क परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समनुषंगी कंपनी के गठन की अनुमति देने केलिए कैबिनेट अनुमोदन से अवगत कराया था। तदनुसार एचएलएल ने 20 दिसंबर, 2016 को एचएलेल मेडिपार्क लिमिटेड (एचएलएल) नाम से समनुषंगी कंपनी के रूप में गठन किया। कैबिनेट अनुमोदन के आधार पर , एचएमएल को एचएलएल द्वारा 90% की इक्विटी भागीदारी होगी और तमिनाडु औद्योगिक विकास निगम (टीआईडीसीओ) 10% से अधिक नहीं है। एचएलएल ने 330.10 एकड़ भूमि एचएमएल के पक्ष में 91 साल की अवधि के लिए उप पट्टे पर दिया है और उपर्युक्त दस्तावेज 2 मार्च 2017 को पूरा हो गया था।

विलय प्रक्रिया के समापन के बाद, एचएमएल की परियोजना गतिविधियाँ 3-4 महीनों में सुव्यवस्थित होने की अम्मीद है। इसके अलावा, एचएलएल ने अभी तक परियोजना के वित्तीय समापन को पूरा नहीं किया है जो अगले 3 महीनों में होने की उम्मीद है। इसलिए एचएमएल की महत्वपूर्ण नकदी प्रवाह की स्थिति पर विचार करते हुए और उन्हें वर्तमान स्थिति से निपटाने में सक्षम बनाने के लिए, एचएमएल ने 20 अप्रैल 2021 के पत्र के माध्यम से एचएलएल से निम्नलिखित खर्चों को पूरा करने के लिए 20 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने का अनुरोध किया :

(i) 3 से 4 महीनों की अवधि के लिए सीओओ सहित 3 कर्मचारियों का वेतन।

(ii) एचएलएल के दो कर्मचारी यानी सीएफओ & डीजीएम के लिए (परियोजना) के लिए वेतन भुगतान जारी रखना जो एचएमएल में काम कर रहे हैं।

तदनुसार 12 मई, 2021 को आयोजित 278 वीं बोर्ड बैठक में निदेशक मंडल नीचे दिये जैसे 3 से 4 महीनों की अवधि के लिए सीओओ सहित 3 कर्मचारियों का वेतन से संबंधित खर्चों को पूरा करने केलिए एचएमएल को आईएनआर 20.00 लाख का अतिरिक्त अस्थायी ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव को अनुमोदन दिया।

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013, the Explanatory Statement setting out material facts and reasons for the proposed Special Business is given below.

Item No: 4 Ratification of Cost Auditor's remuneration for the financial year 2021-2022

The Company is directed, under Section 148 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014 to have the audit of its cost records conducted by a Cost Accountant in practice. The Board of Directors of your Company in their 281st Board meeting held on 28th September 2021 approved the appointment and remuneration of M/s.R J Goel & Co. No. 31 Community Centre Ashok Vihar phase-I, Delhi 110052, Cost Accountants, with Firm Registration No.000026 for the financial year ending March 31, 2022. In accordance with the provisions of Section 148(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 14(a)(ii) of the Companies (Audit and Auditors) Rules 2014, the remuneration payable to the Cost Auditors has to be ratified by the members of the Company. Accordingly, consent of the members is sought for passing ordinary resolution for ratification of the remuneration payable to the Cost Auditors for the financial year ending March 31, 2022.

The Board recommends the aforesaid resolution for your approval.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives is concerned or interested in the aforesaid ordinary resolution.

Item No: 5 Proposal to provide additional temporary loan of INR 20 lakh to HLL Medipark Ltd.

The Ministry of Health & Family Welfare, Government of India [MoHFW] had vide office memorandum FNos-12012/52/2010-NM (Pt) HPE dt 25th October, 2016 conveyed the Cabinet approval to grant permission to HLL to sublease the 330.10 acres of land at Chengalpattu, Tamil Nadu and formation of a subsidiary company for implementation of Medipark Project. Accordingly, HLL formed a subsidiary company by name - HLL Medipark Ltd (HML) on 20th December, 2016. Based on Cabinet approval, HML will have equity participation of 90% by HLL and Tamil Nadu Industrial Development Corporation (TIDCO) not exceeding 10%. HLL has sub- leased the land of 330.10 acres in favour of HML for a period of 91 years and said documentation was completed on 2nd March, 2017.

After the conclusion of the Demerger process, the project activities of HML is expected to be streamlined in 3-4 months. Further, HML is yet to complete the project's financial closure, which is expected in another 3 months. Therefore considering the critical cash flow position of HML and to enable them to tide over the present situation, HML vide letter dated 20th April, 2021 requested HLL to provide a loan of INR 20 lakh to meet the following expenses:

i) Salaries of 3 staff including COO for a period of 3 to 4 months.

ii) Continuation of salary payment for the two employees of HLL i.e. CFO & DGM (Projects) who are working in HML.

Accordingly, the Board of directors in the 278th Board meeting held on 12th May, 2021 approved the proposal to provide additional temporary loan of INR 20.00 lakhs to HML to meet expenses relating to salaries of 3 staff including COO for a period of 3 to 4 months as given below.

अस्थायी ऋण राशि	रु.12.00 करोड तक
देय ब्याज	एचएलएल द्वारा प्राप्त कैश क्रेटिड सुविधा पर लागू अधिकतम ब्याज दर से जुडी ब्याज दर (अब 8.4%)
मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान की अनुसूची	मांग पर या छह महीने की अधिकतम अवधि के भीतर प्रतिदेय।
ब्याज भुगतान अनुसूची	मासिक आधार पर ब्याज देय
प्रतिभूति	लागू नहीं (अप्रतिभूत ऋण)
ऋण लेने का उद्देश्य	एचएमएल की अल्पकालिक निधि आवश्यकता पूरा करने केलिए।

निदेशक मंडल ने सदस्यों के अनुमोदन के अनुसार लिए एचएमएल को अस्थायी ऋण प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार और अनुमोदन किया था।

तदनुसार निदेशक मंडल संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में आपकी स्वीकृति के लिए सिफारिश करता है।

कंपनी के किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार का उपरोक्त संदर्भित संकल्प में वित्तीय या अन्यथा कोई संबंध या रुचि नहीं है।

मद सं : 6 एचएलएल मेडीपार्क लिमिटेड को आईएनआर 61.26 लाख रुपए की खाता शेष को ऋण में बदलने का प्रस्तावा

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने एचएलएल को कार्यालय ज्ञापन एफ नं. 12012/52/2010-एनएम(पीटी)एचपीई दिनांक 25 अक्तूबर, 2016 द्वारा तमिलनाडु के चेंगलपट्टु में 330.10 एकड़ भूमि को उप पट्टे पर देने केलिए और मेडीपार्क परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समनुषंगी कंपनी के गठन की अनुमति देने केलिए कैबिनेट अनुमोदन से अवगत कराया था। तदनुसार एचएलएल ने 20 दिसंबर, 2016 को एचएलेल मेडिपार्क लिमिटेड (एचएलएल) नाम से समनुषंगी कंपनी के रूप में गठन किया। कैबिनेट अनुमोदन के आधार पर , एचएमएल को एचेलेल द्वारा 90% की इक्विटी भागीदारी होगी और तमिनाडु औद्योगिक विकास निगम (टीआईडीसीओ) 10% से अधिक नहीं है।

सीसीईए के निर्णय के आधार पर एचएलएल से एचएमएल के विलय के मामले में, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने 31 मार्च 2021 को विलय की योजना की मंजूरी देते हुए अंतिम आदेश जारी किया। व्यवस्था की योजना के अनुसार. योजना एमसीए आदेश की प्रमाणित प्रति आरओसी के पास जमा करने की तिथि से प्रभावी होगी। एचएलएल और एचएमएल दोनों ने 21 अप्रैल 2021 को आरओासी केरल के साथ एमसीए आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए ई-फॉर्म आईएनसी 28 जमा किया। तदनुसार एचएमएल के विलय की प्रभावी तिथि 21 अप्रैल 2021 से प्रभावी है। इसलिए एचएमएल अब 21 अप्रैल 2021 से एचएलएल की समनुषंगी कंपनी नहीं है।

27 जुलाई 2021 को आयोजित एचएलएल की 280 वीं बोर्ड बैठक में निदेशक मंडल ने 1 जनवरी 2021 से 31 जुलाई 2021 के बीच एलएलएल द्वारा खर्च किए गए अग्रिमों/एचएलएल द्वारा किए गए संचित खर्चों नीचे दिये जैसे रु. 61.26 लाख की रकम बदलने का प्रस्ताव को अनुमोदन दिया।

खाते की शेष राशि में परिवर्तन करके एचएमएल को ऋण	रु. 61.26 लाख तक
देय ब्याज	एचएलएल द्वारा प्राप्त कैश क्रेटिड सुविधा पर लागू अधिकतम ब्याज दर से जुडी ब्याज दर (अब 8.4%)
मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान की अनुसूची	मांग के अनुसार प्रतिदेय
ब्याज भुगतान अनुसूची	मासिक आधार पर ब्याज देय
प्रतिभूति	लागू नहीं (अप्रतिभूत ऋण)
ऋण लेने का उद्देश्य	एचएमएल की अल्पकालिक निधि आवश्यकता पूरा करने केलिए।

Temporary loan amount	Up to INR 20.00 lakhs
Interest payable	Interest rate linked to maximum interest rate applicable to Cash Credit facility availed by HLL (Presently 8.4 %)
Schedule of repayment of principal and Interest	Repayable either on demand or within a maximum period of six months.
Interest payment schedule	Interest payable in monthly rests
Security	N.A. (Unsecured Loan)
Purpose of loan	To meet short term fund requirement of HML

The Board of Directors had considered and approved the proposal to provide temporary loan to HML subject to the approval of the Members.

The Board of Directors accordingly recommends the resolution for your approval as a Special Resolution.

None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Company or their relative is concerned or interested, financially or otherwise, in the above referred resolution.

Item No: 6 Proposal to convert account balances of INR 61.26 lakh into loan to HLL Medipark Ltd.

The Ministry of Health & Family Welfare, Government of India [MoHFW] had vide office memorandum FNos-12012/52/2010-NM (Pt) HPE dt 25th October, 2016 conveyed the Cabinet approval to grant permission to HLL to sublease the 330.10 acres of land at Chengalpattu, Tamil Nadu and formation of a subsidiary companyfor implementation of Medipark Project. Accordingly, HLL formed a subsidiary company by name - HLL Medipark Ltd (HML) on 20th December, 2016. Based on Cabinet approval, HML has equity participation of 90% by HLL and equity participation of 10 % by Tamil Nadu Industrial Development Corporation (TIDCO).

In the matter of Demerger of HML from HLL undertaken based on CCEA decision, the Ministry of Corporate Affairs, Government of India issued final order sanctioning the Scheme of Demerger on 31st March, 2021. As per the Scheme of arrangement, the scheme shall be effective on the date of submission of certified copy of the MCA order with the ROC. Both HLL and HML submitted e-form INC 28 on 21st April, 2021 with the ROC, Kerala enclosing the certified copy of the MCA order. Accordingly, the effective date of Demerger of HML is w.e.f 21st April, 2021. Therefore, HML is no longer a subsidiary company of HLL w.e.f 21st April, 2021.

In the 280th Board meeting of HLL held on 27th July 2021, the Board of Directors approved the proposal to convert the accumulated expenses incurred by HLL / advances made by HLL on behalf of HML between 1st January 2021 to 31st July 2021 amounting to INR 61.26 lakhs as mentioned below.

Loan to HML by conversion of account balances	Up to INR 61.26 lakhs
Interest payable	Interest rate linked to maximum interest rate Applicable to Cash Credit facility availed by HLL (Presently 8.4%)
Schedule of repayment of Principal and interest	Repayable on demand.
Interest payment schedule	Interest payable in monthly rests
Security	N.A.(Unsecured Loan)
Purpose of loan	To meet short term fund requirement of HML

निदेशक मंडल ने सदस्यों के अनुमोदन के अधीन खाते की शेष राशि को ऋण में परिवर्तित करने प्रस्ताव पर विचार और अनुमोदन किया था।

तदनुसार निदेशक मंडल संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में आपकी स्वीकृति के लिए सिफारिश करता है।

कंपनी के किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार का उपरोक्त संदर्भित संकल्प में वित्तीय या अन्यथा कोई संबंध या रुचि नहीं है।

मद सं : 7. 1:1 अनुपात में बोनस शेयर जारी करने का प्रस्ताव

27 जुलाई 2021 को आयोजित 280 वीं बोर्ड बैठक में निदेशक मंडल ने दीपम मार्गनिर्देशों में प्रदान किए गए बोनस शेयरों को जारी करने के प्रमुख प्रावधानों और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एचएलएल को इसकी प्रयोज्यता पर चर्चा की थी। दीपम के मार्गनिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई उनके बोर्ड बैठक में बोनस शेयरों के जारी करने पर गौर करना चाहिए और विश्लेषण करना चाहिए , जब उनता निर्धारित आरक्षण और अधिशेष इसकी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी के बराबर या 5 गुना से अधिक है। यदि बोनस शेयर जारी करने का निर्णय निर्णय नहीं लिया जाता है, तो नामित शासकीय निदेशक यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड निर्णय के औचित्य का विश्लेषण करता है और उसके कारणों को विशेष रूप से दर्ज किया जाता है। तथापि प्रत्येक सीपीएसई यदि उनका निर्धारित आरक्षण और अधिशेष इसकी पदत्त इक्विटी पूँजी के बराबर या 10 गुना से अधिक है तो बोनस शेयर जारी करेगा।

मार्च 2021 में (1 अप्रैल 2019 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ) भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एचबीएल) के विलय के परिणामस्वरूप 27,48,80,000 शेयरों का निवेश और आईवीसी परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा निवेश किए गए रु. 27,488 लाख रकम की रु.10 प्रति शेयर की संबंधित शेयर पूँजी एचएलएल की शेयर पूँजी से घटाया गया है और इसी तरह एचबीएल में निवेश से घटाया गया है। तदनुसार 31 मार्च 2021 को एचएलएल की जारी किए गए, अभिदानित और प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी रु. 15.53 करोड है।

कंपनी की प्रदत्त शेयर पूँजी रु. 15.53 करोड है और आरक्षण और अधिशेष रु. 368.91 करोड है। चूँकि आरक्षित और अधिशेष प्रदत्त पूँजी के 10 गुना से अधिक है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2020-21 केलिए बोनस शेयर जारी करने संबंधी मार्गनिर्देश कंपनी पर लागू होता है।

जुलाई 2021 की बोर्ड बैठक में एएस और एएफ - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझाव के आधाार पर एचएलएल ने लेनदेन सलाहकार (पीडब्लयुसी) से यह सलाह देने का अनुरोध किया था कि क्या एचएलललएल दीपम मार्गनिर्देशों के अनुसार बोनस शेयर जारी कर सकता है जबकि कंपनी दीपम या डीपीई द्वारा जारी किसी भी मार्गनिर्देशों के दृष्टिकोण से रणनीतिक विनिवेश के अधीन है। इनकी प्रतिक्रिया में टीए ने एचएलएल को कानूनी सलाहकार से परामर्श करने की सलाह दी है क्यों कि कानूनी परिप्रेक्ष्य से मामले की समीक्षा की जानी है। तदनुसार एचएलएल ने इस मामले पर एचएलएल को सलाह देने के लिए एलए (मेसेर्स क्रॉफर्ड बेले एंड कंपनी) से अनुरोध किया।

9 सितंबर 2021 को एल ए ने राय दी कि एचएलएल का रणनीति विनिवश प्रारभिक चरण में है यानी अभि तक यह **स्टेज I,** यानी **हित की अभिव्यक्ति आमंत्रित करना ("ईओआई") और संभवित बोलीधारक की अर्हता** तक भी नहीं पहुचा है। चूंकि ईओआई जारी नहीं किया गया है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देश दिनांक 21 मई 2016 के अनुसार बोनस शेयर जारी करने केलिए एचएलएल पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि पारदर्शिता के लिए एल ए ने सुझाव दिया कि एचएलएल को दीपम के साथ-साथ टीए को बोनस शेयर जारी करने के अपने निर्णय के बारे में सूचित करना चाहिए और यह भी बताया कि इस तरह के बोनस वितरण के परिणामस्वरूप भारत सरकार की शेयरधारिता में वृद्धि होगी। यदि दीपम को कोई आपत्ति या प्रश्न है तो उन्हें समझाया जाना चाहिए कि चूंकि ईओआई आमंत्रित करने वाला नोटीस जारी नहीं किया गया है, इसलिए एचएलएल को इस स्तर पर बोनस शेयर जारी करने की अनुमति है।

एल ए , एचएलएल द्वारा 21 सितंबर 2021 के पत्र द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखते हुए 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव के लिए सहमति प्रदान करने केलिए दीपम से अनुरोध किया (अर्थात एक (1) पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों के लिए प्रत्येक शेयर धारिता) और दीपम की प्रतिक्रिया का इंतजार है।

The Board of Directors had considered and approved the proposal to convert the account balance into loan subject to the approval of the Members.

The Board of Directors accordingly recommends the resolution for your approval as a Special Resolution.

None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Company or their relative is concerned or interested, financially or otherwise, in the above referred resolution.

Item No: 7 Proposal to issue Bonus shares at 1 : 1 ratio

In the 280th Board meeting held on 27th July 2021 the Board of Directors had discussed the major provisions of the issue of Bonus shares provided in the DIPAM guidelines and applicability thereof to HLL for the FY 2020-21. According to DIPAM Guidelines, every CPSE should look into and analyze in their Board meeting, issue of Bonus shares when their defined reserves and surplus are equal to or more than 5 times of its paid up equity share capital. In case, if it is not decided to issue bonus shares, the nominee official director shall ensure that the Board analyses the justification for the decision and the reasons for the same be recorded specifically. However, every CPSE shall issue bonus shares if their defined reserves and surplus is equal to or more than 10 times of its paid up equity share capital.

Consequent to demerger of HLL Biotech Ltd. [HBL] approved by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India in March 2021 (with retrospective effect from 1st April 2019), investment of 27,48,80,000 number of shares and corresponding share capital @ ₹10 per share amounting to ₹ 27,488 lakhs invested by Govt. of India for IVC project is reduced from share capital of HLL and correspondingly from investment in HBL. Accordingly, the issued, subscribed and paid- up equity share capital of HLL as on 31st March, 2021 is ₹ 15.53 Cr.

The paid-up share capital of the Company is ₹15.53 Cr. and the reserves and surplus is ₹368.91 Cr. Since the reserves and surplus is more than 10 times of the paid-up capital, the guideline on issue of Bonus shares is applicable to the Company for the financial year 2020-21.

Based on the suggestion made by AS & FA – MoHFW in the July 2021 Board meeting, HLL had requested the Transaction Advisor (PwC) to advise if HLL can issue Bonus shares in accordance with DIPAM guidelines while the company is under Strategic Disinvestment from the viewpoint of any guideline issued by the DIPAM or DPE. In response, TA has advised HLL to consult Legal Advisor as the matter has to be reviewed from Legal perspective. Accordingly, HLL requested LA (M/s. Crawford Bayley & Co.) to advise HLL on the matter.

On 9th September, 2021 the LA gave opinion that strategic disinvestment of HLL is in a very preliminary stage i.e. so far it has not even reached **Stage I i.e. Inviting Expression of Interest ("EOI") and Qualification of Potential Bidders**. Since EOI has not been released, there is no restriction on HLL for issuing the bonus shares in terms of the Guidelines on Capital Restructuring of Central Public Sector Enterprises dated 27th May, 2016. However, for the sake of transparency LA suggested that HLL should inform DIPAM as well as the TA about its decision to issue bonus shares and also explain that such bonus issue will result in increase in GoI's shareholding. In the event DIPAM has any objections or queries the same should be explained to them that since the notice inviting EOI has not been issued, it is permissible for HLL to issue bonus shares at this stage.

Taking into consideration the suggestion given by the LA, HLL vide letter dated 21st September, 2021 requested the DIPAM to provide consent for the proposal of issue of Bonus shares at the ratio of 1:1 (i.e. one (1) fully paid equity shares for every one shares held) and the response from DIPAM is awaited.

तदनुसार 28 सितंबर 2021 को आयोजित 281 वीं बोर्ड बैठक में निदेशक मंडल ने विद्यमान शेयरधारकों को 1:1 (यानी धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक (1) पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयर) के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया । प्रस्तावित बोनस वितरण के संबंध में संक्षिप्त जानकारी नीचे दी गई है।

1. स्रोत जिसमें से बोनस शेयर जारी किए गए हैं: 31 मार्च 2021 को उपलब्ध आरक्षित और अधिशेष

2. बोनस मुद्दे से पहले शेयर पूँजीः रु. 15,53,50,000/-(15525000शेयर @ 10/-)

3. बोनस जारी करने का प्रस्तावः रु. 15,53,50,000/-(15525000शेयर @ 10/-)

4.बोनस मुद्दे के बाद शेयर पूँजी: रु. 31,07,00000/-(31070000शेयर @ 10/-)

निदेशक मंडल ने सदस्यों और डीपाम के अनुमोदन के अनुसार लिए एचएमएल को अस्थायी ऋण प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार और अनुमोदन किया था। तदनुसार निदेशक मंडल संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में आपकी स्वीकृति के लिए सिफारिश करता है।

कंपनी के किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार का उपरोक्त संदर्भित संकल्प में वित्तीय या अन्यथा कोई संबंध या रुचि नहीं है।

सेवा में

शेयरधारक

1, भारत के राष्ट्रपति, नामिती द्वारा प्रतिनिधित्व
2. श्री राजेश भूषण आईएएस, सचिव
3. डॉ धर्मेंद्र एस गागवार आईएएस, अपर सचिव & एफए- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
4. डॉ. मंदीप के भंडारी आईएएस, संयुक्त सचिव - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
5. श्री ई.ए सुब्रमण्यन, निदेशक (तकनीकी एवं प्रचालन)
6. श्री टी. राजशेखर, निदेशक (विपणन)
7. डॉ. गीता शर्मा, निदेशक (वित्त)

2. सभी निदेशक

3. सांविधिक लेखापरीक्षक
मेसेर्स के वर्गीस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पीएचआरए - 8, प्रकृति हाइट्स
पालम जंक्शन, वषइला
करकुलम, तिरुवनंतपुरम - 605564

4. **सचिवालयीन लेखापरीक्षक**
मेसेर्स बीवीआर एंड एसोसिएट्स
'स्वस्तिका' पहला तल
चिट्टेत हाउस, पीसी रोड
वैटिला पीओ, कोचीन - 682 019
केरल

Accordingly, the Board of directors in the 281st Board meting held on 28th September 2021 approved the proposal to issue Bonus share to the existing shareholders in ratio 1:1 (i.e. one (1) fully paid equity shares for every one shares held). Brief information regarding proposed bonus issue is given below.

1. Source out of which Bonus shares is issued: Reserves & surplus available as on 31st March, 2021
2. Share capital before Bonus issue : ₹15,53,50,000/- (15535000 shares @ 10/-)
3. Bonus issue proposed: ₹15,53,50,000/- (15535000 shares @ 10/-)
4. Share capital after Bonus issue : ₹31,07,00000/- (31070000 shares @ 10/-)

The Board of Directors had considered and approved the proposal to issue Bonus shares subject to the approval of the Members and DIPAM. The Board of Directors accordingly recommends the resolution for your approval as a Special Resolution.

None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Company or their relative is concerned or interested, financially or otherwise, in the above referred resolution.

To

1. Shareholders

1. President of India, represented by Nominee
2. Shri Rajesh Bhushan IAS, Secretary – MoHFW
3. Dr.Dharmendra S Gangwar IAS, Additional Secretary & F.A – MoHFW
4. Dr.Mandeep K Bhandari IAS, Joint Secretary – MoHFW
5. Shri E A.Subramanian, Director (T&O)
6. Shri T.Rajasekar, Director (Marketing)
7. Dr.Geeta Sharma, Director (Finance)

2. All Directors

3. Statutory Auditors

M/s. K Varghese & Co.
Chartered Accountants
PHRA – 8, Prakrithy Heights
Palam Junction, Vazhayila
Karakulam, Trivandrum – 695564

4. Secretarial Auditors

M/s BVR & Associates
“Swastika”, First Floor,
Chitteth House, P C Road,
Vytilla P.O, Cochin - 682 019,
Kerala

निदेशकों की रिपोर्ट (2020-21)

1.वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय निष्पादन नीचे संक्षिप्त रूप से दिया जाता है।

(₹ लाखों में)

वित्तीय विवरण	स्टैन्डअलॉन		समेकित	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
प्रचालन से राजस्व	5,08,131.02	1,67,764.97	5,37,532.27	1,98,051.00
अन्य आय	5,753.28	6,148.94	4,599.97	3,737.31
कुल आय	5,13,884.30	1,73,913.91	5,42,132.24	201,788.31
कर के पहले लाभ/(हानि)	15,154.61	12,458.28	14,461.00	13,422.62
कर व्यय	3,921.61	1,409.75	4,297.81	2,308.87
कर के बाद लाभ/(हानि)	11,233.01	11,048.53	10,163.19	11,113.75

कंपनी के निष्पादन के मुख्य हाइलाइट्स नीचे दिए जाते हैं।

- वर्ष 2020-21 के लिए प्रचालन से राजस्व रु.5081.31 करोड था , जिसमें से सामान्य प्रचालन से राजस्व रु.1513.03 करोड है जबकि वर्ष 2019-20 में यह रु. 1677.65 करोड था जिसमें 9.81% की गिरावट दर्ज की गई ।
- कर के पूर्व लाभ, वर्ष 2019-20 के रु.124.58 करोड की तुलना में वर्ष 2020-21 में मुख्य रूप से कोविड संबंधित प्रचालन के कारण 21.64% की वृद्धि दर्शाकर रु.151.54 करोड है।
- कर के बाद लाभ, वर्ष 2019-20 के रु.110.48 करोड की तुलना में वर्ष 2020-21 में रु.112.33 करोड है।
- वर्ष के दौरान निवल मूल्य ने 31.03.2020 तक के रु.298.08 करोड से 31.03.2021 तक के रु. 385.73 करोड तक बढा है। एचएलएल बायोटेक के डीमर्जर 01.04.2019 से होने के कारण, एचएलएल के शेयर पूँजी रु.290.41 करोड से घटकर रु.15.53 करोड हो गई है।
- एमओएचएफडब्लियु ने 21 फरवरी 2020 को एचएलएल को कोविड-19 से निपटने के लिए आपातकालीन चिकित्सा आपूर्ति के क्रय के नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया, ताकि सरकार को महामारी से निपटने में सक्षम हो सके। आपातकालीन चिकित्सा आपूर्ति में निहित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण में कवरऑल (गारमेंट्स), एन 95 मास्क, गॉगल्स, नाइट्राइल दस्ताने, फेस शील्ड, ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क और अन्य उत्पाद जैसे वेंटिलेटर, हैंड सैनिटाइज़र आदि शामिल हैं। एचएलएल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार भारत और विदेश दोनों से उपरोक्त उत्पादों का प्रापण प्रारंभ किया। जनवरी 2021 के दौरान एमओएचएफडब्लियु ने वैक्सीन के प्रापण की जिम्मेदारी भी एचएलएल को सौंपी।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड व्यवसाय लाइन ने एचएलएल राजस्व में रु.3568.28 करोड का योगदान दिया है।

2. लाभांश

निदेशकों को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रु.19.28 करोड के लाभांश की सिफारिश करते हुए प्रसन्नता हो रही है। लाभांश का भुगतान आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है ।

3. शेयर पूँजी

31 मार्च, 2021 तक की कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी पिछले वर्ष के जैसे ₹300.00 करोड़ रही है।

I. DIRECTORS' REPORT (2020-2021)

1. FINANCIAL RESULTS

The Company's financial performance, for the year ended March 31, 2021 is summarised below:

(₹ In lacs)

Financial Particulars	Standalone		Consolidated	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
Revenue from operations	5,08,131.02	1,67,764.97	5,37,532.27	1,98,051.00
Other Income	5,753.28	6,148.94	4,599.97	3,737.31
Total Income	5,13,884.30	1,73,913.91	5,42,132.24	201,788.31
Profit/(Loss) before Tax	15,154.63	12,458.28	14,461.00	13,422.62
Tax Expenses	3,921.61	1,409.75	4,297.81	2,308.87
Profit/(Loss) after Tax	11,233.01	11,048.53	10,163.19	11,113.75

The major highlights of the Company's performance is given below

- Revenue from operations for the year 2020-21 was ₹5081.31 Cr, out of which Revenue from Normal Operations is ₹1513.03Cr as against ₹1677.65 in 2019-20, recording a dip of 9.81%.
- Profit Before Tax is ₹151.54 Cr in 2020-21 compared to a profit of ₹ 124.58 Cr in 2019-20 reflecting a growth of 21.64% mainly due to COVID related operations.
- Profit After Tax is ₹112.33 Cr in 2020-21 compared to a profit of ₹ 110.48 Cr in 2019-20.
- Net Worth has increased from ₹298.08 Cr as at 31.03.2020 to ₹385.73 Cr as at 31.03.2021 during the year. Due to demerger of HLL Biotech Limited with effective from 01.04.2019, HLL share capital has reduced to ₹15.53 Cr from ₹290.41Cr.
- MOHFW on 21st Feb 2020 nominated HLL as the nodal agency for procurement of emergency medical supplies to combat COVID-19, to enable government to deal with the pandemic. The emergency medical supplies covered Personal Protective Equipments Kits consisting of Coverall (Garments), N95 mask, Goggles, Nitrile Gloves, Face Shield, Triple Layer Surgical mask and other products like Ventilators, Hand sanitizers etc. HLL as per directions from MoHFW, initiated the procurement of above products from both India and abroad. During January 2021, MOHFW entrusted the responsibility of procurement of Vaccine also to HLL.
- During the FY 2020-21 COVID business line has contributed ₹3,568.28 Cr to HLL Revenue.

2. DIVIDEND

The Directors are pleased to recommend a dividend of amounting to ₹19.28 Cr. for the financial year ended 31st March, 2021. Payment of dividend is subject to the approval of the shareholders at the ensuing Annual General Meeting.

3. SHARE CAPITAL

The Authorized Share capital of the Company as on 31st March, 2021 stood at ₹ 300.00 Cr. as the same of

1 अप्रैल 2019 से एचएलएल बायोटेक लिमिटेड के डीमर्जर होने के फलस्वरूप, आईवीसी परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा निवेशित 27,48,80,000 शेयरों और संबंधित शेयर पूँजी में प्रति शेयर 10 रुपए की दर से रु.27,488 लाख का निवेश, शेयर पूँजी से घटाया गया है और परिणामस्वरूप एचएलएल बायोटेक लिमिटेड के निवेश से घटाया गया है। तदनुसार 31 मार्च 2021 तक के जारी, अभिदत्त और प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी रु.15.53 करोड है।

4. एम ओ यु लक्ष्य की तुलना में कंपनी के निष्पादन

वर्ष 2019-20 के लिए भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित एम ओ यु के अनुसार आपकी कंपनी का निष्पादन 'बहुत अच्छा' के रूप में मूल्यांकित किया गया है । वित्तीय वर्ष 2020-21 के एम ओ यु लक्ष्य की तुलना में कंपनी के निष्पादन को दर्शाते हुए विवरण **अनुबंध I** के रूप में संलग्नक है, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा बनता है ।

5. जमा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ पठित कंपनी नियम, 2014(जमाओं की स्वीकृति) के द्वारा अध्याय V- जमाओं की स्वीकृति के प्रावधानों के अर्थ के अंतर्गत कोई भी जमा स्वीकार नहीं किया है ।

6. उधार गारंटी या निवेश के विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन एचएलएल बायोटेक लिमिटेड(एचबीएल), एचएलएल के पूर्ण स्वामित्ववाली समनुषंगी कंपनी को रु.19.40 करोड और एचएलएल मेडिपार्क, एचएलएल के समनुषंगी कंपनी को रु.1.68 करोड के अंतर-कॉर्पोरेट ऋण दिया है । कंपनी के निवेशों के विवरण वित्तीय विवरणों की टिप्पणी में दिए गए हैं ।

7. संबंधित पार्टी लेनदेन

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रारंभित सभी संबंधित पार्टी लेनदेन व्यतिरेक आधार पर और व्यवसाय के साधारण तौर पर थे । वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ कोई प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं थे, जो कंपनी के हित में संघर्ष उत्पन्न करें । इंड ए एस-24 के अधीन अपेक्षित उचित प्रकटीकरण वित्तीय विवरण की टिप्पणी के नोट सं.2.42 में बनाये गये हैं ।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) के अनुसार, निर्धारित फार्म ए ओ सी- 2 में संबंधित पार्टियों के साथ बनाए अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन के विवरण **अनुबंध II** के रूप में जोडा गया है जो इस रिपोर्ट का हिस्सा बनता है ।

8. समनुषंगियाँ एवं संयुक्त उद्यम

आज की तारीख तक आपकी कंपनी को तीन समनुषंगी कंपनियाँ और एक संयुक्त उद्यम कंपनी है । कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के अनुसार, फॉर्म ए ओ सी - 1 में समनुषंगियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरणों के प्रमुख विशेषताओं सहित विवरण वित्तीय विवरणों में संलग्न है । समनुषंगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के निष्पादन का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है ।

8.1.गोवा एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जी ए पी एल)

31 मार्च 2021 तक के जीएपीएल की प्राधिकृत शेयर पूँजी और प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी क्रमशः रु. 25 करोड और रु.19.02 करोड थी।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, प्रचालन से राजस्व को पिछले वर्ष की तुलना में 20.98% की कमी हुई है ।

नए व्यापार अवसर की खोज

गोवा सरकार ने जून 2021 के महीने में जीएपीएल के लिए विस्तारित मूल्य एवं क्रय वरीयता नीति को पुनःस्थापित किया है (जो मई 2018 से निलंबित कर दिया गया था)। इस नीति के तहत जीएपीएल को रु.1.39 करोड का पहला ऑर्डर मिला ।

इसके अलावा जीएपीएल कर्नाटका पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद अधिनियम के अधीन 4 जी अनुमोदन के लिए कर्नाटका सरकार के साथ भी

previous year. Consequent to demerger of HLL Biotech Ltd w.e.f 1st April 2019, investment in 27,48,80,000 number of shares and corresponding share capital @ ₹10 per share amounting to ₹ 27,488 lakhs invested by Govt of India for IVC project is reduced from share capital and correspondingly from investment in HLL Biotech Ltd. Accordingly, the issued, subscribed and paid up equity share capital as on 31st March, 2021 was ₹ 15.53 Cr.

4. PERFORMANCE OF THE COMPANY vis-à-vis MoU TARGETS

Your Company's performance has been rated as "Very Good" in terms of MoU signed with the Government of India for the year 2019-20. A statement showing performance of the Company vis-à-vis MoU target for the financial year 2020-2021 is enclosed as **Annexure I** which forms part of this report.

5. DEPOSITS

During the year under review, your Company did not accept any deposits within the meaning of provisions of Chapter V - Acceptance of Deposits by Companies of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014.

6. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS

During the year under review, your Company has given inter-corporate loan under section 186 of the Companies Act, 2013 amounting to ₹19.40 Cr. to HLL Biotech Limited [HBL], a wholly owned subsidiary company of HLL and ₹1.68 Cr. to HLL Medipark Limited, subsidiary company of HLL. The details of the investments made by Company are given in the notes to the financial statements.

7. RELATED PARTY TRANSACTIONS

All the Related Party Transactions that were entered into during the financial year were on arm's length basis and were in ordinary course of business. There were no materially significant transactions with Related Parties during the financial year 2020-2021 which were in conflict with the interest of the Company. Suitable disclosures as required under IND AS-24 have been made in Note No.2.42 of the Notes to the Financial Statements.

Particulars of contract/arrangements/transactions made with related parties, pursuant to Section 188(1) of the Companies Act, 2013 in the prescribed form AOC-2 is appended as **Annexure II** which forms part of this report.

8. SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURE

As on date, your Company has three subsidiary companies and one joint venture Company. Pursuant to Section 129(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 5 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, a statement containing salient features of the financial statements of subsidiaries and joint venture companies in Form AOC-1 is attached to the financial statements. The summary of performance of the subsidiary and joint venture companies is provided below:

8.1 Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited [GAPL]

The authorized share capital and paid up equity share capital of GAPL as on 31st March 2021 was ₹25.00 Cr and ₹19.02 Cr respectively.

During the year under review, the Revenue from operations during 2020-21 has reduced by 20.68% as compared with the previous year.

<u>Exploring new business opportunity.</u>

The Govt. of Goa has reinstated the Price & Purchase Preference Policy extended to GAPL in the month of June, 2021 (which was suspended from May, 2018). Under this policy GAPL got initial order of ₹1.39 crores.

Further GAPL also pursuing the matter with Govt. of Karnataka for according 4g approval under Karnataka Transparency Public Procurement Act, which was also pending from the financial year 2018-19 and efforts are

मामले को आगे बढ़ा रहा है, जो वित्तीय वर्ष 2018-19 से भी लंबित था और चालू वित्तीय वर्ष में इसे प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

जीएपीएल को निम्नलिखित उन्नयन और विविधीकरण योजना है :

गोली विनिर्माण सुविधा उन्नयन

कंपनी ने गोली विनिर्माण सुविधा को उन्नयन करने की योजना बनाई थी। वर्तमान में गोली विनिर्माण सुविधा के ग्रेनुलेशन खंड पीएलएम प्रौद्योगिकी के साथ है। ग्रेनुलेशन खंड को रैपिड मिक्सर ग्राइंडर (आरएमजी) और ब्लेंडर के साथ पाउडर ट्रांसफर सिस्टम (पीटीएस) में उन्नयन करने का प्रस्ताव किया जाता है। ग्रेनुलेशन प्रौद्योगिकी में परिवर्तन घटकों को मिलाने की कार्यक्षमता को सुधार करने में मदद करती है और प्रक्रिया के समय में कमी और उत्पादकता में वृद्धि भी करती है। यह पिछले वर्ष में अमल नहीं किया जा सका और इसे 2021-22 में लागू किया जाएगा।

8.2 एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसस लिमिटेड (हाइट्स)

अवसंरचना विकास, सुविधा प्रबंधन, प्रापण परामर्शदाता और संबद्ध सेवाओं जैसे इन क्षेत्रों में व्यापार के विशाल दायरे को देखते हुए सेवाएं उपलब्ध कराने के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी कंपनी के रूप में 3 अप्रैल, 2014 को हाइट्स संस्थापित किया गया । 31 मार्च 2021 तक के हाइट्स की प्राधिकृत एवं प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी प्रत्येक रु.200.00 लाख हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान उपलब्धियाँ

अब संसार कोविड-19 महामारी के रूप में एक अभूतपूर्व संकट के बीच में है। व्यवसाय करने की अर्थव्यवस्था का तरीका और हमारे जीवन का तरीका गडबड़ हो गया है। बाधा के बावजूद हाइट्स ने व्यापारावर्त और लाभ में वृद्धि हासिल करते हुए शानदार निष्पादन किया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए हाइट्स का व्यापारावर्त पिछले वर्ष के रु.273.20 करोड की तुलना में रु.270.03 करोड है और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लाभ (ओसीआई के बाद) पिछले वर्ष के रु.31.07 करोड (ओसीआई के बाद) की तुलना में रु. 10.76 करोड है।

स्वास्थ्य रक्षा क्षेत्र के विकास ने राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वास्तव में कोविड-19 महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र में से एक के रूप में उभरा है। हाइट्स ने अवसरों का उपयोग किया और प्रभावशाली प्रगति दिखाई। वर्ष 2020-21 के दौरान आपकी कंपनी को प्राप्त कुछ मुख्य अनुबंध नीचे सूचिबद्ध हैं :

1. एम्स रायबरेली के लिए प्रापण समर्थन एजेंसी।
2. आपातकालीन कोविड प्रापण की ओर आईसीएमआर के लिए प्रापण समर्थन एजेंसी।
3. एम्स बिबिनगर के लिए प्रापण समर्थन एजेंसी।
4. एम्स देवघर के लिए प्रापण समर्थन एजेंसी।
5. एम्स दिल्ली (एमसीएच) के लिए प्रापण समर्थन एजेंसी।
6. युएनए, एचपी में पीजीआईएमईआर सैटलाइट सेन्टर के 100 बेडड के लिए निर्माण अनुबंध।
7. एमपी चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के लिए सुविधा प्रबंधन अनुबंध।
8. टीएमसी मुम्बई में धर्मशाला का निर्माण।
9. मेड्स पार्क कैंपस, तिरुवनंतपुरम में इन्नवेशन टवर का निर्माण।
10. तालूक अस्पतालों(12 अस्पताल) केआईआईएफबी में बहिरंग विभाग आपात और नैदानिक सुविधाओं का विकास।

वर्ष के दौरान हाइट्स ने सेवाओं के निर्यात से रु.0.09 लाख की विदेशी मुद्रा अर्जित की है।

8.3. **एचएलएल मातृ व शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड (एचएमसीएचएल)**

31 मार्च 2021 तक एचएमसीएचएलएल के प्राधिकृत एवं प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी प्रत्येक रु. 10 लाख हैं।

महानिदेशक (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं), उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2016 में, उत्तर प्रदेश सरकार (परियोजना) में 20 जिला अस्पतालों में 100 बेडड मातृ व शिशु अस्पताल (एम सी एच) विंग्स का संचालन के लिए निविदा अधिसूचना जारी की थी । इस परियोजना को ईएफओएमटी (सज्जित करना, वित्त, प्रचालन, रख-रखाव और अंतरण) आधार पर निष्पादित किया जाना है, जिसमें सफल बोली धारक को जिला अस्पतालों के एम सी एच विंग्स को 10 वर्षों की अवधि के लिए वित्त, सज्जित और संचालन करना होगा। निविदा अधिसूचना अन्य बातों के साथ निर्धारित करती है कि परियोजना लागू करने के लिए सफल बोलीधारक को कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) पंजीकृत करना होगा। एचएलएल को सफल और एल 1 बोलीधारक के रूप में चुन लिया गया और ईएफओएमटी के आधार पर 20 एमसीएचडब्लियुएस के संचालन के लिए 27 मार्च 2017 को एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड (एचएलएल) को प्रदान करने का पत्र जारी किया गया। एचएलएल ने 1 अगस्त 2017 को एसपीवी एचएलएल मातृ एवं शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड (एचएमसीएचएल) को पंजीकृत

made for getting the same in the current financial year.

GAPL has the following upgradation & diversification plan:

Tablet Manufacturing Facility Upgradation

The company had planned to upgrade the tablet manufacturing facility. Currently the granulation section of the tablet manufacturing facility is with PLM Technology. It is proposed to upgrade the granulation section to Rapid Mixer Grinder (RMG) and Blender with Powder Transfer System (PTS) The change in granulation technology helps in improving the efficiency of mixing components and also leads to reduction in process time and increase in productivity. This could not be materialized in previous year and same shall be implemented in 2021-22.

8.2 HLL Infra Tech Services Limited [HITES]

HITES was incorporated on 3rd April' 2014 as a wholly owned subsidiary of HLL Lifecare Limited to carry on the business of providing services viz., Infrastructure Development, Facilities Management, Procurement Consultancy and allied services, foreseeing the enormous scope of business in these segments. The authorized and paid up equity share capital of HITES as on 31st March 2021 is ₹200.00 lakh each.

Achievements during 2020-21

Presently, the world is in the midst of an unprecedented crisis in the form of the COVID-19 pandemic. Economy's way of doing businesses and our way of life has been disrupted. Inspite of the hindrance HITES delivered spectacular performance achieving an growth in turnover and profit. The turnover of HITES for the FY 2020-21 is ₹270.03 Crore as compared to previous year of ₹273.20 Crore & profit (after OCI) for the FY 2020-21 is ₹10.76 Crore as compared to previous year of ₹31.07 Crore(after OCI).

Development of Healthcare sector played a key role in building the nation and indeed emerged as one of the leading sector of the economy during COVID-19 Pandemic. HITES utilized the opportunities and shown impressive progress. Some of the main contracts received by your Company during 2020-21 are as listed below:

1) Procurement Support Agency for AIIMS Rae Barelli.
2) Procurement Support Agency for ICMR for emergency COVID Procurement.
3) Procurement Support Agency for AIIMS Bibinagar.
4) Procurement Support Agency for AIIMS Deoghar
5) Procurement Support Agency for AIIMS Delhi(MCH).
6) Construction contract for 100 bedded of PGIMER Satellite Centre at UNA, HP.
7) Facility Management contract for MP Medical Science University, Jabalpur.
8) Construction of Dharmshala at TMC Mumbai.
9) Construction of Innovation Tower in Meds Park Campus, Trivandrum.
10) Development of outpatient Department Casualty & Diagnostic Facilities in Taluq Hospitals (12 hospitals) KIIFB.

During the year HITES has earned a foreign exchange of ₹ 0.09 lakhs from export of services.

8.3 HLL Mother & Child Care Hospitals Limited [HMCCHL]

The authorized and paid up equity share capital of HMCCHL as on 31st March 2021 was ₹10.00 lakh each.

In December 2016, Director General (Medical & Health Services), Government of Uttar Pradesh [GoUP] had issued a tender notification inviting proposals for Operationalization of 100 bedded Mother & Child Hospital (MCH) wings at 20 district hospitals in Uttar Pradesh (the project). The project has to be executed on EFOMT (Equip, Finance, Operate, Maintain and Transfer) basis, wherein the successful bidder has to finance, equip and operate the MCH wings of District hospitals for a period of 10 years. The tender notification inter alia has stipulated that the successful bidder has to register a Special Purpose Vehicle [SPV] under the Companies Act, 2013 to implement the project. HLL was selected as the successful and L1 bidder and issued Letter of Award to HLL Lifecare Ltd. [HLL] on 27th March 2017 for Operationalization of 20 MCHWs on EFOMT basis. HLL had

किया था।

मातृ एवं शिशु रक्षा अस्पताल परियोजना लागू करने के लिए कंपनी एक एसपीवी के रूप में गठन किया गया था और जिस के लिए एसपीवी की स्थापना की गयी थी वह लक्ष्य पूरा नही कर पाया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक शेल कंपनी को बनाए रखने के लिए अन्य आकस्मिक लागतों के बीच प्रशासनिक लागत और कानूनी अनुपालन लागत की आवश्यकता होगी, एचएमसीसीएचएल के निदेशकों के मंडल ने 23 जुलाई 2021 को आयोजित 12वीं बोर्ड बैठक में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 के प्रावधानों के अनुसार रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ (आरओसी) की रिकोर्ड से एचएमसीसीएचएल के नाम हटाने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त एचएलएल के निदेशकों के मंडल ने 27 जुलाई 2021 को आयोजित अपनी 280वीं बोर्ड बैठक में आरओसी के रिकोर्ड से एचएमसीसीएचएल का नाम हटाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन दिया।

कंपनी अधिनियम की धारा 248(2) रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ से नाम को स्वैच्छिक रूप से हटाने से संबंधित है। कंपनी अधिनियम की धारा 248(1) के अनुसार, जहाँ कोई कंपनी पिछले दो वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए कोई व्यवसाय या संचालन नहीं कर रही है और एक निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त करने के लिए ऐसी अवधि के भीतर कोई आवेदन नहीं किया है तो कंपनी अपनी सभी देयताओं को समाप्त करने के बाद शेयरधारकों से विशेष संकल्प के माध्यम से स्वेच्छा से हटाने के लिए एसटीके-2 फॉर्म में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के साथ आवेदन दाखिल करके अनुमोदन प्राप्त कर सकती है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एचएमसीसीएचएल की लेखापरीक्षा का निष्कर्ष निकाला है। कंपनी ने सभी देयताओं को भी समाप्त कर दिया है और अपने सभी बकाया ऋणों को अपने लेनदारों को प्रदत्त कर दिया है।

शून्य तुलन पत्र का संक्षेप नीचे दिया जाता है :

क्र.सं.	**विवरण**	**31.3.2021 तक (रकम रुपए में)**
	परिसंपत्तियाँ:	
	चालू परिसंपत्तियाँ	
	-व्यापार प्राप्तियाँ	0.00
	-नकद और नकदी के समतुल्य	0.00
	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	0.00
	कुल	**0.00**
	इक्विटी & देयताएँ :	
	शेयर पूँजी	10,00,000.00
	अन्य पूँजी	(10,00,000.00)
	गैर-चालू देयताएँ	0.00
	चालू देयताएँ	
	अन्य चालू देयताएँ	0.00
	कुल	**0.00**

8.4 लाइफ़स्पिंग अस्पताल (प्रा.) लिमिटेड (एल एस एच)

31 मार्च 2021 को एलएसएच की प्राधिकृत एवं प्रदत्त शेयर पूँजी क्रमशः रु.20.00 करोड और रु.17.16 करोड थीं।

समीक्षाधीन वर्ष कोविड 19 के साये में था। हमारे अस्पतालों के छोटे आकार के साथ मिलकर लॉकडाउन प्रतिबंध, जहाँ बहुत सारी सेवाएँ आउटसोर्स की जाती हैं या जहाँ कई विशेषज्ञ डॉक्टर कॉल पर हैं, के कारण सभी अस्पतालों का संचालन बंद हो गया। कोविड 19 का हमारे लक्षित समुदायों पर गंभीर प्रभाव पड़ा, जिसमें आजीविका के नुकसान (और अतः प्रयोज्य आय में कमी), हैदराबाद से अपने मूल स्थानों पर

registered the SPV HLL Mother and Child Care Hospitals Ltd [HMCCHL] on 1st August 2017.

The company was formed as a SPV to implement the Mother & Child Care Hospitals project and could not serve the objective for which the SPV was set up. Considering the fact that maintaining a shell company will necessitate incurring administrative cost and legal compliance cost among other incidental costs, the Board of Directors of HMCCHL in the 12th Board meeting held on 23rd July, 2021 decided to remove the name of HMCCHL from the records of the Registrar of Companies [ROC] in accordance with the provisions of Section 248 of the Companies Act, 2013. Additionally, HLL Board of Directors in their 280th Board meeting held on 27th July, 2021 approved the proposal to submit the application for removing the name of HMCCHL from the records of ROC.

Section 248(2) of companies act deals with voluntary removal of name from the Register of Companies. As per section 248(1) of Companies Act 2013, where a company is not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has not made any application within such period for obtaining the status of a dormant company then the company may after extinguishing all its liabilities obtain approval from shareholders by way of special resolution voluntarily there by filing application with the Registrar of Companies in form STK-2 for strike off.

The audit of HMCCHL for the Financial Year 2020-21 is concluded. The Company has also extinguished all its liabilities and has paid off all its outstanding debts in full to its creditors.

Summary of the Nil Balance sheet is given below:

Sl. No	Particulars	As at 31.3.2021 (Amt. in ₹)
	Assets:	
	Current Assets	
	-Trade Receivables	0.00
	-Cash and Cash Equivalents	0.00
	Other Current Assets	0.00
	Total	**0.00**
	Equity & Liabilities:	
	Share Capital	10,00,000.00
	Other Equity	(10,00,000.00)
	Non-Current Liabilities	0.00
	Current Liabilities	
	Other Current Liabilities	0.00
	Total	**0.00**

8.4 LifeSpring Hospitals (P) Limited [LSH]

The authorized and paid up equity share capital of LSH as on 31st March 2021 was ₹20.00 Cr and ₹17.16 Cr respectively.

The year under review was under the shadow of Covid 19. The lockdown restrictions, coupled with small size of our hospitals where a lot of services are outsourced or where several specialist doctors are on call, led to closure of operations of all the hospitals. Covid 19 had a severe impact on our target communities, including and not limiting to the loss of livelihood (and hence, reduced disposable incomes), out-migration from Hyderabad to their native places, postponement of pregnancy or a larger percentage of pregnant women choosing termination of pregnancy, etc. These factors resulted in shrinkage of the market. Further, many of the pregant women (from our target communities) who remained in Hyderabad switched either to the government hospitals or larger trust

पलायन, गर्भावस्था का स्थगन या गर्भावस्था ठहरना चुननेवाली गर्भवती महिलाओं का एक बड़ा प्रतिशतता आदि शामिल हैं। इन वजहों से बाज़ार में गिरावट आई है। इसके अलावा, हैदराबाद में बाकी रही कई गर्भवती महिलाएँ (हमारे लक्षित समुदायों से) या तो सरकारी अस्पतालों या बडे न्यास और अन्य निजी अस्पतालों में चली गईं, जो लॉकडाउन के दौरान सेवाएँ प्रदान करती रहीं। इसके परिणामस्वरूप लॉकडाउन की समाप्ति के बाद परिचालन फिर से शुरू होने के बाद भी शेष बाज़ार की मार्किट शेयर में काफी कमी आई।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, इस महामारी से निपटने में परामर्शदाता प्रसूति रोग विशेषज्ञों और अन्य कर्मचारियों के विश्वास बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए गए। परामर्शदाताओं और कर्मचारियों को अस्पतालों में आनेवाली गर्भवती महिलाओं या उनके परिचारकों से कोविड-19 का संक्रमण और साथ ही कोविड-19 से प्रभावित गर्भवती महिलाओं के लिए मातृत्व परिणामों से जुडी अनिश्चितता के बारे में बहुत आशंकाएँ थीं। सुरक्षा प्रोटोकॉल पर कर्मचारियों के साथ कई बार चर्चा की गई और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को लगातार परामर्श दी गई। प्रत्येक ग्राहक को दाखिल करने से पहले कई बार परामर्श दिया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे परिणामों पर कोविड 19 महामारी के प्रभाव को समझते हैं। प्रयासों के परिणामस्वरूप सभी परामर्शदाता प्रसूति रोग विशेषज्ञ आपकी कंपनी में इस अवधि के दौरान जारी रहे। यह अपने आप में एक उपलब्धि है क्योंकि इस अवधि के दौरान कई नर्सिंग होम बंद हो गए थे और कई मध्यम आकार के अस्पतालों से जुडे कई विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अस्थायी रूप से अभ्यास से वापस ले लिया था।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, रु.1928.35 लाख के बजटीय राजस्व की तुलना में राजस्व में रु.369.43 लाख की कमी हुई। कोविड-19 महामारी के प्रभाव और सरकार द्वारा लगाए लॉकडाउन के कारण, निम्नलिखित कारणों से परिमाण में गिरावट आई :

1) कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण हैदराबाद से लोगों का अपने गृह नगरों और गाँवों में प्रवास और उनके गृह नगरों में प्रसूत किए गए।
2) कोरोना पॉज़िटिविटी बढने के कारण परिमाण में कमी और हमारे अस्पतालों में कोरोना पॉज़िटीव ग्राहकों को प्रसूत करने के लिए सुविधा नहीं होने के कारण प्रसूति के लिए कोविड उपचार केंद्रों में ग्राहकों का परिणामी रेफरल।
3) विशेष रूप से पिछली तिमाही में राजस्व सृजन कोविड की दूसरी लहर के साथ-साथ मौसमी कारक के कारण प्रभावित हुआ था जिसे हम हर साल जनवरी और फरवरी के महीनों में अनुभव करते हैं।

इन कारकों ने राजस्व सृजन को प्रभावित किया, हालांकि कोविड-19 स्थिति को संभालने के लिए पीपीई किट आदि के कारण अतिरिक्त लागत के बावजूद लागत को नियंत्रित किए गए और उन्हें बजट सीमा के भीतर रख गए और परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में विचाराधीन वित्तीय वर्ष के दौरान लाभ कम हो गया था।

एलएसएच ने सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक के ज़रिए खुद को बढ़ावा देने में समय लगाना शुरू कर दिया है। ग्राहक जुडाव के हिस्से के रूप में एकत्र किए गए ग्राहक प्रतिक्रिया वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किए जा रहे हैं। इस मीडिया का इस्तेमाल कोविड के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए सलाह सहित पोस्टरों की एक श्रृंखला बनाकर कुछ डॉक्टरों को बढ़ावा देने के लिए भी किया गया था।

9. समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी ने 1 अप्रैल, 2015 से 'इंड ए एस' को अपनाया है । समेकित वित्तीय विवरण पर इंड ए एस के अनुसार वित्तीय विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दिया जाता है। समनुषंगी कंपनियों के संबंधित सूचना सहित वार्षिक लेखा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में और संबंधित समनुषंगी कंपनियों के पंजीकृत कार्यालयों में निरीक्षण के लिए कार्य घंटे के दौरान उपलब्ध है ।

10. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और पर्याप्तता

आपकी कंपनी को इसके कारोबार की प्रकृति आकार, स्केल और प्रचालन की जटिलता के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण के लिए उचित और पर्याप्त प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करता है कि शक्तियों का प्रत्यायोजन (डी ओ पी) के अनुसार सभी लेनदेन अनुमोदित और प्राधिकृत किया जाता है, सही ढंग से रिकॉर्ड और रिपोर्ट किया जाता है, एस ए पी संचालित वातावरण में लेखा रिकॉर्डों की सटीकता और संपूर्णता विश्वसनीय वित्तीय विवरण समय पर तैयार करके रखा जाता है । परिसंपत्तियों की सुरक्षा की जाती है और अप्राधिकृत उपयोग या प्रकृति की हानि से संरक्षित की जाती है । इनको सांविधिक एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा नियमित रूप से जाँच करके प्रमाणित किया जाता है और सभी कार्यालयों, फैक्टरियों और प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों को कवर किया जाता है। कंपनी एक सार्वजनिक उपक्रम रहने से नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक (सी ए जी) की लेखापरीक्षा के अधीन भी है। उस पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन और अनुवर्ती कार्रवाई लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट की जाती है ।

& other private hospitals that continued to offer services during the lockdown. This resulted in considerable reduction in the market share of the remaining market even after resuming operations after the end of lockdown.

During the year under review, a lot of efforts were made to improve the confidence of Consultant Obstetricians and other employees in dealing with the pandemic. The Consultants and employees had a lot of apprehensions about contracting Covid 19 from the pregnant women or their attendants visiting the hospitals as well as the uncertainty associated with maternity outcomes for pregnant women affected by Covid 19. Safety protocols were discussed with the staff several times and frequent counselling of the staff was undertaken to ensure that the safety protocols were followed. Each customer was counselled multiple times before admission to ensure that they understood the implications of Covid 19 pandemic on the outcomes. The efforts resulted in all the Consultant Obstetricians continuing with your company through the period. This, in itself, is an achievement given that several nursing homes had closed down during this period and several specialist doctors attached to many of the medium-sized hospitals had temporarily withdrawn from practice.

During the FY 2020-21, an amount of ₹369.43 lakhs of deficit occurred in revenue when compared to the budgeted revenue of ₹1928.35 lakhs. Due to the impact of Covid-19 pandemic and consequent lockdowns imposed by the government, there was a dip in volumes on account of the following reasons:

1) Migration of the people from Hyderabad to their home towns and villages due to covid-19 and lockdown and got delivered in their hometowns,

2) Losing of volumes due to increased Corona positivity and consequent referral of the customers to Covid treatment centres for delivery as our hospitals do not have facility for delivering Corona positive customers,

3) The revenue generation especially in the last quarter was affected due to second wave of covid as well as seasonality factor that we experience in every year during January and February months.

These factors impacted the revenue generation though the costs were controlled and kept within the budget limits in spite of additional costs on account of PPE kits etc., to manage Covid-19 situation and consequently the profit was dipped during the FY under consideration compared to the previous year.

LSH has started investing time in promoting itself through social media, specially Face Book. The customer feedback videos collected as a part of the customer engagement are being posted in Face Book. This media was also used to promote certain doctors by making a series of posters containing advices for pregnant women during Covid.

9. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Company has adopted “Ind As” with effect from 1st April 2015. The Financial Statements in accordance with the Ind As on Consolidated Financial Statements is provided in the Annual Report. The Annual Accounts of the Subsidiary Companies, along with related information are available for inspection at the Registered Office of the Company, and also at the registered offices of the respective subsidiary companies during working hours.

10. INTERNAL CONTROL SYSTEMS AND ADEQUACY

Your Company has a proper and adequate system of internal controls, commensurate with the nature of its business, size, scale and complexity of operations which ensures that all transactions are approved and authorized as per Delegation of Powers (DOP), recorded and reported correctly, the accuracy and Completeness of the accounting records in SAP driven environment, timely preparation of reliable financial Statements are maintained and assets are safeguarded and protected against loss from unauthorized Use or disposition. These are routinely tested and certified by Statutory as well as Internal Auditors and cover all offices, factories and key business areas. The Company, being a Public Sector Enterprise, is subject to Comptroller and Auditor General (CAG) audit also. Significant audit observations and follow-up actions thereon are reported to the Audit Committee.

11. विजिल मेकानिसम/विसिल ब्लोवर नीति

आपकी कंपनी ने किसी भी मुद्दे, जो कंपनी के कोड या नैतिकता नीति के साथ उल्लंखन या संघर्ष माना जाता है, पर प्रबंधन का ध्यान लाने की ओर निदेशकों और कर्मचारियों को उचित मार्ग प्रदान करने के लिए सतर्कता तंत्र के रूप में एक विसिल ब्लोवर नीति अपनायी है । यह नीति तंत्र उपलब्ध करानेवाले कर्मचारियों के जुर्मा के खिलाफ और लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को सीधी पहुँच के लिए भी पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है । यह पुष्टि की जाती है कि कंपनी के कोई भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष की पहुँच इनकार किया गया है और वर्ष के दौरान कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। विसिल ब्लोवर नीति कंपनी के वेबसाइट में रखी गयी है।

12. जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मज़बूत जोखिम प्रबंधन नीति अपनायी है और एक विस्तृत उद्यम जोखिम प्रबंधन (ई आर एम) प्रणाली है, जो जोखिम निर्धारण के लिए सभी व्यवसाय कार्यक्षेत्रों के साथ कार्य करता है और यह सुनिश्चित करती है कि जोखिम प्रबंधन योजना लागू है ।

13. नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पास किये गये कंपनी के लाभकारी कारोबारवाले को प्रभावित महत्वपूर्ण और मूर्त आदेश ।

कंपनी के कामकारी कारोबारवाला और प्रचालन को प्रभावित करनेवाले नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित कोई महत्वपूर्ण और मूर्त आदेश नहीं है।

14. वित्तीय स्थिति को प्रभावित यदि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता

इस वित्तीय विवरण से संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत में और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच में कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं है।

14.1 एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड का रणनीति विनिवेश

आर्थिक कार्य की मंत्रीमंडलीय समिति (सीसीईए), भारत सरकार ने 1 नवंबर 2017 को आयोजित उनकी बैठक में तीन महीने की अवधि के अन्दर अलग एसपीवीएस के रूप में एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड (एचएलएल) की वैक्सीन उद्यम और मेडीपार्क परियोजना को अलग करने के लिए ' सैंद्धांतिक' अनुमोदन दिया था और इसके बाद दो - चरण नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से एचएलएल में सरकार की 100% इक्विटी।

एचएलएल के रणनीति विनिवेश के लिए हित की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के लिए प्रारंभिक सूचना ज्ञापन की मसौदा तैयार किया गया है और लेन-देन सलाहकार ने 14 अप्रैल 2021 को डीआईपीएम को अद्यतन पीआईएम भी प्रस्तुत किया था।

14.2 एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड से एचएलएल बायोटेक लिमिटेड और एचएलएल मेडिपार्क का विलयन

आर्थिक कार्य की मंत्रीमंडलीय समिति (सीसीईओ), भारत सरकार ने 1 नवंबर 2017 को आयोजित उनकी बैठक में तीन महीने की अवधि के अन्दर अलग एसपीवीएस के रूप में एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड (एचएलएल) की वैक्सीन उद्यम और मेडीपार्क परियोजना अलग करने के लिए ' सैंद्धांतिक ' अनुमोदन दिया था और इसके बाद दो - चरण नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से एचएलएल में सरकार की 100% इक्विटी की बिक्री की। वैक्सीन उद्यम और मेडिपार्क परियोजना अब पूरी तरह से स्वामित्व वाली अपनी समनुषंगी कंपनियों नामतः एचएलएल बायोटेक लिमिटेड और एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड के माध्यम से एचएलएल द्वारा अपनाई है।

1 फरवरी, 2019 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्लियु), भारत सरकार ने अपने पत्र एफ नं. ए-45013/44/2017 - एचपीई द्वारा एचबीएल और एचएमएल के विलयन के लिए योजना बनाने का निर्देश दिया है और एक शीघ्र तिथि में मंत्रालय को उसे प्रस्तुत करें।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए गए सीसीईए निर्णय एवं निर्देश ध्यान में रखते हुए, 20 फरवरी 2019 को आयोजित 267 वीं बोर्ड बैठक में एचएलएल के निदेशक मंडल ने एचएलएल से एचबीएल और एचएमएल के विलयन के लिए प्रस्ताव पर विचार और अनुमोदन किया है।

बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर कंपनी ने 7 जून 2019 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) को विलयन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

11. VIGIL MECHANISM / WHISTLE BLOWER POLICY

Your Company has adopted a Whistle Blower Policy, as part of vigil mechanism to provide appropriate avenues to the Directors and employees to bring to the attention of the management any issue which is perceived to be in violation of or in conflict with the Code of the Company or ethics policy. The Policy provides for adequate Safeguards against victimization of employees who avail the mechanism and also provides for direct access to the Chairman of the Audit Committee. It is affirmed that no personnel of the Company has been denied access to the Chairman of the Audit Committee and that no complaints were received during the Year in this regard. The Whistle Blower Policy is placed in the website of the company.

12. RISK MANAGEMENT

Your Company has adopted a robust Risk Management Policy approved by the Board of Directors and established an Enterprise Risk Management (ERM) system that engages with all the business verticals for risk assessment and ensures that the risk mitigation plans are in place.

13. SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS OR TRIBUNALS IMPACTING THE GOING CONCERN STATUS OF THECOMPANY

There were no significant and material orders passed by the Regulators or Courts or Tribunals impacting the going concern status and operations of the Company.

14. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENT, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION

There are no material changes and commitments affecting the financial position of the Company occurred between the end of the financial year to which this financial statements relate and on the date of this report. However, the following matters are reported.

14.1 Strategic Disinvestment of HLL Lifecare Limited

The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), Government of India, in its meeting held on 1st November 2017 had granted 'in-principle' approval for hiving off the Vaccine venture and Medipark project of HLL Lifecare Limited [HLL] as separate SPVs within a period of three months and thereafter sale of 100% of Government's equity in HLL via a two-stage auction process.

Draft Preliminary Information Memorandum for inviting Expression of Interest for Strategic Disinvestment of HLL has been prepared and the Transaction Advisor had also submitted the updated PIM to DIPAM on 14th April, 2021.

14.2 Demerger of HLL Biotech Limited and HLL Medipark Limited from HLL Lifecare Limited

The Cabinet Committee on Economic Affairs [CCEA], Government of India, in its meeting held on 1st November 2017 has granted 'in-principle' approval for hiving off the Vaccine venture and Medipark project of HLL Lifecare Ltd. [HLL] as separate Special Purpose Vehicles and thereafter sale of 100% of Government's equity in HLL via a two-stage auction process. The Vaccine Venture and Medipark project is presently pursued by HLL through its wholly owned subsidiary companies namely; HLL Biotech Ltd. and HLL Medipark Ltd.

On 1st February, 2019 the Ministry of Health & Family Welfare [MoHFW], Government of India vide its letter F.No.A-45013/44/2017 – HPE had directed HLL to formulate schemes for Demerger of HBL &HML and submit the same to the Ministry at an early date.

Taking into consideration the CCEA decision and direction given by the MoHFW, Government of India, the Board of Directors of HLL in its 267th Board meeting held on 20th February, 2019 has considered and approved the proposal for the Demerger of HBL & HML from HLL.

Based on the Board approval the Company had submitted application for Demerger to Ministry of Corporate Affairs [MCA] on 7th June, 2019.

एचबीएल का डीमर्जर

कई सुनवाई और विभिन्न अन्य कार्यवाहियों के बाद एमसीए ने 24 मार्च 2021 को एचएलएल से एचबीएल के डीमर्जर को मंजूरी देने का अंतिम आदेश जारी किया था। एचएलएल और एचबीएल दोनों ने एमसीए आदेश की प्रमाणित प्रति ई-फॉर्म आईएनसी 28 में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़, केरल को प्रस्तुत की। तदनुसार एचबीएल 10 अप्रैल 2021 से एचएलएल की समनुषंगी कंपनी के रूप में बंद हो गया है।

एचएमएल का डीमर्जर

कई सुनवाई और विभिन्न अन्य कार्यवाहियों के बाद एमसीए ने 31 मार्च 2021 को एचएलएल से एचएमएल के डीमर्जर को मंजूरी देने का अंतिम आदेश जारी किया था। एचएलएल और एचएमएल दोनों ने एमसीए आदेश की प्रमाणित प्रति ई-फॉर्म आईएनसी 28 में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़, केरल को प्रस्तुत की। तदनुसार एचएमएल 21 अप्रैल 2021 से एचएलएल की समनुषंगी कंपनी के रूप में बंद हो गया है।

15. निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के अपेक्षाओं के अनुसार, निदेशक पुष्टि करते हैं कि

क) वार्षिक लेखों की तैयारी में, उपयुक्त लेखा मानकों का पालन किया गया है और उससे कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं किया गया है ।

ख) उन्होंने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है तथा सुसंगत रूप से उनको प्रयुक्त किया गया और लगातार विवेकी एवं समझदार निर्णय एवं आकलन बनाए गए ताकि वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की दशा की दृष्टि सही एवं साफ विवरण और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ दे सकें।

ग) कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने और कपट तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने केलिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण केलिए उचित और पर्याप्त ध्यान दिया है ।

घ) उन्होंने लाभकारी कारोबार वाला के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।

ङ) सभी उपयुक्त कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने उचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणाली पर्याप्त है और प्रभावी रूप से प्रचालन करती है ।

16. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी के कर्मचारियों द्वारा सीमा से अधिक पारिश्रमिक लेने वालों का विवरण, कंपनी नियम 2014 (प्रबंधकीय कार्मिकों के नियुक्ति और पारिश्रमिक) के आघार पर लागू नहीं है कि समीक्षाधीन वर्ष में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक आहरण करने वाले कंपनी के कोई भी कर्मचारी नहीं है।

17. वार्षिक विवरणी के उद्धरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप धारा 3(क) में पठित कंपनी के नियम, 2014 के नियम 12 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट के **अनुबंध III** के रूप में एम जी टी फॉर्म 9 में 31 मार्च, 2021 तक की वार्षिक विवरणी के उद्धरण संलग्न किया जाता है।

18. लेखापरीक्षक

18.1. सांविधिक लेखापरीक्षक

लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बनाये गए अवलोकन/प्रतिबंध उस पर संगत टिप्पणियों के साथ पठित स्वतः स्पष्ट है अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अधीन अगली कोई टिप्पणी के लिए आमंत्रित नहीं है ।

18.2 लागत लेखापरीक्षक

कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा नियम) 2014 के अधीन निर्धारित विविध उत्पादों के संबंध में कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखे की लागत

Demerger of HBL

After several hearings and various other proceedings the MCA had issued final order dated 24th March 2021 sanctioning Demerger of HBL from HLL. Both HLL & HBL submitted certified copy of the MCA order in the prescribed e-form INC 28 with the Registrar of Companies, Kerala. Accordingly, HBL has ceased as subsidiary of HLL with effect from 10th April, 2021.

Demerger of HML

After several hearings and various other proceedings the MCA had issued final order dated 31st March 2021 sanctioning Demerger of HML from HLL. Both HLL & HML submitted certified copy of the MCA order in the prescribed e-form INC 28 with the Registrar of Companies, Kerala. Accordingly, HML has ceased as subsidiary of HLL with effect from 21st April, 2021.

15. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to the requirement of clause (c) of sub-section (3) of Section 134 of the Companies Act, 2013, your Directors confirm that:

a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed and that no material departures have been made from the same;

b) they have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profits of the Company for that period;

c) they have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013, for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d) they have prepared the annual accounts on a going concern basis; and

e) they have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and such systems are adequate and operating effectively.

16. PARTICULARS OF EMPLOYEES

Information regarding particulars of employees drawing remuneration in excess of the limit specified under Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 is not applicable as none of the employees of the Company has drawn remuneration in excess of the stipulated limit, during the year under review.

17. EXTRACT OF ANNUAL RETURN

Pursuant to sub-section 3(a) of Section 134 of the Companies Act 2013, read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 an extract of the Annual Return as at March 31, 2021 in form MGT 9 is appended as **Annexure III** to the Board's Report.

18. AUDITORS

18.1 Statutory Auditors

The observations/qualifications made in the Auditors' Report read together with relevant notes thereon are self-explanatory and hence, do not call for any further comments under Section 134 of the Companies Act,2013.

18.2 Cost Auditors

M/s. Shome & Banerjee., Cost Accountants, Kolkatta was appointed as Cost Auditors for the financial year

लेखापरीक्षा आयोजित करने की ओर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मेसर्स षोम & बानर्जी, लागत लेखाकार, कोलकत्ता को लागत लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया था। 30 दिसंबर 2020 को आयोजित 54वीं एजीएम में सदस्यों ने लागत लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक की पुष्टि की है।

18.3 सचिवालयीन लेखापरीक्षक

अधिनियम की धारा 204 के प्रावधानों और कंपनी (नियुक्ति और प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुसार, निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सचिवालयीन लेखापरीक्षा चलाने को प्रेक्टीस कर रही कंपनी सेक्रटरियों के फर्म द्वारा मैसर्स बी वी आर एण्ड एसोसियेट्स को पुनः नियुक्त किया था। फार्म सं. एम आर 3 में सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट, बोर्ड की रिपोर्ट के लिए **अनुबंध IV** के रूप में वार्षिक रिपोर्ट का भाग बनता है। सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बोर्ड में अपेक्षित स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति और अपेक्षित स्वतंत्र निदेशक के साथ लेखापरीक्षा समिति के पुनर्गठन के संबंध में अवलोकन शामिल हैं। अवलोकन के लिए प्रबंधन की प्रतिक्रिया नीचे दी जाती है :

अवलोकन	प्रबंधन की प्रतिक्रिया
1. जबकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(4) के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी नियम, 2014(निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) की शर्तों में,कंपनी को एक और स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त करने की आवश्यकता है जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाना है। 2. जब कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(1) के साथ पठित कंपनी नियम, 2014 (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियाँ) के अनुसार लेखापरीक्षा समिति को स्वतंत्र निदेशक के साथ पुनर्गठित करना आवश्यक है और अभी तक इसका अनुपालन नहीं किया गया है।	एचएलएल एक सरकारी उपक्रम होने के कारण, स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा की जाती है। एचएलएल के बोर्ड में पहले से ही एक(1) स्वतंत्र निदेशक है। एचएलएल ने स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियों के बारे में मंत्रालय को समयबद्ध तरीके से सूचित किया है और मंत्रालय से कंपनी अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने का अनुरोध किया है। मंत्रालय को अपेक्षित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जानी है। बोर्ड में और अधिक स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होने पर एचएलएल लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन करेगा।

19. एमएसएमई से मालों का प्रापण

वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमईए) से कुल खरीद ₹ 26,370 लाख में से ₹ 10,007 लाख मूल्य के माल का प्रापण किया जो 25% के लक्ष्य की ओर 37.94% रहा है ।

20. ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन/व्यय

कंपनी नियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा 3 (एम) के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8 के अधीन निर्धारित ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय से संबंधित विवरण अनुबंध-क के रूप में दिए जाते हैं, जो इस रिपोर्ट का भाग बनता है।

21. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता

एचएलएल सी एस आर पहल का प्रारंभिक आदाता है । एचएलएल, सी एस आर कार्यकलापों को प्रत्यक्ष रूप से और एचएलएल परिवार नियोजन प्रोन्नमन न्यास (एचएलएफपीपीटी) और एचएलएल प्रतीक्षा धर्मार्थ सोसाइटी जैसे एजेंन्सियों के माध्यम से कार्यान्वित करता है। धारा 135 के उप - धारा 5 के अनुसार, प्रत्येक कंपनी जिसके लिए सी एस आर के प्रावधान लागू हैं, जो वित्तीय वर्ष से तत्काल पहले तीन वर्ष के दौरान किए गए कंपनी के औसत निवल लाभ के कम से कम 2% खर्च करेगी। वित्तीय वर्ष के तत्काल पूर्व तीन वर्ष के निवल लाभ नीचे दिया गया है:

2020-21 to conduct cost audit of the accounts maintained by the Company in respect of the various products prescribed under Companies (Cost Records & Audit Rules), 2014. In the 54th AGM held on 30th December 2020, the members have ratified the remuneration payable to the Cost Auditors.

18.3 Secretarial Auditors

Pursuant to the provisions of Section 204 of the Act and the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Board of Directors of the Company had reappointed M/s. BVR & Associates, a firm of Company Secretaries in Practice to undertake the Secretarial Audit of the Company for the year ended 31st March, 2021. The Secretarial Audit Report in Form No. MR3 forms part of the Annual Report as **Annexure IV** to the Board's Report. The Secretarial Audit Report contains observation with regard to appointment of requisite Independent Director on the Board and reconstitution of Audit Committee with requisite Independent Director. The management response for the observation is given below.

Observation	Management Response
1. Whereas in terms of provisions of Section 149(4) of the Companies Act, 2013 read with Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 the Company is required to appoint one more Independent Director which is yet to be done by the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India. 2. Whereas in terms of Section 177(1) of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 the Audit committee is required to be reconstituted with independent Director and is yet to comply.	HLL being a Government Undertaking, the appointment of all the Directors including Independent Directors are done by the Ministry of Health & Family Welfare. HLL has already one (1) Independent Director in the Board. HLL has informed vacancies of Independent Directors to the Ministry on timely manner and requested the Ministry to appoint Independent Directors to ensure the compliance of Companies Act. The Ministry is yet to appoint requisite Independent Directors. HLL will reconstitute the Audit Committee as and when more Independent Directors are appointed on the Board.

19. PROCUREMENT OF GOODS FROM MSMEs

During the year 2020-21, the Company has procured goods of value of ₹10,007 lakhs from Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) out of the total procurement of ₹26,370 lakhs which is 37.94% against the target of 25%.

20. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNICAL ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS/ OUTGO

The particulars regarding Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo, as prescribed under sub-section 3 (m) of Section 134 of the Companies Act, 2013 read with Rule 8 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, are given as Annexure-A, which forms part of this report.

21. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY & SUSTAINABILITY

HLL has been an early adopter of CSR initiatives. HLL implements CSR programmes directly and through its implementing agencies such as Hindustan Latex Family Planning and Promotion Trust [HLFPPT] and HLL Pratheeksha Charitable Society. As per sub-section 5 of Section 135 every Company for which the provisions of CSR is applicable shall spend at least 2% of the average net profit of the Company made during the three immediately preceeding financial years. The average net profit of three immediately preceeding financial year is given below:

वर्ष	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार निवल लाभ (रु. लाखों में)
2017-18	(6,486.94)
2018-19	1,536.07
2019-20	12,458.28
कुल	7,507.41
न्यून : हाइट्स से लाभांश	3,595.30
निवल लाभ	3,912.11
तीन वर्षों के औसत निवल लाभ	1,304.04
औसत निवल लाभ का 2%	**26.08**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान एचएलएल द्वारा की गई सीएसआर गतिविधियों का सारांश अनुलग्नक बी के रूप में दिया गया है जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

22. कॉर्पोरेट अभिशासन

आपकी कंपनी ने उच्च मानक एवं अच्छे कॉर्पोरेट अभिशासन बनाए रखने को प्रतिबद्ध है और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए दिनांक 14.05.2010 की डी पी ई का.ज्ञा. सं 18(8) 2005-जीएम में निर्धारित सभी शर्तों के पालन करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए है। वृत्तिशील कंपनी सचिवें मैसर्स बी वी आर & एसोसिएट्स, एलएलपी से कंपनी को कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करके एक प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है जो **अनुबंध V** के रूप में इस रिपोर्ट का भाग बनता है।

23. प्रबंध चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

समीक्षाधीन वर्ष के लिए प्रबंध चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के भाग बननेवाले अलग खंड के रूप में प्रस्तुत की जाती है ।

24. निदेशक मंडल

24.1 समाप्ति

वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के बोर्ड में से कोई भी निदेशक कार्यमुक्त नहीं हो गया है।

24.2 नियुक्ति

वर्ष 2020-21 के दौरान कोई नियुक्ति नहीं की गई।

24.3. महिला निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी, कंपनी के बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक होनी चाहिए। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी को कंपनी के निदेशक मंडल में महिला निदेशक के रूप में डॉ गीता शर्मा, निदेशक (वित्त) थी ।

24.4.बोर्ड की समितियाँ

आपकी कंपनी को विविध समितियाँ हैं, जिनको उत्तम कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं के रूप में संस्थापित की गयी हैं और उपयुक्त नियम और विधियों के संगत प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुपालन करती हैं। लेखापरीक्षा समिति की किसी भी सिफारिश बोर्ड ने स्वीकार नहीं करने की ऐसी कोई भी स्थिति वहाँ नहीं थी।

कंपनी को बोर्ड की निम्न समितियाँ हैं :

1. लेखापरीक्षा समिति
2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति
3. कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति

Financial Year	Net profit as per Section 198 of the Companies Act, 2013 (₹ In lakhs)
2017-18	(6,486.94)
2018-19	1,536.07
2019-20	12,458.28
Total	7,507.41
Less: Dividend from HITES	3,595.30
Net profit	3,912.11
Average net profit of the three years	1,304.04
2% of average net profit	26.08

A summary of CSR activities carried out by HLL during the financial year 2020-21 is provided as Annexure B which forms part of this report.

22. CORPORATE GOVERNANCE

Your Company is committed to maintain the highest standards of good corporate governance and has taken adequate steps to adhere to all stipulations laid down in DPE O.M. No. 18(8)/2005-GM dated 14- 05-2010 issued by Department of Public Enterprises. The Company has obtained a Certificate from the Practicing Company Secretaries M/s. BVR & Associates, LLP confirming compliance of conditions of Corporate Governance forming part of this report as **Annexure V.**

23. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

Management Discussion and Analysis Report for the year under review is presented in a separate section forming part of this report.

24. BOARD OF DIRECTORS

24.1 Cessation

None of the directors were ceased from the Board of the Company during the year 2020-21.

24.2 Appointment

During the year 2020-21 no appointment was made.

24.3 Woman Director

In terms of the provisions of Section 149 of the Companies Act, 2013, your Company shall have at least one Woman Director on the Board. During the year under review, your Company had Dr. Geeta Sharma, Director (Finance) as woman Director on the Board of the Company.

24.4 Committees of the Board

Your Company has several committees which have been established as a part of the best corporate governance practices and are in compliance with the requirements of the relevant provisions of applicable laws and statutes. There have been no situations where the Board has not accepted any recommendation of the Audit Committee. The Company has following Committees of the Board:

1. Audit Committee
2. Nomination and Remuneration Committee
3. Corporate Social Responsibility Committee

4. रणनीति सूत्रीकरण &निवेश समिति

संगत समितियों की संरचना, अधिकार, भूमिका, संदर्भ की शर्त आदि से संबंधित विस्तृत नोट कॉर्पोरेट अभिशासन अनुभाग की रिपोर्ट में प्रदान किया गया है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग बनता है ।

24.5. स्वतंत्र निदेशकों से घोषणा

बोर्ड को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(7) की अपेक्षा के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों से घोषणाएँ प्राप्त हुई हैं और बोर्ड संतुष्ट है कि स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) में उल्लिखित जैसे स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

24.6. वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकें

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की पाँच बैठकें आयोजित की गयीं । कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित जैसे किसी दो बैठकों के बीच के अधिकतम अंतराल 120 दिनों से अधिक नहीं था। बैठकों का विवरण कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट का भाग बनता है ।

25. कार्यस्थल में लैंगिक उत्पीड़न के रोकथाम, निषेध और निवारण पर नीति

हमारी कंपनी ने कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार अनुपालन समिति गठित की है - एक अधिनियम, कार्यस्थल में कर्मचारियों को लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण, रोकथाम और लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों का निवारण प्रदान करता है। आप की कंपनी को दृढ़ विश्वास है कि लैंगिक उत्पीड़न का परिणाम, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के अधीन स्त्री समत्व के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन में परिणत है और संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन सम्मान के साथ जीने का अधिकार और कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी काम, व्यवसाय या व्यापार करने के लिए अधिकार हैं, जिस में लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण के लिए अधिकार भी शामिल हैं। निवारण समितियाँ कंपनी के सभी यूनिटों में गठित की गई है।

कंपनी की सभी महिला कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा देने और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से नियमित अंतराल पर ऑनलाइन बैठकें आयोजित की गईं। सभी महिला कर्मचारियों को उपरोक्त अधिनियम, 2013 के प्रावधानों पर एक प्रस्तुतीकरण परिचालित की गई थी।

एचएलएल में नारीत्व का जश्न मनाने के लिए मुख्यालय, यूनिटों और समनुषंगी कंपनियों में कार्यक्रमों का आयोजन करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिन्होंने अभी जहाँ है वहीं रहने के लिए कई चुनौतियों का सामना किया था।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री के.बेजी जोर्ज, आईआरटीएस और निदेशक(वित्त), डॉ.गीता शर्मा ने वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यालय, यूनिटों और समनुषंगी कंपनियों की महिला कर्मचारियों को संबोधित किया। मुख्य आकर्षण में से एक एचएलएल की पहली महिला वरिष्ठ कार्यपालक निदेशक को उनके प्रेरणादायक नेतृत्व और योगदान की याद के साथ सम्मानित करना था, जिसे सदस्यों ने बहुत प्रेरक महसूस किया।

26. सूचना प्रौद्योगिकी

एचएलएल में आईटी अनुप्रयोगों को कोविड आपातकालीन प्रापण से संबंधित उत्पादों के विनिर्माण, प्रापण और वितरण का समर्थन करने के लिए समनुरूप बनाया गया था। समय पर संवैधानिक आवश्यकताओं द्वारा अनिवार्य ई-चालान समाधान और अन्य कर संबंधी दिशानिर्देश लागू किए गए। महामारी के दौरान एक सुरक्षित तरीके से घर से काम करने की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से संभाला और व्यापार निरंतरता के हिस्से के रूप में ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म को सक्षम किया।

27.अनुसंधान एवं विकास

एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड के अनुसंधान एवं विकास केंद्र को स्वास्थ्य रक्षा क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नई तकनीकों को विकसित करने, उन्हें वाणिज्यिक उत्पादों में बदलने और उन्हें कंपनी के व्यवसाय लाइन के अनुरूप बनाने की क्षमता है। अनुसंधान क्षेत्र, नए गर्भनिरोधकों, दवा सुपुर्दगी उपायों, नैदानिक उपायों, फार्मस्यूटिकल्स और हर्बल उत्पादों के विकास पर केंद्रित है।

4. Strategy Formulation & Investment Committee

A detailed note with respect to the compositions, powers, roles, terms of reference, etc. of relevant committees are provided in the Report on Corporate Governance section which forms part of this Annual Report.

24.5 Declaration from Independent Directors

The Board has received declarations from the Independent Directors as per the requirement of Section 149(7) of the Companies Act, 2013 and the Board is satisfied that the Independent Directors meet the criteria of independence as mentioned in Section 149(6) of the Companies Act, 2013.

24.6 Board Meetings held during the year

During the year, five meetings of the Board of Directors were held. The maximum interval between any two meetings did not exceed 120 days, as prescribed in the Companies Act, 2013. The details of the meetings are furnished in the Corporate Governance Report which forms part of this Report.

25. POLICY ON PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL OF SEXUAL HARASSMENT AT WORKPLACE

Your Company has constituted compliance committee as per the provisions of the Sexual Harassment at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 - an Act to provide protection against sexual harassment of women at workplace and for the prevention and redressal of complaints of sexual harassment. Your Company firmly believes that sexual harassment results in violation of the fundamental rights of a woman to equality under articles 14 and 15 of the Constitution of India and the right to life and live with dignity under article 21 of the constitution and the right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business which includes a right to safe environment free from Sexual Harassment. Redressal Committees have been constituted in all units of the Company.

Online meetings were conducted on regular intervals, with an aim to promote the well-being of all lady employees of the Company and to give awareness to them about their rights. A presentation on the provisions of the above Act, 2013 was circulated to all lady employees.

International Women's Day was celebrated at Head Office and Units and subsidiary Companies by organizing programmes to Celebrate the Womanhood in HLL, who had endured many challenges to be where they are right now.

Chairman & Managing Director Mr. K. Beji geroge IRTS and Director (finance), Dr. Geeta Sharma addressed the lady employees of Head Office and units and subsidiaries through Video – Conferencing. One of the main highlights was to honor the first lady Senior Executive Director of HLL, with fond remembrance of her inspirational leadership and contributions, which the members felt very motivating.

26. INFORMATION TECHNOLOGY

The IT applications at HLL were configured to support manufacturing, procurement and distribution of products related to Covid Emergency Procurement.Implemented e-Invoicing solution and other Tax related guidelines mandated by the statutory requirements, on time. Effectively handled the requirements of work from home in a secured manner and enabled online meeting platforms as part of business continuity during the pandemic

27. RESEARCH & DEVELOPMENT

Corporate R&D Centre of HLL Lifecare Ltd has the capability to develop new technologies to address the needs of healthcare sector, transform them to commercial products and tailor them to suit the company's line of business. The research area focuses into development of novel contraceptives, drug delivery devices, diagnostic devices, pharmaceuticals and herbal products.

उपलब्धियाँ

1. एचएलएल को जून 2020 के दौरान लैटेक्स महिला कंडोम (पेटेंट संख्या : 338697) के लिए अपना पहला भारतीय पेटेंट मिला है। वर्तमान में हमें दायर किए गए 8 पेटेंटों में से पीसीटी (दक्षिण आफ्रिका, ब्रज़ील और एआरआईपीओ) के अधीन प्रदान किए गए तीन अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हैं।
2. भारत में ग्राफीन कंडोम का फेस I/II नैदानिक जाँच पूरा हो गया है। ग्राफीन कंडोम का अंतर्राष्ट्रीय जाँच जारी है।
3. महिला स्वास्थ्य, कैंसर रक्षा, हर्बल सूत्रीकरण, गर्भ निरोधक उपकरण, दवा वितरण प्रणाली और नैदानिक किट जैसे क्षेत्रों में बल्क अनुदान समर्थन के लिए एक पंचवर्षीय अनुसंधान योजनाअप्रैल 2020 के दौरान 'भारत में किफायती स्वास्थ्य रक्षा समाधान प्रदान करने' के लिए आईसीएमआर को प्रस्तुत की गई है।
4. सीआरडीसी को 14 चालू परियोजनाएँ हैं जो निष्पादन के विभिन्न चरणों में है। इसमें 6 बाहरिक निधिक परियोजनाएँ और 8 आंतरिक निधिक परियोजनाएँ शामिल हैं। हमने वर्ष 2020-21 के दौरान बाहरिक निधिकरण के लिए 4 परियोजनाएँ प्रस्तुत किया है।
5. सीआरडीसी में कुसाट के विज्ञान संकाय के तहत डॉक्टरल डिग्री के लिए शोध कार्य शुरू हो गया है।

सहयोग/टाइ-अप

सीआरडीसी अब टाटा-एआरटीआरईसी, पीजीआईएमईआर, टीबीजीआरआई, आरएआरआईएलएसडी और डब्लियुआईए जैसे 5 प्रीमियर संस्थानों के साथ सहयोग कर रहा है। कोविड 19 किटों के नैदानिक मान्यता के लिए निम्स मेडिसिटी, तिरुवनंतपुरम के साथ का सहयोग प्रगति पर है।

सम्मानित परियोजनाएँ

सीआरडीसी ने आंतरिक निधिकरण के लिए 6 अनुसंधान परियोजनाएँ और बाहरिक निधिकरण के लिए 5 परियोजनाएँ प्रस्तुत की हैं। सभी 6 आंतरिक परियोजनाएँ और एक बाहरिक परियोजना को प्रदान किया जाता है।'मलेरिया का पता लगाने के लिए कागज़ आधारित ऑप्टिकल बायोसेंसर के लिए कम धातु कार्बन नानोमेटीरियल्स-समग्र नानो फैब्रस मेंम्ब्राइन का विकास और लक्षण वर्णन' डीएसटी द्वारा निधिक बाहरिक परियोजना है (रु.36 लाख)। पी आई : डॉ. दीक्षा पाइनुली

प्रकाशन

सीआरडीसी के पास समीक्षित पत्रिकाओं में कुल 39 शोध प्रकाशन हैं जिनमें से 9 को चालू वर्ष में प्रकाशित किए गए हैं।

1. प्रक्रियागत और तैयार सूत्रीकरण के लिए मांग किए गए सिलिकॉन आधारित अंतर्गर्भाशयी उपाय से लेवेनोर्गेस्ट्रेल दवा के तेजी से निष्कर्षण और योग्यता के लिए आरपी-एचपीएलसी विधि सत्यापन। दारु जर्नल ऑफ फार्मस्यूटिकल साइंसेज़। मिधु जॉर्ज वीरन, कार्तिकेयन सी, भरणिराजा बी, अबी संतोष अप्रेम और दीक्षा पाइनुली।
2. आरपी-एचपीएलसी विधि द्वारा इलक्ट्रोस्पुन फाइबर से गर्भनिरोधक स्टिरोइड का समकालिक आकलन : विकास, सत्यापन और अनुप्रयोग। जर्नल ऑफ दि इरानियन केमिकल सोसाइटी। मिधु जॉर्ज वीरन, आतिरा जे.एस. और दीक्षा पाइनुली।
3. स्तन कैंसर चिकित्सा के लिए ऑरमेलोक्सिफेन-हयालूरोनिक एसिड माइक्रोफाइबर। मेटीरियल्स टुडे कार्यवाही, 2021 : अंजली एस. कुमार, लक्ष्मी एस, रोसमेरी एम.जे.
4. घाव भरने के लिए इलेक्ट्रोस्पन पॉलीयूरेथेन-जिलाटिन कृत्रिम त्वचा मचान, दि जर्नल ऑफ टेक्स्टाइल इंस्टिट्यूट 2021, स्नेह लता एस.,अंजली एस.कुमार, निषा यु, रोसमेरी एम.जे.
5. कोविड-19 महामारी -अंतर्दृष्टि और चुनौतियाँ (2020)। लक्ष्मी एस, शहना एस, विमल एस, मिधु जी,वीव, षैनी डी.वी, श्रीलक्ष्मी एस, रश्मि आर और अबी संतोष अप्रेम जर्नल ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च ऑण्ड एनवेर्मेन्टल सायन्सस, अगस्त 12;6(8): 070-087, डीओआई : 10.37871/जेल्स 1123
6. फेरस सल्फेट के म्यूकोएडेसिव माइक्रोस्फियर -एनीमिया, कोलाइड्स एंड सर्फेस बीः बायोइंटरफेस 2020 में ओरल आयरन डेलिवरी के लिए एक नया दृष्टिकोण । राहुल बी एस, लक्ष्मी एस, स्नेहलता एस, सिद्धार्थ मोहन एम, रोसमेरी एम जे।

Achievements

1. HLL has got its first INDIAN PATENT for Latex Female condom [Patent No: 338697] awarded during June 2020. Currently we have three international patents awarded under PCT (South Africa, Brazil and ARIPO) out of the 8 patents filed.

2. Phase I/II clinical trial of Graphene Condom got completed in India. The international trial for grapheme condoms is in progress.

3. A five year research plan for bulk grant support, in areas like women health, cancer care, herbal formulation, contraceptive devices, drug delivery systems and diagnostic kits is submitted to ICMR during April 2020 for “Providing affordable healthcare solutions in India”.

4. CRDC has14 ongoing projects which are at different stages of execution. This includes 6 externally funded projects and 8 internally funded projects. We have submitted 4projects for external funding during 2020-21.

5. Research work towards Doctoral degree under the Faculty of Science of CUSAT got started at CRDC.

Collaborations / Tie ups

CRDC is currently having 5 numbers of collaboration with premiere institutes like, TATA-ARTREC, PGIMER, TBGRI, RARILSD and WIA. Collaboration with NIMS Medicity, Thiruvananthapuram for the Clinical validation of Covid 19 kits is in progress.

Projects awarded

CRDC have submitted 6 research projects for internal funding and 5 numbers of projects for external funding. All the 6 internal projects and one external project are awarded.“Development and characterization of metal reduced carbon nanomaterials- composite Nano fibrous membrane for paper based optical biosensor for Malaria detection” is the external project funded by DST (₹ 36.0 lakh). PI: Dr. Diksha Painuly

Publications

CRDC has a total number of 39 research publication in peer reviewed journals out of which 9 has been published in the current year.

1. RP-HPLC method validation for fast extraction and qualification of levenorgestrel drug from silicon based intrauterine device indented for in process and finished formulation. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences. Midhu George Veeran, Karthikeyan C, Bharaniraja B, Abi Santhosh Aprem and Diksha Painuly.

2. Simultaneous estimation of contraceptive steroids from electrospun fibers by RP-HPLC method: Development, validation and application. Journal of the Iranian Chemical Society. Midhu George Veeran, Athira J S, and Dr. Diksha Painuly.

3. Ormeloxifene-Hyaluronic acid microfibers for breast cancer therapy, Materials Today: Proceedings, 2021. Anjali S Kumar, Lakshmi S, Rosemary MJ.

4. Electrospun Polyurethane-Gelatin artificial skin scaffold for wound healing, The Journal of Textile Institute 2021. Sneha Letha S, Anjali S Kumar, Nisha U, Rosemary MJ.

5. Covid-19 Pandemic-Insights and Challenges (2020). Lakshmi S*, Shehna S, Vimal S, Midhu GV, Shiny DV, Sreelakshmi S, Resmy R and Abi Santhosh Aprem. J of Biomedical Research and Environmental Sciences, Aug 12; 6(8): 070-087. Doi: 10.37871/ jels1123.

6. Mucoadhesive microspheres of ferrous sulphate- A novel approach for oral iron delivery in treating anaemia, Colloids & Surfaces B: Biointerfaces 2020. Rahul BS, Lakshmi S, Sneha Letha S, Sidharth Mohan M, Rosemary MJ.

7. फ्रीज़ ड्राइड जिलाटिन हेमोस्टैट, फाइबर्स एंड पॉलिमर्स का इनविट्रो और इनविवो बायोकंपैटिबिलिटी मूल्यांकन, 2020 । स्नेह लता एस, संतोष कुमार शुक्ला, नीना हरिदास, स्मिता आर पी, सिद्धार्थ मोहन, अर्चना वी और रोसमेरी एम जे।
8. मानव योनि उपकला कोशिकाओं में तैयार ग्राफीन और इसके प्राकृतिक रबड़ नैनोकम्पोज़िट पतली फिल्म की साइटोटोक्सिसिटी : नॉनकोवलेंट पारस्परिक क्रिया का प्रभाव। एसीएसबायोमेटर, सयन्स इंजीनियरिंग. 2020, तेनमोषि, जेस्लिन वर्गीस, किरण एस, सुजा बी, पार्वती जे, सुवेकबाला वी, कुमरन एम और लक्ष्मीनारायणन रघुपति।
9. कोर-शेल जेलाटिन/पीसीएल फाइबर से संयुक्त गर्भनिरोधक स्टिरॉयिड की ट्यूनेबल रिलीज़ 2020 । निषा यु, मर्लिन सी, लक्ष्मीनारायणन रघुपति और दीक्षा पाइनुली ; फाइबेर्स एंड पॉलिमेर्स

28. गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली

वर्ष के दौरान, कंपनी के विनिर्माण यूनिटों/प्रभागों ने निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्राप्त करना जारी रखा है:

कंपनी के विनिर्माण यूनिटें/प्रभागों के पास नीचे उल्लिखित प्रमाणन हैं :

- गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए पेरूरकड़ा, आक्कुलम, कोच्चि, ऐरापुरम और कनगला के विनिर्माण यूनिटों को आई एस ओ 9001: 2015 प्रमाणीकरण ।
- चिकित्सा उपकरण गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए पेरूरकड़ा, आक्कुलम, कोच्चि, ऐरापुरम और कनगला के विनिर्माण यूनिटों को आई एस ओ 13485 : 2016 प्रमाणीकरण ।
- कुशल पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए पेरूरकडा, आक्कुलम, कोच्चि और कनगला के विनिर्माण यूनिटों को आई एस ओ 14001 : 2015 प्रमाणीकरण ।
- व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए पेरूरकड़ा, आक्कुलम,कनगला और कोच्चि के यूनिटों को आईएसओ 45001: 2018 प्रमाणीकरण।
- पेरूरकड़ा यूनिट में वैयक्तिक लूब्रिकन्ड जेल के लिए आईएसओ 9001: 2015, आईएसओ 13485 : 2016, आईएसओ 14001 : 2015 और सीई प्रमाणीकरण।
- ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के लिए पेरूरकड़ा को आईएसओ 50001 : 2011 प्रमाणीकरण ।
- पेरूरकड़ा यूनिट में उत्पादित पुरुष कंडोम और कोच्चि यूनिट में उत्पादित महिला कंडोम के लिए एसएबीएस मार्क।
- पेरूरकड़ा यूनिट में उत्पादित पुरुष कंडोम के लिए एनएफ मार्क।
- पेरूरकड़ा फैक्टरी डब्लियु एच ओ/ युएनएफपीए पूर्व योग्यता प्राप्त है और एफडीए 510के पंजीकृत है। यूनिट अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता विनिर्देशों/मानकों/ दिशानिर्देशों जैसे आई एस ओ 4074:2015, एएसटीएम डी 3492, जीओएसटी - 4645 -81 आदि की विस्तृत श्रृंखला को भी पूरा करती है।
- कोच्चि यूनिट के लिए पुरुष एवं महिला कंडोम के लिए डब्लियु एच ओ/ युएनएफपीए पूर्व योग्यता ।
- पेरूरकड़ा और कोच्चि यूनिटों में पुरुष और महिला कंडोम के लिए सी ई मार्क।
- कोच्चि यूनिट में उत्पादित टाइप ए और टाइप बी महिला कंडोम के लिए सी ई मार्क।
- आक्कुलम यूनिट में उत्पादित ब्लड बैग के लिए सी ई मार्क ।
- आई एस ओ 17025 : 2017 के अनुसार पेरूरकड़ा यूनिट, तिरुवनंतपुरम में तैयार उत्पादों की भौतिक परीक्षण प्रयोगशाला के लिए एन ए बी एल मान्यता ।
- आई एस ओ 15189 : 2012 के अनुसार हिंदलैब्स, नई दिल्ली में चिकित्सा परीक्षण के लिए एन ए बी एल प्रत्यायन ।

7. Invitro and Invivo biocompatibility evaluation of freeze dried gelatin haemostat, FibresAnd Polymers, 2020. Sneha Letha S, Santosh Kumar Shukla, NeenaHaridas, Smitha RP, Sidharth Mohan, Archana V and Rosemary MJ.
8. Cytotoxicity of Formulated Graphene and Its Natural Rubber Nanocomposite Thin Film in Human Vaginal Epithelial Cells: An Influence of Noncovalent Interaction. ACS Biomater. Sci. Eng. 2020. Thenmozhi, JeslinVargheese, KiranS.Suja B., Parvathy J.,Suvekbala V, Kumaran M. and Lakshminarayanan Ragupathy
9. Tunable release of combined contraceptive steroids from core-shell Gelatin/ PCL fibers. 2020 Nisha U, Merline C, Lakshminarayanan Ragupathy and Diksha Painuly. Fibers and Polymers

28. QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS

During the year, the Company's manufacturing units/divisions continued to possess the certifications mentioned below:

The company's manufacturing units/divisions continue to possess the certifications mentioned below:

- ISO 9001:2015 certification for manufacturing units at Peroorkada, Akkulam, Kochi, Irapuram and Kanagala for Quality Management System.
- ISO 13485:2016 certification for manufacturing units at Peroorkada, Akkulam, Kochi, Irapuram& Kanagala for Medical Devices Quality Management System.
- ISO 14001:2015 certification for manufacturing units at Peroorkada, Akkulam, Kochi and Kanagala for efficient Environment Management System.
- ISO 45001: 2018 certification for units at Peroorkada, Akkulam, Kanagala and Kochi for Occupational Health and Safety.
- ISO 9001 : 2015, ISO 13485 : 2016, ISO 14001 : 2015 and CE certificate for Personal Lubricant Gel at Peroorkada Unit.
- ISO 50001:2011 Certification for Peroorkada for Energy Management System.
- SABS Mark for Male Condoms produced at Peroorkada Unit and Female condom produced at Kochi Unit
- NF Mark for Male Condoms produced at Peroorkada Unit.
- Peroorkada Factory is WHO/UNFPA prequalified and FDA 510K registered. The unit also meets a wide range of international quality specifications/standards/guidelines such as ISO 4074:2015, ASTM D 3492, GOST-4645-81 etc.
- WHO/UNFPA pre-qualified for male and female condoms for Kochi unit.
- CE Mark for Male Condoms at Peroorkada Unit.
- CE Mark for Type A and Type B Female Condoms produced at Kochi Unit.
- CE Mark for Blood Bags produced at Akkulam Unit.
- NABL accreditation for finished products physical testing laboratory at Peroorkada Unit, Thiruvananthapuram in accordance with ISO 17025:2017.
- NABL accreditation for medical testing at HINDLABS, New Delhi in accordance with ISO 15189:2012.

29. मानव संसाधन

मानव संसाधन विकास

आपकी कंपनी उनके द्वारा नियोजित मानव संसाधन के विकास के लिए उच्च प्राथमिकता देती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कार्यपालकों के लिए 289 और कामगार को 272 कार्यदिवस को शामिल करके विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये थे ।

औद्योगिक संपर्क

वर्ष 2020-21 में पिछले वर्ष के जैसे कंपनी में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध की साक्षी बनी है, श्रमिक अशांति के कारण कोई भी कार्यदिवस नष्ट नहीं हुआ है ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण

कंपनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित राष्ट्रपति के निर्देशों का अनुसरण कर रही है और भर्ती एवं पदोन्नति में निर्देशों को पूरा करने के लिए प्रयास किये जाते हैं । विशेष भर्ती अभियान के लिए गंभीर और केंद्रित प्रयास भी किया गया ।

01.04.2021 तक के कुल कर्मचारी शक्ति में अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व नीचे दिये जाते हैं ।

विवरण	कर्मचारियों की संख्या
प्रतिनिधित्व : अनुसूचित जाति	238
अनुसूचित जनजाति	70
अन्य पिछड़ा वर्ग	375
शारीरिक रूप से विकलांग	45
अन्य वर्ग	682
कर्मचारियों की कुल संख्या	1410

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड में 01.04.2021 तक विकलांग व्यक्तियों केलिए आरक्षित पदों के क्रियान्वयन की स्थिति ।

ग्रूप	पहचान की गयी कुल पदों की संख्या	विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित				वर्तमान में विकलांग व्यक्तियों के लिए रखे पदों की स्थिति			
		अंधापन या अल्प दृष्टि	खराब सुनवाई	लोकोमोटर विकलांगता या मस्तिष्क पक्षाघात	अन्य	अंधापन या अल्प दृष्टि	खराब सुनवाई	लोकोमोटर विकलांगता या मस्तिष्क पक्षाघात	अन्य
क & ख	395	4	4	4	4	1	0	9	0
ग & घ	1015	10	10	11	10	4	10	20	1

निदेशकों द्वारा उपस्थित प्रशिक्षण विवरण

क्रम सं	नाम	पदनाम	प्रशिक्षण की तारीख	विषय	संस्थान	स्थान
शून्य						

30. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी ने राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976, राष्ट्रपति के निर्देश, भारत सरकार द्वारा जारी किए वार्षिक कार्यक्रम के तहत किए गए प्रावधानों को अत्यंत निष्ठा के साथ पालन करने के लिए गंभीर कदम उठाया है।

29. HUMAN RESOURCES

Human Resources Development

Your company gives high priority for development of human resources employed by them. During the year under review, the company had organized various training programmes involving 289 man days for executives and 272 man days for workmen.

Industrial Relations

The year 2020-21 witnessed harmonious industrial relations in the company as in the previous years, and no mandays lost on account of labour unrest.

Reservation for SC /ST/OBC and Persons with Disabilities

The company continues to follow the presidential directives in respect of reservation to SC/ST/OBC Communities and efforts are taken to fulfill the directives in Recruitment and Promotion. Serious and focused effort was also taken for Special Recruitment Drives.

The representation of SC/ST/OBC/Persons with Disabilities categories in the total employee strength as on **01.04.2021** is given below:

Description	No. of employees
Representation of : SC	238
ST	70
OBC	375
Persons with Disabilities	45
Other Categories	682
Total Strength of Employees	1410

Status of implementation of posts reserved for persons with disabilities in HLL Lifecare Limited as on 01.04.2021

Group	Total number of posts identi Fied	No. of Post reserved for PwDs				No. of Post currently held by PwDs			
		Blindness or low vision	Hearing impaired	Locomotor disability or cerebral identified	Others	Blindness or low vision	Hearing impaired	Locomotor disability or cerebral identified	Others
A & B	395	4	4	4	4	1	0	9	0
C & D	1015	10	10	11	10	4	10	20	1

Training details attended by Directors

Sl. No	Name	Designation	Date of Training	Subject	Institute	Venue
NIL						

30. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY

Your Company has taken earnest steps to comply with the provisions made under the Official Language Act of 1963 , OL Rules of 1976, Presidential Directions and the Annual Programme issued by the Government of India with utmost devotion.

During the year, 13 employees have passed Parangat course conducted by the Government of India for possessing proficiency in Hindi. 154 employees were covered under various training programmes such as Technical trainings, OL Awareness programmes, Orientation programmes on Information Technology in order

वर्ष के दौरान, 13 कर्मचारियों ने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित पारंगत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है। वर्ष के दौरान कर्मचारियों को हिंदी में अपना शासकीय काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की ओर तकनीकी प्रशिक्षण, राजभाषा जागरूकता कार्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम जैसे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अधीन 154 कर्मचारियों को समाविष्ट किए गए। इसके अलावा, कर्मचारियों को ऑनलाइन के माध्यम से हिंदी में काम करने के लिए परिचित कराने की ओर एक अखिल भारतीय तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 'महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए एचएलएल की भूमिका' पर एक अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया था और 'महामारी कोविड-19 लोगों के जीवन पर इसके प्रभाव' पर एक अन्य वाक्पटुता कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

साथ ही कंपनी में कर्मचारियों के बीच में एक अनुकूल वातावरण पैदा करने के लिए विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और हिंदी पखवाड़ा समारोह का आयोजन किए गए। हिंदी पखवाडा समारोह का आयोजन ऑनलाइन के माध्यम से उचित तरीके से किया गया। कर्मचारियों, उनके बच्चों और उच्च प्रबंधन के लिए अलग-अलग हिंदी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। कंपनी के विविध यूनिटों, अनुभागों में विविध प्रोत्साहन योजनाएँ जैसे यूनिटों केलिए रोलिंग शील्ड, लीडिंग अनुभाग एवार्ड, हिंदी में अधिकाधिक काम करने के लिए एवार्ड और हिंदी लेख लिखने के लिए और कंपनी के यूनिटों के बीच में राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में अधिक योगदान देनेवाले कर्मचारी को समग्र प्रशस्ति पत्र की स्थापना की गईं।

आपकी कंपनी ने राजभाषा पत्रिका समन्वया के 2 संस्करण प्रकाशित किया है और पत्रिका को टोलिक (उपक्रम) द्वारा सदस्य कार्यालयों के बीच में सर्वश्रेष्ठ पत्रिका के रूप में चुना गया था।

मासिक फोटो न्यूज़ लेटर मोमेन्ट्स द्विभाषी में प्रकाशित किया जा रहा है। आपकी कंपनी ने केरल हिंदी प्रचार सभा द्वारा उनके राज्य स्तरीय हिंदी पखवाडा समारोह के सिलसिले में आयोजित प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लिया है और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और भारतीय भाषा कवि सम्मेलन पुरस्कार प्राप्त किए हैं। साथ ही कंपनी ने टोलिक द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त किया है। कंपनी ने ऑनलाइन के माध्यम से राजभाषा निरीक्षण किया। कर्मचारियों को हिंदी सीखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हिंदी कहानियों और टिप्पणियों को लोड करके विजेताओं को पुरस्कार देने की ओर पेनड्राइव खरीदे गए।

आपकी कंपनी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), तिरुवनंतपुरम का संयोजक है। टोलिक के तत्वावधान में सदस्य कार्यालयों में उनके समर्थन के साथ राजभाषा हिंदी के प्रचार एवं प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम जैसे कवि सम्मेलन, राज्य स्तरीय अंतर टोलिक सेमिनार, कॉलेज छात्रों के लिए राज्य स्तरीय राजभाषा सेमिनार, सदस्य कार्यालयों के प्रधानों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। टोलिक पत्रिका 'तपस्या' हर साल प्रकाशित हो रही है।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), तिरुवनंतपुरम को 'ग' क्षेत्र के बीच में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए दक्षिणी क्षेत्र में दूसरे स्थान के लिए चुना गया है।

31.कॉर्पोरेट संचार

आपकी कंपनी को एक सुव्यवस्थित कॉर्पोरेट संचार विभाग है, जो पूरे संगठन के लिए अभिसरण मीडिया एजेंसी के रूप में कार्य करता है। संचार की दुनिया, नए विकास और नवान्वेषणों के साथ अतिबृहत परिवर्तन में गुज़रने से, रूढिवादी पीआर हस्ताक्षेप के अलावा, कॉर्पोरेट संचार ने एचएलएल को विश्व स्वास्थ्यरक्षा कंपनी के रूप में संस्थापित करने के दृष्टिकोण के साथ संचार हस्ताक्षेप के कई नई तरीकों को अपनाए हैं जो वैश्विक समुदाय के हितलाभ के लिए उच्चतम मूल्यों को संभाला है। इसको अच्छी तरह से विकसित इन- हाउस डिज़ाइन प्लाटफॉर्म है जो संगठन से उत्पन्न होने वाली सभी संचार सामग्री के लिए अनुकूलित सृजनात्मक डिज़ाइन समर्थन प्रदान करता है।

सूचना के प्रसार सुकर करने और संगठन के सकारात्मक चित्र सृजित करने के सिलसिले में, आपकी कंपनी आम जनता एवं प्रभावित दलों के साथ लगातार संपर्क में रही है, स्थानीय एवं राष्ट्रीय घटनाओं के समर्थन कर रही है, मीडिया एवं ऑनलाइन मीडिया को प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी की जा रही है, उन्नत प्रकाशनों में लिखा जा रहा है, कंपनी के विविध कार्यकलापों पर ब्रोशर प्रकाशित करना है, कॉर्पोरेट वीडीयो बनाना एवं टेलिकास्ट कर रहा है और कंपनी के विकासों को घोषित करने की ओर लगातार प्रेस बैठक आयोजित करती रहती है। कॉर्पोरेट विज्ञापन प्रकाशित करने के अतिरिक्त आपकी कंपनी फेसबुक,इंस्टग्राम और यूट्यूब पर लगातार विकासों का अद्यतन कर रही है।

कंपनी के मिशन, लक्ष्यों और रणनीतियों को समझने और अपनाने में कंपनी के कर्मचारियों को सक्षम बनाने में आंतरिक संचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस उद्देश्य के लिए कंपनी ने कर्मचारियों को विकास और उपलब्धियों से अवगत कराने और उन्हें भाग लेने के लिए एक मंच प्रदान

to encourage the employees to do their official work in Hindi. Apart from this, an All India Technical Seminar was conducted to familiarize the employees to work in Hindi through online. An All India OL conference was conducted on “the role of HLL for the prevention of the pandemic Covid -19 and another eloquence programme was conducted on “The Pandemic Covid-19, its impact on the lives of people.”

Also, Viswa Hindi Diwas, Hindi Diwas, International Mother tongue day and Hindi Fortnight Celebration were organized in the company for creating a conducive environment in the Company among the employees. Hindi Fortnight Celebrations was conducted through online in a befitting manner. Various Hindi Competitions were organised separately for employees, children of employees and Top Management of the Company. Various incentives and awards were instituted in the Company among Units, Sections such as Rolling shield for Units, Leading section Award, Awards for doing more work in Hindi, writing Hindi articles and an overall Citation for an employee who contribute more in the field of Official Language Implementation among the Units of the Company.

Your Company has published 2 editions of the Official Language Magazine ‘Samanvaya’ and the magazine was adjudged as the best magazine among the member offices by the TOLIC (Undertaking).

The monthly photo news letter ‘Moments’ is being published in bilingual. Your company has actively participated in the competitions organized by the Kerala Hindi Prachar Sabha in connection with their State levlel Hindi Fortnight Celebrations and bagged prizes in the Quiz competition and in the Bharatiya Bhasha Kavi samelan. Also, the Company bagged prizes in the various competitions conducted by the TOLIC. The Company conducted Official Language inspection through online. Pendrives were purchased for awarding to the winners by loading Hindi stories and Notings in order to encourage the employees to learn Hindi.

Your Company is the convener of Town Official Language Implementation Committee (Undertakings) - TOLIC (U) – Thiruvananthapuram. Various programmes such as Kavi Sammelan, State level inter TOLIC Seminars, State level OL conference for college students, Orientation programmes to the Heads of member offices were conducted under the auspices of the TOLIC for promoting and propagating Official Language Hindi in the member offices with the support of member offices. The TOLIC magazine “Thapasya”is being published every year.

Town Official Language Implementation Committee (Undertaking), Thiruvananthapuram has been adjudged for the second position in the Southern Region for the outstanding performance made in the implementation of Official Language Hindi among 'C' region.

31. CORPORATE COMMUNICATION

Your company has a well-organized Corporate Communication Department which act as a convergence media agency for the whole organization. As the world of communication has gone through tremendous changes with new developments and innovations, the Corporate Communications Department-in addition to the conservative PR interventions- has adopted a number of newer ways of communication interventions with a vision to position HLL as a Global Healthcare Company that upholds highest values, for the benefit of the global community. It has a well developed in-house design platform which provides customized creative / design support for all communication material emanating from the Organisation.

In order to facilitate dissemination of information and to create positive image of the organisation, your Company has been regularly liaisoning with local publics and influence groups, supporting local and national events, providing press releases to the media and online media, placing write-ups in top publications, publishing brochures on various activities of the Company, making and telecasting Corporate Videos and regularly organizing press meetings to announce the developments of the Company. In addition to releasing corporate advertisements, your Company has been regularly updating developments on Facebook, Instagram and Youtube.

Internal communications play a key role in enabling employees across the company in understating and embracing the company’s mission, goals and strategies. Towards this objective your Company has continuously

करने और एचएलएल के साथ जुडने पर गर्व करने के लिए संचार उपकरण जैसे मासिक फोटोन्यूज़लेटर, मासिक बुलेटिन, त्रैमासिक पत्रिका, विभिन्न गतिविधियों पर पत्रक, वीडियो आदि को लगातार नियोजित किया है। जानकारी साझा करने और अपनापन एवं स्वामित्व की भावना पैदा करने और आपसी विश्वास विकसित करने के लिए प्रबंधन और कर्मचारियों के साथ खुले सत्र भी नियमित रूप से आयोजित किए गए हैं।

32. एचएलएल प्रबंधन अकादमी (एचएमए)

एचएलएल प्रबंधन अकादमी (एचएमए) एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड की एक शैक्षिक पहल है। एचएमए को त्रावणाकोर कोच्चिन साहित्यिक और वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1955 के अधीन एक लाभ - रहित सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है।

एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड और प्रतिष्ठित साझेदार संस्थाओं की ताकत से आकर्षित एचएमए ज्ञान के अनूठे व उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण, अनुसंधान और कार्रवाई में नवाचारों पर केंद्रित है। एचएमए ऐसे कौशल प्रदान करता है जो स्वास्थ्यरक्षा क्षेत्र में प्राथमिक फोकस के साथ समुदाय, व्यक्तियों और स्थानीय उद्योग के लिए प्रासंगिक है। वर्ष 2019-20 के दौरान एच एम ए की प्रमुख गतिविधियाँ, सामाजिक विकास व परामर्श परियोजनाएँ, प्रशिक्षण व शैक्षणिक कार्यक्रम और कौशल विकास के क्षेत्रों में हैं :

32.1 सामाजिक विकास व परामर्श परियोजनाएँ

'थिंकल' एचएमए की एक अभिनव मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन और परामर्श गतिविधि है। एम-कप के बारे में जागरूकता पैदा करने और वितरण करने के लिए यह देश के साथ-साथ विश्व स्तर पर अपनी तरह की पहली सामाजिक परियोजना है।

एम-कप एक प्रकार का महिला स्वच्छता उत्पाद है जो मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से घंटी के आकार में बना है और लचीला है। इसे मासिक धर्म के दौरान योनि के अंदर मासिक धर्म के रक्त को पकडने के लिए पहना जाता है। इसका उपयोग प्रवाह की मात्रा के आधार पर हर 4-12 घंटे में किया जा सकता है और कम से कम पाँच साल तक इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है।

कोविड 19 के दौरान 'थिंकल' परियोजना को दीर्घकालिक प्रभाव के साथ अधिक प्रासंगिकता है जिसमें शामिल हैं :

I कम कार्बन फुट प्रिंट

II मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों की कम आवर्ति लागत।

III बेहतर मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता।

IV उपयोग की सुविधा और गति में स्वतंत्रता।

इन चार गुना लाभों के साथ, एम-कप के अन्य लाभ भी हैं, जैसे कम भूमि भरने की लागत, बदलने के बीच अधिक समय, रिसाव की कम संभावना, योनि पीएच रख-रखाव, लाभकारी बैक्टीरिया की जगह में रहना, जडता, चिकित्सा प्रयोजन के लिए नमूने लेने की संभावना, टैम्पोन की तुलना में कम ऐंठन और कम गंध।

थिंकल परियोजना- एक निरीक्षण

- **आलप्पुषा में थिंकल परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया -** कोल इंडिया लिमिटेड से सीएसआर निधिकरण के साथ आलप्पुषा नगरपालिका में 5000 मासिक धर्म कप के बारे में जागरूकता सृजन और वितरण। वर्ष 2018 की बाढ़ के दौरान आलप्पुषा नगरपालिका के राहत शिविरों में अपशिष्ट प्रबंधन और बंद शौचालयों के संकट के दौरान थिंकल परियोजना की कल्पना की गई थी। इस संदर्भ में, एचएमए ने जागरूकता अभियानों और वितरण आउटलेट्स के माध्यम से समस्या के विकल्प के रूप में एम-कप की शुरूआत की। थिंकल परियोजना के पूरा होने के बाद किए गए अध्ययन के आधार पर, अधिकांश उपयोगकर्ताओं (90% से अधिक) ने एम-कप का उपयोग जारी रखने का निर्णय लिया है। जागरूकता अभियानों और वितरण आउटलेट के माध्यम से वितरित किए गए कुल एम-कप में से, जागरूकता अभियानों में भाग लेने वाले लाभार्थियों में एम-कप उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग दोगुनी हो गई।
- **कोच्चि में थिंकल परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया -** एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड से सीएसआर निधिकरण के साथ कोच्चि नगरपालिका में 5000 मासिक धर्म कप के बारे में जागरूकता सृजन और वितरण। विभिन्न हितधारकों से प्राप्त समर्थन से परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। कोच्चि नगर निगम, वार्ड पार्षद, केरल चलचित्र अकादमी के प्रतिनिधिगण, एर्नाकुलम प्रेस क्लब, केएमसी में विभिन्न वार्डों के कुडुम्बश्री यूनिटों आदि ने परियोजना से जुडे और इसकी सफलता में योगदान दिया। इस परियोजना को लाभार्थियों के

deployed communication tools such as monthly photo newsletter, monthly bulletins, quarterly magazine, leaflets on various activities, videos etc. to apprise the employees on the developments and achievements and also to provide a platform for them to participate and take pride in being associated with HLL. Open sessions with the management and employees have also been regularly organized for sharing of information and to create a sense of belonging and ownership and to develop mutual trust.

32. HLL MANAGEMENT ACADEMY (HMA)

HLL Management Academy (HMA) is the educational initiative of HLL Lifecare Ltd. HMA is registered as a not-for-profit society under the Travancore Cochin Literary Scientific and Charitable Societies Registration Act 1955.

Drawing from the strengths of HLL Lifecare Ltd and partner-institutions of repute, HMA focuses on innovations in training, research and action in unique and emerging areas of knowledge. HMA imparts skills that are relevant for the community, individuals and local industry with primary focus in healthcare domain. Major activities of HMA during 2020-21 are in the areas of Social Development and Consultancy projects, Training & Academic programmes and Skill Development.

32.1 Social Development and Consultancy Projects

"Thinkal" is an innovative menstrual hygiene management and consultancy activity of HMA. It is arguably the first of its kind social project within the country as well as globally for creating awareness about and distribution of MCups.

M-Cup is a type of female hygiene product which is made of medical grade silicone, shaped like a bell and is flexible. It is worn inside the vagina during menstruation to catch menstrual blood. It can be used every 4–12 hours depending on the amount of flow and can be reused up to a minimum of five years.

"Thinkal" project has greater relevance during COVID-19 with long term impact, which includes;

i) Reduced carbon foot print

ii) Reduced recurring cost of menstrual hygiene products.

ii) Better menstrual health and hygiene.

iv) Convenience of use and freedom in movement.

Along with thesefour-fold advantages, M Cups also have other benefits such as lesser landfill costs, more time between changes, lesser chance of leakage, vaginal pH maintenance, beneficial bacteriastay in place, inertness, possibility of sampling for medical reasons, fewer cramps compared to tampons and less odour.

Thinkal Project-An Overview

- **Successfully implemented project Thinkal in Alappuzha** - Awareness creation and distribution of 5,000 numbers of menstrual cups in Alappuzha municipality with CSR funding from Coal India Limited. Thinkal project was conceived during the crisis of waste management and clogged toilets in the relief camps of Alappuzha municipality during the 2018 floods. In this context, HMA introduced M-Cup as an alternative to the problem through awareness campaigns and distribution outlets. Based on the study conducted after completion of Thinkal project, majority of the users (more than 90%) have decided to continue using M-Cups. Out of the total M-Cup distributed via awareness campaigns and distribution outlets, the number of M-Cup users nearly doubled among the beneficiaries who attended the awareness campaigns.

- **Successfully implemented the project Thinkal in Kochi:** Awareness creation and distribution of 5,000 menstrual Cups in Kochi Municipal Corporation with CSR funding from Air India Express Ltd. The project was successfully completed through the support received from the various stake holders. Kochi Municipal Corporation, Ward councillors, Kerala Chalachitra Academy representatives, Press Club of Ernakulam, Kudumbasree Units of various wards in KMCetc associated with the project and contributed to its success.

बीच में व्यापक रूप से स्वीकार मिली और उम्मीद है कि 100 टन सैनिटरी नैपकिन अपशिष्ट को कम करके और 5 वर्षों की अवधि में लाभार्थियों को संचयी रूप से रु.10 लाख की बचत होगी।

- एचएमए ने एम-कप परियोजना थिंकल के साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनों और 147 नगर निगमों, पीएमओ आदि तक व्यापक रूप से पहुँच बनाई है।
- एचएलएल इंफ्राटेक सर्वीसस लिमिटेड (हाइट्स) के लिए कार्य अध्ययन मार्च 2020 को शुरू किया गया था। यह अध्ययन 2021 से 2026 तक की अवधि के लिए है।
- एचएलएल में प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम (टीएसडीपी) और विभिन्न अन्य एफटीसी पदों के तहत 1652 उम्मीदवारों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की और रैंक सूची तैयार की।

32.2 अकादमिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

- ऑनलाइन प्रबंधन विकास कार्यक्रम(एमडीपी) एचएलएल के 278 अधिकारियों को समाविष्ट करके आयोजित किया गया।
- एचएलएल और उसकी समनुषंगियों के 69 कर्मचारियों को समाविष्ट करके ऑनलाइन और कक्षा कर्मचारी विकास कार्यक्रम (एसडीपी) आयोजित किए गए।
- एचएलएल की विभिन्न यूनिटों में ऑनलाइन 104 छात्र परियोजनाओं/इंटर्नशिप की सुविधा प्रदान की गई।

32.3 कौशल विकास

- 66 छात्रों ने पीएमकेवीवाई और जनरेशन इंडिया फाउंडेशन सीएसआर योजनाओं से निधिकरण के साथ 3 बैचों में जनरल ड्यूटी असिस्टेंट (जीडीए) और अस्पताल कार्यकारी पाठ्यक्रम प्राप्त किया है।
- छात्रों ने जापान में केयर गिवर पदों के लिए तकनीकी इंटर्न प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्व भुगतान पाठ्यक्रम) प्राप्त किया है।

33. सतर्कता

एचएलएल सतर्कता विभाग का प्राथमिक ध्यान निवारक सतर्कता है। सभी हितधारकों द्वारा नियमों और विनियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी भर में निवारक सतर्कता सलाह/सिस्टम निर्देशों का प्रसार, विभाग का एक मुख्य कार्य माना जाता है। सतर्कता विभाग ने विभिन्न स्तरों पर ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के विभिन्न यूनिटों/कार्यालयों के साथ आवश्यक पर्यवेक्षण, प्रासंगिक सहायता और समन्वय सुनिश्चित किया।

सतर्कता निरीक्षण, जाँच/पूछताछ, प्रणाली अध्ययन आदि प्रभाग के नियमित कार्यों के एक भाग के रूप में किए जाते हैं और प्रभाग के निष्कर्षों को उचित कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। कोविड महामारी के दौरान आपातकालीन प्रापण के लिए पालन किए जानेवाले दिशा-निर्देशों के संबंध में सतर्कता विभाग द्वारा विशिष्ट जानकारी प्रदान की गई। 27.10.2020 से 02.11.2020 तक 'सतर्क भारत, समृद्ध भारत' विषय पर वर्ष 2020 के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह, एचएलएल के यूनिटों और कार्यालयों और इसकी समनुषंगी कंपनियों द्वारा ऑनलाइन शपथ लेने सहित कोविड प्रोटोकोल का पालन करते हुए मनाया गया। एचएलएल के लिए नियुक्त स्वतंत्र बाहरिक मॉनिटर ने इस अवधि के दौरान कंपनी के अधिकारियों के साथ दो बैठकें की हैं। वर्ष के दौरान सत्यनिष्ठा समझौते के क्रियान्वयन, मालिकाना प्रापण आदि की समीक्षा की गई।एचएलएल क्रय नियमावली को विस्तृत चर्चा के बाद सरकार के अद्यतन दिशानिर्देशों और आईईएम की सलाह के आधार पर जीईएम प्रापण के लिए विशिष्ट अन्य नवीनतम परिवर्तनों को शामिल करके संशोधित किया गया।

34. अखण्डता समझौता

प्रापण कार्यकलाप में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की एक पहल है, सरकारी संगठनों में बडे मूल्य के ठेके में अखण्डता समझौता का परिचय। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी किए मार्गनिर्देश/कार्यालय ज्ञापन के आधार पर, आप की कंपनी ने पहले ही अखण्डता समझौता नीति अपनायी है। कंपनी द्वारा अपनायी अखण्डता समझौता नीति, रु. 10.00 करोड़ की सीमा से अधिक राजस्व और पूँजी प्रकृति के सभी ठेके के संबंध में लागू होती है। इसके अलावा, पूँजी और राजस्व मदों के मामले में जो स्वामित्व प्रकृति का है, अखण्डता समझौता लेनदेन के मूल्य के बावजूद सभी लेनदेन/अनुबंधों पर लागू होगा।

The project was widely accepted among the beneficiaries and is expected to make an impact by reducing 100 tonnes of sanitary napkin waste and saving ₹ 10 lakhscumulatively among the beneficiaries over a period of 5 years.

- HMA has reached out extensively with the M-Cup project Thinkal to health secretaries and national health missions of all states and union territories and also to 147 municipal corporations, the PMO etc.
- The work study for HLL Infratech Services Ltd (HITES) was initiated on March 2020. The study is for the period from 2021 till 2026.
- Conducted recruitment test and prepared rank list for 1652 candidates under Training and Skill Development Programme (TSDP) and various other FTC positions in HLL.

32.2 Academics & Training Programmes

- Online Management Development Programmes (MDP) conducted covering278 executives from HLL.
- Online & Classroom Staff Development Programmes (SDP) conducted covering 69 employees of HLL and its subsidiaries.
- Facilitated 104 student projects / internships online at various units of HLL.

Skill Development

- 66 students have undergone the General Duty Assistant (GDA)& Hospital Executive courses in 3 batches with funding from PMKVY & Generation India Foundation CSR schemes.
- 11 students have undergone the Technical Intern Training Programme (TITP) course for Care giver positions in Japan (self-paid course).

33. VIGILANCE

HLL Vigilance Department has Preventive Vigilance as its primary focus. Towards ensuring adherence to rules and regulations by all the stakeholders, dissemination of preventive vigilance advice / system improvement directives across the company are considered as a major function of the Department. Vigilance Department ensured necessary supervision, relevant assistance and coordination with various units/offices of the company to ensure probity & integrity at various levels.

Vigilance inspections, investigations / enquires, system study etc. are done as a part of routine functions of the Division and findings of the Division are submitted before Competent Authority for appropriate action. Specific inputs were provided by Vigilance Division in connection with the guidelines to be followed for emergency procurement during Covid pandemic. Vigilance Awareness Week for the year 2020 on the theme "Satark Bharat, Samriddh Bharat" from 27.10.2020 to 02.11.2020, was observed following Covid protocols including online oath taking by units & offices of HLL and its subsidiaries. The Independent External Monitor appointed for HLL has held two sitting with the officials of the company during the period. Implementation of Integrity Pact, Proprietary Procurement etc. were reviewed during the sitting. HLL Purchase Manual was revised, after detailed discussions, to incorporate updated guidelines of the government, and other latest changes, specific to GEM procurement based on the advice of IEM.

34. INTEGRITY PACT

One of the initiatives of the Central Vigilance Commission (CVC) to eradicate corruption in procurement activity is introduction of the Integrity Pact in large value contracts in Government Organizations. Based on the guidelines/ Office Memorandum issued by the Central Vigilance Commission, your Company has already adopted Integrity Pact Policy. The Integrity Pact Policy adopted by the Company is applicable in respect of all contracts of both revenue & capital nature exceeding the threshold limit of ₹10.00 Cr. Besides, In the case of Capital and Revenue items that are Proprietary in nature, the Integrity Pact would apply to all transactions/contracts irrespective of the value of transaction.

श्री एम.जे जोसफ आईसीएएस (सेवानिवृत्त), पूर्व लेखा महानियंत्रक (सचिव रैंक) को केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा नियुक्त एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के लिए स्वतंत्र बाहरी अनुवीक्षक है। आपकी कंपनी ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य कार्यपालकों के साथ स्वतंत्र बाहरी अनुवीक्षक की संरचित बैठकें भी आयोजित कीं। अखण्डता समझौता नीति कंपनी की वेबसाइट में अपलोड की गई है।

35. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी ने सूचना अधिकार (आर टी आई) अधिनियम, 2005 को कार्यान्वित किया है, जो उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को बनाए रखने के सिलसिले में सूचना प्रदान करके आम नागरिक को बढ़ावा देता है। कंपनी ने हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि आर टी आई अधिनियम 2005 से विविध सक्षम प्रावधानों को पूर्णतः कार्यान्वित किया गया है ।

आर टी आई रिटर्न सारांश

वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त और निपटान किए गए आर टी आई आवेदनों की संख्या नीचे दी जाती हैं:

01.04.2020 को अथशेष	8
वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त कुल आवेदन	
तिमाही I	102
तिमाही II	57
तिमाही III	35
तिमाही IV	60
कुल	254
वर्ष 2020-21 के दौरान अस्वीकृत आवेदन	1
वर्ष 2020-21 के दौरान दी गई सूचना	249
31.03. 2021 तक उत्तर देने के लिए लंबित	12

36. पुरस्कार एवं सम्मान

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने निम्नलिखित पुरस्कार एवं सम्मान हासिल किया है :

क. एचएलएल एएफटी को फैक्टरी और बॉयलर विभाग, केरल सरकार से बृहत श्रेणी में उत्कृष्ट सुरक्षा निष्पादन के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

ख. एचएलएल एएफटी ने केरल सरकार के विद्युत विभाग द्वारा आयोजित मध्यम स्तर के ऊर्जा उपभोक्ताओं की श्रेणी में ऊर्जा संरक्षण और प्रबंधन की उपलब्धियों की सराहना करते हुए केरल राज्य ऊर्जा संरक्षण (प्रशस्ति पत्र) पुरस्कार 2020 हासिल किया है।

ग. एचएलएल एएफटी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह समारोह 2021 के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (केरल चैप्टर) से केमिकल और इंजीनियरिंग के अलावा अन्य मध्यम उद्योगों में उत्कृष्ट सुरक्षा निष्पादन के लिए सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त किया है।

Shri M.J. Joseph ICAS (Retd.), Ex-Controller General of Accounts [Secretary Rank] is the Independent External Monitor for HLL Lifecare Ltd. appointed by the Central Vigilance Commission. Your Company has also conducted structured meetings of the Independent External Monitor with Chairman & Managing Director and other Executives. Integrity Pact Policy has been uploaded on the web site of the Company.

35. RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

Your Company has implemented Right to Information (RTI) Act, 2005, which enhances the common citizens by providing access to information with a view to enlighten them on the accountability and transparency practised in the Company. The Company has always endeavoured to ensure that various enabling provisions of the RTI Act, 2005 are implemented in letter and spirit.

RTI Return Summary

The number of RTI applications received and disposed off during year 2020-21 is given below:

Opening Balance as on 01.04.2020	8
Total applications received during 2020-21	
Quarter I	102
Quarter II	57
Quarter III	35
Quarter IV	60
Total	254
Applications rejected during 2020-21	1
Information furnished during 2020-21	249
Pending to Reply as on 31.03.2021	12

36. AWARDS AND RECOGNITIONS

During the year under review, your Company received the following awards and recognitions:

a) HLL AFT has won award for outstanding safety performance in Large Scale Categories from the Deprtment of Factories and Boilers, Govt. of Kerala

b) HLL AFT won Kerala State Energy Conservation (Commendation) award 2020 in appreciation of the achievements towards energy conservation and management in the category of Medium scale Energy consumers organized by the Department of Power, Government of Kerala

c) HLL AFT received SURAKSHA PURASKAR for outstanding safety performance in Medium Industries other than Chemical & Engineering from NATIONAL SAFETY COUNCIL (Kerala Chapter) in connection with National Safety week celebrations 2021.

37. प्रशंसा और कृतज्ञता

आपके निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों से प्राप्त किये जा रहे बहुमूल्य मार्गनिर्देश, समर्थन एवं सहकारिता का विशेष उल्लेख करना चाहते हैं और भविष्य के सभी प्रयासों के लिए उनका लगातार समर्थन की प्रतीक्षा भी करते हैं ।

निदेशक भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक, वाणिज्यक लेखापरीक्षा का प्रधान निदेशक एवं लेखापरीक्षा मंडल के पदेन सदस्य, सांविधिक लेखापरीक्षकों, लागत लेखापरीक्षकों, सचिवालयीन लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा दिए गए सहकारिता और समर्थन के प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

निदेशक इस अवसर पर कंपनी के बैंकरों, विनियामक प्राधिकारी, ग्राहकों, विक्रेताओं, परामर्शदाताओं, प्रौद्योगिकी लैसेन्सकर्ताओं, ठेकेदारों और अन्य व्यवसायिक सहयोगियों एवं व्यापारिक भागीदारों को कंपनी के प्रति उनके लगातार सहयोग और विश्वास पर कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इस अवसर का विनियोग करते हैं।

आपके निदेशक सभी स्तर के कर्मचारियों को उनके कडी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता के प्रति गहरी सराहना भी व्यक्त करते हैं ।

निदेशक मंडल की तरफ से

के. बेजी जोर्ज आई आर टी एस
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएन :08419099]

दिनांक : 28 सितंबर, 2021
स्थान : तिरुवनंतपुरम

37. APPRECIATION AND ACKNOWLEDGEMENTS

Your Directors would like to make a special mention of the valuable guidance, support and co-operation your Company has been receiving from the Ministry of Health & Family Welfare and other Ministries of Government of India and look forward to their continued support in all future endeavors.

The Directors express their sincere thanks to the Comptroller and Auditor General of India, the Principal Director of Commercial Audit & Ex-officio Member of Audit Board, Statutory Auditors, Cost Auditors, Secretarial Auditors and Internal Auditors for the co-operation and support extended by them.

The Directors take this opportunity to thank the Company's bankers, regulatory authorities, customers, vendors, consultants, technology licensors, contractors and other business associates and trading partners for their continued support and confidence reposed in the Company.

Your Directors also place on record their deep appreciation to employees at all levels for their hard work, dedication and commitment.

For and on behalf of the Board of Directors
K Beji George IRTS
Chairman & Managing Director
[DIN: 08419099]

Date: 28th September, 2021
Place:Thiruvananthapuram

अनुबंध - क

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) (एम) के अनुसार कंपनी नियम 2014(लेखा) के साथ पठित सूचना 31मार्च 2021 को समाप्त वर्ष केलिए निदेशकों की रिपोर्ट के भाग बनती है।

फार्म क

(नियम 2 देखें)

विवरण	2019-20	2020-21
बिजली और इंधन बिजली		
खरीदी गयी (यूनिट)के डब्लियु एच	1,91,38,373.00	1,88,18,365.00
राशि (₹)	12,87,97,339.83	11,07,06,656.00
दर / यूनिट (₹)	6.73	6.00
निजी उत्पादन - उत्पादित यूनिट (के डब्लियु एच)	2,51,012.00	2,11,322.00
एच एस डी तेल का उपभोग (लिटर)	79,778.00	63,985.00
उत्पादित यूनिट/लिटर (के डब्लियू एच/लिटर)	3.15	3.00
लागत/यूनिट (₹)	30.61	28.28
भाप टरबाइन जनरेटर द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं
कोयला एल एन जी	लागू नहीं	लागू नहीं
परिमाण (मेट्रिक टन)	1,630.72	1,233.14
राशि (₹)	3,89,30,154.69	4,17,88,186.20
दर/यूनिट (₹)	23,873.00	33,887.58
फर्नस तेल		
परिमाण (लिटर)	20,46,652.00	23,20,588.00
राशि (₹)	7,45,04,319.36	8,50,81,182.63
दर/यूनिट (₹)	36.40	36.66
उत्पादन के प्रति यूनिट का उपभोग		
कण्डोम		
यूनिट (दशलक्ष अदद)- उत्पादन (मॉल्डड)	1,468.18	28,040.12
बिजली (के डब्लियु एच)प्रति दशलक्ष अदद (मानक 8418)	8,028.00	7,684.29
फर्नस तेल (किलो लिटर) प्रति दशलक्ष अदद (मानक 6.19)	3.12	2.00
कोयला	-	
एल एन जी(एम टी) प्रति दशलक्ष अदद	2.33	
कॉपर-टी		
उत्पादित कुल परिमाण (दशलक्ष अदद)	6.17	7.96
बिजली प्रति दशलक्ष अदद (के डब्लियु एच)	82,270.00	70,695.00
माला-डी/एन, सहेली, नोवेक्स एवं प्रिवंटोल		
उत्पादित कुल परिमाण (दशलक्ष अदद)		
माला-डी/एन (दशलक्ष साइकिल्स)	52.01	79.48
सहेली, नोवेक्स एवं प्रिवंटोल	11.17	11.88
माला-डी/एन के प्रति दशलक्ष साइकिल खपत की गई बिजली	539.01	635.98
सहेली, नोवेक्स एवं प्रिवंटोल	242.48	261.85
खपत की गई बिजली (दोनों उत्पाद) - के डब्लियु एच	7,81,499.00	8,97,821.00
ब्लड बैग-उत्पादित कुल परिमाण (दशलक्ष अदद)	11.42	4.77
प्रति बैग बिजली (के डब्लियु एच)	0.25	0.43
स्यूचर्स		
उत्पादित कुल परिमाण (लाख दर्जन)	0.83	0.75

ANNEXURE - A

ANNEXURE TO DIRECTORS' REPORT

Information as per Section 134 (3) (m) of the Companies Act, 2013 read with Companies (Accounts) Rules 2014 forming part of the Directors' Report for the year ended 31st March 2021

FORM A

(See Rule 2)

Particulars Power & Fuel Electricity	2019-20	2020-2021
Purchased (Units) KWH	1,91,38,373.00	1,88,18,365.00
Amount (₹)	12,87,97,339.83	11,07,06,656.00
Rate /Unit ₹)	6.73	6.00
Own generation - Units generated (KWH)	2,51,012.00	2,11,322.00
HSD Oil consumption (Ltr)	79,778.00	63,985.00
Units generated/ Ltr (KWH/Ltr)	3.15	3.00
Cost /Unit (₹)	30.61	28.28
Through Steam Turbine Generator	NA	NA
Coal, LNG	NA	NA
Quantity (Metric Tonne)	1,630.72	1,233.14
Amount (₹)	3,89,30,154.69	4,17,88,186.20
Rate /Unit (₹)	23,873.00	33,887.58
Furnace Oil		
Quantity (Ltr.)	20,46,652.00	23,20,588.00
Amount (₹)	7,45,04,319.36	8,50,81,182.63
Rate /Unit (₹)	36.40	36.66
Consumption per unit of production		
Condoms		
Unit (M. Pcs) – Production (Moulded)	1,468.18	28,040.12
Electricity (KWH) per M. Pcs (Standard 8418)	8,028.00	7,684.29
Furnace Oil (KL) per M. Pcs (Standard 6.19)	3.12	2.00
Coal	-	
LNG (MT) per M.Pcs	2.33	
Copper –T		
Total Quantity Produced (M. Pcs)	6.17	7.96
Electricity per M. Pcs (KWH)	82,270.00	70,695.00
Mala-D/N, Saheli, Novex & Preventol		
Total Quantity Produced (M. Pcs)		
Mala-D/N (M. Cycles)	52.01	79.48
Saheli, Novex & Preventol	11.17	11.88
Electricity consumed per million cycles of Mala-D/N	539.01	635.98
Saheli, Novex & Preventol	242.48	261.85
Electricity consumed (both products)-KWH	7,81,499.00	8,97,821.00
Blood Bags - Total Quantity Produced (M. Pcs)	11.42	4.77
Electricity per bag (KWH)	0.25	0.43
Sutures		
Total Quantity Produced (Lacs Dozen)	0.83	0.75

विवरण	2019-20	2020-21
बिजली प्रति दर्जन (के डब्लियु एच)	8.16	7.03
बल्क ड्रग - सेंटक्रोमैन		
उत्पादित यूनिट (किलोग्राम)	1765.66	1,358.10
खपत की गई बिजली(के डब्लियु एच)	6,96,211.56	4,53,204.00
खपत की गई फर्नस तेल (लिटर)	1,22,614.00	1,30,895.00
बिजली प्रति किलोग्राम (के डब्लियु एच)	394.31	333.70
फर्नस तेल प्रति किलोग्राम (किलो लिटर)	69.44	96.38
गर्भ परीक्षण किट		
उत्पादित कुल परिमाण (दशलक्ष किट)	17.06	-
बिजली प्रति दशलक्ष किट (के डब्लियु एच)	8,265.24	-
एच एस डी तेल प्रति दशलक्ष किट (लिटर)	-	-
महिला कण्डोम		
उत्पादित कुल परिमाण (अदद)	18,97,251.00	39,74,667.00
बिजली प्रति अदद (के डब्लियु एच)	0.03	0.01
सैनिटरी नैपकिन		
उत्पादन (दशलक्ष अदद)	87.88	211.24
खपत की गई बिजली (के डब्लियु एच)	4,92,542.26	9,57,879.00
खपत की गई बिजली प्रति दशलक्ष अदद	5,604.65	4535.00

[क] ऊर्जा संरक्षण

क) पेरूरकड़ा फैक्टरी, तिरुवनंतपुरम (पी एफ टी) में क्रियान्वित ऊर्जा संरक्षण उपाय नीचे उल्लिखित किए जाते हैं:

1. 31.01.2021 तक संयंत्र और पैकिंग क्षेत्रों में ऊर्जा दक्ष और उच्च लुमेन एल ई डी लाइटों के साथ पुरानी सी एफ एल फिटिंग्स ('2x2', '2x1', 1'x0.5') को सफलतापूर्वक बदल दिया गया।
2. 31.01.2021 तक पी एफ टी में पुराने पारंपरिक 40 नंबर सीलिंग पंखों को ऊर्जा दक्ष बी एल डी सी प्रकार के पंखों से सफलतापूर्वक बदला ।
3. 15.02.2021 तक सेकेंडरी पैकिंग यूनिट में ऊर्जा दक्ष एल ई डी स्ट्रीट लाइट द्वारा पारंपरिक कम दक्ष 30 संख्या के एम एच लैंप को सफलतापूर्वक बदल दिया गया।

ख) आक्कुलम फैक्टरी, तिरुवनंतपुरम (ए एफ टी) में लिए गए ऊर्जा संरक्षण उपाय नीचे उल्लिखित जैसे हैं:

1. 250 वाट एच पी एस वी लैंप की जगह उच्च क्षमता वाले नए 150 डब्लियु फ्लिकर फ्री & रेडियल हीट सिंक डिज़ाइन, उच्च बे एल ई डी लैंप स्थापित की ।
2. फैक्टरी लाइटिंग के लिए 36 वाट फ्लोरोसेंट लैंप की जगह 90 संख्या के 15 वाट एल ई डी लैंप लगाए गए ।
3. हीट स्ट्रेस को कम करने, बेहतर पर्यावरण नियंत्रण और ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए ब्लड बैग उत्पादन में ट्यूब और शीट एक्सट्रूशन क्लीन रूम एरिया में नई 38 टी आर ऊर्जा दक्ष एयर हैंडलिंग यूनिट स्थापित और चालू की ।
4. बेहतर पर्यावरण नियंत्रण और ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए डक्ट सिस्टम के इन्सुलेशन को नया रूप दिया और ब्लड बैग उत्पादन में एएनएचए क्षेत्र के क्लीन कमरे की मात्रा को अनुकूलित किया ।

ग. काक्कनाड फैक्टरी, कोचिन (के एफ सी) में लिए गए ऊर्जा संरक्षण उपाय नीचे उल्लिखित किए जाते हैं :

पिछले वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 में विशिष्ट ऊर्जा खपत में 17.85% की कमी आयी है ।

घ. मनेसर फैक्टरी, गुडगांव (एम एफ जी) में लिए गए ऊर्जा संरक्षण उपाय नीचे उल्लिखित किए जाते हैं :

आउटसोर्स विनिर्माण के साथ, सीधी बिजली आपूर्ति पर विनिर्माण प्रचालन पर स्विच करके डीज़ल खपत से बच सकता है ।

ङ. कनगला फैक्टरी, बेलगाम (के एफ बी) में लिए गए ऊर्जा संरक्षण उपाय नीचे उल्लिखित किए जाते हैं :

200 नंबर पारंपरिक सी एफ एल लैंप को ऊर्जा दक्ष एल ई डी लैंप से सफलतापूर्वक बदल दिया । ऊर्जा की खपत को कम करके रुपए 1.52 लाख/वर्ष की बचत हासिल किया ।

च. ऐरापुरम फैक्टरी, कोच्चि (आई एफ सी) में लिए गए ऊर्जा संरक्षण उपाय नीचे उल्लिखित किए जाते हैं :

1. आई एफ सी की अनुबंध माँग को 1000 के वी ए से घटाकर 750 के वी ए कर दिया गया और इस तरह 2020-21 में रुपए 7,65,000.00 की बचत हुई ।
2. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आई एफ सी को रबड़ पार्क से रु. 3,57,242 का पवर फैक्टर प्रोत्साहन हासिल किया गया।
3. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आई एफ सी सौर ऊर्ज (रु. 1,47,519 की बचत) से 24,223 यूनिट बिजली उत्पादन किया गया।

Particulars Power & Fuel Electricity	2019-20	2020-2021
Electricity per dozen (KWH)	8.16	7.03
Bulk Drug –Centchroman		
Unit (Kg) produced	1765.66	1,358.10
Electricity consumed (KWH)	6,96,211.56	4,53,204.00
Furnace Oil consumed (Ltr.)	1,22,614.00	1,30,895.00
Electricity per Kg (KWH)	394.31	333.70
Furnace Oil per Kg (KL)	69.44	96.38
Pregnancy Test Kits		
Total Quantity Produced (M. Kit)	17.06	-
Electricity per Million Kit (KWH)	8,265.24	-
HSD Oil per Million Kit (Ltr.)	-	-
Female Condoms		
Total Quantity Produced (Pcs)	18,97,251.00	39,74,667.00
Electricity per Pc (KWH)	0.03	0.01
Sanitary Napkins		
Production (M.Pcs)	87.88	211.24
Electricity consumed (KWH)	4,92,542.26	9,57,879.00
Electricity consumed per M.Pcs	5,604.65	4535.00

[A] CONSERVATION OF ENERGY

a) Energy conservation measures executed at the Peroorkada factory, Thiruvananthapuram [PFT] are mentioned below:

1. Successfully replaced 125nos. of old CFL fittings (2'X2', 2'X1', 1'X0.5') by retrofitting with energy efficient& high lumen LED lights in plant and packing areas by 31.01.2021
2. Successfully replace old conventional 40nos. of ceiling fans with energy efficient BLDC type fans in PFT by 31.03.2021.
3. Successfully replaced conventional low efficient 30Nos. of MH lamps by energy efficient LED street lights in secondary packing unit by 15.02.2021.

b) Energy conservation measures taken at Akkulam Factory, Thiruvananthapuram [AFT] are mentioned below:

1. Installed new high efficiency, 150 W flicker free & radial heat sink design, high bay LED lights by replacing 250W HPSV lamps.
2. Installed 90 no. s of 15 W LED lamps by replacing 36 W fluorescent lamps for factory lighting.
3. Installed and commissioned new 38 TR energy efficient Air handling unit in Tube and sheet extrusion clean room area in Blood bag production to reduce the heat stress, better environment control and reduce the energy consumption.
4. Revamped the insulation of duct systems and optimized the clean room volume of ANHA area in Blood bag production for better environment control and reduce the energy consumption

c) Energy conservation measures taken at Kakkanad Factory, Cochin [KFC] are mentioned below.

Specific energy consumption is reduced by 17.85 % in the FY 2020-21 as compared to previous FY 2019-20.

d) Energy conservation measure taken at Manesar Factory, Gurgaon [MFG] is mentioned below.

With outsourced manufacturing, could avoid diesel consumption by switching over manufcaturing operations on direct power supply

e) Energy conservation measure taken at Kanagala Factory, Belgam [KFB] is mentioned below.

Successfully replaced 200 Nos. of conventional CFL lamps with energy efficient LED lamps. Achieved a saving of ₹ 1.52 Lacs / annum by reducing energy consumption.

F) Energy conservation measure taken at Irapuram Factory, Cochin [IFC] is mentioned below.

1. Reduced contract demand of IFC from 1000KVA to 750KVA and thereby saving an amount of ₹7,65,000.00 in 2020-21.
2. During the year under review, IFC received a power factor incentive of ₹3,57,242 from Rubber Park.
3. During the year under review, IFC generated 24,223 units of electricity from solar energy (Savings of ₹1,47,519)

फार्म बी

[क] तकनीकी आमेलन,अभिग्रहण व नवाचार

ख.1 पेरूरकडा फैक्टरी, तिरुवनंतपुरम (पी एफ टी)

1. पेरूरकडा फैक्टरी में 03 सितंबर, 2020 से आरआरटी कंडोम के रोलिंग गुणों को सुधार करने लिए परीक्षण के आधार पर ऑनलाइन स्वचालित पाउडर फिनिशिंग ऑपरेशन लागू किया गया।
2. आर & डी द्वारा विकसित लैवेंडर फ्लेवर और सैनिटाइज़र में सुगंध सामग्री की प्रतिशत को मानकीकृत किया और सैनिटाइज़र के लिए परीक्षण विकसित किया गया।

ख.2 आक्कुलम फैक्टरी, तिरुवनंतपुरम (ए एफ टी)

1. उन्नत उच्च परिशुद्धता (मैग्ना माइक) मोटाई गेज की शुरुआत करके ब्लड बैगों के गैर -विनाशकारी प्रकार के परीक्षण लागू किया जो हॉल प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। रु. 9.35 लाख की वार्षिक बचत हासिल की और 2.5 टन प्रति वर्ष प्लास्टिक कचरे में कमी की।
2. रोगाणुनाशन के लिए यु वी सैनिटाइज़र के कई प्रकारों का उत्पादन सफलतापूर्वक शुरू किया गया।
3. एचवीएसी प्रणाली के लिए नया ऊर्ज कार्यक्षम 200 टी आर कूलिंग टॉवर संस्थापित किया गया।
4. कोविड 19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए परीक्षा बूथ, स्वाब संग्रह बूथ, ड्यूयल चेंबर स्वाब संग्रह बूथ, विस्क्स, वाहन पर लगे स्वाब संग्रह बूथ, फुट से संचालित हैंड सैनिटाइज़र जैसे उपकरणों का निर्माण/आपूर्ति।
5. एच एफ वेल्डिंग में मुद्रास्फीति परीक्षण प्रक्रिया मानकीकृत करने के लिए नई मुद्रास्फीति परीक्षण मशीन पेश किया गया।
6. कोपर टी उत्पादन के लिए घटकों के 100 % इनहाउस मोल्डिंग को प्रभावित करने के लिए टी घटकों का इंजक्शन मोल्डिंग के लिए नये चार कैविटी होट रनर मोल्ड डिजाइन किया गया और विकसित किया गया।
7. कच्चे माल की खपत को कम करने के लिए टी घटक मोल्डिंग के लिए मोल्ड में होट रनर टिप पेश किया गया ।
8. कोपर टी उत्पादन में वाइंडिंग क्षमता बढ़ाने के लिए 10 वाइंडिंग मशीन संस्थापित और कमीशन किया गया।
9. ड्यूयल मोड संचालन के लिए स्यूचेर उत्पादन क्षेत्र में एयर हैंडलिंग यूनिटों के लिए हीटर बैंक संस्थापित और कमीशन किया गया।
10. सेकेंडरी पैकेजिंग में बेहतर लचीलेपन के लिए और यूनिवर्सल रोल फॉयल लेबल के उपयोग को बढाने के लिए बारटेंडर सोफ्टवेयर का उपयोग करके इनहाउस एफ/पी लेबल प्रिंटिंग लागू किया गया।
11. एचएफ वेल्डिंग मशीन में प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन कम करने के लिए आयातित शीट चौडाई (260 एम.एम, के बजाय 240 एम. एम.) का मानकीकरण।

ख.3 काक्कनाड फैक्टरी, कोचिन (के एफ सी)

हाइड्रोलिक स्टेकर संचालित बैटरी में कस्टम मेड पारट बीक ड्रम लिफ्टिंग तंत्र पेश किया गया। लागत - रु. 20,000/-

लाभ - स्थान की बचत 50%

66% ड्रम को ढेर करते समय जनशक्ति की बचत

ड्रमों का सुरक्षित संचालन।

ख.4 मनेसर फैक्टरी, गुडगाव (एमएफजी)

1. नए उत्पाद

1. **कोविड -19 एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट कार्ड :** एचएलएल एमएफजी ने अप्रैल 2021 से मेकशुवर कोविड -19 रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कार्ड का व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ किया। किट **आईजीएम** और आईजीजी एंटीबॉडी एक साथ पता लगाने और भेदीकरण के

FORM B

[B] TECHNOLOGY ABSORBTION, ADOPTION ANDINNOVATION

B.1 Peroorkada factory, Thiruvananthapuram [PFT]

1. Online automatic powder finishing operation implemented on trial basis to improve the rolling properties of RRT condom, at HLL Peroorkada Factory from 03 September 2020.
2. Lavender flavour developed by R&D and standardised the percentage content of the flavour in sanitizer and developed Tests for Sanitizer

B.2 Akkulam Factory, Thiruvananthapuram [AFT]

1. Implemented non-destructive type testing of blood bags by introducing advanced high precision (Magna mike) thickness gauge which works on the principle of hall effect. Achieved an annual saving of ₹ 9.35 Lakh and reduction in plastic waste of 2.5 tonnes/annum.
2. Successfully commenced production of multiple variants of UV sanitizers for disinfection.
3. Installed new energy efficient 200 TR Cooling tower for HVAC system.
4. Fabrication/supply of equipment's like Examination booths, Swab collection booths, Dual chamber swab collection booths, WISKs, Vehicle mounted swab collection booths, Foot operated hand sanitizers to fight against Covid 19 pandemic
5. Introduced new inflation testing machine to standardize the inflation testing procedure in HF welding.
6. Designed and developed new four cavity hot runner mould for injection moulding of T component to effect 100% inhouse moulding of components for Cu T production
7. Introduced hot runner tip in the mould for T component moulding to reduce the raw material consumption.
8. Installed and commissioned 10 no.s of winding machines to enhance the winding capacity in Cu T production.
9. Installed and commissioned Heater banks for Air handling units in Suture Production area for dual mode operation.
10. Implemented inhouse F/P Label Printing using Bartender Software for improved flexibility in secondary packaging and to increase the usage of universal roll form foil label.
11. Standardization of imported sheet width (240 mm instead of 260 mm) to reduce the plastic waste generation in HF welding machine.

B.3 Kakkanad Factory, Cochin [KFC]

Introduced Custom made Parrot Beak Drum lifting Mechanism in Battery operated hydraulic stacker
Cost: - ₹ 20,000/-

Benefits: - Space Saving 50%
Manpower Saving 66% while stacking of drums
Safe handling of drums

B.4 Manesar Factory, Gurgaon [MFG]

NewProducts

1. **COVID -19 ANTIBODY RAPID TEST CARDS :** HLL MFG started commercial productions of Makesure COVID-19 Rapid Antibody test cards from April 2021. The kit is suitable for simultaneous detection and

लिए उपयुक्त है जो कोविड -19 के लिए महामारी निगरानी और रोग फैलाव के लिए एक उपयोगी उपकरण है। मेकशुवर टी एम कोविड -19 वन स्टेप एंटीबोडी **आईजीजी/आईजीएम** किट श्वसन संक्रमण के लक्षणों और लक्षणों वाले रोगी से प्राप्त मानव सीरम, प्लाज्मा और/या पूरे रक्त के नमूनों में कोविड -19 के लिए आईजीएम/आईजीजी एंटीबोडी के अंतर का पता लगाने के लिए एक तेज, गुणात्मक और सुविधाजनक प्रतिरक्षा क्रोमैटोग्राफिक इन-विट्रो परख होगी। डिवाइस को कोविड-19 वायरस संक्रमण के तेजी से विभेदक निदान में सहायता के लिए बनाया गया है।

2. **कोविड -19 एंटीजन रैपिट टेस्ट कार्ड :** कोविड महामारी के गंभीर समय में परीक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और व्यवसाय के विकास के लिए व्यापारिक सामान के रूप में आईसीएमआर, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित कोविड 19 रैपिड एंटीजन टेस्ट कार्ड की पेशकश की। कोरोना वायरस (कोविड 19) एंटीजन किट श्वसन संक्रमण के लक्षणों और लक्षणों वाली रोगी से प्राप्त नाक के स्वाब, नासॉफिरिन्जयल स्वैब, एंडोट्रैचियल एस्टिरेट या ब्रोन्कोएलेवोलर लैवेज से कोविड -19 एंटीजन (वायरल न्यूक्लियोप्रोटीन) के गुणात्मक पता लगाने के लिए एक तेज़ और सुविधाजनक इम्यूनोक्रोमैटोग्राफिक परख है।

ख. 5 कनगला फैक्टरी, बेलगाम (के एफ बी)

1. एचएलएल टाइप मोल्डिंग मशीन के लिए उपयोगित वल्केनाइजिंग मशीन के ऑटो संचालन के लिए माइक्रो प्रोग्रामाबिल लॉजिक कंट्रोलर (पीएलसी) के लिए इन-हाउस विकसित एप्लिकेशन प्रोग्राम सफलतापूर्वक स्थापित और कमीशन किया गया।
2. ओसीपी ट्रे ड्रायर उपकरण में विद्युत ताप को भाप ताप में परिवर्तित करना।
3. बेहत्तर निष्पादन के लिए कंडोम पैकिंग मशीनों के बाउल वाइब्रेटर फीडर के लिए संस्थापित डिजिटल वाइब्रेटर कंट्रोलर संस्थापित किया।
4. एपीआई ऑरमेलोक्सिफ़ेन की विनिर्माण क्षमता बढाने के लिए एक ड्राई स्क्रू टाइप हाई वैक्यूम पंप संस्थापित और कमीशन किया गया।
5. एपीआई ऑरमेलोक्सिफ़ेन की विनिर्माण क्षमता बढाने के लिए एक स्क्रू टाइप ब्राइन चिलर संस्थापित करके और कमीशन किया गया।

(ग) अनुसंधान एवं विकास (आर & डी) कार्यकलापों

ग.1 आक्कुलम फैक्टरी, तिरुवनंतपुरम (ए एफ टी)

1. एएफटी से इनहाउस उत्पादन प्रारंभ करने के लिए सिलिकॉन रबर मासिक धर्म कप डिजाइन करके और विकसित किया गया।
2. रोगाणुनाशन अनुप्रेयोगों के लिए यू वी सैनिटाइज़र डिज़ाइन करके और विकसित किया गया।
3. ब्लड बैग सिस्टम के विनिर्माण के लिए नया संपूर्ण ब्लड एल डी फिल्टर पेश किया गया।
4. एनएचए ब्लॉक के कारण बैग की अस्वीकृति को हटाने केलिए ब्लड बैग असेंबलिंग के लिए विशेष प्रकार का एडहेसिव सोल्वेंट डिस्पेंसर विकसित करके और संस्थापित किया गया।
5. ट्यूब पेलेट्स के लिए उपयुक्त किंक प्रतिरोधी सूत्रीकरण आधारित **के** 67 ग्रेड पीवीसी विकसित किया गया।

ग.2 कनगला फैक्टरी, बेलगाम (के एफ बी)

शून्य

(घ) सतत विकास पहल

घ.1 पेरूरकडा फैक्टरी , तिरुवनंतपुरम (पी एफ टी)

1. गोल्फ क्लब तिरुवनंतपुरम में एचएलएल पेरूरकड़ा फैक्टरी से ट्रीटेड इफ्लुवेंट वाटर (100 केएलडी) को बागवानी के उद्देश्य से पंप करना शुरू किया गया।
2. ईटीपी के मिक्सिंग चैनल में पिंच वाल्व के माध्यम से पॉली इलेक्ट्रोलाइट डोज़िंग की शुरूआत द्वारा ट्रीटेड इफ्लुवेंट के परीक्षण मूल्य में ट्रीटेड इफ्लुवेंट विशेषताओं में स्थिरता जिसके परिणामस्वरूप कीचड की मात्रा में 44 % की कमी आई।

differentiation of IgM and IgG antibodies, which is a useful tool for epidemiological surveillance and disease prevalence for COVID-19. MAKESURETM COVID-19 One Step Antibody IgG/IgM Kit will be a rapid, qualitative and convenient immune chromatographic In-Vitro assay for the differential detection of IgM & IgG antibodies to COVID-19 virus in human serum, plasma and/or whole blood samples obtained from patient with signs and symptoms of respiratory infection. The device is designed to aid in the rapid differential diagnosis of COVID-19 Virus infection.

2. **COVID-19 ANTIGEN RAPID TEST CARDS :** To serve testing requirements in critical time of Covid pandemics and for business growth , offered COVID-19 rapid Antigen test card, approved by ICMR, New Delhi as traded goods. Coronavirus (COVID-19) antigen Kit is a rapid and convenient Immunochromatographic assay for the qualitative detection of COVID-19 antigen (viral nucleoprotein) from nasal swab, nasopharyngeal swab, endotracheal aspirate or bronchoalveolar lavage obtained from patient with signs and symptoms of respiratory infection.

B.5 Kanagala Factory, Belgam [KFB]

1. Successfully Installed & Commissioned In-house developed application programme for Micro Programmble Logic Controller (PLC) for Auto operation of Vulcanizing machine used for HLL Type Moulding machine.
2. Conversion of Electrical Heating to Steam Heating in OCP Tray drier equipment.
3. Installed digital vibrator controller for Bowl vibrator feeder of Condom Packing machines for better performanance.
4. Installed and commissioned one Dry Screw type High vacuum pump to enhance manufacturing capacity of API ormeloxifene.
5. Installed and comissioned one Screw type brine chiller to enhance manufacturing capacity of API ormeloxifene

[C] RESEARCH AND DEVELOPMENT (R & D) ACTIVITIES

C.1 Akkulam Factory, Thiruvananthapuram [AFT]

1. Designed and Developed Silicone rubber Menstrual cup for commencing inhouse production from AFT
2. Designed and Developed UV sanitizer for disinfection applications.
3. Introduced new whole blood LD filter for manufacturing of Blood bag systems
4. Developed and installed special type of adhesive solvent dispenser for Blood bag assembling to eliminate the bag rejection due to NHA block.
5. Developed and qualified K67 grade PVC based kink resistant formulation for tube pellets

C.2 Kanagala Factory, Belgaum [KFB]

NIL

[D] SUSTAINABLE DEVELOPMENT INITIATIVES

D.1 Peroorkada Factory, Thiruvananthapuram [PFT]

1. Started pumping of treated effluent water (100 KLD) to Golf Club Trivandrum for Gardening purpose from HLL Peroorkada factory.
2. Consistency in Treated Effluent characteristics in the test value of Treated Effluent by the introduction of Poly electrolyte dosing through Pinch valve in the mixing channel of ETP which also resulted in reduction in sludge volume by 44%.

घ.2 आक्कुलम फैक्टरी, तिरुवनंतपुरम (ए एफ टी)

पीआईआर मोशन सेंसर और उच्च दक्षतावाले चार्जर कंट्रोलर के साथ शाम से सुबह तक स्वचालित संचालन के लिए 18 नई एकीकृत सौर स्ट्रीट लाइट स्थापित की गईं।

भविष्य की योजनाएँ

1. स्वचालित सुई असेंबली मशीन में उद्योग 4.0 (चरण 1) का कार्यान्वयन।
2. आईआईओटी प्लेटफॉर्म में सबस्टेशन स्काडा की स्थापना।
3. कोपर टी प्रोडक्शन फ्लोर में नए सिरे से क्लीन रूम स्पेस के लिए पुराने एएचयु को नई ऊर्जा कुशल से बदलना।
4. नए इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के प्रापण, संस्थापन और कमीशनिंग।

घ.3 कनगला फैक्टरी, बेलगाम (के एफ बी)

1. वर्ष 2020-21 के दौरान सौर ऊर्जा के उपयोग से उत्पन्न 90216 केएचडब्लियु बिजली का कार्य किया गया।
2. 614 किलोलिटर वर्षा जल का संचयन किया गया।

विदेश विनिमय अर्जन एवं खर्च

विवरण	(2019-2020) (₹ लाखों में)	(2020-21) (₹ लाखों में)
अर्जन	10,419.82	8,573.88
खर्च	16,759.20	2,903.16
कुल	27,179.02	11,477.04

D.2 Akkulam Factory, Thiruvananthapuram [AFT]

Installed 18 no. s of new integrated solar street lights for automatic dusk to dawn operation having PIR motion sensor and high efficiency solar charge controller.

Future Plans

1. Implementation of Industry 4.0 (Phase 1) in Automatic Needle Assembly machine.
2. Installation of Substation SCADA in IIOT platform
3. Replacement of old AHU with new energy efficient one for the refurbished clean room space in the Cu T production floor.
4. Procurement, Installation and commissioning of new injection moulding machine.

D.3 Kanagala Factory, Belgaum [KFB]

1. Done 90216 KHW power generated by harnessing Solar energy during the year 2020-21.
2. Done 614 KL of rain water harvested

Foreign exchange earnings & outgo

Particulars	2019-20 (₹ In lakhs)	2020-21 (₹ In lakhs)
Earnings	10,419.82	8,573.88
Outgo	16,759.20	2,903.16
total	27,179.02	11,477.04

अनुबंध - ख

कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता पहल

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

(कंपनियों के अनुसार (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति)संशोधन नियम, 2021)

1. **कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा**

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) और स्थिरता कंपनी की प्रकृति एवं नीति का अभिन्न अंग है और कंपनी लगातार इसका पालन कर रही है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 में और इसके अधीन नियम बनाये गए और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नीति निर्देश पर विचार करके और समाविष्ट सी एस आर के लक्ष्य और कार्यकलापों के साथ सामाजिक रूप से उपयोगी कार्यक्रमों को जारी रखने और उपायों को प्रारंभ करने के लिए अपने दर्शनशास्त्र को सम्मिलित करने की ओर कॉर्पोरेट समाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता पर एक नीति की ढाँचा बनायी और स्वीकार किया गया है। कंपनी नियम, 2014 (कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति) और कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के साथ पढ़ित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अधीन नये रूप से शुरू की गई कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रावधानों के साथ सम्मिलित करने की ओर वर्ष 2013 को सूत्रीकृत सी एस आर एवं स्थिरता पर नीति तदनंतर संशोधित की गयी।

2. सीएसआर समिति की रचना

क्रम सं.	निदेशकों का नाम	पदनाम/निदेशक पद का स्वभाव	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
1.	डॉ.पी.विजयचंदर रेड्डि	स्वतंत्र निदेशक	1
2.	श्री ई.ए.सुब्रमण्यन	पूर्णकालिक निदेशक	1
3.	श्री टी.राजशेखर	पूर्णकालिक निदेशक	1
4.	डॉ.गीता शर्मा	पूर्णकालिक निदेशक	1

3. वेब लिंक प्रदान करें जहाँ कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा किया गया है।

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति)नियम, 2014 के नियम 8 के उप नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरम प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)।

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम,2014 के नियम 7 के उप नियम (3) के अनुसरण में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो।

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**पिछले वित्तीय वर्ष से समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)**	**वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई है(रुपये में)**
		शून्य	शून्य
	कुल	शून्य	शून्य

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसतन निवल लाभ रु.1304.04 लाख

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसतन निवल लाभ का दो प्रतिशत। रु. 26.08 लाख

   (ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष।शून्य

   (ग) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित करने के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई है। शून्य

ANNEXURE- B

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY & SUSTAINABILITY INITIATIVES OF THE COMPANY

ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES FOR THE FINANCIAL YEAR 2020-21

(*Pursuant to Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2021*)

1. Brief outline on CSR Policy of the Company.

Corporate Social Responsibility (CSR) & Sustainability is an integral part of the Company's ethos and policy and the Company has been pursuing this on a sustained basis. The Company has framed and adopted a Policy on CSR & Sustainability to align its philosophy to initiate measures and pursue socially useful programmes with the objectives and activities of CSR envisaged and incorporated in the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and the policy directions issued by the Government from time to time. The Policy on CSR & Sustainability formulated in 2013 was subsequently revised to align with the newly introduced provisions for Corporate Social Responsibility under Section 135 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 and Schedule VII of the CompaniesAct, 2013.

2. Composition of CSR Committee:

Sl. No.	Name of Director	Designation / Nature of Directorship	Number of meetings of CSR Committee held during the year	Number of meetings of CSR Committee held during the year
1	Dr P Vijayachander Reddy	Independent Director	1	1
2	Shri E A Subramanian	Whole-time Director	1	1
3	Shri T Rajasekar	Whole-time Director	1	1
4	Dr Geeta Sharma	Whole-time Director	1	1

3. Provide the web-link where Composition of CSR committee, CSR Policy and CSR projects approved by the board are disclosed on the website of the company.

4. Provide the details of Impact assessment of CSR projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014, if applicable (attach the report).

5. Details of the amount available for set off in pursuance of sub-rule (3) of rule 7 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014 and amount required for set off for the financial year, if any

Sl. No.	Financial Year	Amount available for set-off from preceding financial years (in ₹)	Amount required to be setoff for the financial year, if any (in ₹)
		NIL	NIL
	TOTAL	NIL	NIL

6. Average net profit of the company as per section 135(5).
   ₹ 1304.04 Lakhs

7. (a) Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)
   ₹ 26.08 Lakhs

   (b) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years.
   Nil

   (c) Amount required to be set off for the financial year, if any
   Nil

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क + 7ख + 7ग) रु.26.08 लाख

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय या अव्ययित सीएसआर राशिः

वित्तीय वर्ष केलिए खर्च की गई कुल राशि	अव्ययित राशि (रु. लाखों में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्यतित सीएसआर खाते में स्थानातंरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार निर्दिष्ट अनुसूचि VII के अधीन किसी भी फंड को स्थानांतरित राशि		
	राशि	स्थानांतरित करने की तारीख	फंड का नाम	राशि	स्थानांतरित करने की तारीख
23.46	2.62	30.04.2021			

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए जारी की गई परियोजनाओं की ओर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूचि VII में गतिविधियों की सूचि का आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना की अवधि	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए आबंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्यतित सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि	कार्यान्वयन की तरीका- प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)
					राज्य	जिला				
1.	एलकेजी शिक्षक का वेतन, ऊलमपारा	शिक्षा को बढावा देना [अनुसूची VII (ii)]						0.44	0.00	लागू नहीं
2.	मई सिटी परियोजना काम	पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना [अनुसूची VII (iv)]						2.52	0.00	लागू नहीं

(d) Total CSR obligation for the financial year (7a+7b+7c)
₹ 26.08 Lakhs

8. (a) CSR amount spent or unspent for the financial year:

Total Amount Spent for the Financial Year.	Amount Unspent (in ₹in lakhs)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per section 135(6).		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5).		
	Amount.	Date of transfer.	Name of the Fund	Amount.	Date of transfer.
23.46	2.62	30.04.2021			

b) Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year:

Sl. No	Name of the Project.	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	Local area (Yes/No).	Project duration	Location of the project.		Amount allocated for the project (in ₹).	Amount spent in the current financial Year (in ₹)	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) (in ₹).	Mode of Implementa tion - Direct (Yes/No)	Mode of Implementation - Through Implementing Agency	
					State	District					Name	CSR Registration number.
1.	Salary of LKG Teacher, Oolampura	Promotion of education [Schedule VII (ii)]						0.44	0.00	NA		
2.	My city project works	Ensuring environmental sustainability [Schedule VII (iv)]						2.52	0.00	NA		

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूचि VII में गतिविधियों की सूचि का आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना की अवधि	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि	कार्यान्वयन की तरीका- प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)
					राज्य	जिला				
3.	पी एम सुरक्षा निधि	प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सहायता निधि में योगदान [अनुसूची VII (viii)]						20.00	0.00	लागू नहीं
4.	स्कूल के लिए ड्रम	शिक्षा को बढावा देना [अनुसूची VII (ii)]						0.04	0.00	लागू नहीं
5.	लॉकडाउन के दौरान गरीबों के लिए किट	भूख, गरीबी आदि का उन्मूलन [अनुसूची VII (i)]						0.46	0.00	लागू नहीं

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए जारी किए गये परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूचि VII में गतिविधियों की सूचि का आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन की तरीका- प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन की तरीका- प्रत्यक्ष	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरम संख्या
						शून्य			लागू नहीं

Sl. No	Name of the Project.	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	Local area (Yes/No).	Project duration	Location of the project.		Amount allocated for the project (in ₹).	Amount spent in the current financial Year (in ₹)	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) (in ₹).	Mode of Implementa tion - Direct (Yes/No)	Mode of Implementation - Through Implementing Agency	
					State	District					Name	CSR Registration number.
3.	PM Cares fund	Contribution to PM's National Relief Funds [Schedule VII (viii)]						20.00	0.00	NA		
4.	Drums to school	Promotion of education [Schedule VII (ii)]						0.04	0.00	NA		
5.	Kits for poor during lock down	Eradicating hunger, poverty etc. [Schedule VII (i)						0.46	0.00	NA		

(c) Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year: NIL

Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in schedule VII to the Act.	Local area (Yes/ No).	Location of the project.		Amount spent for the project (in ₹).	Mode of implementation - Direct (Yes/ No).	Mode of implementation - Through implementing agency.	
				State.	District.			Name	CSR Registration number.
						NIL			NA

घ) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि — शून्य

ड.) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो — लागू नहीं

च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई राशि (8 ख + 8ग+ 8घ+ 8ड.) — रु.23.46

छ) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो — शून्य

क्रम संख्या	विवरण	रकम (रुपये में)
1	धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	शून्य
2	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	शून्य
3	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	शून्य
4	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
5	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण : 2017-18,2018-19, 2019-20: कोई अव्ययित सीएसआर राशि नहीं

क्रम संख्या	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूचि VII के अधीन निर्दिष्ट किसी भी निधि को हस्तांतरित राशि,			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपये में)
				निधि का नाम	रकम (रुपये में)	स्थानातंरण की तिथि.	
		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष (र्वो) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: शून्य

क्रम सं.	परियोजना आई डी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी।	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गयी राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गयी संचयी राशि	परियोजना की स्थिति - पूर्ण /चालू
					शून्य			
	कुल							

10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च कि गे सीएसआर के माध्यम से इस तरह बनाई या हासिल की गई संपत्ति से संबंधित विवरण (संपत्ति वार विवरण) प्रस्तुत करें - शून्य

क) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि।

(d)	Amount spent in Administrative Overheads	NIL
(e)	Amount spent on Impact Assessment, if applicable	Not Applicable
(f)	Total amount spent for the Financial Year (8b+8c+8d+8e)	₹23.46 Lacs
(g)	Excess amount for set off, if any	Nil

Sl. No.	Particular	Amount (in ₹)
1	Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)	Nil
2	Total amount spent for the Financial Year	Nil
3	Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)]	Nil
4	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	Nil
5	Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	Nil

9. (a) Details of Unspent CSR amount for the preceding three financial years: 2017-18,2018-19,2019-20 : No unspent CSR amount

Sl. No.	Preceding Financial Year.	Amount transferred to Unspent CSR Account under section 135 (6) (in ₹)	Amount spent in the reporting Financial Year (in ₹).	Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per section 135(6), if any.			Amount remaining to be spent in succeeding financial years. (in ₹)
				Name of the Fund	Amount (in ₹).	Date of transfer.	
		Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

(b) Details of CSR amount spent in the financial year for ongoing projects of the preceding financial year(s): NIL

Sl. No.	Project ID.	Name of the Project.	Financial Year in which the project was commenced.	Project duration.	Total amount allocated for the project (in ₹).	Amount spent on the project in the reporting Financial Year (in ₹).	Cumulative amount spent at the end of reporting Financial Year. (in ₹)	Status of the project - Completed /Ongoing.
					NIL			
	TOTAL							

10. In case of creation or acquisition of capital asset, furnish the details relating to the asset so created or acquired through CSR spent in the financial year (asset-wise details). NIL

(a) Date of creation or acquisition of the capital asset(s).

ख) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि।

ग) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता इत्यादि।

घ) सृजित या अर्जित (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें।

11. कारण निर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135 (5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है। लागू नहीं

हस्ताक्षर (मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या निदेशक)	हस्ताक्षर अध्यक्ष सीएसआर समिति)	हस्ताक्षर [अधिनियम की धारा 380 की उप धारा (1) के खंड (घ) के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति] (जहाँ लागू हो)

सीएसआर पहल

वर्ष 2020-2021 के लिए कंपनी ने सीएसआर बजट की ओर रु.26.08 लाख आबंटित किए थे।

1. मई सिटी परियोजना (2020-21)

सीएसआर कार्यक्रम के हिस्से के रूप में कंपनी ने तिरुवनंतपुरम निगम के कवडियार वार्ड, जहाँ कंपनी के मदर प्लांट (पीएफटी) 2013 से स्थित है, में कचरा प्रबंधन और सौन्दर्यीकरण कार्य किया है। यह कार्यक्रम अब भी जारी किया जा रहा है। 2020-21 की अवधि के लिए इस संबंध में खर्च रु. 2.97 लाख है।

गतिविधि रिपोर्ट

- वर्ष 2014 से कवडियार वार्ड का कचरा प्रबंधन स्थिरता से चल रहा है; इससे 1150 परिवारों को फायदा मिल रहा है।
- क. बायो कचरा प्रबंधन श्रोत पर - 150
- ख. तुम्बूरमुषी में बायो कचरा प्रसंस्करण - 155
- ग. बायो- कचरों का संचयन और एक फार्म में प्रसंस्करण - 945
- घ. 300 कि. ग्रा प्लास्टिक कचरों का साप्ताहिक संग्रह और तिरुवनंतरपुरम नगर निगम को सौंपना और अन्य कचरों का मासिक संग्रह।
- पिछले वर्ष कोविड-19 महामारी के संबंध में लॉकडाउन के दौरान, हमने पीएफटी के पीछे एक पिछडी कॉलनी के 60 परिवारों को 200 आवश्यक वस्तुओं की किट की आपूर्ति की थी। किट में सैनिटाइज़र की बोतल, मास्क और आवश्यक किराने का सामान (चावल,दाल,चीनी आदि) एक महीने के लिए पर्याप्त था। इससे यह सुनिश्चित हो गया कि निवासियों, जो ज्यादातर दैनिक मज़दूर हैं और जिनकी तालाबंदी के दौरान कोई आय नहीं थी, के पास उस अवधि के दौरान आवश्यक किराने का सामान था।
- क. कवडियार वार्ड के मुख्य सडक और उप सडकों की दैनिक सफाई।
- ख. पीएपटी के पिछे के जल निकास की तिमाही में सफाई।

2. एचएलएल प्रतीक्षा धर्मार्थ सोसाइटी

यह सोसाइटी वृत्तीक अध्ययन को आगे बढाने के लिए बीपीएल श्रेणी के विद्यार्थियों को प्रायोजित करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की स्वास्थ्य रक्षा का समर्थन करने के लक्ष्य के साथ रजिस्टर की गयी है। तदनुसार, सोसाइटी द्वारा दो पद्धतियाँ लाँच की गयी थीं, एक विद्यार्थियों को प्रायोजित करने और दूसरा गंभीर बीमारियों के लिए इलाज प्राप्त करने की ओर कंपनी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय समर्थन देने के लिए है।

वर्तमान में , कंपनी , तिरुवनंतपुरम जिला और कनगला जिला, दो जिला जहाँ कंपनी के दो प्रमुख विमिर्माण यूनिट स्थित हैं, से चुने गये विविध स्ट्रीम के वृत्तिक पाठ्यक्रमों के अनुसार पिछले वर्ष के विद्यार्थियों सहित 108 विद्यार्थियों को प्रायोजित करती है। सोसाइटी की निधि सभी कर्मचारियों के मासिक व्यक्तिगत अंशदान के द्वारा जमा की जाती है।

(b) Amount of CSR spent for creation or acquisition of capital asset.

(c) Details of the entity or public authority or beneficiary under whose name such capital asset is registered, their address etc.

(d) Provide details of the capital asset(s) created or acquired (including complete address and location of the capital asset).

11. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135(5). Not Applicable

Sd/- (Chief Executive Officer or Managing Director or Director).	Sd/- (Chairman CSR Committee).	Sd/- [Person specified under clause (d) of sub-section (1) of section 380 of the Act] (Wherever applicable).

CSR Initiatives:

For the year 2020-21, company had allocated ₹ 26.08 Lakhs against the CSR budget.

1. My City Project (2020-21)

As part of CSR programme Company has undertaken waste management and beautification of Kowdiar ward of Trivandrum Corporation where the mother plant (PFT) of the Company is located since 2013. This programme is being continued now. The expenditure in this regard is ₹**2.97 lakhs for the period 2020-21.**

Activity Report

- Sustainably running the Waste Management at Kowdiar Ward from 2014 onwards; 1150 households are benefiting from this.

  a. At Source Bio-Waste Management – 150

  b. Bio-Waste Processing at Thumburmuzhy – 155

  c. Collection of Bio-wastes and processing in a Farm –945

  d. Weekly collection of 300 kg of plastic wastes and handing over to Trivandrum Corporation and Monthly collection of other wastes

- During the lockdown in connection with the Covid - 19 pandemic last year, we had supplied 200 essential items kits to 60 households of a backward colony behind PFT. The kit consisted of sanitizer bottle, masks and essential grocery items (Rice, pulses, sugar etc) sufficient for one month. This ensured that the residents, who are mostly daily wage workers and had no income during the lockdown, had essential groceries during that period.

  a. Daily cleaning of the main roads and sub-roads of Kowdiar ward.

  b. Quarterly cleaning of the drainage behind PFT.

2. HLL Pratheeksha Charitable Society

The Society is registered with the Objective of sponsoring students belonging to the BPL category to pursue professional studies and also to support the health care of retired employees. Accordingly two schemes were launched by the society; one for sponsoring students and the other for giving financial support to the retired employees of the company for availing treatment for critical illness.

Currently Company is sponsoring 108 students, including students of the previous years, pursuing various streams of professional courses selected from Trivandrum district and Kanagala district, being the two districts

हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोन्नमन न्यास (एचएलएफपीपीटी)

एचएचएल लाइफ़केयर द्वारा 1992 में संस्थापित, हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोन्नमन न्यास (एचएलएफपीपीटी),आरएमएनसीएच+ए (पुनरुत्पादन, मातृ,नवजात,बच्चा और किशोर स्वास्थ्य रक्षा) और एचआईवी निवारक एवं नियंत्रण के विस्तृत स्पेक्ट्रम को समाविष्ट करने वाले साठ से अधिक सक्रिय कार्यक्रमों द्वारा देश भर के 24 राज्यों & 4 संघक्षेत्र में सेवा करनेवाला एक लाभ रहित स्वास्थ्य संगठन है। गुणवत्ता रक्षा, दया सहित जीवन को छूने और विश्व स्तर पर विश्वसनीय संगठन के रूप में उभरने की दृष्टि से अब एचएलएफपीपीटी निम्नलिखित क्षेत्रों में सेवायें प्रदान करता है:

1. परिवार नियोजन
2. मातृ शिशु स्वास्थ्य रक्षा
3. किशोर स्वास्थ्य रक्षा
4. एचआईवी निवारण, रक्षा और समर्थन
5. सीएसआर साझेदारी
6. कुशलता विकास
7. बुज़ुर्गों की रक्षा और समर्थन
8. अनुसंधान एवं विकास
9. शिशु स्वास्थ्य और विकलांगता

निम्नांकित खंड वर्ष 2020 -21 के लिए मुख्य हाइलाइट्स शेयर करेंगे।

1. सामाजिक विपणन - स्वस्थ जीवन के लिए समुदाय का बदलते व्यवहार।

समाज के सभी वर्गों के लिए किफायती प्रजनन स्वास्थ्य उत्पाद सुलभ और उपलब्ध कराने के लिए एचएलएफपीपीटी वित्तीय वर्ष 2020 -21 में 10 राज्यों (उत्तर प्रदेश, उडीषा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, बिहार, पश्चिम बंगाल,एनईआर, राजस्थान, महाराष्ट्रा और उत्तराखंड) में गर्भनिरोधक और आरसीएच उत्पादों के सामाजिक विपणन में आत्मनिर्भर मॉडल पर काम कर रहा है। एचएलएफपीपीटी उपरोक्त राज्यों के सी & डी विपणन में कंडोम (रक्षक 2 & जोश 3 डोटेड) & सैनेटरी नैपकिन (सखी) के ब्रांड का स्वामित्व में है, बाज़ार में ब्रांड मान्यता प्राप्त है।

2. सामाजिक फ्रेंचाइसिंग - एक आम फ्लैटफॉम शेयर करने को निजी क्षेत्र और स्वास्थ्य प्रदायकों के लिए नवाचार फ्रेमवर्क प्रदान करना।

सामाजिक फ्रेंचाइसिंग कार्यक्रम के अधीन, एचएलएफपीपीटी ने मेरी गोल्ड स्वास्थ्य नेटवर्क (एम जी एच डब्लियु) नामक अपना स्वास्थ्य नेट वर्क विकसित किया है। यह इस तरह से एक है और भारत के सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ सबसे बडे सामाजिक फ्रेंचाइसिंग मॉडलों में एक है। एमएजीएचएन क्लीनिक बहुत सामान्य दर पर स्वास्थ्य रक्षा सेवाएं विशेषतः मातृ और शिशु स्वास्थ्य रक्षा और परिवार नियोजन सेवाओं को प्रदान करता है। यह विविध एमजीएचएन सुविधाओं के लिए लाभदायक मेरी तरंग नेटवर्क (सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक , जो लोगों को प्राथमिक एम सी एच जानकारी प्रदान करता है) से एक मज़बूत संबंध संस्थापित करता है। एचएलएपपीपीटी ने 350 से अधिक प्राइवेट अस्पतालों से नेटवर्क के साथ दो राज्यों (उत्तर प्रदेश, राजस्थान) में नेटवर्क संस्थापित किया है। मेरी गोल्ड स्वास्थ्य नेटवर्त के ज़रिए एचएलएफपीपीटी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब तक 3.4 मिलियन प्रसवपूर्व चेकअप, 13.90 लाख से अधिक संस्थागत प्रसव, 3.8 लाख नसबंदी और 4.05 लाख आईयुसीडी निवेश सुनिश्चित किया है।

3. गुणवत्ता आश्वासन

एचएलएफपीपीटी ने एनएबीएच प्री-एंट्री मान्यता के लिए आवेदन करने के इच्छुक स्वास्थ्य सुविधाओं (अस्पतालों,नेर्सिंग होम, क्लीनिक आदि) को परामर्श, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। एचएलएफपीपीटी भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई)के अधीन एनएबीएच मानकों/प्रक्रियाओं, अवसंरचना, जनशक्ति, उपकरण और नियामक अनुपालन पर व्यवहार्यता अध्ययन से लेकर गैप विश्लेषण तक की सेवाएं प्रदान करता है।

4. उत्कृष्ट विकास प्रभाव बॉन्ड - प्राइवेट स्वास्थ्य क्षेत्रों में मानक गुणवत्ता का संस्थानीकरण

विश्व का पहला स्वास्थ्य विकास प्रभाव बॉन्ड, उत्कृष्ट एक अभिनव परिणाम आधारित वित्तीय-व्यवस्था तंत्र है जिसका उद्देश्य राजस्थान, भारत में मातृ और नवजात स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है। उत्कृष्ट डीआईबी को भारतीय गुणवत्ता परिषद (एनएबीएच) और एफओजीएसआई

where the two major manufacturing units of the Company are located. The funds for the society are pooled through the monthly individual contribution of all the employees.

HINDUSTAN LATEX FAMILY PLANNING PROMOTION TRUST (HLFPPT),

Set up by HLL Lifecare Ltd in 1992, Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust (HLFPPT) is a non-profit National organization serving across the country in 24 states & 4 UTs through over sixty active programmes covering the wide spectrum of RMNCH+A (Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent health care) and HIV prevention and control. With a vision of touching live with quality care, compassion and emerge as a globally credible organization, HLFPPT is currently providing services in the following areas:

1. Family Planning
2. Maternal Healthcare
3. Adolescent Health Care
4. HIV Prevention, Care and Support
5. CSR Partnerships
6. Skill Development
7. Elderly Care& Support
8. Research and Development
9. Child Health and Disabilities

Following section will share the key highlights for the year 2020-21

1. Social Marketing - Changing Community's Behaviour for a Healthy life

In order to make affordable reproductive health products accessible & available to all sections of society, HLFPPT is working on self -sustainable model of social marketing of contraceptive and RCH products in 10 states (Uttar Pradesh, Odisha, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Bihar, West Bengal, NER, Rajasthan, Maharashtra and Uttrakhand) in FY 2020-21. HLFPPT owned brand of Condoms (Rakshak 2 and Josh 3 Dotted) & Sanitary Napkin (Sakhi) enjoys brand recognition in C & D market of aforementioned states.

2. Social Franchising – Providing Innovative framework for private sectors & health providers to share a common platform

Under Social Franchising program, HLFPPT has developed its very own health network called Merry Gold Health Network (MGHN). It is one of its kind and one of the largest social franchising models with a public-private partnership in India. MGHN clinics facilitate quality health care services especially Maternal and Child Healthcare and Family Planning services to communities at very nominal rates. It establishes a strong linkage from Merry Tarang Network (Community health volunteers who provide elementary MCH information to people) link beneficiaries to various MGHN facilities. HLFPPT has instituted the network in two States (Uttar Pradesh & Rajasthan) with a network of more than 350 private hospitals. Through Merry Gold Health Network, HLFPPT has so far ensured 3.4 million Antenatal Check-ups, over 13.90 lakh institutional deliveries, 3.8 lakh sterilizations and 4.05 lakhs IUCD's insertion till FY 2020-21.

3. Quality Assurance

HLFPPT has pioneered into providing consultancy, guidance, and support to healthcare facilities (hospitals, nursing homes, clinics, etc.) willing to apply for NABH Pre-Entry Accreditation. HLFPPT provides services ranging from feasibility study to generating Gap analysis on NABH Standards/ Processes, infrastructure, manpower, equipment & regulatory compliances under Quality Council of India (QCI).

4. UTKRISHT Development Impact Bond- Institutionalization of standard quality in Private Health Sectors

World's 1st Health Development Impact Bond, UTKRISHT is an innovative results-based financing mechanism aimed at improving maternal and new-born health services in private health facilities of Rajasthan, India. UTKRISHT DIB was designed to provide support to private small health care facilities for improving quality of services through training and hand holding in achievement of certification or accreditation of the standards set

(मान्यता) द्वारा निर्धारित मानको के प्रमाणन या मान्यता की उपलब्धि में प्रशिक्षण और आपसी सहयोग के माध्यम से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए निजी छोटी स्वास्थ्य देखभाल सुविधों को सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। निजी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार से मातृ एवं नवजात मृत्यु दर में कमी आने की उम्मीद है।

तीन वर्ष की परियोजना अवधि के दौरान, एचएलएफपीपीटी देखभाल की गुणवत्ता में सुधार के समग्र उद्देश्य के साथ एनएबीएच और मान्यता मानकों पर क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से 19 जिलों में 240 से अधिक सुविधाओं को शामिल करने और सहायता प्रदान करने में सक्षम था।

परियोजना के परिणामः

240 + सुविधायें सफलतापूर्वक जेक्यूएस मानक तक पहूंच गई
230+ वास्तविक मान्यता गुणवत्ता प्रत्यायन प्राप्त की गई सुविधाएं
120+ वास्तविक एनएबीएच मान्यता प्राप्त सुविधाएं

5. गैर - संचारी रोग कार्यक्रम (एन सी डी): वर्धित गुणवत्ता सेवा वितरण के लिए नियत स्वास्थ्य और कल्याण केद्रों से क्षमता निर्माण - प्रणाली का मज़बूतीकरण और विवध एफडब्लियु एस/एचएसपीएस के लिए समर्थन

वृत्तिकों, संस्थाओं और समुदाय के सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण एचएलएफपीपीटी का एक प्रमुख कार्यक्षेत्र रहा है। संगठन कुशल प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों के द्वारा उच्च गुणवत्ता प्रशिक्षण सामाग्री, संसाधन और तरीकों पर मज़बूत ज़ोर का अनुरक्षण करता है।

एचएलएफपीपीटी और एनएचएम- युपी ने उत्तर प्रदेश राज्य में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं (एएनएमएस और आशा) की क्षमता निर्माण (प्रशिक्षण) और पूरे गैर संचारी रोगों पर चिकित्सा अधिकारियों और स्टाफ नेर्स की मॉनिटरिंग के नए कार्यक्रम मे भाग लिया। भारत सरकार के पूर्व - निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार एक विशाल फ्रंटलाइन को प्रशिक्षित किया गया था।

अब तक एचएलएफपीपीटी ने 19000 से अधिक आशा और 2000 एएनएम को गैर संचारी रोगों पर प्रशिक्षण दिया। । ये प्रशिक्षण भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय प्रशिक्षकों की प्रत्यक्ष देखरेख में आयोजित किए गए थे।

6. स्वास्थ्य संवर्धन के समुदाय आधारित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

आरएमएनसीएच+ए रणनीति के किशोर घटक को मजबूत करने के लिए एचएलएफपीपीटी मध्य प्रदेश के बड़वानी और सिंगरौली जिलों में आरकेएसके (राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम) के प्रोग्रामिंग सिद्धांतों को लागू कर रहा है। कार्यक्रम छः प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है जैसे;पोषण,लैंगिक और प्रजनन स्वास्थ्य, चोटों और हिंसा के अधीन स्वास्थ्य संवर्धन के लिए समुदाय आधारित दृष्टिकोण विकसित करना जिसमें लिंग आधारित हिंसा, गैर-संचारी रोग, मानसिक स्वास्थ्य और मादक द्रव्योंका दुरुपयोग शामिल है। सामुदायिक स्वास्थ्य केद्रों एवं जिला अस्पताल पर आधारित किशोर स्वास्थ्य हितैशी क्लीनिकों के माध्यम से उन्नत सेवाओं के लिए रेफरल तंत्र के साथ किशोरों को नैदानिक एवं परामर्श सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। स्कूल जाने वाले किशोरां के लिए आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से परामर्श सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। आरकेएसके के अधीन कार्यक्रम क्षेत्रों पर छह दिनों का व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित साथिया (मध्य प्रदेश में सहकर्मी शिक्षकों को दिया गया नाम) को सहायक पर्यवेक्षण के माध्यम से समुदाय आधारित सहायता प्रदान की जा रही है।

7. स्वास्थ्य सुविधाओं का संचालन और सुदृढीकरण

नैदानिक देखभाल और आउटरीच सेवाओं के संदर्भ में स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में और सुधार लाने की दृष्टि से, एचएलएफपीपीटी ने अपनी सीएसआर पहल के माध्यम से बॉश के परामर्श से जयपुर, राजस्थान राज्य के वाटिका में एक पीएचसी और बस्सी में एक सीएचसी की सेवाओं को मज़बूत करने का लक्ष्य रखा है।

कार्यक्रम का उद्देश्य समुदाय के समग्र स्वास्थ्य और भलाई में सुधार करना और उन्हें 'व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं' की उपलब्धता,पहूँच,सामर्थ्य सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के उद्देश्य एनक्यूएएस और लक्ष्या के अनुपालन में पीएचसी/सीएचसी की सेवाओं/मानकों का उन्नयन और रखरखाव भी सुनिश्चित करते हैं।

8. कुशल विकास कार्यक्रम - युवाओं को स्थायी आजीविका के लिए स्किलिंग।

चूँकि एचएलएफपीपीटी ने कुशल प्रशिक्षण में अपनी गति प्राप्त की है, कुशल विकास प्रभाग ने 16 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश के कई क्षेत्रों में

by Quality Council of India (NABH) and FOGSI (Manyata). Improvement in quality of private health services is expected to result into reduction in maternal and neonatal mortality.

During the project period of three years, HLFPPT was able to engage and provide handholding support more than 240 facilities in 19 districts through capacity building activities on NABH and Manyata standards with the overall objective to improve quality of care.

Project Outcomes:

240+ facilities successfully reached JQS standard

230+ facilities achieved Actual Manyata Quality Accreditation

120+ facilities achieved Actual NABH Accredited

5. Non communicable Disease Programme (NCD): Capacity Building of Health service Providers on NCD from assigned Health and Wellness Centres for enhanced quality service delivery.

Capacity Building for professionals, institutions and community members has been a major vertical of HLFPPT. The organization maintains its strong emphasis on high-quality training content, resources and methodologies through skilled trainers and experts.

HLFPPT and NHM-UP ventured in to the programme of Capacity building (training) of Health Service Providers (ANMs and ASHAs) and on Non-communicable diseases all over the state of Uttar Pradesh. A huge frontline work force was trained as per Pre-Defined guidelines of GoI.

So far HLFPPT has trained more than 19000 ASHAs and 2000 ANM on Non-Communicable Diseases. These trainings were conducted under direct supervision of Govt of India appointed National trainers.

6. Rashtriya Kishore Swasthya Karyakram for developing community based approach of health promotion

To strengthen the adolescent component of the RMNCH+A strategy, HLFPPT has been implementing the programming principles of RKSK (Rashtriya Kishore Swasthya Karyakram) in Barwani & Singrauli districts of Madhya Pradesh. The programme focuses six major areas such as; developing community based approach of health promotion under nutrition, sexual & reproductive health, injuries and violence including gender based violence, non-communicable diseases, mental health and substance misuse. Through Adolescents Health Friendly Clinics based at Community Health Centres and District Hospital, clinical and counselling services are being provided to adolescents with referral mechanism for upgraded services. For school going adolescent, counselling services are being provided through outreach activities. Community based support is being provided through supportive supervision to the trained Sathiya (the name given to Peer Educators in Madhya Pradesh) by the Master Trainers after providing six days comprehensive training on the programmatic areas under RKSK.

7. Operationalizing and Strengthening of Health Facilities

With a view to further improve the quality of health care in terms of clinical care and outreach services, HLFPPT in consultation with BOSCH through its CSR initiative aims to strengthen the services of one PHC at Vatika and one CHC at Bassi in the state of Jaipur, Rajasthan.

The objective of the programme is to improve the overall health and wellbeing of the community and ensuring availability, accessibility, affordability of "Comprehensive Health Care Services" to them. The programme objectives also ensure the up gradation and maintenance of the services /standards of the PHC/CHC in compliance with NQAS and LaQshya.

8. Skill Development Programs- Skilling Youth for a sustainable livelihood

As HLFPPT gained its momentum in skill training, skill development division has expanded its wings across multiple sectors across 16 states and 1 union territory. HLFPPT and its candidates have been chosen time to

अपने पंख फैलाये हैं। एचएलएफपीपीटी और इसके उम्मीदवारों को कुशल इंडिया मिशन की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए समय-समय पर चुन लिया गया है।

एचएलएफपीपीटी को हेल्थ सेक्टर स्किल कौंसिल (एच एस एस सी), कन्स्ट्रक्शन सेक्टर डेवलपमेंट कौंसिल ऑफ इंडिया (सी एस डी सी आई), रीटेलेर्स एसोसियेशन स्किल कौंसिल ऑफ इंडिया (आर ए एस सी आई), टूरिसम & होस्पिटालिटी सेक्टर स्किल कौंसिल (टी एच एस सी), आईटी & आईटी ई एस सेक्टर स्किल कौंसिल, अप्पारल मेड-अप्स & होम फर्नीशिंग सेक्टर स्किल कौंसिल, ब्यूटी & वेलनस सेक्टर स्किल कौंसिल, लॉजिस्टिक्स सेक्टर स्किल कौंसिल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर सेक्टर स्किल कौंसिल, पावर सेक्टर स्किल कौंसिल, प्लबिंग सेक्टर स्किल कौंसिल रबर स्किल डेववलेपमेंड कौंसिल नामक 18 कुशल क्षेत्र परिषदों के साथ संबद्ध किया गया है। एचएलएफपीपीटी संबंधित एस एस सी द्वारा अनुमोदित 74 नौकरी भूमिकाओं/ट्रेडों के अधीन कुशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। वर्तमान में, कुशल विकास प्रभाग, उत्तर प्रदेश कुशल विकास मिशन (यु पी एस डी एम), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एन एस एफ डी सी) और विकलांग व्यक्तियों के विभाग, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय (एम ओ एस जे ई) के लिए सरकारी प्रशिक्षण भागीदार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। एचएलएफपीपीटी को राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) के साथ ज्ञान भागीदार के रूप में भी सम्मानित किया गया है।

एचएलएफपीपीटी केंद्र स्तर के साथ-साथ राज्य स्तर पर डीडीयू जीकेवाई, पीएमकेवीवाई, पीएमएवाई-जी और अन्य कौशल प्रशिक्षण पहल जैसे विभिन्न कुशल विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। वर्तमान में, हम 17 राज्यभर में फैले 100 से अधिक कुशल केंद्रों में 67 कुशल विकास कार्यक्रम लागू कर रहे हैं। एचएलएफपीपीटी ने अब तक 48,000 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है। एचएलएफपीपीटी ने कुशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सीधे कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम के साथ एम ओ यु में हस्ताक्षर किया है। एचएलएफपीपीटी को एन एच एफ डी सी और एन एस एफ डी सी के माध्यम से भारत डायनामिक लिमिटेड, पेट्रोनेट एल एन जी, गेल, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के विभिन्न सी एस आर पहलों से भी सम्मानित किया गया है। विश्व युवा दिवस के अवसर पर एचएलएफपीपीटी के उम्मीदवारों को उत्तम स्किल आइकॉन के रूप में सम्मानित किया गया है। एचएलएफपीपीटी ने कौशल प्रशिक्षण के लिए 10,000 विकलांग व्यक्तियों का लक्ष्य प्राप्त किया है और स्वरोज़गार/मज़दूरी रोज़गार के लिए सहायता प्रदान की है। एचएलएफपीपीटी को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कुशल प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करने के लिए एन आई ई एस बी यु डी द्वारा सम्मानित किया गया है।

9. जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र (डीईआईसी) शिशु स्वास्थ्य और विकलांग बच्चों के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाना।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) प्रारंभिक पहचान और प्रबंधन के जरिए अस्तित्व के परिणाम को सुधार करना और जन्मजात दोष, कमियों, बीमारियों, विकलांग-4 डी सहित विकास में दरियों को सुधार करना और जिला स्तर पर डीईआईसी के जरिए इन ललकारों को पूरा करने के लिए रक्षा, समर्थन एवं चिकित्सा सुनिश्चित करने केलिए, वर्ष 2013 को लॉच किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और एनएचएम, युपी के समर्थन से एचएलएफपीपीटी ने उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में एक उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) डीईआईसी और एक सामान्य डीईआईसी संस्थापित और प्रचालित किया है।

सीओई- डीईआईसी वित्तीय वर्ष 20-21 अब तक कुल फुटफॉल 15096 है, कुल 3291 मामलों का प्रबंधन किया गया है। जिस में 64 कार्डियक केस ओपरेशन किया गया, 28 क्लेफ्ट होंठ एवं तालु ओपरेशन किया गया, 319 दंत क्षय केस में हस्तक्षेप किया गया और संपर्क से 78 रीडिंग ग्लास प्रदान किया गया, 101 ऑर्थोसिस प्रदान किए गए और 54 श्रवण यंत्र प्रदान किए गए।

डीईआईसी गाज़ियाबाद अब तक कुल फुटफॉल 5009 है, कुल 1216 केस का प्रबंधन किया जाता है। जिस में 5 कार्डियक केस ओपरशन किया गया, 4 न्यूरल ट्यूब खराबी ओपरेट किया गया, 36 स्किंट केसों का ओपरेशन किया गया, 3 फांक होंठ एवं तालु का ओपरेशन किया गया, 145 दंत क्षय केस में हस्तक्षेप किया गया और संपके के माध्यम से 54 ऑर्थोसिस प्रदान किया गया और 12 श्रवण यंत्र प्रदान किये गये। अन्य प्रस्तावित डीईआईसी हरियाणा, केरल आदि में स्थित हैं।

10. कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी एस आर) - सभी की भलाई की ओर समग्र दृष्टिकोण ।

वर्तमान में, एच एल एफ पी पी टी ईस्टेर्न कॉलफील्ड्स (ई सी एल), एस्सार ऑयल, सी एल पी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एन टी पी सी), इंडियन ऑयल कॉर्पेरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल), नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (एन एल सी), इंडिया, पी टी सी वित्तीय सेवाएँ (पी एफ एस), न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एन पी सी आई एल), स्नुहाब्रांडिक्स जैसे विविध राष्ट्रीय प्रसिद्ध कंपनियों और मान्यता प्राप्त निगमों के साथ काम कर रहा है। 13 से अधिक सी एस आर परियोजनाओं के साथ एच एल एफ पी पी टी देशभर में सी एस आर भागीदारी के ज़रिए प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा प्रदान करता है। सी एस आर प्रभाग के लिए वर्ष 2020-21 एक और फलदायी वर्ष रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर जिले में एस्सार ऑयल एवं गैस के सीएसआर फंडिंग के अधीन एक मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) शुरू की गई है। आई ओ सी एल ऑयल और पेट्रोलियम जैसे अन्य सार्वजनिक सेवा यूनिटों के साथ काम करते हुए सी एस आर दूर-दराज के क्षेत्रों की सीमांत जनसंख्या पर फोकस करके असम, मेघालया, उत्तराखंड और झारखंड के कठोर इलाकों में एम एम यु प्रारंभ करने के साथ अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाई।

time to highlights the achievements of Skill India Mission.

HLFPPT has been affiliated with 18 skill sector councils namely Health Sector Skill Council (HSSC),Construction Sector Development Council of India (CSDCI),Retailers Association Skill Council of India(RASCI),Tourism & Hospitality Sector Skill Council(THSC),IT &ITeS Sector Skill Council, Apparel Made-ups & Home Furnishing Sector Skill Council, Beauty & Wellness Sector Skill Council, Logistics Sector Skill Council, Electronics and Hardware Sector Skill Council, Power Sector Skill Council, Plumbing Sector Skill Council, Rubber Skill Development Council. HLFPPT is providing skill trainings under 74 job roles/ trades approved by concerned SSC. Presently Skill Development Division has been empanelled as the Government training partner for Uttar Pradesh Skill Development Mission (UPSDM), National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC) and Department of Persons with Disability, Ministry of Social Justice and Empowerment (MOSJE). HLFPPT is also awarded as Knowledge Partner with National Handicapped Finance and Development Corporation (NHFDC).

HLFPPT is undertaking various skill development programmes at Centre Level as well as State Level like DDU GKY, PMKVY, PMAY-G and other skill training initiatives. Currently we are implementing 67 skill development programmes at more than 100 skill centres spread across the 17 states. HLFPPT has trained more than 48,000 candidates till now. HLFPPT has signed MoU with National Scheduled Castes Finance and Development Corporation for the direct implementation of Skill Training Programmes. HLFPPT has been also awarded with various CSR initiatives of Bharat Dynamic Limited, Petronet LNG, GAIL, Central Warehousing Corporation through NHFDC and NSFDC. The candidates of HLFPPT have been awarded as Skill Icon on the occasion of World Youth Skill Day. HLFPPT has received target of 10,000 persons with disability for skill training and has provided assistance for self-employment/ wage employment. HLFPPT has been awarded by NIESBUD to implement skill training programme for transgender community.

9. District Early Intervention Centres (DEIC)- Creating Centre of Excellence for Child Health &Differently abled Children

Rashtriya Bal Swasthya Karyakaram (RBSK) was launched in 2013 to improve survival outcomes through early identification and management of defects at birth, deficiencies, diseases, development delays including disabilities-4Ds and assured link to care, support and treatment to meet these challenges through DEICs at the district level. With support from MoHFW and NHM UP, HLFPPT has established and operationalized one Centre of Excellence (COE) DEIC in District Gautam Budh Nagar and one Normal DEIC in Ghaziabad in Uttar Pradesh.

COE-DEIC Noida till FY20-21, total footfall of 15096, total 3291 cases are managed. Out of which 64 cardiac cases operated, 28 cleft lip and palate operated, 319 Dental caries cases intervened and through liaisoning 78 reading glasses provided, 101 Orthosis provided and 54 Hearing Aids provided.

DEIC Ghaziabad till date total footfall is 5099, total 1216 cases are managed. Out of which 5 cardiac cases operated, 4 Neural tube defect operated, 36 squint case operated, 3 cleft- lip and palate operated, 145 Dental caries cases intervened and through liaisoning 54, Orthosis provided and 12 Hearing aids provided. Other proposed DEICs are located in Haryana, Kerala, etc.

10. Corporate Social Responsibility (CSR) -Holistic Approach toward the Well-Being of All

At present, HLFPPT is working with several national renowned companies and recognised corporations like-Eastern Coalfields (ECL), Essar Oil, CLP India Private Ltd, National Thermal Power Corporation Limited (NTPC), Indian Oil Corporation Ltd. (IOCL), Neyveli Lignite Corporation (NLC) India, PTC Financial Services (PFS), Nuclear Power Corporation India Limited (NPCIL), Spruha Brandix,. With more than 13 CSR projects, HLFPPT is offering Primary Healthcare through CSR Partnerships across the nation. The Year 2020-21 has been another fruitful year for CSR division, as a Mobile Medical Unit (MMU) has been launched under the CSR funding of ESSAR Oil and Gas in Durgapur district of West Bengal. Working with such other Public Service Units like IOCL oil and petroleum, CSR diversified its portfolio with initiating MMU's in hard terrains of Assam, Meghalaya, Uttarakhand and Jharkhand focussing on marginalized population in far-flung areas.

11. मोबाइल मेडिकल यूनिट - स्वास्थ्य रक्षा सेवाएँ उपलब्ध करवाना।

वर्षों से मोबाइल मेडिकल यूनिट (एम एम यु) की अग्रणी परियोजना, एच एल एफ पी पी टी आई ओ सी एल, ई सी एल, एस्सार ऑयल, पी टी सी- पी एफ एस, सी एल पी, एन एल सी, एन टी पी सी, एन पी सी आई एल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन एच एम) - उत्तराखंड, एन एच एम - असम, एन एच एम - मेघालया, एन एच एम - झारखंड, केरल मेडिकल सर्वीस कॉर्पोरेशन जैसे विविध कॉर्पोरेट एवं राज्य सरकारी दाताओं के लिए देशभर में एम एम यु की श्रृंखला का प्रचालन और प्रबंधन कर रही है। एम एम यु का लक्ष्य है दूरदराज तक पहूँच के फोकस के साथ गुणवत्ता स्वास्थ्य रक्षा सेवाओं की पहूँच में सुधार लाना। प्रत्येक एम एम यु डॉक्टर, नर्स, लैब तकनीशियन, फार्मासिस्ट और आउटरीच कार्यकर्ता सहित मेडिकल पेशेवरों की टीम द्वारा संचालित किया जाता है। यह, संचारी रोगों एवं गैर संचारी रोगों के प्रारंभिक नैदानिक निदान, जटिक केसस का रेफरल, प्रेग्नेन्सी का प्रारंभिक निदान, प्रसव पूर्व चेक-अप (ए एन सी), चेक-अप्स, बुनियादी नवजात शिशु रक्षा परिवार कल्याण परामर्श, गर्भनिरोधकों का प्रावधान, यौन संचारित संक्रमण (एस टी आई) की रोकथाम और प्रबंधन, आँख चेक-अप आदि के द्वारा उपचारात्मक और निवारक रक्षा सेवाओं की श्रेणी प्रदान करने के लिए सुसज्जित है। इसके अतिरिक्त, आवश्यकता के आधार पर, स्वास्थ्य रक्षा सेवाओं की एक छतरी के नीचे कई विशेष रक्षा प्रदान करने के लिए विशेष स्वास्थ्य रक्षा कैंप भी आयोजित किए जाते हैं। एम एम यु मरीज़ों को मूल दवाएँ, उपभोग्य सामग्रियों और नैदानिक सुविधाएँ भी प्रदान करते हैं। हाल में, एचएलएफपीपीटी देश भर में 173 से अधिक एम एम यु का प्रचालन कर रहा है।

12. विशेष स्वास्थ्य शिविर सेवाएँ

एच एल एफ पी पी टी ने एन एस के एफ डी सी (राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम) और एन बी सी एफ डी सी (राष्ट्रीय पिछडे वर्ग वित्त एवं विकास निगम) के साथ सहयोग से सफाई कर्मचारियों और दरिद्र पिछडे वर्गों के लिए विशेष रक्षा प्रदान करने की ओर विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया है। इसी प्रकार, प्रत्येक कैंप में औसतन प्रति शिविर 250 प्रतिभागियों की संख्या होती है। प्रत्येक स्वास्थ्य कैंप गैनकोलॉजिस्ट, ई एन टी विशेषज्ञ, डेरमटोलजिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्सक जैसे विशेषज्ञों से मज़बूत किया गया। कैंपों के सफल समापन आँख जाँच के बाद मुफ्त रूप से चश्मे का वितरण, एच आई वी/एड्स स्क्रीनिंग, टी बी स्क्रीनिंग और विभिन्न अन्य प्रकार के रक्त परीक्षण जैसे विभिन्न अन्य सेवाओं सहित एक शामियाने के अधीन हमारे समुदाय के कमज़ोर समूहों को विशेष स्वास्थ्य रक्षा सेवाएँ प्रदान की है। एन बी सी एफ डी सी राज्य चेनलाइजिंग एजेंसी और आर आर बी एस/पी एस बी के माध्यम से गरीबी रेखा सो दोगुने नीचे रहने वाले पिछडे वर्ग के सदस्यों के लाभ के लिए आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एचएलएफपीपीटी के साथ आगे आया। एन बी सी एफ डी सी दो वर्षों के दौरान (2019-2021) पैन इंडिया स्तर पर जी एम सी (जनरल मेडिकल कैंप) और एस एम सी (स्कूल मेडिकल कैंप) जैसे दो प्रकार के मेडिकल कैंपों को आयोजित करने की योजना बनायी है।

13. नंदघर : स्मार्ट अंगनवाडियों को बनाने और संचालित करने का एक पहल

भारत की अग्रणी प्राकृतिक संसाधन कंपनी वेदांता लिमिटेड ने 4,000 अत्याधुनिक आधुनिक अंगनवाडी बनाने के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वेदांता फाउंडेशन का उद्देश्य न केवल बुनियादी ढांचे को उन्नत करके अंगनवाडियों को बदलना है, बल्कि एक एकीकृत मॉडल 'नंदघर' प्रदान करके प्री-स्कूल शिक्षा, महिलाओं के कौशल विकास, पोषण और स्वास्थ्य सेवा के वितरण में भी सुधार करना है। इन नंदघरों में आउटरीच और परिचालन गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए भागीदार एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एचएलएफपीपीटी ने वेदांता फाउंडेशन के सहयोग से उडीषा (कालाहांडी, रायगडा,देंकनाल और गंजम जिला) में 200 नंदघर, कर्नाटक (धारवाड जिला) में 50 नंदघर और असम (जोरहाट जिला) में 5 नंदघरों का संचालन कर रहा है। युपी (अमेठी और वाराणसी जिले) में 345 नंदघर को भी स्मार्ट अंगनवाडी केंद्र के संचालन और रखरखाव के हिस्से के रूप में 21 सितंबर से सम्मानित किया गया है जो वेदांत फाउंडेशन द्वारा सौंपे जाने के आधार पर चरणबद्ध तरीके से चालू होगा। नंदघर का उद्देश्य अंगनवाडी केंद्र (एडब्लियु सी) के पारंपरिक कार्यों तक सीमित रहने का लक्ष्य नहीं रखते हैं, बल्कि ग्रामीण समुदायों के विकास में एक महत्ती भूमिका निभाने में लक्ष्य करते हैं। इसे यथापूर्व स्थिति को बाधित करके भारत में महिला एवं बाल विकास को संभावित रूप से बदलने की दृष्टि से डिज़ाइन किया गया है। नंदघर वर्तमान में उन समुदायों में निम्न सेवाएँ प्रदान करते हैं। 1) 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की शिक्षा 2) 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पोषण आहार 3) नंदघर लाभार्थियों और विस्तार के द्वारा नंदघर डोरस्टेप के स्थानीय समुदाय के लिए स्वास्थ्य रक्षा सेवाएँ 4) सॉफ्ट स्किल, वित्तीय साक्षरता, व्यवसाय विकास और विशेष कुशल प्रशिक्षण सहित ग्रामीण महिलाओं के लिए कुशल एवं उद्यमिता प्रशिक्षण।

14. एचआईवी/एड्स निवारण, रक्षा और समर्थन

क. एसएसीएस को तकनीकी समर्थन प्रदान करना

एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में एचएलएफपीपीटी ने राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी (एसएसीएस) को तकनीकी समर्थन प्रदान करने एसडीजीए के साथ संरेखित और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए तकनीकी सहायता इकाइयों का प्रबंधन किय। एचएलएफपीपीटी 2007 से आंध्रा प्रदेश, तेलुंगाना, मध्यप्रदेश और

11. Mobile Medical Units – Making Healthcare Services Accessible

Pioneering project of Mobile Medical Units (MMU) over the years, HLFPPT is operating and managing a fleet of MMUs across the country for various corporate and state government donors like IOCL, ECL, Essar Oil, PTC – PFS, CLP, NLC, NTPC, NPCIL, National Health Mission (NHM) - Uttarakhand, NHM- Assam, NHM-Meghalaya, NHM Jharkhand, Kerala Medical Service Corporation and Kerala State Road Transport Corporation. The aims of MMUs are to improve the accessibility to quality healthcare services with the focus to reach the unreached. Each MMU is manned by a team of medical professionals, including Doctor, Nurse, Lab Technician, Pharmacist and Outreach Worker. It is equipped to provide range of curative and preventive care services by early clinical diagnosis of communicable diseases and non-communicable diseases; referral of complicated cases; early diagnosis of pregnancy; antenatal check-up (ANC) check-ups; basic new-born care; family planning counselling; provision of contraceptives; Sexual Transmitted Infection (STI) prevention and management, eye check-ups, etc. In addition, on a need basis, special health camps are also organised to provide many specialized care under one umbrella of health care services. MMU also provides basic medicines, consumables, and diagnostics facilities to the patients. Currently, HLFPPT is operationalizing over 173 MMUs across the nation.

12. Special Health Camps Services

The Collaboration of HLFPPT with NSKFDC (National Safai Karamchari Finance Development Corporation) and NBCFDC (National Backward Classes Finance & Development Corporation) has organised specialized health camps to provide range of specialized care for Manual Scavengers (Safai Karamcharis) and poorly served Backward Classes. Similarly, the average footfall in these health camps touches around 250 participants per camp. Every health camp was strengthened by the specialist like Gynecologist, ENT Specialist, Dermatologist, Ophthalmologist and General Physician. Successful completion of these camps brought the specialized health care services to vulnerable groups of our community under one canopy along with various other services like free distribution of spectacles after eye check-up, HIV/AIDS screening, TB Screening and various other types of blood tests. NBCFDC came forth with HLFPPT to meet the objective of promoting economic and developmental activities for the benefit of members of Backward Classes living below double the poverty line through State Channelizing Agency and RRBs/PSBs. NBCFDC plans to organize two types of Medical Camps viz GMC (General Medical Camps) and SMC (School Medical Camps) on PAN India level in the duration of two years (2019-2021).

13. Nand Ghar: An initiative to create and operate smart Anganwadis

Vedanta Limited, India's leading Natural resources company, has signed an MoU with the Government of India to create 4,000 State of the Art modern Anganwadis. Vedanta foundation aim to transform the Anganwadis by not only upgrading the infrastructure, but also improve pre-school education, skills development of women, delivery of nutrition and healthcare by providing an integrated model "Nand Ghar". MoU with the partner agencies has been signed to ensure outreach and operational activities at these Nand Ghars. HLFPPT is operationalizing 200 Nand Ghars in Odisha (Kalahandi, Rayagada, Dhenkanal & Ganjam District), 50 Nand Ghar in Karnataka (Dharwad District) & 5 Nand Ghar in Assam (Jorhat District) with support of Vedanta foundation. The 345 Nand Ghar in UP (Amethi and Varanasi District) also has been awarded from Sep'21 as part of operation and maintenance of smart Anganwadi Center which will be operational in phase manner depending upon the hand over by Vedanta Foundation. Nand Ghars do not aim to be limited by the traditional functions of an Anganwadi center (AWC), but aims at playing a greater role in development of rural communities. It is designed with a vision to potentially transform women and child development in India by disrupting the status quo. Nand Ghars currently provide the following services in the communities it serves: 1) Early childhood education for children 3-6 years of age 2) To have no malnourished children at NandGhars through the provision of nutritious hot-cooked meals served to children 3) To provide primary healthcare at the doorstep for children and women of NandGhar 4) Skill and Entrepreneurship training for rural women including soft skills, financial literacy, business development and skill specific training.

14. HIV/AIDS Prevention, Care and Support

a) Providing Technical Support to SACS

HLFPPT as an implementing agency managed the Technical Support Units to provide Technical Assistance to

छत्तीसगढ में टीएसयू के साथ कार्यान्वयन भागीदारों में से एक के रूप में काम किया है। इसके अलावा 2018 में एचएलएफपीपीटी महाराष्ट्रा में मुंबई और गोवा तमिलनाडु सहित पुदुच्चेरी और उडीशा सहित महाराष्ट्रा में तकनीकी सहायता प्रदान करने केलिए जिम्मेदार है।

एचएलएफपीपीटी भारत के उपर्युक्त 9 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 137 जिलों और 549 कार्यात्मक लक्षित हस्तक्षेप शामिल किया है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एसएसीएस को तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने वाले भारत के 9 राज्यों में 100 से अधिक कर्मचारी हैं।

ख) पीएलएचआईवी को संरक्षण एवं समर्थन प्रदान करना

एचआईवी के साथ रहनेवाले लोगों(पीएलएचआईवी) के अतिजीवन एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, उप-प्राप्तकर्ता के रूप में एचएलएफ पीपीटी वर्ष 2013 से पंजाब एवं राजस्थान राज्य में और वर्ष 2018 से मध्यप्रदेश में विहान कार्यक्रम के अधीन उप-प्राप्तकर्ता द्वारा कार्यान्वित 36 संरक्षण एवं समर्थन केंद्रों (सीएससी) का प्रबंधन कर रहा है। एचएलएफपीपीटी को 1 जनवरी 2020 से तेलंगाना और केरल में एलायंस इंडिया के ज़रिए ग्लोबल फंड के अनुदान के साथ 'भारत में एचआईवी/एड्स(पीएलएचआईवी) के साथ रहनेवाले लोगों के लिए संरक्षण एवं समर्थन सेवाओं के ज़रिए एचआईवी रक्षा में संवर्धित उपचार का पालन एवं प्रतिधारण' की ओर उप-प्राप्तकर्ता के रूप में विहान कार्यक्रम के अधीन 20 सीएससी को प्रबंधन करने के लिए भी सम्मानित किया गया है। यह कार्यक्रम, उच्च जोखिमवाले समूह के सदस्यों, महिलाओं और बच्चों सहित पीएलएचआईवी के उपचार परिणामों में सुधार एवं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय प्रयास के भाग के रूप में संरक्षण एवं समर्थन केंद्रों (सीएससी) और 5 राज्यों में स्थापित करके पीएलएचआईवी के अतिजीवन एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है।

संरक्षण एवं समर्थन केंद्रों (सीएससी) पंजीकृत पीएलएचआईवी को सामाजिक अधिकार एवं सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए परामर्श, रेफरल, आउटरीच सेवाएँ और लिंकेज प्रदान करने के लिए एक व्यापक सुविधा है। अब एचएलएफपीपीटी भारत के 5 राज्यों में 56 सीएससी का प्रबंधन कर रहा है और 2,63,579 पीएलएचआईवी ने सीएससी से सेवाएँ प्राप्त की है और 2,39,472 पीएलएचआईवी 31 मार्च 2020 तक राजस्थान में 17 सीएससी, पंजाब में 8 सीएससी, मध्यप्रदेश में 11 सीएससी, तेलंगाना में 13 सीएससी और केरल राज्य में 7 सीएससी के ज़रिए सक्रिय संरक्षण कर रहे हैं।

ग. पीपीटीसीटी सेवाओं के उदग्रहण के लिए पर्यावरण को सक्षम करना।

अभिभावक से शिशु संचरण (पीपीटीसीटी) सेवाओं के रोकथाम के उदग्रहण को बढ़ाने के लिए, एचएलएफपीपीटी 1 जनवरी 2018 के 31 मार्च 2021 तक के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के 28 जिलों और बिहार राज्य के 38 जिलों में अहाना कार्यक्रम का प्रबंधन कर रहा है। इस परियोजना के तहत, हम, सकारात्मक गर्भवती महिलाओं की प्रारंभिक पहचान और उन्हें पीपीटीसीटी सेवाओं के साथ जोडने के लिए, एएनसी के हिस्से के रूप में गर्भवती महीलाओं के बीच पेरिफेरी स्तर की एचआईवी स्क्रीनिंग को बढावा देकर अभिभावक से शिशु संचरण (पीपीटीसीटी) सेवाओं के रोकथाम के उदग्रहण को बढ़ाने का समर्थन कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान 24,82,138 (65%) गर्भवती महिलाओं ने 38,46,013 के कुल एएनसी पंजीकरण के मुकाबले अपनी एचआईवी स्थिति जानते हैं।

15. क्षय रोग पीपीएसए

निजी क्षेत्रों से टीबी की अधिसूचना बढाने के लिए, एचएलएफपीपीटी को जनवरी 2021 से दिसंबर 2023 तक महाराष्ट्र राज्य के 5 जिलों में टीबी देखभाल कार्यक्रम को निजी प्रदाता सहायता एजेंसी (पीपीएसए) के रूप में प्रबंधित करने के लिए सम्मानित किया गया है। एचएलएफ पीपीटी गुणवत्ता और मुफ्त टीबी देखभाल सेवाओं के लिए निजी स्वास्थ्य क्षेत्र का समर्थन करने के लिए एनटीईपी और निजी स्वास्थ्य रक्षा सिस्टम के बीच इंटरफेस एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है।

एचएलएफपीपीटी महाराष्ट्र राज्य के नागपुर, अकोला,चंद्रपुर, अमरावती और पूणे (ग्रामीण) जिलों में टीबी रोगी अधिसूचना को बढाने के लिए निजी प्रदाताओं के साथ जुडाव को संतृप्त करने में योगदान दे रहा है।

16. दूसरी इन्निंग होम- बुजुर्गों की देखभाल गृह

सामाजिक न्याय विभाग, केरल सरकार एचएलएफपीपीटी के साथ सहयोग से कन्नूर चाल,कोल्लम,मलप्पुरम में 24x7 मॉडल वृद्धाश्रम संचालित कर रही है। यह पुनर्निर्मित घर बुजुर्ग लोगों के लिए जीवंत माहौल, अच्छी स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएँ और बहुत सारी गतिविधियाँ प्रदान करता है। इस परियोजना को **"दूसरी इन्निंग्स होम"** के रूप में ब्रांड किया गया है। यह केंद्र बहुत आवश्यक बुजुर्गों के अनुकूल सेवाएँ प्रदान कर रहा है, जो आसानी से सुलभ स्वीकार्य उपयोगी है और इसके अलावा यह बहुत यूज़र फ्रेंडली है। यह घर सभी प्रमुख क्षेत्रों में रेलिंग समर्थन के साथ आपातकालीन बेल स्विच जैसे अद्वितीय विचार भी प्रदान करता है। आपातकालीन स्विच बेड साइड एवं शौचालयों में भी उपलब्ध कराये जाते हैं,

the State AIDS Control Society (SACS) and to maintain the quality of program implementation in achieving the Goals and objective of the National AIDS Control Programme (NACP) aligned with SDGs. Since 2007 HLFPPT has acted as one of the implementing partners with TSU in Andhra Pradesh, Telangana, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. In addition to that in 2018 HLFPPT is responsible for providing Technical support in Maharashtra including Mumbai & Goa, Tamil Nadu including Pondicherry and Odisha

HLFPPT covers 137 districts and 549 functional Targeted Interventions in the above mentioned 9 State/ UT of India. There are more than 100 personnel in 9 states of India providing technical expertise to the SACS for achieving Goals and Objectives of the National AIDS Control Programme.

b) Providing Care and Support to PLHIVs

To improve the survival and quality of life of People Living with HIV (PLHIV), HLFPPT as a Sub-Recipients has been managing 36 Care and Support Centre (CSCs) implemented by Sub- Sub Recipients (SSR) under Vihaan Programme in Punjab & Rajasthan State from 2013 and in Madhya Pradesh from 2018. HLFPPT has been also awarded to manage 20 CSCs under Vihaan Programme as Sub- Recipient (SR) for “Enhanced treatment adherence and retention in HIV care through Care and Support services for People Living with HIV/ AIDS (PLHIV) in India” grant of the Global Fund through Alliance India in Telangana and Kerala State from 1st January, 2020. This program is being implemented with a key objective of improving the survival and quality of life of PLHIVs by establishing Care & Support Centres (CSCs) in 5 State as part of national effort to improve treatment outcomes and meet the needs of PLHIVs, including those who are members of high-risk groups, women and children.

Care and Support Centre (CSC) is a comprehensive facility for providing, counselling, referral, outreach services and linkages to Social entitlements and Social welfare schemes to the registered PLHIV. Presently, HLFPPT is managing 56 CSCs in 5 States of India and 2, 63, 579 PLHIVs have received the services from CSCs and 2,39,472 PLHIV are in active Care till 31st March, 2021 through the 17 CSCs in Rajasthan, 8 in Punjab and 11 CSCs in Madhya Pradesh, 13 CSCs in Telangana and 7 CSCs in Kerala State.

c) Enabling environment for uptake of PPTCT Services:

To increase the uptake of Prevention of Parent to Child Transmission (PPTCT) services, HLFPPT is managing AHANA Programme in 28 districts of Chhattisgarh and 38 districts of Bihar state w.e.f. 1st January 2018 to 31st March 2021. Under this project, we are advocating to increase the uptake of Prevention of Parent to Child Transmission (PPTCT) services by promoting periphery level HIV screenings among pregnant women as part of ANC, for early identification of positive pregnant women and linking them with PPTCT services. During the financial year 24, 82,138 (65%) pregnant women know their HIV Status against the total ANC registration of 38, 46,013.

15. Tuberculosis PPSA

To increase the TB notification from the Private Sectors, HLFPPT has been awarded to manage the TB Care programme as Private Provider Support Agency (PPSA) in 5 districts of Maharashtra State from Jan’2021 to December’2023. HLFPPT is acting as interface agency between NTEP & Private Healthcare systems for supporting Private Health Sector for quality and free TB Care services.

HLFPPT is contributing to saturate the engagement with private providers to increased TB patient notification in Nagpur, Akola, Chandrapur, Amravati and Pune (Rural) district of Maharashtra State.

16. Second Innings Home: Elderly Care Home

Department of Social Justice, Government of Kerala in collaboration with HLFPPT is operating a 24 x 7 model old age home at Chal in Kannur, Kollam and Malappuram. The renovated home gives lively ambience, good health care facilities, and lots of activities to engage elderly people. The project has been branded as “Second Innings Home”. This centre is providing much needed elderly friendly services, which are easily approachable, usable and moreover it is very user friendly. The home also provides unique ideas like emergency bell switches, along with railing support in all key areas. Emergency switches are also made available at bed side and toilets

ताकि आपातकालीन स्थिति में समर्थन स्टाफ बेहतर सहायता प्रदान कर सके। अन्य बुजुर्गों के अनुकूल सुविधाओं में पुस्तकालय सह वाचनालय, लैब सुविधाएँ, फार्मेसी, योगा कक्ष, समूह भोजन के लिए भोजनालय, छोटा व्यायामशाला आदि शामिल हैं। इस प्रकार, परियोजना सक्रिय दैनिक जीवन और खुशी के आधार पर एक चिकित्सकीय घर की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों द्वारा संचालित है। इन घरों में फूलदान बनाने, सिलाई आदि गतिविधियों में बुजुर्ग निवासियों को शामिल करने के लिए एक छोटी कौशल प्रयोगशाला भी स्थापित की गयी है। सामाजिक कार्यकर्ता हर महीने इन घरों में 'इच्छा सूची' तैयार करेगा और सूची के अनुसार कार्यक्रमों की व्यवस्था करेंगे।

इसी तरह कोषिक्कोड़ जिले के चेंकोट्टुकावु ग्राम पंचायत में एक बुजुर्ग डे केयर होम भी संचालित होता है। यह सुविधा "सायमप्रभा होम" के नाम से जाना जाता है।

17. तेजोमया - पोस्को उत्तरजीवियों के पुनर्वास की एक पहल

महिला और बाल विकास विभाग, केरल ने लैगिंग उत्पीडन पीडितों के पुनर्वास की दृष्टि से, ' तेजोमया' नामक एक परियोजना शुरू की और एचएलएफपीपीटी को घर चलाने का काम सौंपा गया है। घर में 19 निवासी रहते हैं। ये निवासी जीविका के लिए कौशल विकास गतिविधियों के साथ-साथ अंतर व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए गतिविधियों में विविधता लानेवाली विभिन्न गतिविधियों में लगे हुए हैं।

तेजोमया का दृष्टिकोण निवासियों को लैगिंग उत्पीडन के आघात से उबरने के लिए तैयार करना और उन्हें सिलाई, मुर्गी पालन और बेकिंग जैसे विभिन्न संभावित क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करके एक स्थायी जीविका के लिए तैयार करना है। सिलाई प्रशिक्षण प्रगति पर है और अब वे व्यक्तिगत ऑर्डर के साथ-साथ थोक ऑर्डर को संभालन में सक्षम हैं। साथ ही मुर्गी पालन का प्रशिक्षण दिया गया है और अब अंडों की व्यावसायिक बिक्री शुरू कर दी गई है। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुनिश्चित किया जाएगा कि निवासियों को अपने उत्पादों के व्यावसायीकरण का प्रशिक्षण दिया जाए और साथ ही विपणन की बारीकियाँ भी सिखाई जाएं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद भी पूरे समय समर्पित परामर्श सुनिश्चित किया जाता है।

पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम छात्रों को स्वयं व्यावसायिक उपक्रमों का प्रबंधन और संचालन करने में सक्षम बनाएगा। इसलिए चयनित निवासियों द्वारा स्वयं सहायता समूह बनाने का प्रस्ताव किया है। उत्पादों की बिक्री के माध्यम से उनके द्वारा प्राप्त लाभ को उनके स्वयं के उद्यम शुरू करने के लिए बीज पूँजी के रूप में माना जाएगा, जो व्यवहार्यता के आधार पर एक संयुक्त उद्यम या व्यक्तिगत उद्यम हो सकता है।

18. पुण्य भवनः मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए आदर्श गृह

पुण्यभवन, जिसे पहले (मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए गृह (एचएमडीसी)) के रूप में जाना जाता था, मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के पुनर्वास के उद्देश्य से उन्हें चिकित्सा देखभाल, जीवन कौशल के लिए प्रशिक्षण, दैनिक जीवन की गतिविधियों, विशेष शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित एक बहुआयामी जीवन शैली प्रदान करके बनाया गया है। सामाजिक न्याय विभाग, केरल सरकार द्वारा प्रबंधित संगठन अब एचएलएफपीपीटी द्वारा चलाया जाता है।

एचएलएफपीपीटी निवासी बच्चों की भलाई में सकारात्मक योगदान दे रहा है, जहाँ चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक और विशेष शिक्षकों की एक विशेषज्ञ टीम द्वारा विशेष ध्यान और देखभाल दी जाती है। बागबानी, गमले बनाना, पेपर पेन बनाना आदि गतिविधियों द्वारा निवासियों को आकर्षित करने के लिए घर में एक कौशल प्रयोगशाला भी स्थापित की है।

निवासी बच्चों के व्यावहारिक कौशल को बढाने और उन्हें जीविका के लिए सज्जित करने के लिए 'आला' नामक एक पहल शुरू की गई है। इसमें मिट्टी के बर्तनों, पेंटिंग, कॉफी बनाना आदि का प्रशिक्षण शामिल है।

19. आउटरीच क्लिनिक

एचएलएफपीपीटी महिला और बाल विकास विभाग के अधीन 8 कल्याण घरों और सामाजिक न्याय विभाग, केरल सरकार के अधीन 5 घरों के निवासियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक परियोजना सफलतापूर्वक कर रहा है। यह परियोजना छोटी बीमारियों की इलाज, प्राथमिक सहायता के लिए प्रावधान, संक्रामक और गैर-संक्रामक बीमारियों के प्रारंभिक क्लिनिकल निदान, ए एन सी जाँच, शिशु रक्षा, एस टी आई रोकथाम एवं प्रबंधन, आँख जाँच आदि जैसे निवारक और उपचारात्मक सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, आवश्यकता के आधार पर, समुदाय को विशेष सेवाएँ तथा विशेष नैदानिक सेवाएँ भी प्रदान करती हैं। अब तक, इस परियोजना ने 3280 ओ पी डी सेवाएँ और 1565 लैब परीक्षण प्रदान किए हैं।

so that in case of emergency situation, the support staff may provide better assistance. Other elderly friendly facilities include library cum reading room, laboratory facility, pharmacy, yoga room, food court for group dining, mini gymnasium etc. Thus, the project envisages a therapeutic home based on active daily living and happiness. The project is manned by Social Workers and Health Care Professionals. These homes have also set up a small skill lab to engage elderly residents in activities like flower pot making, tailoring etc. Every month the Social Worker will prepare the "Wish List" in these homes and arrange programs according to the list.

In similar fashion an elderly day care home also operates at Chenckottukavu Gramapanchayth in Kozhikode district. This day care facility is branded as "Sayamprabha Home".

17. Thejomaya: An initiative of rehabilitation of POSCO survivors

Department of Women and Child Development, Kerala, with a vision to rehabilitate sexual assault victims, initiated a project named "Thejomaya" and HLFPPT is entrusted with running the home. The home accommodates 19 residents. These residents are engaged in various activities diversifying from skill development activities for livelihood as well as activities for intrapersonal and social development.

The vision of Thejomaya is to prepare the residents to overcome the trauma of sexual assault and equip them for a sustainable livelihood by providing them training in various potential areas like stitching, poultry farming and baking. The stitching training is progressing and now they are capable of handling individual orders as well as bulk orders. Also poultry farming training has been given and now commercial sale of eggs have been started. All training programmes will be ensured that residents are given training on commercializing their products as well as nuances of marketing are taught. Dedicated mentorship is ensured throughout even after the training programme.

The full fledged training programme will make the students capable to manage and run business ventures of their own. Hence , it is proposed to form self help groups by selected inmates. The profit gained by them through selling the products will be treated as seed capital to commence their own ventures, which can be a joint venture or individual ventures, depending on the feasibility.

18. Punnya Bhavan: Model Home for Mentally Challenged Children

Punya Bhavan, formerly known as (Home for Mentally Disabled Children(HMDC)) , has been formed with the aim of rehabilitation of mentally challenged children by providing them a multi-faceted lifestyle including medical care, training for life skills, activities of daily living, special education and vocational training . The organization which is managed by Social Justice Department, Government of Kerala is now run by HLFPPT.

HLFPPT has been positively contributing to the wellbeing of resident children, where special attention and care is given by an expert team of therapists, psychologist and special educators. The home has also set up a skill lab for engaging residents by activities like gardening, pot making, paper pen making etc.

To enhance the motor skills of resident children and equipping them for livelihood an initiative named "AALA" has been launched. This includes training in pottery, painting, coffee making etc.

19. Outreach Clinics

HLFPPT has been successfully implementing a project to provide medical aid to the residents of 8 welfare homes under Women and Child Development Department and 5 homes under Social Justice Department, Govt. of Kerala. This project provides a range of preventive and curative services like treatment for minor ailments, provision of first aid, early clinical diagnosis of communicable and non-communicable diseases, ANC Check-up, child care, STI prevention and Management, eye check-ups etc. In addition, on need basis, specialist services as well as specialized diagnostic services are also providing to the community. So far this project has provided 3280 OPD services and 1565 lab tests.

कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

अभिशासन की संहिता पर कंपनी का दर्शन

आपकी कंपनी प्रारंभ से अनुकरणीय अभिशासन मानकों के लिए प्रसिद्ध हैं और पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और अखण्डता पर अपना ज़ोर समर्पित करना जारी रखती है। कंपनी नैतिक मूल्यों का पालन करने और इसके द्वारा ग्राहक, कर्मचारी, निवेशक और बडे पैमाने पर समाज सहित सभी हितधारकों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने में भी प्रतिबद्ध है। कंपनी द्वारा अभिस्वीकृत कॉर्पोरेट अभिशासन नीतियों का मूल लक्ष्य पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और अखंडता का उच्चतम स्तर का प्राप्त करना है। यह लक्ष्य सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर मार्गनिर्देश के अनुपालनार्थ मात्र ही नहीं, बल्कि कार्यपद्धतियों और प्रणालियों को समाविष्ट करके उसके परे भी जाना है, जो कॉर्पोरेट अभिशासन के उत्तम प्रथा के अनुसार है। कंपनी सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देश विधिपूर्वक पालन कर रही है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2014 के प्रभाव से कंपनी अधिनियम 2013 के अधिकांश प्रावधानों को बना दिया है। नया अधिनियम, देश में कॉर्पोरेट अभिशासन व्यवस्था को मज़बूत करने की ओर एक सकारात्मक कदम है। आपकी कंपनी पहले ही नए कानून के अधीन प्रावधान किए गए अधिकांश अभिशासन अपेक्षाओं का पर्याप्त अनुपालन कर रही है।

कंपनी के कॉर्पोरेट अभिशासन नीतियाँ एवं प्रथाएँ निम्नलिखित सिद्धांतों पर फोकस करती हैं :

1) बोर्ड और प्रबंधन से संबंधित भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को पहचानना।
2) प्रकटीकरण स्तर के उच्च स्तरों को बनाये रखते हुए पारदर्शिता के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना।
3) इसकी कार्य पद्धति में उच्च नैतिक मानकों को सुनिश्चित करना और बनाये रखना।
4) जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण की मज़बूत पद्धति सुनिश्चित करना।
5) यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी के कर्मचारी कॉर्पोरेट मूल्यों को स्वीकार करते हैं और उनको अपने व्यवहार में लागू करते हैं।
6) यह सुनिश्चित करना कि निर्णय बनाने की प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शक है।
7) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी वैश्विक रूप से स्वीकृत कॉर्पोरेट अभिशासन पद्धतियों का अनुसरण करती है ।

आपकी कंपनी में अनुसरण करने वाले कॉर्पोरेट अभिशासन पद्धतियों के संक्षिप्त विवरण नीचे दिये जाते हैं।

1. मंडल के आकार और बनावटः

मंडल की संरचना, व्यावसायिकता, ज्ञान और अनुभव के सर्वोत्तम मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती है और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए बोर्ड को सक्षम बनाता है और व्यवसाय के लिए प्रभावी नेतृत्व प्रदान करता है। आपकी कंपनी एक सरकारी उपक्रम होने से, सभी निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ज़रिए किया जाता है। मंडल में कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशकों का उचित मिश्रण है। कंपनी के संस्था के अंतर्नियम यह विनिर्धारित करता है कि निदेशकों की संख्या तीन (3) से कम नहीं और दस (10) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कंपनी निदेशक मंडल की वर्तमान शक्ति सात (7) है

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले दो (2) आधिकारिक निदेशक
- एक (1) स्वतंत्र निदेशक और
- चार (4) कार्यात्मक निदेशक - यानी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (तकनीकी एवं प्रचालन), निदेशक (विपणन) और निदेशक (वित्त) शामिल हैं।

बोर्ड के सात (7) निदेशकों से एक(1) महिला निदेशक है। मंडल की संरचना काफी हद तक सार्वजनिक उद्यम विभाग,भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निगमित अभिशासन के दिशानिर्देशों के अनुसार है।

31 अगस्त, 2021 तक के निदेशक मंडल की बनावट नीचे दी जाती है। निदेशकों में कोई भी सार्वजनिक कंपनियों के 10 से अधिक बोर्ड स्तरीय समितियों के सदस्य नहीं रहे हैं, जिन में वे ऐसी पाँच समितियों से अधिक में या तो निदेशक हैं या अध्यक्षता नहीं संभालते हैं।

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

The Company's philosophy on Code of Governance

Your Company is renowned for exemplary governance standards since inception and continues to devote its emphasis on transparency, accountability and integrity. The Company is committed to adhere to the ethical values and thereby ensures fairness to all stakeholders including customers, employees, investors and society at large. The basic objective of Corporate Governance policies adopted by the Company is to attain the highest levels of transparency, accountability and integrity. This objective extends not merely to complying with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the Department of Public Enterprises, but also to go beyond them by putting in place procedures and systems, which are in accordance with the best practices of Corporate Governance. The Company has been methodically following the Guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises.

The Ministry of Corporate Affairs had made the majority of the provisions of the Companies Act, 2013 effective from 1st April, 2014. The new Act is a positive step towards strengthening corporate governance regime in the country. Your Company is already in substantial compliance with most of the governance requirements provided under the new law.

The Company's Corporate Governance policies and practices focus on the following principles:

1. To recognize the respective roles & responsibilities of the Board and Management.
2. To achieve the highest degree of transparency by maintaining a high degree of disclosure levels.
3. To ensure and maintain high ethical standards in its functioning.
4. To ensure a sound system of risk management and internal controls.
5. To ensure that employees of the Company subscribe to the corporate values and apply them to their conduct.
6. To ensure that the decision making process is fair and transparent.
7. To ensure that the Company follows globally recognized corporate governance practices.

A brief description of the Corporate Governance practices followed in your Company is given below.

1. SIZE AND COMPOSITION OF BOARD:

The composition of the Board represents an optimal mix of professionalism, knowledge and experience and enables the Board to discharge its responsibilities and provide effective leadership to the business. Your Company, being a Government Undertaking, the appointment/nomination of all the Directors is done by the President of India, through the Ministry of Health & Family Welfare. The Board has an appropriate mix of executive and non-executive Directors. The Articles of Association of the Company stipulates that the number of Directors shall not be less than three (3) and not more than ten (10).

The present actual strength of Board of Directors of the Company is Seven (7) comprising

- Two (2) official Directors representing the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India
- One (1) Independent Director and
- Four (4) Functional Directors namely Chairman & Managing Director, Director (Technical & Operation), Director (Marketing), and Director(Finance)

Among the Seven (7) directors there is one (1) woman director on the Board. The composition of the Board is substantially in line with the Guidelines on Corporate Governance issued by the Department of Public Enterprises, Government of India.

The Composition of the Board of Directors as on 31st August, 2021 is given below. None of the Directors are member of more than 10 Board level Committees of public companies in which they are Directors nor holds chairmanship in more than five such committees.

क्रम. सं.	निदेशक का नाम	निदेशक की श्रेणी	संभाले अन्य निदेशकशिप की संख्या	अन्य कंपनियों में मंडल समिति के अध्यक्षता / सदस्यता की संख्या
1.	श्री के बेजी जोर्ज आई आर टी एस	अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक	5	शून्य
2.	डॉ.धर्मेन्द्र एस गंगवार आई ए एस	सरकार नामित निदेशक	4	शून्य
3.	डॉ.मनदीप के भंडारी आई ए एस	सरकार नामित निदेशक	1	शून्य
4.	श्री ई.ए.सुब्रमण्यन	निदेशक (तकनीकी एवं प्रचालन)	1	शून्य
5	श्री टी.राजशेखर	निदेशक (विपणन)	1	शून्य
6	डॉ.गीता शर्मा	निदेशक (वित्त)	4	शून्य
7.	डॉ.पी.विजयचंदर रेड्डि	गैर-शासकीय अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	0	शून्य

निदेशक मंडल कंपनी के अच्छा अभिशासन, सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं। बोर्ड के भूमिका, कार्यकलाप, उत्तरदायित्व और जवाबदेही स्पष्ट रूप से निर्धारित किये गये हैं। मंडल अपने प्रत्ययी जिम्मेदारियों का निर्वहन अपनी स्ट्रैटेजिक पर्यवेक्षण करने में स्वायत्तता और स्वतंत्रता के साथ करता है और सुनिश्चित करता है कि प्रबंध नैतिकता, पारदर्शिता और प्रकटीकरण के उच्चतम मानकों का अनुसरण करता है। गैर कार्यपालक निदेशकों सहित मंडल के हर सदस्य को कंपनी से संबंधित किसी भी जानकारी का पूर्ण पहूँच है।

2. बैठक और हाजिरी

जहाँ तक संभव है बैठक की नोटीस और कार्यसूची नोट निदेशकों को पहले से ही परिचालित किए जाते हैं। समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, 19 जून, 2020, 18 सितंबर, 2020, 21 अक्तूबर, 2020, 6 नवंबर 2020 और 3 फरवरी 2021 को पाँच बोर्ड बैठकें आयोजित की गयीं।

मंडल बैठक और गत वार्षिक सामान्य बैठक की हाज़िरी सूचना नीचे दी जाती है।

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित मंडल बैठकों की संख्या	2020-21 के दौरान बैठक की हाजिरी	
		मंडल बैठक	गत ए जी एम
श्री के बेजी जोर्ज आई आर टी एस	5	5	जी हाँ
डॉ.धर्मेंद्र एस गंगवार आई ए एस	5	5	जी हाँ
डॉ.मंदीप के भंडारी आई ए एस	4	5	जी हाँ
श्री ई.ए.सुब्रमण्यन	5	5	जी हाँ
श्री टी.राजशेखर	5	5	जी हाँ
डॉ.गीता शर्मा	5	5	जी हाँ
डॉ.पी.विजयचंदर रेड्डि	5	5	जी हाँ

3. निदेशकों का पारिश्रमिक

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार सार्वजनिक उद्यम चयन विभाग द्वारा चयन की उचित प्रक्रिया पूरी होने के बाद अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति करती है। सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा उनके निदेशकशिप के पारिश्रमिक और शर्त व निबंधन के निर्णय लिए जाते हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों को पाँच वर्षों की अवधि के लिए या उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहला है, नियुक्त किए जाते हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गैर सरकारी अंशकालिक स्वतंत्र निदेशकों को भी तीन वर्षों की अवधि केलिए नियुक्त किया जाता है और बोर्ड और बोर्ड द्वारा नियुक्त उप समितियों की प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहने केलिए रु 10,000/- का बैठक शुल्क प्रदत्त किए जाते हैं।

Sl. No.	Name of the Director	Category of Director	No. of Other Director-ship held	No. of membership / Chairmanship of Board Committee in other companies
1	Shri. K Beji George IRTS	Chairman and Managing Director	5	Nil
2	Dr. Dharmendra S Gangwar IAS	Government Nominee Director	4	Nil
3	Dr. Mandeep K Bhandari IAS	Government Nominee Director	1	Nil
4	Shri E A Subramanian	Director (Technical & Operations)	1	Nil
5	Shri T. Rajasekar	Director (Marketing)	1	Nil
6	Dr Geeta Sharma	Director (Finance)	4	Nil
7	Dr P Vijayachander Reddy	Non official part Time Director (Independent Director)	0	Nil

The Board of Directors plays a primary role in ensuring good governance and smooth functioning of the Company. The Board's role, functions, responsibility and accountability are clearly defined. The Board acts with autonomy and independence in exercising its strategic supervision, discharging its fiduciary responsibilities and ensuring that the management observes the highest standards of ethics, transparency and disclosure. Every member of the Board, including the Non-Executive Directors, has full access to any information related to the Company.

2. MEETING AND ATTENDANCE

The Notice and Agenda notes of the Meetings are circulated to the Directors as far as possible well in advance. During the financial year under review, five Board meetings were held on 19th June 2020, 18th September 2020, 21st October 2020, 6th November 2020, and 3rd February, 2021.

Information of attendance at the board meetings and the last annual general meeting is given below:

Name of the Director	No. of Board Meetings held during the tenure	Attendance of Meetings during 2020-2021	
		Board Meetings	Last AGM
Shri K Beji George IRTS	5	5	Yes
Dr. Dharmendra S Gangwar IAS	5	5	Yes
Dr. Mandeep K Bhandari IAS	4	5	Yes
Shri E A Subramanian	5	5	Yes
Shri T. Rajasekar	5	5	Yes
Dr. Geeta Sharma	5	5	Yes
Dr P Vijayachander Reddy	5	5	Yes

3. REMUNERATION OF DIRECTORS

Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW), Government of India appoints Chairman & Managing Director and the other Functional Directors after the due process of selection is completed by Public Enterprises Selection Board. The remuneration and terms and conditions of their directorship are decided by Department of Public Enterprises. The Chairman & Managing Director and the Functional Directors are appointed for a period of five years or till the date of their superannuation or until further orders, whichever is earlier.

Non-official part-time Independent Directors are also appointed by the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India for a period of three years and are paid a sitting fee of ₹10,000/- for attending each meeting of the Board and the Board appointed Sub Committees.

4. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (नियुक्ति एवं प्रबंधकीय कार्मिकों की पारिश्रमिक) नियम 2014 जो 1 अप्रैल 2014 को लागू हुआ है, निदेशक मंडल ने निम्नलिखित निदेशकों/कार्यपालकों को कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (के एम पी) के रूप में पारिश्रमिक सहित नियुक्ति के उनके वर्तमान शर्त व निबंधन पर नियुक्त किया है:

1.	श्री के बेजी जोर्ज आई आर टी एस	-	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री ई.ए.सुब्रमण्यन	-	निदेशक (तकनीकी एवं प्रचालन)
3.	श्री टी.राजशेखर	-	निदेशक (विपणन)
4.	डॉ.गीता शर्मा	-	निदेशक (वित्त)
5.	श्री संतोष चेरियान	-	मुख्य वित्तीय अधिकारी & वरिष्ठ उपाध्यक्ष (वित्त) प्रभारी
6.	श्री जयकृष्णन.ए.आर	-	कंपनी सचिव एवं सह उपाध्यक्ष (सी ए एस)

5. कंपनी नीतियाँ

संबंधित पार्टी लेन-देन को निपटने की नीति

कंपनी संबंधित पार्टी लेन-देन को निपटने पर, कंपनी अधिनियम 2013 और कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसके अधिकार) नियम, 2014 के सभी संगत प्रावधानों का अनुसरण करती है।

नामांकन और पारिश्रमिक नीति

एचएलएल एक सरकारी कंपनी रहने से निदेशकों को नियुक्त करने और उनके पारिश्रमिक तय करने का अधिकार भारत सरकार के साथ निहित है। कंपनी निदेशकों की पारिश्रमिक नीतियों के संबंध में डी पी ई मार्गनिर्देशों के अधीन शासित किया जाता है। कंपनी ने इस संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित संगत मार्गनिर्देशों के साथ अनुपालन किया था।

6. बोर्ड चार्टर

कंपनी के न्यासी के रूप में बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के पास उपलब्धि के लिए स्पष्ट उद्देश्य और नीतियाँ हैं, जो कंपनी के दृष्टिकोण और लक्ष्य के अनुरूप हैं । बोर्ड स्ट्राटेजिक निर्देश प्रदान करता है, कॉर्पोरेट निष्पादन की समीक्षा करता है, स्ट्राटेजिक निर्णयों को अधिकृत और अनुवीक्षण करता है, विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करता है और पणधारियों की हित की सुरक्षा करता है । निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल द्वारा कंपनी में अभिस्वीकृत बोर्ड चार्टर का पालन करता है, जो कंपनी के निदेशक मंडल और उसके प्राधिकरणों का प्रत्यायोजन के कर्तव्य, संरचना, उत्तरदायित्व और प्रचालन और उसके प्राधिकार के प्रत्यायोजन को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है।

7. व्यवसाय आचरण संहिता और आचार नीति

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने मंडल सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचरण संहिता और नैतिकता निर्धारित की है। सभी मंडल सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध कार्मिकों ने वर्ष 2020 - 21 के दौरान आचरण संहिता के साथ अनुपालन करने की पुष्टि की है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित इस प्रभाव की घोषणा नीचे दी गयी है।

सेवा में

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड की पणधारी को

विषय : आचरण संहिता और नैतिकता का अनुपालन

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि सभी मंडल सदस्य और वरिष्ठ प्रबंध कार्मिकों ने निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए आचरण संहिता के साथ अनुपालन की पुष्टि की है ।

ह./-

के बेजी जोर्ज आई आर टी एस

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

31 मार्च, 2021

तिरुवनंतपुरम

4. APPOINTMENT OF KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Pursuant to the provisions of Section 203 of Companies Act 2013 read with Companies (Appointment Remuneration of Managerial Personnel) Rules 2014, which have come into force from 1st April, 2014 the Board of directors has appointed the following Directors/Executives as the Key Managerial Personnel (KMPs) of the Company on their existing terms & conditions of appointment, including remuneration:

1.	Shri K Beji George IRTS	-	Chairman & Managing Director
2.	Shri EA Subramanian	-	Director (Technical &Operation)
3.	Shri T Rajasekar	-	Director(Marketing)
4.	Dr. Geeta Sharma	-	Director(Finance)
5.	Shri Santhosh Cherian	-	Chief Financial Officer & Senior Vice-President(Finance)(i/c)
6.	Shri Jaikrishnan A R	-	Company Secretary &Associate Vice-President(CAS)

5. COMPANY POLICIES

Policy on dealing with Related Party transactions:

The Company strictly follows all relevant provisions in the Companies Act, 2013 and the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 on dealing with Related Party transactions.

Nomination and Remuneration Policy:

HLL being a Government Company, the power to appoint Directors and to fix their remuneration vests with Government of India. The Company is governed under DPE Guidelines regarding the Remuneration Policies of Directors. The Company had complied with the relevant guidelines prescribed by the Department of Public Enterprises in this regard.

6. BOARD CHARTER

As Trustees of the Company, the Board ensures that the Company has clear goals and policies for achievement which are in alignment with the Vision and Mission of the Company. The Board provides strategic directions, reviews corporate performance, authorizes and monitors strategic decisions, ensures regulatory compliances and safeguards interest of stakeholders. The Board of Directors adhere to the Board Charter adopted by the Board of Directors, which clearly sets out the role, structure, responsibilities and operation of Company's Board of Directors and its delegation of authority.

7. CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS

The Board of Directors of your Company has laid down a Code of Conduct and Ethics for the Board Members and Senior Management of the Company. All Board Members and Senior Management personnel have affirmed compliance with the Code of Conduct during the year 2020-21. A declaration to this effect signed by the Chairman & Managing Director is provided below.

To
The Stakeholders of HLL Lifecare Limited

Sub: Compliance with Code of Conduct and Ethics

I hereby declare that all the Board Members and Senior Management Personnel have affirmed compliance with the Code of Conduct as adopted by the Board of Directors.

Sd/-

K Beji George IRTS
Chairman and Managing Director

31st March, 2021
Thiruvananthapuram

8. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, एचएलएल के बोर्ड पर केवल एक स्वतंत्र निदेशक था। तदनुसार, स्वतंत्र निदेशक की बैठक आयोजित करना संभव नहीं था।

9. सेक्रेटेरियल स्टैंडेर्स

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान केंद्र सरकार ने निदेशक मंडल की बैठक के महत्वपूर्ण पहलुओं पर सेक्रेटेरियल स्टैंडेर्स (एस एस -1) और सामान्य बैठक पर सेक्रेटेरियल मानकों (एस एस-2) का अनुमोदन दिया। ये मानक 1 जुलाई, 2015 के प्रभाव से लागू हो गये। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा इन मानकों का अनुपालन अनिवार्य है। तदनुसार, आपकी कंपनी ने दोनों मानकों का अनुपालन किया है। एस एस -1 और एस एस -2 निदेशक मंडल की बैठक, समितियों की बैठक, सामान्य बैठक और इससे संबंधित अन्य मामलों के आयोजन और संचालन करने के लिए सिद्धांतों को निर्धारित करते हैं।

10. लेखांकन व्यवहार का प्रकटीकरण

कंपनी ने 'इंड ए एस' के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय विवरण तैयार किया है। ।

11. मंडल की समितियाँ

मंडल की समितियाँ अपने अभिशासन संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने और प्रत्यायोजित प्राधिकरण के भीतर सूचित निर्णयों को लेने के लिए गठित की गयी है। अच्छे अभिशासन प्रथा के भाग के रूप में, कंपनी की समितियाँ बोर्ड के औपचारिक अनुमोदन के साथ गठित की जाती हैं और सदस्यों की नियुक्ति एवं विचारार्थ विषय का स्थायीकरण/समितियों की भूमिका निदेशक मंडल द्वारा किये जाते हैं। जब कभी आवश्यक हो, समितियाँ विभिन्न मामलों पर मंडल के लिए विशिष्ट सिफारिशें भी देती हैं। समितियों के सभी अवलोकन, सिफारिशें और निर्णय, सूचनार्थ या अनुमोदन के लिए मंडल के समक्ष रखे जाते हैं।

कंपनी ने अब निम्नलिखित समितियाँ स्थापित की हैं, यानीः

1. लेखापरीक्षा समिति
2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति
3. कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति
4. रणनीति सूत्रीकरण और निवेश समिति

11.1 लेखापरीक्षा समिति

कंपनी के कॉर्पोरेट अभिशासन तंत्र के मुख्य स्तंभों में एक है बोर्ड स्तर पर लेखापरीक्षा समिति, कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया की अखण्डता के विश्वास को बढाने का लक्ष्य करती है और यह लेखापरीक्षकों और निदेशक मंडल के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है।

11.1.1 31.3.2021 तक की संरचना

लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क) डॉ.विजयचंदर रेड्डि, स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष)

ख) निदेशक (तकनीकी एवं प्रचालन)

ग) निदेशक (विपणन)

लेखापरीक्षा समिति में एक और स्वतंत्र निदेशक की अनुपस्थिति में ऊपर पुनर्गठित जैसे लेखापरीक्षा समिति की संरचना कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा नहीं करेगी । इसलिए, सरकार द्वारा दो रिक्त पदों की ओर अधिक स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त किये जाने पर कंपनी पुनः लेखापरीक्षा समिति पुनर्गठित करेगी ।

11.1.2. लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित मामलों की समीक्षा करती हैं:

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय में शामिल हैं :

i) कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति के शर्तों के लिए सिफारिश;

ii) लेखापरीक्षकों के स्वतंत्रता और निष्पादन, और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और अनुवीक्षण;

iii) वित्तीय विवरण की परीक्षा और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट;

iv) संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी के लेनदेनों का अनुमोदन या कोई भी आगामी संशोधन;

8. INDEPENDENT DIRECTORS' MEETING

During the year under review there was only one Independent Director on the Board of HLL. Accordingly, it was not possible to hold Independent Director's meeting.

9. SECRETARIAL STANDARDS

The Central Government has issued the Secretarial Standards on Meetings of the Board of Directors (SS-1) and Secretarial Standards on General Meetings (SS-2). These Standards came into force on 01st July 2015. Adherence by the Company to these Standards is mandatory as per the provisions of the Companies Act, 2013. Accordingly, your Company has complied with both the Standards. The SS 1 and SS 2 prescribes a set of principles for convening and conducting the Meetings of the Board of Directors, meetings of Committees, General Meetings and such other matters related thereto.

10. DISCLOSURE OF ACCOUNTING TREATMENT

The Company has prepared the financial statements for the year 2020-21 in accordance with the IND AS.

11. COMMITTEES OF THE BOARD

The Board Committees play a crucial role in the governance structure of the Company and have been constituted to focus on specific areas and make informed decisions within the authority delegated. As a part of good governance practice, the Committees of the Company are constituted with the formal approval of the Board and appointment of members and fixing of terms of reference/role of the Committees done by the Board of Directors. The Committees also make specific recommendations to the Board on various matters whenever required. All observations, recommendations and decisions of the Committees are placed before the Board for information or for approval.

The Company has currently established following committees, namely:

1. Audit Committee
2. Nomination and Remuneration Committee
3. CSR Committee
4. Strategy Formulation & Investment Committee

11.1 Audit Committee

Audit Committee at the Board level is one of the main pillars of Corporate Governance mechanism of the Company. Audit Committee aims to enhance the confidence in the integrity of Company's financial reporting, Internal control processes and act as a link between the Auditors and Board of Directors.

11.1.1 Composition as on 31.3.2021

The Audit committee comprises the following members.

a) Dr Vijayachander Reddy, Independent Director (Chairperson)
b) Director (Technical & Operations)
c) Director (Marketing)

In the absence of one more Independent Director on the Audit Committee, the composition of the Audit Committee as provided above will not satisfy the requirements stipulated by the Companies Act, 2013. Therefore, the Company will again reconstitute the Audit Committee as and when more Independent Directors are appointed by the Government against the two vacant positions.

11.1.2 Audit Committee reviews the following matters:

The terms of reference of the Audit Committee includes:

i) Recommendation for appointment, remuneration and terms of appointment of auditors of the company;
ii) Review and monitor the auditor's independence and performance, and effectiveness of audit process;
iii) Examination of the financial statement and the auditors' report thereon;
iv) Approval or any subsequent modification of transactions of the company with related parties;

v) अंतर-कॉर्पोरेट ऋण एवं निवेशों की संवीक्षा ।

vi) जहाँ कहीं आवश्यक है, कारबार या कंपनी की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन;

vii) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन और

viii) सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के ज़रिए जुडाई गई निधियों के उद्दिष्ट उपयोग की निगरानी करना;

ix) कंपनी के वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वास योग्य सुनिश्चित करने की ओर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करना और इसके वित्तीय विवरण के प्रकटीकरण करना;

x) लेखापरीक्षा शुल्क के नियतन के लिए मंडल को सिफारिश करना;

xi) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई कोई अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन।

xii) वार्षिक वित्तीय विवरण अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने के पहले निम्न विशेष संदर्भ के साथ प्रबंधन के साथ समीक्षा करना;

  क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के शर्तों में मंडल की रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले निदेशकों के जिम्मेदारी विवरण में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित मामले।

  ख. लेखांकन नीतियों एवं प्रथाओं में यदि कोई बदलाव है और उसके कारण ;

  ग. प्रबंधन द्वारा निर्णय लिए जाने के आधार पर प्राकलन सहित मुख्य लेखा प्रविष्टियाँ;

  घ. लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरण में बनाए महत्वपूर्ण समायोजन;

  ङ. वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं के साथ अनुपालन;

  च. किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण; और

  छ. प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट में प्रतिबंध;

xiii) बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने के पहले प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरण की समीक्षा करना;

xiv) प्रबंध के साथ आंतरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना;

xv) आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग और विभाग के प्रधान कर रहे अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, विस्तार और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित कोई आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यकलापों की पर्याप्तता है तो समीक्षा करना ;

xvi) किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा और/या उसपर अनुवर्ती कार्रवाई करना;

xvii) आंतरिक लेखापरीक्षकों/अभिकरणों द्वारा कोई आंतरिक जाँच निष्कर्षों की समीक्षा करना जहाँ मामले की संदेहित धोखेबाज़ी, अनियमिता या प्रत्यक्ष प्रकृति के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता है, मामले बोर्ड को रिपोर्ट करना;

xviii) लेखापरीक्षा शुरू होने के पहले सांविधिक लेखापरीक्षों के साथ लेखापरीक्षा की प्रकृति और विस्तार के बारे में चर्चा करने के अतिरिक्त कोई उद्विग्नता के क्षेत्र के पता लगाने के लिए उत्तर लेखापरीक्षा की चर्चा;

xix) जमाकर्ताओं, ऋणपत्रधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांशों के गैर-भुगतान के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के लिए कारणों की जाँच करना;

xx) विसिल ब्लोवर मेकानिसम के कार्य की समीक्षा करना;

xxi) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना;

xxii) संसद के सार्वजनिक उपक्रमों की समिति (सी ओ पी यु) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर समीक्षा करना;

xxiii) स्वतंत्र लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक और निदेशक मंडल के बीच में एक खुला अवसर प्रदान करना

xxiv) कंपनी में सभी संबंधित पार्टी लेनदेन की समीक्षा करना। इस उद्देश्य के लिए, लेखापरीक्षा समिति एक सदस्य को नामित किया जाय जो संबंधित पार्टी लेनदेनों की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगा;

xxv) स्वतंत्र लेखापरीक्षा के साथ कवरेज की पूर्णता, निरर्थक प्रयासों में कमी और सभी लेखापरीक्षा संसाधनों के प्रभावी उपयोग को आश्वस्त करने के लिए लेखापरीक्षा प्रयासों के समन्वयन की समीक्षा करना;

xxvi) स्वतंत्र लेखापरीक्षा और प्रबंधन के साथ निम्नलिखितों को विचार करना और समीक्षा करना :

- कंप्यूटीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता, और
- प्रबंध प्रतिक्रियाओं के साथ-साथ स्वतंत्र लेखापरीक्षक और आंतरिक लेखापरीक्षक के संबंधित निष्कर्षों और सिफारिशें।

xxvii) प्रबंधन आंतरिक लेखापरीक्षक और स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ निम्नलिखित पर विचार करना और समीक्षा करना

- पिछली लेखापरीक्षा सिफारिशों की स्थिति सहित चालू वर्ष के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

v) Scrutiny of inter-corporate loans and investments;

vi) Valuation of undertakings or assets of the Company, where it is necessary;

vii) Evaluation of internal financial controls and risk management systems;

viii) and Monitoring the end use of funds raised through public offers and related matters.

ix) Oversight of the Company's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible.

x) Recommending to the Board the fixation of audit fees.

xi) Approval of payment to statutory auditors for any other services rendered by the statutory auditors.

xii) Reviewing, with the management, the annual financial statements before submission to the Board for approval, with particular reference to:

a) Matters required to be included in the Directors' Responsibility Statement to be included in the Board's report in terms of Section 134 of the Companies Act 2013;
b) Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same;
c) Major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by management;
d) Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings;
e) Compliance with legal requirements relating to financial statements;
f) Disclosure of any related party transactions;and
g) Qualifications in the draft audit report.

xiii) Reviewing, with the management, the quarterly financial statements before submission to the Board for approval.

xiv) Reviewing, with the management, performance of internal auditors and adequacy of the internal control systems.

xv) Reviewing the adequacy of internal audit function, if any, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure, coverage and frequency of internal audit.

xvi) Discussionwithinternalauditorsand/orauditorsanysignificantfindingsandfollowupthereon.

xvii) Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors/agencies into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.

xviii) Discussion with statutory auditors before the audit commences, about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern.

xix) To look into the reasons for substantial defaults in the payment to the depositors, debenture holders, shareholders (in case of non-payment of declared dividends) and creditors.

xx) To review the functioning of the Whistle Blower Mechanism.

xxi) To review the follow up action on the audit observations of the C& A G audit.

xxii To review the follow up action taken on the recommendations of Committee on Public Undertakings (COPU) of the Parliament.

xxiii) Provide an open avenue of communication between the independent auditor, internal auditor and the Board of Directors.

xxiv) Review all related party transactions in the Company. For this purpose, the Audit Committee may designate a member who shall be responsible for reviewing related party transactions.

xxv) Review with the independent auditor the co-ordination of audit efforts to assure completeness of coverage, reduction of redundant efforts, and the effective use of all audit resources.

xxvi) Consider and review the following with the independent audit or and the management:

- The adequacy of internal controls including computerized information system controls and security,and
- Related findings and recommendations of the independent auditor and internal auditor, together with the management responses.

xxvii) Consider and review the following with the management, internal auditor and the independent auditor:

- Significant findings during the year, including the status of previous audit recommendations

- कार्यकलापों के कार्य-क्षेत्र या अपेक्षित जानकारी के लिए पहूँच पर कोई भी प्रतिबंध सहित लेखापरीक्षा कार्य के दौरान सामना करने पडी कठिनाइयाँ

xxviii) लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ के शर्तों में उल्लिखित किए जैसे कोई अन्य कार्य कार्यान्वित करना।

11.1.3 बैठकें और हाजिरी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की चार बैठकें 18 सितंबर, 2020, 21 अक्तूबर, 2020, 30 नवंबर, 2020 और 3 फरवरी, 2021 को आयोजित की गई।

समिति के सदस्यों का नाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
डॉ.विजयचंदर रेड्डि	4	4
श्री ई.ए.सुब्रमण्यन	4	4
श्री टी.राजशेखर	4	4

11.2 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 में निर्दिष्ट मामलों को शामिल करके समिति के कार्यक्षेत्र और संदर्भ की शर्तों का विस्तार किया गया।

11.2.1 संरचना

क) डॉ.विजयचंदर रेड्डि, स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष)

ख) निदेशक (तकनीकी एवं प्रचालन)

ग) निदेशक (वित्त)

नामांकन और पारिश्रमिक समिति पर एक और स्वतंत्र निदेशक के नामांकन के अभाव में, ऊपर पुनर्गठित समिति की संरचना कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा निर्धारित अपेक्षकों को पूरा नहीं करेगी। इसलिए कंपनी फिर से समिति का पुनर्गठन करेगी जैसा कि और जब सरकार द्वारा दो रिक्त पदों पर अधिक स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाती है।

11.2.2 बैठक और हाजिरी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 30 मार्च, 2021 को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की एक बैठक हुई।

बैठक में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार है:

समिति के सदस्यों का नाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
डॉ.विजयचंदर रेड्डि	1	1
श्री ई.ए.सुब्रमण्यन	1	1
डॉ.गीता शर्मा	1	1

11.3.कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति

11.3.1.संरचना

क) डॉ.विजयचंदर रेड्डि, स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष)

ख) निदेशक (तकनीकी एवं प्रचालन)-सदस्य

ग) निदेशक (विपणन)-सदस्य

घ) निदेशक (वित्त)-सदस्य

11.3.2 विचारार्थ विषय

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के विचार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार है। सी एस आर और एस डी समिति के कार्यक्षेत्र/विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं।

क) कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति तैयार करना और बोर्ड को इसकी सिफारिश करना जो कंपनी द्वारा किए जानेवाले कार्यकलापों को इंगित करेगा।

ख) उपरोक्त कार्यकलापों पर खर्च किए जानेवाली राशि की सिफारिश करना।

- Any difficulties encountered during audit work including any restrictions on the scope of activities or access to required information.

xxviii) Carrying out any other function as is mentioned in the terms of reference of the Audit Committee.

11.1.3 Meetings and Attendance

During the year under review, four meetings of the Audit Committee were held on 18th September, 2020, 21st October, 2020, 30th November, 2020 and 3rd February, 2021.

The attendance of the members at the meeting is as follows:

Name of the Committee Member	No. of meetings held during the tenure	No. of meetings attended
Dr P Vijayachander Reddy	4	4
Shri E A Subramanian	4	4
Shri T Rajasekar	4	4

11.2 Nomination and Remuneration Committee

The scope and terms of reference of the Committee was enlarged by including the matters specified in Section 178 of the Companies Act, 2013.

11.2.1 Composition

a) Dr Vijayachander Reddy, Independent Director (Chairman)
b) Director (Technical & Operations)
c) Director (Finance)

In the absence of nomination of one more Independent Director on the Nomination & Remuneration committee, the composition of the Committee as re-constituted above will not satisfy the requirements stipulated by the Companies Act, 2013. Therefore, the Company will again reconstitute the Committee as and when more Independent Directors are appointed by the Government against the two vacant positions.

11.2.2 Meetings and Attendance

During the year under review, one Nomination & Remuneration Committee meeting held on 30th March, 2021.

The attendance of the members at the meeting is as follows:

Name of the Committee Member	No. of meetings held during the tenure	No. of meetings attended
Dr P Vijayachander Reddy	1	1
Shri E A Subramanian	1	1
Dr Geeta Sharma	1	1

11.3 Corporate Social Responsibility Committee

11.3.1 Composition

a) Dr.Vijayachander Reddy, Independent Director (Chairperson)
b) Director (T&O) –Member
c) Director (Marketing) – Member
d) Director (Finance) - Member

11.3.2 Terms of reference

The terms of reference of the CSR Committee are as per the provisions of the Companies Act, 2013. The following are the scope/terms of reference of the CSR & SD Committee:

a) Formulate and recommend to the Board, a Corporate Social Responsibility Policy which shall indicate the activities to be undertaken by the Company.

b) Recommend the amount of expenditure to be incurred on the above activities

ग) समय-समय पर कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति का अनुवीक्षण करना।

11.3.3 बैठक और हाजिरी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सीएसआर समिति की एक बैठक 3 फरवरी, 2021 को हुई।

बैठक में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार है:

समिति के सदस्यों का नाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
डॉ.विजयचंदर रेड्डि	1	1
श्री ई.ए.सुब्रमण्यन	1	1
श्री टी.राजशेखर	1	1
डॉ.गीता शर्मा	1	1

11.4 रणनीति सूत्रीकरण और निवेश समिति

11.4.1 विचारार्थ विषय

समिति के विचारार्थ विषय में निम्नलिखित शामिल हैं :

i. कंपनी केलिए दीर्घावधि रणनीतियों एवं नीति विकसित करना।

ii. एचएलएल के आंतरिक और बाहरी कारोबारी माहौल का आकलन।

iii. कंपनी के वार्षिक व्यापार लक्ष्यों को प्राप्त करने केलिए एक रणनीतिक प्रबंधन प्रक्रिया विकसित करना।

iv. विज़न 2020 योजना में उल्लिखित जैसे एचएलएल के लक्ष्यों और योजनाओं को समर्थन कर रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मूल्य निर्धारण करना और अनुमोदन करना।

v. रणनीतिक कार्यसूची के साथ आवधिक वरिष्ठ नेतृत्व बैठकें नियोजित करना।

vi. कंपनी में रणनीति प्रबंधन विभाग के प्रभावी संचालन केलिए मार्गनिर्देश प्रदान करना।

vii. कार्यान्वयन समस्याओं को पहचान कर या परियोजना प्रक्षिप्त रिपोर्टों के ज़रिए उत्कृष्ट निष्पादन में निदेशक मंडल को परियोजनाओं के मॉनिटरिंग और मूल्यांकन करने के लिए मदद करना।

viii. सभी परियोजनाओं के वित्तीय एवं निष्पादन का मॉनिटर करके मूल्यांकन करना।

ix. मंडल को निवेश/परियोजना प्रस्तावों की सिफारिश करना।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कोई बैठक का आयोजन नहीं हुआ ।

12. निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जानेवाली सूचना

मंडल को कंपनी के भीतर किसी भी सूचना केलिए संपूर्ण पहूँच है। मंडल को नियमित रूप से प्रदान की गई सूचना में शामिल हैं:

क) वार्षिक प्रचालन योजनाएं एवं बजट और कोई भी अद्यतन

ख) वार्षिक खाता, निदेशकों की रिपोर्ट आदि।

ग) कंपनी की तिमाही परिणाम।

घ) संनुषंगी कंपनी और संयुक्त - उद्यम कंपनी के कार्यवृत्त सहित मंडल के अन्य समितियों और लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत्त।

ङ) प्रमुख निवेश, संनुषंगी और संयुक्त उद्यम, स्ट्रैटेजिक गठबंधनों आदि का गठन।

च) बडे संविदा प्रदान करना ।

छ) निदेशकशिप के बारे में निदेशकों की हित का प्रकटीकरण और अन्य कंपनियों में उनके द्वारा अधिग्रहित समिति पद।

ज) कंपनी की वाणिज्यक स्थिति पर मासिक रिपोर्ट।

झ) विभिन्न चालू परियोजनाएँ/योजनाएं और बजट उपयोगिता की स्थिति पर रिपोर्ट

ञ) वेतन समझौते पर हस्ताक्षर आदि जैसे मानव संसाधन/ औद्योगिक संपर्क कार्यों में कोई भी महत्वपूर्ण विकास।

ट) लाभांश का गैर भुगतान, शेयर हस्तांतरण में विलंब आदि जैसे कोई भी विनियामक, सांविधिक या सूचीकरण अपेक्षाओं और अंशधारियों की सेवा का गैर-अनुपालन।

ठ) अन्य वास्तविक महत्वपूर्ण सूचना।

c) Monitor the Corporate Social Responsibility Policy of the Company from time to time.

11.3.3 Meetings and Attendance

During the year under review, One CSR committee meeting was held on 3rd February, 2021.

The attendance of the members at the meeting is as follows:

Name of the Committee Member	No. of meetings held during the tenure	No. of meetings attended
Dr P Vijayachander Reddy	1	1
Shri E A Subramanian	1	1
Shri T Rajasekar	1	1
Dr Geeta Sharma	1	1

11.4 Strategy Formulation and Investment Committee

11.4.1 Terms of reference

The terms of reference of the Committee includes the following

i) Develop long-term strategies and policies for the company.
ii) Assessment of HLL's internal and external business environment.
iii) Develop a strategic management process for achieving company's annual business targets.
iv) Assess and approve for implementation projects that are supportive of goals and plans of HLL as outlined in the Vision 2020 Plan.
v) Plan periodic senior leadership meetings with a strategic agenda.
vi) Provide guidance for effective functioning of the strategic management department in the Company.
vii) Assist the Board of directors in monitoring and evaluation of projects by identifying implementation problems or outstanding performance through project exception reports.
viii) Monitor and evaluate financial and physical performance of all projects.
ix) Recommend investment / project proposals to the Board.

During the year under report, no meetings were held.

12. INFORMATION TO BE PLACED BEFORE THE BOARD OF DIRECTORS

The Board has complete access to any information within the Company. The information inter alia, regularly supplied to the Board includes:

a) Annual operating plans and budgets and any updates
b) Annual Accounts, Directors' Report, etc.
c) Quarterly results of the Company.
d) Minutes of meetings of audit committee and other committees of the Board including minutes of Subsidiary Company and Joint-venture Company.
e) Major Investments, formation of Subsidiaries and Joint Ventures, Strategic Alliances, etc.
f) Award of large Contracts.
g) Disclosure of Interest by Directors about directorship and committee positions occupied by them in other Companies.
h) Monthly Report on Commercial Status of the Company.
i) Report on the status of various on going projects / scheme and Budget Utilization.
j) Any significant development in Human Resources/Industrial Relations front like signing of wage agreement, etc.
k) Non-compliance of any regulatory, statutory or listing requirements and shareholders' service such as non-payment of dividend, delay in share transfer etc.
l) Other materially important information.

13. बैठकोत्तर अनुवर्ती प्रणाली

कंपनी के अभिशासन प्रक्रिया में मंडल और मंडल समिति (ओं) के निर्णयों पर ली गई/लंबित कार्रवाई के लिए प्रभावी बैठकोत्तर अनुवर्ती कार्रवाई, समीक्षा एवं रिपोर्टिंग प्रक्रिया शामिल हैं।

14. शेयरधारण स्वरूप

एचएलएल भारत या विदेश के कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। कंपनी की संपूर्ण साम्या प्रदत्त शेयर पूँजी भारत के राष्ट्रपति और उनके नॉमिनियों द्वारा अधिकार में रखी है।

15. सामान्य निकाय बैठकें

कंपनी के पिछले तीन वार्षिक सामान्य बैठकों के तारीख, समय और स्थान निम्नानुसार हैं:

एजीएम	वित्तीय वर्ष	तारीख	समय	स्थान	क्या विशेष संकल्प(`) पारित किया गया या नहीं
52वीं	2017-2018	27 सितंबर, 2018	पूर्वाह्न 11.00 बजे	नई दिल्ली	जी नहीं
53वीं	2018-2019	30 सितंबर, 2019	अपराह्न 3.00 बजे	नई दिल्ली	जी नहीं
53वीं स्थगित ए जी एम	2018-2019	17 अक्तूबर, 2019	पूर्वाह्न 10.30 बजे	नई दिल्ली	जी नहीं
54वीं	2019-2020	30 दिसंबर, 2020	पूर्वाह्न 10.30 बजे	तिरुवनंतपुरम	जी हाँ
54वीं स्थगित ए जी एम	2019-2020	31 मार्च, 2021	अपराह्न 3.00 बजे	तिरुवनंतपुरम	जी नहीं

कंपनी की 55वीं वार्षिक सामान्य बैठक के तारीख, समय और स्थान।

तारीख	समय	स्थान
30 November 2021	10.30 am	Trivandrum

16. प्रकटीकरण:

- वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी और उसके समनुषंगियों, सहयोगियों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच लेन-देन का विवरण, 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखे की टिप्पणी के मद सं. 2.42 में दिया गया है । इन लेन-देनों को कंपनी के हितों के साथ कोई अधिक संभावित संघर्ष नहीं है । संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेने देन सामान्य व्यापार और व्यतिरेक लेन-देन आमने सामने की कीमत पर थे।
- कंपनी द्वारा किसी भी गैर अनुपालन और किसी भी सांविधिक भुगतान अपेक्षाओं पर किसी भी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर आरोपित जुर्माना, निंदा करने का कोई मामला नहीं था।
- वर्ष के दौरान और कंपनी में पिछले तीन वर्षों में भी राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- वित्तीय विवरण की तैयारी करते समय कंपनी ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 द्वारा अधिसूचित सभी सुसंगत लेखा मानकों का पालन किया है।
- व्यय के कोई भी मद खाता बही में डेबिट नहीं की गयी थी, जो व्यवसाय उद्देश्यों के लिए नहीं है।
- कंपनी ने पर्याप्त रूप से अपनी सभी परिसंपत्तियों और सभी व्यापार जोखिम का पर्याप्त रूप से बीमा किया है और कंपनी के व्यापार इस के लिए विधिवत् बीमा प्रीमियम भुगतान किया है ।
- कंपनी के विदेशी मुद्र नकदी प्रवाह के रुपया मूल्य को और ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के प्रतिकूल प्रभाव से बयाने के लिए कंपनी ने विदेशी मुद्रा और जोखिम प्रबंधन नीति को अपनायी है।
- कंपनी विसल ब्लोवर नीति अपनायी है और यह पुष्टि की जाती है कि किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध उल्लंघन की रिपोर्टिंग के संबंध में लेखापरीक्षा समिति तक पहूँच से वंचित नहीं किया गया है।

17. सामान्य सूचनाएँ

17.1. निदेशकों का प्रशिक्षण

कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देश मई 2010 को अपनाया है। डी पी ई दिशानिर्देशों के आधार पर, कंपनी ने बोर्ड सदस्यों के लिए प्रशिक्षण नीति अपनायी है ।

13. POST MEETING FOLLOW-UP SYSTEM:

The Governance process in the Company include an effective post-meeting follow-up, review and reporting process for action taken/pending on decisions of the Board and the Board Committee(s).

14. SHAREHOLDING PATTERN

HLL is not listed at any Stock Exchange in India or abroad. The entire paid up equity share capital of the Company is held by the President of India and his nominees.

15. GENERAL BODY MEETINGS:

The Date, Time and Venue of the last three Annual General Meetings of the Company is as follows

AGM	Financial Year	Date	Time	Venue	Whether Special Resolution(s) Passed or Not
52nd	2017-2018	27th Sept. 2018	11.00 a.m.	New Delhi	No
53rd	2018-2019	30th Sept. 2019	3.00 p.m.	New Delhi	No
53rd Adjourned AGM	2018-2019	17th Oct. 2019	10.30 a.m.	New Delhi	No
54th	2019-2020	30th Dec. 2020	10.30 a.m.	Trivandrum	Yes
54th Adjourned AGM	2019-2020	31st Mar. 2021	3.00 p.m.	Trivandrum	No

Date, Time and Venue of 55th Annual General Meeting of the Company

Date	Time	Venue
30 November 2021	10.30 am	Trivandrum

16. DISCLOSURES:

- Details of transactions between the Company and its subsidiaries, associates, key managerial personnel during the year 2020-21 are given as Note No. 2.42 to the Annual Accounts for the year ended 31 March, 2021. These transactions do not have any potential conflict with the interests of the Company at large. All transactions with the related parties were in the ordinary course of business and at arm's length price.
- There were no cases of non-compliance by the Company and penalties, strictures imposed on the Company by any statutory authority on any statutory payment requirements.
- Presidential directives issued by the Central government in respect of Official Language Implementation have been complied with during the year and also in the last three years in the Company.
- The Company has followed all relevant Accounting Standards notified by the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 while preparing the Financial Statements.
- There were no items of expenditure debited in books of accounts, which are not for the purposes of the business.
- The Company has adequately insured all its assets and also the various business risks connected with the business of the Company and that it has duly paid insurance premium.
- The Company has adopted Foreign Exchange & Risk Management Policy to protect Rupee value of Foreign currency cash flows of the Company from adverse impact of fluctuations in exchange rates and interest rates.
- The Company has adopted Whistle Blower policy and it is affirmed that no person has been denied access to the Audit Committee in respect of reporting of suspected violations.

17. GENERAL INFORMATION

17.1 Training of Directors:

The Company has adopted Guidelines on Corporate Governance May 2010 issued by Department of Public Enterprise. Based on the DPE guidelines the company has adopted Training policy for Board members.

17.2 संचार का साधन

प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी के समयोचित प्रकटीकरण अच्छे कॉर्पोरेट अभिशासन अभ्यास का मूल है। इसकी ओर आपकी कंपनी ने निम्नलिखत पहल ले लिया है।

वेबसाइट	कंपनी के कॉर्पोरेट वेबसाइट www.lifecarehll.com उत्पादों, व्यवसाय खंडों, आगामी परियोजनाओं आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। कंपनी अपनी लेखे के वार्षिक लेखापरीक्षित खातों का विवरण कार्यालयीन वेबसाइट में भी प्रकाशित करती है।
समाचार विज्ञप्ति	कंपनी के विकास और परिवर्तन पर सभी अद्यतन कंपनी के मासिक फोटो न्यूज़ लेटर, मासिक बुलेटिन और त्रैमासिक पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित किये जाते हैं और कार्यालय के वेबसाइट www.lifecarehll.com पर प्रदर्शित किये जाते हैं।
मीडिया विज्ञप्ति	कंपनी के विकास और परिवर्तन पर सभी अद्यतन प्रेस विज्ञप्तियों के ज़रिए बाहरी दर्शकों को घोषित किया जाता है । माँग के अनुसार, मीडिया को सीधे बताने के लिए कॉर्पोरेट संचार कभी-कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है ।
मल्टिमीडिया रचना	कॉर्पोरेट संचार एचएलएल के विविध प्रभागों/विभागों के लिए पूर्णतया इन-हाउस तरीके से ब्रोशर, पत्रक, बैनर, बोर्ड सहित विभिन्न रचनात्मक सामग्रियों और कई अन्य सामग्रियों को बनाता है। सी सी कंपनी के घटनाओं के फोटो और वीडियो कवरेज भी करता है ।
सामाजिक मीडिया	कंपनी के नये लाँच, परिवर्तन और घटनायें फेसबुक पेज- htts://www.facebook.com/lifecarehll में प्रकाशित किये जाते हैं। कंपनी के वीडियो वेबसाइट में वेबिनार के ज़रिए और यूट्यूब चैनल- www.youtube.com/channelHLL के माध्यम से भी प्रदर्शित किये जाते हैं ।
वार्षिक रिपोर्ट	कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट शेयरधारकों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक और सांविधिक लेखापरीक्षकों आदि जैसे अन्य सभी हकदारों को परिचालित की जाती है।

17.3 संयंत्र स्थान

विनिर्माण	संयंत्र का नाम एवं स्थान	पता
गर्भनिरोधक	पेरूरकडा फैक्टरी, तिरुवनंतपुरम (पी एफ टी), केरल	एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड, पेरूरकडा फैक्टरी, पेरूरकडा, तिरुवनंतपुरम - 695005
अस्पताल उत्पादें	आक्कुलम फैक्टरी तिरुवनंतपुरम (ए एफ टी), केरल	एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड आक्कुलम फैक्टरी, आक्कुलम, तिरुवनंतपुरम - 695017
गर्भनिरोधक	काक्कनाड़ फैक्टरी केच्चि, (के एफ सी), केरल	एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड कोचिन स्पेशल इकणोमिक ज़ोन डिविज़न, प्लॉट नं. 16ए/1, काक्कनाड़, कोचिन - 682037
गर्भनिरोधक,फार्मा और व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादें	कनगला फैक्टरी, बेलगाम (के एफ बी), कर्नाटका	एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड कनगला फैक्टरी, बेलगाम, कर्नाटका - 591225
अस्पताल उत्पादें	मनेसर फैक्टरी, गुडगाव, (एम एफ जी), हरियाना	एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड मनेसर यूनिट, प्लॉट नं:71 सेक्टर-7, गुडगाव, हरियाना - 122050
फार्मा उत्पादें	सानवर रोड़ फैक्टरी इंदोर, मध्य प्रदेश (पी एफ आई)	एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड, सेक्टर - ई, सानवर रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, इंदोर - मध्यप्रदेश
गर्भनिरोधक	ऐरापुरम फैक्टरी, कोचिन, (आई एफ सी), केरल	एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड, रि-सर्वे नं.156/3,ब्लॉक नं. 29, रबड़ पार्क, वलयनचिरंगरा, ऐरापुरम, कोचिन - 683 556
आयुर्वेद और यूनानी उत्पादें	हरिद्वार फैक्टरी, उत्तराखंड	घर्सा सं. 37, ग्राम मखनपुर, भगवानपुर तहसील, हरिद्वार जिला, उत्तराखंड - 247 661

17.2 Means of Communication:

Timely disclosure of relevant and reliable information is at the core of good Corporate Governance practice.

Toward this end your Company has taken following initiatives.

Website	The Company's Corporate Website www.lifecarehll.com provides comprehensive information about the products, business segments, upcoming projects etc. The Company also publishes its annual audited statement of accounts in its official website.
News Releases	All updates on company's developments and changes are published through Company's Monthly photo newsletter, monthly bulletin and quarterly magazine and are also displayed on the company's website www.lifecarehll.com
Media Releases	All updates on company's developments and changes are announced to the external audiences through Press Releases. As the matter demands, CC occasionally conducts Press Conferences to brief the media directly.
Multimedia Production	CC produces various creative materials including brochures, leaflets, banners, boards and several other materials totally in-house for HLL's various divisions/departments. CC also conducts photo and video coverage of company's events.
Social Media	Company's new launches, changes and events are published in the Facebook Page- https://www.facebook.com/lifecarehll. The company videos are displayed through webinar in the website and also through the YouTube channel – www.youtube.com/channelHLL
Annual Report	The Annual Report of the Company is circulated to the shareholders, Ministry of Health & Family Welfare, Comptroller and Auditor General of India and all others entitled thereto like Statutory Auditors etc.

17.3 Plant Locations

Manufacturing	Plant Name & Location	Address
Contraceptives	Peroorkada Factory, Thiruvananthapuram (PFT), Kerala	HLL Lifecare Ltd, Peroorkada Factory, Peroorkada Thiruvananthapuram - 695005
Hospital Products	Akkulam Factory, Thiruvananthapuram (AFT), Kerala	HLL Lifecare Ltd, Akkulam Factory, Akkulam, Thiruvananthapuram - 695017
Contraceptives	Kakkanad Factory Kochi, (KFC),Kerala	HLL Lifecare Ltd, Cochin Special Economic Zone, Division, Plot No:16A/1, Kakkanadu, Cochin - 682037
Contraceptives Pharma and personal hygiene Products	Kanagala Factory, Belgaum, (KFB) Karnataka	HLL Lifecare Ltd Kanagala Factory, Belgaum, Karnataka - 591225
Hospital Products	Manesar Factory, Gurgaon, (MFG),Haryana	HLL Lifecare Ltd, Manesar Unit, Plot No: 71 Sector 7, Gurgaon, Haryana -122050
Pharma Products	Sanver Road Factory, Indore, Madhya Pradesh (PFI)	HLL Lifecare Ltd, Sector-E, Sanver Road Industrial Area, Indore - Madhya Pradesh
Contraceptives	Irapuram Factory, Cochin, (IFC), Kerala	HLL LifecareLtd, Re-Sy.No156/3, Block No.29 Rubber Park, Valayanchirangara Irapuram, Cochin-683 556
Ayurveda & Unani products	Haridwar Factory, Uttarakhand	Kharsa No. 37, Gram Makhanpur, Bhagwanpur Tehsil, Haridwar District, Uttarakhand – 247 661

प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण

1. उद्योग विश्लेषण

1.1स्वास्थ्यरक्षा उद्योग - आउटलुक

हेल्थकेयर उद्योग हमेशा एक विकसित पारिस्थिति की तंत्र रहा है, जो अक्सर नियामक और रोगी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तेजी से बदलने के लिए संघर्ष कर रहा है। प्रतिस्पर्धी एकीकरण के शीर्ष पर, तेजी से कडे नियम, प्रौद्योगिकी में प्रगति, बढती लागत और बढती आबादी, हेल्थकेयर भुगतानकर्ता और प्रदाता अब कोविड 19 आपदा का सामना कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा उद्योग ने समर्पित कोविड अस्पतालों, ऐसलेशन केंद्र और संसाधनों की तकनीक-सक्षम मैपिंग की स्थापना करके महामारी से निपटने के लिए एक मजबूत प्रतिक्रिया योजना शुरू की। प्रकोप को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए, भारत सरकार ने भी प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया और केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विभिन्न अनुप्रयोगों का विकास किया। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, जिसने सिंड्रोमिक मैपिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और स्वः मूल्यांकन में पूरे देश में व्यापक रूप से उपयोग करने की सहायता किया गया। इस तरह के प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों का उपयोग प्रतिक्रिया प्रबंधन के पूरक के लिए किया गया था, जिसमें नियंत्रण क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की वितरण,रोगियों के साथ टेली-परामर्श, बिस्तर प्रबंधन और अधिकारियों द्वारा वास्तविक समय की निगरानी और समीक्षा शामिल थी।

सरकार ने स्वास्थ्य और कल्याण के लिए रु.2,23,846 करोड के परिव्यय का प्रस्ताव किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 137 प्रतिशत की वृद्धि है, साथ ही आने वाले वित्त वर्ष में कोविड-19 वैक्सीन के लिए रु.35,000 करोड निर्धारित किए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को वित्त वर्ष 2021-22 में 71,269 करोड रुपये आबंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष (रु.65,012 करोड)की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (रु.36,577 करोड), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (रु.6,400 करोड),केंद्र प्रायोजित योजनाओं (रु.22,044 करोड) और स्थापना व्यय (रु.6,245 करोड) के लिए बजटीय आबंटन शामिल हैं। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को 2,663 करोड रुपये आबंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है(रु.2,100 करोड)। आयुष मंत्रालय को 2,970 करोड रुपये आबंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष (रु.2,122 करोड) की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के लिए आबंटन वित्त वर्ष 2021-22 में 7,000 करोड रुपये हैं, जो पिछले साल 6,020 करोड रुपये के आबंटन से 16 प्रतिशत अधिक है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अधीन इस वर्ष राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एनडीएचएम) के लिए 30 करोड रुपये का नया आबंटन किया गया है। कोविड -19 टीकाकरण केलिए घोषित 35,000 करोड रुपये के अलावा, मेड इन इंडिया न्यूमोकोकल वैक्सीन, जो वर्तमान में 5 राज्यों में उपलब्ध है, को पूरा भारत में रोल आउट किया जाएगा, संभावित रूप से वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत को रोका जा सकता है।

1.2 गर्भनिरोधक :

भारत में गर्भनिरोधक उपकरणों का बाज़ार स्पर्धात्मक है और इसमें कई प्रतियोगी शामिल हैं। बाजार हिस्सेदारी के मामले में, कुछ प्रमुख प्रतियोगी बाजार पर हावी हैं। और कुछ प्रतियोगी देश में अपनी बाज़ार स्थिति को मजबूत करने केलिए अन्य कंपनियों के साथ अधिग्रहण और संयुक्त उद्यम कर रहे हैं। भारत अपने परिवार नियोजन कार्यक्रमों के प्रति सरकारों की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए घरेलू सरकारी व्यय के उच्चतम स्तरों वाले देशों में से एक बना हुआ है। भारत ने व्यापक आईईसी अभियानों के माध्यम से गर्भ निरोधकों की मांग में वृद्धि की है, गर्भ निरोधकों की गुणवत्ता में सुधार किया और मिशन परिवार विकास के माध्यम से उच्च प्रजनन क्षमता वाले जिलों में ध्यान केंद्रित किया है। फलस्वरूप भारत ने पिछले कुछ वर्षों में प्रजनन क्षमता और मातृ मृत्यु दर में प्रभावशाली गिरावट देखी है। हम 2030 तक गर्भनिरोधक की अधूरी ज़रूरत को काफी हद तक कम करने का प्रयास करना जारी रखते हैं।

1.3 फार्मास्यूटिकल्स :

वैश्विक फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। देश में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का एक बडा समूह भी है, जो उद्योग को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। वर्तमान में, एड्स (एक्वायर्ड इम्यून डेफिशेन्सि सिंड्रों) का मुकाबला करने केलिए विश्व स्तर पर उपयोग की जाने वाली 80% से अधिक एंटीरेट्रोवायरल दवाओं की आपूर्ति भारतीय दवा फार्मों द्वारा की जाती है।

भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार, अगले दशक में घरेलू बाजार तीन गुना बढने की उम्मीद है। भारत का घरेलू फार्मास्यूटिकल बाजार 2021 में 42 बिल्यन अमेरीकी डॉलर होने के अनुमान है और 2024 तक युएस $ 65 बिल्यन तक पहूँचने और 2030 तक युएस $120-130 तक पहूँचने की संभावना है।

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. INDUSTRY ANALYSIS

1.1 Healthcare Industry-Outlook

The Healthcare industry has always been an evolving ecosystem, often struggling to change fast enough to keep up with regulatory and patient needs. On top of competitive integrations, increasingly stringent regulations, advances in technology, rising costs and aging populations, Healthcare payers and providers now are facing the COVID 19 calamity. The healthcare industry, along with the central and state governments, undertook a robust response plan to tackle the pandemic by setting up of dedicated COVID-19 hospitals, isolation centres and tech-enabled mapping of resources. In order to effectively manage the outbreak, the Indian government also leveraged technology and developed various applications both at the central and state-levels. The Aarogya Setu mobile app which assisted in syndromic mapping, contact tracing and self-assessment was widely used throughout the country. Such technology platforms were used to supplement the response management, which included delivery of essential items in containment zones, tele-consultations with patients, bed management and real-time monitoring and review by the authorities.

The government has proposed outlay of INR 2,23,846 crore for health and well-being, an increase of 137 per cent from the previous year, with INR 35,000 crore earmarked for COVID-19 vaccine in the coming fiscal. Ministry of Health and Family Welfare has been allocated INR 71,269 crore in FY2021-22, an increase of 10 per cent over previous year (INR 65,012 crore). This includes the budgetary allocations to National Health Mission (INR 36,577 crore), Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (INR6,400 crore), Centrally Sponsored Schemes (INR 22,044 crore) and Establishment Expenditure (INR6,245 crore). Department of Health Research has been allocated INR 2,663 crore, an increase of 27 per cent over previous year (INR 2,100 crore). Ministry of AYUSH has been allocated INR2,970 crore, an increase of 40 per cent over previous year (INR 2,122 crore). Allocation for Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY) under National Health Mission stands at INR 7,000 crore in FY2021-22, an increase of 16 per cent over the allocation of INR 6,020 crore last year. A new allocation of INR 30 crore has been made for National Digital Health Mission (NDHM) this year under the Centrally Sponsored Schemes. Apart from the INR 35,000 crore announced for COVID-19 vaccination, the Made in India Pneumococcal vaccine, currently available in 5 states, will be rolled out pan-India, potentially averting 50,000 child deaths annually

1.2 Contraceptives:

In India contraceptive devices market is competitive and consists of several players. In terms of market share, few of the major players are currently dominating the market. And some prominent players are vigorously making acquisitions and joint ventures with the other companies to consolidate their market positions in the country. India continues to be one of the countries with the highest levels of domestic government expenditure, reflecting the governments' commitment to its family planning programmes India has improved the quality of contraceptives, augmenting contraceptive demand through comprehensive IEC campaigns, and focused interventions in high fertility districts through Mission Parivar Vikas. As a result, India has witnessed an impressive decline in fertility and maternal mortality in the last few years. We continue to strive to substantially reduce the unmet need for contraception by 2030.

1.3 Pharmaceuticals:

India enjoys an important position in the global pharmaceuticals sector. The country also has a large pool of scientists and engineers with a potential to steer the industry ahead to greater heights. Presently, over 80% of the antiretroviral drugs used globally to combat AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) are supplied by Indian pharmaceutical firms.

According to the Indian Economic Survey 2021, the domestic market is expected to grow 3x in the next decade. India's domestic pharmaceutical market is estimated at US$ 42 billion in 2021 and likely to reach US$ 65 billion by 2024 and further expand to reach ~US$ 120-130 billion by 2030.

The Union Cabinet has given its nod for the amendment of existing Foreign Direct Investment (FDI) policy in the

केंद्रीय विदेशी मंडल ने कुछ शर्तों के अधीन चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए स्वचालित मार्ग के अधीन 100% तक एफडीआई की अनुमति देने केलिए फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)नीति में संशोधन के लिए अपनी मंजूरी दी है।

1.4 अस्पताल उत्पाद - ब्लड बैग :

रक्त संबंधी रोगों का बढता प्रचलन और रक्त संग्रह और स्थानांतरण बैग की बढती मांग से वैश्विक डिस्पोज़बल ब्लड बैग बाजार के विकास को बढावा देने की उम्मीद है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान रक्त बैग बाजार में 10.82% की सीएजीआर दर्ज करने का अनुमान है।

कोविड-19 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के बढने के साथ, ब्लड बैग की मांग बढ गई है। कमज़ोर इम्यून प्रणाली वाले कई व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और ज़्यादा लोगों को रक्त आधान की आवश्यकता होती है। फलस्वरूप, महामारी के बाद ब्लड बैग और उपकरणों की मांग बढ गई है। कई सरकारों ने रक्तदान बढाने में मदद के लिए प्रेरित किया। फलस्वरूप, ब्लड बैग की मांग बढने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, सरकार की पहल से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बढावा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, अस्पतालों, ब्लड बैंकों और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों की बढती संख्या दुनिया भर में ब्लड बैग बाजार के विकास को गति दे रहा है। नागरिकों के बीच रक्तदान के बारे में बढती जागरूकता भी दुनिया भर में रक्त बैग की मांग को बढा रही है।

1.5 नैदानिक सेवाएँ :

भारत के स्वास्थ्य सेवा उद्योग परिदृश्य में, नैदानिक सेवाएं एक सूचना मध्यस्थ की भूमिका निभाती हैं, जो रोगों के सटीक निदान और उपचार के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान करती हैं। डायग्नोस्टिक उद्योग भारत के बढते स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक आकर्षक भूमिका के रूप में उभरा है और यह देश में सबसे तेजी से बढते सेवा क्षेत्रों में से एक है। घरेलू उद्योग का अनुमान युएसडी 9.5 बिल्यन डॉलर है और अगले पाँच वर्षों में 11% की वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढने की उम्मीद है, जो बडे पैमाने पर बढती आबादी, बढती आय के स्तर, निवारक परीक्षण के लिए बढती जागरूकता, उन्नत स्वास्थ्य निदान परीक्षण प्रसाद ओर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य संबंधी उपायों द्वारा देखभाल खर्च में वृद्धि से प्रेरित है। हालांकि भारतीय डायग्नोस्टिक बाजार विकसित देशों की तुलना में छोटा है, लेकिन यह स्वास्थ्य सेवा बाजार में सबसे तेजी से बढते क्षेत्रों में से एक है। इस खंड में वर्तमान में अधिकांश व्यक्तियों द्वारा उच्च मात्रा/कम लागत वाली परीक्षण गतिविधि का प्रभुत्व है, जिसमें नैदानिक उपयोगिता के बारे में जागरूकता पैदा करने में बहुत कम या लगभग कोई निवेश नहीं है। डायग्नोस्टिक उद्योग बडी श्रृंखलाओं, स्टैंडअलोन केंद्रों और अस्पताल आधारित प्रयोगशालाओं के साथ अत्यधिक खंडित है। कम प्रवेश बाधाओं के कारण, उद्योग खंडित है और बहुत सारे छोटे और मध्यम आकार के खिलाडी देख रहे हैं;हालांकि, बहुत कम लोग ही लाभदायक तरीके से पैमाना बना पाते हैं

1.6 रीटेल फार्मेसी :

भारत के रीटेल फार्मा बाज़ार वर्तमान में इसके तीन व्यापक क्षेत्रों-जेनरिक औषध, ओवर-द-काउंटर (ओ टी सी) औषध और पेटेंट उत्पाद के साथ आशाजनक स्थिति पर है। जेनेरिक औषध, राजस्व के मामले में करीब 70% बाज़ार शेयर के साथ सबसे बड़ा खंड बनता है। रीटेल फार्मेसी बाज़ार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता को बढ़ाने की पहल के साथ स्वस्थ्यरक्षा क्षेत्र में वर्द्धित सरकारी खर्च के साथ एक शानदार अवसर प्रदान करता है । तथापि, लंबे समय में, फार्मेसी रीटेल बाज़ार से संबंधित राजस्व ओ टी सी औषध खंड से सबसे अधिक योगदान करने की उम्मीद करती है । यह बाज़ार तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद करता है, क्योंकि अधिक संख्या में कंपनियाँ ओ टी सी उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला के साथ बाज़ार में प्रवेश करने की उम्मीद करती हैं । यह समग्र रीटेल फार्मेसी आउटलेट को एक नया आयाम प्रदान करेगा । लंबे समय में इस बाज़ार की वृद्धि को फार्मेसी स्टोर को 'वेलनेस स्टोर' में बदलने और व्यवहार परिवर्तन के कारण उच्च गुणवत्ता दवाओं के प्रति प्राथमिकता से अधिक प्रभावित किया जाएगा ।

pharmaceutical sector in order to allow FDI up to 100% under the automatic route for manufacturing of medical devices subject to certain conditions.

1.4. Hospital Products- Blood Bags:

Increasing prevalence of blood-related disorders and rising demand for blood collection and transfer bags are expected to drive the growth of the global disposable blood bags market. The blood bags market is projected to register a CAGR of 10.82% during the forecast period

With the rise of the COVID-19 public health emergency, the demand for blood bags has increased. Many individuals with weak immune systems have been infected by COVID-19 and hospitalized, and many require a blood transfusion. As a result, the demand for blood bags and equipment has risen following the pandemic. Many governments are also taking initiatives to help increase blood donation. As a result, the demand for blood bags is expected to increase. Additionally, the Government initiatives are expected to boost the healthcare sector. Moreover, the rising numbers of hospitals, blood banks, and other healthcare centers are driving the growth of the blood bags market across the globe. The growing awareness about blood donation among citizens is also propelling the demand for blood bags around the globe.

1.5 Diagnostic Services:

In India's healthcare industry landscape, diagnostic services play the role of an information intermediary, providing useful information for accurate diagnosis and treatment of diseases. The diagnostic industry has emerged as an attractive play in India's growing healthcare sector and is one of the fastest growing service segments in the country. The domestic industry is estimated at USD 9.5bn and is expected to grow at a compounded annual growth rate (CAGR) of ~11% over the next five years, largely driven by increase in healthcare spending by aging population, rising income levels, rising awareness for preventive testing, advanced healthcare diagnostic tests offerings, and central government's healthcare measures. Although the Indian diagnostic market is small yet compared to those in developed countries, it is amongst the fastest growing segments in the healthcare market. This segment is currently dominated by high volume/low-cost testing activity by most players, with little or almost no investment in building awareness of clinical utility. The diagnostics industry is highly fragmented with large chains, standalone centers, and hospital-based laboratories. Owing to low entry barriers, the industry is fragmented and is witnessing a lot of small and medium sized players; however, very few are able to scale in a profitable manner.

1.6 Retail Pharmacy:

The retail pharma market in India is currently at a promising stage with its three broad segments of generic drugs, over-the-counter (OTC) drugs, and patented products. Generic drugs form the largest segment, with around 70% market share in terms of revenue. The retail pharmacy market poise a compelling opportunity with increased government spending on health care sector along with initiatives to increase health related awareness in rural regions of the country. However in the long run, the revenues pertaining to pharmacy retail market is expected to contribute the most from the OTC drugs segment. This market is expected to grow fast as more number of companies are expected to enter into the market with wide range of OTC products. It will provide a new dimension to the overall retail pharmacy market. The growth of this market in the long run will be further infused by the shift of pharmacy store to be a "wellness store" and preference towards high quality medicines due to behavioral changes.

4.वित्तीय निष्पादन झलक

पिछले 10 वर्षों के लिए कंपनी के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम नीचे दिए जाते है:

दस वर्षों के निष्पादन का झलक (आँकडे रुपए लाखों में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
व्यापारावर्त	60,900.68	83,294.11	94,168.16	1,05,804.96	1,04,469.12	1,05,434.98	1,07,538.27	1,44,436.65	1,67,764.97	508131.02
कुल आय	61,893.02	84,000.45	95,368.83	1,06,203.33	1,05,197.12	1,06,470.71	1,08,854.76	1,47,168.59	1,73,913.91	513884.30
मूल्यहास, ब्याज और कर (ई बी डी आई टी) के पूर्व अर्जन	5,413.68	7,268.51	7,837.31	9,330.25	1,0137.26	2,829.47	1,608.45	1,03,20.83	21,249.25	21249.25
मूल्यहास	1,581.47	2,084.96	2,375.87	2,983.12	3,652.03	3,860.54	5,134.24	5,428.86	5,333.77	4721.92
ब्याज	775.83	1,402.68	1,840.35	2,594.34	2,870.64	3,028.44	2,961.15	3355.90	3,457.20	2375.13
कर	1,002.33	773.40	1,050.31	597.65	900.27	(1,521.31)	471.40	(310.77)	1,409.75	3921.61
कर के बाद लाभ/ (हानि)	2,054.05	3,007.47	2,570.77	3,155.14	2,714.32	(2,538.21)	(6,958.34)	1,846.84	11,048.53	11233.00
इक्विटी लाभांश %	15.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	
लाभांश भुगतान	233.03	387.07	387.07	387.07	387.07	-	-	-	-	1490.00
इक्विटी शेयर पूँजी	1,553.50	19,353.50	19,353.50	19,353.50	29,041.50	29,041.50	29,041.50	29,041.50	29,041.50	1553.50
आरक्षित और अधिशेष	15,912.59	18,468.10	20,586.01	23,275.31	25,950.97	22,946.09	15,884.34	17,070.41	28,254.79	37020.60
निवल मूल्य	17,466.09	37,821.60	39,939.51	42,628.81	54,992.47	51,987.59	44,925.84	46,111.91	57,296.29	38574.10
सकल अचल परिसंपत्तियाँ	25,998.71	32,290.70	35,771.72	42,379.98	55,244.09	43,590.75	49,312.16	50,293.66	54,795.43	55179.41
निवल अचल परिसंपत्तियाँ	16,252.62	21,958.17	25,663.53	30,903.52	32,878.41	36,339.22	36,974.16	32,684.50	31,904.10	29055.10
कुल परिसंपत्तियाँ	58,029.31	85,811.40	1,83,348.62	2,10,189.10	2,38,530.28	2,49,321.19	2,51,297.32	2,77,458.63	2,80,523.13	441143.82
कर्मचारियों की संख्या	1900	1875	1831	1837	1868	1728	1659	1569	1440	1410

4. FINANCE PERFORMANCE SNAPSHOT

The summarized financial results of the company for the last 10 years are given below:
Ten year's performance results at a glance (Figures ₹in Lacs)

Description	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
Turnover	60,900.68	83,294.11	94,168.16	1,05,804.96	104469.12	105434.98	107538.27	144436.65	167764.97	508131.02
Total Income	61,893.02	84,000.45	95,368.83	1,06,203.33	105197.12	106470.71	108854.76	147168.59	173913.91	513884.30
Earnings Before Depreciation, Inter- est and Tax (EBDIT)	5,413.68	7,268.51	7,837.31	9330.25	10137.26	2829.47	1608.45	10320.83	21249.25	22251.68
Depreciation	1,581.47	2,084.96	2,375.87	2,983.12	3,652.03	3860.54	5,134.24	5428.86	5333.77	4721.92
Interest	775.83	1,402.68	1,840.35	2,594.34	2870.64	3028.44	2,961.15	3355.90	3457.20	2375.13
Tax	1,002.33	773.40	1,050.31	597.65	900.27	(1521.31)	471.40	(310.77)	1409.75	3921.61
Profit/(Loss) After Tax	2,054.05	3,007.47	2,570.77	3,155.14	2714.32	(2538.21)	(6,958.34)	1846.84	11048.53	11233.00
Equity Dividend %	15.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	
Dividend Payout	233.03	387.07	387.07	387.07	387.07	-	-	-	-	1490.00
Equity Share Capital	1,553.50	19,353.50	19,353.50	19,353.50	29,041.50	29041.50	29041.50	29041.50	29041.50	1553.50
Reserves and Surplus	15,912.59	18,468.10	20,586.01	23,275.31	25950.97	22946.09	15884.34	17070.41	28254.79	37020.60
Net Worth	17,466.09	37,821.60	39,939.51	42,628.81	54992.47	51987.59	44925.84	46111.91	57296.29	38574.10
Gross Fixed Assets	25,998.71	32,290.70	35,771.72	42,379.98	55244.09	43590.75	49312.16	50293.66	54795.43	55179.39
Net Fixed Assets	16,252.62	21,958.17	25,663.53	30,903.52	32878.41	36339.22	36974.16	32684.50	31904.10	29060.10
Total Assets	58,029.31	85,811.40	1,83,348.62	2,10,189.10	238530.28	249321.19	251297.32	277458.63	280523.13	441143.82
Number of Employees	1900	1875	1831	1837	1868	1728	1659	1569	1440	1410

5. प्रत्यक्ष निष्पादन

एचएलएल विश्व भर में गर्भनिरोधक उत्पादों की एक श्रृंखला का अग्रणी निर्माता और विपणनकर्ता है। यह विभिन्न प्रकार के अस्पताल उत्पाद, फार्मा उत्पाद और स्वास्थ्य सेवा वितरण सेवाएँ भी प्रदान करता है।

2020-21 के दौरान एचएलएल की विनिर्माण गतिविधियों की समीक्षा नीचे दी गई है :

क्रम सं.	उत्पाद	यूनिट	संस्थापित क्षमता	विनिर्मित मात्रा (चालू वर्ष)	उपयोग क्षमता (%)	विनिर्मित मात्रा (पिछले वर्ष)
1	कंडोम	दशलक्ष अदद	1947.00	1302.27	67%	1269.40
2	ब्लड बैग	दशलक्ष अदद	12.50	4.83	39%	11.00
3	स्यूचर	लाख दर्जन	6.00	0.82	14%	0.80
4	कॉपर-टी	दशलक्ष अदद	5.50	7.96	145%	6.20
5	स्टिरोइडल ओ सी पी	दशलक्ष साइकिल्स	98.66	70.01	71%	48.54
6	नॉन-स्टिरोइडल ओ सी पी	दशलक्ष गोलियाँ	30.00	145.13	484%	121.30
7	सैनिटरी नैपकिन	दशलक्ष अदद	392.00	211.61	54%	87.80
8	नैदानिक टेस्ट किट	दशलक्ष अदद	26.00	15.77	61%	16.50

6. प्रमुख विपणन पहल और उपलब्धियाँ

6.1. रीटेल व्यवसाय प्रभाग (आर बी डी)

रीटेल व्यवसाय प्रभाग (आर बी डी) एचएलएल का सबसे बड़ा व्यवसाय प्रभाग, जो सस्ती कीमतों पर दवाओं, प्रत्योरोपण और अन्य चिकित्सा उत्पादों की रीटेल बिक्री पर ध्यान केंद्रित किया, ने वर्ष 2020-21 के लिए 534.36 करोड़ रुपए का व्यापारावर्त किया। यह प्रभाग चार प्रारूपों में रीटेल फार्मेसी सेवाएँ प्रदान करता है। **- 1. फ्री जेनरिक फार्मेसी 2. अमृत फार्मेसी, 3. एचएलएल फार्मा और सर्जिकल्स, 4. जेनरिक ड्रग स्टोर्स और 5. अमृत फ्रैंचाइज़ी** जिसमें कुल 256 स्टोर हैं। ज़रूरतमंदों की सेवा केलिए प्रतिबद्ध आर बी डी के आउटलेट लॉकडाउन के दौरान भी पूरे साल चालू रहे।

रु. 299.76 करोड़ के कारोबार के साथ **अमृत** फार्मेसियों का मुख्य योदान है। **असम (1), छत्तीसगढ़ (1), कर्नाटका (1), नई दिल्ली (1), उडीसा (1), तेलंगाना (2) और उत्तर प्रदेश (2)** में आउटलेट जोडकर अमृत आउटलेट की संख्या मार्च, 2020 में 206 से बढ़कर मार्च 2021 में 215 हो गई है। अमृत को 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में संचालन है और 31 मार्च, 2021 तक 2.36 करोड़ से अधिक रोगियों की सेवा कर चुका है। हालांकि इन रोगियों को **एम आर पी पर वितरित दवाओं और अन्य उत्पादों का** मूल्य 31 मार्च, 2021 को **रु 3008.00 करोड़** है, बिक्री मात्र **रु 1472.48** करोड़ है। इस प्रकार रोगियों को **रु 1535.52** करोड़ की बचत हुई है जो **एम आर पी** मूल्य पर **51 %** है। अमृत भी बेहतर पहूँच सुनिश्चित करने के लिए एक ई-फार्मेसी शुरू करने की प्रक्रिया में है। भारत के लोगों के लिए इलाज की लागत को कम करने में अमृत फार्मेसियों की प्रतिबद्धता के कारण, इसे वर्ष 2021 के लिए ई टी हेल्थकेयर एवार्ड से सम्मानित किया गया।

6.2. उपभोक्ता व्यवसाय प्रभाग

उपभोक्ता व्यवसाय प्रभाग (सी बी डी) ने वर्ष 2020-21 में रु. 40.09 करोड़ का व्यापारावर्त दर्ज किया है। सी बी डी के प्रमुख ब्रांड -मूड्स को एक व्यापक अखिल भारतीय शोध के बाद भारतीय उपभोक्ता द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए एक भारतीय पावर ब्रांड के रूप में चुना गया है। सहेली, एकमात्र गैर-स्टिरोइडल मौखिक गर्भनिरोधक गोली ब्रांड ने 57% की वृद्धि दर्ज की है। ई-कॉमर्स क्षेत्र में, मूड्स ने गुडगांव और दिल्ली में "स्विगी" और बंगलुरू और पूणे में "डंज़ो" के साथ साझेदारी की है, ताकि उपभोक्ता के घर तक डेलिवरी सुनिश्चित हो सके, जो महामारी के अनुरूप एक आवश्यकता बन गई है। चूँकि ग्राहकों का एक बड़ा हिस्सा अपने घरों तक ही सीमित था, इसलिए इस वर्ष ब्रांड के सोशल मीडिया पेजों पर ग्राहकों की व्यस्तता में वृद्धि दिखाई गई, जो कि 'लॉकडाउन' और "वर्क फ्रॉम होम" जैसे विषयों पर केंद्रित विभिन्न अभियानों के माध्यम से हुआ और अन्य विशेष अवसर जैसे 'विश्व तंबाकू नीषेध दिवस', 'विश्व चॉकलेट दिवस', 'विश्व संभोग दिवस', 'राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस', 'अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट दिवस से धोनी की निवृत्ति' आदि। महामारी ने पूरी तरह से एक नई स्थिति पैदा कर दी, जिसमें केमिस्ट खुले थे,

5. PHYSICAL PERFORMANCE

HLL is a leading manufacturer and marketer of a range of contraceptive products around the globe. It also provides a variety of hospital products, pharma products and healthcare delivery services.

A review of HLL's manufacturing activities during 2020-21 is given below:

Sl. No.	Product	Unit	Installed Capacity	Quantity Manufactured (Current year)	Capacity utilization (%)	Quantity Manufactured (Previous Year)
1	Condoms	Mpcs	1947.00	1302.27	67%	1269.40
2	Blood Bags	Mpcs	12.50	4.83	39%	11.00
3	Suture	L.Doz	6.00	0.82	14%	0.80
4	Copper - T	Mpcs	5.50	7.96	145%	6.20
5	Sterioidal OCP	M.Cycles	98.66	70.01	71%	48.54
6	Non-Steroidal OCP (Saheli)	M.Tabs	30.00	145.13	484%	121.30
7	Sanitary Napkin	Mpcs	392.00	211.61	54%	87.80
8	Diagnostic Test Kits	Mpcs	26.00	15.77	61%	16.50

6. MAJOR MARKETING INITIATIVES AND ACHIEVEMENTS

6.1 RETAIL BUSINESS DIVISION (RBD)

The Retail Business Division(RBD), the largest Business Division of HLL which focused on retailing of drugs, implants and other medical products at affordable prices achieved a turnover of ₹ 534.36 Cr for the year 2020-21. The division provides retail pharmacy services in four formats viz. – 1. Free Generic pharmacies 2. AMRIT pharmacies 3. HLL Pharma and Surgicals 4. Generic Drug Stores and 5. AMRIT franchisees with a total of 256 stores. The outlets of RBD committed to serving the needy were operational throughout the year even during the lockdowns.

AMRIT pharmacies is the main contributor with a turnover of ₹ 299.76 Cr. The number of AMRIT outlets has increased from 206 in March 2020 to 215 in March 2021 by adding outlets in Assam(1), Chattisgarh(1), Karnataka (1), New Delhi(1), Odisha (1), Telangana(2) and Uttar Pradesh(2). AMRIT has operations across 26 states/union territories and has served more than 2.36 Cr patients as on 31st March 2021. Though the value of drugs and other products dispensed to these patients at MRP amounts to ₹ 3008.00 Cr as on 31st March 2021, the sales is only ₹1472.48 Cr. Thus the patients have benefitted with a savings of ₹ 1535.52 Cr which translates to 51% on MRP value.AMRIT is also in the process of launching an e pharmacy to ensure better accessibility. Due to the commitment of AMRIT pharmacies in reducing the cost of treatment for the people of India, it was conferred the ET Healthcare award for the year 2021.

6.2 CONSUMER BUSINESS DIVISION

The Consumer Business Division(CBD) has registered a turnover of ₹40.09 Crores in the year 2020-21. The flagship brand of CBD - MOODS has been chosen as an Indian POWER BRAND for the year 2020-21 by the Indian consumer following an extensive all India research. Saheli, the only non-steroidal oral contraceptive pill brand has posted a growth of 57%. In the e-commerce space, MOODS has partnered with "Swiggy" in Gurgaon and Delhi and "Dunzo" in Bengaluru and Pune to ensure the last mile delivery at the doorstep of a consumer, which became a necessity in line with the pandemic. As a major chunk of the customers were confined to their homes, the year witnessed a rise in the customer engagement on the social media pages of the brand through its various campaigns centred around themes such as 'lockdown'and'work from home,' IPL and other special occasions like 'World No Tobacco Day,''World Chocolate Day,''World Orgasm Day,''National Vaccination Day,'Dhoni's retirement from international cricket etc. The pandemic posed a totally novel situation wherein the chemists though were open but did not encourage visits by the front line field force. To overcome the same,

लेकिन फ्रंट लाइन फील्ड फोर्स द्वारा यात्राओं को प्रोत्साहित नहीं किया। उसी पर काबू पाने के लिए, प्रभाग ने बिक्री बल द्वारा टेली-कॉलिंग सुनिश्चित की जिसे पहले से मौजूद सेल्स फोर्स ऑटोमेशन (एस एफ ए) द्वारा समर्थित किया गया था, जिसमें बिक्री बल द्वारा मोबाइल ऐप में ऑर्डर दर्ज किए जा सकते थे।

6.3 वेंडिंग व्यवसाय प्रभाग (वी बी डी)

वेंडिंग व्यवसाय प्रभाग (वी बी डी) ने रु. 26.47 करोड़ का व्यापारावर्त हासिल किया है। वी बी डी सैनिटरी नैपकिन के वेंडिंग के ज़रिए महिलाओं को सशक्त बनाना जारी रखता है। प्रभाग ने **आंध्रा स्कूल शिक्षा परियोजना** के लिए **सुरक्षा बायो डिग्रेडेबल नैपकिन** के ज़रिए सैनिटरी पैड पेश किए, जिन्हें 8410 स्कूलों में वितरित किया गया और 74 मिलियन बायोडिग्रेडेबल पैड की आपूर्ति की गई। प्रभाग ने दूसरे सफल वर्ष के लिए 200 लाख के एन सी एल सी एस आर आदेश के पुनरावर्ती आदेश हासिल किया और केरल राज्य महिला विकास निगम (के एस डब्लियु डी सी) के साथ बायोडिग्रेडेबल पैड और स्मार्ट डिस्पेंसर सहित ठेके का नवनीकरण किया। इसने आंध्रा प्रदेश में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रिटेल आउटलेट्स पर 250 वेंडिंग मशीनों की स्थापना के लिए पायलेट प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया। मासिक धर्म कप जो मासिक धर्म स्वच्छता के लिए एक नया विकल्प है, को भी प्रभाग द्वारा लॉच किया गया था और के एस डब्लियु डी सी की षी पैड परियोजना में शामिल किया गया था और केरल के कोट्टयम के वषियूर पंचायत की सामुदायिक महिलाओं के बीच वितरित किया गया था।

प्रभाग की भविष्य की योजनाओं में रीटेल बाज़ार में होम इंसीनरेटर और ओज़ॉन से संबंधित उत्पादों को लॉच करना, सैनिटरी पैड के मुफ्त वितरण परियोजनाओं के लिए स्मार्ट डिस्पेंसर की शुरुआत, ऑनलाइन एम एच एम जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और सामाजिक जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।

6.4 हाई केयर प्रभाग (एच सी डी)

हेल्थकेयर प्रभाग ने 20% की वृद्धि दर्ज करते हुए 104.96 करोड़ रुपए का व्यापारावर्त हासिल किया है। हाई केयर व्यवसाय प्रभाग की परियोजना एवं सेवाएँ (पी & एस) के कार्यक्षेत्र, जो स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन का कार्य करता है, ने रु. 78.99 करोड़ रुपए के व्यापारावर्त का योगदान दिया है। उप स्वास्थ्य केंद्रों (एस एच सी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पी एच सी) और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (यु पी एच सी) के स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एच डब्लियु सी) के उन्नयन के संबंध में परियोजनाओं के लिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केरल के राज्य एन एच एम द्वारा प्रभाग को नामित किया गया था। उत्तराखंड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सोसाइटी ने एचएलएल को सरकार और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य क्षेत्र में माल की खरीद और नवीनीकरण/निर्माण कार्यों के लिए राज्य के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में सूचीबद्ध किया है। पी & एस स्टाफ नर्सों जैसे कुशल जनशक्ति की भर्ती के लिए एन एच एम, हिमाचल प्रदेश से भी जुडा हुआ है।

महामारी के बावजूद जहाँ अस्पताल केवल **कोविड प्रबंधन** पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, ब्लड कंपोनेंडट थेरेपी (बी सी टी) वर्टिकल ने फोर्टिस मुबई और मणिपाल ग्रूप ऑफ हॉस्पिटल्स में प्रीमियम ब्लड बैग - **"डोनाटो"** के साथ प्रवेश किया और कावेरी अस्पताल त्रिची, केमिस्ट बी बी मुंबई के साथ-साथ आर डी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन में भी सफलतापूर्वक घटक निकालनेवाली मशीनें स्थापित की गईं।

6.5 महिला स्वास्थ्यरक्षा प्रभाग

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान महिला स्वास्थ्य विभाग (डब्लियु एच डी) ने रु. 55.40 करोड़ का व्यापारावर्त किया है। प्रभाग ने पोस्ट पार्टम हेमरेज के प्रबंधन के लिए यूटेरिन बलून टेम्पोनेट किट (यू बी टी किट) लॉच किया और बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन भी पेश किया जो **आंध्रा प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा विभाग** को आपूर्ति की गई थी। कोविड - 19 महामारी ने **कोविड - 19 प्रबंधन के लिए आयुर्वेदिक प्रतिरक्षा बूस्टर दवाओं** के शुभारंभ को प्रोत्साहित किया, जो हरियाणा, गोवा, लक्षद्वीप आदि राज्यों में विभिन्न संस्थानों को आपूर्ति की गई थी। महामारी से उत्प्रेरित प्रतिबंधों के कारण, प्रभाग को बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिसमें इसके चिकित्सा प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत बैठकों के लिए चिकित्सा बिरादरी द्वारा सहमत नहीं किया गया था। डब्लियु एच डी ने डिजिटल उपकरणों और प्रथाओं को अपनाकर वाट्सआप के ज़रिए उत्पदों का प्रचार करना और डॉक्टरों के साथ ऑनलाइन वीडियो मीट आयोजित करने से इस पर काबू पाया।

6.6 स्वास्थ्य रक्षा सेवाएँ (एच सी एस)

स्वास्थ्य रक्षा सेवाएं (एच सी एस) प्रभाग वर्ष 2020-21 में रु. 224.97 करोड़ का योगदान दिया। हिंदलैब्स प्रमुख रूप से तीन वर्टिकल्स के साथ प्रचालन करता है - मेडिकल लैब्स; मेडिकल इमेजिंग और क्लिनिक। हिंदलैब्स ने आज 4000 से अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं को शामिल किया है, 28 मिलियन रोगियों को सेवा प्रदान की है और अब तक 75 मिलियन परीक्षण किए हैं। हिंदलैब्स अपने एन डी एफ एस (नेशनल फ्री डायग्नोस्टिक स्कीम) के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन एच एम) के सहयोग से महाराष्ट्रा और असम राज्यों में हब और स्पोक मॉडल पर सफलतापूर्वक संचालन किया है। पिरामिड की तह तक किफ़ायती निदान तक पहूँचने के मामले में यह कार्यक्रम अब तक का सबसे सफल कार्यक्रम है। नवीनतम अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, उद्योंग में चार्ज की जानेवाली दरें सबसे कम है।

the division ensured tele-calling by the sales force which was supported by the already existing Sales Force Automation(SFA) wherein orders could be entered in the mobile app by the sales force.

6.3. VENDING BUSINESS DIVISION (VBD)

The Vending Business Division has achieved a turnover of ₹ 26.47 Cr.VBD continues to empower women through vending of sanitary napkins. The division introduced biodegradable sanitary pads through the **Suraksha Bio Degradable napkins for Andhra School Education Project** which were distributed among 8410 schools and supplied 74 million biodegradable pads. The division bagged the repeat order of NCL CSR order for the second successive year to the tune of 200 Lakhs and renewed the contract with Kerala State Women's Development Corporation (KSWDC) with biodegradable pads and smart dispensers included. It successfully completed the pilot project for installation of 250 Vending Machines at the retail outlets of Indian Oil Corporation Limited in Andhra Pradesh. Menstrual cup which is a new alternative for menstrual hygiene was also launched by the division and included in the She pad project of KSWDC and distributed among the community women of Vazhyoor Panchayat of Kottayam, Kerala.

The future plans of the division include launch of home incinerators and Ozone related products in the retail market, introduction of smart dispensers for free distribution projects of sanitary pads, conducting online MHM awareness programmes and focusing on creating awareness on social

6.4 Hi CARE DIVISION (HCD)

The Healthcare Division has achieved a turnover of ₹ 104.96 Crores registering a growth of 20%. The Projects and Services (P&S) vertical of the Hi CARE Business Division that undertakes up- gradation of healthcare facilities has contributed a turnover of ₹ 78.99 Crores. The Division was nominated by the state NHMs of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Kerala for projects regarding up-gradation of Sub Health Centres (SHC), Primary Health Centres (PHC) and Urban Primary Health Centres (UPHC) to Health And Wellness Centres (HWC).The Uttarakhand Health & Family Welfare Society empanelled HLL as a nodal agency for the state for procurement of goods and renovation/construction works in health sector funded by the Govt. and World Bank. P& S is also associated with NHM, Himachal Pradesh for recruitment of skilled manpower such as staff nurses.

Despite the pandemic where hospitals were focusing only on COVID management, the Blood Component Therapy (BCT) vertical made an entry into Fortis Mumbai and Manipal Group of Hospitals with the premium Blood Bags – "DONATO" and also successfully installed component extractor machines at Kaveri Hospital Trichy, Chemist BB Mumbai as well as R. D. Gardi Medical College Ujjain.

6.5 WOMEN HEALTHCARE DIVISION

The Women Healthcare Division(WHD) has achieved a turnover of ₹55.40 Cr during the financial year 2020-21. The division launched Uterine Balloon TemponateKit (UBT Kit) for management of Post Partum Hemorrhage and also introduced biodegradable sanitary napkins which were supplied to **Andhra Pradesh Intermediate education Department.** The COVID -19 pandemic encouraged launch of **Ayurvedic immune booster medicines for COVID -19 management** which weresupplied to various Institutions in the states of Haryana, Goa, Lakshadweep etc. Due to the pandemic induced restrictions, the division faced lot of hurdles wherein its medical representatives were not entertained by the medical fraternity for in-person meetings. WHD overcame the same by adopting digital tools and practices such as promoting the products through Whatsapp and organizing online video meets with the doctors.

6.6 HEALTHCARE SERVICES (HCS)

The Healthcare Services(HCS) Division contributed ₹224.97 Cr in 2020-21. HINDLABS operates majorly with three verticals- Medical Labs; Medical Imaging and Clinic. HINDLABS today covers over 4000 healthcare facilities, has catered to 28 Million patients and has performed 75 Million tests till date. HINDLABS successfully operateson the hub and spoke model in states of Maharashtra and Assam in association with the National Health Mission (NHM) for their NFDS (National Free Diagnostic Scheme). This programme is by far the most successful in terms of reaching the affordable diagnostics to the bottom of the pyramid. With latest State of art equipment, the rates charged are the lowest in the industry.

हिंदलैब्स की प्रमुख शक्तियों में किफायती मूल्य निर्धारण (सी जी एच एस) अत्यधिक स्वचालित प्रयोगशालाएँ और उपकरण, गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति, एन ए बी एल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएँ और राज्य सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ बड़ी परियोजनाओं पर काम करने का अनुभव शामिल हैं। आज **हिंदलैब्स** 2022 तक 40 मिलियन आबादी की सेवा करने की दृष्टि से सबसे बड़ी श्रृंखला निदान के रूप में उभरा है।

हिंदलैब्स ने कोविड - 19 परीक्षण प्रयोगशालाओं के शुभारंभ के साथ 'आणविक निदान और आनुवंशिकी प्रभाग' शुरू किया है और जल्द ही नवीनतम निदान विधियों में उभरने वाले हैं क्योंकि भविष्य में इन क्षेत्रों में अधिक संभावनाएँ हैं।

6.7. कोविड प्रबंधन से संबंधित प्रापण और लॉजिस्टिक्स

1. प्रापण

जनवरी 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरूआत के साथ, मास्क, कवरॉल, गोगल्स, दस्ताने, सैनिटाइज़र, वेंटिलेटर इत्यादि की भारी कमी का सामना करना पडा। एचएलएल को पीपीई किट, एन 95 मास्क, गोगल्स और नाइट्रियल दस्ताने जैसे कोविड प्रबंधन के लिए आवश्यक उत्पादों की आपातकालीन चिकित्सा आपूर्ति के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएफडब्लियू) के लिए प्रापण अभिकरण के रूप में नियुक्त किया गया था। कोविड-19 या किसी अन्य आपातकालीन स्थिति जैसी विषाणुजनित रोग के मामले में, प्रापण में देरी के परिणामस्वरूप मानव जीवन का नुकसान हो सकता है। अतः यह सर्वश्रेष्ठ महत्व का था कि आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति या / और सेवाओं को यथा संभव अति शीघ्र तरीके से प्रापण किए गए थे। चूँकि, कोविड -19 एक नई बीमारी थी और अपर्याप्त उत्पादन के कारण भारत में पर्याप्त मात्रा में सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध नहीं थे और देश एक विक्रेता बाज़ार था।

उपरोक्त परियोजना में एचएलएल द्वारा सामना की जानेवाली चुनौतियाँ निम्नानुसार थीं:

1. पर्याप्त आपूर्तिकर्ताओं की अनुपलब्धता।
2. पर्याप्त मात्रा में उत्पादों की अनुपलब्धता।
3. भुगतान शर्तें 100% अग्रिम रहा है।
4. उपलब्धता की कमी के कारण उच्च कीमत।
5. कोविड-19 के लिए उत्पाद मानकों के सीमित ज्ञान।
6. एक परीक्षण प्रोटोकॉल की अनुपस्थिति।
7. कोविड-19 से संबंध लोकडाउन से उत्प्रेरित प्रतिबंधों के कारण परिवहन विकल्पों की अनुपलब्धता।

प्रापण में एचएलएल द्वारा सामना की जानेवाली चुनौतियों; कोविड प्रबंधन से संबंधित गोदाम और लॉजिस्टिक्स संचालन के बावजूद, एचएलएल ने कवरॉल, गोगल्स, दस्ताने, वेंटिलेटर, मास्क, दवाएँ, थर्मोमीटर, थर्मल स्कैनर आदि सहित रु.2457 कोरड के उत्पादों के प्रापण करके वितरित किया।

2. गोदाम प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स

एचएलएल राज्य के आर-पार विभिन्न संस्थानों को माल की आपूर्ति के सिलसिले में गोदाम प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार था। ये गोदाम देश भर में विभिन्न स्थानों जैसे नई दिल्ली, गुडगांव, बंगलूरु, चेनै, अहमदाबाद, कोलकत्ता, मुंबई, पटियाला आदि में स्थापित किए गए थे और आपूर्तिकर्ताओं से स्टॉक प्राप्त करने के लिए उपयोग किए गए थे और यहाँ से राज्य सरकार से प्राप्त आबंटन के अनुसार आगे विभिन्न संस्थाओं को प्रेषण किए गए। उपरोक्त संचालन में आनेवाली चुनौतियाँ निम्न जैसे थे;

1. कोविड-19 से जुडे लॉकडाउन से उत्प्रेरित प्रतिबंधों के कारण गोदामों से लाभार्थी संस्थानों को प्रेषण सुनिश्चित करने के लिए परिवाहक और वाहनों सहित परिवहन विकल्पों की अनुपलब्धता।
2. गोदामों में लदान और उतराई के लिए श्रम की अनुपलब्धता।

7. जोखिम और उद्विग्नता

- जोखिमः एचएलएल व्यवसाय के लिए सरकार और सरकारी संगठन पर अत्यधिक निर्भर है। सरकार को अधिमानित विक्रेता की हानि की स्थिति एचएलएल की दूरदर्शिता और रणनीति काफी रूप से प्रभावित कर सकती है ।
- शमन योजना : कंपनी नए उत्पादों और सेवाओं को प्रारंभ करके और लगातार मार्किट शेयर को बढ़ाने के दो आयामी रणनीतियों द्वारा इस

The major strengths of HINDLABS includes affordable pricing (CGHS), highly automated labs and equipments, quality manpower, NABL Accredited labs and experience in working large projects with State Government and National Health Mission. Today HINDLABS has emerged as one of the largest chain diagnostics with vision of serving 40 million populations by 2022.

HINDLABS has launched the 'Molecular Diagnostics and Genetics Division' with the launch of the Covid-19 testing labs and are soon to emerge into the latest Diagnostics methods, as the future holds more promise in these segments. Further plans are to expand the test menu to liquid biopsy and microfluidics.

6.7 COVID MANAGEMENT RELATED PROCUREMENT AND LOGISTICS

1. PROCUREMENT

With the onset of the COVID -19 pandemic in January 2020, the country faced huge shortage of masks, coveralls, goggles, gloves, sanitizers, ventilators etc. HLL was appointed as the procurement agency for Ministry of Health and Welfare (MoHFW) for emergency medical supplies of products required for COVID management such as PPE coveralls, N 95 masks, Goggles and Nitrile gloves. In case of a virulent disease like COVID-19 or any other emergency situation, delays in procurement might result in loss of human lives. Hence, it was of paramount importance that the necessary Medical Supplies or/and Services were procured in the quickest possible manner. Since, COVID-19 was a new disease and the protective equipment was not available in sufficient quantities in India due to inadequate production and the country was a sellers' market.

The challenges faced by HLL in the above project were as follows:

1. Non-availability of sufficient suppliers
2. Non-availability of sufficient quantities of products
3. Payment terms being 100 % advance
4. Higher prices due to the lack of availability
5. Limited knowledge of the product standards for COVID-19
6. Absence of a testing protocol
7. Non-availability of transportation options due to COVID -19 associated lockdown induced restrictions

Despite the challenges faced by HLL in the procurement; warehousing & logistics operations related to COVID management, HLL has procured & distributed ₹ 2457 Crores worth products including coveralls, goggles, gloves, ventilators, masks, medicines, thermometers, thermal scanners, etc,.

2. WAREHOUSE MANAGEMENT AND LOGISTICS

HLL was also responsible for warehouse management in connection with the supply of goods to various institutions across the states. These warehouses were set up at various locations across the country such as New Delhi, Gurgaon, Bengaluru, Chennai, Ahmedabad, Kolkata, Mumbai, Patiala, etc and were used to receive the stocks from the suppliers and from here, further despatches were made to variousinstitutions as per allocations received from the state government. The challenges faced in the above operations were as follows:

1. Non-availability of transportation options including transporter and vehicles to ensure despatches from the warehouses to the beneficiary institutions due to COVID -19 associated lockdown induced restrictions
2. Non-availability of labour for loading and unloading of goods at warehouses

7. RISKS AND CONCERNS

- Risk: HLL is highly dependent on Government and Government organization for business. Loss of 'preferred vendor to government' status may impact HLL's vision and strategies significantly.

जोखिम के शमन करने की योजना बनाती है, जो मध्यम जोखिम रणनीतियों से कम हैं।

- जोखिम : निर्यात एवं देशीय बाज़ार, दोनों के लिए अपेक्षित अनुपालन के वर्धित स्तर, उत्पादों और सेवाओं की लागत की वृद्धि करती है।
- शमन योजना : कंपनी को लक्षित राज्यक्षेत्रों में उपयुक्त विनियमन के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समर्पित टीम को सुव्यवस्थित करके इस जोखिम को शमन करने का भरोसा है।

8. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उनकी पर्याप्तता

दिये गये व्यापार की प्रकृति और प्रचालन के आकार, आपकी कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली निम्न प्रदान करने के लिए परिकल्पित की गयी है :

- सभी संयंत्रों, बिक्री कार्यालयों, मुख्यालय आदि को जोडने वाली इंटग्रेटेड एस ए पी प्रणाली।
- कंपनी के प्रचालनों के बढ़ते आकार और जटिलता के साथ तालमेल रखने के लिए प्रणाली और प्रक्रियाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ।
- अचल परिसंपत्तियों और वस्तुसूचियों का आवधिक प्रत्यक्ष सत्यापन ।
- आंतरिक लेखापरीक्षा से उत्पन्न अवलोकनों की लेखापरीक्षा समिति बैठक में समीक्षा की जाती है और अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है ।
- आंतरिक जाँच और शीघ्र रिपोर्टिंग के साथ लेन-देन का सही रिकोर्डिंग।
- लागू लेखांकन मानकों एवं नीतियों का पालन करना।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अच्छी तरह से प्रलेखित नीतियों/ मार्गनिर्देशों, प्राधिकरणों और अनुमोदन प्रक्रियाओं के लिए प्रदान करती है। कंपनी स्वतंत्र फर्मों के सनदी लेखाकारों एवं अपने ही कोर्पोरेट लेखापरीक्षा सेवा प्रभाग (सी ए एस) के ज़रिए, सभी स्थानों पर आवधिक लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित योजना आधारित कार्यकलाप कार्यान्वित करती हैं और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया में किसी भी विचलन को सामने लाते हैं। लेखापरीक्षा की टिप्पणियों का संक्षेप और कार्यान्वयन की स्थिति त्रैमासिक आधार पर लेखापरीक्षा समिति के निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाती है। सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति नियमित आधार पर लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है और यदि कोई उद्धिग्नता है तो बोर्ड को रिपोर्ट की जाती है। उनके द्वारा उठाए सभी मुद्दों को उचित रूप से कार्रवाई करके अनुवर्ती कार्रवाई की गई हैं। कंपनी पर लागू सभी नियमों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली लागू है। कंपनी श्रेष्ठ वैश्विक प्रथा के साथ अपनी सभी प्रक्रियाओं और नियंत्रण को क्रमबद्ध रखने के लिए अपना प्रयास जारी है।

9. सचेतक विवरण

निदेशक रिपोर्ट और प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण में कंपनी के उद्देश्यों, प्रक्षेपणों, उम्मीदों एवं प्राकलनों के वर्णन करनेवाले विवरण चालू व्यवसाय परिवेश के आधार पर है। कई घटक कंपनी के वास्तविक परिणाम, निष्पादन या उपलब्धियों के कारण हो सकता है, जो भविष्य के परिणाम, निष्पादन या उपलब्धियों से अधिक मात्रा में अलग होगा, वह ऐसे अग्रवर्ती विवरणों द्वारा अभिव्यक्त या सूचित किया जाएगा। पाठकों से आगाह किया जाता है कि दूरदेशी बयानों पर अनुचित दृढ विश्वास न रखों।

निदेशक मंडल की तरफ से

के. बेजी जोर्ज आई आर टी एस
स्थान : तिरुवनंतपुरम
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डी आई एन :08419099]

तारीख :28 सितंबर, 2021
स्थान : तिरुवनंतपुरम

- Mitigation plan: The Company plans to mitigate this risk by two-pronged strategies of 'introducing new products and services' and 'continuously increasing market share', which are low to medium risk strategies.
- Risk: Increasing levels of compliance required for both export and domestic markets increases cost of products and services.
- Mitigation plan: The Company is confident of mitigating this risk by establishing dedicated teams to ensure compliance with applicable regulations in target territories.

8. INTERNAL CONTROL SYSTEMS AND THEIR ADEQUACY

Given the nature of business and size of operations, your Company's internal control system has been Designed to provide for:

- An integrated SAP system connecting all Plants, Sales Offices, Head Office, etc
- Systems and Procedures are periodically reviewed to keep pace with the growing size and complexity of Company's operations.
- Periodic physical verification of fixed assets and inventories.
- Observations arising out of Internal Audit are reviewed at the Audit Committee meeting and follow up action taken
- Accurate recording of transactions with internal checks and prompt reporting.
- Adherence to applicable Accounting Standards and Policies.

The Internal Control system provides for well documented policies/guidelines, authorizations and approval Procedures. The Company through independent firms of Chartered Accountants and its own Corporate Audit Service Division (CAS), Department carries out periodic audits at all locations and functions based On the plan approved by Audit Committee and brings out any deviation to internal control procedures. The Summary of Internal Audit observations and status of implementation are submitted to the Audit Committee Of the Board of Directors on a quarterly basis. The status of implementation of the recommendations is Reviewed by the Audit Committee on the regular basis and concerns, if any, are reported to the Board. All the issues raised by them have been suitably acted upon and followed up. Proper systems are in place to Ensure compliance of all laws applicable to the Company. The Company continues its efforts to align all its processes and controls with best global practice.

9. CAUTIONARY STATEMENT

Statements in the Director's Report and Management Discussion & Analysis describing the Company's objectives, projections, expectations and estimates are based on current business environment. Many factors could cause the actual results, performances or achievements of the Company to be materially different from any future results, performances or achievements that may be expressed or implied by such forward looking statements. Readers are cautioned not to place undue conviction on the forward looking statements.

For and on behalf of Board of Directors

K Beji George IRTS
Chairman & Managing Director
[DIN: 08419099]

Date: 28th September, 2021
Place: Thiruvananthapuram

अनुबंध I

एमओयू 2020-21 के लक्ष्यों की उपलब्धि

क्रम सं.	एम ओ यु पैरामीटर (यूनिट)	उत्कृष्ट के लिए एमओयू लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
1	क्षमता उपयोग : कंडोम (%) (संस्थापित क्षमता : 1947 दशलक्ष अदद)	90 %	79 %
2	क्षमता उपयोग : सैनिटरी नैपकिन (%) (संस्थापित क्षमता : 392 दशलक्ष अदद)	75 %	69%
3	जी एस एम सुविधा के साथ सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन का डिज़ाइन, विकास और वाणिज्यिक उत्पादन और बिक्री (मशीनों की संख्या)	200	340
4	नीचे तालिका-ए में दिए गए मापदंडों की उपलब्धि (मापदंडों की संख्या)	2	2
5	भारत में ग्राफीन कंडोम के मानव नैदानिक परीक्षण का समापन (तारीख)	28 फरवरी, 2021	7 दिसंबर, 2020
6	पिछले वर्ष से सभी समनुषंगी सी पी एस ई के नुकसान में कमी नोट(-) हानि में वृद्धि दर्शाता है ।	100 %	घाटे में कोई कमी नहीं
7	वर्ष के दौरान फार्मेसी आउटलेट की संख्या में वृद्धि (आउटलेट की संख्या)	10 आउटलेट	11 आउटलेट
8	पिछले वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2019-20(%) के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद के लिए जी ई एम पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का प्रतिशत	25 %	34%

तालिका ए

पैरामीटर्स	लक्ष्य
1. बीडीयु संयंत्र की क्षमता प्रति वर्ष 2000 किलोग्राम तक बढ़ाने के लिए विस्तार	25 फरवरी, 2021
2. यूनिपिल संयंत्र से लेवोनोर्गेस्ट्रॉल और एथिनिलएस्ट्राडियोल ओ सी पी के नए सूत्रीकरण का विकास । (बी ई अध्ययन)	25 फरवरी, 2021

Annexure I

ACHIEVEMENT OF MOU 2020-21 TARGETS

Sl. No	MoU Parameters (Unit)	MoU Target for Excellent	Actual Achievement
1	Capacity Utilisation: Condoms (%) (installed capacity :1947Mpcs)	90%	79%
2	Capacity Utilisation: Sanitary Napkin (%) (installed capacity: 392 MPcs)	75%	69%
3	Design, Development and commercial production and sales of sanitary napkin vending machine with GSM facility (Number of machines)	200	340
4	Achievement of parameters given in Table – A below (number of parameters)	2	2
5	Completion of the human clinical trial of graphene condom in India (Date)	28-Feb-21	7-Dec-2020
6	Reduction in Loss of all subsidiary CPSEs from previous year Note: (-) indicates an increase in loss	100%	No Reduction in loss
7	Increase in the number of pharmacy outlets during the year (number of outlets)	10 outlets	11 outlets
8	Percentage of Procurement of Goods and Services through GeM portal to Total Procurement of Goods and Services during the previous year i.e. FY 2019-20 (%)	25%	34%

Table A

Parameter	Target
1. Augmentation of BDU plant to enhance the capacity to 2000 kgs per annum.	25/Feb/2021
2. Development of new formulation of Levonorgestrol & Ethinylestradiol OCP from Unipill Plant. (BE Study)	25/Feb/2021

परिशिष्ट II

फार्म सं.एओसी- 2

[कंपनियों के (लेखा) नियम, 2014 के अधिनियम की धारा 134 की उप धारा (3)
के खण्ड (एच) और नियम 8(2) के अनुसार]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप धारा (1) में संदर्भित संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी द्वारा प्रारंभ किये ठेके/व्यवस्थाओं के सिवा तीसरे उपबंध के अधीन कुछ व्यतिरेक लेन-देन सहित विवरण के प्रकटीकरण के लिए फॉर्मः

1. व्यतिरेक के आधार पर न रहे ठेके या व्यवस्थाएँ या लेनदेन के विवरण

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रारंभित कोई ठेके या व्यवस्थाएँ या लेन - देन नहीं थे जो व्यतिरेक के आधार पर नहीं थे ।

2. व्यतिरेक के आधार पर महत्वपूर्ण ठेका या व्यवस्था या लेन -देन का विवरण।

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण ठेका या व्यवस्थाएँ या व्यतिरेक लेन-देन के विवरण इस प्रकार हैं:

संबंधित पार्टी(ओं) का नाम और रिश्ते की प्रकृति	ठेके/व्यवस्थाएँ/ लेन -देन की प्रकृति	ठेका/ व्यवस्था/लेन -देन की अवधि	मूल्य सहित मुख्य शर्तें, यदि कोई है तो (लाखों में)	बोर्ड अनुमोदन की तारीख, यदि कोई है तो	अग्रिम के रूप में भुगतान की गयी रकम यदि कोई है तो
हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन न्यास (एचएलएफपीटी) - सहयोगी	बिक्री	लागू नहीं	4.34		शून्य
	किराया आय	लागू नहीं	54.48		शून्य
	अन्य व्यय	लागू नहीं	-		शून्य
	विविध देनदार	लागू नहीं	317.07		शून्य
	परामर्श/ सेवाएं	लागू नहीं	18.57		शून्य
लाइफ स्प्रिंग अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड - संयुक्त उद्यम कंपनी	अन्य व्यय	लागू नहीं	-		शून्य
	विविध देनदार	लागू नहीं	11.40		शून्य
	शेयरों में निवेश	लागू नहीं	950.76		शून्य
	परामर्श/ सेवाएं	लागू नहीं	0.19		शून्य
	खरीद	लागू नहीं	17.55		शून्य
एचएलएल बायोटेक लिमिटेड - पूर्ववर्ती समनुषंगी कंपनी	वेतन और भत्ते	लागू नहीं	38.40		शून्य
	परामर्श/ सेवाएं	लागू नहीं	48.29		शून्य
	परामर्श व्यय	लागू नहीं	4,910.32		शून्य
	अन्य व्यय	लागू नहीं	28.38		शून्य
	ऋण	लागू नहीं	1,940.25		शून्य
गोवा एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जीएपीएल) - समनुषंगी कंपनी	अन्य व्यय	लागू नहीं	7.36		शून्य
	वेतन और भत्ते	लागू नहीं	57.28		शून्य
	शेयरों में निवेश	लागू नहीं	708.75		शून्य
	अन्य व्यय	लागू नहीं	2.02		शून्य
	विविध देनदार	लागू नहीं	572.85		शून्य
	परामर्श/ सेवाएं	लागू नहीं	32.84		शून्य

Annexure II

FORM NO. AOC-2

[Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2)
of the Companies (Accounts) Rules, 2014]

Form for disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the Company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arm's length transactions under third proviso thereto:

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis:

There were no contracts or arrangements or transactions entered into during the year ended March 31st, 2021, which were not on arm's length basis.

2. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis:

The details of material contracts or arrangements or transactions on arm's length basis for the year ended 31st March 2021 are as follows:

Name (s) of the related Party & Nature of relationship	Nature of contract/ arrangements/ transactions	Duration of contract/ arrangements/ transactions	Salient terms including the value, if any (₹in lakhs)	Date of Board approval, if any	Amount paid as advance, if any
Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust (HLFPPT)- Associate	Sales	NA	4.34		Nil
	Rental Income	NA	54.48		Nil
	Other Expenses	NA	-		Nil
	Sundry Debtors	NA	317.07		Nil
	Consultancy / service	NA	18.57		Nil
Life Spring Hospitals Private Limited- Joint venture Company	Other Expense	NA	-		Nil
	Sundry Debtors	NA	11.40		Nil
	Investment in shares	NA	950.76		Nil
	Consultancy / service	NA	0.19		Nil
HLL Biotech Limited – Erstwhile Subsidiary company	Purchases	NA	17,55		Nil
	Salaries & allowances	NA	38.40		Nil
	Consultancy/ Service	NA	48.29		Nil
	Consultancy expenses	NA	4,910.32		Nil
	Other Expenses	NA	28.38		Nil
	Loan	NA	1,940.25		Nil
Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (GAPL) -Subsidiary company	Other expenses	NA	7.36		Nil
	Salaries & allowances	NA	57.28		Nil
	Investment in shares	NA	708.75		Nil
	Other expenses	NA	2.02		Nil
	Sundry debtors	NA	572.85		Nil
	Consultancy/ Services	NA	32.84		Nil

संबंधित पार्टी(ओं) का नाम और रिश्ते की प्रकृति	ठेके/व्यवस्थाएँ/ लेन -देन की प्रकृति	ठेका/ व्यवस्था/लेन -देन की अवधि	मूल्य सहित मुख्य शर्तें, यदि कोई है तो (लाखों में)	बोर्ड अनुमोदन की तारीख, यदि कोई है तो	अग्रिम के रूप में भुगतान की गयी रकम यदि कोई है तो
एचएलएल मेडीपार्क लिमिटेड - पूर्ववर्ती समनुषंगी कंपनी	शेयरों में निवेश	लागू नहीं	-		शून्य
	किराया आय	लागू नहीं	22.65		शून्य
	ऋण	लागू नहीं	168.42		शून्य
	वेतन और भत्ते	लागू नहीं	44.24		शून्य
	अन्य व्यय	लागू नहीं	0.22		शून्य
	परामर्श/ सेवाएं	लागू नहीं	3.18		शून्य
एचएलएल इंफ्राटेक सर्वीसस लिमिटेड - समनुषंगी कंपनी	किराया आय	लागू नहीं	280.06		शून्य
	परामर्श/ सेवाएं	लागू नहीं	225.30		शून्य
	लाभांश आय	लागू नहीं	1,000.00		शून्य
	अन्य व्यय	लागू नहीं	79.91		शून्य
	विविध देनदार	लागू नहीं	532.99		शून्य
	शेयरों में निवेश	लागू नहीं	5.00		शून्य
एचएलएल प्रतीक्षा धर्मार्थ सोसाइटी - सहयोगी	अन्य व्यय	लागू नहीं	शून्य		शून्य
	अन्य देयताएं	लागू नहीं	1.15		शून्य
एचएलएल प्रबंधन अकादमी - सोसाइटी	वेतन और भत्ते	लागू नहीं	20.43		शून्य
	अन्य व्यय	लागू नहीं	1.13		शून्य
	विविध देनदार	लागू नहीं	391.70		शून्य
	परामर्श/ सेवाएं	लागू नहीं	3.18		
एचएलएल मातृ व शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड - समनुषंगी कंपनी	अन्य व्यय	लागू नहीं	-		शून्य
	विविध देनदार	लागू नहीं	-		शून्य
	शेयरों में निवेश	लागू नहीं	-		शून्य
	परामर्श/ सेवाएं	लागू नहीं	-		शून्य

निदेशक मंडल की तरफ से

के.बेजी जोर्ज आई आर टी एस
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डिन: 08419099]

दिनांक : 28 सितंबर, 2021
स्थान : तिरुवनंतपुरम

Name (s) of the related Party & Nature of relationship	Nature of contract/ arrangements/ transactions	Duration of contract/ arrangements/ transactions	Salient terms including the value, if any (₹in lakhs)	Date of Board approval, if any	Amount paid as advance, if any
HLL Medipark Limited - Erstwhile Subsidiary company	Investment in shares	NA	-	-	Nil
	Rental Income	NA	22.65		Nil
	Loan	NA	168.42		Nil
	Salaries & allowances	NA	44.24		Nil
	Other Expense	NA	0.22		Nil
	Consultancy/ Services	NA	3.18		Nil
HLL Infra Tech Services Limited - Subsidiary company	Rental Income	NA	280.06		Nil
	Consultancy/ Service	NA	225.30		Nil
	Dividend Income	NA	1,000.00		Nil
	Other Expense	NA	79.91		Nil
	Sundry Debtors	NA	532.99		Nil
	Investment in shares	NA	5.00		Nil
HLL Pratheeksha Charitable Society - Associate	Other expenses	NA	Nil		Nil
	Other liabilities	NA	1.15		Nil
HLL Management Academy – Society	Salaries & allowances	NA	20.43		Nil
	Other Expenses	NA	1.13		Nil
	Sundry Debtors	NA	391.70		Nil
	Consultancy / Services	NA	3.18		Nil
HLL Mother & Child Care Hospitals Ltd. – Subsidiary Company	Other Expenses	NA	-		Nil
	Sundry Debtors	NA	-		Nil
	Investment in shares	NA	-		Nil
	Consultancy / Services	NA	-		Nil

For and on behalf of Board of Directors
K Beji George IRTS
Chairman & Managing Director
[DIN:08419099]

Date: 28th September,2021
Place: Thiruvananthapuram

परिशिष्ट III

फार्म नं.एमजीटी-9
वार्षिक विवरणी का उद्धरण

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के 31 मार्च 2021 को
समाप्त वित्तीय वर्ष तक
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(1) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन)
नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण और अन्य विवरण :

सी आई एन : यु25193केएल1966जीओआई002621
पंजीकरण तारीख : 01/03/1966
कंपनी का नाम : एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी : पब्लिक कंपनी
पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण : एचएलएल भवन, महिलामंदिरम रोड़, पूजप्पुरा, तिरुवनंतपुरम -695012
क्या सूचीबद्ध कंपनी : जी नहीं
रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट (आर टी ए) का नाम, पता व संपर्क विवरण, यदि कोई है : लागू नहीं

II. कंपनी के मुख्य व्यवसाय कार्यकलाप

कंपनी के कुल व्यापारावर्त्त के 10% या उसके अधिक योगदान कर रहे सभी व्यवसाय कार्यकलापें घोषित किए जाएंगे :-

क्र.सं.	मुख्य उत्पादें/सेवाओं का नाम व विवरण	उत्पाद/सेवा के एन आई सी कोड	कंपनी के कुल व्यापारावर्त्त की %
1.	गर्भनिरोधक उत्पादें		9.56
2.	फार्मा उत्पादें		14.29
3.	कोविड़ 19 के लिए आपातकालीन आपूर्ति		73.94

III नियंत्रण, समनुषंगी और सहयोगी कंपनियों के विवरण

क्र. सं.	कंपनी के नाम व पता	सी आई एन/जी एल एन	नियंत्रण/ समनुषंगी/ सहयोगी	रखे गए शेयरों की %	लागू धारा
1.	गोवा एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड	यु24231जीए1980एसजीसी000412	समनुषंगी	74%	2(6)
2.	एचएलएल इन्फ्रा टेक सर्वीसस लिमिटेड	यु45200केएल2014जीओआई036617	समनुषंगी	100%	2(87)
3	एचएलएल मातृ व शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड	यु 85200 युपी2017जीओआई095591	समनुषंगी	100%	2(87)
4.	लाइफ स्प्रिंग अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड	यु85110केएल2008पीटीसी021819	सहयोगी	50%	2(87)

Annexure III

Form No. MGT-9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

As on the financial year ended on 31st March, 2021
of HLL LIFECARE LIMITED
[Pursuant to Section 92(1) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

CIN :U25193KL1966GOI002621

Registration Date: 01/03/1966

Name of the Company: HLL Lifecare Limited

Category/Sub-Category of the Company: Public Company

Address of the Registered Office and contact details: HLL Bhavan, Mahilamandiram Road, Poojappura,

Trivandrum-695 012

Whether listed company: No

Name, Address and contact details of Registrar & Transfer Agents (RTA), if any: N/A

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

Sl. No.	Name and Description of main products/services	NIC Code of the Product/service	% to total turnover of the company
1.	Contraceptive Products		9.56
2.	Pharma Products		14.29
3.	Emergency supply for COVID 19		73.94

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

S. NO	Name and address Of the Company	CIN/GLN	Holding/ Subsidiary/ Associate	% Of Shares Held	Applicable Section
1.	Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited	U24231GA1980SGC000412	Subsidiary	74%	2(6)
2.	HLL Infra Tech Services Limited	U45200KL2014GOI036617	Subsidiary	100%	2(87)
3	HLL Mother & Child Care Hospitals Ltd.	U85200UP2017GOI095591	Subsidiary	100%	2(87)
4.	Life Spring Hospitals Pvt.Ltd.	U85110KL2008PTC021819	Associate	50%	2(87)

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी की प्रतिशतता के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल)

i) **श्रेणीवार शेयर होल्डिंग**

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में रखे गए शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या %				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डीमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों की %	डीमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों की %	
क. प्रमोटर									
(1) **भारतीय**									
(क) व्यक्ति/ एचयुएफ		600	600	नगण्य		600	600	नगण्य	लागू नहीं
(ख) केंद्र सरकार		290414400	290414400	100		15534400	15534400	100	
(ग) राज्य सरकार (रें)									
(घ) निकाय/ कॉर्पोरेशन									
(ङ) बैंक/एफ आई									
(च) अन्य कोई (पी एस ई &आई टी एस नॉमिनी)									
उप-कुल (क) (1):-	**लागू नहीं**	**290415000**	**290415000**	**100**	**लागू नहीं**	**15535000**	**15535000**	**100**	**लागू नहीं**
(2) **विदेशी**									
(क) एन आर आई- व्यक्ति									
(ख) अन्य- व्यक्ति									
(ग) निकाय कॉर्पोरेशन									
(घ) बैंक/एफ आई									
(ङ) अन्य कोई									
उप-कुल(क) (2):-									
कुल प्रमोटर का शेयरधारण (क) =(क) (1)+(क)(2)	**लागू नहीं**	**290415000**	**290415000**	**100%**	**लागू नहीं**	**15535000**	**15535000**	**100**	**लागू नहीं**

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

(i) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year%				% Changes during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Share	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters									
(1) Indian									
a) Individual/ HUF		600	600	Negligible		600	600	Negligible	NA
b) Central Govt		290414400	290414400	100		15534400	15534400	100	
c) State Govt(s)									
d) Bodies Corp.									
e) Banks/FI									
f) Any Other (PSE & ITS Nominee)									
Sub-total(A)(1):-	**NA**	**290415000**	**290415000**	**100**	**NA**	**15535000**	**15535000**	**100**	**NA**
(2) Foreign									
(a) NRIs - Individuals									
(b) Other – Individuals									
(c) Bodies Corp.									
(d) Banks/FI									
(e) Any Other									
Sub-total(A)(2):-									
Total Share holding of Promoter (A) = (A)(1)+(A)(2)	**NA**	**290415000**	**290415000**	**100**	**NA**	**15535000**	**15535000**	**100**	**NA**

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में रखे गए शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या %				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डीमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों की %	डीमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों की %	
ख. सार्वजनिक हिस्सेदारी									
1. **संस्थाएँ**									
(क) म्यूचल फंड									
(ख) बैंक/एफ आई									
(ग) केंद्र सरकार									
(घ) राज्य सरकार (रें)									
(ङ) उद्यम पूँजी निधियों	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
(च) बीमा कंपनियां									
(छ) एफ आई आई एस									
(ज) विदेशी उद्यम पूँजी निधि									
(i) अन्य									
उप-कुल (ख) (1) :-	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
2. **गैर संस्थाएँ**									
(क) **निकाय कॉर्पोरेशन**									
(i) भारतीय									
(ii) प्रवासी									
(ख) **व्यक्ति**									
(i) ₹1 लाख तक नाममात्र शेयर पूँजी रखनेवाले शेयरधारक व्यक्ति									
(ii) ₹1 लाख से अधिक मामूली शेयर पूँजी रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (क) = (क)(1) + (क)(2)	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में रखे गए शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या %				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डीमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों की %	डीमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों की %	
ग. जी डी आर एवं ए डी आर के लिए अभिरक्षक द्वारा रखे गए शेयर									
	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
कुल योग (क+ख+ग)	लागू नहीं	290415000	290415000	100%	लागू नहीं	15535000	15535000	100	लागू नहीं

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year%				% Changes during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Share	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
B. Public Shareholding									
1. Institutions (a) Mutual Funds (b) Banks/FI (c) Central Govt (d) State Govt(s) (e) Venture Capital Funds (f) Insurance Companies (g) FIIs (h) Foreign Venture Capital Funds (i) Others	NA	Nil	Nil	Nil	NA	Nil	Nil	Nil	NA
Sub-total (B)(1):-	NA	Nil	Nil	Nil	NA	Nil	Nil	Nil	NA
(2) Non-Institutions **(a) Bodies Corp.** (i) Indian (ii) Overseas **(b) Individuals** (i) Individual share holders holding nominal share capital upto ₹1 lakh (ii) Individual share holders holding nominal share capital in excess of ₹1 lakh	NA	Nil	Nil	Nil	NA	Nil	Nil	Nil	NA
Total Share holding of Promoter (A) = (A)(1)+(A)(2)	NA	Nil	Nil	Nil	NA	Nil	Nil	Nil	NA

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year%				% Changes during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Share	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs									
	NA	Nil	Nil	Nil	NA	Nil	Nil	Nil	NA
Grand Total (A+B+C)	**NA**	**290415000**	**290415000**	**100**	**NA**	**15535000**	**15535000**	**100**	**NA**

v) प्रमोटरों की हिस्सेदारी

क्र.सं.	शेयरधारकों का नाम	वर्ष के प्रारंभ में हिस्सेदारी			वर्ष के अंत में हिस्सेदारी			वर्ष के दौरान हिस्सेदारी में परिवर्तन %
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की %	कुल शेयरों में गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों की %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की %	कुल शेयरों में गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों की %	
1	भारत सरकार	290415000	100%	-	15535000	100%	-	लागू नहीं

vi) प्रमोटरों की हिस्सेदारी में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो, कृपया स्पष्ट करें)

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में हिस्सेदारी		वर्ष के दौरान संचय हिस्सेदारी	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की %
	वर्ष के प्रारंभ में	290415000	100	290415000	100
	प्रमोटरों की तारीखवार वृद्धि/कमी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	*वर्ष के दौरान शेयरधारिता में कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए (उदा. आबंटन/अंतरण/ बोनस/उद्यम इक्विटी आदि) :	274880000	100	274880000	100
	वर्ष के अंत में	15535000	100	15535000	100

**एचएलएल बायोटेक लिमिटेड के 1 अप्रैल, 2019 से डीमर्जर के परिणामस्वरूप, 27,48,80,000 नंबर शेयरों में निवेश और संबंधित शेयर पूँजी @10 रुपए प्रति शेयर की दर से आई वी सी परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा निवेश किए गए रु.27,488 लाख शेयर पूँजी से और तदनुसार एचएलएल बायोटेक लिमिटेड के निवेश से घटाए गए हैं ।*

vii) उच्च दस शेयरधारकों के शेयरधारिता स्वरूप (जी डी आर एवं ए डी आर के निदेशकों, प्रमोटरों और धारकों के अलावा)

क्र.सं.	उच्च प्रत्येक 10 शेयरधारकों के लिए	वर्ष के प्रारंभ में हिस्सेदारी		वर्ष के दौरान संचय हिस्सेदारी	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की %
1	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य		शून्य	
2	वृद्धि/कमी के कारणों को विनिर्दिष्ट करके वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/कमी (उदा. आबंटन/ अंतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि) :				
3	वर्ष के अंत में (या वर्ष के दौरान यदि अलगाव हो गया है तो, अलगाव की तारीख)	शून्य		शून्य	

V. Shareholding of Promoters

Sl No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change In share holding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the company	%of Shares Pledged/ encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Share s of the company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	
1.	Govt. of India	290415000	100%	-	15535000	100%	-	NA

VI. Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	
	At the beginning of the year	290415000	100	290415000	100
	Date wise Increase/ Decrease in Promoters	NA	NA	NA	NA
	*Share holding during the Year specifying the reasons for decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/sweat equity etc):	274880000	100	274880000	100
	At the end of the year	15535000	100	15535000	100

** Consequent to demerger of HLL Biotech Ltd w.e.f 1st April 2019 ,investment in 27,48,80,000 number of shares and corresponding share capital @ ₹10 per share amounting to ₹ 27,488 lakhs invested by Govt of India for IVC project is reduced from share capital and correspondingly from investment in HLL Biotech Ltd.*

(VII) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs)

Sl. No.	For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative shareholding during the year	
		No.of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1	At the beginning of the year	Nil		Nil	
2	Date wise Increase/ Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g.allotment/ transfer/ bonus/sweat equity etc):				
3	At the End of the year (or on the date of separation, if Separated during theyear)	Nil		Nil	

viii) निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता

क्र. सं.	उच्च प्रत्येक निदेशकों और के एम पी के लिए	वर्ष के प्रारंभ में हिस्सेदारी		वर्ष के दौरान संचयी हिस्सेदारी	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की %
	वर्ष के प्रारंभ में				
1)	डॉ धर्मेंद्र एस गंगवार आई ए एस, निदेशक	100	नगण्य	100	नगण्य
2)	डॉ.मंदीप कुमार भंडारी आई ए एस, निदेशक	100		100	
3)	श्री ई.ए.सुब्रमण्यन, निदेशक	100		100	
4)	श्री टी.राजशेखर, निदेशक	100		100	
5)	डॉ.गीता शर्मा	100		100	
	वृद्धि/कमी के कारणों को विनिर्दिष्ट करके वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/कमी (उदा. आबंटन/अंतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि) :				
	वर्ष के अंत में				
1)	डॉ.धर्मेंद्र एस.गंगवार आई ए एस, निदेशक	100	नगण्य	100	नगण्य
2)	डॉ.मंदीप कुमार भंडारी, आई ए एस, निदेशक	100		100	
3)	श्री ई.ए.सुब्रमण्यन, निदेशक	100		100	
4)	श्री टी.राजशेखर, निदेशक	100		100	
5)	डॉ.गीता शर्मा	100		100	

ix) ऋण ग्रस्तता

शेष/उपार्जित ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता, लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं।

(रुपए लाखों में)

	जमा को छोडकर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋण
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋण				
i) मूल रकम	38,395.76			
ii) देय ब्याज, लेकिन प्रदत्त नहीं किए गए	38.74	शून्य	शून्य	38.74
iii) उपार्जित ब्याज, लेकिन देय नहीं	-			-
कुल (i+ii+iii)	**38,434.50**	**शून्य**	**शून्य**	**38,434.50**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण ग्रस्तता में परिवर्तन				
• जोड	शून्य			शून्य
• कमी	5,855.54	शून्य	शून्य	5,855.54
निवल परिवर्तन	**5,855.54**	**शून्य**	**शून्य**	**5,855.54**
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋण ग्रस्तता				
मूल रकम	32,561.34			32,561.34
देय ब्याज, लेकिन प्रदत्त नहीं किए गए	28.62	शून्य	शून्य	28.62
उपार्जित ब्याज, लेकिन देय नहीं	00.00			00.00
कुल (i+ii+iii)	**32,589.96**	**शून्य**	**शून्य**	**32,589.96**

(VIII) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel

SI No	For Each of the Directors and KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year				
1)	Dr Dharmendra S Gangwar IAS, Director	100	Negligible	100	Negligible
2)	Dr Mandeep Kumar Bhandari IAS, Director	100		100	
3)	Shri E A Subramanian, Director	100		100	
4)	Shri T Rajasekar, Director	100		100	
5)	Dr Geeta Sharma	100		100	
	Date wise Increase/Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase/ decrease(e.g. allotment /transfer/bonus/sweat equity etc)				
	At the end of the year				
1)	Dr Dharmendra S Gangwar IAS, Director	100	Negligible	100	Negligible
2)	Dr Mandeep Kumar Bhandari IAS, Director	100		100	
3)	Shri. E A Subramanian,Director	100		100	
4)	Shri. T Rajasekar,Director	100		100	
5)	Dr.Geeta Sharma	100		100	

(IX) INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

(₹ in Lakh)

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebted ness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount	38,395.76	Nil	Nil	38,395.76
ii) Interest due but not paid	38.74			38.74
iii) Interest accrued but not due	-			-
Total (i+ii+iii)	**38,434.50**	**Nil**	**Nil**	**38,434.50**
Change in Indebtedness during the financial year				
• Addition	NIL	Nil	Nil	NIL
• Reduction	5,844.54			5,844.54
Net Change	**5,844.54**	**Nil**	**Nil**	**5,844.54**
Indebtedness at the end of the financial year				
Principal Amount	32,561.34	Nil	Nil	32,561.34
Interest due but not paid	28.62			28.62
Interest accrued but not due	00.00			00.00
Total (i+ii+iii)	**32,589.96**	**Nil**	**Nil**	**32,589.96**

X) निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक:

(₹ लाखों में)

क्रमसं	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम				कुल रकम
		श्री के.बेजी जोर्ज आई एर टी एस	श्री ई.ए.सुब्रह्मण्यन	श्री टी.राजशेखर	डॉ.गीता शर्मा	
1.	सकल वेतन	30.72	29.11	28.44	29.73	118.00
	(क) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन। (ख) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभ का मूल्य। (ग) आयकर अधिनियम 1961 के अधीन वेतन के बजाय लाभ	0.24	3.36	2.68	4.78	11.06
2.	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	उद्यम इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन लाभ की % के रूप में, अन्य, स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (क)	36.96	32.47	31.12	34.51	129.06
	अधिनियम के अनुसार उच्चतम सीमा					

ख. अन्य निदेशकों को पारिभश्रमिक :

(₹ लाखों में)

क्रम सं	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम	कुल रकम
1.	स्वतंत्र निदेशक	**डॉ.पी.विजयचंदर रेड्डी**	
	• बोर्ड/समिति बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क। • कमीशन • अन्य, स्पष्ट करें	1.30 शून्य शून्य	1.30 शून्य शून्य
	कुल (1)	**1.30**	**1.30**
2.	अन्य गैर- कार्यपालक निदेशक		
	बोर्ड/समिति बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क। कमीशन अन्य, स्पष्ट करें	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य
	कुल (2)	शून्य	शून्य
	कुल (ख) = (1+2)	**1.30**	**1.30**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक		
	अधिनियम के अनुसार समग्र उच्चतम सीमा		

(X) REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

(₹ in Lakh)

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors				Total Amount
		Shri K Beji George IRTS	Shri E A Subramanian	Shri T Rajasekar	Dr Geeta Sharma	
1.	Gross salary	30.72	29.11	28.44	29.73	118.00
	a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act,1961 b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 c) Profits in lieu of salary under u/s 17(3) Income tax Act, 1961	0.24	3.36	2.68	4.78	11.06
2.	Stock Option	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
3.	Sweat Equity	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
4.	Commission as % of profit others, specify.	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	Others, please specify	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	Total (A)	30.96	32.47	31.12	34.51	129.06
	Ceiling as per the Act					

B. Remuneration to other directors:

(₹ in Lakh)

Sl.No	Particulars of Remuneration	Name of Director	Total Amount
1	Independent Directors	**Dr P Vijayachander Reddy**	
	• Fee for attending board / committee meetings • Commission • Others, please specify	1.30 Nil Nil	1.30 Nil Nil
	Total (1)	**1.30**	**1.30**
2.	Other Non-Executive Directors		
	• Fee for attending board / committee meetings • Commission • Others, please specify	Nil Nil Nil	Nil Nil Nil
	Total (2)	Nil	Nil
	Total (B) = (1+2)	**1.30**	**1.30**
	Total Managerial Remuneration		
	Overall Ceiling as per the Act		

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/डब्लियु टी डी के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक		कुल रकम
		श्री जयकृष्णन.ए.आर कंपनी सचिव	श्री संतोष चेरियान मुख्य वित्त अधिकारी	
1.	सकल वेतन	16.10	19.66	35.76
	(घ) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन। (ङ) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभ का मूल्य। (च) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बजाय लाभ	0.00	1.94	1.94
2	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य
3.	उद्यम इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन -लाभ की % के रूप में -अन्य, स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अन्य कृपया स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	**16.10**	**21.60**	**37.70**

XI. जुर्माना/दंड/अपराध का समझौता करना :

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए जुर्माना / दंड/ अधिरोपित समझौता शुल्क का विवरण	प्राधिकरण [आर डी/एन सी एल टी/अदालत]	यदि कोई अपील बनाया गया है (विवरण दें)
क.कंपनी					
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख. निदेशक					
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. भूल-चूक में अन्य अधिकारीगण					
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD.

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			Total Amount
			Shri Jaikrishnan A R Company Secretary	Shri Santhosh Cherian Chief Financial Officer	
1	Gross salary		16.10	19.66	**35.76**
	d) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act,1961 e) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 f) Profits in lieu of salary under u/s 17(3) Income-tax Act, 1961		0.00	1.94	**1.94**
2.	Stock Option	Nil	Nil	Nil	**Nil**
3.	Sweat Equity	Nil	Nil	Nil	**Nil**
4.	Commission as - % of profit, - others specify.	Nil	Nil	Nil	**Nil**
	Others, please specify	Nil	Nil	Nil	**Nil**
	Total		16.10	21.60	**37.70**

XI. PENALTIES / PUNISHMENT / COMPOUNDING OF OFFENCES

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD/ NCLT/ COURT]	Appeal made, if any (give Details)
A. COMPANY					
Penalty	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**
Punishment	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**
Compounding	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**
B. DIRECTORS					
Penalty	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**
Punishment	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**
Compounding	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**
Punishment	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**
Compounding	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**

अनुबंध IV

वित्तीय वर्ष 2020-21 केलिए एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर सीएजी की अंतिम टिप्पणियों पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया

क्रम. सं.	सीएजी टिप्पणियाँ	प्रबंधन प्रतिक्रिया
1.	**क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ** **1. परिसंपत्तियाँ** **चालू परिसंपत्तियाँ** **व्यापार प्राप्य (टिप्पणी - 9): रु. 1, 83,667.87 लाख**	
	मेसर्स मेडिक्यूबा, क्यूबा को 2016 - 17 में गर्भनिरोधक उत्पादों की आपूर्ति के लिए कंपनी को 3.62 लाख यूरो (बीजक तारीख तक रु.268.12 लाख के समान) का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था। उक्त बीजक निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के ऋण बीमा के अधीन समावेष्टित किया गया था। कंपनी ने ईसीजीसी के साथ रु 268.12 लाख का दावा दर्ज कराया क्योंकि मेसर्स मेडिक्यूबा ने चालान की राशि का भुगतान नहीं किया। दावे की ओर, ईसीजीसी ने मेसर्स मेडिक्यूबा से वसूली योग्य रु 93.84 लाख को छोड़कर रु.174.28 लाख का भुगतान किया। कानूनी कार्यवाही के दौरान, कंपनी और मेसर्स मेडिक्यूबा के बीच एक समझौता हुआ और 18 मार्च 2021 को एक समझौता किया गया। समझौते के अनुसार, मेसर्स मेडिक्यूबा, 31 मार्च 2021 तक कंपनी को रु 3.62 लाख यूरो की रकम का भुगतान करना था (रु 86.099 प्रति यूरो की रूपान्तरण दर पर रु 311.96 लाख)। हालांकि समझौता 18 मार्च 2021 को किया गया था, लेकिन निपटान के प्रभाव को वैध बनाने के लिए लेखाबही में कोई लेखांकन नहीं किया गया था। मेसर्स मेडिक्यूबा ने 2.98 लाख यूरो, अप्रैल 2021 में सहमत समझौते का प्रमुख हिस्सा, का भुगतान किया था। इंड एएस 10 के पैरा 8 - में कहा गया है कि एक इकाई को रिपोर्टिंग तिथि के बाद की घटनाओं के लिए अपने वित्तीय विवरणों को समायोजित करना चाहिए, जो रिपोर्टिंग तिथि पर मौजूद स्थितियों के शर्तों का और सबूत प्रदान करते हैं। अप्रैल 2021 में भुगतान की आंशिक प्राप्ति (सहमति समझौते का 82 प्रतिशत) 'इंड एएस 10 के अनुसार समायोजन की घटना है, यह 31 मार्च 2021 की रिपोर्टिंग तिथि पर मौजूद शर्तों का और सबूत प्रदान करती है, यानी 3.62 लाख यूरो के भुगतान के लिए कंपनी और मेसर्स मेडिक्यूबा के बीच निपटान के लिए समझौता। लेखाबही में निपटान के लिए समझौते के गैर लेखांकन के परिणामस्वरूप 'व्यापार प्राप्य' की न्यूनोक्ति ₹ 218.12 लाख (पहले से ही लेखाबही में प्राप्य ₹ 93.84 लाख को कम करके निपटान के अनुसार मेसर्स मेडिक्यूबा से वसूली योग्य राशि ₹ 311.96 लाख,) तक हुई। विदेशी मुद्रा लाभ के कारण गैर लेखांकन के लेखा पर वर्ष के लिए आय ₹ 43.84 लाख तक कम हुआ (31 मार्च 2021 को विनिमय दर पर ₹ 311.96 लाख की निपटान राशि घटाकर ₹ 268.12 लाख)। इसके अलावा, मेसर्स मेडिक्यूबा के साथ हुए समझौते के परिणामस्वरूप ईसीजीसी को वापस की जाने वाली राशि के लिए गैरप्रावधान के परिणामस्वरूप 'अन्य चालू वित्तीय देनदारियों में ₹174.28 लाख की कमी हुई।	कंपनी ने मेडिक्यूबा से प्राप्यों के खिलाफ ईसीजीसी के साथ दावा दर्ज किया था और कंपनी को नवंबर 2019 के दौरान रु. 268.12 लाख के दावा की ओर रु. 174.27 करोड प्राप्त हुआ था। इस प्रकार प्राप्त दावा को मेसेर्स मेडिक्यूबा से प्राप्त प्राप्यों के प्रति समायोजित किया गया। क्यूबा कोर्ट द्वारा सुझाव दिए व्यवस्थापन के आधार पर, मेडिक्यूबा के साथ सहमति बन गयी और 18.03.2021 को एक अतिरिक्त न्यायिक समझौता किया गया । क्यूबा कोर्ट ने 01.09.2021 को एचएलएल और मेडिक्यूबा के बीच किए गए समझौते को अपना अनुमोदन दिया । 31.03.2021 को, एचएलएल को मेडिक्यूबा से कोई संचयन प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए व्यापार प्राप्यों को न्यूनोक्त नही किया गया है। कंपनी को 16.04.2021 को 267.10 लाख रुपए की रकम प्राप्त हुई है। अप्रैल 2021 में संचयन होने से, ईसीजीसी दावा वापस करने की देयता भी वित्तीय वर्ष 2021 -22 में ही उत्पन्न होती है। इस प्रकार अन्य वर्तमान वित्तीय देयता न्यूनोक्त नही किया गया है। इंड ए एस 10 के पैरा 10 के अनुसार, एक संस्था रिपोर्टिंग अवधि के बाद के गैर-समायोजन घटनाओं को दर्शाने के लिए वित्तीय विवरणों में पहचान की गयी राशियों का समायोजन नहीं करेगा, हालांकि, आवश्यक प्रकटीकरण प्रदान किया जाएगा। कंपनी ने लेखा की भाग बननेवाली टिप्पणी 2.29 के अनुसार मुकदमे के तथ्यों और ईसीजीसी दावा की प्राप्ति की खुलासा की है।
2	**इक्विटी और देयतायें** **चालू देयतायें** **अन्य वित्तीय देयताएं (टिप्पणी 20): ₹ 1,20,899.872 लाख**	

Annexure IV

Management Responses to the comments of CAG on Standalone Financial Statements

S. NO	Comments of CAG	Management Response
1	**A. Comments on Financial Position** 1. Assets Current Assets Trade Receivables (Note-9): ₹ 1,83,667.87 lakh	
	Company had not received payment of 3.62 lakh euros (equivalent ₹ 268.12 lakh as on invoice date) for the supply of contraceptive products in 2016-17to M/s. Medicuba, Cuba. The said invoice was covered under credit insurance of Export Credit Guarantee Corporation (ECGC). Company lodged the claim with ECGC for ₹ 268.12 lakh as M/s Medicuba did not pay the invoiced amount. Against the claim, ECGC paid ₹ 174.28 lakh leaving ₹ 93.84 lakh as recoverable from M/s Medicuba. During legal proceedings, a settlement was arrived at between Company and M/s Medicuba and an agreement was executed on 18 March 2021. As per settlement, M/s Medicuba had to pay an amount of 3.62 lakh euros to the Company as on 31 March 2021 (₹ 311.96 Lakh at conversion rate of ₹ 86.099 per euro). Though the settlement was reached on 18 March 2021, no accounting was made in the books to give effect impact of settlement reached. M/s Medicuba had paid 2.98 lakh euros, major part of agreed settlement in April 2021. Para 8 of Ind AS-10 states that an entity should adjust its financial statements for events after the reporting date that provide further evidence of conditions that existed at the reporting date. Part receipt of payment (82 per cent of agreed settlement) in April 2021 is an 'adjusting event' as per Ind AS-10 since it provides further evidence of conditions that existed at the reporting date of 31 March 2021 i.e. agreement for settlement between Company and M/s Medicuba for payment of 3.62 lakh euros. Non accounting of agreement for settlement in the books has resulted in understatement of 'Trade Receivables' by ₹ 218.12 lakh (₹ 311.96 lakh being the amount recoverable from M/s Medicuba as per settlement less receivables of ₹ 93.84 lakh already in the books). Income for the year in understated by ₹ 43.84 lakh on account of non-accounting of foreign exchange gain (settlement amount of ₹ 311.96 lakh at exchange rate as on 31 March 2021 less ₹ 268.12 lakh). Further, non-provision for amount to be repaid back to ECGC consequent to settlement reached with M/s Medicuba has resulted in understatement of 'Other Current Financial Liabilities' by ₹ 174.28 lakh.	The company had lodged a claim with ECGC against the receivables from Medicuba and the company had during November 2019 received Rs. 174.27 Lakhs against a claim of Rs. 268.12 Lakhs. The claim thus received was adjusted against receivables from M/s Medicuba. Based on the settlement suggested by Cuban Court , consensus was arrived with Medicuba and an Extra judicial agreement was executed on 18.03.2021. Cuban Court has given its approval for the agreement made between HLL and Medicuba on 01.09.2021. As on 31.03.2021, HLL had not received any collections from Medicuba hence the Trade Receivables is not understated. The company has on 16.04.2021 received an amount of Rs.267.10 lakhs. As the collections happened in April 2021, the liability to refund the ECGC Claim also arises in financial year 2021-22 only. Thus the other current financial liability is not understated. As per Para 10 of Ind AS 10, an entity shall not adjust the amounts recognized in the financial statements to reflect non-adjusting events after the reporting period however, necessary disclosures shall be provided . The company has disclosed the facts of the case and receipt of ECGC claim as per Note 2.29 forming part of accounts.
2.	Equity and Liabilities Current Liabilities Other Financial Liabilities (Note-20) : ₹ 1,20,899.872 lakh	

	कंपनी 2005 से 'कैप्टिव स्टेटस' के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को गर्भनिरोधक उत्पादों की आपूर्ति कर रही है। मंत्रालय ने कंपनी को पिछले वर्ष की न्यूनतम दर के आधार पर अनंतिम दर पर वर्ष की शुरुआत में आपूर्ति आदेश दिए और भुगतान दिए। इसके बाद, खुली निविदा के माध्यम से निर्धारित न्यूनतम दर को उसी वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा की गई आपूर्ति के लिए अंतिम दर के रूप में लागू किया जाता है। अनंतिम दर की तुलना में 2014 - 15 में की गई आपूर्ति के लिए कम दर को अंतिम रूप देने के कारण, मंत्रालय ने 2014 - 15 के दौरान आपूर्ति की गई प्रेगनेन्सी टेस्ट किट के संबंध में दर में अंतर के कारण कंपनी से ₹ 587 लाख की राशि की वसूली की मांग की (मार्च 2016)। तथापि, इंडएएस 37 के प्रावधानों के गैर अनुपालन पर, कंपनी ने कंपनी द्वारा की गई आपूर्ति पर सहमत व्यवस्था के अनुसार मंत्रालय द्वारा उठाई गई मांग के लिए कोई प्रावधान/देयता नहीं बनाया है। इसके बजाय, कंपनी ने 2014-15 में की गई आपूर्ति के लिए अंतिम दर की समीक्षा और संशोधन के लिए मंत्रालय के समक्ष लंबित अपने अभ्यावेदन के मद्देनजर वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में आकस्मिक देयताओं के तहत रकम दर्शायी थी। मंत्रालय के प्रति दायित्व की गैर मान्यता के परिणामस्वरूप अन्य चालू वित्तीय देयताओं को ₹ 587 लाख की न्यूनोक्ति और वर्ष के लिए लाभ को उसी रकम की अत्युक्ति हुई है। तदनंतर, आकस्मिक देनदारियों में ₹ 587 लाख की अत्युक्ति भी हुई।	मई 2016 के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 के लिए प्रेग्नन्सी टेस्ट किट की आपूर्ति की दर अंतर रु. 587 लाख की रकम की वसूली करने की मांग की । कंपनी ने दावे पर आपत्ति जताई थी और आदेश की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय का प्रतिमिधित्व किया। उच्च अधिकार समिति की बैठक 18.04.2017 को एएस & डीजी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और समिति की सिफारिशों को दिनांक 27.04.2017 के बैठक का कार्यवृत्त के माध्यम से सूचित किया गया। कार्यवृत्त के अनुसार, यह सूचित किया गया है कि प्रेग्नन्सी टेस्ट किट ठीक होने के मामले की जाँच बाद में की जाएगी। इस विषय में आगे की कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई और मामले की यथास्थिति 2015-16 की तरह ही बनी रहती है, कंपनी ने पिछले वर्षों की तरह आकस्मिक देयता के अधीन इसका खुलासा किया है। उसी लेखा की भाग बननेवाली टिप्पणी 2.11 के अधीन अनुसार खुलासा किया है।
3.	ख. स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ	
	उपरोक्त टिप्पणी क (1) और क (2) के प्रभाव और पैरा (क) पर प्राप्त 'प्रतिबंध राय के लिए आधार' के तहत स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर ₹.12,374 लाख तक व्यापार प्राप्तियों की अत्युक्ति पर विचार करते हुए, वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (₹ 10,255.81 लाख), जैसा कि कंपनी के लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया गया है, ₹ 12,917.16 लाख की कमी और ₹ 2,661.35 लाख की हानि में बदल जाएगी। वर्ष के लिए कुल व्यापक आय 125.95 प्रतिशत से प्रभावित है। इसलिए, वर्ष 2020 - 21 के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण एक 'सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण' प्रस्तुत नहीं करते हैं और स्वतंत्र लेखापरीक्षक की ओर से अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में यह आश्वासन देना उचित नहीं था कि वित्तीय विवरण ने एक 'सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण' प्रस्तुत किए हैं ।	वर्तमान में ई एस आई सी प्राप्य मामला मध्यस्थता के अधीन है और एचएलएल ने ई एस आई सी से प्रारंभिक दावा पर ब्याज सहित रु. 437.19 करोड का दावा किया है। मध्यस्थता उच्च चरण में है और जल्दी ही फैसला होने की उम्मीद है। हम ने ठेके शर्तों के अनुसार पिछले वर्ष में राजस्व बुक किया है और दृढ विचार के हैं कि ईएसआईसी (भारत सरकार का उद्यम) से पैसा वसूली योग्य है। इस मामले को उचित रूप से टिप्पणी 2.31 में वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में व्याख्यात्मक टिप्पणी में प्रकटीकरणा किया गया है। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वर्ष 2020-2021 के लिए वित्तीय विवरणों की एक प्रतिबंध राय बनाई है। इसका मतलब है कि वित्तीय विवरण में दिए गए कंपनी के मामले, प्रतिबंध विचारों के अधीन निर्धारित मामलों के संभावित प्रभाव छोडकर, सही और निष्पक्ष विचार देते हैं। वे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भी जवाब दिया है कि इस में शामिल रकम पर्याप्त है, यह व्यापक नहीं है, चूँकि कि प्रतिबंध लेनदेन एक वर्ग से संबंधित है और उसी का परिणाम भविष्य की घटनाओं और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वित्तीय में प्रावधान बनाना प्रबंधन का विवेक है।

	Company has been supplying contraceptive products to the Ministry of Health &Family Welfare under the 'captive status' since 2005. The Ministry placed supply orders on the Company in beginning of the year at the provisional rate based on the lowest rate of the previous year and releases the payment. Subsequently, the lowest rate determined through open tender is made applicable as final rate for supplies made by the Company during the same financial year. Due to finalisation of lower rate for the supplies made in 2014-15 as compared to provisional rate, Ministry had sought (March 2016) recovery from Company amounting to ₹ 587 Lakh on account of difference in rate with respect to pregnancy test kits supplied during 2014-15. However in non-compliance to provisions of Ind AS 37, Company has not made any provision/liability for the demand raised by the Ministry in accordance with agreed arrangement on the supplies made by the Company. Instead Company had shown the amount under 'Contingent Liabilities' in the Notes to Financial Statements in view of its pending representation before the Ministry for review and revision of final rate for the supplies made in 2014-15. Non recognition of liability to the Ministry has resulted in understatement of 'Other Current Financial Liabilities' by ₹ 587 lakh and overstatement of 'Profit for the year' by the same amount. Consequently 'Contingent Liabilities' is also overstated by ₹ 587 lakh.	Ministry of Health had during May 2016, sought recover towards rate difference, amount to Rs. 587 lakhs towards the supplies of Pregnancy Test Kits for the year 2014-15. The company had objected to the claim and represented to the Ministry to review the order. The High Power Committee meeting was held on 18.04.2017 under the chairmanship of AS & DG and the recommendations of the committee was communicated vide the minutes of the meeting dated 27.04.2017. As per the minutes, it is mentioned that the matter of recovery of Pregnancy Tesk Kit would be examined later. Since no further action is initiated in the subject matter and the status quo of the matter remains the same as in 2015-16, the company has disclosed the same under contingent liability as done during previous years. The same is disclosed under Note. 2.11 forming part of accounts.
3	B. Comment on Independent Auditor's Report Considering the impact of comment A(1) and A(2) as above and comments made by the Independent Auditor in his audit report under 'Basis for Qualified Opinion'at Para (a) on overstatement of trade receivables by ₹ 12,374 lakh, the total comprehensive income for the year (₹ 10,255.81 lakh) as depicted in statement of profit and loss of the Company would decrease by ₹ 12,917.16 lakh and turn into loss of ₹ 2,661.35 lakh. Total comprehensive income for the year is impacted by 125.95 per cent. Hence, the standalone financial statements of the company for the year 2020-21 do not present a 'true and fair view' and it was not proper on the part of Independent Auditor to have provided an assurance in his audit report that the financial statements presented a 'true and fair view'.	The matter of ESIC receivable is under arbitration at present and HLL has made a claim of Rs. 437.19 Crores on ESIC including interest on initial claim. The arbitration is at an advanced stage and is expected to be decided at an early date. We have booked the revenue in the previous years as per the terms of the contract and are of the firm view that the money is recoverable from ESIC (A Govt. of India Enterprise). The matter is suitably disclosed as part of the explanatory notes forming of the financial statements in Note No. 2.31 The statutory auditors have made a qualified opinion of the financial statements for the year 2020-21. This implies that the financial statements give a true and fair view of the affairs of the company except for the possible effects of the matter prescribed under Basis of Qualified Opinion. They have also replied to CAG that even though the amount involved is substantial, it is not pervasive. Since the qualification is related to one class of transactions and the outcome of the same depend upon future events and circumstances , creating a provision in the financials is the discretion of the management .

		यद्यपि घटना महत्वपूर्ण पैदा है, लेकिन प्रतिकूल राय प्रदान करने के लिए व्यापक नहीं है, लेखापरीक्षकों ने कंपनी के वित्तीय विवरणों की बेहतर समझ के लिए एक प्रतिबंध राय बनाई है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 केलिए एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के समेकित विवरणों पर सीएजी की अंतिम टिप्पणियों पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया

क्रम सं.	सीएजी टिप्पणियाँ	प्रबंधन प्रतिक्रिया
1	**समेकित वित्तीय विवरण** **क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ** **1.परिसंपत्तियाँ** **चालू परिसंपत्तियाँ** **व्यापार प्राप्य (टिप्पणी - 9) : ₹ 2,04,960.27 लाख**	
	मेसर्स मेडिक्यूबा, क्यूबा को 2016 - 17 में गर्भनिरोधक उत्पादों की आपूर्ति के लिए कंपनी को 3.62 लाख यूरो (बीजक तारीख तक रु.268.12 लाख के समान) का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था। उक्त बीजक निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के ऋण बीमा के अधीन समावेष्टित किया गया था। कंपनी ने ईसीजीसी के साथ रु 268.12 लाख का दावा दर्ज कराया क्योंकि मेसर्स मेडिक्यूबा ने चालान की राशि का भुगतान नहीं किया। दावे की ओर, ईसीजीसी ने मेसर्स मेडिक्यूबा से वसूली योग्य रु 93.84 लाख को छोड़कर रु174.28 लाख का भुगतान किया। कानूनी कार्यवाही के दौरान, कंपनी और मेसर्स मेडिक्यूबा के बीच एक समझौता हुआ और 18 मार्च 2021 को एक समझौता किया गया। समझौते के अनुसार, मेसर्स मेडिक्यूबा, 31 मार्च 2021 तक कंपनी को रु 3.62 लाख यूरो की रकम का भुगतान करना था (रु 86.099 प्रति यूरो की रूपांतरण दर पर रु 311.96 लाख)। हालांकि समझौता 18 मार्च 2021 को किया गया था, लेकिन निपटान के प्रभाव को वैध बनाने के लिए लेखाबही में कोई लेखांकन नहीं किया गया था। मेसर्स मेडिक्यूबा ने 2.98 लाख यूरो, अप्रैल 2021 में सहमत समझौते का प्रमुख हिस्सा, का भुगतान किया था। इंड एएस 10 के पैरा 8 - में कहा गया है कि एक इकाई को रिपोर्टिंग तिथि के बाद की घटनाओं के लिए अपने वित्तीय विवरणों को समायोजित करना चाहिए, जो रिपोर्टिंग तिथि पर मौजूद स्थितियों के शर्तों का और सबूत प्रदान करते हैं। अप्रैल 2021 में भुगतान की आंशिक प्राप्ति (सहमति समझौते का 82 प्रतिशत) 'इंड एएस 10 के अनुसार समायोजन की घटना है, यह 31 मार्च 2021 की रिपोर्टिंग तिथि पर मौजूद शर्तों का और सबूत प्रदान करती है, यानी 3.62 लाख यूरो के भुगतान के लिए कंपनी और मेसर्स मेडिक्यूबा के बीच निपटान के लिए समझौता। लेखाबही में निपटान के लिए समझौते के गैर लेखांकन के परिणामस्वरूप 'व्यापार प्राप्य' की न्यूनोक्ति ₹218.12 लाख (पहले से ही लेखाबही में प्राप्य ₹93.84 लाख को कम करके निपटान के अनुसार मेसर्स मेडिक्यूबा से वसूली योग्य राशि ₹311.96 लाख,) तक हुई। विदेशी मुद्रा लाभ के कारण गैर लेखांकन के लेखा पर वर्ष के लिए आय ₹43.84 लाख तक कम हुआ (31 मार्च 2021 को विनिमय दर पर ₹ 311.96 लाख की निपटान राशि घटाकर ₹ 268.12 लाख)। इसके अलावा, मेसर्स मेडिक्यूबा के साथ हुए समझौते के परिणामस्वरूप ईसीजीसी को वापस की जाने वाली राशि के लिए गैरप्रावधान के परिणामस्वरूप 'अन्य चालू वित्तीय देनदारियों में ₹174.28 लाख की कमी हुई।	कंपनी ने मेडिक्यूबा से प्राप्यों के खिलाफ ईसीजीसी के साथ दावा दर्ज किया था और कंपनी को नवंबर 2019 के दौरान रु. 268.12 लाख के दावा की ओर रु. 174.27 करोड प्राप्त हुआ था। इस प्रकार प्राप्त दावा को मेसेर्स मेडिक्यूबा से प्राप्त प्राप्यों के प्रति समायोजित किया गया। क्यूबा कोर्ट द्वारा सुझाव दिए व्यवस्थापन के आधार पर, मेडिक्यूबा के साथ सहमति बन गयी और 18.03.2021 को एक अतिरिक्त न्यायिक समझौता किया गया । क्यूबा कोर्ट ने 01.09.2021 को एचएलएल और मेडिक्यूबा के बीच किए गए समझौते को अपना अनुमोदन दिया । 31.03.2021 को, एचएलएल को मेडिक्यूबा से कोई संचयन प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए व्यापार प्राप्यों को न्यूनोक्त नही किया गया है। कंपनी को 16.04.2021 को 267.10 लाख रुपए की रकम प्राप्त हुई है। अप्रैल 2021 में संचयन होने से, ईसीजीसी दावा वापस करने की देयता भी वित्तीय वर्ष 2021 -22 में ही उत्पन्न होती है। इस प्रकार अन्य वर्तमान वित्तीय देयता न्यूनोक्त नही किया गया है। इंड ए एस 10 के पैरा 10 के अनुसार, एक संस्था रिपोर्टिंग अवधि के बाद के गैर-समायोजन घटनाओं को दर्शाने के लिए वित्तीय विवरणों में पहचान की गयी राशियों का समायोजन नहीं करेगा, हालांकि, आवश्यक प्रकटीकरण प्रदान किया जाएगा। कंपनी ने लेखा की भाग बननेवाली टिप्पणी 2.29 के अनुसार मुकदमे के तथ्यों और ईसीजीसी दावा की प्राप्ति की खुलासा की है।
	इक्विटी और देयतायें **चालू देयतायें** **अन्य वित्तीय देयताएं (टिप्पणी 21): ठ 1,24,698.72 लाख**	

		Though the event is material but not pervasive to provide an adverse opinion, the auditors have made a qualified opinion instead of an adverse opinion.

Management Responses to the comments of CAG on Consolidated Financial Statements

S. NO	Comments of CAG	Management Response
1	Consolidated Financials statements: A.Comments on Financial Position 1. Assets Current Assets Trade Receivables (Note-9): ₹2,04,960.27lakh	
	Company had not received payment of 3.62 lakh euros (equivalent ₹ 268.12 lakh as on invoice date) for the supply of contraceptive products in 2016-17 to M/s. Medicuba, Cuba. The said invoice was covered under credit insurance of Export Credit Guarantee Corporation (ECGC). Company lodged the claim with ECGC for ₹ 268.12 lakh as M/s Medicuba did not pay the invoiced amount. Against the claim, ECGC paid ₹ 174.28 lakh leaving ₹ 93.84 lakh as recoverable from M/s Medicuba. During legal proceedings, a settlement was arrived at between Company and M/s Medicuba and an agreement was executed on 18 March 2021. As per settlement, M/s Medicuba had to pay an amount of 3.62 lakh euros to the Company as on 31 March 2021 (₹ 311.96 lakh at conversion rate of ₹ 86.099 per euro). Though the settlement was reached on 18 March 2021, no accounting was made in the books to give effect impact of settlement reached. M/s Medicuba had paid 2.98 lakh euros, major part of agreed settlement in April 2021. Para 8 of Ind AS-10 states that an entity should adjust its financial statements for events after the reporting date that provide further evidence of conditions that existed at the reporting date. Part receipt of payment (82 per cent of agreed settlement) in April 2021 is an 'adjusting event' as per Ind AS-10 since it provides further evidence of conditions that existed at the reporting date of 31 March 2021 i.e. agreement for settlement between Company and M/s Medicuba for payment of 3.62 lakh euros. Non accounting of agreement for settlement in the books has resulted in understatement of 'Trade Receivables' by ₹ 218.12 lakh (₹ 311.96 lakh being the amount recoverable from M/s Medicuba as per settlement less receivables of ₹ 93.84 lakh already in the books). Income for the year in understated by ₹ 43.84 lakh on account of non-accounting of foreign exchange gain (settlement amount of ₹ 311.96 lakh at exchange rate as on 31 March 2021 less ₹ 268.12 lakh). Further, non-provision for amount to be repaid back to ECGC consequent to settlement reached with M/s Medicuba has resulted in understatement of 'Other Current Financial Liabilities' by ₹ 174.28 lakh.	The company had lodged a claim with ECGC against the receivables from Medicuba and the company had during November 2019 received Rs. 174.27 Crores against a claim of Rs. 268.12 Lakhs. The claim thus received was adjusted against receivables from M/s Medicuba. Based on the settlement suggested by Cuban Court , consensus was arrived with Medicuba and an Extra judicial agreement was executed on 18.03.2021. Cuban Court has given its approval for the agreement made between HLL and Medicuba on 01.09.2021. As on 31.03.2021, HLL had not received any collections from Medicuba hence the Trade Receivables is not understated. The company has on 16.04.2021 received an amount of Rs.267.10 lakhs. As the collections happened in April 2021, the liability to refund the ECGC Claim also arises in financial year 2021-22 only. Thus the other current financial liability is not understated. As per Para 10 of Ind AS 10, an entity shall not adjust the amounts recognized in the financial statements to reflect non-adjusting events after the reporting period however, necessary disclosures shall be provided. The company has disclosed the facts of the case and receipt of ECGC claim as per Note 2.29 forming part of accounts.
2.	Equity and Liabilities Current Liabilities Other Financial Liabilities (Note-21): ₹ 1,24,698.72 lakh	

2	कंपनी 2005 से 'कैप्टिव स्टेटस' के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को गर्भनिरोधक उत्पादों की आपूर्ति कर रही है। मंत्रालय ने कंपनी को पिछले वर्ष की न्यूनतम दर के आधार पर अनंतिम दर पर वर्ष की शुरुआत में आपूर्ति आदेश दिए और भुगतान दिए। इसके बाद, खुली निविदा के माध्यम से निर्धारित न्यूनतम दर को उसी वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा की गई आपूर्ति के लिए अंतिम दर के रूप में लागू किया जाता है। अनंतिम दर की तुलना में 2014-15 में की गई आपूर्ति के लिए कम दर को अंतिम रूप देने के कारण, मंत्रालय ने 2014-15 के दौरान आपूर्ति की गई प्रेगनेन्सी टेस्ट किट के संबंध में दर में अंतर के कारण कंपनी से ₹ 587 लाख की राशि की वसूली की मांग की (मार्च 2016)। तथापि, इंडएएस 37 के प्रावधानों के गैर अनुपालन पर, कंपनी ने कंपनी द्वारा की गई आपूर्ति पर सहमत व्यवस्था के अनुसार मंत्रालय द्वारा उठाई गई मांग के लिए कोई प्रावधान/देयता नहीं बनाया है। इसके बजाय, कंपनी ने 2014-15 में की गई आपूर्ति के लिए अंतिम दर की समीक्षा और संशोधन के लिए मंत्रालय के समक्ष लंबित अपने अभ्यावेदन के मद्देनजर वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में आकस्मिक देयताओं के तहत रकम दर्शायी थी। मंत्रालय के प्रति दायित्व की गैरमान्यता के परिणामस्वरूप अन्य चालू वित्तीय देयताओं को ₹ 587 लाख की न्यूनोक्ति और वर्ष के लिए लाभ को उसी रकम की अत्युक्ति हुई है। तदनंतर, आकस्मिक देनदारियों में ₹ 587 लाख की अत्युक्ति भी हुई।	मई 2016 के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 के लिए प्रेग्नन्सी टेस्ट किट की आपूर्ति की दर अंतर रु. 587 लाख की रकम की वसूली करने की मांग की । कंपनी ने दावे पर आपत्ति जताई थी और आदेश की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय का प्रतिमिधित्व किया। उच्च अधिकार समिति की बैठक 18.04.2017 को एएस ः डीजी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और समिति की सिफारिशों को दिनांक 27.04.2017 के बैठक का कार्यवृत्त के माध्यम से सूचित किया गया। कार्यवृत्त के अनुसार, यह सूचित किया गया है कि प्रेग्नन्सी टेस्ट किट ठीक होने के मामले की जाँच बाद में की जाएगी। इस विषय में आगे की कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई और मामले की यथास्थिति 2015-16 की तरह ही बनी रहती है, कंपनी ने पिछले वर्षों की तरह आकस्मिक देयता के अधीन इसका खुलासा किया है। उसी लेखा की भाग बननेवाली टिप्पणी 2.11 के अधीन अनुसार खुलासा किया है।
	ख. स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ उपरोक्त टिप्पणी क (1) और क (2) के प्रभाव और पैरा (क) पर प्राप्त 'प्रतिबंध राय के लिए आधार' के तहत स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा अपनी लेखापरीक्षा रिपोट ' में की गई टिप्पणियों पर ₹.12,374 लाख तक व्यापार प्राप्तियों की अत्युक्ति और पैरा (ग) अपेक्षित श्रृण हानि के लिए गैर प्रावधान भत्ता रु.13.10 लाख पर विचार करते हुए, वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (₹ 9076.50 लाख), जैसा कि कंपनी के लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया गया है, ₹ 12,930.26 लाख की कमी और ₹ 3,853.76 लाख की हानि में बदल जाएगी। वर्ष के लिए कुल व्यापक आय 142.46 प्रतिशत से प्रभावित है। इसलिए, वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण एक 'सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण' प्रस्तुत नहीं करते हैं और स्वतंत्र लेखापरीक्षक की ओर से अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में यह आश्वासन देना उचित नहीं था कि वित्तीय विवरण ने एक 'सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण' प्रस्तुत किए हैं ।	वर्तमान में ई एस आई सी प्राप्य मामला मध्यस्थचा के अधीन है और एचएलएल ने ई एस आई सी से प्रारंभिक दावा पर ब्याज सहित रु. 437.19 करोड का दावा किया है। मध्यस्थता उच्च चरण में है और जल्दी ही फैसला होने की उम्मीद है। हम ने ठेके शर्तों के अनुसार पिछले वर्ष में राजस्व बुक किया है और दृढ विचार के हैं कि ईएसआईसी (भारत सरकारी के उद्यम) से पैसा वसूली योग्य है। इस मामले को उचित रूप से टिप्पणी 2. 31 में वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में व्याख्यात्मक टिप्पणी में प्रकटीकरणा किया गयाहै। सांविधिक लेखापीक्षकों ने वर्ष 2020-2021 के लिए वित्तीय विवरणों की एक प्रतिबंध राय बनाई है। इसका मतलब है कि वित्तीय विवरण में दिए गए कंपनी के मामले, प्रतिबंध विचारों के अधीन निर्धारित मामलों के संभावित प्रभाव छोडकर , सही और निष्पक्ष विचार देते हैं। वे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भी जवाब दिया है कि इस में शामिल रकम पर्याप्त है, यह व्यापक नहीं है, चूँकि कि प्रतिबंध लेनदेन एक वर्ग से संबंधित है और उसी का परिणाम भविष्य की घटनाओं और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वित्तीय में प्रावधान बनाना प्रबंधन का विवेक है। यद्यपि घटना महत्वपूर्ण पैदा है, लेकिन प्रतिकूल राय प्रदान करने के लिए व्यापक नहीं है, लेखापरीक्षकों ने कंपनी के वित्तीय विवरणों की बेहतर समझ के लिए एक प्रतिबंध राय बनाई है।

	Company has been supplying contraceptive products to the Ministry of Health &Family Welfare under the 'captive status' since 2005. The Ministry placed supply orders on the Company in beginning of the year at the provisional rate based on the lowest rate of the previous year and releases the payment. Subsequently, the lowest rate determined through open tender is made applicable as final rate for supplies made by the Company during the same financial year. Due to finalisation of lower rate for the supplies made in 2014-15 as compared to provisional rate, Ministry had sought (March 2016) recovery from Company amounting to ₹ 587 Lakh on account of difference in rate with respect to pregnancy test kits supplied during 2014-15. However in non-compliance to provisions of Ind AS 37, Company has not made any provision/liability for the demand raised by the Ministry in accordance with agreed arrangement on the supplies made by the Company. Instead Company had shown the amount under 'Contingent Liabilities' in the Notes to Financial Statements in view of its pending representation before the Ministry for review and revision of final rate for the supplies made in 2014-15. Non recognition of liability to the Ministry has resulted in understatement of 'Other Current Financial Liabilities' by ₹ 587 lakh and overstatement of 'Profit for the year' by the same amount. Consequently 'Contingent Liabilities' is also overstated by ₹ 587 lakh.	Ministry of Health had during May 2016, sought recover towards rate difference , amount to Rs. 587 lakhs towards the supplies of Pregnancy Test Kits for the year 2014-15. The company had objected to the claim and represented to the Ministry to review the order. The High Power Committee meeting was held on 18.04.2017 under the chairmanship of AS & DG and the recommendations of the committee was communicated vide the minutes of the meeting dated 27.04.2017. As per the minutes, it is mentioned that the matter of recovery of Pregnancy Tesk Kit would be examined later. Since no further action is initiated in the subject matter and the status quo of the matter remains the same as in 2015-16, the company has disclosed the same under contingent liability as done during previous years. The same is disclosed under Note. 2.11 forming part of accounts.
	B. Comment on Independent Auditor's Report Considering the impact of comment A(1) and A(2) as above and comments made by the Independent Auditor in his audit report under 'Basis for Qualified Opinion' at Para (a) on overstatement of trade receivables by ₹ 12,374 lakh and Para (c) on non provision of allowance for expected credit loss amounting to ₹ 13.10 lakh, the total comprehensive income for the year (₹ 9,076.50 lakh) as depicted in statement of profit and loss of the Company would decrease by ₹ 12,930.26 lakh and turn into loss of ₹ 3,853.76 lakh. Total comprehensive income for the year is impacted by 142.46 per cent. Hence, the consolidated financial statements of the company for the year 2020-21 do not present a 'true and fair view' and it was not proper on the part of Independent Auditor to have provided an assurance in his audit report that the financial statements presented a 'true and fair view'.	The matter of ESIC receivable is under arbitration at present and HLL has made a claim of Rs. 437.19 Crores on ESIC including interest on initial claim. The arbitration is at an advanced stage and is expected to be decided at an early date. We have booked the revenue in the previous years as per the terms of the contract and are of the firm view that the money is recoverable from ESIC (A Govt.of India Enterprise). The matter is suitably disclosed as part of the explanatory notes forming of the financial statements in Note No. 2.31 The statutory auditors have made a qualified opinion of the financial statements for the year 2020-21. This implies that the financial statements give a true and fair view of the affairs of the company except for the possible effects of the matter prescribed under Basis of Qualified Opinion. They have also replied to CAG that even though the amount involved is substantial, it is not pervasive. Since the qualification is related to one class of transactions and the outcome of the same depend upon future events and circumstances, creating a provision in the financials is the discretion of the management . Though the event is material but not pervasive to provide an adverse opinion, the auditors have made a qualified opinion instead of an adverse opinion.

अनुबंध V

बी वी आर & एसोसिएट्स
कंपनी सेक्रटरीस एलएलपी

एल एल पी पहचान सं.ए ए ई -7079

'स्वास्थिका', प्रथम तल
चिटेत्त हाउस, पी सी रोड़,
वैटिला.पी.ओ, कोचिन-682 019
दूरभाष : 0484-4046696, +919895630786

फर्म सं.एम आर 3

सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक)]
नियम, 2014 के नियम सं.9 के अनुसार]

सेवा में

सदस्य
मैसर्स एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड,
सी आई एन : यु25193केएल1966जीओआई002621
एचएलएल भवन, महिलामंदिरम रोड़, पूजप्पुरा,
तिरुवनंतपुरम, केरल - 695012, भारत

हम, बी वी आर & एसोसियेट्स कंपनी सचिव एलएलपी ने मैसर्स एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड [सी आई एनः यु25193केएल1966जी ओ आई002621] (बाद में 'कंपनी' कहा जाता है) द्वारा उपयुक्त सांविधिक प्रावधानों और अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन करने की सचिवालयीन लेखापरीक्षा आयोजित की। सचिवालयीन लेखापरीक्षा उस तारीख से आयोजित की । कॉर्पोरेट कार्यकलाप/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन करने और उस पर हमारी राय प्रकट करने के लिए एक उचित आधार हमें प्रदान किया गया ।

बही, कागज़ातें, कार्यवृत्त, प्रपत्र एवं फाइल किए गए रिटर्न और हमें दिए गए अन्य रिकोर्डों के हमारे सत्यापन के आधार पर और सचिवालयीन लेखापरीक्षा आयोजित करने के दौरान कंपनी, उसके अधिकारी, एजेंट और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष को समाविष्ट लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों, कंपनी के संस्था के ज्ञापन व अंतर्नियम और अनुबंध 1 में उल्लिखित जैसे नियमों के प्रयोज्य प्रावधान, मानक, दिशानिर्देश आदि का भी अनुपालन किया है और इसके पश्चात् बनाए गए रिपोर्टिंग के अनुसार कंपनी को उचित बोर्ड प्रक्रियाएँ और अनुपालन तंत्र भी है।

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के प्रावधानों के अनुसार, 31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी द्वारा बनाए रखे कार्यवृत्त, प्रपत्र और दाखिल किए रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जांच की है :

i. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए नियम ;

ii) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक, उसके अधीन नियम और विनियम;

iii) जमाकर्ता अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियम;

Annexure V

BVR & ASSOCIATES
Company secretaries LLP

LLP Identification Number : AAE-7079

"Swastika", TR/53/3933, Lal Salam Road
Off Convent Road, Ponnurunni
Vytila P.O., Cochin-682019
Ph : 0484-4046696, +91 98956 30786
email : info@directus.co.in

FORM NO: MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st MARCH, 2021

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To

The Members
HLL LIFECARE LIMITED
CIN: U25193KL1966GOI002621
HLL BHAVAN, MAHILAMANDIRAM ROAD,
POOJAPPURA, THIRUVANANTHAPURAM
KERALA - 695012, INDIA

We, BVR & ASSOCIATES Company Secretaries LLP, have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and adherence to good corporate practices by M/s. HLL LIFECARE LIMITED [CIN: U25193KL1966GOI002621] (hereinafter called "the Company"). The Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of books, papers, minutes, forms and returns filed and other records produced to us and according to information and explanations given to us by the Company, its officers, agents, and authorised representatives during the conduct of the secretarial audit, we hereby report that, in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on 31.03.2021 complied with the provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and the Rules made there under, the Memorandum and Articles of Association of the Company and also applicable provisions of the laws as mentioned in Annexure 1, standards, guidelines etc., and also the Company has proper Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the minutes, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31.03.2021 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;

(ii) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made there under to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations framed there under

iv) प्रतिभूति अनुबंध विनियम अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियम

2. हमने कंपनी द्वारा उद्योग विशिष्ट लागू अधिनियमों, सामान्य कानूनों और विनियमों के तहत अनुपालन के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए सिस्टम और तंत्र के लिए कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा बनाए गए प्रतिनिधित्व पर भरोसा किया है। कंपनी पर लागू अधिनियमों, कानूनों और विनियमों के अन्य मुख्य शीर्ष/ग्रूपों की सूची अनुलग्नक 1 में दी गई है।

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की जांच भी की है :

भारतीय कंपनी सचिव संस्था द्वारा जारी किए गए सचिवालय मानक लागू सीमा तक ।

कंपनी एक असूचीबद्ध कंपनी रहने से, लिस्टिंग विनियम कंपनी के लिए लागू नहीं है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित के अलावा ऊपर उल्लिखित नियम, अधिनियम, विनियमों , दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

i. जबकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(9) के प्रावधानों के अनुसार साथ पठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 कंपनी को एक और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता है जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाना है ।

ii. जबकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(1) के साथ पठित कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति को स्वतंत्र निदेशक के साथ पुनर्गठित करने की आवश्यकता है और अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है ।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल को अपेक्षित संख्या स्वतंत्र निदेशकों के अलावा कार्यपालक निदेशक, गैर-कार्यपालक निदेशक और महिला निदेशक के उचित संतुलन के साथ गठित किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की बनावट में हुए बदलाव शुल्क/अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ अनुपालन करके कार्यान्वित किए गए हैं।

बोर्ड बैठक आयोजित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गयी कि कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ कम से कम सात दिवस पूर्व अग्रिम रूप से भेजी गई और बैठक के पूर्व कार्यसूची मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण माँगने एवं प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली विद्यमान है। बहुमत निर्णय के माध्यम से किया जाता है, जबकि असहमत सदस्यों के विचार भी कार्यवृत्त के भाग के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है।

निदेशकों ने उनकी नियुक्ति की पात्रता के संबंध में प्रकटीकरण अपेक्षाओं के अतिरिक्त अनुपालन किया है, वे स्वतंत्र रहने से और निदेशकों और प्रबंधन कार्मिकों के लिए व्यापार आचरण और आचार संहिता के साथ और ठेके और व्यवस्थाओं में हित के प्रकटीकरण और शेयरहोल्डिंग/डिबेंचर होल्डिंग और अन्य कंपनियों में और अन्य संस्थाओं में निदेशकशिप के रूप में अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं :

कंपनी ने संवीक्षाधीन वर्ष के दौरान अपने शेयरधारकों को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अंतिम लाभांश घोषित किया है और कंपनी अधिनियम 2013, के सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन देखा गया ।

कंपनी ने ऊपर उल्लिखित कानूनों के अतिरिक्त विधिकों की एक सूची प्रदान की है और यह देखा गया है कि कंपनी को लागू सभी कानूनों के अनुपालन सुनिश्चित करने की व्यवस्थाएँ हैं।

(iv) The Securities Contract Regulation Act, 1956 and the Rules made there under

We have relied on the representations made by the company and its officers for systems and mechanisms formed by the company for compliances under industry specific applicable Acts, general Laws and regulations to the company. The list of other major head/Groups of Acts, Laws and Regulations as applicable to the company is given in Annexure 1.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India, to the extent applicable.

The Company being an unlisted company the Listing Regulations are not applicable to the company.

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above except the following.

i) Whereas in terms of provisions of Section 149(4) of the Companies Act, 2013 read with Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 the Company is required to appoint one more Independent Director which is yet to be done by the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India.

II) Whereas in terms of Section 177(1) of the Companies Act, 2013 read withthe Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014, the Audit Committeeare required to be reconstituted with independent Director and are yet to comply.

We further report that

The Board of Directors of the Company is constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Woman Directorexcept requisite number of Independent Directors during the year. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 with payment of fee/additional fees.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda are sent at least seven days in advance, a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.Majority decision is carried through, while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

The Directors have complied with the disclosure requirements in respect of their eligibility of appointment, their being independent and compliance with the code of Business Conduct & Ethics for Directors and Management Personnel and also with regard to disclosure of interests and concerns in contracts and arrangements, shareholdings/debenture holdings and directorships in other companies and interests in other entities.

We report that, during the year under review:

The Company has declared final dividend for F.Y 2019-20 to its shareholders during the period under scrutiny and all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 were seen complied with.

The Company has provided a list of statutes in addition to the laws as mentioned above and it has been observed that there are systems in place to ensure compliance of all laws applicable to the company.

हम आगे रिपोर्ट करते हैं :

यहाँ लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा निर्देशों के साथ अनुपालन का अनुवीक्षण करने और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुसार कंपनी में पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं

स्थान : तिरुवनंतपुरम
दिनांक : 31.07.2021

कृते बी वी आर & एसोसियेट्स
कंपनी सचिव एल एल पी

ए सी एस गोकुल आर आई
पदधारी साझेदार
ए सी एस नं.ए21269
सी पी नं.14245
युडीआईएन : ए021269सी000718801

यह रिपोर्ट हमारे इसी तारीख के पत्र के साथ भी पढ़ी जानी है जिसे अनलग्नक के रूप में संलग्न किया गया है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है।

We further report that;

There are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

Place: Trivandrum
Date: 31.07.2021

For BVR & Associates
Company Secretaries LLP

ACS Gokul R I
Designated Partner
ACS No. A21269
C P No.14245
UDIN : A021269C000718801

This Report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure A and forms an integral part of this report.

'परिशिष्ट क'

सेवा में

सदस्य,
मैसर्स एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड

इस तारीख की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढी जानी है :

1. सचिवालयीन अभिलेख का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवालयींन अभिलेखों पर एक राय प्रकट करना हमारा उत्तरदायित्व है।
2. हमने लेखापरीक्षा प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है जो, सचिवालयीन अभिलेखों के अंतर्वस्तु की शुद्धता के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे।
3. सचिवालयीन अभिलेखों पर सही तथ्य परिलक्षित किया गया है, को सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया है। हम मानते हैं कि जिस प्रक्रिया और प्रथाओं का हमने पालन किया है, वह हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है ।
4. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखाबहियों के शुद्धता एवं औचित्य का सत्यापन नहीं किया है।
5. जहाँ कही अपेक्षित हैं, हमें कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है।
6. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानून, नियम, विनियम, मानकों के प्रावधान का अनुपालन का उत्तरदायित्व है। हमारी जाँच, परीक्षा के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित था।
7. सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

स्थान : तिरुवनंतपुरम
दिनांक : 31.07.2021

कृते बी वी आर & एसोसियेट्स

कंपनी सचिव एल एल पी

ए सी एस गोकुल आर आई
पदधारी साझेदार
ए सी एस नं.ए21269
सी पी नं.14245
युडीआईएन : ए021269सी000718801

'Annexure A'

To,

The Members,
M/s. HLL LIFECARE LIMITED

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of Secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.

2. We have followed the audit practices and process as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records.

3. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial records. We believe that the process and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.

4. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company.

5. Wherever required, we have obtained the Management representation about the Compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

6. The Compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedure on test basis.

7. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

Place: Trivandrum
Date: 31.07.2021

For BVR & Associates
Company Secretaries LLP

ACS Gokul R I
Designated Partner
ACS No. A21269
C P No.14245
UDIN : A021269C000718801

परिशिष्ट 1

कंपनी के लिए लागू उद्योग विशिष्ट नियम की सूची

1. फैक्टरी अधिनियम, 1948
2. वायु (प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम, 1981
3. जल (प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम, 1974
4. पर्यावरण (संरक्षण), अधिनियम, 1986
5. औद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946
6. कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेद व निवारण) अधिनियम, 2013
7. औषधि व प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940

स्थान : तिरुवनंतपुरम
दिनांक : 31.07.2021

कृते बी वी आर & एसोसियेट्स

कंपनी सचिव एल एल पी

ए सी एस गोकुल आर आई
पदधारी साझेदार
ए सी एस नं.ए21269
सी पी नं.14245
युडीआईएन : ए021269सी000718801

Annex 1

List of Industry specific laws applicable to the company

1. The Factories Act, 1948
2 The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981
3. Water (Prevention & Control of Pollution) Act 1974
4. The Environment (Protection) Act, 1986
5. The Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946
6. Sexual Harassment of Women at the work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013
7. Drugs & Cosmetics Act,1940

Place: Trivandrum
Date: 31.07.2021

For BVR & Associates
Company Secretaries LLP

ACS Gokul R I
Designated Partner
ACS No. A21269
C P No.14245
UDIN : A021269C000718801

अनुबंध - VI

बी वी आर & एसोसिएट्स
कंपनी सेक्रटरीस एलएलपी

एल एल पी पहचान सं.ए ए ई -7079

'स्वास्थिका', प्रथम तल
चिटेत्त हाउस, पी सी रोड़,
वैटिला.पी.ओ, कोचिन-682 019
दूरभाष : 0484-4046696, +919895630786
ई-मेलः info@directus.co.in

अनुपालन प्रमाण-पत्र

सेवा में

सदस्य
मैसर्स एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड,
सी आई एन : यु25193केएल1966जीओआई002621
एचएलएल भवन, महिलामंदिरम रोड़, पूजप्पुरा,
तिरुवनंतपुरम, केरल - 695012, भारत

हमने दिनांक 14 मई, 2010 के डी पी ई का.ज्ञा.सं.18(8)/2005-जी एम द्वारा निर्धारित जैसे 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन की अनुपालन की शर्तों की जाँच की है ।

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन करना प्रबंध का उत्तरदायित्व है । हमारी जाँच कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा स्वीकृत कार्य पद्धतियों और कार्यान्वयन तक सीमित थी । यह कंपनी के वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा या मत की अभिव्यक्ति नहीं है ।

हमारी राय और हमें दिए विवरणों पर अपनी सूचना के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने ऊपर उल्लिखित डी पी ई का.ज्ञा. में निर्धारित जैसे कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है ।

आगे हम स्पष्ट करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है न ही कार्य क्षमता या प्रभावकारिता जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को चलाया है।

स्थान : तिरुवनंतपुरम
दिनांक : 24.06.2021

कृते बी वी आर & एसोसियेट्स

कंपनी सचिव एल एल पी

ए सी एस गोकुल आर आई
पदधारी साझेदार
ए सी एस नं.ए21269
सी पी नं.14245
युडीआईएन : ए021269सी000718801

Annexure VI

BVR & ASSOCIATES
Company secretaries LLP

LLP Identification Number : AAE-7079

"Swastika", TR/53/3933, Lal Salam Road
Off Convent Road, Ponnurunni
Vytila P.O., Cochin-682019
Ph : 0484-4046696, +91 98956 30786
email : info@directus.co.in

COMPLIANCE CERTIFICATE

To,

The Members
HLL LIFECARE LIMITED
CIN: U25193KL1966GOI002621
HLL BHAVAN, MAHILAMANDIRAM ROAD,
POOJAPPURA, THIRUVANANTHAPURAM
KERALA - 695012, INDIA

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by HLL Lifecare Limited for the financial year ended on 31st March 2021, as stipulated by DPE OM No. 18(8)12005-GM dated 14th May 2010.

The compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the company for ensuring the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the company.

In our opinion and to the best of our information to the explanations given to us, we certify that the Company has substantially complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned DPE O.M.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For **BVR & Associates Company Secretaries LLP**

Place: Trivandrum
Date: 24.06.2021

Gokul R I
Designated Partner
ACS No. A21269
C P No. 14245
UDIN : A021269C000508569

के.वर्गीस & कं.
सनदी लेखाकार

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

एचएलएल लाईफकेयर लिमिटेड के सदस्यों को

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

प्रतिबंध राय

हमने **एचएलएल लाईफ़केयर लिमिटेड** ('कंपनी') के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा की है, जिसमें **31 मार्च, 2021** तक के तुलन पत्र, लाभ एवं हानि के विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) नकदी प्रवाह विवरण और उस तारीख में समाप्त उस वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और सार्थक लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना का सारांश सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी समाविष्ट हैं(इसके बाद "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित)

हमारी राय में तथा हमारी उत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, नीचे अनुच्छेद के प्रतिबंध विचार के लिए आधार में वर्णित मामले के संभाव्य प्रभाव को छोडकर, पूर्वोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) द्वारा अपेक्षित सूचना देता है और अधिनियम की धारा 133 के अधीन पारित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के नियम यथा संशोधित (भारतीय लेखा मानक) और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धातों, 31 मार्च 2021 तक की कंपनी के कार्यों की स्थिति में , उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन एवं उस तारीख पर समाप्त वर्ष के लिए इसके नकद प्रवाह निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप सही एवं उचित चित्र देता है:

प्रतिबंध विचारों का आधार

नोट सं. 2.31 में बताए जैसे कंपनी ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के लिए पारिप्पल्ली में एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण की ओर एक समझौता प्रारंभ किया था और उसको 21 अक्तूबर 2016 को ई एस आई सी को हस्तांतरित किया गया। इस अनुबंध पर ईएसआईसी से रु. 12374 लाख की रकम देय है और 31 मार्च 2021 तक के व्यापार प्राप्तियों के अधीन दिखाया गया है। पूरी रकम 3 से अधिक वर्षों के लिए बकाया है और इसकेलिए ईएसआईसी से कोई पुष्टि उपलब्ध नहीं है, आगे ईएसआईसी ने रु. 9293 लाखों के लिए कंपनी पर दावा उठाया है। आगे की यह मामला मध्यस्थता के अधीन है। हमारी राय में, उपर्युक्त तथ्यों के कारण, व्यापार प्राप्तियों के लिए लेखों पर रु. 12374 लाख की रकम का प्रावधान बनाया जाना चाहिए था। यह रु. 12374 लाख की व्यापार प्राप्तियों के अधिविवरण, वर्ष के लिए लाभ का अधिविवरण में परिणत हुआ, वर्ष के लिए लाभ का अधिविवरण और संचित लाभ को रु. 12374 लाख से अधिविवरण बताया गया है।

हम ने अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों (एस ए) के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा चलायी। उन मानकों के अधीन हमारी उत्तदायित्वों को हमारी रिपोर्ट स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण खंड की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्वों में आगे वर्णित किया गया है। हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ भारतीय लेखापरीक्षक संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी किए नैतिक कोड के अनुसार कंपनी के स्वतंत्र हैं, के साथ -साथ उसके अधीन बनाए गए अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के हमारी लेखापरीक्षा के लिए सुसंगत है, और हमने इन अपेक्षाओं और आईसीएआई के नैतिक कोड के अनुसार हमारे अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारे प्रतिबंध लेखापरीक्षा राय को एक आधार देने केलिए पर्याप्त एवं उचित है।

मामले का ज़ोर

हम ध्यान आकर्षित करते हैं कि

1. टिप्पणी सं. 9 चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ - तुलन पत्र की तारीख को बकाया व्यापार प्राप्य के अनुसार रु. 1,83,666.67 लाख की रकम है जो पुष्टि, सुलह और परिणामी समायोजन यदि कोई हो उसके अधीन है।

K VARGHESE & CO.
Chartered Accountants

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Members of HLL Lifecare Limited

Report on the Audit of Revised Standalone Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the accompanying standalone financial statements of **HLL Lifecare Limited** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2021, the Statement of Profit and Loss, (including Other Comprehensive Income), the Cash Flow Statement and the Statement of Changes in Equity for the year ended on that date, and notes to the standalone financial statements include a summary of the significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "Standalone Financial Statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the possible effect of the matters described in the basis for qualified opinion paragraph below, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act")in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2021, the profit and total comprehensive income, changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

As stated in note no 2.31, the Company has entered into an agreement for the construction of a medical college at Paripally for Employees' State Insurance Corporation (ESIC) and handed over the same to ESIC on October 21, 2016. On this contract an amount of ₹12374 lakh is due from ESIC and shown under Trade Receivables as on March 31, 2021. The whole amount is outstanding for more than 3 years and there is no confirmation available from ESIC, further ESIC has raised a claim on the Company to extent of ₹9293 lakh. Further this case is under arbitration. In our opinion, due to the above-mentioned facts, provision should have been created in the accounts for the Trade Receivables amounting to ₹12374 lakh. This has resulted in the overstatement of Trade Receivables by ₹12374 lakh, overstatement of profit for the year and overstatement of accumulated profit by ₹ 12374 lakh.

We conducted our audit of the standalone financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under Section 143 (10) of the Act. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI") together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements under the provisions of the Act and the Rules made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion on the standalone financial statements.

Emphasis of Matter

We draw attention to:

1. Note 9-Current Financial Assets- Trade Receivables outstanding as on the balance sheet date amounts to

2. टिप्पणी सं. 2.32 चालू वित्तीय परिसंपत्तियों के अधीन दिखाए गए रु. 1232 लाख की रकम मेसर्स गुजरात आरोग्य सेवा (पी) लिमिटेड (जीएएसपीएल) से और गुजरात मेडिकल सेवा निगम लिमिटेड (जीएमएससीएल) से व्यापार प्राप्तियों के रूप में दिखाये रु. 827 लाख वसूली से संबंधित है, हालांकि कंपनी को जीएमएससीएल से अग्रिम के रूप में रु. 1500 लाख प्राप्त हुआ है।

3. टिप्पणी 2.11 वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए, भारत सरकार को आपूर्तियों के लिए उपयुक्त अंतिम मूल्यों पर अनिश्चितता से संबंधित है कि सरकार द्वारा अभी तक अधिसूचित किया जाना है और तदनुसार उसके प्रभाव भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरण में विचार नहीं किया गया है। पिछले वर्षों केलिए आपूर्ति के संबंध में, हालांकि सरकार ने गर्भनिरोधक गोलियाँ और प्रग्नन्सि किट के लिए कंपनी से रु. 587 लाख की सीमा तक मूल्यान्तर की वसूली की मांग की, कंपनी ने आपत्ति उठाई और उसको वित्तीय विवरणों में नहीं दिया गया है।

उक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं की जाती है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामला

प्रतिबंधा राय खंड के आधार में उल्लिखित मामलों को छोडकर, हम ने निर्धारित किया है कि हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संसूचित करने के लिए कोई अन्य महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा सूचना

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध सहित बोर्ड की रिपोर्ट, व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट अभिशासन और शेयरधारक की सूचना सहित जानकारी शामिल है लेकिन इस में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचना समाविष्ट नहीं है और हम उस पर किसी भी तरह के आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के सिलसिले में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी पढना है, और ऐसे करने में विचार करें कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी प्रत्यक्ष रूप में असंगत है या लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त ज्ञान या अन्यथा प्रत्यक्ष रूप से गलत प्रतीत होता है।

अगर हम जो काम किया है उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसके अन्य जानकारी के प्रत्यक्ष रूप में अयथार्थ गलत विवरण है, हमें इस तथ्य की रिपोर्ट करना अपेक्षित है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए प्रबंध का उत्तरदायित्व और उन अभिशासन के साथ आवेशित

कंपनी के निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की तैयारी के संबंध में ("अधिनियम") कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) में निर्दिष्ट मामलों केलिए उत्तरदायी है, जो वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत भारतीय लेखा मानकों और लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन, नकदी प्रवाह और कंपनी की इक्विटी परिवर्तन के सही और निष्पक्ष चित्र देता है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए और धोखाधडी एवं अन्य अनियमिताओं को रोकने तथा पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का अनुरक्षण; उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोग; उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं अनुमान बनाना; और स्टैंडअलोन भारतीय लेखापरीक्षा मानकों के वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुतीकरण केलिए संगत लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं संपूर्णता सुनिश्चित करने की ओर प्रभावी ढंग से संचालन कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिज़ाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं, जो सही और निष्पक्ष चित्र देता है और धोखाधडी या त्रुटि के कारण भौतिक अयथार्थ विवरण से मुक्त है।

₹1,83,667 lakh which are subject to confirmation, reconciliation and consequent adjustments if any.

2. Note 2.32 regarding recoverability of dues from M/s Gujarat Arogya Seva (P) Limited (GASPL) amounting to ₹1232 lakh shown under Current Financial Assets and ₹827 lakh shown as trade receivable from Gujarat Medical Services Corporation Limited (GMSCL), though company has received ₹1500 lakh as advance from GMSCL.

3. Note 2.11 regarding the uncertainty on final prices applicable for supplies to Government of India for the year 2019-20 and 2020-21, as the same is yet to be notified by the Government and accordingly the effect of the same has not been considered in the financial statements. In respect of supplies for the previous years, though the Government has sought recovery of price difference from the Company for contraceptive pills and pregnancy kits to the extent of ₹587 lakh, the Company has raised objections and has not provided for the same in the financial statements.

Our opinion is not modified in respect of the above matter.

Key Audit Matters

Except for the matters described in the Basis for Qualified opinion section we have determined that there is no other key audit matter to communicate in our audit report.

Information Other than the Revised Standalone Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexures to Board's Report, Business Responsibility Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the standalone financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements, or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

The Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexures to Board's Report, Business Responsibility Report and Corporate Governance is not made available to us as at the date of this auditor's report. We have nothing to report in this regard.

Responsibility of Management and Those Charged with Governance for the Revised Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance including other Comprehensive Income, cash Flows and the statement of changes in equity of the Company in accordance with the Ind AS and other accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial control, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records relevant to the preparation and presentation of the Standalone Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल को चालू समुत्थान के रूप में जारी रखने के लिए कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए, चालू समुत्थान से संबंधित मामले का प्रकटीकरण जैसे उपयुक्त है करना और लेखांकन के आधार पर चालू समुत्थान का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या प्रचालन रोकने का इरादा रखता है, या ऐसे करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। निदेशक मंडल कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख करने केलिए जिम्मेदार हैं।

स्टैंडलोन वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा केलिए लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा लक्ष्य है, धोखाधडी या गलती के कारण, स्टैंडलोन वित्तीय विवरण संपूर्ण रूप से प्रमुख गलत विवरण से मुक्त होने के बारे में, उचित आश्वासन प्राप्त करना, और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह कोई प्रत्याभूति नहीं है कि एसएएस के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षा हमेशा एक प्रमुख अयथार्थ विवरण की खोज करेगी, जब यह मौजूद है। अयथार्थ विवरण धोखाधडी या गलती से उत्पन्न हो सकता है और यदि एकल या कुल में यह प्रमुख तब माना जाता है, जब वे इन स्टैंडलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार लेखापरीक्षा के हिंस्से के रूप में, हमने पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय लिया है और व्यावसायिक संदेह का अनुरक्षण किया है। हम भी :

- वित्तीय विवरणों के मुख्य अयथार्थ विवरण की जोखिमों को पहचान करना और आकलन करना, यदि धोखाधडी या गलती के कारण; उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन एवं प्रदर्शन करना; और लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उचित है। धोखाधडी से उत्पन्न एक मुख्य गलत विवरण का पता नहीं लगाने की जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले से अधिक है, चूँकि धोखाधडी में गुप्त षडयंत्र, जालसाजी, जानबूझकर चूक, बकवास या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हैं।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के सिलसिले में लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थिति के लिए उचित है। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अधीन, हम अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी है, यदि कंपनी को पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन आकलन का औचित्य एवं प्रबंधन द्वारा बनाये गये संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के चालू समुत्थान के प्रबंधन के प्रयोग की उपयुक्तता पर नतीजा और, प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर, यदि घटना या शर्तों से संबंधित कोई प्रत्यक्ष अनिश्चितता मौजूद है, जो एक चालू समुत्थान के रूप में आगे जाने की कंपनी की क्षमता पर एक महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकता है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक प्रमुख अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें स्टैंडलोन वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकट ीकरण की हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट पर ध्यान देना अपेक्षित है या, यदि ऐसी प्रकटीकरण अपर्याप्त है, तो हमारी राय को संशोधित करना है। हमारा निष्कर्ष, हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर है। तथापि, भविष्य की घटना या शर्त कंपनी को एक चालू समुत्थान के रूप में आगे जाने में नुक्सान होने का कारण बन सकता है।
- प्रकटीकरण सहित स्टैंडलोन वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और यदि स्टैंडलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरीके से प्रतिनिधान करते हैं जो उचित प्रतिपादन हासिल करता है।

स्टैंडलोन वित्तीय विवरणों के अयथार्थ विवरण का परिमाण है प्रमुखता, जो एकल या कुल में, इसे संभावित बनाता है, जो वित्तीय विवरण के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय पर प्रभावित कर सकता है। हम मात्रात्मक प्रमुखता और गुणवत्ता घटक (i) हमारे लेखापरीक्षा काम के कार्यक्षेत्र का नियोजन और हमारे काम के परिणाम के मूल्यांकन; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचान किये गये किसी गलत विवरण के प्रभाव के मूल्यांकन, पर विचार करते हैं।

हम, आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमी सहित नियोजित कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा का समय निर्धारण और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम, अन्य मामलों, जो हम लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं, के संबंध में उच्च प्रबंधन को सूचित करते हैं।

हम उच्च प्रबंधन को भी विवरण सहित सूचित करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित संगत नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और हमारी

In preparing the standalone financial statements, Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The Board of Directors are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibility for the Audit of Revised Standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we have exercised professional judgment and maintained professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error; design and perform audit procedures responsive to those risks; and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement, resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal financial control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during the audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical

स्वतंत्रता पर आने वाले सभी संबंधों एवं अन्य मामलों के बारे में उनको सूचित किया है और जहाँ संबंधित सुरक्षा उपाय लागू हो।

उच्च प्रबंधन के साथ संसूचित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जिनका चालू अवधि के स्टैंडलोन वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा में अत्यधिक महत्व था और इसलिए ये मुख्य लेखापरीक्षा मामला हैं। हम इन मामलों को अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में निर्धारित करते हैं जब तक विधि या विनियम इस मामले के संबंध में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम निर्धारित करते हैं कि यह मामला हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में संसूचित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कार्य के दुष्परिणाम ऐसी संसूचना के सार्वजनिक हित के लाभ को उचित रूप से महत्व देने की अपेक्षा की जायेगी।

अन्य मामले

भारत भर में कोविड-19 के प्रसार जारी रखने से, इस ग्राहक स्थान के प्रत्यक्ष संदर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा के मानक के अनुसार वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

उपरोक्त के परिणामस्वरूप प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा की परोक्ष पहुँच के आधार पर संपूर्ण लेखापरीक्षा की गयी। यह आईसीएआई की लेखापरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड द्वारा जारी किए गए 'वर्तमान कोविड-19 स्थिति के अधीन दूरी लेखापरीक्षा/परोक्ष लेखापरीक्षा/ऑनलाइन लेखापरीक्षा आयोजित करके विशिष्ट विचार पर सलाह के आधार पर कार्यान्वित किया गया है। हमें प्रबंधन द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है कि हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए डाटा सही, पूर्ण, विश्वसनीय और कंपनी की लेखापरीक्षा प्रणाली द्वारा बिना किसी और मैनुअल संशोधन से सीधे उत्पन्न है।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(11) के शर्तों के अनुसार भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी किये कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('आदेश') द्वारा अपेक्षित जैसे, हम आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 पैरा में विनिर्दिष्ट विषयों पर विवरण **"अनुबंध क"** में देते हैं।

2. हमें उचित समझे जैसे कंपनी की पुस्तक और रिकॉर्ड की जाँच और हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्दोशों के आधार पर अधिनियम की धारा 143(5) में अपेक्षिति जैसे हम अनबंध - ग में देते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षिति जैसे, हम रिपोर्ट करते हैं :

   (क) हम ने अपनी लेखापरीक्षा के उद्देश्य केलिए अपेक्षित सभी सूचना और स्पष्टीकरण अपने उत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुरूप माँगा और प्राप्त कर लिया है;

   (ख) हमारी राय में, जहाँ तक कि उन लेखाबही की हमारी जाँच से प्रकट होता है कि विधि द्वारा अपेक्षित जैसे खाते के उचित लेखाबही को कंपनी द्वारा बनायी रखी है;

   (ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ एवं हानि विरण , नकद प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण लेखा बही के साथ समझौते में हैं।

   (घ) हमारी राय में, प्रतिबंध राय के उपर्युक्त पैरा के आधार में वर्णित मामलों के प्रभाव को छोडकर, उक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अधीन परिॅत कंपनी (लेखा) नियम, 2014 विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के साथ अनुपालन करते हैं;

   (ङ) उपर्युक्त प्रतिबंध विचारों के आधार में वर्णित मामले, हमारी राय में, कंपनी के कार्य में प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

   (च) कोर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 5 जून 2015 द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं. जी एस आर 463(ई) के अनुसार, निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित धारा 164 की उप-धारा (2) का प्रावधान, कंपनी के लिए लागू नहीं है।

   (छ) कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्र के संचालन प्रभावशीलता के संबंध में हमारी अलग रिपोर्ट " इस रिपोर्ट के **अनुबंध - ख** " में देखें।

requirements regarding independence and communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

The continuous spreading of COVID -19 across India has resulted in restriction on physical visit to some of the client locations and the need for carrying out alternative audit procedures as per the Standards on Auditing prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

As a result of the above, the audit was carried out based on remote access of the data as provide by the management. This has been carried out based on advisory on "specific consideration by conducting Distance Audit/Remote Audit/Online Audit under current Covid-19 situation" issued by the Auditing and Assurance Standards Board of ICAI. We have been represented by the management that the data provided for our audit purpose is correct, complete, reliable and are directly generated by the accounting system of the company without any further manual modification.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the "Annexure B", a statement on the matters specified in the paragraph 3 and 4 of the Order.

2. As required by Section 143 (5) of the Act, we give in Annexure C, on the basis of such checks of the books and the records of the Company as we considered appropriate and according to the information's and explanations given to us, the directions issued by the Comptroller and Auditor-General of India.

3. As required by section 143(3) of the Act, we report that:

   a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

   b) In our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;

   c) The Balance Sheet, Statement of Profit and Loss including Other Comprehensive Income, the Cash Flow Statement and Statement of Changes in Equity dealt with by this report are in agreement with the books of account;

   d) In our opinion, except for the effect of the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Ind AS specified under Section 133 of the Act, read with Companies (Indian Accounting standards) Rules, 2015, as amended.

   e) The matters described in Basis for Qualified Opinion above, in our opinion, may have an adverse effect in the functioning of the Company.

   f) Vide notification no. GSR 463(E) issued by Ministry of Corporate Affairs dated 5 June 2015, provisions of sub-section (2) of section 164 regarding disqualification of directors are not applicable to the company;

   g) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure A" to this

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जा रहे अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय और हमारी उत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार है:

i) कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों का प्रभाव प्रकट किया है स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का टिप्पणी सं. 32 में देखें।

ii) प्रतिबंध राय के उपर्युक्त पैरा के आधार में वर्णित मामलों के प्रभाव को छोडकर, कंपनी ने व्युत्पन्न

iii) रैंके सहित दीर्घकालीन रैंके पर अपेक्षित जैसे महत्वपूर्ण संभावित नुकसान की ओर यदि कोई है, लागू कानून या लेखांकन मानकों के अधीन अपेक्षित जैसे प्रावधान बनाया है।

4. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि की ओर अंतरित किए जाने के लिए अपेक्षित रकम को अंतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है।

कृते के वर्गीस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 004525एस)

साम वर्गीस
साझेदार
(सदस्यता सं. 216979)

तिरुवनंतपुरम
सितंबर 28, 2021
युडीआईएन: 21216979एएएएचएल7595

report;

h) As per notification number G.S.R 463 (E) dated 5th June 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Sec 197 of the Act regarding remuneration to directors is not applicable to the company, since it is a Government Company;

i) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

   i) The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its Standalone Financial Statements - Refer Note 32 to the Standalone Financial Statements.

   ii) Except for the effect of the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, the Company has made provision as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long term contracts including derivative contracts.

   iii) There were no amount which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

4) Based on the observation of the Comptroller and Auditor General of India, additions/revisions have been carried out. We give in the Annexure D, the statement of the said additions/revisions which has been carried out.

For K. VARGHESE & Co.
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 004525S)

Sam Varghese
Partner
(Membership No. 216979)

Thiruvananthapuram
September 28,2021
UDIN:21216979AAAAHL7595

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध क हमारी रिपोर्ट के खंड अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट के अधीन पैरा 3 (जी) में संदर्भित

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

हमने, 31 मार्च 2021 तक उस तारीख पर समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर हमारी लेखापरीक्षा के साथ मिलकर, एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंध की जिम्मेदारी

कंपनी के प्रबंध, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में प्रस्तावित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा संस्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानक पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को संस्थापित और अनुरक्षण करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिकल्पना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है, जो, कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के अधीन अपेक्षित जैसे, कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधडी एवं त्रुटियों का निवारण एवं खोज, लेखा अभिलेखों का सटीकता एवं संपूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समयोचित तैयारी सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से संचालन कर रहे थे।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय प्रकट करना हमारा उत्तरदायित्व है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग (मार्गनिर्देश नोट) मानकों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय मार्गनिर्देश नोट के अनुसार उस हद तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू है, हमने अपनी लेखापरीक्षा की, दोनों भारत के सनदी लेखाकारों द्वारा जारी किये गये। उन मानकों और मार्गनिर्देश नोट यह अपेक्षित करता है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और यदि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संस्थापित और अनुरक्षित किये गये और यदि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों पर प्रभावी रूप से चालू किया गया है, संबंधी उचित आश्वासन प्राप्त करने की ओर लेखापरीक्षा का नियोजन और निष्पादन करना ।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उनके प्रचालन प्रभावकारिता की पर्याप्तता के संबंध में लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का निर्धारण करना है कि प्रत्यक्ष कमज़ोरी विद्यमान है, और डिज़ाइन की जाँच एवं मूल्यांकन करना और मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता का प्रचालन शामिल है। लेखापरीक्षकों के निर्णय के आधार पर प्रक्रियाओं का चयन किया गया, जिस में वित्तीय विवरणों के प्रत्यक्ष गलत बयान की जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधडी या गलती के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने को पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता से संबंधित पर्याप्त आश्वासन प्रदान करने और साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण की तैयारी करने की ओर, अभिकल्पित प्रक्रिया है। एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियायें शामिल हैं: (1.) अभिलेखों के अनुरक्षण के संबंध में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान में सही एवं काफी उचित विवरण प्रतिबिंबित होते हैं। (2.) उचित आश्वासन प्रदान करना है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए अनुमति देने की आवश्यकता के रूप में लेन-देन

ANNEXURE 'A' TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

(REFERRED TO IN PARAGRAPH 3(G) UNDER 'REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS' SECTION OF OUR REPORT)

Report on the Internal Financial Controls over financial reporting under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of HLL Lifecare Limited ("the Company") as of March 31, 2021 in conjunction with our audit of the Standalone Financial Statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting of the company based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing as prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013 to the extent applicable to an audit of internal financial controls and both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial Statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and

रिकोर्ड किये गये हैं, और केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार, कंपनी के प्राप्ति एवं खर्च किये जा रहे हैं। (3.) कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत अर्जन, उपयोग या प्रकृति के रोकथाम या समय पर खोज, से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसके वित्तीय विवरण पर प्रत्यक्ष प्रभाव होगा।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमायें

कूटसंधि या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन अधिरोहन की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाओं के कारण, त्रुटि या धोखाधडी से प्रत्यक्ष गलत विवरण उत्पन्न हो सकता है और पता नहीं लिया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का अनुमान जोखिम के अधीन है कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो जायेगा या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

राय

हमारी राय में, सबसे अच्छे जानकारी एवं हमें दी गई स्पष्टिकरण के अनुसार, कंपनी, को सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है, और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गयी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखापरीक्षा पर मार्गनिर्देश नोट में दिये गये आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा संस्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2021 तक प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे।

कृते के वर्गीस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 004525एस)

साम वर्गीस
साझेदार
(सदस्यता सं. 216979)

तिरुवनंतपुरम
सितंबर 28, 2021
युडीआईएन: 21216979ए ए ए ए एच एल 7595

directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us, the Company has in all material respects an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2021, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For K. VARGHESE & Co.
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 004525S)

Sam Varghese
Partner
(Membership No. 216979)

Thiruvananthapuram
September 28,2021
UDIN: 21216979AAAAHL7595

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 'ख'

(हमारी रिपोर्ट की 'अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अधीन पैरा 1 में संदर्भित

i. (क) कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों की परिमाणात्मक विवरण और स्थिति सहित संपूर्ण विवरण दर्शा कर उचित रिकोर्ड का अनुरक्षण किया है।

(ख) कंपनी को चरणबद्ध आवधिक तरीके से प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए एक नियमित कार्यक्रम है जो हमारी राय में , कंपनी के आधार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति के संबंध में उचित है। हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसे सत्यापन पर कोई गंभीर विसंगतियाँ नहीं पायी गयी है।

(ग) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, अचल परिसंपत्तियों के शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर है। अचल परिसंपत्तियों के संबंध में भूमि और भवन जो पट्टे पर लिया गया है और स्ट ैंडअलोन वित्तीय विवरण में अचल परिसंपत्तियों के रूप में प्रकट किये गये हैं, पट्टे करार कंपनी के नाम पर है।

ii. प्रबंधन ने वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर वस्तुसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन चलाया है और प्रत्यक्ष सत्यापन पर कोई माल विसंगतियाँ नहीं पायी गयीं।

iii. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में प्रतिपादित एक निकाय कॉर्पोरेट को अप्रतिभूत ऋण प्रदान किया है, जिसके संबंध मेंः

(क) ऐसे ऋण की अवधि और शर्त प्रथम दृष्टया हमारी राय में कंपनी की हित के लिए हानिकारक नहीं है।

(ख) मूलधन के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान की अनुसूची निर्धारित की गई है लेकिन इसकी प्राप्ति वर्ष के दौरान नियमित नहीं है।

(ग) वर्ष के अंत में 90 दिनों से अधिक के लिए कोई भी ऋण चुकौती बकाया नहीं है।

iv. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण, निवेश, प्रत्याभूति और प्रतिभूति के संबंध में, अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है ।

v. वर्ष के दौरान कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 (संशोधित जैसे) के अर्थ में कोई भी जमा को स्वीकृत नहीं किया है।

vi हम ने विनिर्माण कार्यकलापों से संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 (1) की उप धारा के अधीन लागत रिकोर्डों के अनुरक्षण केलिए केंद्र सरकार द्वारा बनाये गये नियम के अनुसार कंपनी के उत्पादों और सेवाओं के संबंध में कंपनी द्वारा बनाई रखी लेखा बहियों की व्यापक समीक्षा की है तथा हमारी राय है कि प्रत्यक्षतः निर्धारित लेखा और अभिलेखों को बनाकर रखे गये हैं। हालांकि , हमने इसकी विस्तृत जॉंच नहीं की है।

vii (क) कंपनी उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ इसके लिए लागू भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय-कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उप कर और अन्य सांविधित देय सहित निर्विवाद सांविधिक देय जमा करने में सामान्य रूप से नियमित रही है।

(ख) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय-कर, बिक्री कर, सेवा कर, सेवा कर सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उप कर और अन्य सांविधित देय वित्तीय वर्ष के अंतिम तारीख को, देय होने की तारीख से छे महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया रहे थे के संबंध में कोई निर्विवाद राशि देय नहीं है।

ANNEXURE 'B' TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
(REFERRED TO IN PARAGRAPH (1) UNDER 'REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS' SECTION OF OUR REPORT)

i) (a) The Company has maintained proper records showing full particulars, including the quantitative details and situation of fixed assets.

(b) The company has a regular programme for physical verification in a phased periodic manner, which, in our opinion, is reasonable having regards to the size of the Company and the nature of its assets. According to the information and explanation given to us no material discrepancies were noticed on such verification.

(c) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the title deeds of immovable properties are held in the name of the Company. In respect of immovable properties of land and building that have been taken on lease and disclosed as fixed assets in the standalone financial statements, the lease agreements are in the name of the Company.

ii) The management has conducted physical verification of inventory at reasonable intervals during the year and no material discrepancies were noticed on such physical verification.

iii) According to the information and explanation given to us, the company has granted unsecured loan to two body corporates, covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act 2013, respect of which:

(a) The term and condition of the grant of such loan are, in our opinion, prima facie, not prejudicial to the Company's interest.

(b) The schedule of repayment of principle and payment of interest has been stipulated but its receipts are not regular during the year.

(c) There is no loan repayment outstanding for more than 90 days as at the year-end.

iv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has complied with the provisions of section 185 and 186 of the Act, with respect to the loans, investments, guarantees and security.

v) During the year, the Company has not accepted any deposits within the meaning of Sections 73 to 76 of the Act and the Companies (Acceptance of Deposits) rules, 2014 (as amended).

vi) We have broadly reviewed the books of accounts maintained by the Company pursuant to the rules made by the Central Government for the maintenance of cost records under section 148(1) of the Companies Act, 2013, related to the manufacturing activities, and are of the opinion that prima facie, the specified accounts and records have been made and maintained. We have not however, made a detailed examination of the same.

vii) (a) The Company is generally regular in depositing with appropriate authorities undisputed statutory dues including Provident Fund, Employees' State Insurance, Income-Tax, Sales-Tax, Goods and Services Tax, Service Tax, Duty of Custom, Duty of Excise, Value Added Tax, Cess and other statutory dues applicable to it.

(b) According to the information and explanations provide to us, no undisputed amounts payable in respect of Provident Fund, Employees' State Insurance, Income-Tax, Service Tax, Sales-Tax, Goods and Services Tax, Duty of Custom, Duty of Excise, Value Added Tax, Cess and Other Statutory Dues were outstanding, at the year end, for a period of more than six months from the date they became payable.

(ग) कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, आय कर , बिक्री कर, सेवा कर , सीमा शुल्क , उत्पाद शुल्क , मूल्य वर्धित कर और उप कर की देय राशि किसी विवाद के कारण 31 मार्च 2021 को ज़मा नहीं किये गये है, नीचे दिये जाते हैं:

सांविधि का नाम	देय की प्रकृति	फोरम जहाँ मामला लंबित है।	रकम के संबंधित अवधि	सम्मिलित रकम (₹ लाख)
आय कर अधिनियम 1961	आय कर	सी आई टी (अपील)	2008-09	10.12
आय कर अधिनियम 1961	आय कर	सी आई टी (अपील)	2009-10	18.28
आय कर अधिनियम 1961	आय कर	सी आई टी (अपील)	2010-11	11.45
आय कर अधिनियम 1961	आय कर	सी आई टी (अपील)	2011-12	59.58
आय कर अधिनियम 1961	आय कर	सी आई टी (अपील)	2012-13	32.41
आय कर अधिनियम 1961	आय कर	सी आई टी (अपील)	2013-14	231.36
आय कर अधिनियम 1961	आय कर	सी आई टी (अपील)	2014-15	59.85
आय कर अधिनियम 1961	आय कर	सी आई टी (अपील)	2016-17	155.37
आय कर अधिनियम 1961	आय कर	सी आई टी (अपील)	2017-18	36.39

सांविधि का नाम	देय की प्रकृति	फोरम जहाँ मामला लंबित है।	रकम के संबंधित अवधि	सम्मिलित रकम (₹ लाख)
सीमा शुल्क अधिनियम 1962	सीमा शुल्क	सीमा शुल्क के अपर आयुक्त	2015-16	111.63
वाणिज्यिक कर विभाग	वैट	उप आयुक्त , अपील	2009-10	7.08
वाणिज्यिक कर विभाग	वैट	उप आयुक्त , अपील	2009-10	9.56
वाणिज्यिक कर विभाग	वैट	वाणिज्यिक कर के उप आयुक्त	2015-16	1.71
वाणिज्यिक कर विभाग	वैट	वाणिज्यिक कर के उप आयुक्त	2016-17	11.75
केरल वैट अधिनियम, 2003	वैट	उप आयुक्त , अपील	2011-12	15.65
केरल वैट अधिनियम, 2003	वैट	अपीलीय न्यायाधिकरण	2012-13	9.07
केरल वैट अधिनियम, 2003	वैट	उप आयुक्त , अपील	2012-13	2.83
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	सीईएसटीएटी बैंगलूर	2012-15	1845.96
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	सीईएसटीएटी बैंगलूर	2012-17	858.74
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	आयुक्त (अपील), केंद्रीय कर	2009-12	10.76
तेलंगाना वैट अधिनियम, 2005	वैट	वाणिज्यिक कर अधिकारी, तेलंगाना	2015-16	63.47
केरल वैट अधिनियम, 2003	वैट	साहयक आयुक्त, केरल वैट	2013-14	23.58

viii हमारी राय और प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार , कंपनी ने वित्तीय संस्थान, बैंक या सरकार के लिए या डिबेंचर धारकों को ऋण या उधार बकाया राशि की चुकौती में चूक नहीं की है।

ix कंपनी वर्ष के दौरान प्रारंभिक पब्लिक ऑफर या आगले पब्लिक ऑफर (ऋण प्रपत्रों सहित) के माध्यम से कोई भी पैसा जुटा नहीं थी। हमारी राय में या हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जिस उद्देश्य केलिए मियादी ऋण के लिए आवेदन दिया, ऋण प्राप्त हुए हैं।

(c) According to the records of the Company, the dues of Income-Tax, Sales- Tax, Service Tax, Duty of Custom, Duty of Excise, Value Added Tax and Cess. Which have not been deposited on March 31, 2021 on account of any dispute, are as follows:

Nature of Statute	Nature of Dues	Forum where Dispute pending	Period to which the amount relates	Amount involved (₹ in lakhs)
The Income Tax Act,1961	Income Tax	CIT (Appeals)	2008-09	10.12
The Income Tax Act,1961	Income Tax	CIT (Appeals)	2009-10	18.28
The Income Tax Act,1961	Income Tax	CIT (Appeals)	2010-11	11.45
The Income Tax Act,1961	Income Tax	CIT (Appeals)	2011-12	59.58
The Income Tax Act,1961	Income Tax	CIT (Appeals)	2012-13	32.41
The Income Tax Act,1961	Income Tax	CIT (Appeals)	2013-14	231.36
The Income Tax Act,1961	Income Tax	CIT (Appeals)	2014-15	59.85
The Income Tax Act,1961	Income Tax	CIT (Appeals)	2016-17	155.37
The Income Tax Act,1961	Income Tax	CIT (Appeals)	2017-18	36.39

Nature of Statute	Nature of Dues	Forum where Dispute pending	Period to which the amount relates	Amount involved (₹ in lakhs)
The Customs Act, 1962	Customs	Additional Commissioner of Customs	2015-16	111.63
Commercial Taxes Department	VAT	Deputy Commissioner, Appeals	2009-10	7.08
Commercial Taxes Department	VAT	Deputy Commissioner, Appeals	2009-10	9.56
Commercial Taxes Department	VAT	Deputy Commissioner of Commercial Taxes	2015-16	1.71
Commercial Taxes Department	VAT	Deputy Commissioner of Commercial Taxes	2016-17	11.75
The Kerala VAT Act, 2003	VAT	Deputy Commissioner Appeals	2011-12	15.65
The Kerala VAT Act, 2003	VAT	Appellate Tribunal	2012-13	9.07
The Kerala VAT Act, 2003	VAT	Deputy Commissioner Appeals	2012-13	2.83
Finance Act, 1994	Service Tax	CESTAT Bangalore	2012-15	1845.96
Finance Act, 1994	Service Tax	CESTAT Bangalore	2012-17	858.74
Finance Act, 1994	Service Tax	Commissioner (Appeals), Central Tax	2009-12	10.76
Telangana VAT Act 2005	VAT	Commercial Tax Officer, Telangana	2015-16	63.47
The Kerala VAT Act, 2003	VAT	Assistant Commissioner, Kerala VAT	2013-14	23.58

viii) In our opinion and according to the information and explanations provided by the management, the Company has not defaulted in repayment of loans or borrowing to a financial institution, bank or government or dues to debenture holders.

ix) The Company did not raise any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year. In our opinion and according to information and explanations given to us the Company has applied the term loans for the purpose for which these loans were obtained.

x वित्तीय विवरणों के सही और उचित राय, रिपोर्ट करने के उद्देश्य के लिए प्रस्तुत , लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा प्रदान किये गये सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई धोखाघडी सूचित या रिपोर्ट नहीं की गयी है।

xi कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 द्वारा दी गयी छूट की दृष्टि से प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की अनुसूची V के साथ परि॓त धारा 197 के प्रावधान कंपनी केलिए लागू नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3 (xi) लागू नहीं है और अतः टिप्पणी नहीं की है।

xii यह कंपनी निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xii) के प्रावधान कंपनी केलिए लागू नहीं है,और अतः टिप्पणी नहीं की है।

xiii प्रबंधन द्वारा प्रदान किए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेन देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं जहां लागू है और विवरण लागू लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित जैसे वित्तीय विवरणों में प्रकट किये गये हैं।

xiv हमें दिए गए सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और तुलन -पत्र के समग्र परीक्षण पर समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी भी अधिमान्य आबंटन या शेयरों के प्राइवेट प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं बना दिया है, इसलिए आदेश के 3(xiv) के अधीन रिपोर्टिंग अपेक्षाएं कंपनी के लिए लागू नहीं हैं और अतः टिप्पणी नहीं की है।

xv. प्रबंधन द्वारा प्रदान किए सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 192 में संदर्भित जैसे निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियें के साथ कोई गैर नकद लेन देन में प्रविष्टि नहीं की है।

xvi हमें प्रदान किए गए जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 - 1ए प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं है।

कृते के वर्गीस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 004525एस)

साम वर्गीस
साझेदार
(सदस्यता सं. 216979)

तिरुवनंतपुरम
सितंबर 28, 2021
युडीआईएन: 21216979एएएएचएल7595

x) Based upon the audit procedures performed for the purpose of reporting the true and fair view of the financial statements and according to the information and explanations provided by the management, we report that no fraud by the Company or no fraud on the Company by the officers and employees of the Company has been noticed or reported during the year.

xi) In view of exemption given Vide notification No. GSR 463(E) dated June 5, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs provisions of Section 197 read with Schedule V of the Act regarding managerial remuneration are not applicable to the Company. Accordingly, paragraph 3(xi) of the Order is not applicable and hence not commented upon.

xii) The Company is not a Nidhi Company. Therefore, the provisions of clause 3(xii) of the order are not applicable to the Company and hence not commented upon.

xiii) According to the information and explanations provided by the management, transactions with the related parties are in compliance with section 177 and 188 of the Companies Act, 2013 where applicable and the details have been disclosed in the financial statements, as required by the applicable accounting standards.

xiv) According to the information and explanations provided to us and on an overall examination of the balance sheet, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review and hence, reporting requirements under 3(xiv) of the Order are not applicable to the Company and, not commented upon.

xv) According to the information and explanations provided by the management, the Company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with them as referred to in section 192 of Companies Act, 2013.

xvi) According to the information and explanations provided to us, the provisions of section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 are not applicable to the Company.

For K. VARGHESE & Co.
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 004525S)

Sam Varghese
Partner
(Membership No. 216979)

Thiruvananthapuram
September 28,2021
UDIN: 21216979AAAAHL7595

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुबंध -ग

("अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट " के अधीन पैरा 2 में संदर्भित।)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अधीन सी & एजी निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट ।

क्र. सं	सी & एजी निर्देश	सांविधिक लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर प्रभाव
1	क्या कंपनी को आईटी सिस्टम के ज़रिए सभी लेखांकन लेनदेनों को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि है तो, वित्तीय संभावनाएँ सहित लेखों की संपूर्णता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेनों के संसाधन का निहितार्थ यदि कोई है तो स्पष्ट करें।	कंपनी को आईटी सिस्टम के ज़रिए सभी लेखांकन लेनदेनों को संसाधित करने की उचित प्रणाली है। हमारी राय और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हमने आई टी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेनों के किसी संसाधनों पर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए वहाँ लेखों की विश्वसनीयता पर कोई प्रभाव नहीं पडता।	शून्य
2	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा बनाए किसी विद्यमान ऋ ण का पुनर्गर्ठन या उधार/ऋण/ब्याज आदि के छूट पत्र/बट्ट खाते में डालने के कोई मामला है? यदि हाँ तो वित्तीय प्रभाव बताएँ।	हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, चालू वर्ष के दौरान किसी विद्यमान ऋण का पुनर्गर्ठन या उधार/ऋण/ब्याज आदि के छूट पत्र/बट्टे खाते में डालने के कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं है।	शून्य
3.	क्या केंद्रीय/राज्य अभिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि उसके निबंधन व शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखाबद्ध/उपयोग की गयी हैं? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।	हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्रीय/राज्य अभिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि उसके निबंधन व शर्तों के अनुसार दो मामलों के सिवा उचित रूप से लेखाबद्ध/उपयोग की गयी हैं। 1. वर्ष 2016-17 के लिए निर्यात अवसंरचना और संबद्ध कार्यकलाप (एएसआईडीई) योजना के विकास के लिए राज्यों को समर्थन देने की ओर एचएलएल परिसर, नोएडा में चिकित्सा उपकरणों के लिए ईएमआई/ ईएमसी परीक्षण प्रयोगशाला की ओर रु.14 करोड का अनुदान प्राप्त हुआ। दिनांक 25 नवंबर 2016 की मंजूरी आदेश सं.13/21/ 2015 - एससी में उल्लिखित किए खंड 6 के अनुसार यह कहा गया है कि कंपनी को जारी की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र, उपयोग के तुरंत बाद, लेकिन 31.03.2018 के पहले प्रस्तुत करना है। कंपनी ने उपर्युक्त उल्लिखित तारीख तक अनुदान का उपयोग नहीं किया है। कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2021 की पत्र सं. एचएलएल/बीएमई/ईएमआई-ईएमसी/ 19-20/5817 के अनुसार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को अनंतिम उपयोगिता प्रमाणपत्र और समय विस्तार अनुरोध प्रस्तुत किया है।	शून्य

ANNEXURE 'C' TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

(REFERRED TO IN PARAGRAPH 2 UNDER THE HEADING OF "REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY RQUIREMENTS")

Audit Report on the accounts for the year ended March 31, 2021 as per direction of C&AG under Section 143(5) of the Companies Act,2013

Sl. No	Directions	Action Taken	Impact on standalone financial statements
1.	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	The Company has a proper system in place (SAP) to process all the accounting transactions through IT system. In our opinion and according to the information and explanations provided to us, we haven't noticed any processing of accounting transactions outside the IT system. Therefore, there are no implications on the integrity of the accounts	Nil
2.	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/ write off of debts /loans/interest etc. made by a lender to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.	According to the information and explanations given to us, there are no material cases of restructuring of any existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc., during the current year.	Nil
3	Whether funds received/receivable for specific schemes from central/state agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	According to the information and explanations given to us, funds received by the Company for specific schemes from central/state agencies were properly accounted for/utilized as per its terms and conditions except for the two cases: -	
		1. A Grant of ₹14 Crores was received for EMI/EMC Testing lab for medical equipment's in HLL campus, Noida under Assistance to States for Developing Export Infrastructure and Allied Activities (ASIDE) Scheme for the year 2016-17. As per clause 6 mentioned in the Sanction Order No:13/21/2015-SC dated 25th November 2016 wherein it is stated that the Company has to submit the utilization certificate for the amount released, immediately after utilization but not later than 31.3.2018. The Company has not utilized the Grant as on the above mentioned date. The Company has submitted provisional utilization certificate and time extension request vide Letter No. HLL/BME/EMI-EMC/19-20/5817 dated 31st March,2021 to Ministry of Commerce & Industry.	Nil

3		वर्ष 2018-19 की अवधि के लिए सहेली गोलियों के प्रोन्नमन की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से रु.5 करोड का अनुदान मिला था। चालू वर्ष के दौरान एचएलएल द्वारा उपर्युक्त अनुदान का उपयोग नहीं किया गया। कंपनी ने दिनांक 07 जनवरी 2021 की पत्र सं एचएलएल/एमकेजी सीबीडी पीएमजी/ एसएएच/20-21 के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2021 के लिए रु.5 करोड के उपयोग विस्तार करने का अनुरोध किया है, जिसके लिए मंत्रालय से उत्तर की प्रतीक्षा में है।	शून्य

कृते के वर्गीस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 004525एस)

साम वर्गीस
साझेदार
(सदस्यता सं. 216979)

तिरुवनंतपुरम
सितंबर 28, 2021
युडीआईएन: 21216979एएएएएचएल7595

.		2. A Grant of ₹ 5 crore was received from Ministry of Health and Family Welfare for promotion of Saheli pills for the period 2018-19. The above grant was not utilised by HLL during the current year. The Company has vide Letter No. HLL/MKG CBD PMG/SAH/20-21 dated 07th Jan 2021 requested The Ministry of Health and Family Welfare for extension of utilization of ₹ 5 Crores for the F.Y 2021 which the reply is awaited from the Ministry.	Nil

For K. VARGHESE & Co.
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 004525S)

Sam Varghese
Partner
(Membership No. 216979)

Thiruvananthapuram
September 28,2021
UDIN: 21216979AAAAHL7595

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुबंध -घ

"अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट " के अधीन पैरा 4 में संदर्भित।)

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियों के आधार पर निम्नलिखित परिवर्धन / संशोधन किए गये हैं:

लेखापरीक्षा रिपोर्ट में परिवर्धन/संशोधन :

1. एएस 705 (संशोधित) के अनुसार राय व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए कुछ अन्य जानकारी की अनुपलब्धता। स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के शीर्षक "संशोधित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा सूचना" देखें।
2. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3) के अधीन रिपोर्टिंग में संशोधन के संबध में कि वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करता है या नहीं। स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के "अन्य विधिक और नियामक अपेक्षा" शीर्षक के अधीन पैरा 3(घ) देखें।
3. सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 लागू नहीं है। स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के "अन्य विधिक और नियामक अपेक्षा" शीर्षक के अधीन पैरा 3(ज) देखें।
4. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में प्रकट मामलों में संशोधन। स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के "अन्य विधिक और नियामक अपेक्षा" शीर्षक के अधीन पैरा 3(झ) (iii) देखें।
5. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अधीन सी & ए जी के निर्देश के अनुसार खातों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधन। स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुबंध 'ग' देखें।

इंड एएस के प्रावधान के अनुपालन में दिए गए टिप्पणियों में निम्नलिखित अतिरिक्त टिप्पणी/संशोधन

क्रम सं	टिप्पणी सं	विषय
1	इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में प्रकट किए गए वर्ष 2019-2020 के लिए पिछले वर्ष के तुलनात्मक आंकडे।
2	1.24	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में प्रदान की गई आकस्मिक परिसंपत्तियों के मान्यता पर लेखांकन नीति
3	1.24	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में प्रदान की गई आकस्मिक देयताओं के मान्यता पर लेखांकन नीति
4	2.29	ईसीजीसी दावे पर अतिरिक्त तथ्यों के साथ प्रदान की गयी व्याख्यात्मक टिप्पणी
5	2.45	वित्तीय विवरणों के भाग बननेवाले व्याख्यात्मक टिप्पणी में प्रदान की गई बिक्री के लिए रखी गैर -चालू परिसंपत्ति पर प्रकटीकरण।
6	2.46	प्रदान किए गए अतिरिक्त प्रकटीकरण ।
7	3 & 2.34	टिप्पणियों के बीच का असंतुलन सुधार किया गया है।
8	नकद प्रवाह विवरण	लेखांकन नीति और संशोधित क्रोस संदर्भ टिप्पणी सं. के अनुरूप तैयार किया गया नकद प्रवाह विवरण ।
9	32	रु. 124 लाख तक कम की गई आकस्मिक देयता
10	34& 2.15	टंकण संबंधी त्रुटियों को सुधार किया गया है।

कृते के वर्गीस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 004525एस)

साम वर्गीस
साझेदार
(सदस्यता सं. 216979)

तिरुवनंतपुरम
सितंबर 28, 2021
युडीआईएनः 21216979एएएजीएस 8676

ANNEXURE 'D' TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

(Referred to in Paragraph 4 under the heading of "Report on Other Legal and Regulatory Requirements")

Based on the observations of the Comptroller and Auditor General of India, following additions / revisions have been carried out:

Additions/Revisions in the Audit report:

1. Non-availability of the certain other information for the purpose of expressing opinion in accordance with SA 705(Revised). Refer heading "Information other than Revised Standalone Financial Statements and Auditor's Report Thereon" of the Independent Auditors Report.
2. Amendment to the reporting under section 143(3) of the Companies Ac, 2013 regarding whether the financial statement comply with the Indian accounting standards. Refer paragraph 3(d) under the heading "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" of the Independent Auditors Report.
3. Non- applicability of sec 197 of the Companies Act, 2013 being a government company. Refer paragraph 3(h) under the heading "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" of the Independent Auditors Report.
4. Amendment to the matters disclosed in the auditor's report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rule, 2014. Refer Paragraph 3(i)(iii) under the heading "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" of the Independent Auditors Report.
5. Amendment to the Audit report on the accounts as per direction of C&AG under section 143(5) of the Companies Act, 2013. Refer Annexure 'C' to the Independent Auditors Report.

The following additional Notes / Modification given in Compliance with provision of IND AS.

Sl.No	Note No:	Subject
1.	Statement of Changes in Equity	Comparative previous year figures for the year 2019-20 disclosed as part of Financial Statements.
2.	1.24	Accounting policy on disclosure of contingent assets provided as part of Financial Statements.
3.	1.24	Accounting policy on recognition of contingent liabilities provided as part of Financial Statements.
4.	2.29	Explanatory note provided with additional facts on ECGC claim.
5.	2.45	Disclosure on non-Current Asset held for sale provided in the explanatory note forming part of Financial Statements.
6.	2.46	Additional disclosure provided for.
7.	3&2.34	Mismatch between the notes is rectified.
8.	Cash Flow Statement	Cash flow statement prepared in line with accounting policy and cross reference Note No. rectified.
9.	32	Contingent liability reduced by ₹124 Lakhs.
10.	34 & 2.15	Typographical errors rectified.

For K. VARGHESE & Co.
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 004525S)

Sam Varghese
Partner
(Membership No. 216979)

Thiruvananthapuram
September 28,2021
UDIN: 21216979AAAAHL7595

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (स्वास्थ्य, कल्याण एवं ग्रामीण विकास)
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली- 110 002

सं. एएमजी-1/पी.डी.ए(स्वा.क.एवं ग्रा.वि)/पीएसयू-एचएलएल/2021-22/665 दिनांक 29.11.2021

सेवा में

अध्यक्ष
एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
पूजप्पुरा पी.ओ,
तिरुवनंतपुरम -695012
केरल

विषय : भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6) (ख) के अंतर्गत एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन वित्तीय खातों पर टिप्पणियाँ।

महोदय,

मुझे 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ इस के साथ संलग्न करने का निर्देश दिया गया है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

संलग्न : यथोपरि

प्रवीण कुमार सक्सेना
उप-निदेशक
(ए.एम.जी.I)

दूरभाष : 91-11-23702254 डीजीएसीआर,बिल्डिंग, आई.पी.एस्टेट,नई दिल्ली -110002

फैक्स : 91-11-23702271 ई-मेल : pdahwrd@cag.gov.in

Office of the Principal Director of Audit (Health, Welfare and Rural Development)
Indraprastha Estate, New Delhi – 110 002

No. AMG-I/PDA(HW&RD)/PSU/HLL/86/2021-22/665 Dated : 29.11.2021

To

The Chairman
HLL Lifecare Limited,
Poojappura P.O.
Thiruvananthapuram -695012
Kerala

Sub : Comments of the Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6) (b) of Companies Act 2013 on the Standalone Financial Accounts of HLL Lifecare Limited for the year ended 31st March, 2021.

Sir,

I have been directed to enclose herewith a comments certificate of the Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6) (b) of Companies Act 2013 on the Standalone Financial Accounts of HLL Lifecare Limited for the year ended 31st March, 2021.

The receipt of the letter may kindly be acknowledged.

Encl : As above

Yours faithfully

Praveen Kumar Saxena
Deputy Director
(AMG-1)

Ph. : 91-1123702254
Fax : 91-1123702271

DGACR, Building, I.P.Estate, New Delhi – 110002
email : pdahwrd@cag.gov.in

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षण पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने केलिए अधिनियम की धारा 139 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षकों उत्तरदायी है/हैं। यह कहा गया है कि यह उनके दिनांक 28 सितंबर 2021 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किए गए हैं।

मैं ने, भारत के नियंत्रक महा लेखापरीक्षक की तरफ से अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अधीन एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागज़ात की पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा सांविधिक लेखापरीक्षक की पूछताछ और कंपनी के कार्मिक तथा चयनात्मक परीक्षा के कुछ लेखांकन रिकोर्डों पर मुख्यत: सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं, अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के अधीन निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों, जो मेरे ध्यान में आये हैं, को हाइलाइट करना चाहता हूँ और जो वित्तीय विवरण और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए मेरे विचार आवश्यक हैं ।

1. परिसंपत्तियाँ

चालू परिसंपत्तियाँ

व्यापार प्राप्य (टिप्पणी - 9): रु. 1, 83,667.87 लाख

मेसर्स मेडिक्यूबा, क्यूबा को 2016 - 17 में गर्भनिरोधक उत्पादों की आपूर्ति के लिए कंपनी को 3.62 लाख यूरो (बीजक तारीख तक रु.268.12 लाख के समान) का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था। उक्त बीजक निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के ऋण बीमा के अधीन समावेष्टित किया गया था। कंपनी ने ईसीजीसी के साथ रु 268.12 लाख का दावा दर्ज कराया क्योंकि मेसर्स मेडिक्यूबा ने चालान की राशि का भुगतान नहीं किया। दावे की ओर, ईसीजीसी ने मेसर्स मेडिक्यूबा से वसूली योग्य रु 93.84 लाख को छोड़कर रु174.28 लाख का भुगतान किया। कानूनी कार्यवाही के दौरान, कंपनी और मेसर्स मेडिक्यूबा के बीच एक समझौता हुआ और 18 मार्च 2021 को एक समझौता किया गया। समझौते के अनुसार, मेसर्स मेडिक्यूबा, 31 मार्च 2021 तक कंपनी को रु 3.62 लाख यूरो की रकम का भुगतान करना था (रु 86.099 प्रति यूरो की रूपांतरण दर पर रु 311.96 लाख)। हालांकि समझौता 18 मार्च 2021 को किया गया था, लेकिन निपटान के प्रभाव को वैध बनाने के लिए लेखाबही में कोई लेखांकन नहीं किया गया था। मेसर्स मेडिक्यूबा ने 2.98 लाख यूरो, अप्रैल 2021 में सहमत समझौते का प्रमुख हिस्सा, का भुगतान किया था।

इंड एएस 10 के पैरा 8 - में कहा गया है कि एक इकाई को रिपोर्टिंग तिथि के बाद की घटनाओं के लिए अपने वित्तीय विवरणों को समायोजित करना चाहिए, जो रिपोर्टिंग तिथि पर मौजूद स्थितियों के शर्तों का और सबूत प्रदान करते हैं। अप्रैल 2021 में भुगतान की आंशिक प्राप्ति (सहमति समझौते का 82 प्रतिशत) 'इंड एएस 10 के अनुसार समायोजन की घटना है, यह 31 मार्च 2021 की रिपोर्टिंग तिथि पर मौजूद शर्तों का और सबूत प्रदान करती है, यानी 3.62 लाख यूरो के भुगतान के लिए कंपनी और मेसर्स मेडिक्यूबा के बीच निपटान के लिए समझौता।

लेखाबही में निपटान के लिए समझौते के गैर लेखांकन के परिणामस्वरूप 'व्यापार प्राप्य' की न्यूनोक्ति ₹218.12 लाख (पहले से ही लेखाबही में प्राप्य ₹93.84 लाख को कम करके निपटान के अनुसार मेसर्स मेडिक्यूबा से वसूली योग्य राशि ₹311.96 लाख,) तक हुई। विदेशी मुद्रा लाभ के कारण गैर लेखांकन के लेखा पर वर्ष के लिए आय ₹43.84 लाख तक कम हुआ (31 मार्च 2021 को विनिमय दर पर ₹ 311.96 लाख की निपटान राशि घटाकर ₹ 268.12 लाख)। इसके अलावा, मेसर्स मेडिक्यूबा के साथ हुए समझौते के परिणामस्वरूप ईसीजीसी को वापस की जाने वाली राशि के लिए गैरप्रावधान के परिणामस्वरूप 'अन्य चालू वित्तीय देनदारियों में ₹174.28 लाख की कमी हुई।

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (B) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF HLL LIFECARE LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2021

The preparation of Standalone financial statements of HLL LIFECARE LIMITED for the year ended 31st March 2021 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor/auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is/are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standard marketing prescribed under section 143 (10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 28th September 2021.

I, on behalf of the comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the Standalone financial statement of HLL LIFECARE LIMITED for the year ended 31st March 2021 under section 143 (6) (a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143 (6) (b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report

A. Comments on Financial Position

1. Assets

Current Assets

Trade Receivables (Note-9): ₹ 1,83,667.87 lakh

Company had not received payment of 3.62 lakh euros (equivalent ₹ 268.12 lakh as on invoice date) for the supply of contraceptive products in 2016-17to M/s. Medicuba, Cuba. The said invoice was covered under credit insurance of Export Credit Guarantee Corporation (ECGC). Company lodged the claim with ECGC for ₹ 268.12 lakh as M/s Medicuba did not pay the invoiced amount. Against the claim, ECGC paid ₹ 174.28 lakh leaving ₹ 93.84 lakh as recoverable from M/s Medicuba. During legal proceedings, a settlement was arrived at between Company and M/s Medicuba and an agreement was executed on 18 March 2021. As per settlement, M/s Medicuba had to pay an amount of 3.62 lakh euros to the Company as on 31 March 2021 (₹ 311.96 Lakh at conversion rate of ₹ 86.099 per euro). Though the settlement was reached on 18 March 2021, no accounting was made in the books to give effect impact of settlement reached. M/s Medicuba had paid 2.98 lakh euros, major part of agreed settlement in April 2021.

Para 8 of Ind AS-10 states that an entity should adjust its financial statements for events after the reporting date that provide further evidence of conditions that existed at the reporting date. Part receipt of payment (82 per cent of agreed settlement) in April 2021 is an 'adjusting event' as per Ind AS-10 since it provides further evidence of conditions that existed at the reporting date of 31 March 2021 i.e. agreement for settlement between Company and M/s Medicuba for payment of 3.62 lakh euros.

Non accounting of agreement for settlement in the books has resulted in understatement of 'Trade Receivables' by ₹ 218.12 lakh (₹ 311.96 lakh being the amount recoverable from M/s Medicuba as per settlement less receivables of ₹ 93.84 lakh already in the books). Income for the year in understated by ₹ 43.84 lakh on account of non-accounting of foreign exchange gain (settlement amount of ₹ 311.96 lakh at exchange rate as on 31 March 2021 less ₹ 268.12 lakh). Further, non-provision for amount to be repaid back to ECGC consequent to settlement reached with M/s Medicuba has resulted in understatement of 'Other Current Financial Liabilities' by ₹ 174.28 lakh.

2. इक्विटी और देयतायें

चालू देयतायें

अन्य वित्तीय देयताएं (टिप्पणी 20): ₹ 1,20,899.872 लाख

कंपनी 2005 से 'कैप्टिव स्टेटस' के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को गर्भनिरोधक उत्पादों की आपूर्ति कर रही है। मंत्रालय ने कंपनी को पिछले वर्ष की न्यूनतम दर के आधार पर अनंतिम दर पर वर्ष की शुरुआत में आपूर्ति आदेश दिए और भुगतान दिए। इसके बाद, खुली निविदा के माध्यम से निर्धारित न्यूनतम दर को उसी वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा की गई आपूर्ति के लिए अंतिम दर के रूप में लागू किया जाता है। अनंतिम दर की तुलना में 2014 - 15 में की गई आपूर्ति के लिए कम दर को अंतिम रूप देने के कारण, मंत्रालय ने 2014 - 15 के दौरान आपूर्ति की गई प्रेगनेन्सी टेस्ट किट के संबंध में दर में अंतर के कारण कंपनी से ₹ 587 लाख की राशि की वसूली की मांग की (मार्च 2016)। तथापि, इंडएएस 37 के प्रावधानों के गैर अनुपालन पर, कंपनी ने कंपनी द्वारा की गई आपूर्ति पर सहमत व्यवस्था के अनुसार मंत्रालय द्वारा उठाई गई मांग के लिए कोई प्रावधान/देयता नहीं बनाया है। इसके बजाय, कंपनी ने 2014-15 में की गई आपूर्ति के लिए अंतिम दर की समीक्षा और संशोधन के लिए मंत्रालय के समक्ष लंबित अपने अभ्यावेदन के मद्देनजर वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में आकस्मिक देयताओं के तहत रकम दर्शायी थी।

मंत्रालय के प्रति दायित्व की गैर मान्यता के परिणामस्वरूप अन्य चालू वित्तीय देयताओं को ₹ 587 लाख की न्यूनोक्ति और वर्ष के लिए लाभ को उसी रकम की अत्युक्ति हुई है। तदनंतर, आकस्मिक देनदारियों में ₹ 587 लाख की अत्युक्ति भी हुई।

ख. स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ

उपरोक्त टिप्पणी क (1) और क (2) के प्रभाव और पैरा (क) पर प्राप्त 'प्रतिबंध राय के लिए आधार' के तहत स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर ₹.12,374 लाख तक व्यापार प्राप्तियों की अत्युक्ति पर विचार करते हुए, वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (₹ 10,255.81 लाख), जैसा कि कंपनी के लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया गया है, ₹ 12,917.16 लाख की कमी और ₹ 2,661.35 लाख की हानि में बदल जाएगी। वर्ष के लिए कुल व्यापक आय 125.95 प्रतिशत से प्रभावित है। इसलिए, वर्ष 2020 - 21 के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण एक 'सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण' प्रस्तुत नहीं करते हैं और स्वतंत्र लेखापरीक्षक की ओर से अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में यह आश्वासन देना उचित नहीं था कि वित्तीय विवरण ने एक 'सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण' प्रस्तुत किए हैं ।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की तरफ से

(अशोक सिन्हा)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
स्वास्थ्य कल्याण एवं ग्रामीण विकास
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29.11.2021

2. Equity and Liabilities
Current Liabilities
Other Financial Liabilities (Note-20) : ₹ 1,20,899.872 lakh

Company has been supplying contraceptive products to the Ministry of Health & Family Welfare under the 'captive status' since 2005. The Ministry placed supply orders on the Company in beginning of the year at the provisional rate based on the lowest rate of the previous year and releases the payment. Subsequently, the lowest rate determined through open tender is made applicable as final rate for supplies made by the Company during the same financial year. Due to finalisation of lower rate for the supplies made in 2014-15 as compared to provisional rate, Ministry had sought (March 2016) recovery from Company amounting to ₹ 587 Lakh on account of difference in rate with respect to pregnancy test kits supplied during 2014-15. However in non-compliance to provisions of Ind AS 37, Company has not made any provision/liability for the demand raised by the Ministry in accordance with agreed arrangement on the supplies made by the Company. Instead Company had shown the amount under 'Contingent Liabilities' in the Notes to Financial Statements in view of its pending representation before the Ministry for review and revision of final rate for the supplies made in 2014-15.

Non recognition of liability to the Ministry has resulted in understatement of 'Other Current Financial Liabilities' by ₹ 587 lakh and overstatement of 'Profit for the year' by the same amount. Consequently 'Contingent Liabilities' is also overstated by ₹ 587 lakh.

B. Comment on Independent Auditor's Report

Considering the impact of comment A(1) and A(2) as above and comments made by the Independent Auditor in his audit report under 'Basis for Qualified Opinion'at Para (a) on overstatement of trade receivables by ₹ 12,374 lakh, the total comprehensive income for the year (₹ 10,255.81 lakh) as depicted in statement of profit and loss of the Company would decrease by ₹ 12,917.16 lakh and turn into loss of ₹ 2,661.35 lakh. Total comprehensive income for the year is impacted by 125.95 per cent. Hence, the standalone financial statements of the company for the year 2020-21 do not present a 'true and fair view' and it was not proper on the part of Independent Auditor to have provided an assurance in his audit report that the financial statements presented a 'true and fair view'

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

(Ashok Sinha)
Principal Director of Audit
Health Welfare & Rural Development
New Delhi

Place : New Delhi
Date : 29.11. 2021

31 मार्च, 2021 का तुलन पत्र

	विवरण	टिप्पणी सं	31.03.2021 तक ₹ लाखों में	31.03.2020 तक ₹ लाखों में	01.04.2019 तक ₹ लाखों में
क	**परिसंपत्तियाँ**				
	गैर चालू परिसंपत्तियाँ				
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	23,948.65	26,997.66	31,923.60
	पूँजी कार्य में प्रगति	3	1,034.01	410.42	217.66
	अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3	276.13	358.20	543.24
	परिसंपत्तियों के उपयोग करने का अधिकार (आर ओ यु)	3	2,669.40	3,229.36	-
	वित्तीय संपत्ति		1,131.91	1,209.96	-
			29,060.10	**32,205.60**	**32,684.50**
	वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
	i) निवेश	4	1,666.51	1,666.51	1,676.51
	ii) अन्य	5	141.23	129.57	440.91
	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	6	1,629.76	1,005.59	943.19
	अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ	7	4,480.65	2,984.43	2,077.16
			36,978.25	**37,991.71**	**37,822.27**
	चालू परिसंपत्तियाँ				
	वस्तुसूचियाँ	8	33,769.02	19,507.73	17,747.68
	वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
	i) व्यापार प्राप्य वस्तुएं	9	1,83,666.87	84,187.56	74,162.98
	ii) रोकड़ व रोकड़ समतुल्य	10.क	87,318.94	3,666.01	1,225.09
	iii) उपर्युक्त (ii) के अलावा बैंक शेष	10.ख	119.82	197.80	15,845.57
	iv) ऋण	11	3,141.53	2,842.67	946.14
	v) अन्य	12	23,631.28	18,076.66	7,362.28
	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	13	1,178.74	919.86	984.12
			3,32,826.20	1,29,398.29	1,18,273.86
	बिक्री के लिए रखी वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ		39.28	29.14	28.33
	कोन्ट्रा के अनुसार न्यास के अधीन पडी परियोजनाओं के रोकड़ व बैंक शेष		71,300.09	85,615.99	93,846.17
	कुल परिसंपत्तियाँ		**4,41,143.82**	**2,53,035.13**	**2,49,970.63**
ख	**इक्विटी व देयताएं**				
	इक्विटी				
	i) इक्विटी शेयर पूँजी	14	1,553.50	1,553.50	1,553.50
	ii) अन्य इक्विटी	15	37,020.60	28,254.79	17,070.41
			38,574.10	**29,808.29**	**18,623.91**
	देयताएं				
	गैर चालू देयताएं				

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2021

		Particulars	Note No.	As at 31.03.2021 (₹ lacs)	As at 31.03.2020 (₹ lacs)	As at 01.04.2019 (₹ lacs)
A	**ASSETS**					
	Non-current assets					
		Property, Plant & Equipment	3	23,948.65	26,997.66	31,923.60
		Capital work-in-progress	3	1,034.01	410.42	217.66
		Intangible Assets	3	276.13	358.20	543.24
		Right of Use Assets(ROU)	3	2,669.40	3,229.36	–
		Investment Property		1,131.91	1,209.96	–
				29,060.10	**32,205.60**	**32,684.50**
		Financial Assets				
		i) Investments	4	1,666.51	1,666.51	1,676.51
		ii) Others	5	141.23	129.57	440.91
		Deferred Tax Assets (Net)	6	1,629.76	1,005.59	943.19
		Other Non Current Assets	7	4,480.65	2,984.43	2,077.16
				36,978.25	**37,991.71**	**37,822.27**
	Current assets					
		Inventories	8	33,769.02	19,507.73	17,747.68
		Financial Assets				
		i) Trade Receivables	9	1,83,666.87	84,187.56	74,162.98
		ii) Cash and cash equivalents	10.a	87,318.94	3,666.01	1,225.09
		iii) Bank balances other than (ii) above	10.b	119.82	197.80	15,845.57
		iv) Loans	11	3,141.53	2,842.67	946.14
		v) Others	12	23,631.28	18,076.66	7,362.28
		Other current assets	13	1,178.74	919.86	984.12
				3,32,826.20	**1,29,398.29**	**1,18,273.86**
		Assets classified as held for sale	2.45	**39.28**	**29.14**	**28.33**
		Cash and Bank Balances of Projects Held under Trust as per contra	2.10	**71,300.09**	**85,615.99**	**93,846.17**
	TOTAL ASSETS			**4,41,143.82**	**2,53,035.13**	**2,49,970.63**
B	**EQUITY AND LIABILITIES**					
	Equity					
	i)	Equity Share Capital	14	1,553.50	1,553.50	1,553.50
	ii)	Other Equity	15	37,020.60	28,254.79	17,070.41
				38,574.10	**29,808.29**	**18,623.91**
	Liabilities					
	Non-current liabilities					

विवरण	टिप्पणी सं	31.03.2021 तक ₹ लाखों में	31.03.2020 तक ₹ लाखों में	01.04.2019 तक ₹ लाखों में
वित्तीय देयताएं				
i) उधार	16	2,284.01	4,400.00	6,306.76
ii) अन्य गैर चालू देयताएं		-	-	14.10
iii) दीर्घकालीन प्रावधान	17	757.18	654.70	80.84
iv) पट्टा देयता (आर ओ यु)		2,498.03	3,108.58	-
		5,539.22	**8,163.28**	**6,401.70**
चालू देयताएं				
वित्तीय देयताएं				
i) उधार	18	28,322.04	32,050.36	33,304.84
ii) देय व्यापार				
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए बकाया	19.क	1,123.65	2,004.56	1,364.30
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के अलावा बकाया	19.ख	1,66,058.64	50,703.40	50,921.93
iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	1,20,899.82	40,770.91	42,955.20
iv) पट्टा देयता (आर ओ यु)	2.34	193.13	234.39	-
प्रावधान	21	9,133.13	3,683.95	2,552.58
		3,25,730.41	**1,29,447.57**	**1,31,098.85**
बिक्री के लिए रखी वर्गीकृत परिसंपत्तियों से सीधे जुडी देयताएं		-	-	-
कोन्ट्रा के अनुसार न्यास के अधीन रखी परियोजनाओं के लिए प्राप्त अग्रिम		71,300.09	85,615.99	93,846.17
कुल इक्विटी व देयताएं		**4,41,143.82**	**2,53,035.13**	**2,49,970.63**
कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1			
वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण/ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ	2			

निदेशक मंडल की तरफ से

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है ।
कृते के.वर्गीस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म नं.004525एस

के.बेजी जोर्ज, आई आर टी एस
अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक
[डिन: 08419099]

डॉ.गीता शर्मा
निदेशक (वित्त)
[डिन: 08225251]

संतोष चेरियान.सी.
वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभारी & सी एफ ओ
[एफ सी ए : 049893]

जयकृष्णन.ए.आर
कंपनी सचिव एवं
सह उपाध्यक्ष (सी ए एस)
[ए सी एस : 14328]

सी.ए. साम वर्गीस
साझेदार
सदस्यता सं. 216979

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 28.09.2021
यु डी आई एन : 21216979ए ए ए ए एच एच 8676

Particulars	Note No.	As at 31.03.2021 (₹ lacs)	As at 31.03.2020 (₹ lacs)	As at 01.04.2019 (₹ lacs)
Financial Liabilities				
i) Borrowings	16	2,284.01	4,400.00	6,306.76
ii) Other Non Current Liabilities		-	-	14.10
iii) Long term provisions	17	757.18	654.70	80.84
iv) Lease Liability (ROU)	2.34	2,498.03	3,108.58	–
		5,539.22	**8,163.28**	**6,401.70**
Current liabilities				
Financial Liabilities				
i) Borrowings	18	28,322.04	32,050.36	33,304.84
ii) Trade payables				
Oustanding to Micro and Small Enterprises	19.a	1,123.65	2,004.56	1,364.30
Oustanding Other than Micro and Small Enterprises	19.b	1,66,058.64	50,703.40	50,921.93
iii) Other Financial Liabilities	20	1,20,899.82	40,770.91	42,955.20
iv) Lease Liability (ROU)	2.34	193.13	234.39	–
Provisions	21	9,133.13	3,683.95	2,552.58
		3,25,730.41	**1,29,447.57**	**1,31,098.85**
Liabilities directly associated with assets classified as held for sale		-	-	–
Advances Received for Projects Held under Trust as per contra	2.10	**71,300.09**	**85,615.99**	**93,846.17**
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES		**4,41,143.82**	**2,53,035.13**	**2,49,970.63**
Corporate Information and Significant Accounting Policies	1			
Additional Disclosures/Explanatory Notes to Financial Statements	2			

For and on behalf of the Board of Directors

Vide our report of even date attached
For K. Varghese & Co
Chartered Accountants
Firm No. 004525S

K.Beji George IRTS
Chairman &
Managing Director
[DIN: 08419099]

Dr.Geeta Sharma
Director (F)
[DIN:08225251]

Santhosh Cherian.C
SVP(F) i/c & CFO
[FCA:049893]

Jaikrishnan A.R
CS & AVP (CAS)
[ACS:14328]

CA. Sam Varghese
Partner
Membership No:216979
UDIN: 21216979AAAAHL7595

Place : Thiruvananthapuram
Date : 28.09.2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क.इक्विटी शेयर पूँजी

₹ लाखों में

1 अप्रैल, 2020 के प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2021 के अंत में शेष
1,553.50	-	1,553.50

ख . अन्य इक्विटी

₹ लाखों में

विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष				अन्य व्यापक आय	कुल
	लंबित शेयर आबंटन	लाभांश समकरण आरक्षिति	सामान्य आरक्षण	प्रतिधारित अर्जन		
1 अप्रैल, 2019 तक के शेष	**-**	**129.74**	**25,712.06**	**(8,771.39)**		**17,070.41**
समायोजन				832.93	(628.53)	204.40
वर्ष के लिए लाभ				11,048.53		11,048.53
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय				(68.56)		(68.56)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय				10,979.97	-	10,979.97
31 मार्च, 2020 के अंत में शेष		**129.74**	**25,712.06**	**3,041.52**	**(628.53)**	**28,254.79**
1 अप्रैल, 2020 तक के शेष		**129.74**	**25,712.06**	**3,041.52**	**(628.53)**	**28,254.79**
वर्ष के लिए लाभ				11,233.01		11,233.01
समायोजन				(1,490.00)		(1,490.00)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय					(977.20)	(977.20)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय					(1,605.73)	
31 मार्च, 2021 के अंत में शेष	-	**129.74**	**25,712.06**	**12,784.53**	**(1,605.73)**	**37,020.60**

निदेशक मंडल की तरफ से

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है ।
कृते के.वर्गीस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म नं.004525एस

के.बेजी जोर्ज, आई आर टी एस
अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक
[डिन: 08419099]

डॉ.गीता शर्मा
निदेशक (वित्त)
[डिन: 08225251]

संतोष चेरियान.सी.
उपाध्यक्ष (वित्त) & सी एफ ओ
[एफ सी ए : 049893]

जयकृष्णन.ए.आर
कंपनी सचिव एवं
सह उपाध्यक्ष (सी ए एस)
[ए सी एस : 14328]

सी.ए. साम वर्गीस
साझेदार
सदस्यता सं. 216979

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 28.09.2021
यु डी आई एन : 21216979ए ए ए ए एच एच 8676

Statement of Changes in Equity for the Year ended 31st March, 2021

A. Equity Share Capital

₹lacs

Balance at the beginning of April 1, 2020	Changes in equity share capital during the year	Balance at the end of March 31, 2021
1,553.50	-	1,553.50

B. Other Equity

₹lacs

Particulars	Reserves and Surplus				Other Comprehensive Income	Total
	Shares pending allotment	Dividend Equalisation Reserve	General Reserve	Retained Earnings		
Balance as on April 01, 2019		**129.74**	**25,712.06**	**(8,771.39)**		**17,070.41**
Adjustments				832.93	(628.53)	204.40
Profit for the year				11,048.53		11,048.53
Other comprehensive income for the year				(68.56)		(68.56)
Total comprehensive income for the year				10,979.97	-	10,979.97
Balance at the end of March 31,2020		**129.74**	**25,712.06**	**3,041.52**	**(628.53)**	**28,254.79**
Balance as on April 01, 2020		**129.74**	**25,712.06**	**3,041.52**	**(628.53)**	**28,254.79**
Profit for the year				11,233.01		11,233.01
Dividend				(1,490.00)		(1,490.00)
Other comprehensive income for the year					(977.20)	(977.20)
Total comprehensive income for the year					(1,605.73)	
Balance at the end of March 31, 2021	-	**129.74**	**25,712.06**	**12,784.53**	**(1,605.73)**	**37,020.60**

For and on behalf of the Board of Directors

Vide our report of even date attached
For K. Varghese & Co
Chartered Accountants
Firm No. 004525S

K.Beji George IRTS
Chairman &
Managing Director
[DIN: 08419099]

Dr.Geeta Sharma
Director (F)
[DIN:08225251]

Santhosh Cherian.C
SVP(F) i/c & CFO
[FCA:049893]

Jaikrishnan A.R
CS & AVP (CAS)
[ACS:14328]

CA. Sam Varghese
Partner
Membership No:216979
UDIN: 21216979AAAAHL7595

Place : Thiruvananthapuram
Date : 28.09.2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा विवरण

विवरण	टिप्पणी सं.	31-03-2021 को समाप्त वर्ष (₹ लाखों में)	31-03-2020 को समाप्त वर्ष (₹ लाखों में)
आय			
प्रचालनों से राजस्व	22	5,08,131.02	1,67,764.97
अन्य आय	23	5,753.28	6,148.94
कुल आय		5,13,884.30	1,73,913.91
व्यय			
उपभुक्त मालों की लागत	24	21,597.62	20,280.20
व्यापार स्टॉक के क्रय	25	3,81,908.85	68,366.10
तैयार माल,चालू कार्य प्रगति में और व्यापार स्टॉक की वस्तुसूचियों में परिवर्तन	26	(12,807.59)	(813.33)
कर्मचारी हितलाभ व्यय	27	18,804.11	15,779.76
वित्त लागत	28	2,375.13	3,457.20
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	3	4,721.92	5,333.77
अन्य व्यय	29	76,670.46	45,842.53
ठेका व्यय	2.46	5,459.17	3,209.40
कुल व्यय		**4,98,729.68**	**1,61,455.63**
विशेष मदें और कर के पूर्व लाभ/(हानि)		**15,154.63**	**12,458.28**
कर के पूर्व लाभ/(हानि)		**15,154.63**	**12,458.28**
कर व्यय			
चालू वर्ष के लिए चालू कर व्यय		4,545.78	1,472.16
एम ए टी क्रेडिट पात्रता		-	183.60
आस्थगित कर		(624.17)	(246.01)
		3,921.61	1,409.75
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		**11,233.01**	**11,048.53**
अन्य व्यापक आय			
(i) मदें जो लाभ या हानि के लिए पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा - निर्धारित लाभ योजनाओं में पुनर्मापन		(1,305.86)	(91.62)
(ii) ऐसी मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		328.66	23.06
कुल अन्य व्यापक आय		**(977.20)**	**(68.56)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		**10,255.81**	**10,979.97**
प्रति शेयर अर्जन (ठ) -मूल (ठ10/- शेयर का अंकित मूल्य)	**2.1**	**72.31**	**71.12**
- हल्का		**72.31**	**71.12**
कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1		
वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ	2		

निदेशक मंडल की तरफ से

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है ।
कृते के.वर्गीस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म नं.004525एस

के.बेजी जोर्ज, आई आर टी एस
अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक
[डिन: 08419099]

डॉ.गीता शर्मा
निदेशक (वित्त)
[डिन: 08225251]

संतोष चेरियान.सी.
उपाध्यक्ष (वित्त) & सी एफ ओ
[एफ सी ए : 049893]

जयकृष्णन.ए.आर
कंपनी सचिव एवं
सह उपाध्यक्ष (सी ए एस)
[ए सी एस : 14328]

सी.ए. साम वर्गीस
साझेदार
सदस्यता सं. 216979

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 28.09.2021
यु डी आई एन : 21216979ए ए ए ए एच एच 8676

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2021

Particulars	Note No.	Year ended 31.03.2021 (₹ lacs)	Year ended 31.03.2020 (₹ lacs)
Income			
Revenue from operations	22	5,08,131.02	1,67,764.97
Other income	23	5,753.28	6,148.94
Total Income		**5,13,884.30**	**1,73,913.91**
Expenses			
Cost of materials consumed	24	21,597.62	20,280.20
Purchases of stock-in-trade	25	3,81,908.85	68,366.10
Changes in inventories of finished goods,work-in-progress and stock-in-trade	26	(12,807.59)	(813.33)
Employee benefits expense	27	18,804.11	15,779.76
Finance costs	28	2,375.13	3,457.20
Depreciation and amortisation expense	3	4,721.92	5,333.77
Other expenses	29	76,670.46	45,842.53
Contract Expenses	2.46	5,459.17	3,209.40
Total expenses		**4,98,729.68**	**1,61,455.63**
Profit / (Loss) before Exceptional items and tax		**15,154.63**	**12,458.28**
Profit / (Loss) before tax		**15,154.63**	**12,458.28**
Tax expense:			
Current tax expense for current year		4,545.78	1,472.16
MAT Credit Entitilement		-	183.60
Deferred tax		(624.17)	(246.01)
		3,921.61	**1,409.75**
Profit / (Loss) for the year		**11,233.01**	**11,048.53**
Other Comprehensive Income			
(i) Items that will not be reclassified to profit or loss			
- Remeasurement of Defined Benefit Plans		(1,305.86)	(91.62)
(ii) Income tax relating to Items that will not be reclassified to profit or loss		328.66	23.06
Total Other Comprehensive Income		**(977.20)**	**(68.56)**
Total Comprehensive Income for the year		**10,255.81**	**10,979.97**
Earnings per share (₹) - Basic (Face value of ₹ 10/- Share)	**2.1**	**72.31**	**71.12**
- Diluted		**72.31**	**71.12**
Corporate Information and Significant Accounting Policies	1		
Additional Disclosures/Explanatory Notes to Financial Statements	2		

For and on behalf of the Board of Directors

Vide our report of even date attached
For K. Varghese & Co
Chartered Accountants
Firm No. 004525S

K.Beji George IRTS
Chairman &
Managing Director
[DIN: 08419099]

Dr.Geeta Sharma
Director (F)
[DIN:08225251]

Santhosh Cherian.C
SVP(F) i/c & CFO
[FCA:049893]

Jaikrishnan A.R
CS & AVP (CAS)
[ACS:14328]

CA. Sam Varghese
Partner
Membership No:216979
UDIN: 21216979AAAAHL7595

Place : Thiruvananthapuram
Date : 28.09.2021

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
क. प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
कर के पूर्व लाभ	15,154.53	12,458.28
समायोजन;		
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	4,721.92	5,333.77
अवास्तविक विदेशी मुद्रा अभिलाभ और हानियाँ	68.69	311.25
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर हानि	2.05	3.41
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	(3.68)	-
पहचान की गयी खराब हानि	-	10.00
लाभांश आय	(1,000.09)	(2,275.10)
वित्त लागत	2,375.13	3,457.20
ब्याज आय	(1,695.25)	(1,946.56)
कार्यशील पूँजी परिवर्तन के पूर्व प्रचालन लाभ/(हानि)	**19,623.38**	**17,352.25**
कार्यशील पूँजी में परिवर्तन		
प्रचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन :		
वस्तुसूची	(14,271.43)	(1,760.86)
व्यापार देनदारियाँ	(99,479.31)	(10,298.78)
अल्पकालीन ऋण एवं पेशगियाँ	(5,853.48)	(11,749.87)
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	(258.88)	64.26
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों में परिवर्तन	(1,496.22)	(907.27)
गैर चालू परिसंपत्तियाँ एवं देयता (पट्टा) में परिवर्तन	(50.59)	(260.81)
प्रचालन देयताओं में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन :		
व्यापार देनदारियाँ	1,14,474.33	384.69
अन्य चालू देयतायें	80,077.76	(2,056.14)
दीर्घकालीन प्रावधान	-	573.86
अल्पकालीन प्रावधान	5,449.19	1,131.37
प्रचालन से बनाई रोकड़	**98,214.76**	**(7,527.31)**
निवल आय कर (प्रदत्त)/वापसी	**(5,489.19)**	**(2,071.38)**
प्रचालन कार्यकलापों से (प्रयुक्त) निवल नकद प्रवाह - (क)	**92,725.56**	**(9,598.69)**
ख.निवेशी कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
चालू पूँजी कार्य में प्रगति	(623.59)	(192.76)
पी पी ई और अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद	(1,511.16)	(1,427.86)
प्राप्त ब्याज आय	1,695.25	1,946.56
प्राप्त लाभांश आय	1,000.09	2,275.10
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में परिवर्तन	(11.66)	311.34

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2021

Particulars	For the Year Ended March 31, 2021	For the year ended March 31, 2020
	₹ lacs	9 lacs
A. Cash flow from operating activities		
Profit before tax	15,154.63	12,458.28
Adjustments for:		
Depreciation and amortisation expenses	4,721.92	5,333.77
Unrealised foreign currency gains and losses	68.69	311.25
Loss on sale of Property, plant and equipment	2.05	3.41
Profit on sale of Property, plant and equipment	(3.68)	-
Impairment loss recognized	-	10.00
Dividend income	(1,000.09)	(2,275.10)
Finance costs	2,375.13	3,457.20
Interest income	(1,695.25)	(1,946.56)
Operating profit / (loss) before working capital changes	**19,623.38**	**17,352.25**
Changes in working capital:		
Adjustments for (increase) / decrease in operating assets:		
Inventories	(14,271.43)	(1,760.86)
Trade receivables	(99,479.31)	(10,298.78)
Short-term loans and advances	(5,853.48)	(11,749.87)
Other current assets	(258.88)	64.26
Changes in other non-current assets	(1,496.22)	(907.27)
Changes in Non Current Assets & Liability (Leases)	(50.59)	(260.81)
Adjustments for increase / (decrease) in operating liabilities:		
Trade payables	1,14,474.33	384.69
Other current liabilities	80,077.76	(2,056.14)
Long-term provisions	-	573.86
Short-term provisions	5,449.19	1,131.37
Cash generated from operations	**98,214.76**	**(7,527.31)**
Net income tax (paid) / refunds	**(5,489.19)**	**(2,071.38)**
Net cash flow from / (used in) operating activities (A)	**92,725.56**	**(9,598.69)**
B. Cash flow from investing activities		
Capital Work in Progress	(623.59)	(192.76)
Purchase of PPE and intangible assets	(1,511.16)	(1,427.86)
Interest income received	1,695.25	1,946.56
Dividend income received	1,000.09	2,275.10
Changes in other Financial Assets	(11.66)	311.34

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
बैंक ज़मा में निवेश (तीन से अधिक महीनों के मूल परिपक्वता होने वाले)	493.15	14,819.62
निवेश कार्यकलापों से (प्रयुक्त)निवल नकद प्रवाह (ख)	**1,042.09**	**17,732.00**
ग. वित्तीयन कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
गैर चालू ऋणों की चुकौती	(2,106.10)	(1,794.76)
अन्य दीर्घकालीन देयताओं की चुकौती	-	(14.10)
प्रदत्त वित्त लगात	(2,375.13)	(3,457.20)
प्रदत्त लाभांश	(1,490.00)	-
वित्तीयन कार्यकलापों से (प्रयुक्त) निवल नकद प्रवाह (ग)	**(5,971.23)**	**(5,266.06)**
नकद एवं नकद तुल्यांक में निवल वृद्धि/(कमी) (क + ख + ग)	87,796.42	2,867.25
वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकद तुल्यांक	(29,213.10)	(32,080.35)
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद तुल्यांक	**58,583.32**	**(29,213.10)**
नकद तथा नकद तुल्यांक का मिलान :		
नकद तथा नकद तुल्यांक	58,996.90	(28,384.35)
न्यून : नकद प्रवाह विवरण इंड एएस 7 में परिभाषित जैसे नकद तथा नकद तुल्यांक को बैंक शेष के रूप में नहीं माना गया है।	413.58	828.74
टिप्पणी 1.10 में शामिल किए गए निवल नकद तथा नकद तुल्यांक (नकद प्रवाह विवरण एएस 7 में निर्धारित जैसे)	**58,583.32**	**(29,213.10)**
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद तुल्यांक।		
समाविष्टियाँ		
(क) हस्तगत कैश	201.01	208.66
(ख) बैंकों के साथ शेष		
(i) जमा खाते में	83,039.17	1,886.25
(ii) चालू खाते में	1,586.71	739.78
(iii) सी एस आर के लिए निर्धारित धनराशि	2.62	-
(iv) परियोजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि	2,054.27	-
(v) ई ई एफ सी खाते में	21.58	2.58
(vi) कैश क्रेडिट खाते में	(16,536.47)	(18,297.48)
(v) ओवरड्राफ्ट खाते में	(11,785.57)	(13,752.88)
	58,583.32	**(29,213.10)**

Particulars	For the Year Ended March 31, 2021 ₹ lacs	For the year ended March 31, 2020 9 lacs
Investments in bank deposits (having orginal maturity of more than three months)	493.15	14,819.62
Net cash flow from / (used in) investing activities (B)	**1,042.09**	**17,732.00**
C. Cash flow from financing activities		
Repayment of non current borrowings	(2,106.10)	(1,794.76)
Repayment of other longterm liabilities	-	(14.10)
Finance cost paid	(2,375.13)	(3,457.20)
Dividend paid	(1,490.00)	–
Net cash flow from / (used in) financing activities (C)	**(5,971.23)**	**(5,266.06)**
Net increase / (decrease) in Cash and cash equivalents (A+B+C)	87,796.41	2,867.25
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	(29,213.10)	(32,080.35)
Cash and cash equivalents at the end of the year	**58,583.32**	**(29,213.10)**
Reconciliation of Cash and cash equivalents :		
Cash and cash equivalents	58,996.90	(28,384.35)
Less: Bank balances not considered as Cash and cash equivalents as defined in Ind AS 7 Statement of *Cash Flow*	413.58	828.74
Net Cash and cash equivalents (as defined in Ind AS 7 Statement of *Cash Flow*) included in Note 1.12	**58,583.32**	**(29,213.10)**
Cash and cash equivalents at the end of the year *		
* Comprises:		
(a) Cash on hand	201.01	208.66
(b) Balances with banks		
(i) In Deposit account	83,039.17	1,886.25
(ii) In current accounts	1,586.71	739.78
(iii) Funds earmarked for CSR	2.62	-
(iv) Funds earmarked for Projects	2,054.27	-
(v) In EEFC accounts	21.58	2.58
(vi) In cash credit accounts	(16,536.47)	(18,297.48)
(vii) In overdraft accounts	(11,785.57)	(13,752.88)
	58,583.32	**(29,213.10)**

Corporate Information and Significant Accounting Policies

Additional Disclosures/Explanatory Notes to Financial Statements

कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1) उपर्युक्त नकद प्रवाह विवरण इंड ए एस-7 में निर्दिष्ट परोक्ष प्रणाली के अधीन तैयार किया गया है।

2) इस साल के प्रस्तुतीकरण की पुष्टि करने की ओर पिछले वर्ष के आँकड़ों को, जहाँ आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकरण किया गया हैं।

3) वर्ष के प्रारंभ और अंत में नकद तुल्यांक बैंक ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिदेय नकदी ऋण भी शामिल है ।

4) न्यास के अधीन रही परियोजना निधि के लेन - देन और शेष ₹ 71300.09 लाख (पिछले वर्ष ₹ 85615.99लाख) को नकद प्रवाह में शामिल नहीं किया गया है।

5) वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तन

₹लाखों में

विवरण	1 अप्रैल, 2020 को	नकद प्रवाह	गैर-नकदी परिवर्तन		31 मार्च, 2021 तक
			उचित मूल्य समायोजन	अन्य अधिग्रहण के कारण	
गैर-चालू उधार (गैर-चालू उधार की चालू परिपक्वता सहित)	6,345.40	(2,106.10)	-	-	4,239.30
चालू उधार	32,050.36	(3,728.32)	-	-	28,322.04
	38,395.76	(5,834.43)	-	-	32,561.34

निदेशक मंडल की तरफ से

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है ।
कृते के.वर्गीस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म नं.004525एस

के.बेजी जोर्ज, आई आर टी एस
अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक
[डिन: 08419099]

डॉ.गीता शर्मा
निदेशक (वित्त)
[डिन: 08225251]

संतोष चेरियान.सी.
वरिष्ठ उपाध्यक्ष (वित्त) प्रभारी & सी एफ ओ
[एफ सी ए : 049893]

जयकृष्णन.ए.आर
कंपनी सचिव एवं
सह उपाध्यक्ष (सी ए एस)
[ए सी एस : 14328]

सी.ए. साम वर्गीस
साझेदार
सदस्यता सं. 216979

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 28.09.2021
यु डी आई एन :

1) The above Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect method set out in the Ind AS-7..

2) The previous year's figures have been re-grouped whereever necessary in order to confirm to this year's presentation.

3) Cash Equivalents at the beginning and end of the year includes Bank Overdraft and Cash Credit repayable on demand

4) Transactions of project funds held under Trust and balance of ₹71300.09 lacs (previous year ₹85615.99lacs) are not included in the Cashflow

5) Changes in Liabilities arising from Financing Activities

₹lacs

Particulars	As at 1st April 2020	Cashflows	Non - Cash Changes		As at 31st March 2021
			Fair Value Adjustment	Others on account of Acqusition	
Non current Borrowings (including current maturity of Non - Current Borrowings)	6,345.40	(2,106.10)	-	-	4,239.30
Current Borrowings	32,050.36	(3,728.32)	-	-	28,322.04
	38,395.76	**(5,834.43)**	**-**	**-**	**32,561.34**

For and on behalf of the Board of Directors

Vide our report of even date attached
For K. Varghese & Co
Chartered Accountants
Firm No. 004525S

K.Beji George IRTS
Chairman &
Managing Director
[DIN: 08419099]

Dr.Geeta Sharma
Director (F)
[DIN:08225251]

Santhosh Cherian.C
SVP(F) i/c & CFO
[FCA:049893]

Jaikrishnan A.R
CS & AVP (CAS)
[ACS:14328]

CA. Sam Varghese
Partner
Membership No:216979
UDIN: 21216979AAAAHL7595

Place : Thiruvananthapuram
Date : 28.09.2021

टिप्पणी 1 - निगमित सूचना और सार्थक लेखा नीतियाँ

निगमित सूचना

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड वर्ष 1966 में समाविष्ट कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा शासित और भारत में अधिवासित भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से स्वामित्व रखे, मिनिरत्ना उद्यम है । एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड को 21 फरवरी, 2012 से सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित किया गया है । कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एचएलएल भवन, पूजप्पुरा, तिरुवनंतपुरम, केरल, भारत में स्थित है। कंपनी गर्भनिरोधक उत्पादों की श्रेणी के विनिर्माण एवं विपणन, अस्पताल उत्पादें, महिला स्वास्थ्य फार्मा उत्पादें और स्वास्थ्य रक्षा अवसंरचना और प्रापण और नैदानिक सेवाओं के लिए परामर्श एवं ठेका सेवाएं प्रदान करने में लगी रहती है । कंपनी देशीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाज़ारों को प्रबंध करती है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण 27 जुलाई, 2021 को निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसार जारी करने के लिए अनुमोदित किये गये ।

जारी किए गए मानक लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 18 जून, 2021 को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम 2021 के अनुसार लेखांकन मानकों में कुछ संशोधन अधिसूचित किया। कंपनी इन संशोधनों को प्रभावी होने पर अपनाने का इरादा रखती है। संशोधन का प्रारंभिक प्रयुक्ति प्रस्तावित नहीं है और इसलिए वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव मूल्यांकित नहीं है या वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय विवरण पर विचार नहीं किया गया है। वित्तीय विवरणों को सुसंगत होने के लिए अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में किए जानेवाले आवश्यक प्रकटीकरण को बढ़ाने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में संशोधन करने के लिए 24 मार्च 2021 को अधिसूचना जारी की। ये संशोधन 1 अप्रैल 2021 से शुरू होनेवाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी पर लागू हैं।

1 क सार्थक लेखा नीतियाँ

1 .1 तैयारी का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियम 2016 के अधीन अधिसूचित इंड एएस के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 2013 के सुसंगत प्रावधानों के साथ सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुपालन करके बनाया गया है। 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष तक कंपनी पिछले जीएएपी की अपेक्षाओं के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार किया गया, जिस में कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 के अधीन अधिसूचित मानकें शामिल हैं।

कंपनी ने 1 अप्रैल 2015 के प्रभाव से इंड एएस अपनाया । इंड एएस के लिए संक्रमण तारीख 1 अप्रैल 2015 है।

वित्तीय विवरण, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापित कुछ वित्तीय साधनों को छोडकर प्रोद्धवन आधार पर और परंपरागत लागत के अधीन नीचे बताये गये लेखांकन नीतियों के अनुसार तैयार किया गया है।

वित्तीय विवरण इंडियन रुपए (₹) में प्रस्तुत किये जाते हैं और अन्यथा जहाँ संकेत दिया गया है के सिवाय सभी मूल्य निकट तम लाखों में पूर्णांकित किया जाता है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 11 अक्तूबर 2018 को वित्तीय विवरणों में भी विचार किये जाने वाले कुछ अतिरिक्त प्रस्तुति और प्रकटीकरण अपेक्षाओं को अधिसूचित करके अनुसूची III का संशोधन किया।

1.2 चालू/गैर चालू के रूप में परिसंपत्तियों और देयताओं का वर्गीकरण

कंपनी के सामान्य प्रचालन साइकिल और कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में निर्दिष्ट किये अन्य मानदंडों के आधार पर सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को चालू या गैर चालू के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं । उत्पादों की प्रकृति और नकद तुल्यांक में उसके प्रसंस्करण और उनकी वसूली के लिए परिसंपत्तियों के बीच के समय के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं के चालू या गैर चालू वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा 12 महीना निर्धारित किया गया है।

Note 1 : Corporate Information and Significant Accounting Policies	
	Corporate information
	HLL Lifecare Limited, incorporated in the year 1966, is a MiniRatna Enterprise, fully owned by Government of India, domiciled in India and governed by the provisions of the Companies Act, 2013. HLL Lifecare Ltd was converted into a Public Limited Company with effect from 21st February 2012.The Company's registered office is situated at HLL Bhavan, Poojapura, Thiruvananthapuram, Kerala, India. The company is engaged in the manufacturing and marketing of a range of Contraceptive products, Hospital products, Women Health Pharma products, providing Consultancy & Contract services for healthcare infrastructure, Procurement and Diagnostic services. The company caters to both domestic and international markets. The stand-alone financial statements were approved for issue in accordance with a resolution of the Board of directors on 27th July 2021 and resubmitted to Board on 28th September 2021 to incorporate observations of Comptroller and Auditor General vide the Audit under section 143(6) of the Companies Act 2013.
	Standards issued but not yet effective
	The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has notified certain amendments to Accounting standards as per the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2021 on18th June 2021. The company intends to adopt these amendments, when they become effective. Early application of the amendments is not proposed and hence the impact if any on the financial statements is not assessed or considered in the financial statements during the financial year. The information that are expected to be relevant to the financial statements is provided below:– MCA issued notification dated 24th March 2021 to amend Schedule III to the Companies Act, 2013 to enhance the disclosures required to be made by the Company in its Financial Statements. These amendments are applicable to the Company for the Financial Year starting 01st April 2021.
1A	**Significant accounting policies**
1.1	**Basis of Preparation**
	The financial statements of the company have been prepared in accordance with Ind AS notified under the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and with companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016 and comply in all material aspects with the relevant provisions of the Companies Act, 2013. Up to the year ended March 31, 2016, the Company prepared its financial statements in accordance with the requirements of previous GAAP, which includes Standards notified under the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006. The company adopted Ind AS w.e.f. April 01, 2015. The date of transition to Ind AS is April 1, 2015. The financial statements have been prepared on accrual basis and under the historical cost basis, as explained in the accounting policies below. The financial statements are presented in Indian Rupees (₹) and all values are rounded to the nearest lakhs, except where otherwise indicated. The Ministry of Corporate Affairs amended Schedule III on 11th October 2018, notifying certain additional presentation and disclosure requirements which are also considered in the financial statements
1.2	**Classification of Assets and Liabilities as Current and Non-Current**
	All assets and liabilities are classified as current or non-current as per the company's normal operating cycle and other criteria set out in schedule III to the Companies Act, 2013. Based on the nature of products and time between acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents, 12 months has been considered by the Company for the purpose of current or non-current classification of assets and Liabilities.

परिसंपत्तियों और देयताओं को चालू/गैर चालू में वर्गीकरण

तुलन पत्र के उद्देश्य के लिए, परिसंपत्ति को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि :

(i) सामान्य प्रचालन चक्र में इसको वसूल किये जाने की उम्मीद है, या बेचे जाने या उपभुक्त होने का इरादा है: या

(ii) इसे व्यापार के उद्देश्य केलिए मुख्य रूप से रखा गया है; या

(iii) इसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीने के अंदर वसूल किए जाने की उम्मीद है; या

(iv) जब तक कि इसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए विचलित होने से प्रतिबंधित या देयता व्यवस्थित करने केलिए उपयोगित किया जाता है, परिसंपत्ति नकद या नकद तुल्यांक है।

सभी अन्य परिसंपत्तियों को गैर चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है :

इस प्रकार देयता को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है कि यदि:

(i) इसको सामान्य संचालन चक्र में व्यवस्थित होने की प्रतीक्षा है; या

(ii) इसको व्यापार के उद्देश्य के लिए मुख्य रूप से होता है; या

(iii) इसको रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के अंदर व्यवस्थित किये जाने के लिए देय है; या

(iv) कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान करने केलिए कोई अप्रतिबंध अधिकार नहीं है।

देयता का शर्त, जो प्रतिकक्षि के विकल्प पर इक्विटी साधनों को जारी करने के द्वारा इसके निपटान पर परिणत होगा, इस वर्गीकरण पर प्रभाव नहीं करता है।

सभी अन्य देयताएं गैर चालू रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं ।

1.3 कोविड -19 से वैश्विक स्वास्थ्य महामारी से संबंधित अनिश्चितताओं का अनुमान

कंपनी ने कोविड-19 से परिणत संभाव्य प्रभावों पर विचार किया है जो वित्तीय परिसंपत्तियाँ, वस्तुसूची, प्राप्य, अग्रिम, संपत्ति, संयंत्र व उपकरण, अमूर्त आदि के साथ ही साथ उपार्जित देयताओं की रखाव रकम पर हो सकता है। इस महामारी के कारण आर्थिक परिस्थितियों में संभाव्य भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित धारणाओं को विकसित करने में कंपनी ने आंतरिक और बाहरी जानकारी जैसे हमारे वर्तमान अनुबंध की शर्तें, क्रडिट रिपोर्ट, व्यवसाय से भविष्य की मात्रा का अनुमान और अन्य संबंधित जानकारी आदि का उपयोग किया है। अंतर्निहित डाटा की समीक्षा करके वर्तमान अनुमानों के आधार पर कंपनी को उम्मीद है कि परिसंपत्तियों की रखाव रकम की वसूली की जाएगी और उपार्जित देयताओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पडेगा। कंपनी पर कोविड-19 का प्रभाव, वित्तीय विवरणों से भिन्न हो सकता है, जैसा कि इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख से अनुमानित है और कंपनी भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के निकट निगरानी करना जारी रखेगी।

1.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण परंपरागत लागत पर कम संचित मूल्यह्रास और संचित खराब हानि यदि कोई हो, दिये जाते हैं। लागत में सभी प्रासंगिक व्यय सेनवाट क्रेडिट के निवल जहाँ कहीं लागू है, शामिल है । नई परियोजनाएँ/ नए व्यवसायों को पहचानने केलिए खर्च हुए राजस्व व्यय को पूँजी कार्य प्रगति के रूप में माना जाता है । इस को व्यवसाय प्रारंभ करने के प्रथम वर्ष में परियोजना लागत में आमेलित किया जाएगा। यदि नई परियोजना/नए व्यवसाय 3 वित्तीय वर्षों की अवधियों में कार्यान्वित नहीं किए गए हैं तो सभी व्यय तीसरे वर्ष में राजस्व में प्रभारित करेंगे ।

उत्पादन, आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए निर्माण के दौरान संपत्तियाँ, पहचान की गयी कोई खराब हानि कम करके लागत पर जोडा जाता है।

लागत में उधार पर ब्याज (भारित औसत दर पर परिकलित) और इस तरह की परिसंपत्तियों के अधिग्रहण केलिए विशेष रूप से आरोप्य प्रशासनिक व्यय शामिल हैं ।

Classification of Assets and Liabilities into Current/Non-Current:

For the purpose of Balance Sheet, an asset is classified as current if:

(i) It is expected to be realised, or is intended to be sold or consumed, in the normal operating cycle; or

(ii) It is held primarily for the purpose of trading; or

(iii) It is expected to realise the asset within twelve months after the reporting period; or

(iv) The asset is cash or cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

Similarly, a liability is classified as current if:

(i) It is expected to be settled in the normal operating cycle; or

(ii) It is held primarily for the purpose of trading; or

(iii) It is due to be settled within twelve months after the reporting period; or

(iv) The Company does not have an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

Terms of a liability that could result in its settlement by the issue of equity instruments at the option of the counterparty does not affect this classification.

All other liabilities are classified as non-current.

1.3 Estimation of Uncertainties relating to the global health pandemic from COVID -19

The company has considered the possible effects that may result from COVID-19 on the carrying amount of Financial assets, Inventory, Receivables, Advances, Property, Plant and Equipment, Intangibles etc. as well as liabilities accrued. In developing the assumptions relating to the possible future uncertainties in the economic conditions because of this pandemic, the Company has used internal and external information such as our current contract terms, credit reports, future volume estimate from the business and other related information's etc. Having reviewed the underlying data and based on current estimates the Company expects the carrying amount of the assets will be recovered and there is no significant impact on liabilities accrued. The impact of COVID -19 on the Company's financial statements may differ from that estimated as at the date of approval of these financial statements and the Company will continue to closely monitor any material changes to future economic conditions.

1.4 Property, Plant and Equipment

Property, Plant and Equipment are stated at historical cost less accumulated depreciation and accumulated impairment loss if any. Cost includes all incidental expenditure net of CENVAT credit/GST Credit wherever applicable. Revenue expenses incurred for identification of new projects/ new line of businesses are treated as capital work in progress. This will be absorbed into the project cost in the first year of commencing the business. If the new project/ new line of business does not materialize within a period of three financial years, the entire expenses shall be charged to Revenue in the 3rd year.

Properties in the course of construction for production, supply or administrative purposes are carried at cost, less any recognized impairment loss.

The cost includes interest on borrowings (calculated at the weighted average rates) and administrative expenses specifically attributable to the acquisition of such assets.

निर्माण अवधि का खर्च पूँजी कार्य प्रगति के अधीन शामिल किया जाता है और इसे निर्माण की समाप्ति पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित मदों में आबंटित किया जाता है । फार्मस्यूटिकल्स विनिर्माण सुविधा के संबंध में हुए खर्च मान्यता प्रक्रिया पूरा होने तक चालू पूँजी कार्य के अधीन शामिल किया जाता है ।

रु. 5 लाख या अधिक अलग-अलग मूल्य के अतिरिक्त पुर्जे, स्टान्ट बई उपकरण और सर्वीसिंग उपकरण या 12 महिने से अधिक अवधि के लिए उपयोग किये जाने की संभावना है, को उनके अधिग्रहण पर पूँजीकृत किया जाता है।

इंड एएस केलिए संक्रमण पर समझी लागत

कंपनी ने पिछले जीएएपी के अनुसार मापित 01 अप्रैल, 2015 (संक्रमण तारीख)को पहचान किए इसके सभी संपत्ति संयंत्र और उपकरण जारी रखने के लिए चुना है और संक्रमण तारीख से इस तरह के रखाव मूल्य को समझी लागत के रूप में उपयोग करना।

अस्वीकृत

निपटान या परिसंपत्ति की सतत उपयोग से उठाने के लिए प्रतीक्षित भविष्य के आर्थिक फायदे नहीं होने पर संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के एक मद को अस्वीकृत किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक मद के निपटान या निवृत्ति पर उठाने वाले कोई भी अभिलाभ या हानि को बिक्री परिणाम और परिसंपत्ति की रखाव रकम के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और उसको लाभ या हानि में स्वीकृत किया जाता है।

1.5 निवेश संपत्ति

संपत्ति जो लंबी अवधि के किराया वस्तु या पूँजी वृद्धि या दोनों के लिए रखी गई है और जो कंपनी के कब्जे में नहीं है या उसके हिस्से पर कब्जा नहीं है, उसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निवेश संपत्ति को शुरू में इसकी लागत पर मापा जाता है, जिसमें संबंधित लेनदेन लागत और जहाँ लागू हो, उधार लागत शामिल है। आगामी व्यय को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में तभी पूँजीकृत किया जाता है जब यह संभावना हो कि व्यय से जुडे भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मदों की लागत को विश्वासपूर्वक मापा जा सकता है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव की लागत के व्यय होने पर खर्च की जाती है। जब एक निवेश संपत्ति का हिस्सा बदल दिया जाता है तो बदले गए हिस्से की अग्रणीत राशि को अमान्य कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जब किराए पर दी गई संपत्ति खाली हो जाती है और प्रबंधन का इरादा, खाली हिस्से का उपयोग अपनी व्यावसायिक ज़रूरतों के उद्देश्य के लिए करना है, तो निवेश संपत्तियों को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत इमारत के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। निवेश संपत्तियों को उनके अनुमानित उपयोगिता काल पर लिखित मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्यह्रास किया जाता है जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के तहत इमारतों के मूल्यह्रास के लिए उपयोगिता काल के अनुरूप है।

1.6 अमूर्त परिसंपत्ति

कंपनी ने पिछले जीएएपी के अनुसार मापित, 1 अप्रैल, 2015 (संक्रमण तारीख) को पहचान कर लिये इसके सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के रखाव मूल्य के साथ जारी रखने के लिए चुना है और संक्रमण तारीख से इस तरह के रखाव मूल्य को समझी लागत के रूप में प्रयोग करना ।

सीमित उपयोगी काल सहित अमूर्त परिसंपत्तियाँ संचित परिशोधन और संचित खराब हानि कम करके पूँजीकृत किया जाता है और लागत पर ले जाता है। सीमित उपयोगी काल सहित अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन व्यय लाभ और हानि में स्वीकृत किया जाता है जब ऐसे खर्च अन्य परिसंपत्तियों के रखाव मूल्य के हिस्सा नहीं बनता है।

असीमित उपयोगी काल सहित अमूर्त परिसंपत्तियाँ परिशोधित नहीं की जाती हैं, लेकिन प्रतिवर्ष हानि के लिए जाँच की जाती हैं। असीमित काल आगे भी समर्थन योग्य होगा यह निर्धारित करने के लिए प्रतिवर्ष असीमित काल के मूल्यांकन की समीक्षा की जाती है। यदि नहीं है, असीमित से सीमित की ओर उपयोगी काल का परिवर्तन संभावित आधार पर बनाया जाता है।

Expenditure during construction period is included under Capital Work-in-Progress and the same is allocated to the respective items of Property, Plant and Equipment on the completion of construction. In respect of Pharmaceutical manufacturing facility, expenditure incurred are included under Capital Work in Progress till the validation process is completed.

Spare parts, stand by equipment and servicing equipment having individual value of ₹5 lakh or more and are expected to be used for a period more than 12 months are capitalized on their acquisition.

Deemed cost on transition to Ind AS;

The Company has elected to continue with the carrying value of all of its property, plant and equipment recognized as of April 1, 2015 (the transition date) measured as per the previous GAAP and use such carrying value as its deemed cost as of the transition date.

De-recognition:

An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognized in profit or loss.

1.5 Investment Property:

Property that is held for long-term rental yields or for capital appreciation or both, and that is not occupied or part occupied by the Company, is classified as investment property. Investment property is measured initially at its cost, including related transaction costs and where applicable, borrowing costs. Subsequent expenditure is capitalised to the asset's carrying amount only when it is probable that future economic benefits associated with the expenditure will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and maintenance costs are expensed when incurred. When part of an investment property is replaced, the carrying amount of the replaced part is derecognized. Additionally, when a property given on rent is vacated and the management's intention is to use the vacated portion for the purpose of its own business needs, Investment Properties are reclassified as Buildings under Property, Plant and Equipment. Investment properties are depreciated using the written down value method over their estimated useful lives which is consistent with the useful lives followed for depreciating Buildings under Property, Plant and Equipment.

1.6 Intangible Asset

The Company has elected to continue with the carrying value of all of its intangible assets recognized as of April 1, 2015 (the transition date) measured as per the previous GAAP and use such carrying value as its deemed cost as of the transition date.

Intangible assets with finite useful lives are capitalised and carried at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses. The amortization expense on intangible assets with finite lives is recognized in the statement of profit and loss unless such expenditure forms part of carrying value of another asset.

Intangible assets with indefinite useful lives are not Amortized, but are tested for impairment annually. The assessment of indefinite life is reviewed annually to determine whether the indefinite life continues to be supportable. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.

Amortization is recognized on a straight-line basis over their estimated useful lives.

The cost of computer software other than ERP Software Solution is amortized equally over a period of 3 years, whereas ERP software solution is amortized over a period of 8 years on pro-rata basis. License fee paid is amortized equally over the agreement period.

परिशोधन उनके आकलित उपयोगी काल पर सीधी - रेखा प्रणाली के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

ई आर पी सॉफ्टवेयर सोलूशन के अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की लागत 3 वर्षों की अवधि में समान रूप से परिशोधित किया जाता है जबकि ई आर पी सॉफ्टवेयर सोलूशन यथानुपात आधार पर 8 वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है। प्रदत्त लाइसेंस शुल्क करार अवधि में समान रूप से परिशोधित किया जाता है।

ट्रेड मार्क/पेटेंट 5 साल की अवधि को संशोधित किया जाता है।

ट्रेड मार्क व्यय

ट्रेड मार्क पंजीकरण पर खर्च हुए व्यय, चालू पूँजी कार्य के रूप में माना जाएगा और लाइसेंस प्राप्त होते ही 'अमूर्त परिसंपत्तियों' के अधीन पूँजीकृत किया जाएगा। इन लाइसेंसों पर खर्च हुए उत्तरवर्ती व्यय को ऐसे व्यय खर्च हुई अवधि में राजस्व व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी।

अमूर्त परिसंपत्तियों की अस्वीकृति

एक अमूर्त परिसंपत्ति को निपटान पर या उपयोग या निपटान से कोई भविष्य आर्थिक फायदा की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, अस्वीकृत किया जाता है । एक अमूर्त संपत्ति की अस्वीकृति से उत्पन्न अभिलाभ या हानि को निवल निपटान प्राप्ति और परिसंपत्ति की राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है, परिसंपत्ति अस्वीकृत होते समय लाभ हानि में स्वीकृत किया जाता है ।

1.7 मूल्यहास/ ऋणमुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 11 के अधीन अपेक्षाओं के अनुसार पूर्ण स्वामित्ववाली भूमि और निर्माणाधीन संपत्तियों के अलावा मूर्त परिसंपत्तियों और निवेश संपत्तियों पर मूल्यहास बनाया गया है । आगे, मूल्यहास संयंत्र एवं मशीनरी के अधीन सभी परिसंपत्तियों केलिए सीधी रेखा पद्धति और अन्य परिसंपत्तियों केलिए मूल्यहास मूल्यविधि (अमूर्त परिसंपत्तियों और पट्टाधृत परिसंपत्तियों के अलावा) पर प्रभारित किया गया है ताकि कोई भी तकनीकी सलाह के आधार पर निर्धारित उपयोगी कार्यकाल के उन परिसंपत्तियों को छोडकर अधिनियम में निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी कार्यकाल पर लागत के 5% अवशेष मूल्य बनाए रखने के बाद परिसंपत्तियों की लागत को बट्टे खाते में डालना है।

मुख्य परिसंपत्तियों के संघटकों को मूल परिसंपत्तियों से प्रत्यक्ष रूप से अलग उपयोगी जीवन है तो, अलग रूप से पहचान और निर्धारित किये जाते हैं। एक घटक भौतिक या नहीं यह निर्धारित करने की सीमा रेखा के रूप में मूल परिसंपत्ति की मूल लागत की 10% को विचार किया जाता है।

जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक मद का महत्वपूर्ण भाग को विविध उपयोगी जीवन है तो उनको संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अलग मदों (प्रमुख घटक) के रूप में परिकलित किया जाता है ।

01.04.1993 से अचल परिसंपत्तियों में प्रति ₹5000/- या उससे कम लागत के परिवर्धनों को खरीदी के वर्ष की अवधि में, परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य को बनाये रखे, परिवर्धन की तारीख को ध्यान में रखे बिना पूर्णतया मूल्यहास किये जाते हैं।

उपकरण के साथ अर्जित मशीनरी पुर्जों का मूल्यहास मूल मशीनरी केलिए उपयुक्त दर व प्रणाली के प्रयोग करके किए जाते हैं। भविष्य के प्रयोग केलिए अलग रूप से प्राप्त किए मशीनरी पुर्जों के मामले में, संबंधित मशीनरी की समाप्त अवधि के लिए संचित मूल्यहास के समतुल्य दर अर्जन वर्ष में उस वर्ष के मूल्यहास के साथ चार्ज किए जाते हैं ।

अवशिष्ट मूल्यों, अनुमानित उपयोगी जीवन और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मूल्यहास/ ऋणमुक्ति की प्रणाली और अमूर्त परिसंपत्तियाँ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है, अनुमान में किसी भी परिवर्तन प्रभाव के साथ प्रत्याशित आधार पर किया जा रहा है।

1.8 पट्टा

कंपनी ने संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का उपयोग करते हुए 01 अप्रैल 2019 से सभी मौजूदा पट्टों पर इंड ए एस 116 को अपनाया है और प्रारंभिक लागू होने की तिथि पर बनाए रखे आय का संचयी समायोजन किया है। तदनुसार पिछली अवधि की जानकारी को पुनरस्थापित नहीं किया गया है।

अनुबंध की शुरुआत में कंपनी इस का आकलन करता है कि अनुबंध पट्टा है या अनुबंध में पट्टा शामिल है। यदि अनुबंध का विचार करने की ओर बदले में कुछ समय की अवधि पहचान की गई परिसंपत्तियों के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार

Trade mark / Patents are amortized over a period of 5 years

Trademark Expenses

Expenses incurred on trade mark registrations will be treated as Capital work in progress and will be capitalized under 'intangible assets' when licenses are received. Subsequent expenditure incurred on those licenses will be recognized as revenue expenses in the period in which such expenses are incurred.

De-recognition of intangible assets:

An intangible asset is derecognized on disposal, or when no future economic benefits are expected from use or disposal. Gains orlosses arising from de-recognition of an intangible asset, measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, is recognized in profit or loss when the asset is derecognized.

1.7 Depreciation/ Amortization

Depreciation on tangible assets and Investment Properties other than Freehold land and properties under construction have been made in line with the requirement under Schedule II of the Companies Act, 2013. Further depreciation has been charged on Straight line method for all assets under Plant & Machinery and written down value method for other assets (except intangible asset and leasehold assets) so as to write off the cost of the assets after retaining residual value of 5% of the cost, over the useful lives of the assets prescribed in the Act, except for those assets whose useful lives are determined based on any technical advice.

Components of main assets were identified and determined separately, if they have a useful life that is materially different from that of the principal asset. 10% of the original cost of the principal asset has been considered as threshold limit to determine whether a component is material or not.

When significant parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, they are accounted for as separate items (major components) of Property, Plant and Equipment.

Additions to Fixed Assets from 01.04.1993, costing ₹5000/- each or less are fully depreciated during the year of purchase, irrespective of the date of addition retaining the residual value of assets.

Machinery spares acquired with the equipment are depreciated using the same rates and method applicable for the original machinery. In the case of Machinery spares procured separately for future use, rate equivalent to accumulated depreciation for the expired life of the relative machinery are charged in the year of acquisition along with depreciation for the year.

The residual values, estimated useful life and method of depreciation/amortization of Property, Plant and Equipment's and Intangible assets are reviewed at the end of each reporting period, with the effect of any changes in estimate being accounted for on a prospective basis.

1.8 Leases

The company has adopted Ind AS 116 on leases w.e.f 01st April 2019 on all existing leases, using the modified retrospective method and has taken the cumulative adjustment to retained earnings on the date of initial application. Accordingly, previous period information has not been restated.

The Company assesses whether a contract is or contains a lease, at inception of a contract. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract is or contains a lease, the Company assesses whether:

The contract involves the right to control the use of an identified asset

देता है तो अनुबंध पट्टा है या अनुबंध में पट्टा शामिल है। अनुबंध पट्टा है या अनुबंध में पट्टा शामिल है, का आकलन करने के लिए, कंपनी यह आकलन करती है ।

पट्टा शुरू करने की तिथि पर कंपनी परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार (आरओयु) और सभी पट्टा व्यवस्था के लिए एक समान पट्टा देयता को पहचानती है जिसमें बारह महीने या उससे कम अवधिवाले पट्टों (अल्पावधि पट्टा) और कम मूल्य की परिसंपत्ति के पट्टों को छोडकर यह पट्टेदार है। इन अल्पावधि और कम मूल्य परिसंपत्ति के पट्टों के लिए कंपनी, पट्टे की अवधि पर सीधी रेखा के आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में पट्टे भुगतान को पहचानती है।

परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है जिसमें पट्टे की शुरूआत की तारीख को या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के अलावा किसी भी पट्टे प्रोत्साहन से कम किसी भी प्रारंभिक सीधा लागत के लिए समायोजित पट्टे की देयता की प्रारंभिक राशि शामिल है। वे यदि कोई मूल्यह्रास और खराब हानि को कम संचित लागत पर तत्पश्चात् मापा जाता है तो परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार, पट्टे की अल्पकालीन अवधि एवं अंतर्निहित परिसंपत्ति की लाभदायकता को सीधी रेखा के आधार पर प्रारंभ तिथि से मूल्यह्रास किया जाता है।

पट्टा देयता को शुरू में भविष्य के पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके या आसानी से निर्धारित नहीं किया जाता है, तो वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करते हुए छूट दी जाती है। पट्टे देयता पर ब्याज को प्रतिबिंबित करने के लिए रखाव रकम में वृद्धि करके और किए गए पट्टे के भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए रखाव रकम को कम करके पट्टा देयता को बाद में पुनः मापा जाता है।

पट्टे भुगतान का निर्धारण करने के लिए पट्टे अवधि में बदलाव या इंडेक्स या दर में बदलाव जैसी कुछ घटनाएं होने पर पट्टा देयता को पुनः मापा जाता है।

पट्टा देयता और परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार को तुलन पत्र में अलग रूप से प्रस्तुत किया जाता है और पट्टे के भुगतान को वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

1.9 गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी निर्धारण करती है कि वहाँ इसकी परिसंपत्तियों को (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियों और समनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों में लागत पर वहन किए इक्विटी उपकरणों में निवेश लागत पर की गई) उनके रखाव रकम के संदर्भ में खराब हानि की अवस्था हुई है । यदि खराब हानि का कोई संकेत विद्यमान है, रखाव रकम वसूली योग्य रकम से अधिक बन जाते हैं, ऐसी परिसंपत्तियों की वसूली योग्य रकम (यानि उच्च उचित मूल्य से निपटान की लागत और उपयोग में मूल्य कम करके) का परिकलन किया जाता है और खराब हानि की पहचान की जाती है। वसूली योग्य रकम परिसंपत्तियों के निवल विक्रय मूल्य और इसके उपयोग में मूल्य के उच्च है ।

उपयोग में मूल्य निर्धारण में अनुमानित भविष्य के नकद प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर प्रयोग करके जो उनके वर्तमान मूल्य पर कटौती की जाती है, बट्टा दर विद्यमान मार्किट धन के समय मूल्य के निर्धारण पर प्रतिबिंबित है और परिसंपत्तियों पर स्पष्ट जोखिम जिसके लिए भविष्य के नकद प्रवाह मार्किट प्राकलन समायोजित किया जाता है ।

विकास के अधीन परियोजनाओं के मामले में, भविष्य के नकदी प्रवाह परियोजना से संबंधित सबसे नवीनतम बजट या पूर्वानुमान के आधार पर अनुमानित है, वर्तमान बाज़ार स्थितियों से समायोजित किया गया है।

जब एकल वसूली योग्य रकम का प्राकलन करना असंभव होता है, तब कंपनी नकद-पैदाइश यूनिट जिसमें परिसंपत्ति संबंध रखती है , वसूली योग्य रकम का प्राकलन करती है ।

जब एक खराब हानि इस के बाद उत्क्रमण होती है, परिसंपत्ति की रखाव रकम (या नकद पैदाइश यूनिट) इसकी वसूली योग्य रकम के संशोधित प्राकलन तक बढा दिया जाता है, लेकिन वृद्धि की गई रखाव रकम, बढी हुई रखाव रकम तक नहीं बढता है,जो निर्धारित किया गया होता। जो पूर्व वर्षों में (या नकद पैदाइश यूनिट) परिसंपत्तियों के लिए स्वीकृत नहीं की गई। एक खराब हानि के उत्क्रमण लाभ या हानि में जल्दी ही पहचान की जाती है ।

The Company has right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset throughout the period of the lease and

The Company has the right to direct the use of the asset.

At the date of commencement of the lease, the Company recognises a right-of-use asset (ROU) and a corresponding lease liability for all lease arrangements in which it is a lessee, except for leases with a term of twelve months or less (short term leases) and leases of low value assets. For these short term and leases of low value assets, the Company recognises the lease payments as an operating expense on a straight line basis over the term of the lease.

The right-of-use assets are initially recognized at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or prior to the commencement date of the lease plus any initial direct costs less any lease incentives. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Right-of-use assets are depreciated from the commencement date on a straight line basis over the shorter of the lease term and useful life of the underlying asset.

The lease liability is initially measured at the present value of the future lease payments. The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease or, if not readily determinable, using the incremental borrowing rates. The lease liability is subsequently remeasured by increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability, reducing the carrying amount to reflect the lease payment made.

A lease liability is remeasured upon the occurrence of certain events such as a change in the lease term or a change in an index or rate used to determine lease payments. The remeasurement normally also adjusts the leased assets.

Lease liability and Right of use asset are separately presented in the Balance Sheet and lease payments are classified as financing cash flows.

1.9 Impairment of Non-financial assets

At the end of each reporting period, the Company assesses whether there is any indication that its assets (property, plant and equipment, intangible assets and investments in equity instruments in subsidiaries, joint ventures and associates carried at cost) have suffered an impairment loss with reference to their carrying amounts. If any indication of impairment exists, the recoverable amount (i.e. higher of the fair value less costs of disposal and value in use) of such assets is estimated and impairment is recognized, if the carrying amount exceeds the recoverable amount. Recoverable amount is the higher of the asset’s net selling price and its value in use.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

In the case of projects under development, the future cash flows are estimated based on the most recent budgets or forecasts relating to the project, adjusted to the current market conditions

When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the cash-generating unit to which the asset belongs.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-generating unit) in prior years A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss..

1.10 समनुषंगी और संयुक्त उद्यम में निवेश

कंपनी इंड एएस 27 के अनुसार लागत में समनुषंगियों, संयुक्त उद्यम और सहयोगियों की अपनी निवेशों का मूल्यांकन करती है। संक्रमण तारीख में, कंपनी ने पिछले जीएएपी के अनुसार मापित ऐसे निवेशों के रखाव मूल्य के साथ जारी रखने को चुन लिया है और इसकी समझी लागत के रूप में इस तरह के रखाव मूल्य का उपयोग करती है।

1.11 वस्तुसूची

वस्तुसूची कम लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य में कहा गया है।

कच्चे माल, भंडार, पुर्जे, उपभोक्ता साधन और व्यापार माल की लागत में खरीदियों की लागत और कर और शुल्क शामिल है और सेनवेट/वैट योजनाओं के अधीन पात्र क्रेडिट के निवल है। कार्य प्रगति और तैयार माल की लागत में प्रत्यक्ष सामग्रियाँ, प्रत्यक्ष श्रम और परिवर्तनीय और अचल खर्च के उचित अनुपात शामिल है जो एक व्यवस्थित आधार पर आबंटित किया जाता है। वस्तुसूची की लागत में अन्य संबंधित सभी लागत जो वस्तुसूचियों को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में खर्च हुए हैं।

कच्चे माल, भण्डार एवं अतिरिक्त पुर्जों के मूल्यांकन केलिए औसतन भार फार्मुला का इस्तेमाल किया जाता है। कार्य प्रगति, संक्रमण में स्थित/निरीक्षणाधीन सामग्रियों को वास्तविक प्रक्रिया लागत पर लिए जाते हैं। हर वर्ष में अप्रयुक्त ढीला औजारों को उनके उपयोगी कार्यकाल पर ध्यान रखकर पुनर्मूल्यांकित किए जाते हैं और पुनरमूल्यांकित लागत पर लिये जाते हैं। विनिर्मित तैयार माल /व्यापार केलिए खरीदे गये मालों को, जहाँ कहीं लागू है वैट/जीएसटी अधिनियमों के तहत पात्र क्रडिट के कर एवं शुल्क सहित न्यूनतम लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किये जाते हैं। स्टॉक में विनिर्मित/विक्रेय तैयार माल जिसका शेल्फ लाइफ तुलन पत्र की तारीख से 3 महीनों के अंदर समाप्त होता है, को शून्य मूल्य पर लिए जाते हैं।

सामग्रियों/ तैयार उत्पादों की मदों की धीमी गति के संबंध में यदि कोई हानि केलिए प्रावधान उपयोगिता/विपणन योग्यता के संबंध में तकनीकी राय प्राप्त करने के बाद परिकलित किया जाता है।

निवल वसूली योग्य मूल्य में वस्तुसूचियों के लिए प्राकलित विक्रय मूल्य समाप्ति की सभी प्राकलित लागत और बिक्री के लिए बनाई गयी आवश्यक लागत कम कर के प्रतिनिधान करता है।

1.12 नकद और नकद तुल्यांक

हस्तगत नकद और बैंक के साथ माँग जमा समावेशित है। नकद तुल्यांक अल्पावधि शेष के है उच्च नकदी निवेश, जो नकद की ज्ञात रकम में आसानी से परिवर्तनीय है और मूल्य में परिवर्तन नगण्य जोखिम के अधीन होते हैं।

इंड एएस 7 के अनुसार नकद प्रवाह विवरण के उद्देश्य के लिए, नकद तुल्यांक में बैंक ओवरड्राफ्ट और नकद क्रेडिट भी शामिल हैं जो माँग पर चुकाने योग्य होते हैं।

1.13 वित्तीय साधन

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

प्रारंभिक पहचान और मापन

सभी वित्तीय परिसंपत्तियाँ प्रारंभ में उचित मूल्य प्लस पर पहचान की जाती हैं, लाभ या हानि के ज़रिए उचित मूल्य पर रिकॉर्ड नहीं की गयी वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए कारण बन गए लेनदेन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों पर किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों के क्रय या बिक्री, जिसको बाज़ार स्थान (नियमित व्यापार तरीका) में विनियमन या संयोजन के द्वारा संस्थापित समय सीमा के अंतर्गत परिसंपत्तियों का वितरण अपेक्षित है, को व्यापार तारीख पर पहचान किया जाता है, यानी तारीख जो कंपनी परिसंपत्ति को खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्ध रहती है।

आगामी मापन

आगामी मापन के उद्देश्य के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियाँ श्रेणियों में वर्गीकृत की जाती हैं:

- परिशोधित लागत पर ऋण साधन।
- अन्य व्यापक आय के ज़रिए उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफ वी टी ओ सी आई)।

1.10	**Investments in Subsidiaries and Joint venture**
	The Company measures all its investments in subsidiaries, joint ventures and associates at cost in accordance with Ind AS 27. At transition date, the Company has elected to continue with the carrying value of such investments measured as per the previous GAAP and use such carrying value as its deemed cost.
1.11	**Inventories**
	Inventories are stated at lower of cost or net realisable value. Cost of raw materials, stores, spares, consumable tools and traded goods comprises cost of purchases and includes taxes and duties and is net of eligible credits under CENVAT/VAT/GST schemes. Cost of work-in-progress, and finished goods comprises direct materials, direct labour and an appropriate proportion of variable and fixed overheads, which is allocated on a systematic basis. Cost of inventories also includes all other related costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. The weighted average formula is used for the valuation of raw materials, stores and spares. Work-in-progress, materials in transit/under inspection is carried at actual process cost. Unused Loose Tools are revalued every year taking into account the useful life of the tools and carried at the revalued cost. Finished goods manufactured/goods purchased for trading are valued at lower of cost/net realizable value, including taxes and duties net of eligible credits under VAT/GST Acts, wherever applicable. Manufactured / traded finished goods in stock other than pharmaceutical products whose shelf life expires within three months from the Balance Sheet date are taken at NIL value. The provision for loss if any in respect of slow moving items of materials/finished products are accounted after obtaining the technical opinion regarding the usability/marketability. Net realisable value represents the estimated selling price for inventories less all estimated costs of completion and costs necessary to make the sale
1.12	**Cash and cash equivalents**
	Cash comprises cash on hand and demand deposits with banks. Cash equivalents are short-term balances, highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value. For the purpose of cash flow statement as per Ind AS 7, Cash Equivalents also include Bank Overdraft and Cash credit which are repayable on demand.
1.13	**Financial Instruments**
	Financial assets **Initial recognition and measurement:** All financial assets are recognized initially at fair value plus, in the case of financial assets not recorded at fair value through profit or loss, transaction costs that are attributable to the acquisition of the financial asset. Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company commits to purchase or sell the asset. **Subsequent measurement** For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories: ● Debt instruments at Amortized cost ● Debt instruments at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)

- लाभ या हानि के ज़रिए उचित मूल्य पर ऋण साधन, व्युत्पन्न और इक्विटी साधन (एफ वी टी पी एल)।
- अन्य व्यापक आय के ज़रिए उचित मूल्य पर मापित इक्विटी साधन (एफ वी टी ओ सी आई)।

परिशोधित लागत पर ऋण साधन

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरे किए जाते हैं तो कंपनी परिशोधित लागत पर एक ऋण साधन वर्गीकृत करती है।

क) परिसंपत्तियाँ एक व्यवसाय मॉडल के अंतर रखी जाती हैं, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाह को समाहरित करने के लिए परिसंपत्तियों को रखना है और

ख) परिसंपत्ति का संविदात्मक शर्तें नकद प्रवाह पर विनिर्दिष्ट तारीख पर उत्पन्न होते हैं, जो बकाया मूल नकद पर मूलधन और ब्याज का एकल भुगतान है (एस पी पी आई)।

ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियाँ बाद में प्रभावी ब्याज दर (आई आई आर) पद्धति के प्रयोग से परिशोधित लागत पर मापन की जाती हैं। परिशोधित लागत, अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत को लेकर गणना की जाती है, जो ई आई आर का अभिन्न अंग है। ई आई आर अधिग्रहण लाभ या हानि में वित्तीय आय पर शामिल किया जाता है। हानि से उत्पन्न नुक्सान लाभ या हानि में पहचान किया जाता है।

एफ वी टी ओ सी आई पर ऋण साधन

यदि निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे किए जाते हैं, तो कंपनी एफ वी टी ओ सी आई पर एक ऋण साधन वर्गीकृत करती है :

क) संविदात्मक नकद प्रवाह को समाहरित करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचते हुए दोनों व्यवसाय मॉडल के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, और

ख) परिसंपत्तियों का संविदात्मक नकद प्रवाह एस पी पी आई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफ वी टी ओ सी आई वर्ग के भीतर सम्मिलित ऋण साधन उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख तक मापन किया जाता है। उचित मूल्य गतिविधियाँ अन्य व्यापक आय (ओ सी आई) पर पहचान की जाती हैं। तथापि, कंपनी लाभ और हानि में ब्याज आय, खराब हानि एवं उत्क्रमण और विदेशी मुद्रा अभिलाभ या हानि पहचान करती है। परिसंपत्तियों की अस्वीकृति पर ओ सी आई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी अभिलाभ या हानि इक्विटी से लाभ एवं हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। एफ वी टी ओ सी आई ऋण साधन नियंत्रित करने के दौरान अर्जित ब्याज ई आई आर पद्धति के प्रयोग से ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

एफ वी टी पी एल में ऋण साधन

कंपनी सभी ऋण साधनों का जो परिशोधित लागत या एफ वी टी ओ सी आई या एफ वी टी पी एल के रूप में वर्गीकरण के लिए मानदंड पूरा नहीं करता है, वर्गीकरण करती है।

एफ वी टी पी एल वर्ग के भीतर सम्मिलित ऋण साधन, लाभ एवं हानि में पहचान किए गए सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापन किए जाते हैं।

इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में सभी इक्विटी निवेश उचित मूल्य पर मापन किया जाता है। व्यापार के लिए रखे इक्विटी साधन एफ वी टी पी एल के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। जहाँ, कंपनी ऐसे निवेशों की बिक्री पर भी ओ सी आई से लाभ एवं हानि में रकम के किसी पुनरावर्तन के बिना एफ वी ओ सी आई में इक्विटी साधनों का अपरिवर्तनीय चयन करती है, यह अन्य व्यापक आय के उचित मूल्य में अनुवर्ती परिवर्तन की पहचान करता है।

एफ वी टी पी एल वर्ग के भीतर सम्मिलित इक्विटी साधन लाभ एवं हानि में पहचान किए सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापन किए जाते हैं।

अस्वीकृति

वित्तीय परिसंपत्ति मुख्य रूप से अस्वीकृत की जाती है जब :

- Debt instruments, derivatives and equity instruments at fair value through profit or loss (FVTPL)
- Equity instruments measured at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)

Debt instruments at Amortized cost

The Company classifies a debt instrument as at Amortized cost, if both the following conditions are met:

a) The asset is held within a business model whose objective is to hold assets for collecting contractual cash flows; and

b) Contractual terms of the asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

Such financial assets are subsequently measured at Amortized cost using the effective interest rate (EIR) method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance income in the profit or loss. The losses arising from impairment are recognized in the profit or loss.

Debt instrument at FVTOCI

The Company classifies a debt instrument at FVTOCI, if both of the following criteria are met:

a) The objective of the business model is achieved both by collecting contractual cash flows and selling the financial assets, and

a) The asset's contractual cash flows represent SPPI.

Debt instruments included within the FVTOCI category are measured as at each reporting date at fair value. Fair value movements are recognized in the other comprehensive income (OCI). However, the company recognizes interest income, impairment losses and reversals and foreign exchange gain or loss in the profit and loss. On derecognition of the asset, cumulative gain or loss previously recognized in OCI is reclassified from the equity to profit and loss. Interest earned whilst holding FVTOCI debt instrument is reported as interest income using the EIR method.

Debt instrument at FVTPL

The Company classifies all debt instruments, which do not meet the criteria for categorization as at amortized cost or as FVTOCI, as at FVTPL.

Debt instruments included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in the profit and loss.

Equity investments

All equity investments in scope of Ind AS 109 are measured at fair value. Equity instruments which are held for trading are classified as at FVTPL. Where the Company makes an irrevocable election of equity instruments at FVOCI, it recognises all subsequent changes in the fair value in other comprehensive income, without any recycling of the amounts from OCI to profit and loss, even on sale of such investments.

Equity instruments included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in the profit and loss.

De recognition

A financial asset is primarily derecognized when:

- समय सीमा समाप्त हो गई परिसंपत्तियों से नकद प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार या
- कंपनी ने परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के इसके अधिकार को हस्तांतरित किया है या "पास - थ्रू" व्यवस्था के अधीन तीसरी पक्षकार को किसी प्रत्यक्ष देरी के बिना प्राप्त नकद प्रवाह को भुगतान करने के दायित्व को ग्रहण किया है और या (क) कंपनी ने पर्याप्त रूप से परिसंपत्ति के सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों को अंतरित किया है या (ख) कंपनी ने पर्याप्त रूप से परिसंपत्ति के सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों को अंतरित या बनाया रखा है, लेकिन परिसंपत्ति के नियंत्रण को अंतरित किया है।

जब कंपनी ने परिंसंपत्ति से नकद प्रवाह को प्राप्त करने के इसके अधिकार को हस्तांतरित किया है या एक "पास - थ्रू" व्यवस्था प्रारंभ की है, यह मूल्यांकन करता है कि यदि और किस सीमा तक इसने स्वामित्व के जोखिमों एवं प्रतिफल को बनाए रखा है। जब इसने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से न तो अंतरित या बनाया रखा है न परिसंपत्ति के नियंत्रण को अंतरित किया है, कंपनी इसके अनवरत भागीदारी के किस सीमा तक अंतरित परिसंपत्ति की पहचान जारी रखती है। उस मामले में कंपनी संबंधित देयता को भी पहचानती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति और संबंधित देयता को कंपनी द्वारा बनाये रखे अधिकार एवं दायित्वों के प्रतिबिंब के आधार पर मापन किया जाता है।

अंतरित परिसंपत्ति पर सतत भागीदारी को लेता है, को प्रत्याभूति के रूप में परिसंपत्ति के मूल रखाव रकम और विचार की अधिकतम रकम, जो कंपनी को चुकाने की आवश्यकता हो सकती है कि निम्न स्तर पर मापन की जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर वित्तीय निवेश, व्यापार प्राप्तियाँ, परिशोधन लागत और वित्तीय परिसंपत्तियों (या वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्तियों के दल) की ओर रखे अग्रिम और प्रतिभूति ज़मा जो अन्य व्यापक आय के ज़रिए उचित मूल्य पर मापित किया जाता है, सबूत और सूचना जो अनुचित लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध है। प्रत्याशित क्रेडिट हानियों को (ईसीएल)मूल्य निर्धारित किया जाता है और हानि भत्ताओं की पहचान की जाती है यदि प्रारंभिक स्वीकृति से वित्तीय परिसंपत्ति के क्रेडिट गुणवत्ता अधिक रूप में बिगड जाता है।

ई सी एल मूल ई आई आर में छूट दिए गए ठेका के अनुसार कंपनी को देय सभी संविदात्मक नकद प्रवाह और इकाई प्राप्त करने के लिए प्रत्याशित सभी नकद प्रवाह (यानी सभी रोकड़ कमी) के बीच का अंतर है, मूल प्रभावी ब्याज दर पर छूट दी जाती है। नकद प्रवाह की गणना करते समय, कंपनी वित्तीय साधन के प्रत्याशित जीवन काल पर वित्तीय साधन के सभी संविदात्मक काल (पूर्व भुगतान, विस्तार, कॉल और समान विकल्प सहित) और रखी हुई जमानत की बिक्री से नकद प्रवाह या संविदात्माक काल के लिए अनिवार्य अन्य क्रेडिट वृद्धि पर विचार करती है।

इस अवधि के दौरान पहचान किए ई सी एल भत्ता (या अलटाव) लाभ एवं हानि के विवरण में खर्च (या आय) के रूप में पहचान किया जाता है। यह रकम लाभ और हानि के 'अन्य खर्च' शीर्षक के अधीन प्रतिबिंबित की जाती है। विविध वित्तीय साधनों के लिए तुलन पत्र प्रस्तुतीकरण नीचे दिया जाता है।

- परिशोधित लागत, संविदात्मक राजस्व प्राप्तियाँ और पट्टा प्राप्तियों के रूप में मापित वित्तीय परिसंपत्तियाँ : ई सी एल एक भत्ते के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो निवल रखाव रकम कम करता है। जब तक परिसंपत्ति बट्टे खाते डालने का मानदंड पूरा नहीं करती है, कंपनी कुल रखाव रकम से हानी भत्ता कम नहीं करती है।
- उधार प्रतिबद्धताएँ और वित्तीय प्रत्याभूति ठेका : ई सी एल तुलन पत्र में प्रावधान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी देयता के रूप में।
- एफ वी टी ओ सी आई में मापित ऋण साधन : वित्तीय परिसंपत्तियाँ उचित मूल्य में पहले ही प्रतिबिंबित है, हानी भत्ता इसके मूल्य से आगे कम नहीं किया जाता है। बल्कि ई सी एल रकम ओ सी आई में " संचित हानि रकम" के रूप में प्रस्तुत की जाती है।

क्रेडिट जोखिम और खराब हानि में वृद्धि के मूल्यांकन करने के लिए, कंपनी एक विश्लेषण को सुगम बनाने के लक्ष्य के साथ साझा क्रेडिट जोखिम विशेषताओं के आधार पर वित्तीय साधनों को जोडती है, जो समय के आधार पर पहचान किये जाने वाले क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि को सक्षम करने के लिए तैयार किया जाता है।

वित्तीय देयताएँ

प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय देयताएँ प्रारंभिक मान्यता पर एफ वी टी पी एल पर वित्तीय देयताओं के रूप में और परिशोधित लागत पर वर्गीकृत की जाती हैं।

- The rights to receive cash flows from the asset have expired, or
- The Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if and to what extent it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Company continues to recognize the transferred asset to the extent of the Company's continuing involvement. In that case, the Company also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company could be required to repay.

Impairment of financial assets

The Company assesses at each reporting date whether a financial asset (or a group of financial assets) such as investments, trade receivables, advances and security deposits held at Amortized cost and financial assets that are measured at fair value through other comprehensive income are tested for impairment based on evidence or information that is available without undue cost or effort. Expected credit losses (ECL) are assessed and loss allowances recognized if the credit quality of the financial asset has deteriorated significantly since initial recognition.

ECL is the difference between all contractual cash flows that are due to the Company in accordance with the contract and all the cash flows that the entity expects to receive (i.e., all cash shortfalls), discounted at the original Effective Interest Rate. When estimating the cash flows, the Company considers all contractual terms of the financial instrument (including prepayment, extension, call and similar options) over the expected life of the financial instrument and Cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECL allowance (or reversal) recognized during the period is recognized as expense (or income) in the statement of profit and loss. This amount is reflected under the head 'other expenses' in the profit and loss. The balance sheet presentation for various financial instruments is described below:

- Financial assets measured as at amortized cost, contractual revenue receivables and lease receivables: ECL is presented as an allowance, which reduces the net carrying amount. Until the asset meets write-off criteria, the Company does not reduce impairment allowance from the gross carrying amount.
- Loan commitments and financial guarantee contracts: ECL is presented as a provision in the balance sheet, i.e. as a liability.
- Debt instruments measured at FVTOCI: Since financial assets are already reflected at fair value, impairment allowance is not further reduced from its value. Rather, ECL amount is presented as 'accumulated impairment amount' in the OCI.

For assessing increase in credit risk and impairment loss, the company combines financial instruments on the basis of shared credit risk characteristics with the objective of facilitating an analysis that is designed to enable significant increases in credit risk to be identified on a timely basis.

Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL and as at amortized cost.

परिशोधित लागत, अधिग्रहण पर किसी बट्टा या प्रीमियम और शुल्क या लागत को लेने के लिए आकलित की जाती है, जो ई आई आर का एक अभिन्न भाग है। ई आई आर परिशोधन लाभ और हानि के विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

सभी वित्तीय देयताएँ प्रारंभ में उचित मूल्य पर और ऋण एवं उधार और देय के मामले में, सीधे आरोप्य लेनदेन लागत के निवल पर पहचान की जाती हैं। कंपनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार एवं अन्य देय, बैंक ओवरड्राफ्ट, वित्तीय प्रतिभूति ठेका और व्युत्पन्न वित्तीय साधन सहित ऋण एवं उधार शामिल हैं।

वर्गीकरण पर आधारित वित्तीय देयताओं का मापन निम्नानुसार है :

एफ वी टी पी एल पर वित्तीय देयताएँ

एफ वी टी पी एल में वित्तीय देयताओं में लाभ या हानि के ज़रिए उचित मूल्य पर प्रारंभिक पहचान पर निर्दिष्ट व्यापार और वित्तीय देयताओं के लिए रखी वित्तीय देयताएँ शामिल हैं। यदि वित्तीय देयताएँ निकट अवधि में पुनः खरीदी के उद्देश्य के लिए खर्च की जाती है तो ये व्यापार के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। इस श्रेणी में ब्याज दर और विदेशी विनिमय दर में इसकी जोखिम प्रबंधन करने के लिए कंपनी द्वारा प्रवेशित व्युत्पन्न वित्तीय साधन भी शामिल हैं, जो भारतीय लेखांकन मानक 109 द्वारा निर्धारित बचाव संबंध में हेजिंग साधनों के रूप में निर्धारित नहीं किए गए हैं। विदेशी मुद्रा वायदा ठेके को बाज़ार के रूप में तुलन-पत्र की तारीख तक चिह्नित किया जाता है और अवास्तविक शुद्ध लाभ या और हानि विवरण में पहचान किया जाता है । जब तक अलग एम्बेडेड व्युत्पन्न को प्रभावी हेजिंग साधनों के रूप में निर्धारित नहीं किया जाता है, वे व्यापार के लिए रखे गए के रूप में भी वर्गीकृत किए जाते हैं।

व्यापार के लिए रखे देयताओं पर अभिलाभ या हानि, लाभ या हानि में पहचान किए जाते हैं।

एफ वी टी पी एल के रूप में निर्धारित देयताओं के लिए अपने क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ/हानि के उचित मूल्य ओ सी आई में पहचान किया जाता है। ये अभिलाभ/हानि बाद में लाभ और हानि के लिए स्थानांतरित नहीं किए जाते हैं। तथापि, कंपनी संचयी अभि लाभ या हानि को इक्विटी के अंतर्गत स्थानांतरित हो सकता है। ऐसी देयताओं के उचित मूल्य पर सभी अन्य परिवर्तन लाभ या हानि के विवरण में पहचान किए जाते हैं।

ऋण और उधार

प्रारंभिक पहचान के बाद, ई आई आर पद्धति का उपयोग करते हुए ऋण और उधार के ब्याज का तदनंतर परिशोधित लागत पर मापन किया जाता है। जब देयताएँ अस्वीकृत की जाती हैं और साथ ही साथ ई आई आर परिशोधन प्रक्रिया के ज़रिए, अभिलाभ या हानियाँ लाभ या हानि में पहचान की जाती हैं। अधिक जानकारी के लिए नोट 30 देखें।

वित्तीय प्रत्याभूति ठेका

कंपनी द्वारा जारी किए गए वित्तीय प्रत्याभूति ठेका वह ठेका है जो धारक को एक नुकसाान के लिए प्रतिपूर्ति किए जाने का भुगतान देना अपेक्षित है क्योंकि निर्दिष्ट ऋणधारक, ऋण साधन के शर्तों के अनुसार देय होने पर भुगतान करने को असफल होता है। वित्तीय प्रत्याभूति ठेका, प्रत्याभूति जारी करने को सीधे तौर पर आरोप्य लेन-देन लागत के लिए समायोजित उचित मूल्य पर देयता के रूप में प्रारंभ में पहचान किया जाता है। तदनंतर देयता, भारतीय लेखांकन मानक 109 की हानी के अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित उच्च हानि रकम और कम संचयी परिशोधन पर पहचान की गयी रकम पर मापा जात है।

वित्तीय देयताओं की अस्वीकृति

देयता के अधीन दायित्व पूरा करने या रद्द करने या समाप्त होने पर वित्तीय देयता अस्वीकृत की जाती है। जब एक विद्यमान वित्तीय देयता पूर्णतया विभिन्न शर्तों पर उसी विक्रेता से एक दूसरे से प्रतिस्थापित की जाती है या विद्यमान देयता की शर्तें पूर्णतया संशोधित की जाती हैं, तब ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता की अस्वीकृति और नयी देयता की स्वीकृति के रूप में माना जाता है। संबंधित रखाव रकम के अंतर लाभ या हानि के विवरण में पहचान किया जाता है।

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included as finance costs in the statement of profit and loss.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The Company's financial liabilities include trade and other payables, loans and borrowings including bank overdrafts, financial guarantee contracts and derivative financial instruments.

The measurement of financial liabilities depends on their classification, as described below:

Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at fair value through profit or loss. Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the Company to manage its exposure to interest rate and foreign exchange rate risks and are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by Ind AS 109. Foreign exchange forward contracts are marked to market as at Balance Sheet date and unrealised net gain or loss is recognized in profit and loss statement.

Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the profit or loss.

For liabilities designated as FVTPL, fair value gains/ losses attributable to changes in own credit risk are recognized in OCI. These gains/ loss are not subsequently transferred to profit and loss. However, the company may transfer the cumulative gain or loss within equity. All other changes in fair value of such liability are recognized in the statement of profit or loss.

Loans and borrowings

After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortized cost using the EIR method. Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process. For more information, refer Note 30.

Financial guarantee contracts

Financial guarantee contracts issued by the Company are those contracts that require a payment to be made to reimburse the holder for a loss it incurs because the specified debtor fails to make a payment when due in accordance with the terms of a debt instrument. Financial guarantee contracts are recognized initially as a liability at fair value, adjusted for transaction costs that are directly attributable to the issuance of the guarantee. Subsequently, the liability is measured at the higher of the amount of loss allowance determined as per impairment requirements of Ind AS 109 and the amount recognized less cumulative amortization.

De recognition of financial liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as the de recognition of the original liability and the recognition of a new liability. The difference in the respective carrying amounts is recognized in the statement of profit or loss.

अंतः स्थापित व्युत्पन्न

यदि हाइब्रिड ठेके में होस्ट सम्मिलित यानी भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे के अंदर एक वित्तीय परिसंपत्ति है तो कंपनी अंतःस्थापित व्युत्पन्न को अलग नहीं करती है। बल्कि, यह संपूर्ण हाइब्रिड ठेके को भारतीय लेखांकन मानक 109 में सम्मिलित वर्गीकरण अपेक्षाओं का प्रयोग करता है। अन्य सभी हॉस्ट ठेकाओं में अंतः स्थापित व्युत्पन्नों को अलग व्युत्पन्नों और अंतःस्थापित व्युत्पन्नों के रूप में माना जाता है और उचित मूल्य पर रिकार्ड किया जाता है यदि उनके आर्थिक विशेषताओं और जोखिम उन हॉस्ट ठेकाओं से निकटस्थ रूप से संबंध नहीं है और हॉस्ट ठेकाएँ व्यापार के लिए नहीं रखे गए हैं या लाभ या हानि के ज़रिए उचित मूल्य पर निर्धारित किए जाते हैं। प्रभावी हेजिंग साधनों के रूप में निर्धारित नहीं किए जाने तक इन अंतःस्थापित व्युत्पन्नों को लाभ या हानि में पहचान लिए उचित मूल्य पर परिवर्तन के साथ उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक पहचान पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक पहचान के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों, जो इक्विटी साधन और वित्तीय देयताएँ हैं, के लिए कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो ऋण साधन हैं, के लिए पुनर्वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है, यदि वहाँ उन परिसंपत्तियों के संचालन के लिए व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन है। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन विरल होने की उम्मीद की जाती है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन, बाहरिक या आंतरिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप व्यवसाय में परिवर्तन निर्धारित करता है, जो कंपनी के प्रचालन के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा परिवर्तन, बाहरिक पार्टियों को स्पष्ट होंगे। जब कंपनी इसके प्रचालन के लिए महत्वपूर्ण एक कार्यकलाप का निष्पादन प्रारंभ या समाप्त करती है तब व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन होता है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत करती है तो यह पुनर्वर्गीकरण की तारीख से लागू होता है जो व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन के तुरंत बाद की अगली रिपोर्टिंग अवधि के बाद का पहला दिन है। कंपनी किसी पूर्व पहचान किए अभिलाभ, हानि (खराब अभिलाभ या हानि सहित) या ब्याज को पुनः स्पष्ट नहीं करती है।

निम्नलिखित तालिका विविध पुनर्वर्गीकरण और उसको कैसे परिकलित किये जाते हैं:

क्रम सं	मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन प्रतिपादन
1	परिशोधित लागत	एफ वी टी पी एल	उचित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तारीख पर मापा जाता है। पूर्व परिशोधित लागत और उचित मूल्य के बीच का अंतर पी & एल में पहचान किया जाता है।
2	एफ वी टी पी एल	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तारीख पर उचित मूल्य इसकी नयी सकल रखाव रकम बन जाती है। नयी सकल रखाव रकम के आधार पर ई आई आर की गणना की जाती है।
3	परिशोधित लागत	एफ वी टी ओ सी आई	उचित मूल्य पुनर्वर्गीकरण तारीख पर मापन किया जाता है।पूर्व परिशोधित लागत और उचित मूल्य के अंतर ओ सी आई में पहचान किया जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ई आई आर में कोई परिवर्तन नहीं है।
4	एफ वी टी ओ सी आई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तारीख पर उचित मूल्य इसकी नयी परिशोधित लागत रखाव रकम बन जाती है। तथापि ओ सी आई में संचित अभिलाभ या हानि उचित मूल्य के प्रति समायोजित की जाती है। इसके फलस्वरूप, परिसंपत्ति का मापन किया जाता है जैसा कि यह सदा परिशोधित लागत पर मापा जाता था।
5	एफ वी टी पी एल	एफ वी टी ओ सी आई	पुनर्वर्गीकरण तारीख पर उचित मूल्य इसकी नयी रखाव रकम बन जाती है। अन्य कोई समायोजन अपेक्षित नहीं है।
6	एफ वी टी ओ सी आई	एफ वी टी पी एल	परिसंपत्तियाँ उचित मूल्य पर मापन करना जारी रखेगी। ओ सी आई में पूर्व पहचान किए गए संचित अभिलाभ या हानि पुनर्वर्गीकरण तारीख पर पी & एल में पुनर्वर्गीकृत किए जाते हैं।

एक साथ परिसंपत्तियों को प्राप्त करने और देयताओं को निपटान करने के लिए यदि वहाँ पहचान की गयी रकम को बराबर करने की ओर वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और वहाँ निवल आधार पर निपटान करने का इरादा है तो वित्तीय परिसंपत्तियाँ एवं वित्तीय देयताएँ बराबर की जाती हैं और निवल रकम तुलन पत्र में रिपोर्ट की जाती है।

Embedded derivatives

If the hybrid contract contains a host that is a financial asset within the scope of Ind AS 109, the Company does not separate embedded derivatives. Rather, it applies the classification requirements contained in Ind AS 109 to the entire hybrid contract. Derivatives embedded in all other host contracts are accounted for as separate derivatives and separate embedded derivatives. Rather, it applies the classification requirements contained in Ind AS 109 to the entire hybrid contract. Derivatives embedded in all other host contracts are accounted for as separate derivatives and recorded at fair value if their economic characteristics and risks are not closely related to those of the host contracts and the host contracts are not held for trading or designated at fair value though profit or loss. These embedded derivatives are measured at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss, unless designated as effective hedging instruments.

Reclassification of financial assets

The Company determines classification of financial assets and liabilities on initial recognition. After initial recognition, no reclassification is made for financial assets which are equity instruments and financial liabilities. For financial assets which are debt instruments, a reclassification is made only if there is a change in the business model for managing those assets. Changes to the business model are expected to be infrequent. The Company's senior management determines change in the business model as a result of external or internal changes which are significant to the Company's operations. Such changes are evident to external parties. A change in the business model occurs when the Company either begins or ceases to perform an activity that is significant to its operations. If the Company reclassifies financial assets, it applies the reclassification prospectively from the reclassification date which is the first day of the immediately next reporting period following the change in business model. The Company does not restate any previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest.

The following table shows various reclassification and how they are accounted for:

S. No	Original classification	Revised classification	Accounting treatment
1	Amortized cost	FVTPL	Fair value is measured at reclassification date. Difference between previous amortized cost and fair value is recognized in P&L.
2	FVTPL	Amortized Cost	Fair value at reclassification date becomes its new gross carrying amount. EIR is calculated based on the new gross carrying amount.
3	Amortized cost	FVTOCI	Fair value is measured at reclassification date. Difference between previous Amortized cost and fair value is recognized in OCI. No change in EIR due to reclassification.
4	FVTOCI	Amortized cost	Fair value at reclassification date becomes its new Amortized cost carrying amount. However, cumulative gain or loss in OCI is adjusted against fair value. Consequently, the asset is measured as if it had always been measured at Amortized cost.
5	FVTPL	FVTOCI	Fair value at reclassification date becomes its new carrying amount. No other adjustment is required.
6	FVTOCI	FVTPL	Assets continue to be measured at fair value. Cumulative gain or loss previously recognized in OCI is reclassified to P&L at the reclassification date.

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the balance sheet, if there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

1.14 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह अप्रत्यक्ष प्रणाली के उपयोग करके रिपोर्ट किया गया है जिसके द्वारा गैर नकदी प्रकृति के और किसी आस्थगन या गत या भविष्य कैश आवतियों के प्रोद्भवन या भुगतान के लेनदेन के प्रभाव के लिए असाधारण मदों के लाभ/(हानि) और कर समायोजित करता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्तीय प्रबंध कार्यकलापों से नकद प्रवाह लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार अलग किए जाते हैं।

1.15 राजस्व मान्यता

इंड एएस 115 - ग्राहकों के साथ ठेके से राजस्व 01 अप्रैल 2018 से प्रभावी है। इंड एएस 115 को राजस्व की आवश्यकता तब होती है जब इकाई माल या सेवाओं के नियंत्रण को एक ऐसी राशि पर ग्राहक को हस्तांतरित करती है जो उस विचार को दर्शाती है, जिसके अनुसार इकाई उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होने की अपेक्षा करती है।

प्राप्त या प्राप्त होने वाले विचार के उचित मूल्य पर राजस्व मापा जाता है।

इंड एएस 115 के कार्यान्वयन ने कंपनी की राजस्व मान्यता को काफी प्रभावित नहीं किया है।

माल की बिक्री

जब ग्राहक माल अंतरित करने के द्वारा निष्पादन दायित्व को संतुष्ट किया जाता है तब मालों की बिक्री से राजस्व की पहचान की जाती है । जब परिणामी प्राप्य की संग्रहणीयता उचित रूप से सुनिश्चित किये जाते हैं, राजस्व पहचान किया जाता है।

राजस्व तीसरे पक्षों की ओर से एकत्रित रकम का अनन्य है (उदाहरण के लिए, कर) और ग्राहक रिटर्न, बट्टा और छूट और इसी तरह के अन्य भत्तों के लिए कम किया जाता है।

सरकार (एमओएचएफडब्लियु) को बिक्री के संबंध में, मूल्य में यदि कोई संशोधन है तो अधिसूचित किये जाने तक आपूर्तियों को दर अनुबंध के अनुसार मूल्या के आधार पर बिल और हिसाब किया जाता है। बीमा दावा रसीद के आधार पर हिसाब किया जाता है।

सेवाओं का समर्पण

जब ठेका के विशिष्ट शर्तों के अनुसार सेवाएँ प्रदान की जाती हैं और परिणामिक प्राप्य की संग्रहणीयता उचित रूप से सुनिश्चित किया जाता है तब सेवाओं से राजस्व को पहचान किया जाता है ।

ठेके अनुरक्षण से राजस्व को ठेके की अवधि पर यथानुपात रूप से पहचान किया जाता है। अवसंरचना विकास प्रभाग और प्रापण परामर्श प्रभाग से संबंधित कार्यकलापों से निम्न जैसे आनुपातिक समापन विधि पर स्वीकृत किया जाता है।

क) टर्नकी ठेके के मामले में, सर्वेक्षण प्रणाली के अधीन ठेके मूल्य के लिए बिल्लिंग प्रगति के आधार पर है।

ख) अन्य ठेके के मामले में, संबंधित अभिकरणों के साथ ठेके के शर्तों के अनुसार दायित्व पूरा करने के आधार पर है।

अन्य प्रचालन राजस्व

अन्य प्रचालन राजस्वों में कंपनी के प्रचालनों से आनुषंगिक सहायक गतिविधियों से आय शामिल है और जब ठेका के शर्तों के अनुसार आय प्राप्त करने का अधिकार संस्थापित किया जाता है तब पहचान किया जाता है ।

रद्दी लैटेक्स, खाली ड्रम, अस्वीकृत उत्पादें तथा अन्य रद्दी मदों की वसूली राजस्व रोकड़ आधार पर परिकलित किए जाते हैं। अप्रचलित परिसंत्तियों/बट्टे खाते डाले गये सामग्रियों की वसूली, रोकड़ आधार पर परिकलित की जाती है ।

निर्यात बिक्री से संबंधित शुल्क वापसी /निर्यात प्रोत्साहन, निर्यात के वर्ष में परिकलित किए जाते हैं ।

1.14 Cash flow statement

Cash flows are reported using the indirect method, whereby profit / (loss) before extraordinary items and tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated based on audited financial statements

1.15 Revenue recognition

Ind AS 115 – Revenue from Contracts with customers is effective from 01st April 2018. Ind AS 115 requires revenue to be recognized when the entity transfers the control of goods or services to customer at an amount that reflects the consideration to which the entity expects to be entitled in exchange for those goods or services.

Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable.

The implementation of Ind AS 115 has not significantly impacted the revenue recognition of the company.

Sale of goods:

Revenue from the sale of goods is recognized when the performance obligation is satisfied by transferring the goods to the customer. Revenue is recognized when collectability of the resulting receivable is reasonably assured.

Revenue is exclusive of amounts collected on behalf of third parties (for eg., taxes) and is reduced for customer returns, rebates and discounts, and other similar allowances.

In respect of sales to Government (MoHFW), the supplies are billed and accounted based on the price as per the rate contract, till revision in price if any is notified. Insurance claims are accounted on receipt basis.

Rendering of services:

Revenue from services is recognized when the services are rendered in accordance with the specific terms of contract and when collectability of the resulting receivable is reasonably assured.

Revenues from maintenance contracts are recognized pro rata over the period of the contract. Revenue from Infrastructure - development division and Procurement Consultancy division related activities are recognized on proportionate completion method as follows:

a) In case of turnkey contracts, on the basis of progress billing to the contract value under survey method.

b) In the case of other contracts, on the basis of completion of obligation as per the terms of contract with the agencies concerned

Other Operating Revenues:

Other operating revenues comprise of income from ancillary activities incidental to the operations of the Company and is recognized when the right to receive the income is established as per the terms of the contract.

The revenue against realization of waste latex, empty drums, rejected products and other scrap items are accounted on cash basis. The realization in respect of obsolete assets/materials written off is accounted on cash basis.

Duty drawback/export incentive in respect of export sales are accounted in the year of export.

लाभांश और ब्याज आय

भुगतान प्राप्त करने का कंपनी के अधिकार को संस्थापित किये जाने पर निवेश से लाभांश आय को पहचान किया जाता है (बशर्ते कि यह संभावित है कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा और आय की रकम विश्वसनीय तरीके से मापी जा सकती है) ।

प्रमुख बकाया और लागू प्रभावी व्याज दर के संदर्भ द्वारा ब्याज आय, समय के आधार पर उपार्जित किया जाता है । (बशर्ते है कि यह संभावित है कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा और आय की रकम विश्वसनीय तरीके से मापी जा सकती है)।

1.16 **अन्य आय**

बीजक में निर्धारित जैसे व्यापार देनदारों से देरी से की गई वसूली के लिए यदि कोई ब्याज आय है तो की पहचान नहीं की गयी है तो, प्राप्त होने पर वसूल किया जाएगा। उपर्युक्त के अलावा आय प्रोद्‌भवन आधार पर परिकलित किए जाते हैं।

1.17 **विदेशी मुद्रा लेन-देन और अंतरण**

कंपनी के वित्तीय विवरण इंडियन रुपए (₹) में प्रस्तुत किया जाता है, जो इसके के कार्यात्मक मुद्रा भी है।

विदेशी विनिमय में लेन-देन, लेन-देन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर में परिकलित किए जाते हैं । विदेशी मुद्रा अर्जन/देय तुलन पत्र तारीख की विनिमय दर पर बदल दिए जाते हैं । इस बदली से होने वाले लाभ या नष्ट, जब तक अन्यथा न कहा जाय, यह लाभ-हानि विवरण में समायोजित किए जाते हैं ।

विनिमय अंतर व्यवहार

दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के अंतरण या व्यवस्थापन पर विनिमय अंतर (अर्थात, जिसका व्यवस्थापन की अवधि उसके प्रारंभ की तारीख से बारह महीने से अधिक है), जो पिछले वित्तीय विवरणियों में पहले ही रिकोर्ड किए गए या रिपोर्ट किए से अलग हैं, जहाँ तक कि यह दिनांक 31.3.2009 और 29.02.2011 के भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार परिसंपत्तियों की लागत के लिए समायोजित किए गए मूल्यह्रास करने योग्य परिसंपत्तियों से संबंधित है और परिसंपत्तियों के शेष काल परिशोधित किया जाएगा ।

1.18 **सरकारी अनुदान**

सरकारी अनुदान (निर्यात प्रोत्साहन सहित) तभी स्वीकृत किया जाता है जब उचित आश्वासन मिलता है कि कंपनी उनके साथ संबंद्ध शर्तों का अनुपालन करेगी और अनुदान प्राप्त होंगे।

राजस्व मदों के स्वरूप में सरकारी अनुदान को एक अवधि में व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि के विवरणों में स्वीकृत किया जाता है, जिसमें कंपनी संबंधित लागतों को खर्च के रूप में मानी जाती है जिसके लिए अनुदान की क्षतिपूर्ति करने का इरादा है।

बिक्रियों से संबंधित राजस्व अनुदान/इमदाद (उत्पाद इमदाद के अलावा) को अन्य आय के अधीन अलग रूप से प्रकट किए जाते हैं जब कि उत्पाद इमदाद को बिक्री और सेवाओं के अधीन प्रकट किए जाते हैं।

मूल्यह्रास परिसंपत्ति के प्रति अनुदान के संबंध में परिसंपत्ति की लागत को सकल मूल्य पर दर्शाया जाता है और उस पर अनुदान को पूँजी अनुदान के रूप में माना जाता है, जिसको उस अवधि पर मूल्यह्रास चार्ज किए अनुपात में लाभ या हानि विवरण में आय के रूप में पहचान किया जाता है ।

जब कंपनी को गैर मौद्रिक परिसंपत्ति का अनुदान प्राप्त होता है, परिसंपत्ति और अनुदान उचित मूल्य में अभिलेखित हैं और अंतर्निहित परिसंपत्ति के हितलाभ के उपभोग के रूप में अपेक्षित उपयोगी जीवन पर लाभ या हानि में जारी किया जाता है।

1.19 **कर्मचारी फायदे**

सेवानिवृत्ति लाभ लागत और समाप्ति लाभ;

निर्धारित लाभ योजना:

निर्धारित लाभ योजनाओं के लिए यानी उपदान और अवकाश भुनाना लाभ प्रदान करने की लागत प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर किये जा रहे बीमांकिक मूल्यांकन के साथ अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए निर्धारित की जाती है ।

	Dividend and Interest Income: Dividend income from investments is recognized when the Company's right to receive payment has been established (provided that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the amount of income can be measured reliably). Interest income is accrued on a time basis, by reference to the principal outstanding and at the effective interest rate applicable (provided that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the amount of income can be measured reliably)
1.16	**Other Income**
	Interest income if any for delayed realization from Trade debtors as stipulated in invoices is not recognized, unless realized. Income other than the above are accounted on accrual basis.
1.17	**Foreign currency transactions and translations**
	The company's financial statements are presented in Indian Rupee (₹), which is also its functional currency Transactions in foreign exchange are accounted for at the exchange rates prevailing on the date of transactions. Foreign currency receivables/payables are translated at the exchange rates as on the Balance Sheet date. Gain or losses arising out of such transactions are adjusted to the statement of Profit and Loss unless otherwise stated. **Treatment of exchange differences** Exchange differences on translation or settlement of long term foreign currency monetary items (i.e., whose term of settlement exceeds twelve months from the date of its origination) at rates different from those at which they were initially recorded or reported in the previous financial statements, in so far as it relates to acquisition of depreciable assets are adjusted to the cost of the assets as per GOI notification dated 31.03.2009 and 29.12.2011 and this will be amortized over the remaining life of the Asset
1.18	**Government grants**
	Government grants (including export incentives) are recognized only when there is reasonable assurance that the Company will comply with the conditions attaching to them and the grants will be received. Government grants in the nature of revenue items are recognized in the statement of profit or loss on a systematic basis over the periods in which the Company recognises as expenses the related costs for which the grants are intended to compensate. Revenue grants/subsidy (other than product subsidy) relating to sales are disclosed separately under other operating revenues, whereas product subsidy is disclosed under sales and services. In respect of grants against depreciable asset, the cost of the asset is shown at gross value and grant thereon is treated as capital grant, which are recognized as income in the statement of profit or loss over the period and the proportion in which depreciation is charged When the company received grant of non-monetary assets, the asset and the grant are recorded at fair value and released to profit or loss over the expected useful life in a pattern of consumption of the benefit of the underlying asset
1.19	**Employee benefits**
	Retirement benefit costs and termination benefits: Defined Benefit plans: For the defined benefit plans i.e. Gratuity and Leave encashment, the cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Defined benefit costs

निर्धारित लाभ लागत

- सेवा लागत(चालू सेवा लागत, गत सेवा लागत और कोई बीमांकिक अभिलाभ या हानि शामिल हैं)
- निवल ब्याज खर्च या आय
- पुनःमापन

सेवा लगात और निवल ब्याज खर्च या आय, लाभ और हानि के विवरण में प्रतिबिंबित किया जाता है । निवल निर्धारित लाभ देयता/परिसंपत्ति के पुनः मापन में बीमांकिक अभिलाभ या हानि शामिल हैं और उस अवधि, जहाँ यह घटित होता है, के अन्य व्यापक आय के ज़रिए जल्दी ही पहचान की जाती है । अन्य व्यापक आय में पहचान किये पुनःमापन प्रतिधारित अर्जन में जल्दी ही प्रकट किया जाता है और लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

निर्धारित अंशदान योजना :

निर्धारित अंशदान योजनाओं, यानि भविष्यनिधि, अधिवर्षिता निधि, कर्मचारी राज्य बीमा और आय निधियों केलिए कंपनी का अंशदान, केलिए भुगतान संगत विधियों के अधीन की योजनाओं के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं और भारग्रहण की अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण केलिए चार्ज किया जाता है जब सेवायें कर्मचारियों द्वारा समर्पित की जाती हैं।

निर्धारित अंशदान योजना में कंपनी ने 9-10-2012 को कंपनी रॉल पर रहे स्थायी कर्मचारियों के लिए 1-4-2011 से प्रभावित अंशदायी पेंसन योजना भी शामिल हैं। कंपनी कर्मचारियों से बराबरी अंशदान मूल वेतन एवं डी ए के 3% के साथ योगदान करेगी। पेंशन योजना जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंध किया जाता है।

अल्पकालिक और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

देयता, उस सेवा के बदले में लाभ की बेदाग राशि भुगतान करने की प्रतीक्षा में संबंधित सेवायें समर्पित करने की अवधि के वेतन, मज़दूरी, निष्पादन प्रोत्साहन, चिकित्सा लाभ और अन्य अल्पकालीन लाभों के संबंध में कर्मचारियों को उपार्जित करने के लाभ केलिए पहचान की जाती है।

अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों के संबंध में पहचान की गयी देयतायें रिपोर्टिंग तारीख तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं के संबंध में कंपनी द्वारा दिये जाने केलिए प्रत्यशित भविष्य के अनुमानित नकद बहिर्वाह के विद्यमान मूल्य पर मापन की जाती है।

सेवा समाप्ति लाभ :

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पद्धति के अधीन किए गए भुगतान भारग्रहण पर लाभ और हानि की ओर प्रभारित किए गए हैं।

1.20 उधार लागत

उधार लागत प्रतिबंध परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के सीधे तौर पर आरोप्य है, उन परिसंपत्तियों की लागत पर जोडी जाती है,परिसंपत्तियाँ वे हैं कि जो उनके उद्दिष्ट उपयोग या बिक्री केलिए तैयार होने को समय की पर्याप्त अवधि अनिवार्य रूप से लेती है, परिसंपत्तियाँ उस समय तक उनके उद्दिष्ट उपयोग या बिक्री के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हैं।

परिसंपत्तियों/परिसंपत्तियों के ग्रूप के अर्जन के लिए विशेष रूप से लिए ऋण पर ब्याज परिसंपत्ति मूल्य के आधार पर संबंधित परिसंपत्तियों पर आनुपातिक रूप से आबंटित किए जाते हैं।

सभी अन्य उधार लागत उस अवधि जिसमें उनका खर्च किए गए हैं में लाभ या हानि में पहचान की जाती है ।

1.21 खण्ड रिपोर्टिंग

कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 108 के अनुसार उत्पादों की प्रकृति, जोखिम, वापस माल और आंतरिक व्यापार रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर खण्ड रिपोर्टिंग के लिए रिपोर्ट करने योग्य खंड के पहचान किया है। व्यापार प्रभागों को मुख्य रूप से गर्भनिरोधक, स्वास्थ्य रक्षा, अस्पताल, फार्मा, परियोजनाएं & सेवाएं में बांटा गया है। द्वितीय खंड, ग्राहकों का भौगोलिक

- Service Costs (comprising of Current service Cost, Past service cost and any actuarial gain or loss)
- Net Interest expense or Income
- Re-measurement

Service costs and net interest expense or income is reflected in the Statement of Profit and Loss. Re-measurement of net defined benefit liability/asset comprises of Actuarial Gain or Loss and are recognized immediately through Other Comprehensive Income in the period in which they occur. Re-measurement recognized in other comprehensive income is reflected immediately in retained earnings and is not reclassified to profit or loss

Defined Contribution Plan:

Payments to defined contribution plans i.e., Company's contribution to provident fund, superannuation fund, Employee State Insurance and other funds are determined based on the schemes under the relevant statutes and charged to the Statement of Profit and Loss in the period of incurrence when the services are rendered by the employees

Defined contribution plan also includes the Contributory pension scheme effective from 1-4-2011 for the permanent employees who are on the rolls of the company as on 9-10-2012. Company contributes 3% of basic plus DA with a matching contribution from employees as per the pension scheme. The pension scheme is managed by LIC of India.

Short-term and other long-term employee benefits:

A liability is recognized for benefits accruing to employees in respect of salaries, wages, performance incentives, medical benefits and other short term benefits in the period the related service is rendered, at the undiscounted amount of the benefits expected to be paid in exchange for that service.

Liabilities recognized in respect of other long-term employee benefits are measured at the present value of the estimated future cash outflows expected to be made by the Company in respect of services provided by employees up to the reporting date.

Termination Benefits:

Payments made under Voluntary Retirement Scheme are charged to Statement of Profit and Loss on incurrence.

1.20 Borrowing costs

The borrowing cost directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time the assets are substantially ready for their intended use or sale.

Interest on loan taken specifically for acquiring assets/group of assets, are proportionately allocated to respective assets based on asset value.

All other borrowing costs are recognized in profit or loss in the period in which they are incurred

1.21 Segment reporting

The Company has identified its reportable segments for Segment Reporting based on the nature of Products, risks, returns and the internal business reporting system in accordance with Ind AS 108. The Business divisions are primarily divided into Contraceptives, Healthcare, Hospital, Pharma, Projects & Services. The secondary segment is the geographical location of customers The following specific policies have been followed for Segment Reporting.

स्थान है। निम्नलिखित विनिर्दिष्ट लेखा नीतियाँ, खंड रिपोर्टिंग केलिए पालन की गयी हैं :

खंड राजस्व में अन्तर खंड राजस्व सहित खंड केलिए सीधे अभिज्ञेय/विनियोज्य बिक्री एवं अन्य आय शामिल है ।

खंड परिणाम निश्चित करने के लिए सीधे अभिज्ञेय/विनियोज्य खर्च खण्डों पर विचार किए जाते हैं। पूर्ण रूप से कंपनी से संबंधित खर्च और खंडों को अविनियोज्य खर्चों को 'अविनिधानीय व्यय' के अधीन शामिल किए जाते हैं ।

कंपनी के पूर्ण रूप से संबंधित खण्डों केलिए अविनियोज्य आय को और 'अविनिधानीय आय' के अधीन शामिल किए जाते हैं ।

खण्ड परिसंपत्तियों और देयताओं में संबंधित खण्डों के साथ सीधे अभिज्ञेय शामिल हैं। अविनिधानीय कंपनी परिसंपत्तियों एवं देयतायें कंपनी को पूर्ण रूप से संबंधित संपत्तियों और देयताओं के प्रतिनिधित्व करते हैं और कियी भी खंड के लिए विनियोज्य नहीं है।

1.22 आय कर

आय कर खर्च, वर्तमान में देय कर और आस्थगित कर के योग को दर्शाता है। चालू और आस्थगित कर, लाभ या हानी में पहचान किये जाते हैं जब इससे संबंधित मद अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में पहचान किये जाते हैं, उस अवसर पर चालू और आस्थगित कर क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी पहचान किये जाते हैं।

चालू कर :

चालू कर, अन्य उपयुक्त कर कानून, जो अधिनियमित या काफी अधिनियमित किया गया है, सहित आय कर अधिनियम 1961 के प्रावधानों केलिए उपयुक्त कर दरों और प्रावधानों के अनुसार कर को प्रभार्य वर्ष केलिए कर योग्य लाभ पर निर्धारित किया जाता है।

आस्थागित कर :

आस्थगित कर, वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों एवं देयताओं के रखाव रकम और कर योग्य लाभ के अभिकलन में प्रयुक्त तदनुरूप कर आधार के बीच अल्पकालिक अंतर पर पहचान किया जाता है।आस्थगित कर देयताएँ सामान्तया सभी कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए पहचान की जाती हैं।आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ सामान्यतया सभी कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए उस सीमा तक पहचान की जाती हैं कि यह संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध हो जाएगा जिस के प्रति उन घटाया अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। यदि लेन - देन में परिसंपत्तियों और देयताओं के प्रारंभिक पहचान (व्यवसाय संयोग के अतिरिक्त) से अस्थायी अंतर उद्भूत होता है, तो ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ और देयतायें पहचान नहीं की जाती है, यह ना तो कर योग्य लाभ या न ही लेखांकन लाभ को प्रभावित करता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ और देयताएँ,अप्रयुक्त कर हानियों को अग्रनीत करने के लिए उस सीमा तक पहचान की जाती हैं कि यह संभावित है कि भविष्य के कर योग्य लाभ उपलब्ध हो जाएगा जिस के प्रति अप्रयुक्त कर हानियाँ और अप्रयुक्त कर क्रेडिट उपयोग किया जा सकता है। इसकी समाप्ति के पहले उपयोग किया जा सकता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की रखाव रकम की समीक्षा की जाती है और उस सीमा तक कम की जाती है कि यह अब संभव नहीं है कि परिसंपत्तियों के सभी या आंशिक भाग की वसूली करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध किये जायेंगे।

आस्थगित कर देयताएँ और परिसंपत्तियाँ कर दर पर मापी गयी हैं, जो अवधि में लागू होने की प्रत्याशा है, जहाँ कर दरों (और कर कानून) के आधार पर देयता की व्यवस्थिति की जाती है या परिसंपत्तियाँ प्राप्त की जाती हैं, जो रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर अधिनियमित या वास्तवित रूप से अधिनियमित की जाती हैं।

आस्थगित कर देयताओं और परिसंपत्तियों का मापन, कर परिणामों को दर्शाता है, जो इस तरीके से पालन करेगा, जिसमें रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर, कंपनी अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं की रखाव रकम को वसूली करने या निपटाने की प्रत्याशा की जाती है।

1.23 अनुसंधान एवं विकास व्यय

अनुसंधान लागत व्यय किए जैसे खर्च किया जाता है। एकल परियोजना पर विकास खर्च को जब कंपनी प्रदर्शित कर सकती है, विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में पहचान किया जाता है।

Segment revenue includes sales and other income directly identifiable with/allocable to the segment, including inter segment revenue.

Expenses that are directly identifiable with/allocable to segments are considered for determining the segment results. Expenses which relate to the company as a whole and not allocable to segments are included under “Unallocable expenditure”.

Income which relates to the company as a whole and not allocable to segments is included in “Unallocable Income”.

Segment assets and liabilities include those directly identifiable with the respective segments. Unallocable Corporate assets and liabilities represent the assets and liabilities that relate to the company as a whole and not allocable to any segment.

1.22 Income Taxes

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax. Current and deferred tax are recognized in profit or loss, except when they relate to items that are recognized in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the current and deferred tax are also recognized in other comprehensive income or directly in equity respectively.

Current tax:

Current tax is determined on taxable profits for the year chargeable to tax in accordance with the applicable tax rates and the provisions of the Income Tax Act, 1961 including other applicable tax laws that have been enacted or substantively enacted.

Deferred Tax:

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilised. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary difference arises from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit.

Deferred tax asset is recognized for the carry forward of unused tax losses to the extent of Deferred tax liability considering a prudential approach and unused tax credits (MAT Credit) to the extent it is probable that future taxable profit will be available against which it can be utilised before its expiry.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Deferred tax liabilities and assets are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realised, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax liabilities and assets reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities

1.23 Research and development expenses

Research costs are expensed as incurred. Development expenditures on an individual project are recognized as an Intangible Assets under Development, when the Company can demonstrate:

- अमूर्त परिसंपत्ति को पूरा करने की तकनीकी व्यवहार्यता जो कि परिसंपत्ति उपयोग या बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगी।
- पूरा करने का इसका इरादा और परिसंपत्ति को उपयोग करने या बेचने का इसकी क्षमता एवं इरादा।
- परिसंपत्ति कैसे भविष्य के आर्थिक लाभ उत्पन्न करेगी।
- परिसंपत्ति को पूरा करने के लिए संसाधन की उपलब्धता ।
- विकास के दौरान के खर्च को विश्वसनीय तरीके से मापने की क्षमता।

परिसंपत्ति के रूप में, विकास खर्च के प्रारंभिक स्वीकृति के बाद, परिसंपत्ति, किसी कम संचित ऋणमुक्ति और संचित हानि नुकसान लागत पर कार्यान्वित की जाती है। जब विकास पूरा होता है और परिसंपत्ति उपयोग्य के लिए उपलब्ध है तब परिसंपत्तियों का परिशोधन प्रारंभ होता है। यह भविष्य के प्रत्याशित लाभ की अवधि पर परिशोधित की जाती है। परिशोधन खर्च लाभ और हानि के विवरण में पहचान किया जाता है जब तक ऐसा खर्च अन्य परिसंपत्ति के रखाव मूल्य का भाग बनता है।

विकास की अवधि के दौरान, परिसंपत्तियों को वार्षिक रूप से हानि के लिए जाँच की जाती है, और नुक्सान हानि को तत्काल लाभ और हानि में स्वीकृत किया जाता है।

1.24 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

गत घटना के परिणामस्वरूप जब कंपनी को विद्यमान दायित्व है (विधिक या निर्माणात्मक), प्रावधानों को पहचान किया जाता है, यह संभावित है कि कंपनी को दायित्व का निपटान करना अपेक्षित होगा और दायित्व की रकम का एक विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है।

दायित्वों के आसपास के जोखिमों एवं अनिश्चितताओं को लेकर, रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर, विद्यमान दायित्वों को निपटाने के लिए अपेक्षित विचार का उत्तम आकलन है, प्रावधान के रूप में पहचान की गयी रकम ।

विद्यमान दायित्व व्यवस्थापित करने के लिए प्राकलित नकद प्रवाह उपयोग करके प्रावधान मापा जाता है तब इस रखाव रकम उन नकद प्रवाहों के वर्तमान मूल्य है । (उस समय के प्रभाव से धन का मूल्य महत्वपूर्ण है।)

प्रावधानों (सेवानिवृत्ति लाभों को छोडकर) को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती है और यह तुलन पत्र तारीख में दायित्व को निपटान करने के लिए अपेक्षित उच्चतम आकलन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इनको प्रत्येक तुलन-पत्र तारीख में समीक्षा की जाती हैं और वर्तमान उच्चतम आकलन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ वित्तीय विवरण में नहीं पहचान की गयी हैं, इसलिए इस रकम कभी भी वसूल नहीं किये जाने वाले आय की स्वीकृति में परिणत होगी। तथापि, जब रकम की प्राप्ति वास्तव में निश्चित है तब संबंधित परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ती नहीं है और पहचान की जाती है।

1.25 पूर्व प्रदत्त खर्च

प्रति ₹10000/- तथा उससे कम वाले मदों के पूर्व प्रदत्त खर्च राजस्व की ओर प्रभारित किए गए हैं।

- the technical feasibility of completing the intangible asset so that the asset will be available for use or sale
- its intention to complete and its ability and intention to use or sell the asset
- how the asset will generate future economic benefits
- the availability of resources to complete the asset
- the ability to measure reliably the expenditure during development

Following initial recognition of the development expenditure as an asset, the asset is carried at cost less any accumulated amortization and accumulated impairment losses. Amortization of the asset begins when development is complete and the asset is available for use. It is Amortized over the period of expected future benefit. Amortization expense is recognized in the statement of profit and loss unless such expenditure forms part of carrying value of another asset.

During the period of development, the asset is tested for impairment annually and impairment loss is recognized immediately in the statement of profit and loss.

1.24 Provisions, Contingent Liabilities& Contingent Assets

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of past events and it is probable that the company will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation.

When a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows (when the effect of the time value of money is material).

Provisions (excluding retirement benefits) are not discounted to their present value and are determined based on the best estimate required to settle the obligation at the Balance Sheet date. These are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current best estimates.

Contingent assets are not generally recognized in the financial statements, since this may result in the recognition of income that may never be realised. Contingent assets, whose realization of income is virtually certain, are disclosed separately. However, when the realisation of income is virtually certain, then the related asset is not a contingent asset and is recognized.

Contingent liability is a possible obligation arising from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Company or a present obligation that arises from past events but is not recognized because it is not possible that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligations or reliable estimate of the amount of the obligations cannot be made. Contingent liabilities are disclosed on the basis of judgment of the management/independent experts and reviewed at each Balance Sheet date to reflect the current management estimate.

1.25 Prepaid Expenses

Prepaid expenses of items of ₹10000/- each and below are charged off to the revenue.

1.26 बिक्री के लिए रखी गई गैर चालू परिसंपत्तियाँ

गैर चालू परिसंपत्तियों या निपटान ग्रूप को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उनकी अग्रणीत राशि मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के बजाय मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी। इस शर्त को तभी पूरा माना जाता है जब संपत्ति अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो केवल ऐसी शर्तों के अधीन जो ऐसी संपत्ति की बिक्री के लिए सामान्यच और प्रथागत हो और इसकी बिक्री अत्यधिक संभावित हो।

बिक्री के लिए धारित वर्गीकृत गैर चालू परिसंपत्तियाँ या निपटान ग्रूप इनके रखाव रकम के नयूनतम पर मापा जाता है और बेचने केलिए उचित मूल्य के कम लागत न्यूनतम से और तुलन पत्र में अलग रूप में प्रकट किया जाता है।

बिक्री के लिए रखे के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से संबंधित देयताएं तुलन पत्र में अलग से आकलन और प्रकट किया गया है।

ख महत्वपूर्ण लोखांकन निर्णय और अनुमान अनिश्चितता के मुख्य श्रोत

क इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने केलिए प्रबंधन को निर्णय, आकलन और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और देयताओं की रकम (प्रासंगिक देयताओं सहित) और रिपोर्ट किए गए आय और व्यय पर प्रभावित करते हैं।

निर्णय, आकलन और संबंधित धारणाएँ, ऐतिहासिक अनुभव और प्रासंगिक मानी जानेवाली अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के प्रभाव के आकलन सहित अन्य घटकों पर आधारित होती है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित है। इन अनुमानों में परिवर्तन के कारण भविष्य के परिणाम भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों के बीच के अंतर को उन अवधियों में पहचाना जाता है जिनमें परिणाम ज्ञात/भौतिक होते हैं।

ख **पट्टाधृत भूमि के मामले में पट्टा वर्गीकरण**

कंपनी ने संयंत्र, सुविधाएं और कार्यालयों को संस्थापित करने के उद्देश्य केलिए सरकार से भूमि प्राप्त की है। जहाँ कहाँ भी न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य पट्टे पर परिसंपत्ति के काफी बराबर है, ऐसे पट्टों को वित्त पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

वित्त पट्टा मानदंडों को पूरा नहीं करने वालों को परिचालन पट्टे के अधीन वर्गीकृत किया जाता है।

ग **प्रासंगिक व्यय**

कानूनी, ठेकादार, भूमि पहूँच और अन्य दावाएं सहित कंपनी के खिलाफ दावों के संबंध में सामान्य व्यवसाय के दौरान सामान्य तरीके से प्रासंगिक देयताएं उत्पन्न हो सकती है। उनकी प्रकृति से, आकस्मिक व्यय का समाधान किया जाएगा । जब एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाएं होती हैं, या होने में विफल हो जाता है। अस्तित्व का मूल्यांकन और आकस्मिक व्यय के संभावित मात्रा महत्व पूर्णनिर्णय और भविष्य घटनाओं के परिणाम के संबंध में आकलनों के प्रयोग स्वाभाविक रूप से शामिल है।

घ **आकलन और पूर्वानुमान**

रिपोर्टिंग तारीख में भविष्य संबंधी महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों और अनिश्चितता आकलन के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत, अगले वित्तीय वर्ष के अंतर्गत परिसंपत्तियों और देयताओं के रखाव रकम को प्रत्यक्ष समायोजन को कारण बनने का एक महत्वपूर्ण जोखिम है, ये नीचे वर्णित हैं। भविष्य के विकास के संबंध में विद्यमान स्थिति और पूर्वानुमान जैसे भी हो, बाज़ार के परिवर्तन या कंपनी के नियंत्रण से परे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं। इस प्रकार के परिवर्तन होने पर मान्यताओं में परिलक्षित होते हैं।

निर्धारित हितलाभ योजना/अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ

निर्धारित हितलाभ योजना और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ योजनाओं की लागत बीमांकिक मूल्यांकन उपयोग करके निर्धारित की जाती है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएं बनाने में शामिल हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो। इन में छूट दर, भविष्य की वेतन की वृद्धियाँ और मृत्यु दर का निर्धारण समाविष्ट हैं।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में जुडे जटिलता के कारण, एक निर्धारित लाभ दायित्व इन धारणाओं में परिवर्तन करना अत्यधिक भावुक है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में सभी धारणाएं समीक्षा की जाती हैं।

परिवर्तन के अधीन सबसे अघिक पैरामीटर छूट दर है। प्रबंधन विभिन्न परियोजनाओं के प्रत्याशित निपटान अवधि के आधार पर सरकारी प्रतिभूतियों की ब्याज दरों पर विचार करता है।

1.26	**Non-current assets held for sale**
	Non-current assets or disposal groups are classified as held for sale if their carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use. This condition is regarded as met only when the asset is available for immediate sale in its present condition subject only to terms that are usual and customary for sales of such asset and its sale is highly probable. Non-current assets and disposal groups classified as held for sale are measured at the lower of their carrying amount and fair value less costs to sell and disclosed separately in balance sheet. Liabilities associated with assets classified as held for sale are estimated and disclosed separately in the balance sheet.
1B	**Critical accounting judgments and key sources of estimation uncertainty**
a	The preparation of the financial statements in conformity with IndAS , requires the Management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) and the reported income and expenses during the year. The judgements, estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors including estimation of effects of uncertain future events that are considered to be relevant. The Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ due to changes in these estimates and the difference between the actual results and the estimates are recognized in the periods in which the results are known / materialized
b	**Lease classification in the case of Leasehold land** The company has obtained land from the Government for the purpose of setting up plant, facilities and offices. Wherever the present value of minimum lease payments is substantially equal to the leased asset, such leases are classified as finance lease. Leases not meeting the finance lease criteria are classified under operating leases.
c	**Contingencies** Contingent liabilities may arise from the ordinary course of business in relation to claims against the Company, including legal, contractor, land access and other claims. By their nature, contingencies will be resolved only when one or more uncertain future events occur or fail to occur. The assessment of the existence, and potential quantum, of contingencies inherently involves the exercise of significant judgement and the use of estimates regarding the outcome of future events
d	**Estimates and Assumptions** The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are described below. Existing circumstances and assumptions about future developments, however, may change due to market changes or circumstances arising that are beyond the control of the company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur. **Defined benefit plans / Other Long term employee benefits** The cost of the defined benefit plans and other long term employee benefit plans are determined using actuarial valuations. An actuarial valuation involves making various assumptions that may differ from actual developments in the future. These include the determination of the discount rate, future salary increases and mortality rates. Due to the complexities involved in the valuation and its long-term nature, a defined benefit obligation is highly sensitive to changes in these assumptions. All assumptions are reviewed at each reporting date. The parameter most subject to change is the discount rate. The management considers the interest rates of government securities based on expected settlement period of various plans.

वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्यों को जब तुलन पत्र में रिकॉर्ड किए जाते हैं, सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत मूल्य के आधार पर मापन नहीं किया जा सकता है, उनके उचित मूल्य स्तर -2, स्तर -3 इनपुटो के आधार पर रियायती नकद प्रवाह (डीसीएफ) मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापन किया जाता है। इन मॉडलों के इनपुट्स जहाँ संभव हो निरीक्षण बाज़ारों से लिया जाता है, लेकिन जहाँ यह संभव नहीं है, तो उचित मूल्यों को संस्थापित करने के लिए अपने विवेक के अनुसार एक निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णय में मूल्य आकलन, मात्रा आकलन, दर आकलन आदि जैसे इनपुटों के विचार शामिल हैं। इन घटकों के बारे में धारणाओं में परिवर्तन वित्तीय साधनों की रिपोर्ट किए गये उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की असमर्थता

व्यापार प्राप्यों केलिए खराब हनि प्रावधान, अदायगी न करना और अपेक्षित हानि दर के जोखिम के बारे में धारणाओं पर आधारित हैं। कंपनी इन पूर्वानुमानों को बनाने और कंपनी के विगत इतिहास के आधार पर खराब हानि की गणना केलिए इनपुट और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अन्य घटकों के चयन करने के लिए निर्णय का उपयोग करती है।

2 अतिरिक्त प्रकटीकरण / स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणियाँ

2.1 प्रति शेयर अर्जन

मूल एवं हल्का ईपीएस रकम वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के द्वारा मूल के इक्विटी धारकों को देने की ओर वर्ष के लिए लाभ को विभाजित करके गणना की जाती है।

प्रति शेयर मूल एवं हल्का अर्जन*	31-03-2021	31-03-2020
निवल लाभ का अंश ₹लाखों में		
लाभ व हानि के विवरण के अनुसार कर के बाद लाभ	11233.00	11048.53
डिनोमिनेटर- अवधि के दौरान बकाए साम्या शेयरों के औसतन संख्या	15535000	15535000
शेयरों की संख्या- मूल & हल्का	15535000	15535000
अर्जन प्रति शेयर (₹)		
मूल (प्रति शेयर ₹10/-का अंकित मूल्य)	72.31	71.12
हल्का(प्रति शेयर ₹10/-का अंकित मूल्य)	72.31	71.12

2.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास [एम एस एम ई डी] अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण नीचे जैसे हैं :

(₹ लाखों में)

क्र.सं.		31.03.2021	31.03.2020
(क)	वर्षांत में अप्रदत्त शेष मूल राशि	1123.73	2004.56
(ख)	वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे प्रदत्त मूल राशि का विलंबित भुगतान	शून्य	शून्य
(ग)	एम एस एम ई डी अधिनियम की धारा 16 के अधीन प्रदत्त वास्तविक ब्याज	शून्य	शून्य
(घ)	सहमत शर्तों के अनुसार सभी विलंबित भुगतान के लिए वर्ष के दौरान देय एवं प्रदत्त सामान्य ब्याज	शून्य	शून्य
(ङ)	वर्ष के दौरान कुल उपार्जित ब्याज और अप्रदत्त शेष	शून्य	शून्य

कंपनी के साथ उपलब्ध सूचना के आधार पर पहचान की गयी ऐसी पार्टियों की सीमा तक इस सूचना को निर्धारित किया गया है।

Fair value measurement of financial instruments

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded in the balance sheet cannot be measured based on quoted prices in active markets, their fair value is measured using valuation techniques including the discounted cash flow (DCF) model based on level-2 and level-3 inputs. The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgement is required in establishing fair values. Judgements include considerations of inputs such as price estimates, volume estimates, rate estimates etc. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

Impairment of financial assets

The impairment provisions for trade receivables are based on assumptions about risk of default and expected loss rates. The company uses judgement in making these assumptions and selecting the inputs to the impairment calculation based on the company's past history and other factors at the end of each reporting period. .

2 Additional Disclosures/ Explanatory Notes to Financial Statements

2.1 Earnings per Share

Basic and Diluted EPS amounts are calculated by dividing the profit for the year attributable to equity holders of the parent by the weighted average number of Equity shares outstanding during the year.

Basic and Diluted Earnings per share *	31.03.2021	31.03.2020
Numerator Net Profit ₹. In Lacs		
Profit after Tax as per Statement of Profit & Loss	11233.00	11048.53
Denominator- Average No. of Equity Shares outstanding during the period	15535000	15535000
No. of Shares - Basic & Diluted	15535000	15535000
Earnings per share (₹)		
Basic (Face Value of ₹ 10/- per share)	72.31	71.12
Diluted (Face Value of ₹10/- per share)	72.31	71.12

2.2 Disclosures required by the Micro, Small and Medium Enterprises Development [MSMED] Act, 2006 are as under: (₹ in lacs)

Sl No.		31.03.2021	31.03.2020
(a)	The principal amount remaining unpaid at the end of the year.	1123.73	2004.56
(b)	The delayed payments of principal amount paid beyond the appointed date during the year.	Nil	Nil
(c)	Interest actually paid under Section 16 of the MSMED Act .	Nil	Nil
(d)	Normal interest due and payable during the year, for all the delayed payments, as per the agreed terms.	Nil	Nil
(e)	Total interest accrued during the year and remaining unpaid .	Nil	Nil

This information has been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information available with the Company.

2.3 **समनुषंगी/संयुक्त उद्यम कंपनियों के स्वामित्व की सीमा निम्नुसार है।**

कंपनी का नाम	संस्थापन देश	संबंध	31.03.2021 को स्वामित्व ब्याज
गोवा एंटिबायोटिक्स :फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जीएपीएल)	भारत	समनुषंगी	74%
एचएलएल इन्फ्राटेक सर्वीसस लिमिटेड (हाइट्स)	भारत	समनुषंगी	100%
लाइफस्प्रिंग अस्पताल प्राइवट लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	50%
एचएलएल मातृ व शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड	भारत	समनुषंगी	100%

एमसीए आदेश संख्या 24/5/2019-सीएल-III दिनांक 24.03.2021 के परिणामस्वरूप और एमसीए आदेश संख्या 24/3/2019-सीएल-III दिनांक 31.03.2021 के अनुसार, एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड से क्रमशः एचएलएल बायोटेक लिमिटेड और एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड अलग हो गए हैं। व्यवस्था की योजना लागू होने की नियत तिथि 1 अप्रैल 2019 है। तदनुसार, एचएलएल बायोटेक लिमिटेड और एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड डीमर्जर की व्यवस्था की योजना के अनुसार नियत तिथि से एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड की समनुषंगी कंपनियाँ नहीं रहेंगी।

2.4 कंपनी को कोचिन एक्सपोर्ट प्रोससिंग ज़ोन में स्थित अपने यूनिट में फीमेइल कंडोम एफ सी 2 नाइट्रेल वर्ज़न के विनिर्माण केलिए ऋण के आधार पर ₹89.27लाख मूल्य के उपकरण मैसेर्स फिमाइल हेल्थ कंपनी (यु के) से प्राप्त हुआ था । पूर्ति की गई संपत्ति एवं उपकरण के स्वत्व विलेख मैसेर्स फिमाइल हेल्थ कंपनी, यु के के साथ निहित होने से कोई लेखा प्रविष्टियाँ नहीं की गई हैं।

2.5 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में यूनीपिल संयंत्र में बनाये निवेश शामिल है, कंपनी द्वारा कनगला, बेलगाम में डब्लियुएचओ सीजीएमपी (जेनीवा) अनुपालन सुविधा का संस्थापन किया गया है। रु.68.36 करोड की मूल लागत पर अगस्त 2017 के दौरान संयंत्र को पूंजीकरण किया गया था। यूनीपिल उत्पाद तीन विदेश देशों के साथ पंजीकृत किया जाता है, जहाँ पंजीकरण अनिवार्य है और वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी ने यूनिपिल संयंत्र से ईज़ी गोली एफ एस के 131.72 लाख स्ट्रिप्स के मंत्रालय आदेश को निष्पादित किया है। यूनिपिल गोली का एक बैच जनवरी 2020 में 1.00 लाख स्ट्रिप्स के बैच आकार के साथ विनिर्मित किया गया था। जिनमें से 52,020 स्ट्रिप्स वित्तीय वर्ष 2020-21 में फ्रांस, भूटान, स्विज़रलैंड और युएएफपीए निविदाओं के कई परेषितियों को भेजी गईं। कंपनी पहले ही नए देशों में भी उत्पाद को पंजीकृत करने की प्रक्रिया में है। इंड एएस 36 द्वारा अपेक्षित जैसे, एक खराब हानि परीक्षण आयोजित किया गया है और पाया जाता है कि परिसंपत्ति का रखाव मूल्य, वसूली योग्य मूल्य से कम है और इसलिए यूनिपिल संयंत्र पर कोई खराब हानि नहीं पहचान की गयी है।

2.6 वर्ष के दौरान पूँजीकृत उधार लागत शून्य है। (पिछले वर्ष ₹ शून्य लाख है)

2.3 The extent of ownership in Subsidiary/Joint Venture Companies are as follows:

Name of the Company	Country of Incorporation	Relationship	Ownership Interest as on 31.03.2021
Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited (GAPL)	India	Subsidiary	74%
HLL InfraTech Services Limted (HITES)	India	Subsidiary	100%
Life Spring Hospitals Pvt. Ltd	India	Joint Venture	50%
HLL Mother & Child Care Hospitals Limited	India	Subsidiary	100%

Consequent to MCA order no. 24/5/2019 – CL- III dated 24.03.2021 and vide MCA order no 24/3/2019 – CL – III dated 31.03.2021, HLL Biotech Limited and HLL Medipark Ltd has demerged from HLL Lifecare Ltd respectively. The appointed date for coming into force of the scheme of arrangement is 01st April 2019. Accordingly, HLL Biotech Ltd and HLL Medipark Ltd cease to be the subsidiaries of HLL Lifecare Ltd with effect from the appointed date as per the scheme of arrangement of demerger.

2.4 The Company had received from M/s. Female Health Company (UK) equipment's valuing ₹89.27 Lakhs on loan basis for the manufacture of female condom FC2 Nitrile version at its unit located in Cochin Export Processing Zone. No accounting entries have been passed as the property & title of the equipment supplied vests with M/s. Female Health Company, U.K.

2.5 Property, Plant and Equipment includes Investments made in Unipill Plant, a WHOcGMP (Geneva) compliant facility, set up by the company at Kanagala Belgaum. The plant was capitalised during August 2017 at an original cost of ₹ 68.36 Crores. The product Unipill is registered with three foreign countries where registration is mandatory and during the year 2020-21 company has executed ministry order of 131.72 lakh strips of Ezy Pill FS from UNIPILL plant. One batch of UNIPILL tablet was manufactured in January 2020 with a batch size of 1 lakh strips. Out of which 52,020 strips were dispatched in the financial year 2020-21 to multiple consignees from France, Bhutan, Swaziland and UNFPA tenders. The company is already in the process of registering the product in new countries as well. As required by Ind AS36, an impairment test is conducted and found that the carrying value of the asset is lower than the recoverable value and hence no impairment is recognized on the Unipill Plant.

2.6 Borrowing costs capitalised during the year is Nil. (Previous Year is ₹ Nil lacs)

2.7 कंपनी अधिनियम 2013की अनुसूची VII के अनुसार, ₹500 करोड या उससे अधिक के निवल मूल्य या ₹1000 करोड या उससे अधिक के व्यापारावर्त या ₹ 5 करोड या उससे अधिक के निवल लाभवाली हर कंपनी, सी एस आर (कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी) की ओर तत्काल तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के निवल लाभ (कर के पूर्व लाभ) के औसतन के कम से कम 2% खर्च करने की आवश्यकता है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए विवरण निम्नलिखित हैं ।

(क) वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जानेवाली सकल रकम -रु.26.08 लाख।

(ख) वर्ष के दौरान व्यय किए जाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित रकम -रु.26.08 लाख।

(ग) वर्ष के दौरान खर्च की गयी रकम :

		नकद में (₹ लाख)
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-
(ii)	उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	23.46
	कुल	23.46

(घ) चालू परियोजनाओं का विवरण (135(5) और 135(6) में संशोधन के अनुसार)

विवरण	**रकम(लाखों में)**	**रकम(लाखों में)**
अधशेष 19-20		
कंपनी के साथ	शून्य	
अलग सीएसआर में अव्ययित खाता	शून्य	
वर्ष के दौरान खर्च की गई रकम		23.46
कंपनी के बैंक खाता से	23.46	
अलग अव्ययित सीएसआर खाता से	-	
अंतिम शेष : 20-21		2.62
कंपनी के साथ	-	
अलग सीएसआर में अव्ययित खाता	2.62	

₹2.62 लाख की अव्ययित रकम एक अलग बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई है जिसे अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खाता कहा जाता है और नकद एवं बैंक शेष के तहत खुलासा किया गया है।

2.8 बीमा प्रीमियम में सेवानिवृत्ति के बाद के मेडिकल फायदे के लिए प्रदत्त चिकित्सा बीमा प्रीमियम की किश्त शामिल है।

2.9 वर्ष के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की ओर कोई अदायगी नहीं थी ।

2.10 भारत के सनदी लेखाकार के संस्थान के विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के अनुसार तुलन-पत्र में कंपनी द्वारा न्यास के अधीन लिए गए रोकड़ व बैंक शेष और इस पर समतुल्य देयताओं को अधीन कॉन्ट्रा मद के रूप में प्रकटन किये गये हैं । प्रापण परियोजनाएँ, अवसंरचना विकास परियोजनाओं की परिसंपत्तियाँ और देयताएं परिशिष्ट - I में प्रकट की जाती हैं।

2.11 भारत सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्लियु) को कंडोम और विविध गर्भनिरोधक उत्पादों

2.7	As per Schedule VII of the Companies Act, 2013, every company with net worth of ₹ 500 Cr or more, or with a turnover of ₹1000 Cr or more or having a net profit of ₹5 Cr or more is required to spend at least 2% of the average net profits (Profit before tax) of three immediately preceding financial years towards CSR (Corporate Social Responsibility).

The following are the details for the financial year 2020-21.

a) Gross amount to be spent by the Company during the year 2020-21. ₹ 26.08 lakhs.

b) Amount approved by the board to be spent during the year- ₹ 26.08 lakhs.

c) Amount spent during the year on:

		In cash (₹ lakhs)
(i)	Construction/acquisition of any asset	-
(ii)	On purposes other than (i) above	23.46
	Total	23.46

d) Details of ongoing projects (In line with amendments to 135(5) and 135(6):

Particulars	**Amount(in lakhs)**	**Amount(in lakhs)**
Opening balance 19-20		NIL
With company	NIL	
In separate CSR unspent account	NIL	
Amount spent during the year		23.46
From Company's bank account	23.46	
From Separate unspent CSR account	-	
Closing balance: 20-21		2.62
With company	-	
In separate CSR unspent account	2.62	

Unspent amount of ₹ 2.62 lakhs has been transferred to a separate bank account called the Unspent Corporate Social Responsibility Account and disclosed under Cash and Bank balances

2.8	Insurance premium includes instalment of medical insurance premium paid for post-retirement medical benefits
2.9	During the year there was no payment towards voluntary retirement scheme.
2.10	The cash and bank balances held by the Company under trust and the corresponding liabilities are disclosed as contra items in the Balance Sheet in accordance with the opinion of the Expert Advisory Committee of the Institute of Chartered Accountants of India. The Assets &Liabilities of the Procurement Projects,& Infrastructure Development Projects are disclosed as Annexure I only.

की आपूर्ति के लिए दिनांक 26.08.2005 के आदेश के अनुसार एचएलएल को 'कैप्टिव पदवी' प्रदान की है और वह समय -समय पर विस्तार के लिए समीक्षाधीन है। मंत्रालय ने 14 मई 2020 के पत्र के अनुसार 'कैप्टिव पदवी' 31.03.2022 तक बढ़ाने की सूचना दी है ।

कंपनी मंत्रालय को गर्भनिरोधक उत्पाद(कंडोम, मौखिक गर्भनिरोधक गोलियाँ, ई सी गोलियाँ, कॉपर-टी और ट्यूबल रिंग्स), प्रेग्नन्सी टेस्ट किट और सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति करती है। कैबिनेट आदेश और इसके तदनंतर संशोधनों के अनुसार, मंत्रालय वर्ष के प्रारंभ में पिछले वर्ष की एल 1 दर के आधार पर अस्थायी दर पर एचएलएल को आपूर्ति आदेश प्रदान करेगा। तदनंतर, खुली निविदा द्वारा निर्धारित एल 1 दर को उसी वित्तीय वर्ष में एचएलएल को इसकी आपूर्ति के लिए अंतिम दर के रूप में लागू किया जायेगा। निविदा प्रक्रिया के ज़रिए एल 1 मूल्य निर्धारण के अभाव में, एचएलएल से आपूर्ति के लिए उचित मूल्य निर्धारण करने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के टैरिफ कमीशन (टीसी) को या वित्त मंत्रालय के लागत एवं लेखा शाखा (सीएबी) को संदर्भ किया जाएगा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कंपनी द्वारा अभ्यावेदन के आधार पर वर्ष 2018-19 के दौरान एचएलएल द्वारा आपूर्ति किए गए कंडोम के उचित मूल्य निर्धारण के लिए सीएबी को संदर्भित किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से सूचना के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए उचित मूल्य की सिफारिश पर रिपोर्ट अक्तूबर 2020 में प्रस्तुत की गई थी और मंत्रालय ने इसे लागू करने के लिए स्वीकार कर लिया है। तदनुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पूरक बीजक प्रस्तुत करने के लिए एचएलएल को निर्देश दिया है और एचएलएल ने वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 46.43 करोड के मूल्य में मूल्य वृद्धि राजस्व को मान्यता दी है।

मंत्रालय ने मई 2016 के दौरान वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक के लिए आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियों के प्रति ₹ 5.22 करोड़ और वर्ष 2014-15 के लिए प्रेग्नेन्सी टेस्ट किट के प्रति ₹ 5.87 करोड़ रकम की दर अंतर के प्रति एचएलएल से वसूली माँगी थी। एचएलएल ने दावे की आपत्ति जतायी है और आदेश की समीक्षा के लिए मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया है। मंत्रालय ने मार्च 2021 के दौरान ईसी गोली के रूप में ₹ 5.22 करोड की रकम वसूल करने के निर्णय को सूचित किया है और इसे चालू वर्ष 2020-21 के दौरान लाभ और हानि के लिए प्रभारित किया गया है। पीटी किट्स के संबंध के अभ्यावेदन मंत्रालय के विचाराधीन है और इसे आकस्मिक देयता के अंतर्गत शामिल किया गया है।

2.12 एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड (एचएलएल) और मेसेर्स अकुमन फंड, यु एस ए (अकुमन) के बीच में 50:50 साम्या शेयरधारिता के साथ संयुक्त उद्यम सत्ता के रूप में फरवरी 2008 में मेसेर्स लाइफस्प्रिंग अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड बनाया गया था इस संयुक्त उद्यम को भारत के आर-पार के कम आयवाली महिलाओं को उच्च गुणवत्तावाली, किफायती मातृ स्वास्थ्य रक्षा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ बनाया गया था। यह शहरी गंदी बस्तियों के निकट छोटे आकार (20 बिस्तर) के प्रसूती अस्पतालों में प्रचालन करता है। समुदाय जिसमें इन अस्पतालें स्थित हैं, को पीडियाट्रिक संरक्षण (प्रतिरक्षण सहित), नैदानिक एवं फार्मसी सेवाएँ और स्वास्थ्य रक्षा शिक्षा भी प्रदान करते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत में, संयुक्त उद्यम की इक्विटी शेयर पूँजी में एचएलएल द्वारा कुल निवेश रु. 950.76 लाख था।

अब, संयुक्त उद्यम हैदराबाद में 10 अस्पतालों के क्लस्टर चला रहा है। उद्यम स्तर पर संयुक्त उद्यम का निष्पादन भी स्थिर हो गया।

संयुक्त उद्यम कंपनी सकारात्मक हो गई और पिछले तीन वर्षों के लिए उपलब्ध की गई लगातार लाभ का विस्तृत विवरण निम्न जैसे हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, संयुक्त उद्यम कंपनी को रु. 131.05 लाख का घाटा हुआ।

विवरण	**2020-21**	**2019-20**	**2018-19**
	रकम लाखों में		
नकद लाभ	(100.62)	107.34	138.82
मूल्यह्रास/ ऋणमुक्ति	33.20	33.86	41.18
कर के पूर्व लाभ	(133.82)	73.48	97.64
आस्थगित कर आय	(2.77)	1.35	3.47
कर के बाद लाभ	(131.05)	74.83	101.11

2.11 Govt. of India has accorded "captive status" to HLL vide Order dated 26.08.2005 for the supply of condoms and other Contraceptive products to the Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW) and same is subjected to review for extension from time to time. Ministry has vide letter dated 14th May 2020 intimated the extension of Captive status upto 31.03.2022 .

The Company supplies Contraceptive products (Condoms, Oral Contraceptive Pills, EC Pills, Copper-T and Tubal Rings), Pregnancy Test Kits and Sanitary Napkins to the Ministry. As per the Cabinet order and its subsequent amendments, the Ministry shall place the supply orders on HLL in the beginning of the year at the provisional rates basedon the L1 rates of the previous year. Subsequently, the L1 rates determined through the open tender shall be made applicable to HLL as the final rate for its supplies during the same financial year. In the absence of L1 rate determination through the tender process, reference shall be made either to Tariff Commission (TC) of the Ministry of commerce & Industry or Cost & Accounts Branch (CAB) of the Ministry of Finance for determining the fair price for the supplies from HLL.

MoHFW has based on the representation by the company, referred to CAB for fair price fixation of Condoms supplied by HLL during 2018-19. As per the intimation from MoHFW, the report on the recommendation of fair price for the year 2018-19 was submitted in October 2020 and Ministry has accepted the same for implementation. Accordingly, MoHFW has directed HLL to submit supplementary invoices and HLL has recognized price escalation revenue to the tune of ₹46.43 Crores during the year 2020-21.

Ministry during May 2016 had sought recovery from HLL towards rate difference, amounting to ₹5.22 crore towards Emergency Contraceptive Pills for the years 2008-09 to 2011-12 and ₹5.87 crore towards Pregnancy Test Kit for the year 2014-15. HLL has objected to the claim and represented to the Ministry for review of the order. Ministry has during March 2021 informed the decision to recover an amount of ₹ 5.22 Cr towards EC pill and the same has been charged to Profit and Loss during the current year 2020-21. With respect to PT Kits, the representation is under consideration of the ministry and is included under contingent liability.

2.12 M/s. Life Spring Hospitals (P) Limited was formed in February 2008 as a Joint Venture entity with 50:50 equity shareholding between HLL Lifecare Ltd. [HLL] and M/s Acumen Fund Inc., USA [Acumen]. This JV was formed with the objective of providing High Quality, Affordable Maternal Health Care for Low-Income Women across India. It operates small-sized (20 bed) maternity hospitals in the proximity of urban slums. The hospitals also provide pediatric care (including immunizations), diagnostic and pharmacy services, and health care education to the communities in which its hospitals are located. At the end of the FY 2020-21, total investment by HLL in the equity share capital of the JV was ₹950.76 Lacs.

Presently, the JV is running a cluster of ten hospitals in Hyderabad. The JV's performance at the enterprise level also has become stable.

The JV company turned positive and achieved the profits consecutively for the last three financial years. During the FY 2020-21, the JV company incurred a loss of ₹131.05 lakhs.

Particulars	**2020-21**	**2019-20**	**2018-19**
	Amount in ₹Lacs		
Cash Profit	(100.62)	107.34	138.82
Depreciation & Amortization	33.20	33.86	41.18
Proft Before Tax	(133.82)	73.48	97.64
Deferred tax Income	(2.77)	1.35	3.47
Profit After Tax	(131.05)	74.83	101.11

कोविड 19 महामारी के प्रभाव और सरकार द्वारा लॉकडाउन लागू करने के साथ-साथ निम्नलिखित कारणों से मात्रा में गिरावट आई।

कोविड 19 लॉकडाउन के कारण हैदराबाद से अपने गृहनगर और गांवों में लोगों का प्रवास और उनके गृह नगरों में प्रसव कराना।

कोरोना पॉज़िटिविटी बढ़ने के कारण मात्रा में कमी और ग्राहकों को प्रसव के लिए कोविड चिकित्सा केंद्र में रफर कर दिया गया क्योंकि हमारे अस्पतालों में कोरोना पॉज़िटिव ग्राहकों के इलाज की सुविधा नहीं है।

पिछली तिमाही के दौरान खासकर राजस्व सृजन में प्रभावित हुआ और इसके फलस्वरूप लाभप्रदत्ता में भी प्रभावित हुई।

उपर्युक्त सभी को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन का विचार है कि इस संयुक्त उद्यम में एचएलएल द्वारा इक्विटी निवेश से संबंद्ध कोई संभावित खराब हानि नहीं है।

2.13 सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पी आई बी), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 10.02.2012 को आयोजित अपनी बैठक में ₹594 करोड जिसमें भारत सरकार से साम्या अंश ₹285 करोड होगा, के निवेश के साथ एकीकृत वैक्सीन कॉम्प्लेक्स (आई वी सी) स्थापित करने के लिए अपनी सिफारिशें दी थी। **पी आई बी** की सिफारिशें आर्थिक कार्य के कैबिनेट समिति (सी सी ई ए) द्वारा अनुमोदित किया गया था और तदनुसार एचएलएल ने पी आई बी सिफारिशों के अनुसार संपूर्ण स्वामित्व समनुषंगी कंपनी, एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एच बी एल)का गठन किया था। भारत सरकार एकीकृत वैक्सीन कॉम्प्लेक्स में निवेश करने केलिए एचएलएल को निधि प्रदान करती रहती हैं और इसके बदले में एचएलएल उस निधि को एचएलएल बायोटेक लिमिटेड के साम्या पूँजी में निवेश कर रहा है।

भारत सरकार ने एचएलएल को रु. 274.88 करोड जारी किए थे और उस की ओर भारत सरकार को इक्विटी शेयरें जारी किए गए थे। 18 जुलाई 2018 को आयोजित एचएलएल बायोटेक लिमिटेड की 29 वीं बोर्ड बैठक में, बोर्ड ने आईवीसी परियोजना के लिए रु. 904.33 करोड की संशोधित परियोजना लागत का अनुमोदन दिया था। रु. 904.33 करोड की संशोधित लागत के लिए प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

दिनांक 24.03.2021 के आदेश के अनुसार एमसीए द्वारा एचबीएल के डीमर्जर की व्यवस्था की योजना के अनुमोदन के फलस्वरूप, एचएलएल बायोटेक लिमिटेड योजना की नियत तिथि अर्थात् 01 अप्रैल 2019 से समनुषंगी नहीं रह गई है। योजना के अनुसार भारत सरकार द्वारा निवेश की गई ₹ 274.88 करोड की शेयर पूँजी और एचएलएल द्वारा एचबीएल में किए गए संबंधित निवेश को घटाकर ₹ 274.88 करोड कर दिया गया है।एचएलएल द्वारा किए गए ₹1 लाख के प्रारंभिक निवेश को नोट 12-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ-अन्य में भारत सरकार से प्राप्य के रूप में दिखाया गया है।

एचएलएल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से एचबीएल के डीमर्जर के आवश्यक उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है और उन आदेशों की प्रतीक्षा में है।

2.14 कंपनी को जनवरी 2008 से 430.10एकड़ भूमि का अधिकार है, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अधीन केंद्रीय कुष्ठ शिक्षण शोध संस्थान (सी एल टी आर आई), तमिलनाडु से 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर आबंटित किया था। 10.02.2012 को आयोजित सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पी आई बी), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की बैठक में उसने ₹10.12 करोड (प्रति एकड़ के लिए ₹16.50 लाख की दर पर 56 एकड़ और प्रति एकड़ ₹2 लाख की दर पर छोटी पहाडी के 44 एकड़) के मूल्य के लिए एकीकृत वैक्सीन कॉम्प्लेक्स (आई वी सी) के संस्थापन की ओर चेंगलपेट्टु में कंपनी के अधिकार के 430.10 एकड़ में से 100 एकड़ अनुदान देने के लिए सिफारिश की थी।

पी आई बी की सिफारिशों को आर्थिक कार्य के कैबिनट समिति (सी सी ई ए) द्वारा अनुमोदित किया गया है। कंपनी ने मार्च 2012 में पी आई बी की सिफारिशों के अनुसार आई वी सी के संस्थापन करने के लिए संपूर्ण स्वामित्त समनुषंगी कंपनी, मेसेर्स एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एच बी एल) को बनाया है। एच बी एल के नाम में 100 एकड भूमि के अंतरण की कानूनी औपचारिकताएँ और उसके बदले में एचबीएल को अभी तक पूरा किया जाना है, कंपनी ने 20 फरवरी 2014 में इस उद्देश्य के लिए पहचान की गई 100 एकड भूमि 94 वर्षों के लिए रु.1/- की दर पर एच बी एल के नाम में उप पट्टे पर ली है।

एचएलएल बायोटेक लिमिटेड को दी गई 100 एकड़ में से 3.38 एकड़ भूमि ₹ 1/- मात्रा के वार्षिक पट्टा किराये पर 92 वर्षों की अवधि के लिए तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम लिमिटेड (टानजेडको) (टीएनईबी लिमिटेड की समनुषंगी) को पट्टे पर दिया गया है। एचबीएल और टानजेड के बीच में उप - पट्टा 19 सितंबर 2016 को कार्यान्वित किया गया ।

	The impact of Covid 19 Pandemicand imposing of lockdown by Government together with the following reasons resulted in the dip in volumes. Migration of people from Hyderabad to their hometowns and villages due to Covid 19 lockdown and got deliveries done in their home towns Losing of volumes due to increased Corona positivity and the customers were referred to Covid treatment centres for delivery as our hospitals do not have facility to treat corona positive customers. The revenue generation especially during the last quarter got affected and consequently profitability also got affected. Considering the above, the management is of the view that there is no potential impairment associated with the equity investment by HLL in this JV.
2.13	The Public Investment Board (PIB), Ministry of Finance, Govt. of India in its meeting held on 10.02.2012 had given its recommendations for setting up of the Integrated Vaccine Complex (IVC), with an investment of ₹594 crores, wherein the Equity portion shall be ₹285 crores from Govt. of India. The recommendations of the PIB were approved by the Cabinet Committee of Economic Affairs (CCEA) and accordingly HLL had formed a fully owned Subsidiary Company, HLL Biotech Limited (HBL), in line with the PIB recommendation. Govt. of India has been infusing funds into HLL for the investment in Integrated Vaccine Complex and HLL in turn has been investing the same funds into the Equity capital of HLL Biotech Limited. GoI had released ₹274.88 Crs to HLL and equity shares were issued to GoI towards the same. In the 29th Board meeting of HLL Biotech Ltd. held on 18th July 2018, the Board had approved the revised project cost of ₹904.33 Cr. for IVC Project. The proposal for the revised cost of ₹904.33 crore has not been approved by the Government of India. Consequent to the approval of the scheme of arrangement of Demerger of HBL by MCA vide order dated 24.03.2021, HLL Biotech Limited has ceased to be the subsidiary w.e.f the appointed date of the scheme ie., 01st April 2019. As per the scheme, the share capital of ₹274.88 Crores invested by GoI and corresponding investment made by HLL in HBL is reduced to the tune of ₹274.88 Crores. The initial investment of ₹1.00 lakh made by HLL is shown as Receivable from Govt. of India in Note 12- Current Financial Assets –Others. HLL has requested Ministry of Health and Family Welfare to take appropriate actions necessitated by Demerger of HBL and the orders are awaited.
2.14	The Company is in possession of 430.10 acres of land since January 2008, allotted on lease for a period of 99 years from the Central Leprosy Teaching Research Institute (CLTRI), Tamil Nadu, under directives from Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India. The Public Investment Board (PIB), Ministry of Finance, Govt. of India in its meeting held on 10.02.2012 had recommended to earmark 100 acres of land out of the 430.10 acres in possession with the Company at Chengalpattu for setting up of the Integrated Vaccine Complex (IVC), for a value of ₹10.12 crores (56 acres @ ₹16.50 lacs per acre and 44 acres of hillock @ ₹ 2 lacs per acre). The recommendations of the PIB are approved by the Cabinet Committee of Economic Affairs (CCEA). The Company in March 2012 has formed a fully owned subsidiary company, M/s HLL Biotech Limited (HBL), for setting up the IVC, in line with the PIB recommendations. As the legal formalities of transfer of 100 acres of land in the name of HLL and in turn to HBL are yet to be completed, the Company had, on 20thFebruary 2014, sub-leased the 100 acres identified for the purpose, in favour of HBL @ ₹1/- for 94 years Out of 100 acres land leased to HLL Biotech Limited, 3.38 Acres of land is given on lease to Tamilnadu Generation and Distribution Corporation Ltd [TANGEDCO] (Subsidiary of TNEB Ltd.) for a period of 92 years, on an annual lease rent of ₹1/- only. The sub-lease between HBL and TANGEDCO was executed on 19th September 2016.

2.15 मेडिपार्क संस्थापित करने के लिए वर्ष 2009 में चेंगलपट्टु, कांचीपुरम जिले (तमिलनाडु) में पट्टे पर ली गई 330.10 एकड़ भूमि को उप पट्टे पर देने के कैबिनट के अनुमोदन के फलस्वरूप 20 दिसंबर 2016 को एचएलएल की अलग 100% समनुषंगी के रूप में एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड निगमित किया गया है। तमिलनाडु में चेन्नै के पास चेंगलपट्टु में 330.10 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित किये जा रहे मेडिपार्क में चिकित्सा प्रौद्योगिकी उद्योग को समर्थन करने के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना और सामान्य सुविधाएं समाविष्ट होंगी।

एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड को एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड की इक्विटी साझेदारी 90% से अधिक नहीं है और तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टिडको) की 10% से अधिक नहीं है। एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड ने रु. 6.40 करोड और टिड्को ने रु. 71.17 लाख का निवेश किया है।

31 मार्च 2021 तक कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी ₹ 1300 लाख है। 31 मार्च 2021 तक एचएमएल की जारी, अभिदत्त और प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी रु. ₹ 71.17 लाख है। एचएलएल और टिड्को ने एचएमएल में 90:10 अनुपात में शेयर रखा है।

दिनांक 23 जनवरी 2019 के परिपत्र संकल्प द्वारा, एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड के बोर्ड ने इसके लाभकारी स्थान और उद्योग अवसंरचना के विकास में तमिलनाडु सरकार के विशेषज्ञता की दृष्टि में तमिलनाडु उद्योग विकास निगम लिमिटेड (टिड्को) को मेडिपार्क के विकास केलिए प्रबंधन ठेका सौंपने के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया। टिड्को द्वारा मेडिपार्क परियोजना के प्रबंधन अभिशासन के शर्त एवं निबंधन के संबंध की चर्चा में एचएलएल और टीड्को लगे हुए हैं। एचएलएल और टिड्को ने एचएमएल की शेयर पूँजी में उनके द्वारा इक्विटी निवेश को नियंत्रित करनेवाले नियमों और शर्तों को रिकोर्ड करने के लिए 5 जुलाई 2019 से पूर्वव्यापी प्रभाव से 8 अप्रेल 2021 को एसएचए पर हस्ताक्षर किया है।

दिनांक 31 मार्च 2021 के आदेश के अनुसार एमसीए द्वारा एचएलएल से एचएमएल के डीमर्जर की व्यवस्था की योजना के अनुमोदन के फलस्वरूप, एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड योजना की नियत तिथि अर्थात् 01 अप्रैल 2019 से समनुषंगी नहीं रह गई है। योजना के अनुसार, भारत सरकार, एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड को उनके द्वारा एचएमएल में किए गए ₹ 6.40 करोड के इक्विटी निवेश के प्रतिफल का भुगतान करेगी। तदनुसार, एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड में कंपनी द्वारा किए गए निवेश को इस हद तक कम कर दिया गया है और टिप्पणी सं -12 वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ-अन्य के तहत भारत सरकार से प्राप्य के रूप में खुलासा किया गया है।

एचएलएल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से एचएमएल के डीमर्जर के आवश्यक उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

2.16 आर्थिक कार्यों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) , भारत सरकार ने 1 नवंबर, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में एचएलएल के वैक्सीन उद्यम और मेडिपार्क परियोजना को तीन महीने की अवधि के अंतर अलग एसपीवी के रूप में बदलने और उसके बाद दो चरण नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड में सरकार की इक्विटी का 100 % की बिक्री के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है। निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), विनिवेश प्रक्रिया का समन्वय करने का नोडल एजेंसी, (1) लेन-देन सलाहकार (टी ए) के रूप में मेसेर्स प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवट लिमिटेड (पीडब्लियुसी) और (2) विधिक सलाहकार (एल ए) के रूप में मेसेर्स क्रॉफोर्ड बेले & कंपनी को चयनित प्रतियोगितात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया गया है। परिसंपत्ति मूल्य-निर्धारक (ए वी) के रूप में मेसेर्स एड्रोइट टेक्निकल सर्वीसस प्राइवट लिमिटेड का चयन प्रतियोगितात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया गया ।

पीडब्लियुसी, एचएचएल के प्रस्तावित विनिवेश के मामले में भारत सरकार द्वारा नियुक्त लेनदेन सलाहकार (टी ए) ने एचएलएल द्वारा प्रदान किए गए डेटा, दस्तावेज़ें और सूचना के आधार प्रारंभिक निवेशक ज्ञापन (पीआईएम) तैयार किया है। लेनदेन सलाहकार ने पीआईएम मसौदा प्रतिक्रिया और स्पष्टीकरण के लिए एचएलएल और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साझा किया है । पीआईएम की विषय- सूची एचएलएल और मंत्रालय द्वारा प्रदान किये गये प्रतिक्रिया और स्पष्टीकरण के आधार पर उसको प्रकाशित करने से पहले सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ लेनदेन सलाहकार के द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। एचएलएल ने पीआईएम मसौदे पर प्रतिक्रिया और स्पष्टीकरण 3 अप्रैल, 2019 को लेनदेन सलाहकार को प्रदान किया है।

31 मई, 2019 को टीए ने एचएलएल द्वारा प्रदान किए गए अतिरिक्त इनपुट के आधार पर पीआईएम मसौदा मंत्रालय और एचएलएल के साथ साझा किया है । एचएलएल के निदेशक मंडल ने 3 जून 2019 को आयोजित की गई अपनी बैठक में पीआईएम की अंतर्वस्तुओं की जानकारी ली है। एचएलएल ने विभिन्न तिथियों पर टीए द्वारा मांगे गए कई मामलों पर आवश्यक जानकारी/स्पष्टीकरण भी प्रदान किया है। प्रस्तावित विनिवेश और इस संबंध में आवश्यक कार्यों के बारे में चर्चा करने के लिए निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

2.15	Consequent to Cabinet Approval to sub- lease the 330.10-acre land at Chengalpattu, Kanchipuram district (Tamil Nadu) leased to it in 2009, for setting up Medipark, HLL Medipark Limited has been incorporated as a separate 100% subsidiary of HLL on 20th December 2016. The MediPark being set up in Chengalpattu near Chennai in Tamilnadu in an area of 330.10 acres shall comprise of state-of-art infrastructure and common facilities to support the medical technology industry. HLL Medipark Ltd (HML) has equity participation by HLL Lifecare Ltd not exceeding 90% and Tamil Nadu Industrial Development Corporation (TIDCO) not exceeding l0% and HLL Lifecare Ltd has invested ₹ 6.40 Cr and TIDCO has invested ₹71.17 lakhs The authorized share capital of the company as on 31st March 2021 is ₹1300 lakh. The issued, subscribed and paid-up equity share capital of HML as on 31st March 2021 is ₹711.70 lakhs. HLL & TIDCO hold the shares in the ratio 90: 10 in HML. By a Circular Resolution dated 23rd January 2019, the Board of HLL Medipark Ltd. approved the proposal to hand over management contract for the development of Medipark to Tamil Nadu Industrial Development Corporation Ltd (TIDCO), in view of its advantageous location and the expertise of Tamil Nadu Government in developing industrial infrastructure. HLL and TIDCO is engaged in discussion regarding the terms and conditions governing management of Medipark project by TIDCO. HLL and TIDCO has signed SHA dated 8th April, 2021 with retrospective effect from 5th July 2019 to record the terms and conditions governing equity investment by HLL and TIDCO in the share capital of HML. Consequent to the approval of the scheme of arrangement of Demerger of HML from HLL by MCA vide order dated 31st March 2021, HLL Medipark Limited has ceased to be the subsidiary w.e.f the appointed date of the scheme ie.,01st April 2019. As per the scheme, Govt. of India shall pay HLL Lifecare Limtied the consideration of equity investment made by HLL in HML of ₹ 6.40 Crores. Accordingly, the investment made by the company in HLL Medipark Limited is reduced to this extent and is disclosed as Receivable from Govt. of India under Note -12 Current Financial Assets-Others. HLL has requested Ministry of Health and Family Welfare to take appropriate action(s) necessitated by the Demerger of HML.
2.16	The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), Government of India, in its meeting held on 1st November 2017 has granted 'in-principle' approval for hiving off the Vaccine venture and Medipark project of HLL Lifecare Limited [HLL] as separate SPVs with 100% equity holding by Govt. of India within a period of three months and thereafter sale of 100% of Government's equity in HLL via a two-stage auction process. The Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), the nodal agency coordinating the disinvestment process selected (1) M/s. Price Water House Coopers Pvt. Ltd. (PWC) as Transaction Advisor (TA) and (2) M/s. Crawford Bayley& Co. as Legal Advisor (LA) through competitive bidding process. The selection of M/s. Adroit Technical Services Pvt. Ltd as Asset Valuer (AV) was done by the Administrative Ministry through competitive bidding process. PWC, the Transaction Advisor (TA) appointed by the Government of India in the matter of proposed Disinvestment of HLL has prepared the Preliminary Investor Memorandum [PIM] based on the data, documents and information provided by HLL. The TA has shared the draft PIM with HLL and the Ministry of Health, Government of India for feedback and clarifications. The contents of the PIM will be finalized by the TA based on the feedback and clarifications that would be provided by HLL and the Ministry before publishing the same with approval of the Competent Authority. HLL has provided feedback and clarifications on the draft PIM to the TA on 3rd April 2019. On 31st May 2019 the TA shared with the Ministry and HLL draft PIM based on additional inputs provided by HLL. HLL Board of directors in its meeting held on 3rd June 2019 took cognizance of the contents of the PIM. HLL has also provided necessary information/clarifications on several matters sought by TA on various dates. Periodic review meetings are held by Ministry of Health & Family Welfare in association with Department of Investment and Public Asset Management to discuss about the proposed disinvestment and actions required in this regard.

2.17 एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड ने एचएलएल बायोटेक लिमिटेड और एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड के डीमर्जर के लिए योजनाएँ तैयार की हैं और 6 मार्च 2019 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) को योजनाएँ प्रस्तुत की हैं और उसके बाद 7 जून 2019 को एमसीए को एक संयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया है।

एचबीएल का डीमर्जर

एमओएचएफडब्लियु, भारत सरकार द्वारा दिए गए सीसीईए के निर्णय एवं निर्देश को ध्यान में रखते हुए एचएलएल और एचबीएल के निदेशक मंडल ने 20 फरवरी 2019 को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66 के साथ पठित धारा 230 से 232 के तहत एचएलएल और एचबीएल के बीच में व्यवस्था की योजना पर विचार करके अनुमोदन किया है। बोर्ड की मंजूरी के आधार पर कंपनी ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार को डीमर्जर के लिए एक संयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया । इस संबंध में, एमसीए ने कई तिथियों और विभिन्न अन्य कार्यवाही पर सुनवाई की थी और 4 जून 2020 को एचएलएल और एचबीएल को एचएलएल से एचबीएल के डीमर्जर की योजना पर विचार करने और उसे मंजूरी देने के लिए दोनों कंपनियों के असुरक्षित लेनदारों की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया था। एमसीए के निर्देशानुसार, एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड और एचएलएल बायोटेक लिमिटेड ने 26 अगस्त 2020 को वीसी के माध्यम से 10 लाख रुपए से अधिक के बकाया कर्जवाले असुरक्षित लेनदारों की बैठक आयोजित की और एचबीएल के डीमर्जर की प्रस्तावित योजना के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए लेनदारों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की। मूल्य में तीन-चौथाई से अधिक का प्रतिनिधित्व करनेवाले एचएलएल के अधिकांश असुरक्षित लेनदारों ने डीमर्जर की योजना को मंजूरी दे दी, हालांकि, मूल्य में तीन-चौथाई से अधिक का प्रतिनिधित्व करनेवाले एचबीएल के अधिकांश असुरक्षित लेनदारों ने डीमर्जर की योजना को मंजूरी नहीं दी । इसके बाद एचबीएल ने लेनदारों से एनओसी प्राप्त की और इन दो लेनदारों के मूल्य को जोडकर एचबीएल के असुरक्षित लेनदारों द्वारा सकारात्मक वोटों का कुल मूल्य, तीन-चौथाई से अधिक हो गया।

इसके बाद एचएलएल और एचबीएल दोनों ने 9 फरवरी 2021 को सीएए5 को सूचित करने के लिए संयुक्त द्वितीय गति याचिका प्रस्तुत की और एमसीए से व्यवस्था की योजना को मंजूरी देने का अनुरोध किया ताकि उन सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी है जिन पर यह योजना बाध्यकारी है। एमसीए ने सुनवाई के दौरान याचिकाओं में किए गए कथनों पर विचार करने के बाद और संबंधित आरओसी एवं आरडी को रिपोर्टों पर भी विचार करके व्यवस्था की योजना को अपनी मंजूरी दे दी और 22 मार्च 2021 को अंतिम आदेश जारी किया। इसके बाद, 10 अप्रैल 2021 को एचएलएल और एचबीएल ने एमसीए के आदेश की प्रमाणित प्रति निर्धारित ई-फार्म (आईएनसी 28) में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, केरल को कानून द्वारा निर्धारित के रूप में प्रस्तुत की। फॉर्म आईएनसी 28 की जाँच करने के बाद, एमसीए ने टिप्पणी की और टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण के साथ फॉर्म को पुनः प्रस्तुत करने की सलाह दी। एचएलएल और एचबीएल, दोनों ने आवश्यक स्पष्टीकरण के साथ फॉर्म आईएनसी 28 को पुनः प्रस्तुत कर दिया है।

एचएमएल का डीमर्जर

एमओएचएफडब्लियु, भारत सरकार द्वारा दिए गए सीसीईए के निर्णय एवं निर्देश को ध्यान में रखते हुए एचएलएल और एचएमएल के निदेशक मंडल ने 20 फरवरी 2019 को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66 के साथ पठित धारा 230 से 232 के तहत एचएलएल और एचएमएल के बीच में व्यवस्था की योजना पर विचार करके अनुमोदन किया है। बोर्ड की मंजूरी के आधार पर कंपनी ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार को डीमर्जर के लिए एक संयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया । इस संबंध में, एमसीए ने कई तिथियों और विभिन्न अन्य कार्यवाही पर सुनवाई की थी और अंततः 18 जनवरी 2021 को आदेश जारी किया और एचएलएल से एचएमएल के डीमर्जर की योजना पर विचार करने और उसे मंजूरी देने के लिए एचएलएल अपने असुरक्षित लेनदारों की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। एमसीए के निर्देशानुसार, एचएलएल ने 22 फरवरी 2021 को वीसी के माध्यम से 10 लाख रुपए से अधिक के बकाया कर्जवाले असुरक्षित लेनदारों की बैठक आयोजित की। मूल्य में तीन-चौथाई से अधिक का प्रतिनिधित्व करनेवाले एचएलएल के अधिकांश असुरक्षित लेनदारों ने डीमर्जर की योजना को मंजूरी दे दी।

इसके बाद एचएलएल और एचएमएल दोनों ने 8 मार्च 2021 को फार्म सीएए5 में संयुक्त द्वितीय गति याचिका प्रस्तुत की और एमसीए से व्यवस्था की योजना को मंजूरी देने का अनुरोध किया ताकि उन सभी पक्षों पर बाध्यकारी हो जिन पर यह योजना लागू है। एमसीए ने सुनवाई के दौरान याचिकाओं में किए गए कथनों पर विचार करने के बाद और संबंधित आरओसी एवं आरडी को रिपोर्टों पर भी विचार करके निष्कर्ष निकाला कि व्यवस्था की योजना क्रम में है और अतः व्यवस्था की योजना केलिए केंद्र सरकार की मंजूरी दी गई है और 31 मार्च 2021 को अंतिम आदेश जारी किया। इसके बाद, 10 अप्रैल 2021 को एचएलएल और एचएमएल ने एमसीए के आदेश की प्रमाणित प्रति निर्धारित ई-फार्म (आईएनसी 28) में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, केरल को कानून द्वारा निर्धारित के रूप में प्रस्तुत की। फॉर्म आईएनसी 28 की जाँच करने के बाद, एमसीए ने टिप्पणी की और टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण के साथ फॉर्म को पुनः प्रस्तुत करने की सलाह दी। एचएलएल और एचएमएल, दोनों ने आवश्यक स्पष्टीकरण के साथ फॉर्म आईएनसी 28 को पुनः प्रस्तुत कर दिया है।

2.17 HLL Lifecare Ltd has formulated the schemes for Demerger of HLL Biotech Ltd and HLL Medipark Ltd and submitted the schemes to the Ministry of Corporate Affairs [MCA] on 6th March 2019 and thereafter on 7th June 2019 submitted a joint application to the MCA.

Demerger of HBL

Considering the CCEA decision and direction given by the MoHFW, Government of India, the Board of Directors of HLL & HBL had on 20th February, 2019 considered and approved Scheme of arrangement between HLL and HBL under Section 230 to 232 read with Section 66 of the Companies Act, 2013. Based on the Board approval the Company submitted a joint application for Demerger to the Ministry of Corporate Affairs [MCA], Government of India. In this regard, the MCA had conducted hearings on several dates & various other proceedings and on 4th June 2020 interalia directed HLL and HBL to convene meetings of the Unsecured Creditors of both the companies to consider and approve the Scheme of Demerger of HBL from HLL. As directed by the MCA, HLL Lifecare Ltd. and HLL Biotech Ltd held the meeting of the Unsecured Creditors having outstanding debt of above INR10 Lakhon26th August 2020 through VC and provided e-voting facility to the Creditors to obtain approval for the proposed Scheme of Demerger of HBL. The majority of the unsecured creditors of HLL representing more than three-fourth in value have approved the scheme of Demerger, however, the majority of the unsecured creditors of HBL representing more than three-fourth in value have not approved the scheme of Demerger. Thereafter, HBL obtained NOC from two creditors and by adding the value of these two creditors the total value of affirmative votes by the unsecured creditors of HBL became more than three-fourth in value.

Subsequently, both HLL&HBL submitted joint second motion petition in form CAA5 on 9th February, 2021 and requested the MCA to sanction the scheme of arrangements so as to binding on all parties on whom the scheme is to be binding. The MCA after considering the averments made in the petitions and during the course of hearing and further considering the reports of the concerned ROC & RD accorded its sanction to the Scheme of Arrangement and issued final order on 22nd March, 2021. Thereafter, on 10th April, 2021 HLL & HBL submitted certified copy of the MCA order in the prescribed e-form (INC28) with the Registrar of Companies, Kerala as stipulated by law. After examining the form INC 28, the MCA raised remark and advised to re-submit the form with clarifications for the remark. Both HLL & HBL have resubmitted the form INC 28 with necessary clarification

Demerger of HML

Considering the CCEA decision and direction given by the MoHFW, Government of India, the Board of Directors of HLL & HML on 20th February, 2019 considered and approved Scheme of arrangement between HLL and HBL under Section 230 to 232 of the Companies Act, 2013. Based on the Board approval, the Company submitted joint application for Demerger to the Ministry of Corporate Affairs [MCA], Government of India. In this regard, the MCA had conducted hearings on several dates & various other proceedings and eventually issued order on18th January,2021 and directed HLL to convene meetings of the Unsecured Creditors of them to consider and approve the Scheme of Demerger of HML from HLL. As directed by the MCA, HLL held the meeting of the Unsecured Creditors having outstanding balance of above ₹ 10 Lakh on 22nd February, 2021 through VC. The majority of the unsecured creditors of HLL representing more than three-fourth in value have approved the scheme of Demerger.

Subsequently, both HLL & HML submitted joint second motion petition in Form CAA 5 on 8th March, 2021 and requested the MCA to sanction the scheme of arrangement so as to be binding all parties on whom the scheme is applicable. The MCA after considering the averments made in the petitions and during the course of hearing and also considering the reports of the concerned ROC & RD concluded that the Scheme of arrangement is in order and hence accorded the sanction of the Central Government to the Scheme of Arrangement and issued Final Order on 31st March, 2021. Thereafter, on 21st April, 2021 both HLL & HML submitted certified copy of the MCA order in the prescribed e-form(INC28) with the Registrar of Companies, Kerala as stipulated bylaw. After examining the form INC 28, the MCA raised remark and advised to re-submit the form with clarifications for the remark.

2.18 वर्ष के दौरान मेसेर्स एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड (एचएलएल) ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 179, धारा 180, धारा 185 , धारा 186 और अन्य लागू प्रावधानों के अधीन एचएलएल की पूर्ण स्वामित्ववाली समनुषंगी कंपनी, मेसेर्स एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एचबीएल) को मासिक आधार पर देय एचएलएल द्वारा लाभ उठाई नकदी ऋण सुविधा पर लागू अधिकतम ब्याज दर की दर पर विभिन्न खर्चों को पूरा करने के लिए ₹ 65 करोड तक की अस्थायी ऋण (अप्रतिभूत) प्रदान किया है। 31.03.2021 तक के शेष ₹ 19.41 करोड है और टिप्पणी सं -11 खाते के हिस्से के तहत खुलासा किया गया है।

2.19 वर्ष के दौरान मेसेर्स एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड (एचएलएल) ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 179, धारा 180, धारा 185 , धारा 186 और अन्य लागू प्रावधानों के अधीन एचएलएल की पूर्ण स्वामित्ववाली समनुषंगी कंपनी, मेसेर्स एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड (एचएमएल) को मासिक आधार पर देय एचएलएल द्वारा लाभ उठाई नकदी ऋण सुविधा पर लागू अधिकतम ब्याज दर की दर पर विभिन्न खर्चों को पूरा करने के लिए ₹ 1.68 करोड तक की अस्थायी ऋण (अप्रतिभूत) प्रदान किया है। 31.03.2021 तक के शेष ₹ 1.68 करोड है और टिप्पणी सं -11 खाते के हिस्से के तहत खुलासा किया गया है।

2.20 कंपनी ने 19 मार्च 2014 को कंपनी पर किए गए उचित परिश्रम के आधार पर 708.75 लाख रुपए के कीमत के लिए मेसेर्स गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मस्युटिकल्स लिमिटेड (जीएपीएल) की इक्विटी शेयर पूँजी का 74% अधिग्रहण किया है। जीएपीएल मेसेर्स ईडीसी लिमिटेड, गोवा सरकार उपक्रम की पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी कंपनी थी और विभिन्न फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों के विनिर्माण एवं बिक्री में लगी हुई है। सांविधिक लेवी के साथ भुगतान किए कीमत को गैर वर्तमान निवेश के भाग के रूप में दिखाया जाता है। कंपनी को हानि हुई है और 31 मार्च 2021 तक कंपनी का निवल मूल्य नकारात्मक हो गया है। चालू वर्ष का नुकसान मुख्य रूप से मेडिसेंटरों से कम कारोबार, कोविड महामारी की अवधि के दौरान ओपीडी नहीं होने और एपी, तेलंगाना और कर्नाटका के सरकारी संस्थानों के आदेशों की कमी के कारण हुआ है। भारत सरकर द्वारा आयुष क्षेत्र में दिए गए महत्व को ध्यान में रखते हुए, कंपनी आयुष विभाग से आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाओं के आदेश मिलने की उम्मीद करती है। तदनुसार प्रबंधन का विचार है कि निवेश से जुडे कोई संभावित हानि नहीं है।

2.21 उत्तर प्रदेश राज्य के 20 जिलों में 100 बिस्तर वाले मातृ एवं शिशु अस्पताल स्कंध के संचालन के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में 1 अगस्त , 2017 को एचएलएल की एक अलग 100% समनुषंगी के रूप में एचएलएल मातृ एवं शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड(एचएमसीसीएचएल) गठित किया गया। एचएमसीसीएचएल द्वारा प्रत्येक रु. 10/- के 10000 शेयर एचएलएल के नाम में आबंटित किया गया है। हालांकि एचएमसीसीएचएल उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सका जिसके लिए एसपीवी की स्थापना की गई थी।

शेल कंपनी को बनाए रखने के लिए अन्य आकस्मिक लागतों के साथ-साथ प्रशासनिक लागत और कानूनी अनुपालन लागत की आवश्यकता होगी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने 31 मार्च 2021 से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के रिकॉर्ड से नाम काटकर एचएमसीसीएचएल को बंद करने का निर्णय लिया। कंपनी बोर्ड बैठक में एचएमसीसीएचएल के निदेशक मंडल के नाम काटने के लिए एक विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी जिसमें लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण 2020-21 को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

समनुषंगी लाभकारी संस्था नहीं होने से वर्ष 2019-2020 के दौरान रु. 10.00 लाख के निवेश पर खराब हानि पहचान की गई है और उस वर्ष के लाभ या हानि के विवरण में चार्ज है। एचएलएल द्वारा प्रदत्त पूर्व प्रचालन व्यय की ओर एचएलएल मातृ एवं शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड द्वारा मूल कंपनी को देय ₹3.13 करोड की बकाया राशि को चालू वर्ष 2020-21 के दौरान लाभ व हानि में प्रभारित किया गया है।

2.22 एचएलएल बायोटेक लिमिटेड ने चेंगलपेट्टु में एकीकृत वैक्सीन परियोजना स्थापित करने के लिए एचएलएल अवसंरचना विकास प्रभाग (आईडीडी) को सिविल निर्माण परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है। एचएलएल-आईडीडी ने खुली निविदा प्रक्रिया के ज़रिए मेसर्स शापूरजी & कंपनी प्रा. लिमिटेड को परियोजना प्रदान किया है। एसपीसीपीएल ने परियोजना पूरा करने की संशोधित निर्धारित तारीख से 571 दिनों की देरी के साथ पूरी की । एसपीसीपीएल के कारण भुगतान के संबंध में पार्टियों के बीच में वाद-विवाद हुआ। एसपीसीपीएल ने रु.74.95 करोड का मध्यस्थता दावा दायर किया जिसके विरुद्ध एचएलएल ने रु.46.07 करोड का काउंटर दावा की है। मध्यस्थता चल रही है। एचबीएल के निदेशक मंडल ने एसपीसीपीएल के मध्यस्थता दावे को संभालने की मंजूरी दे दी जो एचबीएल-आईवीसी के निर्माण से संबंधित है, मध्यस्थता दावे को एचएलएल बायोटेक लिमिटेड के वित्तीय में आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

	Both HLL & HML have resubmitted the form INC 28 with necessary clarification.
2.18	HLL Lifecare Limited [HLL] has granted temporary loan (Unsecured) under the provisions of Sec. 179, Sec. 180, Sec. 185, Sec. 186 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with rules made there under to M/s. HLL Biotech Limited [HBL], upto₹65 Cr. for meeting various expenditure at a rate of interest rate linked to maximum interest rate applicable to Cash Credit facility availed by HLL payable on monthly basis. The balance as on 31.03.2021 is ₹ 19.41Crores and disclosed under Note 11 forming part of accounts.
2.19	HLL Lifecare Limited(HLL) has granted temporary loan (Unsecured) under the provisions of Sec. 179, Sec.180, Sec.185, Sec 186 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with rules made there under to M/s HLLMedipark Ltd(HML) upto ₹ 1.68 Crore for meeting various expenditure at the rate of interest linked to maximum interest rate applicable to Cash credit facility availed by HLL payable on monthly basis. The balance as on 31.03.2021 is ₹ 1.68 Crores and is disclosed under Note 11 forming part of accounts,
2.20	The Company, on 19th March, 2014 has acquired 74% of the Equity Share Capital of M/s Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (GAPL) for a consideration of ₹ 708.75 lacs based on a due diligence conducted on the company. GAPL was a wholly owned subsidiary company of M/s EDC Limited, a Govt. of Goa undertaking and is engaged in the manufacturing & selling of various pharmaceuticals products. The consideration paid together with statutory levies is shown as part of noncurrent investments. The company has incurred losses and as on 31st March 2021 the networth of the company has turned negative.The current year losses are primarily due to the reduced business from Medicentres due to no OPD during the Covid Pandemic period and lack of orders from Government Institutions from AP, Telengana& Karnataka. Taking into account the importance given by Govt. of India into AYUSH sector, company is expecting orders from AYUSH Departments towards Ayurvedic and Homeopathic medicines. Accordingly, the management is of the view that there is no potential impairment losses associated with the investment.
2.21	HLL Mother & Child Care Hospitals Limited (HMCCHL) was formed as a separate 100% subsidiary of HLL on 1st August 2017, as a Special Purpose Vehicle for operationalization of 100 bedded Mother & child Hospitals Wings in 20 districts in the state of Uttar Pradesh 10000 shares @ ₹10/- each is allotted in the name of HLL by HMCCHL. However, HMCCHL could not serve the objective for which the SPV was set up. Considering the fact that maintaining a shell company will necessitate incurring administrative cost and legal compliance cost among other incidental costs, the Board decided to close down HMCCHL by striking off the name from the records of the Registrar of Companies [ROC] in accordance with the provisions of Section 248 of the Companies Act, 2013 after 31st March, 2021. The company will submit a specific proposal to strike off the name to the Board of directors of HMCCHL in the Board meeting in which audited financial statements 2020-21 will be submitted for approval. As the subsidiary is not a going concern impairment on investment of ₹10.00 lakhs was recognized during the year 2019-2020 and charged to the statement of Profit or Loss of that year. An outstanding amount of ₹3.13 Cr due to the parent company by HLLMother and Child Care Hospital Ltd towards pre-operative expenses paid by HLL has been charged to Profit and Loss during the current year 2020-21.
2.22	HLL Biotech Ltd, appointed HLL- Infrastructure Development Division (IDD) as Civil Construction consultant for setting up the Integrated Vaccine Project in Chengalpattu. HLL- IDD awarded the project to M/s ShapoorjiPallonji& Company Pvt Ltd, Chennai through Open Tender Process. SPCPL completed the project with a delay of 571 days from the revised scheduled date of completion. Dispute arose between the parties with regard to payments due to SPCPL. SPCPL has filed an arbitration claim of ₹74.95 Crores against which HLL has filed a counter claim of ₹ 46.07 Crores. The arbitration is under progress. The Board of Directors of HBL has approved taking over of the arbitration claim of SPCPL as the same is pertaining to the construction of HBL- IVC, the arbitration claim is disclosed as contingent liability in the financials of HLL Biotech Ltd.

2.23 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) स्यू मोटो ने वर्ष 2010 से 2013 तक की अवधि के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्लियु) द्वारा जारी की गई निविदाओं में अभिकथित कार्टेलिज़ेशन के लिए पुरुष गर्भनिरोधक उत्पादों के दस निजी विनिर्माताओं के खिलाफ जाँच प्रारंभ की थी और जाँच में कंपनी को अभिकथित गुटबंदी के लिए एक पार्टी के रूप में भी शामिल की थी। कंपनी से माँगी गई सभी जानकारी भी प्रस्तुत की गई। एचएलएल को डीजी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देने के लिए 11.11.2019 तक का समय दिया गया जो 11.11.2019 को दायर किया गया था। वर्ष 2019 के डब्लियु.पी नं. 2293 में तेलंगाना न्यायलय द्वारा पारित दिनांक 14.10.2019 के आदेश के मद्देनज़र, मामले में आगे की कार्यवाही जारी रखते हुए, आयोग ने 20.11.2019 को नियत मामले में डीजी रिपोर्ट पर अंतिम सुनवाई को रद्द करने का निर्णय लिया। यह निर्णय 15.11.2019 को सीसीआई द्वारा एचएलएल और अन्य विरोधी पक्षों को सूचित किया गया।

2.24 वर्ष 2018-19 के दौरान, केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाएं (सीजीएचएस) ने एचएलएल अमृत स्टोर्स के माध्यम से सीजीएचएस के द्वारा अपेक्षित दवाओं के प्रापण के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन संसूचित किया था। दिनांक 21 अगस्ता, 2018 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, आपूर्ति किए गए दवाओं के लिए भुगतान एमआरपी के 30% से कम नहीं छूट पर किया जाएगा। तदनुसार आपूर्तियाँ पूरी की गईं।

हालांकि सीजीएचएस के मामले में 4 जनवरी 2019 को आगे की चर्चा हुई और एचएलएल के खर्च समाविष्ट करने के लिए सीजीएचएस को लागत प्लस मार्क अप आधार पर अधिक फायदे पारित करने के लिए बिल्लिंग की शर्तों को संशोधित किया गया। तदनुसार, एचएलएल ने सीजीएचएस को बिल किए गए चिकित्सा उत्पादों पर कॉस्ट प्लस 25 % मार्क अप में चालान किया। आगे की चर्चा के आधार पर, एचएलएल को अलग रूप से क्रय लागत प्लस जीएसटी, लागत की प्रतिपूर्ति और एचएलएल सेवा शुल्क के आधार पर दवाओं का मूल्य प्राप्त करनी थी। सीजीएचएस ने एचएलएल को क्रय लागत प्लस जीएसटी की ओर पूरी रकम का भुगतान किया था, हालांकि सेवा शुल्क के लिए दावा लंबित है। चर्चा के बाद प्रतिपूर्ति और सेवा शुल्क के अंतिम दावे को संशोधित कर ₹21.80 करोड के पिछले दावे के खिलाफ ₹15.71 करोड कर दिया गया।

पहले के दावे और ₹ 6.09 करोड(₹21.80 करोड - ₹15.71 करोड) के अंतिम दावे के अंतर को वर्ष के दौरान लाभ और हानि विवरण से चार्ज ऑफ किया जाता है क्योंकि यह अब प्राप्य नहीं है।

2.25 आरबीडी और एचसीएस प्रभाग प्रत्येक सेंटर के दैनिक लेन-देन प्राप्त करने के लिए इको ग्रीन, वंडर सोफ्ट, 21 सेंन्चवरी एलअईएस सोफ्टवेयर &सुवर्णा जैसे विभिन्न सोफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं । लेन-देन का सारांश आवधिक आधार पर एचएलएल खाता बही में अधिकृत कर लिया है।

2.26 कंपनी ने दिसंबर 2015 से 20 वर्षों की अवधि के लिए सोपानम कॉम्प्लेक्स, मेडिकल कॉलेज जंग्शन, तिरुनवंतपुरम के उनके मकान के दो मंज़िलों को पट्टे पर देने की ओर तिरुनवंतपुरम विकास प्राधिकरण (ट्रिडा) के साथ पट्टा समझौता प्रारंभ किया है।

रु. 500 लाख का ब्याज मुक्त प्रतिदेय प्रतिभूति जमा इंड एस 109 के अनुसार गैर चालू और चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ - अन्य के अधीन प्रकट किया जाता है और जमा के वर्तमान मूल्य और पूर्व प्रदत्त किराए के रूप में आस्थगित भुगतान की गई रकम के बीच के अंतर को इंडएएस 116 के तहत आरओयु परिसंपत्ति के रूप में प्रकट किया जाता है।

2.27 एचएलएल कैंपस, नोएडा में चिकित्सा उपकरणों के लिए परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की ओर एमओसी &आई से एचएलएल को प्राप्त निर्यात अवसंरचना और अन्य संबद्ध गतिविधियों के विकास(एसाईड) के लिए राज्यों को सहायता के अधीन नवंबर 2016 के दौरान रु.14 करोड की रकम प्राप्त हुई थी। मंजूरी पत्र की शर्तों के अनुसार, (क) वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधि सहित परियोजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एचएलएल द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा। (ख) परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना है (ग) एचएलएल को 31.03.2018 को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा (घ) अनुदेयी नियमों व शर्तों का पालन करने में विफल होने की स्थिति में, अनुदान का पूरा या उसका हिस्सा प्रतिवर्ष 10% की दर से ब्याज के साथ वापस किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

यह परियोजना निर्माणाधीन है और नियमित आधार पर निर्धारित जैसे उपयोग प्रमाणपत्र एमओसी &आइ को प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी अनुदान के पुनर्भुगतान की परिकल्पना नहीं करती है क्योंकि परियोजना पूर्ण होने के अंतिम चरण में है। कंपनी को समय के विस्तार के लिए लिखित स्वीकृति मिलना बाकी है। परियोजना के निर्माण की पूर्ति लंबित रहने से, प्राप्त राशि को अन्य चालू देयताओं के अधीन अग्रिम में प्राप्त अनुदान के रूप में दिखाया जाता है। 31.03.2018 के निर्धारित समापन तारीख से 31.03.2021 तक के ₹208.02 लाख की अप्रयुक्त रकम के ब्याज को ₹62.46 लाख की आकस्मिक देयता मानी जाती है।

2.23	The Competition Commission of India (CCI) suomoto had initiated (30.9.2014) an investigation against ten private manufacturers of male contraceptive products for alleged cartelisation in tenders floated by Ministry of Health and Family Welfare (MoH&FW) during the period 2010 to 2013 and upon investigation the Company was also included as a party to the alleged cartelisation. All information sought from the company was also submitted. HLL was granted time till 11.11.2019 to file response on the DG Report which was filed on 11.11.2019. In view of the Order dated 14.10.2019 passed by the Hon'ble Court of Telangana in W.P. No. 2293 of 2019, staying all further proceedings in the matter, the Commission decided to cancel the date of final hearing on DG Report fixed in the matter on 20.11.2019. This decision was communicated by the CCI to HLL and other Opposite Parties on 15.11.2019.
2.24	During the year 2018-19, Central Government Health Services (CGHS) communicated the approval of the competent authority for procurement of medicines required by CGHS through HLL AMRIT stores. As per the OM dated 21st August 2018, the payment for the medicines supplied shall be made at a discount of not less than 30% of MRP. Accordingly, supplies were completed. However, at the instance of CGHS, further discussions were held on 4th January 2019, and the terms of billing was revised to pass on more benefit to CGHS at cost plus mark-up basis to cover the expenses of HLL. Accordingly, HLL has invoiced at Cost plus 25% mark up on the medical products billed to CGHS. Based on further discussions, HLL was to receive value of medicines based on "purchase cost plus GST" and reimbursement of cost and HLL service charges seperately. CGHS had paid to HLL the full amount towards purchase cost plus GST, however the claim towards services charges is pending. The final claim towards reimbursement and service charges after discussions was revised to ₹15.71 Cr against previous claim of ₹ 21.80 Crores. The differential of earlier claim and final claim of ₹ 6.09 Cr (₹ 21.80 Cr –₹15.71 Cr) , is charged off to Profit and Loss Statement during the year as the same is no longer receivable.
2.25	RBD and HCS divisions are using multiple software's like Eco Green, Wonder soft, 21st Century LIS software &Suvarna for capturing daily transactions of each centres. Summary of transactions are captured in HLL books of accounts on a periodical basis.
2.26	Company has entered into a lease agreement with Thiruvananthapuram Development Authority (TRIDA) to lease out two floors of their building at Sopanam Complex, Medical College Junction, Thiruvananthapuram for a period of 20 years from December 2015. The interest free refundable security deposit of ₹ 500 lakhs is discounted and shown at its present value under Non-current & Current Financial assets –others as per Ind AS 109 and the difference between the Present value of deposit and the amount of deposit paid deferred as prepaid rent is disclosed as ROU Asset under Ind AS 116.
2.27	An amount of ₹14 Crores was received by HLL from MoC&I during November 2016 for setting up testing lab for medical equipments at HLL campus, Noida under Assistance to States for Developing Export Infrastructure and Allied Activities (ASIDE). As per the terms of the sanction letter, (a) A committee shall be constituted by HLL for implementation and monitoring the projects including a representative from the department of commerce , (b) the project is to be completed in time bound manner ,('c) HLL has to submit the utilisation certificate by 31.03.2018 (d) In the event of grantee failing to comply the terms and conditions, whole or part of the grant is liable to be refunded with interest @10% per annum. The project is under construction and utilisation certificates are submitted to MoC&I as stipulated on regular basis . The company does not envisage repayment of the grant as the project is in final stages of completion. The company is yet to get a written approval for extension of time. Pending completion of construction of the project, the amount received is shown as grant received in Advance under other current liabilities. A contingent liability of ₹ 62.46 lakhs is considered towards interest on the un-utilised amount of ₹ 208.02 lakhs as on 31.03.2021 from the date of scheduled completion of 31.03.2018

2.28 वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी ने फार्मास्यूटिकल फंड और सफ्लाई एजेंसी , इथियोपिया के माध्यम से इथियोपिया मंत्रालय को पुरुष कंडोम के 69.88 दशलक्ष अदद निर्यात किया था। इन में से कुछ बैच इथियोपिया फुड मेडिसिन और हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन (ईएफएमएएचसीए) के परीक्षणों में असफल हो गये हैं। इस शर्त पर चार परेषण में पूरी आपूर्ति प्रतिस्थापित करने की सहमति व्यक्त की गयी कि इथियोपियन संस्था को एचएलएल द्वारा प्रतिस्थापित किये गये प्रत्येक बैच की ओर खराब सामाग्रियों के समान मात्रा वापस भेजना है।

कंपनी ने वर्ष 2017-18 के दौरान कंडोम के 15 दशलक्ष अदद (35 बैचों में) बदले में प्रतिस्थापित किया और फार्मस्यूटिकल फंड और सुल्ली एजेंसी (पीएफएसए) ने 137 बैचों से 15 दशलक्ष अदद वापस किए। वापसी मालों के केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, चेन्नै में आगे परीक्षण किया गया और सभी बैच पारित किये गये। पीएफएसए ने सूचित किया था कि वे पहले सहमत किये जैसे वे प्रतिस्थापन के साथ जारी नहीं रहेंगे।

तदनुसार रु. 186.91 लाख के 15 दशलक्ष अदद भेजने के लिए खर्च किए वास्तविक व्यय 2016-17 के दौरान 30 दशलक्ष अदद के खिलाफ बनाए गए 380.45 लाख के प्रावधान की ओर छूट दी गयी और रु. 193.54 लाख की शेष प्रावधान 2017-18 में वापस लिखा गया है।

पीएफएसए, ऐथियोपिया ने हमें भुगतान की गई रकम की शेष रकम की वापसी मांग कर दिनांक 13.2.2018 के कानूनी नोटीस भेजा था। हालंकि दिनांक 21.02.2018 के पत्र के अनुसार एचएलएल द्वारा इसको इनकार कर दिया गया। दिनांक 5.2.2019 के पत्र द्वारा पीएफएसए, मेसेर्स ग्लोबल फंड टु फाइट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस ऑण्ड मलेरिया, जनिवा को संपूर्ण रकम की प्रतिपूर्ति के लिए एचएलएल के खिलाफ आवश्यक उपाय लेने के लिए सूचित किया गया। इसके बाद दिनांक 18.02.2019 के पत्र द्वारा एचएलएल, मेसेर्स ग्लोबल फंड को विस्तृत समर्थन दिया गया और एचएलएल और उसके व्यवसाय की छवी को कलंकित करना रोकने केलिए पीएफएसए को सलाह देने का अनुरोध किय गया।

23 सितंबर 2020 को पीएफएसए ने एचएलएल के खिलाफ फेडरल हाईकोर्ट-फेडरल डेमोक्राटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया के साथ उपरोक्त मामले के अनुरूप 45.60 करोड आईएनआर के बराबर दावा रकम के लिए एक सिविल मुकद्दमा दायर किया। एचएलएल को फेडरल हाईकोर्ट-फेडरल डेमोक्राटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया से 12.10.2020 को सूचना मिली कि इस मामले पर पहली सुनवाई फरवरी 2021 को होगी। एचएलएल 18.02.2021 को अपने वकील, अधिवक्ता जेनेट मुलतु के द्वारा प्रतिवाद बयान दाखिल कर सकता है।

₹45.60 करोड की दावा रकम 31.03.2021 तक के आकस्मिक देयता में शामिल है।

2.29 2016-17 के दौरान एचएलएल राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा, क्यूबा को ठेका सं : 75323 द्वारा एस बी ई के 2,00,000 संख्या आपूर्ति किया गया। जून 2017 के दौरान चिकित्सा उपकरण और डिवाईस विभाग, क्यूबा (सीईएस एमईडी) ने गुणवत्ता संबंधी मामले पर मुद्दा उठाया। पार्टियों ने संवाद के ज़रिए गुणवत्ता मुद्दों को संबोधित करने की कोशिश की और नमूनों को भारत में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित एसजीएस लैब में जाँच किया गया । नमूने स्टेरिलटि परीक्षण पारित किया गया और मेडिकुबा भी 19.03.2018 को आपूर्ति की ओर भुगतान भी जारी किया गया। 29.10.2018 को मेसेर्स मेडिकुबा ने अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक आर्बिट्रेशन, क्यूबा न्यायालय के समक्ष 936404.81 यूरो (रु. 7.38 करोड के तुल्य) के दावा याचिका फाइल किया।

आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा सुझाई गई शर्तों को ध्यान में रखते हुए और एचएलएल और मेडिकुबा के सहमति के साथ, मौखिक सुनवाई के दौरान चेंबर ऑफ कॉमेर्स की सीट में, मेडिकुबा और एचएलएल के बीच में 7.2.2020 को दोनों पक्षों के लिए एक दोस्ताना और अनुकूल समझौते पर पहुँचने के लिए समझ की एक बैठक आयोजित की गई जो बहस में आनेवाले मुद्दों को समाप्त कर सकता है। एचएलएल द्वारा मेसर्स मेडिकुबा को एक प्रस्ताव तैयार और साझा किया गया। मेडिकुबा और एचएलएल दोनों द्वारा उनके काउंसल्स के साथ प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया और हस्ताक्षर किए गए।

क्यूबा के न्यायालय सचिवालय ने 23.02.2021 को एचएलएल और मेडिक्यूबा को निर्देश दिया था कि 21.03.2021 से पहले मध्यस्थता मामले को अतिरिक्त न्यायिक वाणिज्यिक समझौता जमा करके बंद कर दिया जाए। मेडिक्यूबा के साथ सहमति हुई और प्रबंधन की मंजूरी प्राप्त करने के बाद 18.03.2021 को अतिरिक्त न्यायिक वाणिज्यिक समझौता निष्पादित किया गया। न्यायालय से औपचारिक आदेश का इंतजार है।

2.28	During the year 2015-16 the company had exported 69.88 Mpcs of male condoms to Ministry of Ethiopia through Pharmaceutical Fund and Supply Agency, Ethiopia. Out of these, some of the batches failed the tests of Ethiopia Food Medicines and Health Care Administration (EFMAHCA). It was agreed to replace the entire supplies in four consignments on the condition that the Ethiopian entity has to send back equal quantity of the defective material against each batch of replacement done by HLL. The Company replaced 15 Mpcs of Condom (in 35 batches) and in return Pharmaceuticals Fund and Sully Agency (PFSA) has returned 15 Mpcs from 137 batches during 2017-18. The returned goods were further tested at Central Drug Testing Laboratory, Chennai and all batches were passed. PFSA had informed that they would not continue with the replacement, as agreed earlier. Accordingly, actual expenditure incurred for despatch of 15 Mpcs of ₹186.91 lakhs are netted off against the provision created of ₹ 380.45 lakhs against 30 Mpcs during 2016-17, and balance provision of ₹ 193.54 lakhs were written back in 2017-18 PFSA, Ethiopia had send a legal notice dated 13.02.2018 demanding refund of balance amount paid to us. However, this was denied by HLL vide letter dated 21.02.2018. PFSA by a letter dated 5.2.2019 had informed 'M/s Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria', Geneva to take necessary measures against HLL for reimbursement of the entire amount. Subsequently, by letter dated 18.2.2019, HLL furnished detailed justification to M/s Global Fund and requested them to advise PFSA to stop tarnishing the image of HLL and its business On 23rd September 2020, PFSA filed a Civil Case against HLL with the Federal High Court – Federal Democratic Republic of Ethiopia in line with the above matter for a claim amount equivalent to 45.60 Cr INR.HLL received intimation from the Federal High Court – Federal Democratic Republic of Ethiopia on 12.10.2020 that the first hearing on the matter will be on February 2021. HLL could file the defence statement though our counsel, Adv. Genet Mulatu on 18.2.2021. The claim amount of ₹45.60 Crores is included in Contingent Liability as on 31.03.2021.
2.29	HLL supplied 2,00,000Nos of SBE to National Health Service, Cuba during 2016-17 vide contract no: 75323. During June 2017, Department of Medical Equipment and Devices, Cuba (CEC MED) raised quality concerns. The parties tried to address the quality issue by dialogues and also got the samples tested in internationally reputed SGS Lab in India. The samples passed the sterility test and Medicuba also released payments towards the supply on 19.03.2018. In 29.10.2018 M/s. MediCuba filed a claim petition before the Cuban Court of International Commercial Arbitration raising a claim of EURO 936404.81. Considering the suggested terms by the Arbitral Tribunal, and with the express will of HLL and Medicuba during the Oral Hearing, at the seat of the Chamber of Commerce, a meeting of understanding was held on 7.2.2020 between Medicuba and HLL to reach a agreement for both parties that can end the issues in argument. A proposal was prepared and shared to M/s Medicuba by HLL. The proposal was finalized and signed by both Medicuba and HLL along with their counsels. Cuban court Secretariat had instructed HLL and Medicuba on 23.02.2021 to close the arbitration matter before 21.03.2021 by submitting the Extrajudicial Commercial Agreement. Consensus was arrived at with Medicuba and after obtaining Management approval the Extrajudicial Commercial agreement has been executed on 18.03.2021. In the Extrajudicial Commercial Agreement, HLL accepts to grant financial discounts to future contracts, until completing the amount of EURO 794793.77, value corresponding to the contract in litigation today, as long as the established process of import management for its award is complied with. Said discounts may be extended for the period up to two (2) years and to include, on a non-limited basis to other resources necessary for the National Health system such as blood bags, intrauterine devices (IUD), Gloves, Suture and condoms. Formal Order from court is awaited. M/s Medicuba is to release the pending dues of EURO 362323.29 , withheld consequent to the case. As per ECGC policy, HLL has to raise the claim with ECGC within 1 year from the expiry of the due date. Therefore HLL has raised the claim with ECGC. Company has meanwhile received an ECGC claim of ₹ 1.74 Crore during 2019, against the receivables from M/s Medicuba. Consequent to the agreement with M/s Medicuba as above, when the receivables from M/s Medicuba are settled, the ECGC claim is refundable by the company.

2.30 लेखा मानक एएए -37 के अनुसार प्रावधान, प्रासंगिक देयताएँ और प्रासंगिक परिसंपत्तियाँ, 31मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखे में बनाए गए प्रावधानों में गति से संबंधित प्रकटीकरण निम्न जैसे हैं:

(₹ लाखों में)

	वस्तुसूचियों की ओर प्रावधान		अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता*		ऋण व पेशगियों के लिए प्रावधान**	
वर्ष	20-21	19-20	20-21	19-20	20-21	19-20
प्रारंभिक शेष	27.46	16.19	2233.88	2227.52	1538.61	1538.61
परिवर्धन	179.17	27.46	2483.72	135.63		-
उपयोग			2425.72	80.02		-
व्युत्क्रम	27.46	16.19	216.95	49.24		-
अंतिम शेष	179.17	27.46	2074.92	2233.88	1538.61	1538.61

* अप्रचलित वस्तुसूची की ओर प्रावधान बनाया गया।

** प्राप्य & ऋण और पेशगियों की ओर प्रावधान बनाए गए।

2.31 टिप्पणी सं 9 के अनुसार व्यापार प्राप्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) से प्राप्य रु. 137.41 करोड शामिल है। इस में से रु. 123.74 करोड नवंबर, 2010 में निर्माण शुरू हुए केरल के पारिप्पल्ली में मेडिकल कॉलेज के निर्माण से संबंधित है, 21/10/2016 को पूरा किया गया और ईएसआईसी द्वारा लिया गया और शेष रकम रु. 13.67 करोड अन्य परियोजना से संबंधित है। इन में से रु. 123.74 करोड, रु. 28.98 करोड किये गये काम का मूल्य है और रु. 94.76 करोड, अक्तूबर, 2012 से समय विस्तार के लिए लंबित अनुमोदन वद्धित का दावा किया जा रहा है।

इस ₹ 94.76 करोड प्राप्य के खिलाफ ₹62.45 करोड को इस टर्नकी परियोजना पर मेसेर्स एल & टी के बिल के हिस्से के रूप में उनको देय वर्धित दावा की ओर खर्च के रूप में मान्यता प्राप्त है।

एचएलएल अनुबंध के अनुसार भुगतान जारी करने के लिए अनुरोध करने से, ईएसआईसी के पत्र दिनांक 27.03.2018 के अनुसार एचएलएल को ₹92.93 करोड को वापस भुगतान करने का निर्देश दिया जो एचएलएल और ईएसआईसी के बीच में दिनांक 21.01.2010 के किसी भी सहमत अनुबंध की शर्तों के आधार पर नहीं है। लंबे समय से लंबित प्राप्तियों को विचार करके एचएलएल ने ईएसआईसी के साथ के समझौते के अनुसार विवाद निवारण प्रक्रिया के लिए अनुरोध किया है। तदनुसार ईएसआईसी ने एकमात्र मध्यस्थ को नियुक्त किया है और कार्यवाही 03.08.2018 को शुरू की। एचएलएल ने 29.12.2018 को ईएसआईसी को ₹ 437.19 करोड के कुल दावे का विवरण प्रस्तुत किया और ईएसआईसी ने 05.04.2019 को प्रतिवाद का बयान और ₹ 103.51 करोड के काउंटर दावा प्रस्तुत किया। एचएलएल ने दावों पर विस्तृत बहस की और निष्कर्ष निकाला गया कि 13.03.2020 की सुनवाई पर प्रारंभिक तर्क है। हालांकि कोविड के प्रकोप के कारण, ईएसआईसी के तर्कों के लिए आगे की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी और देश की स्थिति में सुधार होने पर कार्यवाही का पुनरारंभ करेगा। कोविड लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण, ईएसआईसी के तर्क-वितर्क के लिए निर्धारित आगे की सुनवाई, योजना के अनुसार शुरू नहीं कर सकी और एचएलएल द्वारा दायर आवेदन के आधार पर, दिल्ली उच्च न्यायलय ने 22.01.2022 तक मध्यस्थता कार्यवाही के लिए विस्तार प्रदान किया और पहले के कार्यक्रम के आधार पर सुनवाई फिर से शुरू हुई। हालांकि, ईएसआईसी ने लॉकडाउन और अन्य प्रशासनिक कारणों को उद्धृत करके विस्तार की मांग की। देरी से बचने के लिए एचएलएल ने वर्चुअल सुनवाई के लिए एक अनुरोध प्रस्तुत किया और ईएसआईसी द्वारा इस पर आपत्ति की गई जिससे प्रक्रिया में और देरी हुई।

कोविड महामारी की दूसरी तरंग के प्रकोप ने सामान्य कार्यवाही/प्रक्रिया के समयबद्धन को और प्रभावित किया और इस तरह मध्यस्थता प्रक्रिया में और देरी हुई, जो अन्यथा अब तक समाप्त हो जाती।

मेसेर्स एल &टी के साथ व्यवस्थापन लंबित होने के कारण, अनुबंध के अनुसार मेसेर्स एल & टी द्वारा विवाद निवारण तंत्र की शुरूआत की गई थी। तदनुसार एचएलएल ने एकमात्र मध्यस्थ को नियुक्त किया है और मेसेर्स एल&टी ने ₹ 248.07 करोड के ब्याज (30.09.2019) के साथ ₹ 278.95 का दावा प्रस्तुत किया। एचएलएल ने ₹ 38.50 करोड के काउंटर दावे के साथ दावों का स्पष्ट रूप से खंडन करते हुए अपने प्रतिवाद के बयान को प्रस्तुत किया। आगे एल & टी के प्रत्युत्तर के लिए उत्तर देते हुए एचएलएल के काउंटर दावे को ₹ 53.98 करोड में संशोधित कर दिया गया। वर्चुअल मोड में मध्यस्थता की कार्यवाही प्रगति पर है और मौखिक प्रस्तुतियों के लिए देय है।

2.30 Pursuant to the Ind AS 37 - Provisions,ContingentLiablities and Contingent Assets, the disclosure relating to movement in provisions made in the accounts for the year ended 31st March 2021 is as follows:

(₹lacs)

	Provision against Inventories*		**Allowance for Bad and doubtful debts****		**Provision for Loans and Advances****	
Year	20-21	19-20	20-21	19-20	20-21	19-20
Opening Balance	27.46	16.19	2233.88	2227.52	1538.61	1538.61
Additions	179.17	27.46	2483.72	135.63		-
Utilisations			2425.72	80.02		-
Reversals	27.46	16.19	216.95	49.24		-
Closing Balance	179.17	27.46	2074.92	2233.88	1538.61	1538.61

*Provision created against obsolete inventories

**Provision created against receivables & loans and advances

2.31 Trade Receivables as per Note No 9 includes ₹ 137.41 crores receivable from Employees State Insurance Corporation (ESIC). Out of this, ₹123.74 Crores pertains to claims for Construction of Medical College at Paripally in Kerala, started in November 2010, was completed and taken over by ESIC on 21/10/2016 and balance ₹13.67 crores pertains to other assignments. Out of this ₹ 123.74 crores, ₹ 28.98 crores is value of work done and ₹ 94.76 crores being escalation claims pending approval for extension of time from October 2012.

As against this ₹94.76 crores receivable, ₹ 62.45 crores is recognized as expenses towards escalation claims payable to M/s L&T as part of their bills on this turnkey project.

As HLL was requesting for release of eligible payments due as per contract, ESIC vide letter dated 27.03.2018 directed HLL to pay back ₹ 92.93 crores, which is not based on any agreed contract terms between HLL and ESIC dated 21.01.2010. Considering the long pending receivables, HLL has requested for dispute redressal process as per agreement with between ESIC. Accordingly, ESIC appointed sole arbitrator and the proceedings started on 03.08.2018. HLL submitted Statement of claim totalling to ₹437.19 crores to ESIC on 29.12.2018, and ESIC submitted a statement of defence and counter claim of ₹103.51 crores on 05.04.2019. HLL had detailed arguments on the claims and concluded is preliminary arguments on hearing dated 13.03.2020. Due to COVID lockdown restrictions, further hearings scheduled for arguments of ESIC could not commence as planned and based on application filed by HLL, High Court of Delhi, granted extension for arbitration proceedings upto 22.01.2022 and hearing resumed based on earlier schedule. However, ESIC further sought extension, citing lock down and other administrative reasons. To avoid delay HLL submitted a request for virtual hearings and this was objected by ESIC leading further delay in the process.

The outbreak of second wave of COVID pandemic further affected scheduling of normal proceedings / process and thereby delaying the arbitration process further , which otherwise would have been concluded by now.

Due to pendency on settlement with M/s L&T ,Disputeredressal mechanism as per contract was initiated by M/s L&T. Accordingly HLL appointed Sole arbitrator and M/s L&T submitted claim of ₹278.95 crores along with interest (upto 30.09.2019) of ₹248.07 crores. HLL submitted its statement of Defence explicitly denying the claims along with counter claim of ₹38.50 crores. Further while responding to the Rejoinder of L&T the counter claim of HLL was revised to ₹53.98 crores. The arbitration proceedings are in progress in virtual mode and is due for oral submissions.

2.32 एचएलएल ने गुजरात राज्य सरकार के सहयोग से राज्य भर में जेनरिक ड्रग्स को बढावा देने के लिए अपने पहल के रूप में अमृत दीनदयाल प्रधान मंत्री जन औषधि स्टोर (एडीडीपीएमजेएएस) खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ की । इस संबंध में, एचएलएल ने 6 सितंबर 2016 को मेसेर्स गुजरात राज्य सीएसआर प्राधिकरण और मेसेर्स गुजरात मेडिकल सर्वीसस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएमएससीएल) के साथ एमओयु हस्ताक्षर किया ।

एम ओ यु के अनुसार, एचएलएल एक संयुक्त उद्यम का गठन होने तक फार्मेसियाँ स्थापित करेगा और संचालन करेगा और उसके बाद संयुक्त उद्यम में एचएलएल की भूमिका एक ज्ञान साझेदार की होगी और एचएलएल द्वारा किये गये परिसंपत्तियों और निवेशों को संयुक्त उद्यम में संस्थानांतरित किया जाएगा और संयुक्त उद्यम का गठन होने के बाद इक्विटी में परिवर्तित किया जाएगा ।

पहले चरण में एचएलएल ने नवंबर 2016 के महीने में गुजरात के 12 मेडिकल कॉलेजों और 40 जिला/सिविल आस्पतालों में 52 अमृत दीनदयाल प्रधान मंत्री जन औषधि स्टोर संस्थापित किये थे। ऐसे रिटेल ड्रग स्टोर के संस्थापन का उद्देश्य गुजरात में असेवित आबादी के लिए किफायती और उच्च गुणवत्तावाले स्वास्थ्य रक्षा उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान किया था।

28 मार्च 2017 को, जीएसएफसी अग्रोटेक लिमिटेड (जीएटीएल) &गुजरात मेडिकल सर्वीसस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएमएससीएल) द्वारा प्रोन्नमित एक संयुक्त उद्यम कंपनी, गुजरात आरोग्य सेवा प्राइवेट लिमिटेड (जीएएसपीएल) परियोजना आगे ले जाने के लिए गठित की गयी। 6 सितंबर, 2016 को हस्ताक्षरित एमओयु के अनुसार, पार्टियों ने सहमत की है कि एक बार गठित होने से रिटेल ड्रग स्टोर की परिसंपत्तियाँ, देयताएं और प्रचालन जेवीसी द्वारा लिया जाएगा। एम ओ यु में उल्लिखित शर्त व निबंधन के विरुद्ध, इस उद्देश्य के लिए बनाए गए जेवीसी द्वारा रिटेल ड्रग स्टोर की परिसंपत्तियाँ, देयताएं और प्रचालन नहीं लिया गया।

तदनुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गुजरात सरकार द्वारा पारित संकल्प सं. एमएसपी/1018/467/जीएच, दिनांक 08/05/2018 के अनुसार एचएलएल ने 18/05/2018 के प्रभाव से स्टोर के प्रचालन ले लिया। संकल्प के अनुसार, जीएमएससीएल ने उसकी लेखापरीक्षा आयोजित करने के बाद स्थानांतरण की तारीख तक गुजरात प्रचालन की हानि रकम व्यवस्थापन करने के लिए सहमति दी है।

इस प्रकार 17/05/2018 तक रु. 12.32 करोड की रकम की संचित हानि चालू वित्तीय परिसंपत्तियों - अन्य के तहत मेसेर्स गुजरात आरोग्य सेवा प्राइवेट लिमिटेड (जीएएसपीएल) से प्राप्य के रूप में परिकलित किया गया है। आगे रु. 13.83 करोड मेडिसिन आपूत्ति की ओर गुजरात मेडिकल सर्वीसस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएमएससीएल) से देय है जो व्यापार प्राप्य में शामिल है। जीएमएससीएल से परिक्रामी निधि के रूप में एचएलएल द्वारा प्राप्त रु. 15. 00 करोड की रकम अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों के अधीन दिखायी गयी है।

उपर्युक्त को दृष्टि में रखकर, परियोजना वित्तीयन संकलित किया गया है और प्रतिपूर्ति के लिए मेसेर्स जीएमएससीएल को प्रस्तुत किया गया है। मई 2018 तक गुजरात परियोजना के प्रचालन हानि का कुल दावा ₹ 1232.34 लाख है। साथ ही, समझौता ज्ञापन के खंड 6 के अनुसार, एचएलएल द्वारा खर्च हुए ₹217 लाख के पूँजीगत व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा भी जीएमएससीएल को प्रस्तुत किया गया था।

19 मई 2018 के समझौता ज्ञापन के शर्तों व निबंधनों के अनुसार, एचएलएल द्वारा प्रस्तुत वित्तीय विवरण और पूँजीगत व्यय विवरण का पुनर्मूल्यांकन जीएमएससीएल द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार/लेखापरीक्षकों द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति से पहले किया जाना है। तदनुसार, दिनांक 28.01.2021 के पत्र संख्या जीएमएससीएल/एल.एस.एस/जेनरिक/2020-21/2145-50 के अनुसार जीएमएससीएल ने मेसर्स धीरूभाई शाह & कंपनी एलएलपी, सनदी लेखाकार को एचएलएल के प्रचालन हानि के दावे का विशेष लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया है।

लेखापरीक्षा फर्म ने एचएलएल कार्यालय, अहमदाबाद में दौरा किया और 7 जून 2021 तक के एचएलएल दावे केलिए समर्थन दस्तावेज़ों का सत्यापन पूरा किया। लेखापरीक्षकों द्वारा उठाए गए सभी लेखापरीक्षा प्रश्नों का उत्तर दिया गया। उम्मीद है कि हमारे दावे को पूरी तरह स्वीकार कर लिया जाएगा। लेखापरीक्षा पार्टी अपनी रिपोर्ट जीएमएससीएल को प्रस्तुत की जाएगी और ₹1232.34 करोड की दावार कम की प्रतिपूर्ति यथाशीघ्र करने के लिए जीएमएससीएल के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की गई है।

2.33 अन्य चालू परिसंपत्तियों में मेसेर्स गोवा माइनिंग इंडस्ट्रीज से प्राप्य रु. 492 लाख की रकम शामिल है जो मध्यस्थता के अधीन है। वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी को मेसेर्स गोवा माइनिंग इंडस्ट्रीज के मामले में को 01.04.2014 के प्रभाव से प्रति वर्ष 9% की दर के ब्याज के साथ रु. 492 लाख के लिए कंपनी के पक्ष में एक मध्यस्थता एवार्ड प्राप्त हुआ है। पिछले वर्षों के दौरान बनाए जा रहे रु. 492 लाख की रकम डूबंत और संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान में शामिल है।

2.32	HLL in association with Gujarat State Government started the process of opening AMRIT DeendayalPradhanMantri Jan Aushadhi Stores (ADDPMJAS) as part of their initiative for promoting Generic Drugs across the State. In this regard, HLL signed a MoU with M/s. Gujarat State CSR Authority and M/s. Gujarat Medical Services Corporation Limited [GMSCL] on 6th September 2016. As per the MoU, HLL shall setup and operate the pharmacies until a JV Company is formed and thereafter the role of HLL in the JV would be that of a knowledge partner and the assets and investments done by HLL would be transferred to the JV and be converted to equity once the JV was formed. In the first Phase, the company had setup 52 AMRIT Deendayal Pradhan Mantri Jan Aushadhi Stores in 12 Medical Colleges and 40 District/Civil Hospitals of Gujarat in the month of November 2016. The aim of setting up such Retail Drug Stores was to provide affordable and high quality health care products and services for underserved population in Gujarat. On 28th March 2017, a Joint Venture Company, Gujarat Arogya Seva Private Limited [GASPL] promoted by GSFC Agrotech Limited [GATL] & Gujarat Medical Services Corporation Limited [GMSCL] was formed to take the project forward. According to the MoU signed on 6th September 2016, the parties have agreed that the Assets, Liabilities and Operation of the Retail Drug Stores would be taken over by the JVC once it is formed. Contrary to the terms and conditions stated in the MoU, the JVC formed for the purpose did not take over Assets, Liabilities and Operation of the Retail Drug Stores. Accordingly, in line with the Resolution No. MSP/1018/467/GH, dated 08/05/2018, passed by Health and Family Welfare Department, Government of Gujarat, HLL has taken over the operations of the stores w.e.f 18.05.2018. As per the Resolution, GMSCL has agreed to settle the loss amount of Gujarat operations till the date of transfer after conducting audit of the same. Thus, the cumulative loss up to 17/05/2018 amounting to ₹ 12.32 Crores is accounted as receivable from M/s Gujarat ArogyaSeva Private Limited [GASPL] under Current Financial Assets- Others Further ₹ 13.83 Crores is due from Gujarat Medical Services Corporation Ltd (GMSCL) against medicine supplies, which is included in Trade Receivables. An amount of ₹ 15.00 crores received by HLL as revolving fund from GMSCL is shown under Other Current Financial Liabilities. In view of the above, the project financials are compiled and submitted to M/s GMSCL for reimbursement. The total claim of operating loss of Gujarat Project up to May 2018 works out to ₹1232. 34 lakhs. Also, as per Clause 6 of MoU, claim for the reimbursement of the Capital Expenditure incurred by HLL amounting to ₹ 217 Lakhs was also submitted to GMSCL. As per the terms & conditions of the MoU dated 19th May 2018, the financial statements & capital expenditure statements submitted by HLL are to be re-assessed by the Chartered Accountants/ Auditors appointed by GMSCL prior to its reimbursements. Accordingly, GMSCL vide letter number GMSCL/L.S.S/Generic/2020-21/2145-50 dated 28.01.2021 has appointed M/S Dhirubhai Shah & Co LLP, Chartered Accountants to do the special audit of the HLL claim of operational loss. The audit firm has visited HLL office at Ahmedabad and completed the verification of the supporting documents for the HLL claim as on 07th June 2021. All audit queries raised by the auditors have been replied. It is expected that our claim will be admitted in full .The audit party will be submitting their report to GMSCL and follow up is made with GMSCL for the re-imbursement of the claim amount of ₹1232.34 Cr at the earliest.
2.33	Other Current Assets include an amount of ₹492 Lakhs receivable from M/s Goa Mining Industries which was under under Arbitration. During the year 2018-19. the company has received an arbitral award in favour of the company for ₹ 492 Lakhs with interest @ 9% per annum w.e.f. 01.04.2014 in the case of M/s Goa Mining Industries. Provision for bad and doubtful advances includes an amount of ₹ 492 lakhs, being provision created during previous years

2.34 कंपनी ने संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का उपयोग करते हुए 1 अप्रैल 2019 से इंड एएस 116 को अपनाया है। कंपनी ने प्रारंभिक आवेदन(1 अप्रैल 2019) की तारीख पर मान्यता प्राप्त संचयी प्रभाव के साथ अपने पट्टों के लिए मानक लागू की है। तदनुसार पिछली अवधि की जानकारी को पुनरीक्षित नहीं किया गया है।

लाभ व हानि के विवरण में, प्रचालन पट्टा खर्चे, जो पिछले अवधियों में अन्य खर्चों के रूप में मान्यता दी गई थी, को अब पट्टा देयता पर अर्जित ब्याज की ओर परिसंपत्ति उपयोग अधिकार और वित्त लागत के लिए मूल्यह्रास व्यय के रूप में पहचान किया गया है। 8% की भारित औसतम वृद्धिशील उधार दर को प्रारंभिक आवेदन की तारीख पर तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त पट्टे देयताओं के लिए लागू किया गया है।

कंपनी के पट्टों में मुख्य रूप से विनिर्माण व्यवसाय के साथ गोदाम सुविधाओं के लिए भूमि और भवन और संयंत्र और उपकरण शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 का विवरण इस प्रकार है :

परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार (पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियाँ)

रु. लाखों में

विवरण	भूमि व मकान	संयंत्र व उपकरण	कुल
1 अप्रैल 2020 तक के शेष	560.60	3,241.25	3,801.85
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जोड	-	-	-
निपटान	-	-	-
31 मार्च 2021 तक के शेष	561.49	3,241.25	3,802.75
संचित मूल्यह्रास	86.10	1,047.25	1,133.35
31 मार्च 2021 तक के निवल ब्लॉक	475.40	2,194.00	2,669.39

परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार (पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियाँ)

रु. लाखों में

विवरण	पट्टा देयता
1 अप्रैल 2020 तक के शेष	3,342.97
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जोड	-
अर्जित ब्याज	232.60
पट्टा किराया	(884.40)
31 मार्च 2021 तक के शेष	2,691.16
चालू के रूप में वर्गीकृत पट्टा देयता	193.13
गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत पट्टा देयता	2,498.03

2.35 कोविड- 19 की प्रापण के लिए नोडल एजेंसी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 21 फरवरी 2020 को कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति के प्रापण के लिए एचएलएल को नोडल प्रापण एजेंसी के रूप में नामित किया। आपातकालीन चिकित्सा आपूर्ति में व्यक्तिगत सुरक्षा

2.34 The Company has adopted Ind AS 116 effective 1st April, 2019, using the modified retrospective method. The Company has applied the standard to its leases with the cumulative impact recognized on the date of initial application (1st April, 2019). Accordingly, previous period information has not been restated.

In the statement of profit and loss, operating lease expenses which were recognized as other expenses in previous periods is now recognized as depreciation expense for the right-of-use asset and finance cost for interest accrued on lease liability. The weighted average incremental borrowing rate of 8.0% has been applied to lease liabilities recognized in the balance sheet at the date of initial application.

The Company's leases mainly comprise of land and buildings and Plant and equipment for manufacturing, business as well as warehouse facilities.

The details of Financial year 2020-21 is as follows:

Right of Use Assets (Leased Assets)

₹ in lacs

Particulars	Land & Building	Plant & Equipment	Total
Balance as on 1st April 2020	**560.60**	**3,241.25**	**3801.85**
Additions during FY 2020-21	0.89	-	0.89
Disposals	-	-	-
Balance as on 31st March 2021	561.49	3,241.25	3,802.75
Accumulated depreciation	86.10	1,047.25	1,133.35
Net Block as on 31st March 2021	**475.35**	**2,194.00**	**2,669.39**

Right of Use Assets (Leased Assets)

₹ in lacs

Particulars	Lease liability
Balance as on 1st April 2020	3,342.97
Additions during FY 2020-21	-
Interest accrued	232.60
Lease rent	(884.40)
Balance as on 31st March 2021	**2,691.16**

Lease liability classified as current	193.13
Lease liability classified as Non- current	2,498.03

2.35 **Nodal agency for Procurement of COVID-19**

MoHFW on 21st Feb 2020 designated HLL as the nodal procurement agency for procurement of essential medical supplies concerning Covid-19 management.

उपकरण (पीपीई) किट शामिल है जिनमें कवरऑल (गारमेंट्स), एन 95 मास्क,गॉगल्स, नाइट्राइल ग्लाव्स, फेस शील्ड, ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क और अन्य उत्पाद यानी वेंटिलेटर, दवाएं जैसे एचसीक्यू और एज़िथ्रोमाइसिन, कार्ट्रिज आदि शामिल हैं। एचएलएल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, घरेलू स्रोतों से संभावित निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करके उपरोक्त उत्पादों के प्रापण शुरू किया। कपडा मंत्रालय (एमओटी) की मदद से विकसित विनिर्माण क्षमताएं, मानकीकृत परीक्षण प्रोटोकॉल और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से आयात के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों की मदद मांगी गई। इस उद्देश्य के लिए एक 24/7 आपातकालीन नियंत्रण कक्ष चालू किया गया था।

उपरोक्त गतिविधियों को कुशलतापूर्वक लागू करने के लिए,आदेशों की निर्बाध नियुक्ति, आपूर्तिकर्ताओं के साथ त्वरित संचार, भुगतान की प्रक्रिया, प्राप्त प्रस्तावों का तेज़ी से मूल्यांकन, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और पूरे भारत में वितरण सुनिश्चित करने के लिए, मौजूदा विनिर्माण और अन्य व्यावसायिक यूनिटों से जनशक्ति संसाधनों को एकत्रित करके,जैसा कि प्रापण, रसद, वितरण और भुगतान संस्करण आदि के लिए एचएलएल में विशेष टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों द्वारा चौबीसों घंटे में किए गए अथक प्रयास, इस अवधि के दौरान, समेकित,प्रेरित,समन्वित और कुशल तरीके से सेवाओं/उत्पादों का वितरण सुनिश्चित किया।

लॉकडाउन की प्रारंभिक अवधि मार्च-अगस्त 2020 में, पर्याप्त आपूर्तिकर्ताओं की अनुपलब्धता, उत्पादों की आवश्यक मात्रा के कारण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुमोदन के साथ मूल्य, भुगतान आदि पर उनकी शर्तों को स्वीकार किया गया क्योंकि यह एक विक्रेता का बाज़ार था। देशीय लॉकडाउन और विभिन्न राज्यों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को देखते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए आबंटन के अनुसार, निर्धारित स्थानों पर खरीदे गए सामानों के परिवहन और वितरण को सुनिश्चित करना, विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पडा था। ये गतिविधियाँ दिसंबर 2020 तक जारी रहीं (जब कोविड-19 के कम प्रभाव को देखते हुए पीपीई के प्रापण रोक दी गई थी)। प्रारंभिक लॉकडाउन अवधि के दौरान, एचएलएल द्वारा देश भर में उत्पादों की समय पर आपूर्ति के लिए रेल, सडक और हवाई परिवहन के सभी साधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया गया था, और दूसरी लहर के दौरान दुनिया भर के मित्र राष्ट्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता अनुदान के रूप में विभिन्न आपातकालीन राहत सामग्री के लिए दिल्ली हवाई अड्डे से वायुसेना और एनडीआरएफ के उपयोग का भी समन्वय किया गया था। कोविड-19 की पहली लहर के दौरान वेंटिलेटर के आदेश दिए गए थे। चूँकि स्वदेशी वेंटिलेटर आपूर्तिकर्ता सीमित थे, और उत्पाद के लिए आवश्यक तकनीकी विशिष्टताओं को देखते हुए, कुछ आपूर्तिकर्ताओं ने केवल प्रतिक्रिया दी और आपूर्ति की। एचएलएल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिए गए आबंटन के अनुसार नामित अस्पतालों में वेंटिलेटर का परीक्षण, सत्यापन और चालू करना सुनिश्चित करना था।

जनवरी 2021 के दौरान, एचएलएल को कोविड-19 वैक्सीन की प्रापण के लिए प्रापण एजेंसी के रूप में भी नियुक्त किया गया था। अग्रिम भुगतान और आपूर्ति प्रतिबद्धताओं के साथ भारत सरकार द्वारा पहचाना गया। दो घरेलू वैक्सीन निर्माताओं से प्रापण किया जाना था। प्रारंभिक आदेश के लिए, धनराशि प्रधानमंत्री सुरक्षा निधि से जारी की गई थी और उसके बाद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एचएलएल के माध्यम से वैक्सीन प्रापण का निधीकरण कर रहा है। एचएलएल ने वैक्सीन के प्रापण की गतिविधियों के लिए एचएलएल बायोटेक लिमिटेड की क्षमता का उपयोग किया है और तदनुसार वैक्सीन की आपूर्तियों पर प्रबंधन शुल्क एचएलएल बायोटेक लिमिटेड के साथ साझा किये गये थे।

एचएलएल ने 31 मार्च 2021 तक उपरोक्त आदेशों के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को निम्नलिखित मात्रा में विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति को प्रभावित किया है और वेंटिलेटर और वैक्सीनों की आपूर्ति अभी भी जारी है:

प्रापण किए गए सामान	मात्रा
वैक्सीन	885.34 लाख
पीपीई किट	158 लाख
वेंटिलेटर्स	6044 नं
हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन	1145 लाख
असित्रोमाइसिन	25 लाख
काट्रिड्जस	1 लाख

The emergency medical supplies covered Personal Protective Equipment's (PPE) Kits consisting of Coverall (Garments), N95 mask, Goggles, Nitrile Gloves, Face Shield, Triple Layer Surgical mask and other products ie., Ventilators, Medicines like HCQ & Azithromycin, Cartridges etc. HLL as per directions from MoHFW, initiated the procurement of above products by identifying potential manufacturers / suppliers from domestic sources, developed manufacturing capabilities with the help of Ministry of Textiles (MoT), standardized testing protocols, and the help of Indian Missions abroad was sought for import from overseas suppliers. 24/7 Emergency Control Room was made operational for the purpose.

For implementing the above activities efficiently, exclusive teams were formed in HLL, such as procurement, logistics, distribution and payment processing etc., by pooling of manpower resources, from existing manufacturing and other business units, to ensure uninterrupted placement of orders, prompt communications with the suppliers, processing of payments, faster evaluations of the offers received , warehousing, logistics and distribution pan India . The tireless efforts put forth by these teams round the clock, throughout this period, ensured the delivery of the services/products in a cohesive, motivated, coordinated and efficient manner.

In the initial period of lockdown in March – August 2020, non-availability of sufficient suppliers, required quantity of products led to accepting their terms on price, payment etc. with the approval of MOHFW as it was a seller's market. Ensuring the transportation and delivery of the procured goods, at the designated locations, as per the allocation provided by MoHFW, had posed various challenges, considering the National Lockdown and restrictions imposed by various states. These activities continued till December 2020 (when the procurement of PPEs was stopped considering the reduced impact of Covid-19). During the initial lockdown period, all modes of transport rail, road and air were used efficiently, by HLL for timely supply of products across the country, and during the second wave use of Airforce and NDRF was also coordinated from Delhi Airport for various emergency relief materials as grant-in-aid provided by friendly nations across the world.

Orders for Ventilators were placed during the first wave of COVID19. Since the indigenous ventilator suppliers were limited, and given the technical specifications required for the product, few suppliers only responded and supplied. HLL had to ensure testing, validation and commissioning of the ventilators at the designated hospitals as per the allocation given by MOHFW.

During January 2021, HLL was appointed as Procuring Agency for the procurement of Covid19 Vaccine as well. The procurement was to be made from two domestic vaccine manufacturers, as identified by Government of India, with upfront payment and supply commitments. For initial order, funds towards the same was released from PM CARES fund and thereafter, MoHFW is funding the vaccine procurement through HLL. HLL has utilized the capacity of HLL Biotech Limited towards the vaccine procurement activities and accordingly management fee on vaccine supplies were shared with HLL Biotech Ltd.

HLL has effected supplies of following quantity of various materials to MOHFW as a result of the above orders upto 31st March 2021 and supplies of ventilators and vaccines are still continuing:

Items Procured	Quantity
Vaccines	885.34 lacs
PPE Kits	158 lacs
Ventilators	6044 Nos
Hydroxychloroquine	1145 lacs
Azithromycin	25 lacs
Cartridges	1 lacs

एचएलएल को पीपीई किट, एन-95 मास्क, वेंटिलेटर और वैक्सीनों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम धनराशि प्रदान की गई। एचएलएल ने अग्रिमों के निपटान के लिए नियमित आधार पर दस्तावेज़ें जमा की हैं। एचएलएल सरकार को बिल की गई राशि पर 5% + जीएसटी का प्रबंधन शुल्क लेने केलिए पात्र हैं।

एचएलएल द्वारा विनिर्माण और सेवा पहल

कीटाणुशोधन और कोविड-19 परीक्षण के लिए उत्पादों की उच्च मांग की शुरुआत के साथ, एचएलएल ने इन-हाउस या साझेदारी के माध्यम से निम्नलिखित उत्पादों का निर्माण शुरू किया:

- डब्ल्युएचओ के विनिर्देशों के अनुसार 'मेडीगार्ड' ब्रांड नाम के तहत हैंड सैनिटाइज़र का इन-हाउस निर्माण।
- 'वेंडिगो' ब्रांड नाम के साथ हैंड सैनिटाइज़र वेंडिंग मशीन का इन-हाउस निर्माण जो सैनिटाइज़र के संपर्क रहित वितरण को सुनिश्चित करता है और एक ही रिफिल में 1500 चक्र संचालन करता है।
- पोर्टेबल यु वी सैनिटाइज़रः एचएलएल द्वारा निर्मित पोर्टेबल यु वी सैनिटाइज़र, 20 मिनट के लिए अपने केबिन के अंदर रखी वस्तुओं को कीटाणुरहित और साफ करने के लिए युवीसी (लघु तरंग दैर्घ्य अल्ट्रावायलट) प्रकाश को शामिल करता है।
- श्री चित्र तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइन्स और तकनॉलजी (एससीटीआईएमएसटी) के तकनॉलजी सहयोग से, एचएलएल ने चित्रा स्वाब संग्रह बूथ और परीक्षा बूथ का निर्माण भी किया, ताकि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक लाइन-ऑफ-डिफेन्स प्रदान किया जा सके जो कोविड रोगियों के करीब काम करते हैं।
- चित्रा 'कीटाणुशोधन गेटवे' का निर्माण, एक कीटाणुशोधन सुरंग जिसका उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर एससीटीआईएमएसटी के तकनीकी सहयोग से प्रवेश/निकास से पहले कपडों, बैग और व्यक्तियों के हाथों पर वायरल लोड को कम करने के लिए किया जा सकता है।
- एचएलएल के डायग्नोस्टिक किट प्रभाग ने मनेसर कारखाने में कोविड-19 के लिए एचएलएल ब्रांड नाम 'मेकशुवर' के तहत सभी संदिग्ध कोविड-19 रोगियों की प्रारंभिक जांच करने के लिए रैपिड एंटीबोडी (आईजीजी/आईजीएम) डायग्नोस्टिक किट की किटिंग और पैकेजिंग भी शुरू की।
- एचएलएल ने केरल के सभी हवाई अड्डों पर कोविड 19 एंटीबोडी स्क्रीनिंग सेवाओं का संचालन किया, और यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए चेन्नई के साथ-साथ कोलकत्ता हवाई अड्डे पर प्रयोगशाला सेवाओं की स्थापना की।

2.36 जनवरी 2007 से दिसंबर 2016 तक की अवधि के लिए क्रियान्वित वेतन संशोधन के लिए दीर्घकालिक समझौता समाप्त हो गया है। वेतन संशोधन की ओर बातचीत लंबित है, वेतन संशोधन पर कोई भी देयता का प्रावधान नहीं बनाया गया है। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यपालकों के मामले में, संशोधित वेतनमान इस शर्त के अधीन लागू किया जाएगा कि संशोधित वेतन-पैकेज को लागू करने के वर्ष में अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव, कर के पूर्व औसत लाभ के 20% से कम है। कंपनी ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान निष्पादन के आधार पर केवल वित्तीय वर्ष 2020-21 में सामर्थ्य मानदंडों को पूरा किया है। अतः इस वित्तीय वर्ष में कोई प्रावधान नहीं किया गया है और कार्यपालकों एवं गैर-कार्यपालकों के वेतन संशोधन को 1.04.2021 से लागू करने का प्रस्ताव है।

2.37 देनदार, लेनदार तथा ऋण व पेशगियों में शेष पुष्टि/मेल-मिलाप के अधीन है । निर्यात बिक्री से प्राप्य विदेशी मुद्रा, पुष्टि/मेल मिलाप के अधीन है और इसके फलस्वरूप, विदेशी मुद्रा मूल्यांकन का अभिलाभ या हानि भिन्न हो सकते हैं ।

2.38 निवेश संपत्तियों के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण

i) किराए से आय

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
किराए से आय	395.82	
किराए की आय बनानेवाले प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	128.70	-
प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय जिससे किराए की आय नहीं बनाते हैं।	-	-
मूल्यहास से पहले निवेश संपत्तियों को पट्टे पर देने से लाभ	267.12	-
मूल्यहास	78.06	-
निवेश संपत्तियों को पट्टे पर देने से लाभ	189.06	

निवेश संपत्तियों को पट्टे पर देने से लाभ 189.06

HLL was provided with advance funds for ensuring timely supplies of PPE Kits, N-95 masks, Ventilators and Vaccines. HLL has on regular basis submitted documents for settlement of the advances. HLL is eligible to charge a management fee of 5% + GST on the amount billed to the Government.

Manufacturing and Service initiatives by HLL

With the onset of high demand for products for disinfection and COVID-19 testing, HLL started the manufacturing of the following products either in-house or through partnerships:

In-house manufacturing of Hand Sanitizers under the brand name 'MediGard' as per WHO specifications

In-house manufacturing of Hand Sanitiser Vending Machine with the brand name 'VENDIGO' which ensures contactless dispensing of sanitiser and has 1500 cycles of operation in a single refill

Portable UV Sanitiser: The portable UV sanitizer manufactured by HLL incorporates UVC (Short wavelength Ultraviolet) light to disinfect and sanitize the items kept inside its cabin for 20 minutes.

In technical collaboration with SreeChitraTirunal Institute for Medical Sciences and Technology (SCTIMST), HLL also took up the Fabrication of Chitra Swab Collection Booth & Examination Booth to provide a line-of-defense for the health workers who work in close proximity to COVID patients.

Fabrication of Chitra 'Disinfection Gateway', a disinfection tunnel which could be used in public places to reduce viral load on clothing, bags and hands of individuals before entry / exit in technical collaboration with SCTIMST.

The diagnostic kits division of HLL also started the kitting and packaging of Rapid antibody (IgG/IgM) diagnostic kit for COVID-19 at the Manesar factory for initial screening of all suspected COVID-19 patients under the HLL brand name 'Makesure'.

HLL conducted COVID 19 antibody screening services at all airports across Kerala, and established lab services at Chennai as well as Kolkata airport, for screening the passengers.

2.36 (a)The long term agreement for wage revision executed for the period January 2007 to December 2016 has expired. Pending finalisation of negotiations, no liability towards wage revision is estimated and provided for. In case of Executives as per DPE guidelines, the revised pay scales would be implemented subject to the condition that the additional financial impact in the year of implementing the revised pay-package is less than 20% of the average Profit Before Tax. The company has met the affordability criteria only in FY 2020-21 based on performance during last 3 financial years. Hence no provision is made in this financial year and wage revision to Executives and Non-Executives is proposed to be implemented from 01.04.2021.

2.37 Balance in Debtors, Creditors and loans and advances are subject to confirmation / reconciliation. Receivable in Foreign Currency out of Export sales is subject to confirmation/reconciliation and consequently Foreign Currency Valuation gain or loss may vary

2.38 **Additional Disclosure for Investment Properties:**

(i) Rental Income:

₹lacs

Description	As at 31 st March 2021	As at 31 st March 2020
Rental income	395.82	
Direct operating expenses that generated rental income	128.70	-
Direct operating expenses that did not generate rental income	-	-
Profit from leasing of investment properties before depreciation	267.12	-
Depreciation	78.06	-
Profit from leasing of investment properties	189.06	-

ii) **उचित मूल्य**

31 मार्च 2021 को निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य सीपीडब्लियु रेटिंग के आधार पर प्रति पीएआर (प्लिंथ क्षेत्र संदर्भ) ₹11.47 करोड अनुमानित है।

iii) **मूल्यह्रास**

निवेश संपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के तहत आवश्यकता के अनुरूप किया गया है।

2.39 इंड एएस 109 के अनुसार वित्तीय साधन पर अपेक्षित प्रकटीकरण टिप्पणी 30 में दिया गया है।

2.40 इंड एएस 19 के अनुसार कर्मचारी लाभ व्यय से संबंधित प्रकटीकरण टिप्पणी 31 में दिया गया है।

2.41 इंड एएस 37 के अनुसार आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों से संबंधित प्रकटीकरण टिप्पणी 32 में दिये गये हैं।

2.42 इंड एएस 24 के अनुसार संबंधित पार्टी लेन देन से संबंधित प्रकटीकरण टिप्पणी 33 में दिया गया है।

2.43 इंड एएस 108 के अनुसार परिचालन खंड के संबंध में प्रकटीकरण टिप्पणी 34 में दिया गया है।

2.44 इंड एएस 12 के अनुसार आयकर और आस्थगित कर के संबंध में प्रकटीकरण टिप्पणी 35 में दिया गया है।

2.45 बिक्री के लिए धारित के रूप वर्गीकृत परिसंपत्तियों में गैर-परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जो तकनीकी अप्रचलन और परिसंपत्तियों की उम्र बढाने के कारण अनुप्रयोगी हैं और उन्हें स्क्रैप की गई परिसंपत्तियों के रूप में घोषित किया गया है। इन वस्तुओं के संचयन और स्कैप निपटान की आर्थिक मात्रा को ध्यान में रखते हुए नि परिसंपत्तियों को नियमित अंतराल पर एक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निपटाया जाएगा।

2.46 अनुबंध व्यय, परियोजना और सेवा प्रभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किए गए प्रत्यक्ष व्यय है, जिसके खिलाफ अनुबंध आय को मान्यता दी जाती है।

2.47 पिछले वर्ष के आँकडों को जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुनर्व्यवस्थित एवं पुनर्समूहित किया गया है। एचएलएल बायोटेक लिमिटेड और एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड 01.04.2019 से अलग होने के फलस्वरूप, डीमर्जर को प्रभावी करके 01.04.2019 तक के तुलन पत्र को दोबारा बनाया जाता है और तुलन पत्र में खुलासा किया जाता है।

2.48 भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियों के आधार पर, इंड-एएस के प्रावधानों के अनुपालन में निम्नलिखित अतिरिक्त टिप्पणी/संशोधन दिए जाते हैं।

क्रम सं	टिप्पणी सं	विषय
1	इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में प्रकट किए गए वर्ष 2019-2020 के लिए पिछले वर्ष के तुलनात्मक आंकडे।
2	1.24	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में प्रदान की गई आकस्मिक परिसंपत्तियों के मान्यता पर लेखांकन नीति
3	1.24	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में प्रदान की गई आकस्मिक देयताओं के मान्यता पर लेखांकन नीति
4	2.29	ईसीजीसी दावे पर अतिरिक्त तथ्यों के साथ प्रदान की गयी व्याख्यात्मक टिप्पणी
5	2.45	वित्तीय विवरणों के भाग बननेवाले व्याख्यात्मक टिप्पणी में प्रदान की गई बिक्री के लिए रखी गैर -चालू परिसंपत्ति पर प्रकटीकरण।
6	2.46	प्रदान किए गए अतिरिक्त प्रकटीकरण ।
7	3 & 2.34	टिप्पणियों के बीच का असंतुलन सुधार किया गया है।
8	नकद प्रवाह विवरण	लेखांकन नीति और संशोधित क्रोस संदर्भ टिप्पणी सं. के अनुरूप तैयार किया गया नकद प्रवाह विवरण ।
9	32	रु. 124 लाख तक कम की गई आकस्मिक देयता
10	34 & 2.15	टंकण संबंधी त्रुटियों को सुधार किया गया है।

(ii) Fair value:

Fair value of Investment Properties as on 31st March 2021 is estimated at ₹11.47 crores based on CPW ratings per PAR (Plinth area reference).

(iii) Depreciation:

Depreciation on Investment properties have been made in line with the requirement under schedule II of the Companies Act, 2013.

2.39 The disclosures required on Financial Instruments as per Ind AS 109 are given in Note 30

2.40 The disclosures relating to Employee Benefit expense as per Ind AS 19 are given in Note 31

2.41 The disclosures relating to Contingent Liabilities and contingent assets as per Ind AS 37 are given in Note 32

2.42 The disclosure relating of Related Party transactions as per Ind AS 24 are given in Note 33

2.43 The disclosure in respect of Operating Segments as per Ind AS 108 is given in Note 34

2.44 The disclosure in respect of Income Tax and Deferred Tax as per Ind AS 12 is given in Note 35

2.45 Assets classified as held for sale consists of non-current assets which are un-serviceable due to technological obsolescence and ageing of the assets and are declared as scrapped assets. These assets will be disposed off through a tendering process on regular intervals taking into consideration of the accumulation of these items and economic quantity of scrap disposal.

2.46 Contract Expenses are direct expenses incurred towards the implementation of various projects by Projects & Services Division against which Contract Income is recognized.

2.47 Figures for the previous year have been rearranged and regrouped wherever necessary. Consequent to the demerger of HLL Biotech Ltd and HLL Medipark Ltd w.e.f 01.04.2019, the Balance Sheet at 01.04.2019 is recasted by giving effect to the demerger and disclosed in the balance sheet.

2.48 Based on the observations of Comptroller and Auditor General of India, following additional Notes/ Modifications are given in compliance with Provisions of Ind AS.

S.No	Note No:	Subject
1.	Statement of Changes in Equity	Comparative previous year figures for the year 2019-20 disclosed as part of Financial Statements.
2.	1.24	Accounting policy on disclosure of contingent assets provided as part of Financial Statements.
3.	1.24	Accounting policy on recognition of contingent liabilities provided as part of Financial Statements.
4.	2.29	Explanatory note provided with additional facts on ECGC claim.
5.	2.45	Disclosure on non-Current Asset held for sale provided in the explanatory note forming part of Financial Statements.
6.	2.46	Additional disclosure provided for.
7.	3&2.34	Mismatch between the notes is rectified.
8.	Cash Flow Statement	Cash flow statement prepared in line with Accounting policy and cross reference Note No. corrected
9.	32	Contingent liability reduced by ₹124 Lakhs.
10.	34 & 2.15	Typographical errors rectified.

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष केलिए समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3 : संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

₹लाखों में

अचल	परिसंपत्तियाँ	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास और हानि				निवल ब्लॉक	
		1 अप्रैल 2020	परिवर्धन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2021	1 अप्रैल 2020	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास /परिशोधन व्यय	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2021	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
क	**मूर्त परिसंपत्तियाँ**										
	(क) भूमि										
	पूर्ण स्वामित्व	592.54	-	-	592.54	-	-	-	-	592.54	592.54
	पट्टे पर भूमि	702.82	-	-	702.82	40.68	8.14	-	48.82	654.00	662.14
	(ख) इमारतें	15,746.08	53.71	-	15,799.80	4,352.16	899.17	-	5,251.33	10,548.47	11,393.92
	(ग) सडक	107.21	-	-	107.21	81.38	6.51	-	87.89	19.31	25.83
	(घ) संयंत्र व मशीनरी	18,822.17	318.41	63.84	19,076.74	8,400.14	1,701.44	52.75	10,048.83	9,027.90	10,422.03
	(ङ)इलेक्ट्रिकल संस्थापन और उपकरण	4,614.26	54.83	9.68	4,659.41	2,845.92	493.62	9.34	3,330.19	1,329.22	1,768.34
	(च) फर्नीचर व जुडनार	2,826.32	314.72	24.55	3,116.49	1,877.59	476.18	23.68	2,330.09	786.40	948.73
	(छ) मोटर गाडियाँ	72.63	-	-	72.63	57.03	4.07	-	61.09	11.54	15.61
	(ज) कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग	1,359.38	82.85	10.50	1,431.74	1,162.99	102.72	10.26	1,255.45	176.29	196.39
	(झ) कार्यालय उपकरण	510.66	46.69	13.12	544.23	390.69	49.80	12.55	427.94	116.29	119.97
	(ञ) लैब उपकरण	2,604.58	57.37	18.57	2,643.37	1,752.43	221.87	17.60	1,956.69	686.68	852.15
	कुल	**47,958.65**	**928.59**	**140.26**	**48,746.98**	**20,961.00**	**3,963.52**	**126.19**	**24,798.33**	**23,948.65**	**26,997.65**
	पिछले वर्ष	**48,779.05**	**858.99**	**83.72**	**49,554.32**	**16,855.44**	**4,542.86**	**51.60**	**21,346.70**	**28,207.62**	**31,923.60**
ख	**निवेश संपत्ति**	**1,595.67**	**-**	**-**	**1,595.67**	**385.70**	**78.06**	**-**	**463.76**	**1,131.91**	**1,209.97**
	पिछले वर्ष	**1,595.67**			**1,595.67**	**300.68**	**85.02**		**385.70**	**1,209.97**	**1,294.99**
ग	**पूँजी कार्य में प्रगति**										
	(क) कमीशनिंग के लिए लंबित परिसंपत्तियाँ	-			-	-	-	-	-	-	-
	(ख) सिविल कार्य में प्रगति	292.25	659.90	-	952.15	-	-	-	-	952.15	292.25
	(ग) परामर्श चार्ज	15.81	-	0.03	15.78	-	-	-	-	15.78	15.81
	(घ) नयी परियोजनाओं पर आकस्मिक व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(ङ) मशीनरी डब्लियु आई पी	102.35	-	36.28	66.08	-	-	-	-	66.08	102.35
	कुल	**410.42**	**659.90**	**36.31**	**1,034.01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,034.01**	**410.42**
	पिछले वर्ष	**217.66**	**286.08**	**93.32**	**410.42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**410.42**	**217.66**
घ	**अमूर्त परिसंपत्तियाँ**										
	(क) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,251.06	17.33	-	1,268.39	898.04	98.94	-0.46	997.44	270.95	353.02
	(ख)ट्रेडमार्क एवं पेटेंट	99.82	-	-	99.82	94.64			94.64	5.18	5.18
	कुल	**1,350.88**	**17.33**	**-**	**1,368.21**	**992.68**	**98.94**	**-0.46**	**1,092.08**	**276.13**	**358.20**
	पिछले वर्ष	**1,296.95**	**53.92**	**-**	**1,350.88**	**753.72**	**238.96**	**-**	**992.68**	**358.20**	**543.24**
ङ	**परिसंपत्तियों के उपयोग करने का अधिकार**										
	(क) संयंत्र व मशीनरी	3,241.25		-	3,241.25	519.56	527.69	-	1,047.25	2,194.00	2,721.69
	(ख) इमारतें	560.60	0.89	-	561.49	32.39	53.71	-	86.10	475.39	206.17
	(ग) अप्रतिभूत प्रतिभूति जमा										301.50
	कुल	**3,801.85**	**0.89**	**-**	**3,802.75**	**551.95**	**581.40**	**-**	**1,133.35**	**2,669.40**	**3,229.36**
	पिछले वर्ष	**-**	**3,479.81**	**-**	**3,479.81**		**551.95**	**-**	**551.95**	**3,229.36**	**-**

Notes to financial statements for the year ended 31 March 2021

Note 3 : Plant, Property and Equipment

₹.in Lacs

	Fixed Assets	Gross block				Accumulated depreciation and impairment				Net block	
		1 st April 2020	Additions	Disposals/ Adjustments	31 st March 2021	1st April 2020	Depreciation / amortisation expense for the year	Disposals/ Adjustments	31 st March 2021	31 st March 2021	31 st March 2020
A.	**Tangible assets**										
	(a) Land										
	Freehold	592.54	-	-	592.54	-	-	-	-	592.54	592.54
	Leasehold	702.82	-	-	702.82	40.68	8.14	-	48.82	654.00	662.14
	(b) Buildings	15,746.08	53.71	-	15,799.80	4,352.16	899.17	-	5,251.33	10,548.47	11,393.92
	(c) Roads	107.21	-	-	107.21	81.38	6.51	-	87.89	19.31	25.83
	(d) Plant and Machinery	18,822.17	318.41	63.84	19,076.74	8,400.14	1,701.44	52.75	10,048.83	9,027.90	10,422.03
	(e) Electrical Installation & Eqpt.	4,614.26	54.83	9.68	4,659.41	2,845.92	493.62	9.34	3,330.19	1,329.22	1,768.34
	(f) Furniture &Fixture	2,826.32	314.72	24.55	3,116.49	1,877.59	476.18	23.68	2,330.09	786.40	948.73
	(g) Motor Vehicles	72.63	-	-	72.63	57.03	4.07	-	61.09	11.54	15.61
	(h) Computer Data Processing	1,359.38	82.85	10.50	1,431.74	1,162.99	102.72	10.26	1,255.45	176.29	196.39
	(i) Office Equipment	510.66	46.69	13.12	544.23	390.69	49.80	12.55	427.94	116.29	119.97
	(j) Lab Equipment	2,604.58	57.37	18.57	2,643.37	1,752.43	221.87	17.60	1,956.69	686.68	852.15
	Total	**47,958.65**	**928.59**	**140.26**	**48,746.98**	**20,961.00**	**3,963.52**	**126.19**	**24,798.33**	**23,948.65**	**26,997.65**
	Previous year	**48,779.05**	**858.99**	**83.72**	**49,554.32**	**16,855.44**	**4,542.86**	**51.60**	**21,346.70**	**28,207.62**	**31,923.60**
B	**Investment Property**	1,595.67	-	-	1,595.67	385.70	78.06	-	463.76	1,131.91	1,209.97
	Previous year	**1,595.67**			**1,595.67**	**300.68**	**85.02**		**385.70**	**1,209.97**	**1,294.99**
C	**Capital Work In Progress**										
	(a) Assets Pending Commissioning	-			-	-	-	-	-	-	-
	(b) Civil work in progress	292.25	659.90	-	952.15	-	-	-	-	952.15	292.25
	(c) Consultancy Charges	15.81	-	0.03	15.78	-	-	-	-	15.78	15.81
	(d) Incidental Expenses on New Projects	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(e) Machinery WIP	102.35	-	36.28	66.08	-	-	-	-	66.08	102.35
	Total	**410.42**	**659.90**	**36.31**	**1,034.01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,034.01**	**410.42**
	Previous year	**217.66**	**286.08**	**93.32**	**410.42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**410.42**	**217.66**
D	**Intangible assets**										
	(a) Computer Software	1,251.06	17.33	-	1,268.39	898.04	98.94	-0.46	997.44	270.95	353.02
	(b) Trademarks & Patents	99.82	-	-	99.82	94.64			94.64	5.18	5.18
	Total	**1,350.88**	**17.33**	**-**	**1,368.21**	**992.68**	**98.94**	**-0.46**	**1,092.08**	**276.13**	**358.20**
	Previous year	**1,296.95**	**53.92**	**-**	**1,350.88**	**753.72**	**238.96**	**-**	**992.68**	**358.20**	**543.24**
E	**Right of use Assets**										
	(a) Plant and Machinery	3,241.25		-	3,241.25	519.56	527.69	-	1,047.25	2,194.00	2,721.69
	(b) Buildings	560.60	0.89	-	561.49	32.39	53.71	-	86.10	475.39	206.17
	(c) Unsecured security deposit										301.50
	Total	**3,801.85**	**0.89**	**-**	**3,802.74**	**551.95**	**581.40**	**-**	**1,133.35**	**2,669.40**	**3,229.36**
	Previous year	**-**	**3,479.81**	**-**	**3,479.81**		**551.95**	**-**	**551.95**	**3,229.36**	**-**

टिप्पणी :

1. पूर्ण स्वामित्व भूमि के मूल्य में शामिल हैं -
   - क) केरल सरकार द्वारा नि:शुल्क अंतरित 11.44 एकड के टोकन मूल्य ₹1/-रहा है।.
   - ख) केरल सरकार द्वारा नि:शुल्क अंतरित 7.14 एकड के टोकन मूल्य ₹1/-रहा है।
   - ग) कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा अंतरित 25 एकड और 38 गुंटा की पूर्ण स्वामित्व भूमि का मूल्य ₹4.86 लाख रहा है।
   - घ) कनगला गाँव में विविध पार्टियों से खरीदे 15 एकड़ और 33 गुंटा के पूर्ण स्वामित्व भूमि का मूल्य ₹16.83 लाख रहा है।
   - ङ) चेन्नै में 0.30 एकड़ पूर्ण स्वामित्ववाले भूमि की कीमत ₹ 567.92 लाख रहा है।
   - च) चेरुवैक्कल गाँव में 20 सेंट भूमि की कीमत ₹ 0.76 लाख रहा है।
   - छ) केरल सरकार द्वारा अंतरित 1.06 एकड़ भूमि का मूल्य ₹ 2.16 लाख रहा है।
2. इंड ए एस 101 के अनुसार 01.04.2015 (संक्रमण तारीख) तक की सभी परिसंपत्तियों को संक्रमण तारीख तक के इसकी समझी लागत के रूप में पूर्व जी ए ए पी के अनुसार मापित, मूल कीमत अपनाने के लिए कंपनी को चुना है।
3. पट्टे पर भूमि की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं।
   - क) 99 वर्षों केलिए केरल के बालरामपुरम में पट्टे पर रही 3 एकड भूमि और इमारत की मूल्य लागत ₹130.46 लाख रही है। (01.04.2015 तक की समझी लागत - 123.74 लाख)
   - ख) ₹ 92.41 लाख मुंबई में 60 वर्षों के लिए पट्टे पर लिए 1005.22 स्क्वयर मीटेर्स प्लॉट का आबंटन मूल्य रहा है। (01.04.2015 तक की समझी लागत - 87.48 लाख)
   - ग) ₹ 261.94 लाख न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकारी (नोएडा), उत्तर प्रदेश में 90 वर्षों के लिए आबंटित 5000 स्क्वयर मीटर पट्टे पर ली गयी भूमि का मूल्य रहा है। (01.04.2015 तक की समझी लागत - 231.51 लाख)
   - घ) ₹262.39 लाख रबड़ पार्क इंडिया प्राईवट लिमिटेड से 90 वर्षों के लिए रबड़ पार्क, ऐरापुरम, पेरुंबावूर, केरल राज्य की 306 सेन्ट भूमि का मूल्य रहा है। (01.04.2015 तक की समझी लागत - 260.07 लाख)
4. ₹ 99/- केंद्रीय लेप्रसी शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (सी एल टी आर आई), चेंगलपेट्टु, तमिलनाडु में 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर आबंटित 430.10 एकड़ भूमि के मूल्य रहा है। (01.04.2015 तक की समझी लागत - रु.93/-) आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति के निर्णय के अनुसार, अपने अधिकार क्षेत्र के 430.10 एकड भूमि में 100 एकड भूमि एचएलएल बायोटेक लिमिटेड को ऋ₹0.12 करोड की दर पर निर्धारित किया गया है (56 एकड प्रति एकड के लिए ऋ ₹16.5 लाख पर और हिल्लोक के 44 एकड प्रति एकड ऋ ₹ 2.00 लाख पर) ।
5. अधिकार के 430.10 एकडों में 3.38 एकड भूमि, तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीबूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्रति वर्ष ₹ 1/- पर 92 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दी गयी है ।
6. केरल सरकार ने कोन्नी तालूक, इरावोन गांव, पत्तनमतिट्टा जिला केरल में 4.783 एकड़ भूमि (पुनर सर्वे नं. 34/146/1,35/120/2,35/120/3) ग्रीनफील्ड ब्लड बैग परियोजना स्थापित करने की ओर आबंटित भूमि कंपनी को सुपुर्द की है । भूमि को प्रति वर्ष ₹ 19400/- की दर से पट्टे किराये पर 30 वर्षों की अवधि केलिए आबंटित किया गया है ।
7. अपनाई गई मूल्यह्रास रीति निम्न जैसी हैं।
   - (क) मूर्त परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अधीन अपेक्षा के अनुसार किया गया है।
   - (ख) संयंत्र और मशीनरी के अधीन सभी परिसंपत्तियों के लिए सीधी रेखा प्रणाली पर मूल्यह्रास चार्ज किया गया है और अन्य परिसंपत्तियों के लिए (अमूर्त परिसंपत्तियों और पट्टे पर परिसंपत्तियों को छोड़कर) मूल्यह्रासित मूल्य प्रणाली चार्ज की गयी है ताकि अधिनियम में निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर लागत के मूल्य के 5% अवशेष मूल्य रखने के बाद परिसंपत्तियों की लागत मूल्यह्रासित कर सकें ।
   - (ग) ट्रेडमार्क/पेटेंट पाँच वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया गया ।
   - (घ) ईआरपी सोफ्टवेयर के अलावा अन्य सोफ्टवेयर सोलूशन 3 वर्षों की अवधि केलिए समनुपातिक आधार पर परिशोधित की गयी है, जबकि ईआर पी सोफ्टवेयर सोलूशन 8 वर्षों की अवधि केलिए समनुपातिक आधार पर परिशोधित की जाती है। भुगतान किये लाइसेंस शुल्क करार अवधि पर समान रूप से परिशोधित किया गया।
8. चेंगलपेट्ट, कांचीपुरम जिला (तमिलनाडु) में 330.10 एकड भूमि मेडिपार्क के संस्थापन के लिए वर्ष 2009 को उप पट्टे पर देने का कैबिनेट अनुमोदन के परिणामस्वरूप एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड 20 दिसंबर, 2016 को एचएलएल के 100% अलग समनुषंगी के रूप में प्रारंभ किया गया । एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड को एचएलएल लाइफ़केयर द्वारा 90% तक और तमिलनाडु उद्योग विकास बोर्ड (टिड्को) द्वारा 10% तक इक्विटी भागीदारी होगी । एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड ने मार्च, 2017 को नयी समनुषंगी कंपनी में ₹10.01 लाख का निवेश किया है । तमिलनाडु में चेन्नै के पास चेंगलपेट्ट 330.10 एकड़ क्षेत्र में संस्थापित किये जा रहे मेडिपार्क लिमिटेड में मेडिकल प्रौद्योगिकी उद्योग के समर्थन करने के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना और साधारण सुविधाएं होंगी ।
9. संपत्ति भूमि और उपकरण, जो परिचालन पट्टे के अधीन है, पर मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम या पट्टा करार, जो कम है, के अनुसार उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया जाता है।

	2020-21	2019-20
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
लैब उपकरण	14.44	-
कार्यालय उपकरण	2.05	-
विद्युत संस्थापन	0.33	-
	16.82	

10. अनुमोदित अनुसंधान एवं विकास सुविधा में किए गए निम्न पूँजी व्यय की मूल लागत अचल परिसंपत्तियों के परिवर्धन में शामिल हैं।

Note:

1. Cost of Free hold Land includes -
   a) ₹ 1 /- being the token value of 11.44 acres of land transferred by the Govt. of Kerala free of cost.
   b) ₹ 1 /- being the token value of 7.14 acres of land transferred by the Govt. of Kerala free of cost.
   c) ₹ 4.86 lacs being the price of freehold land of 25 acres and 38 Guntas transferred by Karnataka Industrial Area Development Board.
   d) ₹ 16.83 lacs being the price of freehold land of 15 acres and 33 Guntas purchased from various parties at kanagala village.
   e) ₹ 567.92 lacs being the price of freehold land of 0.30 acres at Chennai.
   f) ₹ 0.76 Lacs being price of 20 Cents of land at Cheruvaikal Village.
   g) ₹ 2.16 Lacs being value of 1.06 acres of land transferred by the Govt. of Kerala.
2. As per IND AS 101, the Company has elected to adopt the carrying value measured as per previous GAAP as on 01-04-2015 (Transition date) of all assets as its Deemed cost as on Transition Date.
3. Cost of Lease hold land includes the following
   a) ₹ 130.46 lacs being the original cost of 3 acres of leasehold land and building at Balramapuram, Kerala for 99 years (Deemed Cost as on 01.04.2015 - ₹ .123.74 Lacs)
   b) ₹ 92.41 lacs being the allotment value of 1005.22 sq. mtrs plot in Mumbai on lease for 60 years. (Deemed Cost as on 01.04.2015 - ₹ 87.48 Lacs)
   c) ₹ 261.94 lacs being the value of 5000 Sq.Mtr. of leasehold land allotted in the New Okhla Industrial Development Authority (NOIDA), Uttar Pradesh for 90 years (Deemed Cost as on 01.04.2015 - ₹ 231.51 Lacs)
   d) ₹ 262.39 Lacs being the value of 306 Cents of land at rubber park, Irapuram, Perumbavoor, Kerala State for 81 years from Rubber Park India (P) LTD. (Deemed Cost as on 01.04.2015 - ₹ 260.07 Lacs)
4. ₹ 99/- being the value of 430.10 acres leasehold land allotted in Chengalpettu, Chennai, on lease for a period of 99 years, from Central Leprosy Training & Research Institute (CLTRI) in Chengalpettu, Tamil Nadu. (Deemed Cost as on 01.04.2015 - ₹93 /-) In line with the decision of the Cabinet Committee on Economic Affairs, 100 acres of land is earmarked out of the 430.10 acres in possession, for HLL Biotech Limited, valued @₹ 10.12 crores (56 acres @ ₹ 16.5 Lacs per acre and 44 acres of hilllock @ ₹ 2.00 Lacs per acre) was transferred from HLL to HBL by way of sub leasedeed on the consideration of ₹1/- for a period of ninety four years but was not accounted for by HBL.
5. 3.38 Acres of land, out of 100cm acres in possession, is given on lease for a period of 92 years @ ₹ 1/- per year to Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Ltd
6. The Govt of Kerala has allotted on lease 4.783 acre of Land (Re-survey no. 34/146/1, 35/120/2,35/120/3) at Konni Taluk, Iravon Village,Pathanamthitta District, Kerala towards setting up of Green Field Blood Bag Project.The land has been handed over to the company. The land is allotted on Lease Rent @ ₹ 19400/- per year for a period of 30 years.
7. Methods of depreciation adopted are as follows.
   a) Depreciation on tangible assets including Investment Property have been made in line with the requirement under schedule II of the Companies Act, 2013.
   b) Depreciation has been charged on straight line method for all assets under Plant & Machinery and written down value method for other assets(except intangible asset and leasehold asset) so as to write off the cost of the assets after retaining residual value of 5% of the cost, over the useful lives of the assets prescribed in the Act.
   c) Trade Mark/ Patents are amortised over a period of 5 years.
   d) The cost of computer software other than ERP Software Solution is amortized equally over a period of 3 years, whereas ERP software solution is amortized over a period of 8 Years on pro-rata basis. Licence fee paid is amortized over the agreement period.
   e) Depreciation has been charged on useful life basis irrespective of the shutdowns in the plants which are in the nature of continuous process.
8 Consequent to Cabinet Approval to sub- lease the 330.10 acre land at Chengalpattu, Kanchipuram district (Tamil Nadu) leased to it in 2009, for setting up Medipark, HLL Medipark Limited has been incorporated as a separate 100% subsidiary of HLL on 20th December 2016. The subsidiary company, HLL Medipark Ltd will have equity participation by HLL Lifecare Ltd not exceeding 90% and Tamil Nadu Industrial Development Corporation (TIDCO) not exceeding l0%. HLL Lifecare Ltd has invested ₹ 10.01 lakh in the new subsidiary company in March 2017 . The MediPark being set up in Chengalpattu near Chennai in Tamilnadu in an area of 330.10 acres shall comprise of state-of-art infrastructure and common facilities to support the medical technology industry.
9. Depreciation on Property plant and Equipment which are under operating lease , is provided on the basis of useful life as per companies act or as per lease agreement whichever is lower.
10. Additions to fixed assets include original cost of the following capital expenditure incurred in the approved R&D facility.

	2020-21 (₹ in Lacs)	2019-20 (₹ in Lacs)
Lab Equipments	14.44	-
Office Equipments	2.05	-
Electrical Installation	0.33	-
	16.82	**-**

11. The Company implemented IND AS 116 on 1 April 2019, and applied the modifi ed retrospective method and right of use asssets are disclosed in Note 2.34

टिप्पणी 4. गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ-निवेश

क्रम सं.	निगमित निकाय का नाम	धारण की सीमा %	शेयर/यूनिटों की संख्या	रकम ₹ लाखों में	शेयर/ यूनिटों की संख्या	रकम ₹ लाखों में
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
			31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
	अनुद्धृत-पूर्ण रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयर					
I	**इक्विटी उपकरणों में निवेश**					
	समनुषंगियाँ					
	क) प्रत्येक ₹10 का इक्विटी शेयर					
	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (नीचे टिप्पणी : 1 देखें)	-	-	-	-	-
	एचएलएल इन्फ्राटेक सर्वीसस लिमिटेड	100.00	20,00,000	5.00	20,00,000	5.00
	एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड (नीचे टिप्पणी : 2 देखें)	-	-	-	-	-
	एचएलएल मातृ व शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड (नीचे टिप्पणी 2 : 21 देखें)	100.00	1,00,000	-	-	-
	ख) प्रत्येक ₹100 का इक्विटी शेयर					
	गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	74.00	14,07,480	708.75	14,07,480	708.75
II	**संयुक्त उद्यम**					
	क) प्रत्येक ₹10 का इक्विटी शेयर					
	लाइफ़स्प्रिंग अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड	50.00	85,79,929	950.76	85,79,929	950.76
III	**अन्य**					
	केरल एनविरो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	0.16	20,000	2.00	20,000	2,00
	कुल			**1,666.51**		**1,666.51**

टिप्पणी :

1. 1 अप्रैल, 2019 के प्रभाव से एचएलएल बायोटेक लिमिटेड के डीमर्जर के परिणामस्वरूप 27,48,90,000 शेयरों में निवेश और भारत सरकार द्वारा निवेशित रु.10 के प्रति शेयर की संबंधित शेयर पूँजी रु. 27,488 लाख निवेशों से कम हो गयी है और एचएलएल द्वारा निवेशित शेयर पूँजी और रु.1 लाख टिप्पणी 12 वित्तीय परिसंपत्तियाँ अन्य के अधीन भारत सरकार से वसूली योग्य के रूप में प्रकट की गयी है।

2. 1 अप्रैल, 2019 के प्रभाव से एचएलएल मेडीपार्क लिमिटेड के डीमर्जर के परिणामस्वरूप, रु.10/- के प्रति शेयर पर 64,05,300 शेयरों में निवेश की रकम रु. 640.53 लाख, कम हो गयी और यह टिप्पणी 12 - वित्तीय परिसंपत्तियाँ एवं अन्य के अधीन भारत सरकार से वसूली योग्य के रूप में प्रकट की गयी है।

Note 4. Non-Current Financial Assets - Investments

Sl. No.	Name of the Body Corporate	Extent of Holding (%)	No. of Shares / Units	Amount in ' lacs	No. of Shares / Units	Amount in ' lacs
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
			As at 31.03.2021		As at 31.03.2020	
	Unquoted -Fully paid equity Shares					
1	**Investment in Equity Instruments**					
	I) Subsidiaries					
	a) Equity Shares of ₹10 each					
	HLL Biotech Ltd. (Refer Note 1 below)	-	-		-	
	HLL Infratech Services Ltd	100.00	20,00,000	5.00	20,00,000	5.00
	HLL Medipark Ltd. (Refer Note 2 below)	-	-		-	
	HLL Mother & Child Care Hospital Limited (Refer Note 2.21)	100.00	1,00,000	-	-	-
	b) Equity Shares of ₹100 each					
	Goa Antibiotics And Pharmaceuticals Limited	74.00	14,07,480	708.75	14,07,480	708.75
	II) Joint Ventures					
	a) Equity Shares of ₹10 each					
	Life Spring Hospital Pvt.Ltd	50.00	85,79,929	950.76	85,79,929	950.76
	III) Others					
	Kerala Enviro Infrastructures Ltd.	0.16	20,000	2.00	20,000	2.00
	Total			**1,666.51**		**1,666.51**

Notes

1. Consequent to demerger of HLL Biotech Ltd w.e.f 1st April 2019, investment in 27,48,90,000 number of shares and corresponding share capital @ ₹10 per share amounting to ₹ 27,488 lakhs invested by Govt of India is reduced from Investments and Share Capital and ₹ 1 lakh invested by HLL is disclosed as recoverable from Govt of India under Note 12 - Financial Assets Others

2. Consequent to demerger of HLL Medipark Ltd w.e.f 1st April 2019,the investment in 64,05,300 shares @₹10/- share amounting to ₹ 640.53 lakh is reduced and disclosed as recoverable from Govt of India under Note 12 - Financial Assets Others

टिप्पणी 5. गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ - अन्य

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए		
प्रतिभूति जमा	141.23	129.57
कुल	**141.23**	**129.57**

टिप्पणी 6. इंड ए एस-12 आय कर के अधीन प्रकटीकरण

विवरण	31.03.2021 तक लेखापरीक्षित	31.03.2020 तक लेखापरीक्षित
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
आस्थगित कर देयताएं (निवल)		
क) आस्थगित कर देयताएं	(968.21)	(1275.02)
ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	2,597.97	2,280.62
	1,629.76	**1,005.59**
कुल	**1629.76**	**1005.59**

विवरण	31.03.2021 तक लेखापरीक्षित	31.03.2020 तक लेखापरीक्षित
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
आस्थगित कर (देयता)/परिसंपत्तियाँ		
परिसंपत्तियों का डब्लियु डी वी (आर ओ यु परिसंपत्तियों के अलावा)	(296.38)	(538.14)
आर ओ यु परिसंपत्तियाँ	(671.83)	(736.88)
आस्थगित कर देयताएँ बनाने वाली मदों के कर प्रभाव	**(968.21)**	**(1275.02)**
आस्थगित कर देयताएँ बनाने वाली मदों के कर प्रभाव		
संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	909.46	949.46
अचल स्टॉक और अप्रयुक्त स्टॉक के लिए प्रावधान	16.40	6.91
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	1,043.41	482.89
आर ओ यु देयताएँ	628.70	841.35
आस्थगित कर देयताएँ बनाने वाली मदों के कर प्रभाव	**2,597.97**	**2,280.62**
निवल आस्थगित कर (देयता)/परिसंपत्तियाँ	1,629.76	1,005.59

Note 5. Non-Current Financial Assets - Others

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
Unsecured, Considered good		
Security Deposits	141.23	129.57
Total	**141.23**	**129.57**

Note 6. Disclosures under Ind AS - 12 Income Taxes

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	Audited	Audited
	₹ lacs	₹ lacs
Deferred tax asset (Net)		
a) Deffered tax liabilities	(968.21)	(1275.02)
b) Deffered tax assets	2,597.97	2,280.62
	1,629.76	**1,005.59**
Total	**1629.76**	**1005.59**

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	Audited	Audited
	₹ lacs	₹ lacs
Deferred tax (liability) / asset		
WDV of Assets (Other than ROU Assets)	(296.38)	(538.14)
ROU Assets	(671.83)	(736.88)
Tax effect of items constituting deferred tax liability	**(968.21)**	**(1275.02)**
Tax effect of items constituting deferred tax assets		
Provision for doubtful debts	909.46	949.46
Provision for Non Moving Stock & Obsolete Stock	16.40	6.91
Provision for Employee benefits	1,043.41	482.89
ROU Liabilities	628.70	841.35
Tax effect of items constituting deferred tax assets	**2,597.97**	**2,280.62**
Net deferred tax (liability) / asset	1,629.76	1,005.59

टिप्पणी 7. अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

विवरण	31.03.2021 तक ₹ लाखों में	31.03.2020 तक ₹ लाखों में
सेस में गोदाम के लिए अग्रिम पट्टा किराया	14.00	15.98
अग्रिम आय कर (निवल प्रावधान)	4,466.65	2,968.45
कुल	**4,480.65**	**2,984.43**

टिप्पणी 8. वस्तुसूची

(निम्नतम लागत पर या निवल वसूली साध्य मूल्य)

	विवरण	31.03.2021 तक ₹ लाखों में	31.03.2020 तक ₹ लाखों में
क.	कच्चे माल (लागत पर मूल्यांकित)	2,665.04	1,816.51
ख.	पैकिंग सामग्रियाँ (लागत पर मूल्यांकित)	1,121.08	978.19
ग.	कार्य प्रगति (वास्तविक प्रक्रिया लागत पर मूल्यांकित)	1,841.68	1,795.29
घ.	तैयार माल (निम्नतम लागत पर या एन आर वी पर मूल्यांकित)		
	विनिर्मित उत्पाद	2,606.81	3,373.25
	सामाजिक विपणन उत्पाद	135.84	75.36
	आउटसोर्सड उत्पाद	23,158.73	9,667.21
	मार्गस्थ माल	2.36	26.72
		25,903.74	**13,142.54**
ङ.	सामान्य भंडार एवं उपभोज्य (लागत पर मूल्यांकित)	1,281.74	806.72
च.	अन्य सामग्रियाँ, मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जे, इमारती सामान आदि (लागत पर मूल्यांकित)	1,038.94	911.96
छ.	प्रबंधन द्वारा पुनर्मूल्यांकित और प्रमाणित औजार	6.37	5.06
ज.	अन्य		
	उपहार मदें (लागत पर)	12.26	11.45
	लेखन सामग्री (लागत पर)	77.36	67.47
		89.62	**78.92**
		33,948.20	**19,535.19**
न्यून :	अप्रचलित स्टॉक के लिए प्रावधान	179.17	27.46
कुल		**33,769.02**	**19,507.73**

Note 7. Other Non - Current Assets

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹lacs	₹lacs
Lease rent advance for Warehouse in CSEZ	14.00	15.98
Advance Income Tax (Net of Provisions)	4466.65	2968.45
Total	**4480.65**	**2984.43.**

Note 8. Inventories

(At lower of, cost or net realisable value)

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
a. Raw Materials (Valued at cost)	2,665.04	1,816.51
b. Packing Materials (Valued at cost)	1,121.08	978.19
c. Work-in-progress (Valued at Actual Process Cost)	1,841.68	1,795.29
d. Finished goods (Valued at Lower of cost or NRV)		
Manufactured Products	2,606.81	3,373.25
Social Marketing Products	135.84	75.36
Outsourced Products	23,158.73	9,667.21
Goods-in transit	2.36	26.72
	25,903.74	**13,142.54**
e. General Stores and Consumables (Valued at cost)	1,281.74	806.72
f. Other materials, machinery, spare parts, building materials etc. (Valued at cost)	1,038.94	911.96
g. Tools revalued and certified by management	6.37	5.06
h. Others		
Gift items (at cost)	12.26	11.45
Stationery (at cost)	77.36	67.47
	89.62	**78.92**
	33,948.20	**19,535.19**
Less : Provision for Obselete Stock	179.17	27.46
Total	**33,769.02**	**19,507.73**

टिप्पणी 9. चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ-व्यापार प्राप्तियाँ

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
भुगतान के लिए नियत तारीख से छह महीने की कम अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्तियाँ		
प्रतिभूत, शोध्य समझे गए*	896.64	289.25
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए	1,34,462.83	49,069.37
	1,35,359.47	**49,358.62**
भुगतान के लिए नियत तारीख से छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्तियाँ	-	
प्रतिभूत, शोध्य समझे गए *	120.00	754.54
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए	48,187.40	34,074.40
संदिग्ध समझे गए	2,074.92	2,233.88
	50,382.32	**37,062.82**
न्यून : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	2,074.92	2,233.88
	48,307.40	**34,828.94**
कुल	**1,83,666.87**	**84,187.56**

सुरक्षा विवरणों के ब्यौरा

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
शोध्य समझे गए व्यापार प्राप्तियाँ - प्रतिभूत	1,016.64	1,043.79
शोध्य समझे गए व्यापार प्राप्तियाँ -अप्रतिभूत	1,84,725.15	85,377.65
ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि रही व्यापार प्राप्तियाँ	-	-
व्यापार प्राप्य - ऋण हानि	-	-
कुल	**1,85,741.79**	**86,421.44**
न्यून : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	2,074.92	2,233.88
कुल व्यापार प्राप्य	**1,83,666.87**	**84,187.56**

* ऋण पत्र, बैंक गारंटी और ग्राहकों के जमा की ओर प्रतिभूत

NOTE 9. CURRENT FINANCIAL ASSETS - TRADE RECEIVABLES

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
Trade receivables outstanding for a period less than six months from the date they were due for payment		
Secured, considered good *	896.64	289.25
Unsecured, considered good	1,34,462.83	49,069.37
	1,35,359.47	**49,358.62**
Trade receivables outstanding for a period exceeding six months from the date they were due for payment	-	
Secured, considered good*	120.00	754.54
Unsecured, considered good	48,187.40	34,074.40
Considered Doubtful	2,074.92	2,233.88
	50,382.32	**37,062.82**
Less: Allowance for doubtful debts	2,074.92	2,233.88
	48,307.40	**34,828.94**
Total	**1,83,666.87**	**84,187.56**

Breakup of security details

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
Trade receivables considered good-Secured	1,016.64	1,043.79
Trade receivables considered good-Unsecured	1,84,725.15	85,377.65
Trade receivables which have significant increase in credit risk	-	-
Trade receivables-Credit Impaired	-	-
Total	**1,85,741.79**	**86,421.44**
Less: Allowance for doubtful debts	2,074.92	2,233.88
Total Trade receivables	**1,83,666.87**	**84,187.56**

* Secured against Letter of Credit, Bank Guarantee & Customer Deposit

टिप्पणी 10. रोकड़ व रोकड़ समानार्थी

विवरण	31.03.2021 तक ₹लाखों में	31.03.2020 तक ₹लाखों में
(क) बैंकों के साथ बकाया		
(i) चालू खाते में	1,586.71	739.78
(ii) सी एस आर के लिए निर्धारित धनराशि	2.62	
(iii) परियोजना के लिए निर्धारित धनराशि	2,054.27	
(iv) जमा खाते में		
(क) 3 महीने से कम परिपक्वता वाले सावधि जमा खाते में (नीचे टिप्पणी 1 देखें)	83,039.17	1,886.25
(ख) उधार और गारंटी के लिए मार्जिन मणी के रूप में रखे सावधि जमा	413.58	828.74
(v) ई ई एफ सी खाते में	21.58	2.58
(iv) हस्तगत कैश/स्टाम्प	201.01	208.66
कुल	**87,318.94**	**3,666.01**
(ख) उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त बैंक शेष		
जमा खाते में	119.82	197.80
कुल	**119.82**	**197.80**

टिप्पणी :

1. तीन महीने से कम परिपक्वता वाला सावधि जमा खातों में कोविड और वैक्सीन खरीदने के लिए अग्रिमों से संबंधित रु. 80,563.85 लाख की राशि शामिल है।

NOTE 10. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Particulars	As at 31.03.2021 ₹ lacs	As at 31.03.2020 ₹ lacs
(a) Balances with banks		
(i) In Current accounts	1,586.71	739.78
(ii) Funds earmarked for CSR	2.62	
(iii) Funds earmarked for Projects	2,054.27	
(iv) In Deposit accounts		
(a) In Term deposit accounts with less than 3 months maturity (Refer Note 1 below)	83,039.17	1,886.25
(b) In Term deposits held for margin money for borrowings and guarantee	413.58	828.74
(v) In EEFC accounts	21.58	2.58
(vi) Cash/stamps on hand	201.01	208.66
Total	**87,318.94**	**3,666.01**
(b) Bank balances other than (a) above		
In deposit accounts	119.82	197.80
Total	**119.82**	**197.80**

Note:

1. Term deposits accounts with less than three months maturity, includes an amount of ₹80,563.85 lakhs relating to advances for Covid and Vaccine procurements.

टिप्पणी 11. ऋण

विवरण		31.03.2021 तक ₹ लाखों में	31.03.2020 तक ₹ लाखों में
(क)	प्रतिभूति जमा एवं ई एम डी		
	प्रतिभूत, शोध्य समझे गए	458.39	433.48
	आस्थगित किराया	-	20.54
	उप कुल	**458.39**	**454.02**
(ख)	कर्मचारियों को ऋण एवं पेशगियाँ		
	प्रतिभूत, शोध्य समझे गए	(0.24)	17.22
	अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए	574.72	679.92
	संदिग्ध समझे गए	1.17	1.17
		575.64	**698.31**
	न्यून : संदिग्ध ऋण और पेशगियों के लिए भत्ता	1.17	1.17
	उप कुल	**574.47**	**697.14**
(ग)	संबंधित पार्टियों को ऋण		
	अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए	2,108.67	1,691.51
	उप कुल	2,108.67	1,691.51
	कुल	**3,141.53**	**2,842.67**

प्रतिभूति विवरणों के ब्यौरा

विवरण	31.03.2021 ₹ लाखों में	31.03.2020 तक ₹ लाखों में
शोध्य समझे गए ऋण एवं पेशगियाँ - प्रतिभूत	(0.24)	17.22
शोध्य समझे गए ऋण एवं पेशगियाँ -अप्रतिभूत	2,684.56	2,372.60
ऋण एवं पेशगियाँ जिन्हें क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि है।	-	-
ऋण एवं पेशगियाँ - खराब हुए क्रेडिट	-	-
कुल	**2,684.31**	**2,389.82**
न्यून : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	1.17	1.17
ऋण एवं पेशगियाँ	**2,683.14**	**2,388.65**

टिप्पणी : चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ - ऋण में देय राशि शामिल है

विवरण	31.03.2021 तक ₹ लाखों में	31.03.2020 तक ₹ लाखों में
निदेशक	0.25	0.24
कंपनी के अन्य अधिकारीगण	53.19	45.66
कुल	**53.44**	**45.90**

NOTE 11. LOANS

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
(a) Security deposits & EMD		
Secured, considered good	458.39	433.48
Deferred Rent	-	20.54
Sub Total	**458.39**	**454.02**
(b) Loans and advances to employees		
Secured, considered good	(0.24)	17.22
Unsecured, considered good	574.72	679.92
Considered Doubtful	1.17	1.17
	575.64	**698.31**
Less: Allowance for doubtful loans and advances	1.17	1.17
Sub Total	**574.47**	**697.14**
(c) Loans to Related parties		
Unsecured, considered good	2,108.67	1,691.51
Sub Total	**2,108.67**	**1,691.51**
Total	**3,141.53**	**2,842.67**

Breakup of security details

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
Loans & Advances considered good-Secured	(0.24)	17.22
Loans & Advances considered good-Unsecured	2,684.56	2,372.60
Loans & Advances which have significant increase in credit risk	-	-
Loans & Advances-Credit Impaired	-	-
Total	**2,684.31**	**2,389.82**
Less: Allowance for doubtful debts	1.17	1.17
Loans And Advances	**2,683.14**	**2,388.65**

Note: Current Financial Assets - Loans include amounts due from:

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
Directors	0.25	0.24
Other officers of the Company	53.19	45.66
Total	**53.44**	**45.90**

टिप्पणी 12. अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ

विवरण		31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
		₹ लाखों में	₹ लाखों में
(क)	प्रोद्भवन	199.32	0.18
(ख)	अन्य (लेनदार को अग्रिम, विविध अभिकरणों के लिए जमा आदि		
	प्रतिभूत, शोध्य समझे गए	199.92	144.43
	अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए	22,590.51	17,290.52
	संदिग्ध समझे गए	1,538.62	1,538.62
(ग)	भारत सरकार से प्राप्तियाँ	641.53	641.53
		24,970.57	19,615.10
न्यून : संदिग्ध ऋण और पेशगियों के लिए भत्ता		1,538.62	1,538.62
उप कुल		**23,431.96**	**18,076.48**
कुल		**23,631.28**	**18,076.66**

टिप्पणी 13. अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए, अन्यथा निर्धारित न हो		
(क) निर्यात प्रोत्साहन/वापसी शुल्क	395.99	382.67
(ख) डी ई पी बी लाइसेंस एफ एम आई & एम ई आई एस का स्टॉक	54.64	74.12
(ग) परियोजना से प्राप्य	500.49	194.99
(घ) पूर्व प्रदत्त व्यय	207.18	247.64
(ङ) अग्रिम बिक्री कर	20.44	20.44
कुल	**1,178.74**	**919.86**

टिप्पणी 14. शेयर पूँजी

विवरण		31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
		₹ लाखों में	₹ लाखों में
(क)	प्राधिकृत शेयर पूँजी		
	प्रत्येक ₹10/- के इक्विटी शेयर-30,00,00,000 संख्याएं	30,000.00	30,000.00
(ख)	जारी की गई शेयर पूँजी		
	प्रत्येक ₹10/- के इक्विटी शेयर- 1,55,35,000 संख्या (31.03.2020 तक) 1,55,35,000 संख्या (31.03.2021 तक)	1,553.50	1,553.50
(ग)	अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त शेयर पूँजी		
	प्रत्येक ₹10/- के इक्विटी शेयर- 1,55,35,000 संख्या (31.03.2020 तक) 1,55,35,000 संख्या (31.03.2021 तक)	1,553.50	1,553.50
कुल		**1,553.50**	**1,553.50**

NOTE 12. CURRENT FINANCIAL ASSETS - OTHERS

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
(a) Accruals	199.32	0.18
(b) Others (Advance to Creditors, Deposit to various agencies etc)		
Secured, considered good	199.92	144.43
Unsecured, considered good	22,590.51	17,290.52
Considered Doubtful	1,538.62	1,538.62
(c) Receivable from Govt of India	641.53	641.53
	24,970.57	19,615.10
Less: Allowance for doubtful loans and advances	1,538.62	1,538.62
Sub Total	**23,431.96**	**18,076.48**
Total	**23,631.28**	**18,076.66**

NOTE 13. OTHER CURRENT ASSETS

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
Unsecured, considered good unless otherwise stated		
(a) Export Incentives/Duty Draw back	395.99	382.67
(b) Stock of DEPB Licence FMI & MEIS	54.64	74.12
(c) Receivable from Projects	500.49	194.99
(d) Prepaid Expenses	207.18	247.64
(e) Sales Tax Advances	20.44	20.44
Total	**1,178.74**	**919.86**

NOTE 14. SHARE CAPITAL

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
(a) Authorised Share Capital		
Equity shares of ₹ 10/-each - 30,00,00,000 Nos.	30,000.00	30,000.00
(b) Issued Share Capital		
Equity shares of ₹ 10/- each: 1,55,35,000 Nos. (As on 31.03.2020) 1,55,35,000 Nos. (As on 31.03.2021)	1,553.50	1,553.50
(c) Subscribed and fully paid up Share Capital		
Equity shares of ₹ 10/- each: 1,55,35,000 Nos. (As on 31.03.2020) 1,55,35,000 Nos. (As on 31.03.2021)	1,553.50	1,553.50
Total	**1,553.50**	**1,553.50**

शेयर पूँजी का मेल मिलाप

विवरण	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
	शेयरों की संख्या	रुपए लाखों में	शेयरों की संख्या	रुपए लाखों में
इक्विटी शेयर पूँजी				
प्राधिकृत				
अथ शेष (प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य)	30,00,00,000	30,000.00	30,00,00,000	30,000.00
परिवर्धन	-	-	-	-
अंतिम शेष(प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य)	30,00,00,000	30,000.00	30,00,00,000	30,000.00
जारी किए गए				
अथ शेष(प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य)	1,55,35,000	1,553.50	29,04,15,000	29,041.50
परिवर्धन/(छूट)		-	-27,48,80,000	(27,488.00)
अंतिम शेष(प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य)	1,55,35,000	1,553.50	1,55,35,000	1,553.50
अभिदत्त और प्रदत्त				
अथ शेष(प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य)	1,55,35,000	1,553.50	29,04,15,000	29,041.50
परिवर्धन/(छूट)	-	-	-27,48,80,000	(27,488.00)
अंतिम शेष(प्रत्येक ₹10/- की अंकित मूल्य)	1,55,35,000	1,553.50	1,55,35,000	1,553.50

5% से अधिक शेयर पास रखे प्रत्येक शेयरधारक के शेयरों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
	रखे शेयरों की संख्या	धारण की प्रतिशतता	धारण किए शेयरों की संख्या	धारण की प्रतिशतता
भारत के राष्ट्रपति	1,55,35,000	100%	1,55,35,000	100%

टिप्पणी :

1. 1 अप्रैल, 2019 के प्रभाव से एचएलएल बायोटेक लिमिटेड के डीमर्जर के परिणामस्वरूप आई वी सी परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा रु.10 के प्रति शेयर पर 27,48,80,000 शेयरों में निवेशित रकम रु. 27,488 लाख शेयर पूँजी से और तदनुसार निवेशों से कम हो गयी है।
2. 1 अप्रैल, 2019 के प्रभाव से शेयर पूँजी में परिवर्तन और तदनुसार 31 मार्च 2020 को शेयर पूँजी से कमी देखी गयी है।

Reconciliation of Share Capital

Description	AS AT 31.03.2021		AS AT 31.03.2020	
	No of Shares	₹ lacs	No of Shares	₹ lacs
Equity Share Capital				
Authorized				
Opening Balance (Face value of ₹10/- each)	30,00,00,000	30,000.00	30,00,00,000	30,000.00
Additions	-	-	-	-
Closing Balance (Face value of ₹10/- each)	30,00,00,000	30,000.00	30,00,00,000	30,000.00
Issued				
Opening Balance (Face value of ₹10/- each)	1,55,35,000	1,553.50	29,04,15,000	29,041.50
Additions/(Reductions)		-	-27,48,80,000	(27,488.00)
Closing Balance (Face value of ₹10/- each)	1,55,35,000	1,553.50	1,55,35,000	1,553.50
Subscribed & Paid up				
Opening Balance (Face value of ₹10/- each)	1,55,35,000	1,553.50	29,04,15,000	29,041.50
Additions/(Reductions)	-	-	-27,48,80,000	(27,488.00)
Closing Balance (Face value of ₹10/- each)	1,55,35,000	1,553.50	1,55,35,000	1,553.50

Details of shares held by each shareholder holding more than 5% shares:

Name of shareholder	AS AT 31.03.2021		AS AT 31.03.2020	
	Number of shares held	% of Holding	Number of shares held	% of Holding
President of India	1,55,35,000	100%	1,55,35,000	100%

Notes:

1. Consequent to demerger of HLL Biotech Ltd w.e.f 1st April 2019 ,investment in 27,48,80,000 number of shares @ ₹10 per share amounting to ₹ 27,488 lakhs invested by Govt of India for IVC project is reduced from Share capital and correspondingly from investments.

2. The change in Share capital is w.e.f 1st April 2019 and accordingly shown as reduction from the Share capital as on 31st March 2020

टिप्पणी 15. अन्य इक्विटी

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(क) लाभांश समीकरण आरक्षित	**129.74**	**129.74**
(ख) सामान्य आरक्षित		
अथ शेष	25,712.06	25,712.06
अंतिम शेष	**25,712.06**	**25,712.06**
(ग) लाभ व हानि के विवरण में अधिशेष/(घाटा)		
अथ शेष	3,041.52	(8,771.39)
जोड : वर्ष केलिए लाभ/(हानि)	11,233.01	10,979.97
प्रतिधारित कमाई से इंड ए एस 116 पट्टा शेष		(140.03)
पूँजी व्ययों के लिए प्रावधान का प्रत्यावर्तन		6.64
कराधान के लिए प्रावधान से ओ सी आई मदों पर कर प्रभाव के पुनर्वर्गीकरण	-	337.80
पी : एल से ओ सी आई तक निवल ओ सी आई मदों का पुनर्वर्गीकरण		628.53
न्यून : लाभांश	1,490.00	
अंतिम शेष	**12,784.53**	**3,041.52**
(ग) अन्य व्यापक आय		
अथ शेष	(628.53)	-
जोड : प्रतिधारित कमाई से पुनर्वर्गीकृत शेष		(628.53)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	(977.20)	
अंतिम शेष	**(1,605.73)**	**(628.53)**
कुल	**37,020.60**	**28,254.79**

टिप्पणी. अन्य इक्विटी

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020तक
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
लाभांश समीकरण आरक्षण	129.74	129.74
सामान्य आरक्षण	25,712.06	25,712.06
अन्य व्यापक आय	(1,605.73)	(628.53)
प्रतिधारित अर्जन	12,784.53	3,041.52
कुल	**37,020.60**	**28,254.79**

NOTE 15. OTHER EQUITY

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
(a) Dividend Equalisation Reserve	**129.74**	**129.74**
(b) General reserve		
Opening balance	25,712.06	25,712.06
Closing balance	**25,712.06**	**25,712.06**
(c) Surplus / (Deficit) in Statement of Profit and Loss		
Opening balance	3,041.52	(8,771.39)
Add: Profit / (Loss) for the year	11,233.01	10,979.97
Ind As 116 Leases balances from retained earnings		(140.03)
Reversal of Provision for Capital expenses		6.64
Reclassification of Tax effect on OCI tems from Prov for taxation	-	337.80
Reclassication of Net OCI items from P & L to OCI		628.53
Less: Dividend	1,490.00	
Closing balance	**12,784.53**	**3,041.52**
(c) Other Comprehensive Income		
Opening Balance	(628.53)	-
Add: Balance reclassified from Retained earnings		(628.53)
Other comprehensive income for the year	(977.20)	
Closing Balance	**(1,605.73)**	**(628.53)**
Total	**37,020.60**	**28,254.79**

Note. Other Equity

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	Audited	Audited
	₹ lacs	₹ lacs
Dividend Equalisation Reserve	129.74	129.74
General Reserve	25,712.06	25,712.06
Other Comprehensive Income	(1,605.73)	(628.53)
Retained Earnings	12,784.53	3,041.52
Total	**37,020.60**	**28,254.79**

टिप्पणी 16. गैर-चालू वित्तीय देयताएं-उधार

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(क) प्रतिभूत उधार		
आवधिक ऋण :		
आवधिक ऋण रुपया प्रतिभूत	2,284.01	4,400.00
कुल	2,284.01	**4,400.00**

(i) दीर्घकालिक उधार के लिए चुकौती के शर्त के विवरण और प्राप्त दीर्घकालिक उधार के संबंध में दी गई प्रतिभूति ।

विवरण	प्रतिभूति के विवरण*	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
		प्रतिभूत	अप्रतिभूत	प्रतिभूत	अप्रतिभूत
		₹ लाखों में	₹ लाखों में	₹ लाखों में	₹ लाखों में
बैकों से आवधिक ऋण :					
ऋण रुपया					
- एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड - स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	पेरूरकडा फैक्टरी - बालरामपुरम सुविधा, आक्कुलम के निगमित आर & डी केंद्र, आक्कुलम, कनगला के सैनिटरी नैपकिन विनिर्माण यूनिट के ऋण से खरीदी चल संपत्तियों पर प्रथम चार्ज। आक्कुलम, तिरुवनंतपुरम के मकान और भूमि पर साम्यिक बंधक । पारी पासु के आधार पर कंपनी की संपूर्ण परिसंपत्तियों पर चार्ज का विस्तार नोएड़ा मकान फेस II और ऐरापुरम के भूमि और मकान पर साम्यिक बंधक	695.87 3,543.49	- -	1,166.67 5,178.74	-
कुल - बैंकों से आवधिक ऋण		**4,239.36**	**-**	**6,345.40**	**-**
न्यूनः चालू देयताओं के रूप में माने अगले 12 महीनों के अंतर देय ।	1. किस्त ₹1926.67 लाख (पिछले वर्ष - ₹ 1906.66 लाख) 2. प्रोद्भूत ब्याज और देय - ₹ 28.62 लाख (पिछले वर्ष - ₹ 38.74 लाख)	1,955.29	-	1,945.40	-
12 महीनों के बाद देय		**2,284.01**	**-**	**4,400.00**	**-**

NOTE 16. NON-CURRENT FINANCIAL LIABILITIES - BORROWINGS

Particulars	As at 31.03.2021 ₹ lacs	As at 31.03.2020 ₹ lacs
(a) Secured Borrowings		
Term loans:		
Rupee Term Loan - Secured	2,284.01	4,400.00
Total	**2,284.01**	**4,400.00**

(i) Details of terms of repayment for the long-term borrowings and security provided in respect of the secured long-term borrowings:

Particulars	Details of security*	AS AT 31.03.2021		AS AT 31.03.2020	
		Secured ₹ lacs	Unsecured ₹ lacs	Secured ₹ lacs	Unsecured ₹ lacs
Term loans from banks:					
Rupee Loan					
- HDFC Bank Limited	First charge over movable assets purchased out of the loan at Peroorkada Factory-Balaramapuram facility, Corporate R&D Centre at Akkulam, Sanitary Napkin Manfacturing Unit at Kanagala.	695.87	-	1,166.67	-
- State Bank of India	Equitable mortgage over land and building at Akkulam, Trivandrum Extension of charge over entire current assets of the company on pari passu basis Equitable Mortgage over the Noida Building Phase II & land and building at Irapuram	3,543.49	-	5,178.74	-
Total - Term loans from banks		**4,239.36**	**-**	**6,345.40**	**-**
Less: Payable within next 12 months treated as Current Liabilities	1. Installment ₹1926.67 Lacs (Previous year- ₹ 1906.66 Lacs) 2. Interest accrued & due- ₹ 28.62 Lacs (Previous year-₹38.74 Lacs)	1,955.29	-	1,945.40	-
Payable after 12 months		**2,284.01**	**-**	**4,400.00**	**-**

टिप्पणी 17. दीर्घकालीन प्रावधान

विवरण	31.03.2021 तक ₹ लाखों में	31.03.2020 तक ₹ लाखों में
निष्पादन संबंधी वेतन के लिए प्रावधान	757.18	654.70
कुल	757.18	654.70

टिप्पणी 18.चालू वित्तीय देयताएँ - उधार

विवरण	31.03.2021 तक ₹ लाख	31.03.2020 तक ₹ लाख
(क) मांग पर प्रतिदेय ऋण (नकदी ऋण) - प्रतिभूत		
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से	13,072.21	11,218.54
कैनरा बैंक से	17.70	4,936.35
एच डी एफ सी बैंक से	3,446.56	2,142.59
कुल	16,536.47	18,297.48
(ख) बैंकों से अल्पकालीन ऋण -प्रतिभूत- ओवरड्राफ्ट		
कैनरा बैंक से	5,313.08	7,457.82
एस बी आई से	6,472.49	6,295.06
कुल	11,785.57	13,752.88
कुल (प्रतिभूत)	28,322.04	32,050.36
कुल	**28,322.04**	**32,050.36**

टिप्पणियाँः

(i) **प्राप्त अल्पकालिक उधार के लिए प्रतिभूति के विवरण :**

विवरण	प्रतिभूति की प्रकृति	31.03.2021 तक ₹ लाखों में	31.03.2020 तक ₹ लाखों में
बैंकों से मांग पर प्रतिदेय ऋण			
एस बी आई	कंपनी की चालू परिसंपत्तियों पर पारि पासु चार्ज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से पूजप्पुरा, तिरुवनंतपुरम के मकान सहित भूमि पर जमानती के रूप में साम्यिक बंधक।	13,072.21	11,218.54
कैनरा बैंक		17.70	4,936.35
एच डी एफ सी बैंक		3,446.56	2,142.59
बैंकों से अल्पकालिक ऋण -प्रतिभूत ओवरड्राफ्ट		**16,536.47**	**18,297.48**
कैनरा बैंक से	परियोजना जमा से प्रतिभूत	5,313.08	7,457.82
एस बी आई से		6,472.49	6,295.06
		11,785.57	**13,752.88**
कुल		**28,322.04**	**32,050.36**

NOTE 17 LONG TERM PROVISIONS

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹lacs	₹lacs
Provision for performance related pay	757.18	654.70
Total	**757.18**	**654.70**

NOTE 18. CURRENT FINANCIAL LIABILITIES - BORROWINGS

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
(a) Loans repayable on demand (Cash Credit) - Secured		
From State Bank of India	13,072.21	11,218.54
From Canara Bank	17.70	4,936.35
From HDFC Bank	3,446.56	2,142.59
Total	**16,536.47**	**18,297.48**
(b) Short Term Loans from Banks -Secured Overdraft		
From Canara Bank	5,313.08	7,457.82
From SBI	6,472.49	6,295.06
Total	**11,785.57**	**13,752.88**
Total (secured)	**28,322.04**	**32,050.36**
Total	**28,322.04**	**32,050.36**

Notes:

(i) Details of security for the secured short-term borrowings:

Particulars	Nature of security	AS AT 31.03.2021	AS AT 31.03.2020
		₹ lacs	₹ lacs
Loans repayable on demand from banks:		13,072.21	11,218.54
SBI	Parri passu charge over current assets of the company. Equitable Mortgage as collateral over the land with building at Poojappura, Trivandrum towards State Bank of India		
Canara Bank		17.70	4,936.35
HDFC Bank		3,446.56	2,142.59
Short Term Loans from Banks - Secured overdraft		**16,536.47**	**18,297.48**
From Canara Bank	Secured by Project Deposits	5,313.08	7,457.82
From SBI		6,472.49	6,295.06
		11,785.57	**13,752.88**
Total		**28,322.04**	**32,050.36**

टिप्पणी 19. चालू वित्तीय देयताएं-देय व्यापार

विवरण	31.03.2021 तक ₹ लाखों में	31.03.2020 तक ₹ लाखों में
व्यापार देनदारियाँ:		
सामग्रियों, सेवाओं और व्ययों के लिए		
क. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम	1,123.65	2,004.56
ख. अन्य	1,66,058.64	50,703.40
कुल	**1,67,182.29**	**52,707.96**

टिप्पणी 20 चालू वित्तीय देयताएं-अन्य

विवरण	31.03.2021 तक ₹ लाखों में	31.03.2020 तक ₹ लाखों में
(क) दीर्घकालीन ऋण के चालू परिपक्वताएं (नीचे टिप्पणी (त) का संदर्भ करें)	1,955.29	1,945.40
(ख) अन्य		
ग्राहक/मुवक्किल से अग्रिम	92,027.04	19,585.60
ई एम डी और प्रतिभूति जमा	5,269.42	4,867.32
अन्य देयताएं	21,648.07	13,834.50
अंशदायी पेंशन योजना	-	538.09
कुल	**1,20,899.82**	**40,770.91**

टिप्पणी (i) : दीर्घकालीन ऋण के चालू परिपक्वताएँ (टिप्पणी 16 में टिप्पणी (i) का संदर्भ करें प्रतिभूति के विवरण के लिए दीर्घकालिक उधार)

विवरण	31.03.2021 तक ₹ लाखों में	31.03.2020 तक ₹ लाखों में
मियादी ऋण		
एच डी एफ सी बैंक से मियादी ऋण रुपया	471.30	466.67
एस बी आई से मियादी ऋण रुपए	1,483.99	1,478.74
कुल	1,955.29	1,945.40

टिप्पणी 21. चालू प्रावधान

विवरण	31.03.2021 तक ₹ लाखों में	31.03.2020 तक ₹ लाखों में
(क) कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान :		
(i) बॉनस और प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	316.40	267.50
(ii) निष्पादन संबंधी वेतन के लिए प्रावधान	654.70	80.84
(iii) उपदान के लिए प्रावधान	2,331.21	1,647.28
(iv) ग्रूप ई एल प्रीमियम के लिए प्रावधान	868.34	51.40
(ख) आय कर के लिए प्रावधान	3,469.86	1,636.92
(ग) प्रावधान - अन्य :		
(i) प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान	1,490.00	-
(ii) सी एस आर देयताओं के लिए प्रावधान	2.62	-
कुल	**9,133.13**	**3,683.95**

NOTE 19.CURRENT FINANCIAL LIABILITIES - TRADE PAYABLES

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹lacs	₹lacs
Trade payables:		
for materials, services and expenses		
a. Micro Small and Medium Enterprises	1,123.65	2,004.56
b. Others	1,66,058.64	50,703.40
Total	**1,67,182.96**	**52,707.96**

NOTE 20. CURRENT FINANCIAL LIABILITIES - OTHERS

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
(a) Current maturities of long-term debt (Refer Note (i) below)	1,955.29	1,945.40
(b) Others		
Advance from Customers/Clients	92,027.04	19,585.60
EMD & Security Deposits	5,269.42	4,867.32
Other Liabilities	21,648.07	13,834.50
Contributory Pension Scheme	-	538.09
Total	**1,20,899.82**	**40,770.91**

Note (i): Current maturities of long-term debt (Refer Notes (i) in Note 16 - Long-term borrowings for details of security)

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
Term loans		
Rupee Term Loan from HDFC Bank	471.30	466.67
Rupee Term Loan from SBI	1,483.99	1,478.74
Total	**1,955.29**	**1,945.40**

NOTE 21. CURRENT PROVISIONS

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
(a) Provision for employee benefits:		
(i) Provision for bonus and incentive	316.40	267.50
(ii) Provision for performance related pay	654.70	80.84
(iii) Provision for gratuity	2,331.21	1,647.28
(iv) Provision for group EL Premium	868.34	51.40
(b) Provision for income tax	3,469.86	1,636.92
(c) Provision - Others:		
(i) Provision for Proposed Dividends	1,490.00	-
(ii) Provision for CSR liability	2.62	-
Total	**9,133.13**	**3,683.95**

टिप्पणी : 22 प्रचालन से राजस्व

क्रम सं	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
		₹ लाखों में	₹ लाखों में
(क)	उत्पादों की बिक्री *	4,26,987.57	1,27,506.29
(ख)	सेवाओं की बिक्री	53,257.26	34,478.16
(ग)	ठेके से आय	6,397.41	4,096.90
(घ)	अन्य प्रचालनात्मक राजस्व	21,488.78	1,683.62
	कुल	**5,08,131.02**	**1,67,764.97**

टिप्पणी	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष ₹ लाखों में	31.03.2020 को समाप्त वर्ष ₹ लाखों में
(i)	उत्पादों की बिक्री में शामिल हैं		
	गर्भनिरोधक उत्पादों की बिक्री	40,836.27	37,591.35
	स्वास्थ्यरक्षा उत्पादों की बिक्री	9,426.53	11,227.55
	फार्मा उत्पाद	61,015.02	78,687.39
	कोविड - 19 की आपातकालीन आपूर्ति	315,709.75	-
	उप योग	**4,26,987.57**	**1,27,506.29**
	सेवाओं की बिक्री	32,346.33	34,478.16
	कोविड सेवाएँ	20,910.93	
	ठेके से आय	6,397.41	4,096.90
	अन्य प्रचालनात्मक राजस्व	21,488.78	1,683.62
	कुल योग	**5,08,131.02**	**1,67,764.97**
	अन्य प्रचालन राजस्व सम्मिलित हैं :		
	सहेली और नोवेक्स की बिक्री पर प्रचार सब्सिडी	342.00	216.00
	शुल्क छूट/शुल्क वापसी/अन्य निर्यात प्रोत्साहन	543.22	1,089.91
	रद्दी माल, रद्दी कंडोम और अन्य विविध मदों की बिक्री	381.46	365.56
	निविदा फार्म की बिक्री	14.56	12.15
	खर्चों	20,207.53	-
	कुल	**21,488.78**	**1,683.62**

*उत्पादों की बिक्री में रु. 4643.50 लाख (पिछले वर्ष 5680.96 लाख) की लागत वृद्धि लाभ शामिल है।

NOTE 22. REVENUE FROM OPERATIONS

S.No	Particulars	Year Ended 31.03.2021	Year Ended 31.03.2020
		₹ lacs	₹ lacs
(a)	Sale of products*	4,26,987.57	1,27,506.29
(b)	Sale of services	53,257.26	34,478.16
(c)	Income from Contract	6,397.41	4,096.90
(d)	Other operating revenues	21,488.78	1,683.62
	Total	**5,08,131.02**	**1,67,764.97**

Note	Particulars	Year Ended 31.03.2021	Year Ended 31.03.2020
		₹ lacs	₹ lacs
(i)	Sale of products comprises		
	Sale of Contraceptive Products	40,836.27	37,591.35
	Sale of Healthcare Products	9,426.53	11,227.55
	Pharma Products	61,015.02	78,687.39
	Emergency supplies for COVID-19	3,15,709.75	-
	Sub Total	**4,26,987.57**	**1,27,506.29**
	Sale of services	32,346.33	34,478.16
	Covid services	20,910.93	
	Income from Contract	6,397.41	4,096.90
	Other operating revenues	21,488.78	1,683.62
	Grand Total	**5,08,131.02**	**1,67,764.97**
	Other operating revenues comprise:		
	Promotional Subsidy on Saheli and Novex sales	342.00	216.00
	Duty Rebate / Duty drawback / Other export incentives	543.22	1,089.91
	Sale of scrap, waste condoms and other misc.items	381.46	365.56
	Sale of tender form	14.56	12.15
	Reimbursement of Expenses (for COVID-19 supplies)	20,207.53	-
	Total	**21,488.78**	**1,683.62**

* Sale of Products includes Cost escalation benefit of ₹4643.50 lacs (PY ₹5680.96 lacs)

टटिप्पणी : 23 अन्य आय

	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
		₹ लाखों में	₹ लाखों में
(क)	ब्याज आय (नीचे टिप्पणी (i) देखें)	1,695.25	1,946.56
(ख)	अन्य गैर-प्रचालनात्मक आय (नीचे टिप्पणी (ii) देखें)	4,058.03	4,202.38
	कुल	5,753.28	6,148.94

टिप्पणी	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
		₹ लाखों में	₹ लाखों में
(i)	ब्याज आय में शामिल है :		
	क) अन्यों पर	1,642.28	1,881.09
	ख) जमों पर	52.97	65.47
	कुल-ब्याज आय	1,695.25	1,946.56
(ii)	अन्य गैर-प्रचालनात्मक आय में सम्मिलित हैं :		
	कर्मचारी आवासों से किराए का आय	2.59	2.62
	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	3.68	-
	बीमा दावा	10.43	11.42
	पुनरांकित किए अधिक प्रावधान/ऋण	1,367.50	1,151.72
	पट्टा किराया	403.91	373.99
	लाभांश आय (समनुषंगी-हाइट्स लिमिटेड से सब्सिडी)	1,000.09	2,275.10
	विनिमय में उतार-चढाव	243.25	(37.26)
	अन्य विविध आय	1,026.58	424.79
	कुल-अन्य गैर-प्रचालनात्मक आय	4,058.03	4,202.38

टिप्पणी : 24 खपा हुआ माल की लागत

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
	₹लाखों में	₹ लाखों में
आरंभिक स्टॉक	2,794.70	1,902.77
जोड : खरीद	22,589.03	21,172.13
	25,383.73	23,074.90
न्यून : अंतिम स्टॉक	3,786.11	2,794.70
खपा हुआ माल की लागत	**21,597.62**	**20,280.20**
उपभुक्त सामग्री में शामिल है :		
कच्चे माल	12,251.36	11,406.95
रसायन	2,478.30	2,782.00
पैंकिंग सामग्रियाँ	5,594.71	5,010.55
गुणवत्ता एवं उप-ठेका व्यय की लागत	1,235.34	1,080.88
रद्दी का उपभोग	0.18	(0.18)
बेची गई सामग्रियों की लागत	37.73	-
कुल	**21,597.62**	**20,280.20**

NOTE 23. OTHER INCOME

	Particulars	Year Ended 31.03.2021 ₹ lacs	Year Ended 31.03.2020 ₹ lacs
(a)	Interest income (Refer Note (i) below)	1,695.25	1,946.56
(b)	Other non-operating income (Refer Note (ii) below)	4,058.03	4,202.38
	Total	5,753.28	6,148.94

Note	Particulars	Year Ended 31.03.2021 ₹ lacs	Year Ended 31.03.2020 ₹ lacs
(i)	**Interest income comprises:**		
	a) On Others	1,642.28	1,881.09
	b) On Deposits	52.97	65.47
	Total - Interest income	**1,695.25**	**1,946.56**
(ii)	**Other non-operating income comprises:**		
	Rental income from Staff quarters	2.59	2.62
	Profit on sale of fixed assets	3.68	-
	Insurance claims	10.43	11.42
	Excess provision / credits written back	1,367.50	1,151.72
	Lease rent	403.91	373.99
	Dividend Income (from subsidiary-HLL Infra Tech Services Ltd)	1,000.09	2,275.10
	Exchange Fluctuation	243.25	(37.26)
	Other Misc.Income	1,026.58	424.79
	Total - Other non-operating income	**4,058.03**	**4,202.38**

NOTE 24. COST OF MATERIALS CONSUMED

Particulars	Year ended 31.03.2021 ₹ lacs	Year ended 31.03.2020 ₹ lacs
Opening stock	2,794.70	1,902.77
Add: Purchases	22,589.03	21,172.13
	25,383.73	23,074.90
Less: Closing stock	3,786.11	2,794.70
Cost of material consumed	**21,597.62**	**20,280.20**
Material consumed comprises:		
Raw Materials	12,251.36	11,406.95
Chemicals	2,478.30	2,782.00
Packing Materials	5,594.71	5,010.55
Cost of quality and Sub contract Expense	1,235.34	1,080.88
Consumption of Scrap	0.18	(0.18)
Cost of Goods sold Materials	37.73	-
Total	**21,597.62**	**20,280.20**

टिप्पणी : 25 व्यापार स्टॉक खरीदियाँ

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष ₹ लाखों में	31.03.2020 को समाप्त वर्ष ₹ लाखों में
व्यापार उत्पाद	381,664.91	67,521.76
सामाजिक विपणन ब्रांडेड उत्पाद	243.94	844.34
कुल	3,81,908.85	68,366.10

टिप्पणी : 26 तैयार मालों,कार्य प्रगति और व्यापार स्टॉक में परिवर्तन

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष ₹ लाखों में	31.03.2020 को समाप्त वर्ष ₹ लाखों में
वर्ष के अंत में वस्तुसूची		
तैयार माल	25,903.74	13,142.54
कार्य प्रगति	1,841.68	1,795.29
	27,745.42	**14,937.83**
वर्ष के प्रारंभ में वस्तुसूची		
तैयार माल	13,142.54	12,492.94
कार्य प्रगति	1,795.29	1,631.56
	14,937.83	14,124.50
निवल(वृद्धि)/कमी	(12,807.59	(813.33)
न्यून : एन आर वी में प्रतिस्थापित किए वस्तुसूची को असाधारण मद के रूप में दिखाया गया है।	-	-
कुल	**(12,807.59)**	**(813.33)**

टिप्पणी: 27 कर्मचारी हितलाभ व्यय

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष ₹ लाखों में	31.03.2020 को समाप्त वर्ष ₹ लाखों में
(क) वेतन और प्रोत्साहन	14,632.88	12,716.39
(ख) अंशदान -		
भविष्य निधि	1,260.30	1,130.73
नई पेंशन योजना	187.68	188.52
उपदान और अर्जित छुट्टी	1,377.34	559.42
कर्मचारी राज्य बीमा में अंशदान	113.13	106.06
(ग) कर्मचारी कल्याण व्यय	1,232.78	1,078.64
कुल	**18,804.11**	**15,779.76**

NOTE 25. PURCHASES OF STOCK-IN-TRADE

Particulars	Year ended 31.03.2021	Year ended 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
Trading Products	3,81,664.91	67,521.76
Social Marketing Branded Products	243.94	844.34
Total	**3,81,908.85**	**68,366.10**

NOTE 26. CHANGES IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS, WORK-IN-PROGRESS AND STOCK - IN - TRADE

Particulars	Year Ended 31.03.2021	Year Ended 31.03.2020
	Audited	Audited
	₹ lacs	₹ lacs
Inventories at the end of the year:		
Finished goods	25,903.74	13,142.54
Work-in-progress	1,841.68	1,795.29
	27,745.42	**14,937.83**
Inventories at the beginning of the year:		
Finished goods	13,142.54	12,492.94
Work-in-progress	1,795.29	1,631.56
	14,937.83	**14,124.50**
Net (increase) / decrease	**(12,807.59)**	**(813.33)**
Less: Write down of inventory to NRV shown as exceptional item	-	-
TOTAL	**(12,807.59)**	**(813.33)**

NOTE 27. EMPLOYEE BENEFITS EXPENSE

Particulars	Year ended 31.03.2021	Year ended 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
(a) Salaries and incentives	14,632.88	12,716.39
(b) Contributions to -		
Provident fund	1,260.30	1,130.73
New pension scheme	187.68	188.52
Gratuity and Earned Leave	1,377.34	559.42
Contribution to ESI	113.13	106.06
(c) Staff welfare expenses	1,232.78	1,078.64
Total	**18,804.11**	**15,779.76**

टिप्पणी : 28 वित्त लागत

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
	₹ लाखों में	₹लाखों में
(क) ब्याज व्यय :		
i) नकदी उधार	1,707.27	2,550.93
ii) आवधिक ऋण	422.20	627.34
(ख) अन्य उधार लागत	13.06	12.26
(ग) परिसंपत्तियों के उपयोग के लिए अधिकार पर ब्याज (आर ओ यु)	232.60	266.67
कुल	**2,375.13**	**3,457.20**

टिप्पणी : 29 अन्य व्यय

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
विज्ञापन एवं प्रचार और बिक्री प्रोन्नमन व्यय	2,910.12	3,905.31
एच सी एस प्रत्यक्ष व्यय	15,023.73	16,577.88
बिजली और इंधन चार्ज	3,346.32	3,508.31
भाड़ा और अन्य विक्रय व्यय	16,549.15	3,090.24
यात्रा तथा परिवहन	795.46	973.15
अन्य उत्पादन व्यय	1,826.44	6,541.11
कोविड प्रापण पर सीमा शुल्क	11,679.45	-
ठेके कर्मचारियों को वेतन	4,283.35	3,809.48
परामर्श तथा सेवा शुल्क	9,120.61	2,123.75
विविध व्यय	2,818.29	2,214.72
अशोध्य और संदिग्ध कर्ज/अग्रिम के लिए प्रावधान	2,703.08	135.63
मरम्मत तथा अनुरक्षण मशीनरी	494.66	450.31
डाक तथा तार, दूरभाष	452.85	379.85
अनुसंधान एवं विकास व्यय	24.28	9.96
निगमित आर & डी केंद्र व्यय	342.72	312.14
किराया	551.68	443.71
मुद्रण तथा लेखन सामग्रियाँ	244.60	249.04
अन्य परिसंपत्तियों के मरम्मत तथा अनुरक्षण	440.69	327.84
जल चार्ज	113.98	174.17

NOTE 28. FINANCE COSTS

Particulars	Year ended 31.03.2021	Year ended 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
(a) Interest expense on:		
(i) Cash credit	1,707.27	2,550.93
(ii) Term Loan	422.20	627.34
(b) Other borrowing costs	13.06	12.26
(c) Interest on Right of Use Assets(ROU)	232.60	266.67
Total	**2,375.13**	**3,457.20**

NOTE 29. OTHER EXPENSES

Particulars	Year ended 31.03.2021	Year ended 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
Advertisement & Publicity and Sales Promotion Expenses	2,910.12	3,905.31
HCS Direct expenses	15,023.73	16,577.88
Power & fuel charges	3,346.32	3,508.31
Freight & Other Selling Expenses	16,549.15	3,090.24
Travelling & Conveyance	795.46	973.15
Other Production expenses	1,826.44	6,541.11
Customs duty on Covid procurements	11,679.45	-
Wages to Contract Labourers	4,283.35	3,809.48
Consultancy & Service Charges	9,120.61	2,123.75
Miscellaneous Expenses	2,818.29	2,214.72
Provision for bad & doubtful debts/Advances	2,703.08	135.63
Repairs & Maintenance Machinery	494.66	450.31
Postage & Telegram, Telephone	452.85	379.85
Research & Development Expenses	24.28	9.96
Corporate R&D Centre Expenses	342.72	312.14
Rent	551.68	443.71
Printing & Stationery	244.60	249.04
Repairs & maintenance of other assets	440.69	327.84
Water charges	113.98	174.17

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
बीमा चार्ज	335.42	162.21
बैंक चार्ज	145.53	187.90
कर्मचारियों की भर्ती व्यय	20.24	23.76
दर एवं कर	64.14	69.08
बट्टे खाते डाले गए बेकार भंडार के लिए प्रावधान	192.15	27.46
बट्टे खाते डाले गए बेकार परिसंपत्तियों/भंडार के बही मूल्य	29.19	17.11
प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यय	6.81	10.33
इमारतों की मरम्मत तथा अनुरक्षण	132.07	66.17
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य कर्ज एवं अग्रिम	1,964.46	-
लेखापरीक्षकों को भुगतान (नीचे टिप्पणी (i) देखें)	20.80	20.80
जी एस टी लेखापरीक्षा शुल्क	5.00	5.00
लागत लेखापरीक्षा शुल्क	4.00	5.50
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	2.05	3.41
रद्दी परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	(0.42)	(0.42)
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व खर्च	26.08	5.80
प्रदत्त रायल्टी	1.50	1.75
दान	0.00	0.07
निवेश पर खराब हानि	-	10.00
कुल	**76,670.46**	**45,842.53**

टिप्पणी (i) लेखापरीक्षकों के भुगतान

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(i) लेखापरीक्षकों के भुगतान में सम्मिलित है।		
लेखापरीक्षा शुल्क	15.00	15.00
लेखापरीक्षा शुल्क कर	2.80	2.80
लेखापरीक्षा व्यय	3.00	3.00
कुल	20.80	20.80

Particulars	Year ended 31.03.2021	Year ended 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
Insurance charges	335.42	162.21
Bank Charges	145.53	187.90
Staff recruitment expenses	20.24	23.76
Rates & Taxes	64.14	69.08
Provision for obsolete stores written off	192.15	27.46
Book value of obsolete assets/stores written off	29.19	17.11
Training program expenses	6.81	10.33
Repairs & maintenance of buildings	132.07	66.17
Bad debt & advances written off	1,964.46	-
Payments to auditors (Refer Note (i) below)	20.80	20.80
GST Audit Fees	5.00	5.00
Cost audit fees	4.00	5.50
Loss on sale of Fixed Assets	2.05	3.41
Loss on sale of scrapped assets	(0.42)	(0.42)
Corporate Social Responsibility expenses	26.08	5.80
Royalty paid	1.50	1.75
Donation	0.00	0.07
Impairment Loss on Investment	-	10.00
Total	**76,670.46**	**45,842.53**

Note (i) Payment to Auditors

Particulars	Year Ended 31.03.2021	Year Ended 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
(i) Payments to the auditors comprises		
Audit fees	15.00	15.00
Tax Audit fees	2.80	2.80
Audit expenses	3.00	3.00
Total	**20.80**	**20.80**

टिप्पणी 30 : वित्तीय साधन (टिप्पणी : 2.39 देखें)

क. पूँजी प्रबंधन

कंपनी अपनी पूँजी का प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि ऋण और इक्विटी शेष के अनुकूलन के माध्यम से हितधारकों के लिए अधिकतम वापसी करने के दौरान कंपनी की संस्थाएं लाभकारी कारोबार वाली संस्था के रूप में जारी रहेंगी । कंपनी वार्षिक प्रचालन योजनाओं और दीर्घकालीन उत्पाद और अन्य कार्यनीति निवेश योजनाओं के आधार पर अपेक्षित पूँजी की रकम निर्धारित करती है । कंपनी की निधिक अपेक्षाएं इक्विटी और अन्य दीर्घकालिक/हस्वकालिक ऋणों के ज़रिए पूरी की जाती है । कंपनी की पूँजी संरचना में कंपनी के निवल ऋण (टिप्पणी 16, 18 और 20 में विस्तृत जैसे उधार) और कंपनी के कुल इक्विटी शामिल है । कंपनी के इक्विटी अनुपात का कुल ऋण और समग्र ऋण पोर्टफोलियो के परिपक्वता प्रोफाइल के आधार पर कंपनी पूँजी संरचना का मॉनिटर करती है ।

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
उधार	32,561.34	38,395.76
इक्विटी पूँजी	1,553.50	1,553.50
आरक्षण और अधिशेष	37,020.60	28,254.79
इक्विटी	38,574.10	29,808.29
ऋण/इक्विटी	0.84:1	1.29:1

ख. वित्तीय साधनों की श्रेणी **₹ लाखों में**

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
क. परिशोधित लागत पर मापित		
i) व्यापार प्राप्य	1,83,666.87	84,187.56
ii) नकद और नकद तुल्यांक	87,438.76	3,863.81
iii) ऋण एवं अन्य	26,772.81	20919.33
ख. लाभ व हानि के माध्मय से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से मापित		
व्युत्पन्न परिसंपत्ति	-	-
वित्तीय देयताएं		
क. परिशोधित लागत पर मापित	-	-
वित्तीय देयताएं		
i) उधार	32,561.34	38,395.76
ii) देय व्यापार	1,67,182.29	52,707.96
iii) अन्य वित्तीय देयताएं	1,18,944.53	38,825.51
ख. लाभ व हानि के माध्मय से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से मापित		
व्युत्पन्न देयता	0.00	0.00

ग.वित्तीय जोखिम प्रबंधन

राजकोष कार्य व्यवसाय को सेवाएं प्रदान करता है, देशीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाज़ारों के लिए पहुँच का समन्वयन करता है, आंतरिक जोखिम रिपोर्टों के ज़रिए प्रचालन से संबंधित वित्तीय जोखिमों का अनुवीक्षण और प्रबंधन करता है जो एक्सपोज़र का विश्लेषण डिग्री और जोखिम के परिमाण द्वारा किया जाता है । इन जोखिमों में बाज़ार जोखिम (मुद्रा जोखिम, ब्याज दर पर जोखिम और अन्य कीमत जोखिम) क्रेडिट और तरलता जोखिम शामिल है ।

NOTE 30: FINANCIAL INSTRUMENTS (REFER NOTE: 2.39)

A. Capital Management

The Company manages its capital to ensure that entities in the Company will be able to continue as going concern, while maximizing the return to stakeholders through the optimization of the debt and equity balance. The Company determines the amount of capital required on the basis of annual operating plans and long-term product and other strategic investment plans. The funding requirements are met through equity and other long-term/short-term borrowings. The capital structure of the Company consists of net debt (borrowings as detailed in notes16,18 and 20) and total equity of the Company. The Company monitors the capital structure on the basis of total debt to equity ratio and maturity profile of the overall debt portfolio of the Company.

₹ in lacs

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
Borrowings	32,561.34	38,395.76
Equity Capital	1,553.50	1,553.50
Reserves & Surplus	37,020.60	28,254.79
Equity	38,574.10	29,808.29
Debt/ Equity	0.84:1	1.29:1

B. Categories of Financial Instruments ₹ in lacs

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
Financial Assets		
a. Measured at Amortized Cost		
i) Trade Receivables	1,83,666.87	84,187.56
ii) Cash and cash equivalents	87,438.76	3,863.81
iii) Loans &Others	26,772.81	20919.33
b. Mandatorily Measured at Fair value through Profit or Loss		
Derivative Asset		-
Financial Liabilities		
a. Measured at Amortized Cost	-	-
Financial Liabilities		
i) Borrowings	32,561.34	38,395.76
ii) Trade payables	1,67,182.29	52,707.96
iii) Other financial liabilities	1,18,944.53	38,825.51
b. Mandatorily Measured at Fair value through Profit or Loss		
Derivative Liability	0.00	0.00

C. Financial risk management

The treasury function provides services to the business, co-ordinates access to domestic and international financial markets, monitors and manages the financial risks relating to the operations through internal risk reports which analyze exposures by degree and magnitude of risks. These risks include market risk (including currency risk, interest rate risk and other price risk), credit risk and liquidity risk.

कंपनी, इन हेज जोखिम एक्सपोज़रों से बचाने के लिए व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को उपयोग करके इन जोखिमों के प्रभावों को कम करने की कोशिश करती है । वित्तीय व्युत्पन्नों का उपयोग, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी की नीतियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो विदेशी विनिमय जोखिम पर लिखित सिद्धांत, वित्तीय व्युत्पन्नों का उपयोग और अधिक लिक्विडिटी का निवेश प्रदान करता है । कंपनी अव्यवहारिक उद्देश्यों के लिए व्युत्पन्न वित्तीय साधनों सहित वित्तीय साधनों में प्रवेश या व्यापार नहीं करती है ।

घ.बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम, भविष्य के अर्जन, वसूलीयोग्य उचित मूल्य या भविष्य के रोकड़ प्रवाह, जो एक वित्तीय उपकरण के मूल्य में परिवर्तन का परिणाम हो सकता है, में किसी हानि के जोखिम है। कंपनी के कार्यकलाप, प्राथमिक रूप से विदेशी मुद्रा विनिमय पर और ब्याज दरों में परिवर्तनों के वित्तीय जोखिमों में इसकी खुलासा करती है । कंपनी अपने वित्त प्रभाग के माध्यम से अपने मुद्रा एवं ब्याज दर पहलुओं को सक्रिय रूप से प्रबंध करती है और ऐसे पहलुओं से जोखिमों को कम करने के लिए वायदा अनुबंध और मुद्रा स्वैप जैसे व्युत्पन्न साधनों का प्रयोग करती है । व्युत्पन्न साधनों का उपयोग सीमा के अधीन है और उचित स्तर के प्रबंधन के द्वारा नियमित निगरानी रखती है ।

ङ.विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

कंपनी विदेशी मुद्राओं में अंकित लेन-देन करती है, फलस्वरूप, विनिमय दर में अस्थिरता के जोखिम उत्पन्न होता है । कंपनी एक केंद्रीकृत राजकोष प्रभाग के माध्यम से इसकी मुद्रा दर पहलुओं को सक्रिय रूप से प्रबंधन करती है और ऐसे पहलुओं से जोखिमों को कम करने के लिए वायदा अनुबंध और मुद्रा स्वैप जैसे

व्युत्पन्न साधनों का प्रयोग करती है । व्युत्पन्न साधनों का उपयोग सीमा के अधीन है और उचित स्तर प्रबंधन द्वारा नियमित रूप से निगरानी रखती है ।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौद्रिक परिसंपत्तियों और मौद्रिक देयताओं में मूल्यवर्गित कंपनी के विदेशी मुद्रा की मूल राशि टिप्पणी में दी गई हैं ।

च. विदेशी विनिमय परिसंपत्तियों और देयताओं की मूल कीमत
31 मार्च, 2021 तक (सभी रकम रुपए लाखों के बराबर है)

मुद्रा	देयताएं			परिसंपत्तियाँ			मुद्रा पर निवल समग्र एक्सपोज़र- निवल परिसंपत्तियाँ/ (निवल देयताएं)
	सकल एक्सपोज़र	व्युत्पन्न का उपयोग करके हेज्ड एक्सपोज़र	मुद्रा पर निवल देयता एक्सपोज़र	सकल एक्सपोज़र	व्युत्पन्न का उपयोग करके हेज्ड एक्सपोज़र	मुद्रा पर निवल देयता एक्सपोज़र	
यु एस डी	2139.67		2139.67	1179.21		1179.21	(960.46)
ई यु आर	11.84		11.84	108.74		108.74	96.9
सी एच एफ	5.49		5.49				(5.49)
ए ई डी	0.00		0.00				(0.00)
जी बी पी	0.00		0.00				(0.00)
कुल	2157.00		2157.00	1287.95		1287.95	(869.05)

The Company seeks to minimize the effects of these risks by using derivative financial instruments to hedge risk exposures. The use of financial derivatives is governed by the Company's policies approved by the board of directors, which provide written principles on foreign exchange risk, the use of financial derivatives, and the investment of excess liquidity. The Company does not enter into or trade financial instruments, including derivative financial instruments, for speculative purposes.

D. Market Risk

Market risk is the risk of any loss in future earnings, in realizable fair values or in future cash flows that may result from a change in the price of a financial instrument. The Company's activities expose it primarily to the financial risks of changes in foreign currency exchange rates and interest rates. The Company actively manages its currency and interest rate exposures through its finance division and uses derivative instruments such as forward contracts and currency swaps to mitigate the risks from such exposures. The use of derivative instruments is subject to limits and regular monitoring by appropriate levels of management.

E. Foreign currency risk management

The Company undertakes transactions denominated in foreign currencies; consequently, exposures to exchange rate fluctuations arise. The Company actively manages its currency rate exposures through a centralized treasury division and uses derivative instruments such as forward contracts and currency swaps to mitigate the risks from such exposures. The use of derivative instruments is subject to limits and regular monitoring by appropriate levels of management.

The carrying amounts of the Company's foreign currency denominated monetary assets and monetary liabilities at the end of the reporting period are given in Note

F. Carrying value of Foreign Exchange Assets & Liabilities

As on March 31, 2021 (all amounts are in equivalent ₹in lacs):

Currency	Liabilities			Assets			Net overall exposure on the currency - net assets / (net liabilities)
	Gross exposure	Exposure hedged using derivatives	Net liability exposure on the currency	Gross exposure	Exposure hedged using derivatives	Net liability exposure on the currency	
USD	2139.67		2139.67	1179.21		1179.21	(960.46)
EUR	11.84		11.84	108.74		108.74	96.9
CHF	5.49		5.49				(5.49)
AED	0.00		0.00				(0.00)
GBP	0.00		0.00				(0.00)
Total	**2157.00**		**2157.00**	**1287.95**		**1287.95**	**(869.05)**

31 मार्च, 2020 को (सभी रकम रुपए लाखों के बराबर है)

मुद्रा	देयताएं			परिसंपत्तियाँ			मुद्रा पर निवल समग्र एक्सपोज़र-निवल परिसंपत्तियाँ/ (निवल देयताएं)
	सकल एक्सपोज़र	व्युत्पन्न का उपयोग करके हेज्ड एक्सपोज़र	मुद्रा पर निवल देयता एक्सपोज़र	सकल एक्सपोज़र	व्युत्पन्न का उपयोग करके हेज्ड एक्सपोज़र	मुद्रा पर निवल परिसंपत्ति एक्सपोज़र	
यु एस डी	324.04		324.04	137.16		137.16	(186.88)
ई यु आर	21.53		21.53	13.30		13.30	(8.23)
ए ई डी	31.73		31.73				(31.73)
सी एच एफ	4.79		4.79				(4.79)
जी बी पी	0.00		0.00				(0.00)
कुल	**382.09**		**382.09**	**150.46**		**150.46**	**231.63**

छ.विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

प्रमुख विदेशी मुद्राओं के प्रति कंपनी के विविध प्रचालनों के कार्यात्मक मुद्राओं में चलन इसके प्रचालनों से कंपनी के राजस्व में प्रभावित कर सकता है । कार्यात्मक मुद्रा की किसी भी कमज़ोरी कंपनी के आयात की लागत और उधार की लागत को प्रभावित करेंगे और इसके फलस्वरूप कंपनी के पूँजी व्यय के वित्तपोषण की लागत में वृद्धि हो सकती है । मुद्रा के निवल विदेशी विनिमय दर एक्सपोज़र के एकत्रीकरण के द्वारा प्रत्येक मुद्रा के लिए विदेशी विनिमय दर संवेदनशीलता का आकलन किया जाता है और प्रत्येक मुद्रा के विदेशी विनिमय दर में एक ही समानांतर विदेशी विनिमय दर 2% तक बदलाव किया जाता है, जो विदेशी विनिमय दर पर उचित रूप से संभावित परिवर्तन के प्रबंधन का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है । संवेदनशीलता विश्लेषण में केवल मौद्रिक वस्तु अंकित बकाया विदेशी मुद्रा शामिल है और विदेशी मुद्रा दर में 2% परिवर्तन के लिए अवधि की समाप्ति पर उनके अंतरण को समायोजित करता है । संवेदनशीलता विश्लेषण में ऋण शामिल है, जहाँ ऋण का मूल्य वर्ग ऋणदाता या उधारकर्ता के कार्यात्मक मुद्रा के अलावा करेंसी में है ।

प्रबंधन की राय में, संवेदनशीलता विश्लेषण, निहित विदेशी मुद्रा जोखिम का अप्रतिनिधिक है, क्योंकि रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति का एक्सपोज़र वर्ष के दौरान के एक्सपोज़र पर प्रभावित नहीं करता है ।

निम्नलिखित तालिका विदेशी मुद्राओं में कंपनी की संवेदनशील गतिविधि प्रस्तुत करती है ।

₹ लाखों में

	यु एस डी प्रभाव	
विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
लाभ या हानि	(19.21)	3.74
	यूरो प्रभाव	
विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
लाभ या हानि	1.94	0.16
	जी बी पी प्रभाव	
विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
लाभ या हानि	-	-
	ए ई डी प्रभाव	
विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
लाभ या हानि	0.00	0.63
	सी एच एफ प्रभाव	
विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
लाभ या हानि	0.11	0.10

As on March 31, 2020 (all amounts are in equivalent ₹inlacs):

Currency	Liabilities			Assets			Net overall exposure on the currency -net assets / (net liabilities)
	Gross exposure	Exposure hedged using derivatives	Net liability exposure on the currency	Gross exposure	Exposure hedged using derivatives	Net liability exposure on the currency	
USD	324.04		324.04	137.16		137.16	(186.88)
EUR	21.53		21.53	13.30		13.30	(8.23)
AED	31.73		31.73				(31.73)
CHF	4.79		4.79				(4.79)
GBP	0.00		0.00				(0.00)
Total	**382.09**		**382.09**	**150.46**		**150.46**	**231.63**

G. Foreign currency sensitivity analysis

Movement in the functional currencies of the various operations of the Company against major foreign currencies may impact the Company's revenues from its operations. Any weakening of the functional currency may impact the Company's cost of imports and cost of borrowings and consequently may increase the cost of financing the Company's capital expenditures. The foreign exchange rate sensitivity is calculated for each currency by aggregation of the net foreign exchange rate exposure of a currency and a simultaneous parallel foreign exchange rates shift in the foreign exchange rates of each currency by 2%, which represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items and adjusts their translation at the period end for a 2% change in foreign currency rates. The sensitivity analysis includes external loans, where the denomination of the loan is in a currency other than the functional currency of the lender or the borrower.

In management's opinion, the sensitivity analysis is unrepresentative of the inherent foreign exchange risk because the exposure at the end of the reporting period does not reflect the exposure during the year.

The following table details the Company's sensitivity movement in the foreign currencies.

₹in lacs

	USD impact	
Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
Profit or Loss	(19.21)	3.74
	EURO Impact	
Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
Profit or Loss	1.94	0.16
	GBP Impact	
Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
Profit or Loss	-	-
	AED Impact	
Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
Profit or Loss	0.00	0.63
	CHF Impact	
Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
Profit or Loss	0.11	0.10

ज.ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

कंपनी ब्याज दर जोखिम को एक्सपोज़ किया गया है क्योंकि यह स्थायी एवं अस्थायी ब्याज दर दोनों में से निधि उधार लेती है । यह जोखिम, स्थायी एवं अस्थायी दर ऋणों के बीच उचित मिश्रण का अनुरक्षण करते हुए और ब्याज दर स्वैप संविदा के उपयोग से कंपनी द्वारा प्रबंध किया जाता है । उत्तम लागत प्रभावी हेजिंग कार्यनीतियों को लागू किया गया है, यह सुनिश्चित करने की ओर ब्याज दर विचार और निर्धारित जोखिम प्रवृत्ति के साथ तालमेल रखने के लिए हेजिंग गतिविधियाँ नियमित रूप से मूल्यांकित की जाती हैं ।

झ.ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

संवेदनशीलता विश्लेषण, रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर रुपए और विदेशी मुद्रा ऋण दोनों के लिए ब्याज दर के एक्सपोज़र के आधार पर नीचे निर्धारित किये गये हैं । अस्थायी दर देयताओं के लिए विश्लेषण यह मानते हुए तैयार किया जाता है कि रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति की बकाया देयता की रकम पूरे वर्ष के लिए बकाया थी । मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को ब्याज दर खतरे को आंतरिक रूप से रिपोर्टिंग करते समय 25 आधार पोयिंट वृद्धि या कमी का उपयोग किया जाता है और ब्याज दरों में संभाव्य उचित परिवर्तन के प्रबंधन निर्धारण प्रतिनिधान करता हैं।

निम्नलिखित तालिका ब्याज दर में 0.25% परिवर्तन के लिए लाभ में संभावित प्रभाव प्रदान करती है, अन्य घटक स्थिर रहता है ।

₹ लाखों में

उधार	कर के पूर्व लाभ पर प्रभाव	
	2020-21	**2019-20**
आई एन आर	40.13	61.65

ञ. क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम उस जोखिम का उल्लेख करता है यानी एक प्रतिपक्षी इसके संविदात्मक दायित्व पूरा नहीं करेगा, जो कंपनी की वित्तीय हानि का कारण बन जाता है । प्राप्य व्यापार वस्तुओं में देश भर के विविध उद्योगों एवं भौगोलिक क्षेत्रों तक व्याप्त असंख्य ग्राहक शामिल है । कंपनी के व्यापार और अन्य प्राप्तियों में भौगोलिक क्षेत्रों के बड़ी संख्या वाले ग्राहक शामिल हैं, अतः कंपनी एकाग्रता जोखिम को प्रकट नहीं की जाती है । कंपनी प्रत्याशित क्रेडिट हानि मॉडल के ज़रिए और प्रत्येक मामले के तौर पर संदिग्ध ऋणों के लिए एक भत्ता बनाती है ।

वित्तीय परिसंपत्तियों की रखाव रकम अधिकतम क्रेडिट एक्सपोज़र का प्रतिनिधित्व करती है । बैंक के साथ शेष की रखाव रकम, बैंक के साथ अल्पकालीन जमा, व्यापार प्राप्य वस्तुओं, मार्जिन राशि और इक्विटी निवेश को छोड़कर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का कुल अधिकतम एक्सपोज़र है ।

ट. उचित मूल्य मापन

प्रबंधन निर्धारित करता है कि प्राप्य देयताओं का उचित मूल्य, रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यांक, बैंक शेष, प्राप्य और देय प्रतिभूति जमा, कर्मचारियों को ऋण एवं पेशगी, अन्य गैर व्युत्पन्न चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ, देय व्यापार, अन्य चालू वित्तीय देयताएं उनके रखाव मूल्य को अनुमानित करते हैं ।

ठ. लिक्विडिटी जोखिम

लिक्विडिटी जोखिम उस जोखिम है जो कंपनी अपने वित्तीय दायित्व को पूरा नहीं कर पाने का उल्लेख करता है । लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है, पर्याप्त लिक्विडिटी का अनुरक्षण करना और सुनिश्चित करना कि अपेक्षाओं के अनुसार उपयोग के लिए निधि उपलब्ध है। कंपनी अपनी अधिक निधि बैंक स्थायी जमा और म्यूचल निधि में निवेश करती है, जो अल्पतम बाज़ार जोखिम को अंकित करता है। कंपनी वित्तीय लचीलापन को अनुरक्षण करने की दृष्टि से ऋण और पूँजी बाज़ारों में उपलब्ध निधिक विकल्पों का लगातार निगरानी भी करती है ।

ढ. लिक्विडिटी तालिका

निम्नलिखित तालिकाएं सहमत चुकौती अवधि के साथ इसके गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं के लिए कंपनी के शेष संविदात्मक परिपक्वता का विवरण देती हैं । तालिकाएं जल्द से जल्द तारीख, जिस पर कंपनी को भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, के आधार पर वित्तीय देयताओं के गैर छूट नकद प्रवाहों के आधार पर की गयी हैं ।

H. Interest rate risk management

The Company is exposed to interest rate risk because it borrows funds at both fixed and floating interest rates. The risk is managed by the Company by maintaining an appropriate mix between fixed and floating rate borrowings and by the use of interest rate swap contracts. Hedging activities are evaluated regularly to align with interest rate views and defined risk appetite, ensuring the most cost-effective hedging strategies are applied.

I. Interest rate sensitivity analysis

The sensitivity analysis below has been determined based on the exposure to interest rates for both rupee and foreign currency loans at the end of the reporting period. For floating rate liabilities, the analysis is prepared assuming that the amount of the liability outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole year. A 25 basis point increase or decrease is used when reporting interest rate risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in interest rates.

The following table provides the possible impact in the profits for a change of 0.25% in interest rate, other factor remaining constant.

₹inlacs

Borrowings	Effect on Profit before Tax	
	2020-21	2019-20
INR	40.13	61.65

J. Credit risk management

Credit risk refers to the risk that a counter party will default on its contractual obligations resulting in financial loss to the Company. Trade receivables consist of a large number of customers, spread across diverse industries and geographical areas. The Company's trade and other receivables consists of a large number of customers, across geographies, hence the Company is not exposed to concentration risk. The Company makes an allowance for doubtful debts using expected credit loss model and on a case to case basis.

The carrying amount of financial assets represents the maximum credit exposure. The maximum exposure is the total of the carrying amount of balances with banks, short term deposits with banks, trade receivables, margin money and other financial assets excluding equity investments.

K. Fair value Measurement

The management assesses that the fair value of Trade receivables, Cash and Cash equivalents, Bank Balances, Security deposits receivable & paid, Loans and advances to employees, other non-derivative current financial assets, Trade payables, other current financial liabilities approximate their carrying value.

L. Liquidity Risk

Liquidity risk refers to the risk that the Company cannot meet its financial obligations. The objective of liquidity risk management is to maintain sufficient liquidity and ensure that funds are available for use as per requirements. The Company invests its surplus funds in bank fixed deposit, which carry minimal mark to market risks. The Company also constantly monitors funding options available in the debt and capital markets with a view to maintaining financial flexibility.

M. Liquidity Table

The following table details the Company's remaining contractual maturity for its non-derivative financial liabilities with agreed repayment periods. The tables have been drawn up based on the undiscounted cash flows of financial liabilities based on the earliest date on which the Company can be required to pay.

₹ लाखों में

विवरण	प्रथम वर्ष में देय	2 से 5 वर्षों में देय	5 वर्ष के बाद देय	रखाव रकम
मार्च 31, 2021				
उधार	30,277.33	2,284.01		32,561.34
देय व्यापार	1,67,182.29			1,67,182.29
अन्य वित्तीय देयताएं	1,18,944.53			1,18,944.53
मार्च 31, 2020				
उधार	33,995.76	4400.00		38,395.76
देय व्यापार	52,707.96			52,707.96
अन्य वित्तीय देयताएं	38,825.51			38,825.51

₹ in lacs

Particulars	Due in 1st year	Due in 2nd to 5th year	Due after 5th year	Carrying amount
March 31,2021				
Borrowings	30,277.33	2,284.01		32,561.34
Trade payables	1,67,182.29			1,67,182.29
Other financial liabilities	1,18,944.53			1,18,944.53
March 31,2020				
Borrowings	33,995.76	4400.00		38,395.76
Trade payables	52,707.96			52,707.96
Other financial liabilities	38,825.51			38,825.51

टिप्पणी 31 : कर्मचारी फायदा व्यय (टिप्पणी 2.40देखें)

1.1 बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त प्रमुख पूर्वानुमान इस प्रकार थे :

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 ज्तक
उपदान		
बट्टा दर	6.33%	6.54%
वेतन वृद्धि की प्रत्याशित दर	7.00%	5.00%
मुआवजा अनुपस्थितियाँ		
छूट दर	6.33%	6.54%
वेतन वृद्धि की प्रत्याशित दर	7.00%	5.00%

1.2 निर्धारित लाभ योजना से संबंधित कंपनी के दायित्व से उत्पन्न तुलन पत्र में शामिल की गई राशि निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
उपदान		
निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य	8,099.76	6,708.89
योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य	5,616.41	4,981.54
बीमा हितलाभ		
निर्धारित लाभ दायित्व से उत्पन्न निवल देयताएँ (निधिक)	2,483.35	1,727.35
मुआवजा अनुपस्थितियाँ		
निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य	2,047.46	1,314.11
योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य	1,252.70	1,366.35
निर्धारित लाभ दायित्व से उत्पन्न निवल देयताएँ (निधिक)	794.76	(52.24)

टिप्पणी : भारत सरकार अधिसूचना सं.एस.ओ.1420 (ई) दिनांक 29 मार्च, 2018 के अनुसार संशोधन पर विचार करने के बाद मूल्यांकन हैं।

NOTE 31: EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES (REFER NOTE 2.40)

1.1 The principal assumptions used for the purposes of the actuarial valuations were as follows:

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2022
Gratuity		
Discount rate	6.33%	6.54%
Expected rate of salary increase	7.00%	5.00%
Compensated Absences		
Discount rate	6.33%	6.54%
Expected rate of salary increase	7.00%	5.00%

1.2 The amount included in the balance sheet arising from the Company's obligation in respect of its defined benefit plans is as follows:

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
	₹ lakhs	₹ lakhs
Gratuity		
Present value of defined benefit obligation	8,099.76	6,708.89
Fair value of plan assets	5,616.41	4,981.54
Insurance benefits		
Net liability arising from defined benefit obligation (funded)	2,483.35	1,727.35
Compensated Absences		
Present value of defined benefit obligation	2,047.46	1,314.11
Fair value of plan assets	1,252.70	1,366.35
Net liability arising from defined benefit obligation (funded)	794.76	(52.24)

Note: The valuation is after considering the amendments as per Govt.of India Notification No.S.O. 1420 (E) dated 29th March 2018

1.3 चालू वर्ष के निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में संचलन निम्नानुसार थे :

	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
उपदान		
निर्धारित प्रारंभिक हितलाभ दायित्व	6,708.89	6,699.12
चालू सेवा लागत	431.09	352.64
ब्याज लागत	437.38	500.91
दायित्व पर बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	1,298.31	90.68
प्रदत्त हितलाभ	-775.89	-934.46
निर्धारित अंतिम हितलाभ दायित्व	8,099.78	6,708.89
मुआवजा अनुपस्थितियाँ		
निर्धारित प्रारंभिक लाभ दायित्व	1,314.11	1,483.50
चालू सेवा लागत	880.43	565.10
ब्याज लागत	85.94	111.05
दायित्व पर बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	-18.10	(629.10)
प्रदत्त हितलाभ	-214.93	(216.44)
अंतिम निर्धारित हितलाभ दायित्व	2,047.45	1,314.11

1.3 Movements in the present value of the defined benefit obligation in the current year were as follows:

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
	₹ lakhs	₹ lakhs
Gratuity		
Opening defined benefit obligation	6,708.89	6,699.12
Current service cost	431.09	352.64
Interest cost	437.38	500.91
Actuarial (gain)/loss on obligations	1,298.31	90.68
Benefits paid	-775.89	-934.46
Closing defined benefit obligation	8,099.78	6,708.89
Compensated Absences		
Opening defined benefit obligation	1,314.11	1,483.50
Current service cost	880.43	565.10
Interest cost	85.94	111.05
Actuarial (gain)/loss on obligations	-18.10	-629.10
Benefits paid	-214.93	-216.44
Closing defined benefit obligation	2,047.45	1,314.11

1.4 चालू वर्ष में योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में संचलन निम्नानुसार थे :

	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
उपदान		
योजना परिसंपत्तियों के प्रारंभिक उचित मूल्य	4,981.54	4,876.88
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित आय	325.39	365.05
योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	-7.55	-0.93
योगदान	1,130.76	675
प्रदत्त हितलाभ	-775.89	-934.46
योजना परिसंपत्तियों के अंतिम उचित मूल्य	5,654.25	4,981.54
मुआवजा अनुपस्थितियाँ		
योजना परिसंपत्तियों के प्रारंभिक उचित मूल्य	1,366.35	1,482.34
अधिग्रहण समायोजन	-3.38	-
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित आय	89.36	110.97
योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	-9.43	-10.52
योगदान	24.72	-
प्रदत्त हितलाभ	-214.93	-216.44
योजना परिसंपत्तियों के अंतिम उचित मूल्य	1,252.69	1,366.35

1.5 कंपनी वार्षिक आधार पर अर्जित की जानेवाली अनुदान की लागत, भारतीय जीवन बीमा निगम को निधिक करती है, जो योजना परिसंपत्तियों का प्रबंधन करता है।

योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक वापसी निम्नानुसार है

	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
उपदान	325.39	365.05
मुआवजा अनुपस्थितियाँ	89.36	110.97

निर्धारित दायित्व के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण बीमांकिक मान्यताएं छूट दर और अपेक्षित वेतन वृद्धि हैं ।

रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर होने वाली संबंधित धारणा के यथोचित संभावित परिवर्तनों के आधार पर निम्न संवेदनशील विश्लेषण को निर्धारित किया गया है।

1.4 Movements in the fair value of the plan assets in the current year were as follows:

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
	₹ lakhs	₹ lakhs
Gratuity		
Opening fair value of plan assets	4,981.54	4,876.88
Expected return on plan assets	325.39	365.05
Actuarial gain/(loss) on plan assets	-7.55	-0.93
Contributions	1,130.76	675
Benefits paid	-775.89	-934.46
Closing fair value of plan assets	5,654.25	4,981.54
Compensated Absences		
Opening fair value of plan assets	1,366.35	1,482.34
Acuquisition adjustment	-3.38	-
Expected return on plan assets	89.36	110.97
Actuarial gain/(loss) on plan assets	-9.43	-10.52
Contributions	24.72	-
Benefits paid	-214.93	-216.44
Closing fair value of plan assets	1,252.69	1,366.35

1.5 The Company funds the cost of the gratuity expected to be earned on a yearly basis to Life Insurance Corporation of India, which manages the plan assets.

The actual return on plan assets is as under

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
	₹ lakhs	₹ lakhs
Gratuity	325.39	365.05
Compensated Absences	89.36	110.97

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate and expected salary increase.

The sensitivity analysis below has been determined based on reasonably possible changes of the respective assumption occurring at the end of the reporting period.

	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
उपदान		
यदि बट्टा दर पर 100 मूल अंक उच्च/कम है, तो निर्धारित लाभ दायित्व निम्नानुसार होगा।		
100 मूल अंक तक कमी	8,516.93	7,019.15
100 मूल अंक तक वृद्धि	7,723.64	6,426.68
यदि अपेक्षित वेतन 100 मूल अंक तक बढ़/घट जाता है तो निर्धारित लाभ दायित्व निम्नानुसार होगा।		
100 मूल अंक तक कमी	7,760.58	6,429.01
100 मूल अंक तक वृद्धि	8,441.35	7,002.99

ऊपर प्रस्तुत संवेदनशील विश्लेषण, निर्धारित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं कर सकता है क्योंकि यह संभव नहीं है कि धारणा में परिवर्तन एक दूसरे के अलगाव में घटित होगा क्योंकि कुछ धारणाएँ अपुष्ट हो सकती है।

गत वर्ष से संवेदनशील विश्लेषण तैयार करने में उपयोगित प्रणाली एवं धारणा में कोई परिवर्तन नहीं था।

Particulars	As at March 31, 2021 ₹ lakhs	As at March 31, 2020 ₹ lakhs
Gratuity		
If the discount rate is 100 basis points higher/lower, the defined benefit obligation would be as under		
decrease by 100 basis points	8,516.93	7,019.15
increase by 100 basis points	7,723.64	6,426.68
If the expected salary increases/decreases by 100 basis points, the defined benefit obligation would be as under		
decrease by 100 basis points	7,760.58	6,429.01
increase by 100 basis points	8,441.35	7,002.99

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from previous year.

टिप्पणी सं. 32 प्रासंगिक देयताएँ और प्रासंगिक परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी 2.41 देखें)

प्रासंगिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (हद तक उपलब्ध नहीं है)			2020-21 ₹ लाखों में	2019-20 ₹ लाखों में
(I)		प्रासंगिक देयताएं		
	(i)	आय कर		
		क) कंपनी के खिलाफ पडी आय कर माँगें, ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं करती है तथा जिसके संबंध में कंपनी अपील में रहे हैं प्रावधान नहीं किए गए तथा लंबित पडे निर्धारण एवं ब्याजों से संबंधित ऐसे मामलों में अनन्य है।	614.81	614.81
		ख) ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं किए कंपनी के खिलाफ पडे बिक्री कर और सेवा कर दावे,	2,971.79	3,140.73
	(ii)	ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं किये गए कंपनी के खिलाफ पडे दावे ।	15,509.13	10,595.34
	(iii)	सरकारी विभागों के लिए बैंक गारंटी (निवल मार्जिन राशि)	6,139.47	6,440.05
	(iv)	अन्यों के लिए बैंक गारंटी (निवल मार्जिन राशि)	165.91	427.38
	(v)	तारीख के अनुसार जारी की गई और बकाया कॉर्पोरेट गारंटी	2,906.94	3,268.08
	(vi)	साख-पत्र (निवल मार्जिन राशि)	776.06	7,148.11
	(vii)	अन्य	62.46	-
		कुल	29,270.91	31,634.49
(II)		प्रतिबद्धताएं		
	(i)	पूँजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष ठेके की अनुमानित राशि और प्रावधान नहीं की गयी (निवल अग्रिम)	-	-
	(ii)	लंबित रिबेट दावा जिसके लिए अपील फायल किया गया।	3.35	3.35
		कुल	3.35	3.35
(III)	प्रासंगिक परिस्थितियाँ			
	राज्य नवाचार परिवार नियोजन सेवा एजेंसी (सिफ्प्सा) के साथ विधिक मुकदमा में कंपनी के अनुकूल मध्यस्थता निर्णय।		2,684.36	2,684.36

टिप्पणियाँ

1) प्रासंगिक देयता को प्रति वर्ष मूल प्लस 12% की ब्याज दर पर परिकलित किया गया है। दावेदारों द्वारा बनाए गए दावे 8-24% से लेकर है। जैसे भी हो, आयकर और प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त जैसे सांविधिक ब्याज लेवी को ध्यान में रखकर प्रति वर्ष 12% दर से अधिक आने वाले मामलों में प्रति वर्ष 12 % की दर पर सभी दावों के लिए ब्याज दर ली गयी है। आकस्मिक परिसंपत्तियों पर ब्याज पर विचार नहीं किये गये ।

2) मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 के लिए प्रग्नेंसी टेस्ट किट की ओर रु.5.87 करोड़ रकम की दर अंतर के प्रति एचएलएल से वसूली माँगी है। कंपनी ने इस वसूली के प्रति आपत्ति उठायी है और इस दृष्टि से लेखा बही में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है । तथापि, इसको ऋण के रूप में न स्वीकृत कंपनी के प्रति दावा शीर्षक के अधीन आकस्मिक देयताओं में प्रकट किया गया है ।

NOTE 32 : CONTINGENT LIABILITIES & CONTINGENT ASSETS (REF 2.41)

Contingent liabilities and commitments (to the extent not provided for)			2020-21 ₹ lacs	2019-20 ₹ lacs
(I) Contingent Liabilities				
	(i)	Income Tax		
		(a) Income Tax demands against the Company not acknowledged as debt and not provided for in respect of which the Company is in appeal and exclusive of the similar matters in respect of pending assessments and interest.	614.81	614.81
		(b) Sales Tax & Service Tax Claims against the Co. not acknowledged as debt	2,971.79	3,140.73
	(ii)	Claims against the Company not acknowledged as debts	15,509.13	10,595.34
	(iii)	Bank Guarantees to Govt. Departments. (Net of Margin Money)	6,139.47	6,440.05
	(iv)	Bank Guarantees to others(net of margin money)	165.91	427.38
	(v)	Corporate Guarantees issued and outstanding as on date	2,906.94	3,268.08
	(vi)	Letter of Credits (net of Margin Money)	776.06	7,148.11
	(vii)	Others	62.46	-
TOTAL			**29,146.55**	**31,634.49**
(II) Commitments				
	(i)	Estimated amount of contracts remaining to be executed on Capital Account and not provided for (Net of advances)	-	-
	(ii)	Pending rebate claim for which appeals filed	3.35	3.35
TOTAL			**3.35**	**3.35**
(II) Contingent Assets				
Arbitration award in favour of the company in the legal case with state Innovations in Family Planning Services Agency (SIFPSA)			**2,684.36**	**2,684.36**

Notes

1) "Contingent liability has been calculated as Principal plus Interest @ 12% p.a. The claims made by the claimants have ranged from 8-24%. However, keeping in view the statutory interest levies like Income Tax and principle of Natural Justice, the rate of interest for all claims have been taken @ 12% p.a. in cases where the interest is above 12% p.a.Interest on contingent assets have not considered

2) Ministry had sought recovery from HLL towards rate difference, ₹ 5.87 Crore towards pregnancy test kit for the year 2014-15. The company has raised objections against the recovery and in view of the above no provision has been considered in the books of accounts. However this has been disclosed in contingent liability under the head claims against the company not acknowledged as debt..

टिप्पणी : 33 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (टिप्पणी 2.42 देखें)
इंड ए एस 24 के अनुसार संबंधित पार्टी के बारे में प्रकटीकरण

संबंध का विवरण	नाम
समनुषंगी	गोवा एंटीबायोटिक्स & फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जी ए पी एल)
	एचएलएल इंफ्राटेक सर्वीसस लिमिटेड (हाइट्स)
	एचएलएल मातृ व शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड
संयुक्त उद्यम	लाइफ़स्प्रिंग अस्पताल पाइवेट लिमिटेड(एल एस एच)
सहयोगी	हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोन्नमन न्यास (एचएलएफपीपीटी)
	एचएलएल प्रबंधन अकादमी (एच एम ए)
	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एच बी एल)
	एचएलएल मेडीपार्क लिमिटेड (एच एम एल)
	एचएलएल प्रतीक्षा धर्मार्थ सोसाइटी
मुख्य प्रबंधन कार्मिक (के एम पी)	**क. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, कंपनी सचिव & सी एफ ओ**
	श्री के.बेजी जोर्ज, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सी एम डी)
	श्री ई.ए.सुब्रमण्यन - निदेशक (तकनीकी & प्रचालन)
	श्री टी.राजशेखर-निदेशक (विपणन)
	डॉ.गीता शर्मा - निदेशक (वित्त)
	श्री संतोष चेरियान सी - वी पी (एफ) & सी एफ ओ
	श्री जयकृष्णन ए.आर. -कंपनी सचिव एवं ए वी पी (सी ए एस)
	ख.स्वतंत्र निदेशक
	डॉ.विजयचंदर रेड्डी
	ग. सरकारी नॉमिती निदेशक
	डॉ. मनदीप कुमार भंडारी आई ए एस
	डॉ. धर्मेंद्रा एस.गंगवार आई ए एस
मुख्य प्रबंधन कार्मिकों का मानदेय	₹ 166.76 लाख (पिछले वर्ष ₹ 165.58 लाख) (विवरण अनुबंध - 1 के रूप में संलग्न है।)

NOTE : 33 RELATED PARTY DISCLOSURE (REFER NOTE. 2.42)

Disclosure in respect of related party pursuant to Ind AS 24

Description of Relation	Names
Subsidiaries	Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (GAPL)
	HLL InfraTech Services Limited (HITES)
	HLL Mother & Child Care Hospitals Limited(HMCCHL)
Joint Venture	Life Spring Hospital Private Ltd (LSH)
Associates	Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust (HLFPPT)
	HLL Management Academy (HMA)
	HLL Biotech Ltd (HBL)
	HLL Medipark Ltd (HML)
	HLL Pratheeksha Charitable Society
Key Management Personnel (KMP)	**A. Chairman & Managing Directors,Whole Time Directors, Company Secretary & CFO**
	Shri. K.Beji George ,IRTS Chairman & Managing Director (CMD)
	Shri.E A Subramaniam Director (Technical & Operations)
	Shri. T. Rajasekar- Director (Marketing)
	Dr. Geeta Sharma- Director (Finance)
	Shri. Santhosh Cherian.C - VP(F) & CFO
	Shri. Jaikrishnan A.R - Company Secretary & AVP(CAS)
	B. Independent Directors
	Dr. Vijaychander Reddy
	C. Government Nominee Directors
	Dr.Mandeep Kumar Bhandari IAS
	Dr.Dharmendra S. Gangwar IAS
Remuneration to Key Managerial Personnel	₹166.76 lakhs (Previous period - ₹165.58 lakhs)(details enclosed as annexure-1)

टिप्पणी : 33 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (टिप्पणी 2.42 देखें)

महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन

₹ लाखों में

क्रम सं.	इंड ए एस 24 के अनुसार संबंधित पार्टी के बारे में प्रकटीकरण	नियंत्रण	2020-21	2019-20
1.	बिक्री/दावा			
	हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोन्नमन न्यास (एचएलएफपीपीटी)	100%	4.34	256.55
2.	खरीदियाँ			
	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एच बी एल)		17.55	-
	गोवा एंटीबायोटिक्स & फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जी ए पी एल)	74%	-	91.55
3.	किराया आय			
	एचएलएल इंफ्राटेक सर्वीसस लिमिटेड (हाइट्स)	100%	280.06	265.69
	एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड (एच एम एल)		22.65	22.65
	हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोन्नमन न्यास (एचएलएफपीपीटी)	100%	54.48	43.31
4.	परामर्श/सेवाओं से आय			
	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एच बी एल)		48.29	103.56
	गोवा एंटीबायोटिक्स & फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जी ए पी एल)	74%	32.84	55.03
	एचएलएल इंफ्राटेक सर्वीसस लिमिटेड (हाइट्स)	100%	225.30	185.15
	एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड (एच एम एल)		3.18	1.12
	एचएलएल मातृ व शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड(एच एम सी सी एच एल)	100%	-	0.56
	हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोन्नमन न्यास (एचएलएफपीपीटी)	100%	18.57	83.06
	लाइफ़स्प्रिंग अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड(एल एस एच)	50%	0.19	3.13
	एचएलएल प्रबंधन अकादमी (एच एम ए)	100%	3.18	25.93
5.	प्राप्त लाभांश से आय एचएलएल इंफ्राटेक सर्वीसस लिमिटेड (हाइट्स)	100%	1,000.00	2,275.00
6.	वेतन और भत्ता			
	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एच बी एल)		38.40	74.82
	गोवा एंटीबायोटिक्स & फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जी ए पी एल)	74%	57.28	73.96
	एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड (एच एम एल)	100%	44.24	50.03
	एचएलएल प्रबंधन अकादमी (एच एम ए)	100%	20.43	38.72
7	परामर्श व्यय एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एच बी एल)		4,910.32	-
8	ऋण			
	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एच बी एल)		1,940.25	-
	एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड (एच एम एल)		168.42	-
9.	अन्य व्यय			
	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एच बी एल)		28.38	755.22
	गोवा एंटीबायोटिक्स &फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जी ए पी एल)	74%	2.02	7.36
	एचएलएल इंफ्राटेक सर्वीसस लिमिटेड (हाइट्स)	100%	79.91	175.00
	एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड (एच एम एल)		0.22	9.77
	एचएलएल मातृ व शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड (एच एम सी सी एच एल)	100%	-	0.07
	हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोन्नमन न्यास (एचएलएफपीपीटी)	100%	-	30.09

NOTE : 33 RELATED PARTY DISCLOSURE (REFER NOTE. 2.42)

Significant Related Party Transactions

₹ in Lacs

Sl. No.	Disclosure in respect of related party pursuant to Ind AS 24	Control	2020-21	2019-20
1	**Sales/Claims**			
	Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust (HLFPPT)	100%	4.34	256.65
2	**Purchases**			
	HLL Biotech Ltd (HBL)		17.55	-
	Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (GAPL)	74%	-	91.55
3	**Rental Income**			
	HLL InfraTech Services Limited (HITES)	100%	280.06	265.69
	HLL Medipark Ltd (HML)		22.65	22.65
	Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust (HLFPPT)	100%	54.48	43.31
4	**Income from Consultancy/Service**			
	HLL Biotech Ltd (HBL)		48.29	103.56
	Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (GAPL)	74%	32.84	55.03
	HLL InfraTech Services Limited (HITES)	100%	225.30	185.15
	HLL Medipark Ltd (HML)		3.18	1.12
	HLL Mother & Child Care Hospitals Limited(HMCCHL)	100%	-	0.56
	Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust (HLFPPT)	100%	18.57	83.06
	Life Spring Hospital Private Ltd (LSH)	50%	0.19	3.13
	HLL Management Academy (HMA)	100%	3.18	25.93
5	**Income from dividend**			
	HLL InfraTech Services Limited (HITES)	100%	1,000.00	2,275.00
6	**Salaries & Allowances**			
	HLL Biotech Ltd (HBL)		38.40	74.82
	Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (GAPL)	74%	57.28	73.96
	HLL Medipark Ltd (HML)	100%	44.24	50.03
	HLL Management Academy (HMA)	100%	20.43	38.72
7	**Consultancy expenses:**			
	HLL Biotech Ltd (HBL)		4,910.32	-
8	**Loan**			
	HLL Biotech Ltd (HBL)		1,940.25	-
	HLL Medipark Ltd (HML)		168.42	-
9	**Other Expenses**			
	HLL Biotech Ltd (HBL)		28.38	755.22
	Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (GAPL)	74%	2.02	7.36
	HLL InfraTech Services Limited (HITES)	100%	79.91	175.00
	HLL Medipark Ltd (HML)		0.22	9.77
	HLL Mother & Child Care Hospitals Limited(HMCCHL)	100%	-	0.07
	Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust (HLFPPT)	100%	-	30.09

क्रम सं.	इंड ए एस 24 के अनुसार संबंधित पार्टी के बारे में प्रकटीकरण	नियंत्रण	2020-21	2019-20
	एचएलएल प्रबंधन अकादमी (एच एम ए)		1.13	0.92
10	विविध देनदार			
	हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोन्नमन न्यास (एचएलएफपीपीटी)	100%	317.01	903.45
	लाइफ़स्प्रिंग अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड(एल एस एच)	50%	11.40	12.09
	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एच बी एल)	100%	-	1,816.87
	गोवा एंटीबायोटिक्स &फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जी ए पी एल)	74%	572.85	346.84
	एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड (एच एम एल)	100%	-	65.51
	एचएलएल इंफ्राटेक सर्वीसस लिमिटेड (हाइट्स)	100%	532.99	-
	एचएलएल मातृ व शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड	100%	-	15.80
	एचएलएल प्रबंधन अकादमी (एच एम ए)	100%	391.70	329.20
11.	शेयरों में निवेश			
	लाइफ़स्प्रिंग अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड(एल एस एच)	50%	950.76	950.76
	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एच बी एल)	100%	-	27,489.00
	गोवा एंटीबायोटिक्स &फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जी ए पी एल)	74%	708.75	708.75
	एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड (एच एम एल)	100%	-	640.53
	एचएलएल मातृ व शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड	100%	-	-
	एचएलएल इंफ्राटेक सर्वीसस लिमिटेड (हाइट्स)	100%	5.00	5.00
12.	अन्य देयताएं			
	गोवा एंटीबायोटिक्स &फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जी ए पी एल)	74%	-	54.83
	एचएलएल प्रतीक्षा धर्मार्थ सोसाइटी	100%	1.15	0.79

सरकारी संबंधित संस्थाएं जहाँ महत्वपूर्ण लेन-देन किए गए

ऊपर रिपोर्ट किये गये लेन-देनों के अलावा, कंपनी को अन्य सरकारी संबंधित संस्थाओं के साथ लेन-देन है, जिस में निम्न शामिल है लेकिन निम्न तक सीमित नहीं है ।

सरकार का नाम : भारत सरकार (केंद्र और राज्य सरकार)

लेन-देन की प्रकृति

- उत्पाद और सेवाओं की बिक्री
- अन्य व्यय
- विविध देनदार
- अन्य देयताएं

ये लेन-देन अन्य संस्थाएं, जो सरकार से संबंधित नहीं है, की तुलना में कंपनी के व्यवसाय शर्तों के साधारण क्रम में किया गया है ।

निदेशक मंडल की तरफ से

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है ।
कृते के.वर्गीस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म नं.004525एस

के.बेजी जोर्ज, आई आर टी एस
अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक
[डिन: 08419099]

डॉ.गीता शर्मा
निदेशक (वित्त)
[डिन: 08225251]

संतोष चेरियान.सी.
उपाध्यक्ष (वित्त) & सी एफ ओ
[एफ सी ए : 049893]

जयकृष्णन.ए.आर
कंपनी सचिव एवं
सह उपाध्यक्ष (सी ए एस)
[ए सी एस : 14328]

सी.ए. साम वर्गीस
साझेदार
सदस्यता सं. 216979

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 28.09.2021
यु डी आई एन : 21216979एएएएएचएच8676

Sl. No.	Disclosure in respect of related party pursuant to Ind AS 24	Control	2020-21	2019-20
	HLL Management Academy (HMA)		1.13	0.92
10	**Sundry Debtors**			
	Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust (HLFPPT)	100%	317.01	903.45
	Life Spring Hospital Private Ltd (LSH)	50%	11.40	12.09
	HLL Biotech Ltd (HBL)	100%	-	1,816.87
	Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (GAPL)	74%	572.85	346.84
	HLL Medipark Ltd (HML)	100%	-	65.51
	HLL InfraTech Services Limited (HITES)	100%	532.99	-
	HLL Mother & Child Care Hospitals Limited	100%	-	15.80
	HLL Management Academy (HMA)	100%	391.70	329.20
11	**Investment in Shares**			
	Life Spring Hospital Private Ltd (LSH)	50%	950.76	950.76
	HLL Biotech Ltd (HBL)	100%	-	27,489.00
	Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (GAPL)	74%	708.75	708.75
	HLL Medipark Ltd (HML)	100%	-	640.53
	HLL Mother & Child Care Hospitals Limited	100%	-	-
	HLL InfraTech Services Limited (HITES)	100%	5.00	5.00
12	**Other Liabilities**			
	Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (GAPL)	74%	-	54.83
	Pratheeksha Charitable Society	100%	1.15	0.79

Government related entities where significant transactions carried out

Apart from transactions reported above, the company has transactions with other Government related entities, which includes but not limited to the following:

Name of Government: Government of India (Central and State Government)
Nature of Transactions:

- Sale of Products and Services
- Other Expenses
- Sundry Debtors
- Other Liabilities

These transactions are conducted in the ordinary course of the Company's business on terms comparable to those with other entities that are not government related.

For and on behalf of the Board of Directors

Vide our report of even date attached
For K. Varghese & Co
Chartered Accountants
Firm No. 004525S

K.Beji George IRTS
Chairman &
Managing Director
[DIN: 08419099]

Dr.Geeta Sharma
Director (F)
[DIN:08225251]

Santhosh Cherian.C
SVP(F) i/c & CFO
[FCA:049893]

Jaikrishnan A.R
CS & AVP (CAS)
[ACS:14328]

CA. Sam Varghese
Partner
Membership No:216979
UDIN: 21216979AAAAHL7595

Place : Thiruvananthapuram
Date : 28.09.2021

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक का अनुबंध

₹ .लाखों में

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ	रोज़गार के बाद के लाभ	अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ	कुल पारिश्रमिक	बैठक शुल्क	बकाया ऋण (सकल)/प्राप्य अग्रिम
श्री के.बेजी जोर्ज	30.96	-	-	30.96	-	
श्री सुब्रमण्यन.ई.ए	32.47	-	-	32.47	-	0.13
श्री राजशेखर.टी	31.12	-	-	31.12	-	0.12
डॉ. गीता शर्मा	34.51	-	-	34.51	-	-
श्री संतोष चेरियान.सी	21.60	-	-	21.60	-	-
श्री जयकृष्णन.ए.आर	16.10	-	-	16.10	-	0.12
डॉ.विजयचंदर रेड्डी	-			-	1.30	-
कुल	166.76	-	-	166.76	1.30	0.37

* रोज़गार के बाद के हितलाभों को समग्र आधार पर निर्धारित भुगतान किया जाता है और व्यक्तिगत आधार पर पता लगाने योग्य नहीं है।

REMUNERATION OF KEY MANAGERIAL PERSONNEL

₹ in Lacs

Key managerial Personnel	Short Term employee Benefit	Post employment Benefit *	Other long term employee benefit	Total Remmuneration	Sitting Fees	Outstanding Loans (Gross) /Advance receivables
Shri. K.Beji George	30.96			30.96		
Shri.Subramanian.E.A	32.47	-	-	32.47	-	0.13
Shri.Rajesekar T	31.12	-	-	31.12	-	0.12
Dr. Geeta Sharma	34.51	-	-	34.51	-	-
Shri.Santhosh Cherian C	21.60			21.60		
Shri.Jaikrishnan A.R.	16.10	-	-	16.10	-	0.12
Dr. Vijaychander Reddy	-	-	-	-	1.30	-
Total	**166.76**	**-**	**-**	**166.76**	**1.30**	**0.37**

* Post-employment benefits are actuarially determined/paid on overall basis, and not ascertainable on individual basis

टिप्पणी 34. इंड ए एस-108 खंड रिपोर्टिंग के अधीन प्रकटीकरण (टिप्पणी 2.43 देखें)

विवरण						₹ लाखों में
राजस्व खंड	**गर्भनिरोधक**	**स्वास्थ्य रक्षा**	**फार्मा**	**परियोजनाएं एवं सेवाएं**	**कोवड-19**	**कुल**
निवल बिक्री और सेवाएं	40,837.27	9,426.53	61,015.02	40,023.99	356,828.21	508,131.02
अन्य अविनिधानीय राजस्व						5,753.28
कुल						513,884.30
कर के पूर्व लाभ	**गर्भनिरोधक**	**स्वास्थ्य रक्षा**	**फार्मा**	**परियोजनाएं एवं सेवाएं**		**कुल**
ब्याज और कर के पूर्व लाभ	1,879.31	(1,037.02)	1,528.75	2,806.29	13,232.46	18,409.79
न्यून : - ब्याज	714.22	100.07	347.85	1,212.99	-	2,375.13
न्यून:- अन्य अविनिधानीय व्यय						3,675.22
पूर्व अवधि मदें					-	-
जोड- अन्य अविनिधानीय आय			-		2,795.19	2,795.19
कर के पूर्व लाभ	1,165.09	(1,137.09)	1,180.90	1,593.30	13,232.46	15,154.63
नियुक्त पूँजी	**गर्भनिरोधक**	**स्वास्थ्य रक्षा**	**फार्मा**	**परियोजनाएं एवं सेवाएं**	**कोविड-19**	**कुल**
आबंटित अचल परिसंपत्तियाँ (क)	11,597.97	2,239.08	49.24	12,023.01	31.06	25,940.35
आबंटित चालू परिसंपत्तियाँ (ख)	7,524.66	7,929.15	6,051.04	14,190.85	3,24,127.46	3,59,823.15
(क + ख)	19,122.63	10,168.22	6,100.28	26,213.85	3,24,158.52	3,85,763.50
आबंटित चालू देयताएं	6,722.10	8,185.21	1,47,054.72	54,920.72	1,06,695.71	3,23,578.47
नियुक्त पूँजी आबंटन	**12,400.53**	**1,983.01**	**(1,40,954.44)**	**(28,706.87)**	**2,17,462.81**	**62,185.03**
नियुक्त पूँजी के अविनिधानीय अंश						(26,029.14)
कुल नियुक्त पूँजी						**36,155.89**

2. सेकन्डरी खंड सूचना-भौगोलिक राजस्व	
भारत	5,05,310.42
भारत के बाहर	8,573.88
	5,13,884.30
नियुक्त पूँजी	
भारत	36,155.89
भारत के बाहर	-
	36,155.89

निदेशक मंडल की तरफ से

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है।

कृते के.वर्गीस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म नं.004525एस

के.बेजी जोर्ज, आई आर टी एस
अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक
[डिन: 08419099]

डॉ.गीता शर्मा
निदेशक (वित्त)
[डिन: 08225251]

संतोष चेरियान.सी.
उपाध्यक्ष (वित्त) & सी एफ ओ
[एफ सी ए : 049893]

जयकृष्णन.ए.आर
कंपनी सचिव एवं
सह उपाध्यक्ष (सी ए एस)
[ए सी एस : 14328]

सी.ए. साम वर्गीस
साझेदार
सदस्यता सं. 216979

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 28.09.2021

NOTE 34: DISCLOSURE UNDER IND AS-108 SEGMENT REPORTING
(Refer Note: 2.43)

Particulars						₹ lacs
Segment Revenue	**Contraceptives**	**Health Care**	**Pharma**	**Projects & Services**	**Covid-19**	**Total**
Net Sales & Services	40,837.27	9,426.53	61,015.02	40,023.99	3,56,828.21	5,08,131.02
Other Unallocable Revenue						5,753.28
Total						**5,13,884.30**
Profit before Tax	**Contraceptives**	**Health Care**	**Pharma**	**Projects & Services**	**Covid-19**	**Total**
Profit before Interest & Tax	1,879.31	(1,037.02)	1,528.75	2,806.29	13,232.46	18,409.79
Less:- Interest	714.22	100.07	347.85	1,212.99	-	2,375.13
Less: Other unallocable expenditure						3,675.22
Prior period items						-
Add:-Other unallocable income			-			2,795.19
Profit before tax	**1,165.09**	**(1,137.09)**	**1,180.90**	**1,593.30**	**13,232.46**	**15,154.63**
Capital Employed	**Contraceptives**	**Health Care**	**Pharma**	**Projects & Services**	**Covid-19**	**Total**
Allocated Fixed Assets (a)	11,597.97	2,239.08	49.24	12,023.01	31.06	25,940.35
Allocated Current Assets (b)	7,524.66	7,929.15	6,051.04	14,190.85	3,24,127.46	3,59,823.15
(a+b)	**19,122.63**	**10,168.22**	**6,100.28**	**26,213.85**	**3,24,158.52**	**3,85,763.50**
Allocated Current Liabilities	6,722.10	8,185.21	1,47,054.72	54,920.72	1,06,695.71	3,23,578.47
Capital Employed Allocation	**12,400.53**	**1,983.01**	**(1,40,954.44)**	**(28,706.87)**	**2,17,462.81**	**62,185.03**
Unallocable portion of Capital Employed						(26,029.14)
Total Capital Employed						**36,155.89**

2. Secondary Segment Information - Geographical Revenue	
India	5,05,310.42
Outside India	8,573.88
	5,13,884.30
Capital Employed	
India	36,155.89
Outside India	-
	36,155.89

For and on behalf of the Board of Directors

Vide our report of even date attached
For K. Varghese & Co
Chartered Accountants
Firm No. 004525S

K.Beji George IRTS
Chairman &
Managing Director
[DIN: 08419099]

Dr.Geeta Sharma
Director (F)
[DIN:08225251]

Santhosh Cherian.C
SVP(F) i/c & CFO
[FCA:049893]

Jaikrishnan A.R
CS & AVP (CAS)
[ACS:14328]

CA. Sam Varghese
Partner
Membership No:216979
UDIN: 21216979AAAAHL7595

Place : Thiruvananthapuram
Date : 28.09.2021

टिप्पणी 35 : आय कर (टिप्पणी 2.44 देखें)
सतत प्रचालनों से संबंधित आय कर

विवरण	31 मार्च, 2021को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
चालू कर	4,499.50	1,659.98
पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन/(क्रेडिट) - निवल	-	-
आय कर	-	(187.82)
मैट क्रेडिट पात्रता	-	(261.00)
मैट क्रेडिट का प्रत्यावर्तन	-	444.60
आस्थगित कर		
चालू वर्ष से संबंधित	(1,629.53)	(1,005.60)
पिछले वर्ष से संबंधित	1,005.60	759.59
लाभ और हानि में पहचान किए गए कुल आय कर व्यय	3,875.57	1,409.75

वर्ष के लिए लेखांकन लाभ में मेल मिलाप किये गये आय कर व्यय :		
कर के पूर्व लाभ	**15,154.63**	**12,366.67**
आय कर दर।	25.168%	25.168%
लाभ बही के अनुसार आय कर व्यय	**3,875.57**	**2,253.03**
अनुमति नहीं दिए गए व्यय का प्रभाव	149.22	15.87
गैर कर योग्य आय का प्रभाव	-	(2,275.10)
मूल्यह्रास और ऋणमुक्ति का प्रभाव	1,332.68	1,506.14
प्रावधानों का प्रभाव	1,840.03	115.24
आर ः डी खर्चों का प्रभाव	-	-
परिसंपत्तियों की बिक्री का प्रभाव	(1.63)	3.41
कटौतियों का प्रभाव	(2,101.75)	(2,320.55)
पट्टे का प्रभाव	(475.11)	(453.47)
अन्य आय का प्रभाव	1,979.80	2,208.36
कुल	2,723.24	(1,200.11)
आय कर के अनुसार आय	17,877.87	11,166.56
न्यून : हानियों को आगे ले आना	-	4,662.58
कर योग्य आय	**17,877.87**	**6,503.98**
कर लाभ के अनुसार आय कर व्यय	**4,499.50**	**1,636.92**
कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का प्रभाव		
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		
देनदार और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानों का प्रभाव	909.46	949.46
वस्तुसूची से संबंधित प्रावधानों का प्रभाव	16.40	6.91
कर्मचारी भुगतान और कटौतियों से संबंधित प्रावधानों का प्रभाव	1,043.41	482.89
पट्टे की परिसंपत्तियों के लिए प्रभाव	628.70	104.47
कुल (क)	**2,597.97**	**1,543.74**
आस्थगित कर देयताएँ		
मूल्यह्रास का प्रभाव	(968.44)	(538.14)
कुल (ख)	(968.44)	(538.14)
निवल आस्थगित परिसंपत्तियाँ (क) - (ख)	1,629.53	1,005.60

अन्य व्यापक आय में पहचान किए गए आय कर		
निर्धारित लाभ दायित्व के पुनः मापन	**(328.66)**	**(23.06)**

* टिप्पणी : कंपनी द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए आय कर अधिनियम के धारा 115 बी ए ए के अधीन कम कर दर का विकल्प चुना गया है।

NOTE 35 INCOME TAXES (REF POINT 2.44)
INCOME TAX RELATING TO CONTINUING OPERATIONS

₹ in Lacs

Particulars	Year ended March 31, 2021	Year ended March 31, 2020
Current Tax	4,499.50	1,659.98
Adjustments / (credits) related to previous years-Net		
Income Tax	-	(187.82)
Mat Credit Entitlement	-	(261.00)
Reversal of MAT Credit	-	444.60
Deferred Tax		
In respect of the current year	(1,629.53)	(1,005.60)
In respect of the previous year	1,005.60	759.59
Total Income Tax expense recognised in Profit & Loss	**3,875.57**	**1,409.75**

Income Tax expense for the year reconciled to the accounting profit:		
Profit before Tax	**15,154.63**	**12,366.67**
Income Tax Rate*	25.168%	25.168%
Income Tax expense as per Book Profits	**3,875.57**	**2,253.03**
Effect of Expenses not allowed	149.22	15.87
Effect of Income not taxable	-	(2,275.10)
Effect of Depreciation and Amortisations	1,332.68	1,506.14
Effect of Provisions	1,840.03	115.24
Effect of R & D Expenses	-	-
Effect of Sale of Assets	(1.63)	3.41
Effect of Deductions	(2,101.75)	(2,320.55)
Effect of Leases	(475.11)	(453.47)
Effect of other income	1,979.80	2,208.36
Total	**2,723.24**	**(1,200.11)**
Income as per Income Tax	17,877.87	11,166.56
Less:Carry forward of losses	-	4,662.58
Taxable Income	**17,877.87**	**6,503.98**
Income Tax expense as per Tax Profits	**4,499.50**	**1,636.92**
Effect of deductible temporary differences		
Deferred Tax Assets		
Effect of provisions related to Debtors and Advances	909.46	949.46
Effect of provisions related to Inventory	16.40	6.91
Effect of provisions related to Employee payments and deductions	1,043.41	482.89
Effecr to Leased Assets	628.70	104.47
Total (A)	**2,597.97**	**1,543.74**
Deferred Tax Liabilties		
Effect of Depreciation	(968.44)	(538.14)
Total (B)	**(968.44)**	**(538.14)**
Net Deferred Tax Assets (A)-(B)	**1,629.53**	**1,005.60**

Income Tax recognised in other comprehensive income		
Remeasurement of defined benefit obligation	**(328.66)**	**(23.06)**

*Note - Lower tax rates u/s 115 BAA of Income Tax Act are opted by the company from AY 2020-21

अनुसूची क्ष - टिप्पणी नं. 2.10 में उल्लिखित

31 मार्च, 2021 को कार्यान्वयाधीन पड़ी परियोजनाओं की परिसंपत्तियाँ और देयताएँ

₹ लाखों में

परियोजनाएं	एचएलएल के साथ न्यास के अधीन पडे नकद और बैंक शेष		परिसंपत्तियाँ				देयताएँ		कुल	
			अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		कुल परिसंपत्तियाँ		चालू देयताएं			
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
आई डी उत्तर										
आचार्या बरीहर आर जी एल रीजियणल कैंसर केयर सेंटर, कट्टक	127.52	127.52	0.34	0.34	127.86	127.86	127.86	127.86	127.86	127.86
अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज (पी एम एस एस वाई)	1,706.55	1,205.02	26.21	27.01	1,732.75	1,232.03	1,732.75	1,232.03	1,732.75	1,232.03
सी जी एच एस	339.03	340.34	1.76	16.08	340.80	356.42	340.80	356.42	340.80	356.42
आई पी सी (गाज़ियाबाद)	1,573.61	2,565.15	281.83	-2,565.15	1,855.44	-	1,855.44	-	1,855.44	-
आयुष के अधीन एन ई आई एफ एम, पासीघाट	714.00	715.31	102.23	2,133.65	816.22	2,848.96	816.22	2,848.96	816.22	2,848.96
एन आई पी एस/आर आई पी एस	5,798.52	9,210.93	782.38	-8,393.40	6,580.91	817.53	6,580.91	817.53	6,580.91	817.53
पी जी आई एम एस रोहतक	2,243.86	2,309.83	8.28	-2,320.28	2,252.13	(10.45)	2,252.13	-10.45	2,252.13	-10.45
पी एम एस एस वाई निवासीय परियोजना (ऋषिकेश एवं पट्ना)	341.56	341.56	61.32	13,166.24	402.88	13,507.81	402.88	13,507.81	402.88	13,507.81
रिपन्स-ऐसवाल-मिसोरा	1,430.30	638.52	1,070.37	-612.23	2,500.67	26.29	2,500.67	26.29	2,500.67	26.29
आई डी उत्तर कुल	14,274.95	17,454.18	2,334.71	1,452.26	16,609.66	18,906.44	16,609.66	18,906.44	16,609.66	18,906.44
आई डी दक्षिण										
जिप्मर	1,905.06	2,702.47	-214.91	300.48	1,690.15	3,002.95	1,690.15	3,002.95	1,690.15	3,002.95
एमएमसी	1,829.96	1,797.66	162.37	164.47	1,992.33	1,962.14	1,992.33	1,962.14	1,992.33	1,962.14
एम सी कोन्नि	-174.76	137.59	1,742.04	1,744.61	1,567.28	1,882.20	1,567.28	1,882.20	1,567.28	1,882.20
एम सी कोषिक्कोड परियोजनाएं	301.50	330.28	-388.41	73.62	-86.92	403.90	(86.92)	403.90	-86.92	403.90
एम सी तिरुवनंतपुरम परियोजनाए	234.06	241.74	-124.09	-118.19	109.97	123.55	109.97	123.55	109.97	123.55
उद्योग विभाग परियोजनाएं	811.10	782.23	6.40	11.63	817.50	793.87	817.50	793.87	817.50	793.87
के एस एस टी एम	410.30	480.93	153.77	144.16	564.08	625.08	564.08	625.08	564.08	625.08
मलबार कैंसर केंद्र	-2,919.78	21.44	-2,378.99	-1,337.82	-5,298.77	(1,316.37)	(5,298.77)	-1,316.37	-5,298.77	-1,316.37
एन आर एच एम	18.50	52.74	174.84	181.81	193.35	234.55	193.35	234.55	193.35	234.55
अन्य परियोजनाएँ	462.97	479.08	1,402.26	1,430.72	1,865.23	1,909.80	1,865.23	1,909.80	1,865.23	1,909.80

ANNEXURE I - REFERRED TO IN NOTE NO. 2.10

Assets and Liabilities of projects under implementation as on 31st March 2021

Projects	Cash & Bank balances held under trust with HLL		ASSETS				LIABILITIES		Total (₹ in lacs)	
			Other Current Assets		Total Assets		Current Liabilities			
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
ID North										
Acharya Barihar RGL Cancer Care Cuttak	127.52	127.52	0.34	0.34	127.86	127.86	127.86	127.86	127.86	127.86
Aigrah Medical College (PMSSY)	1,706.55	1,205.02	26.21	27.01	1,732.75	1,232.03	1,732.75	1,232.03	1,732.75	1,232.03
CGHS	339.03	340.34	1.76	16.08	340.80	356.42	340.80	356.42	340.80	356.42
IPC (Gaziabad)	1,573.61	2,565.15	281.83	-2,565.15	1,855.44	-	1,855.44	-	1,855.44	-
NEIFM Pasighat under AYUSH	714.00	715.31	102.23	2,133.65	816.22	2,848.96	816.22	2,848.96	816.22	2,848.96
NIPS / RIPS	5,798.52	9,210.93	782.38	-8,393.40	6,580.91	817.53	6,580.91	817.53	6,580.91	817.53
PGIMS Rohtak	2,243.86	2,309.83	8.28	-2,320.28	2,252.13	(10.45)	2,252.13	-10.45	2,252.13	-10.45
PMSSY Residential project (Rishikesh & Patna)	341.56	341.56	61.32	13,166.24	402.88	13,507.81	402.88	13,507.81	402.88	13,507.81
RIPANS-AIZAWL-MIZORA	1,430.30	638.52	1,070.37	-612.23	2,500.67	26.29	2,500.67	26.29	2,500.67	26.29
ID North Total	**14,274.95**	**17,454.18**	**2,334.71**	**1,452.26**	**16,609.66**	**18,906.44**	**16,609.66**	**18,906.44**	**16,609.66**	**18,906.44**
ID South										
JIPMER	1,905.06	2,702.47	-214.91	300.48	1,690.15	3,002.95	1,690.15	3,002.95	1,690.15	3,002.95
MMC	1,829.96	1,797.66	162.37	164.47	1,992.33	1,962.14	1,992.33	1,962.14	1,992.33	1,962.14
MC Konni	-174.76	137.59	1,742.04	1,744.61	1,567.28	1,882.20	1,567.28	1,882.20	1,567.28	1,882.20
MC Kozhikode Projects	301.50	330.28	-388.41	73.62	-86.92	403.90	(86.92)	403.90	-86.92	403.90
MCTrivandrum Projects	234.06	241.74	-124.09	-118.19	109.97	123.55	109.97	123.55	109.97	123.55
Industries Department Projects	811.10	782.23	6.40	11.63	817.50	793.87	817.50	793.87	817.50	793.87
KSSTM	410.30	480.93	153.77	144.16	564.08	625.08	564.08	625.08	564.08	625.08
Malabar Cancer Center	-2,919.78	21.44	-2,378.99	-1,337.82	-5,298.77	(1,316.37)	(5,298.77)	-1,316.37	-5,298.77	-1,316.37
NRHM	18.50	52.74	174.84	181.81	193.35	234.55	193.35	234.55	193.35	234.55
Other Projects	462.97	479.08	1,402.26	1,430.72	1,865.23	1,909.80	1,865.23	1,909.80	1,865.23	1,909.80

परियोजनाएं	एचएलएल के साथ न्यास के अधीन पडे नकद और बैंक शेष		परिसंपत्तियाँ				देयताएँ		कुल	
			अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		कुल परिसंपत्तियाँ		चालू देयताएं			
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
ट्रिडा	32.33	29.63	9.79	15.39	42.12	45.02	42.12	45.02	42.12	45.02
डेंडल कॉलेज आलप्पुषा	64.51	72.31	-12.70	-11.63	51.81	60.68	51.81	60.68	51.81	60.68
आई डी दक्षिण कुल	**2,975.75**	**7,128.10**	**532.37**	**2,599.25**	**3,508.12**	**9,727.35**	**3,508.12**	**9,727.35**	**3,508.12**	**9,727.35**
एम्स जैसी संस्था	13,490.23	18,723.19	9,062.65	8,800.29	22,552.88	27,523.48	22,552.88	27,523.48	22,552.88	27,523.48
केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन	707.78	735.39	287.46	287.54	995.24	1,022.93	995.24	1,022.93	995.24	1,022.93
जी एम सी & एच नागपूर	844.18	872.04	550.01	551.64	1,394.20	1,423.68	1,394.20	1,423.68	1,394.20	1,423.68
जीएमएसडी, कोल्ड पी सी डी	957.85	966.02	16.19	16.19	974.04	982.21	974.04	982.21	974.04	982.21
सरकारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	655.65	684.83	785.98	786.91	1,441.63	1,471.74	1,441.63	1,471.74	1,441.63	1,471.74
टीकाकरण	15,600.95	1,356.32	71.34	126.69	15,672.29	1,483.01	15,672.29	1,483.01	15,672.29	1,483.01
जनसंख्या विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय संस्था	207.85	207.88	9.97	9.94	217.82	217.82	217.82	217.82	217.82	217.82
दिल्ली नगर निगम	155.16	270.68	271.04	232.77	426.20	503.45	426.20	503.45	426.20	503.45
नाको पी सी डी	62.29	62.39	-11.46	-11.46	50.83	50.93	50.83	50.93	50.83	50.93
अन्य परियोजनाएँ	-354.74	252.95	3,103.55	2,932.71	2,748.80	3,185.66	2,748.80	3,185.66	2,748.80	3,185.66
पीजीआईएमएस रोहतक	2,192.43	1,679.55	243.46	243.46	2,435.88	1,923.01	2,435.88	1,923.01	2,435.88	1,923.01
पीएमएसएसवाई पी सी डी	7,680.32	8,113.74	1,154.98	1,183.14	8,835.30	9,296.88	8,835.30	9,296.88	8,835.30	9,296.88
पी सी डी कुल	**42,199.95**	**33,924.98**	**15,545.16**	**15,159.84**	**57,745.11**	**49,084.82**	**57,745.11**	**49,084.82**	**57,745.11**	**49,084.82**
वैक्सीन परियोजनाएँ	**341.19**	**328.08**	**237.67**	**222.07**	**578.85**	**550.14**	**578.85**	**550.14**	**578.85**	**550.14**
एम सी एस : ए आई आई ए परियोजना	**11,508.24**	**26,780.66**	**-6,254.84**	**-**	**5,253.41**	**26,780.66**	**5,253.41**	**26,780.66**	**5,253.41**	**26,780.66**
कुल योग	**71,300.09**	**85,615.99**	**12,395.07**	**19,433.42**	**83,695.15**	**1,05,049.41**	**83,695.15**	**105,049.41**	**83,695.15**	**1,05,049.41**

निदेशक मंडल की तरफ से

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है।
कृते के.वर्गीस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म नं.004525एस

के.बेजी जोर्ज, आई आर टी एस
अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक
[डिन: 08419099]

डॉ.गीता शर्मा
निदेशक (वित्त)
[डिन: 08225251]

संतोष चेरियान.सी.
उपाध्यक्ष (वित्त) & सी एफ ओ
[एफ सी ए : 049893]

जयकृष्णन.ए.आर
कंपनी सचिव एवं
सह उपाध्यक्ष (सी ए एस)
[ए सी एस : 14328]

सी.ए. साम वर्गीस
साझेदार
सदस्यता सं. 216979

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 28.09.2021

Projects	Cash & Bank balances held under trust with HLL		ASSETS				LIABILITIES		Total (₹ in lacs)	
			Other Current Assets		Total Assets		Current Liabilities			
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
TRIDA	32.33	29.63	9.79	15.39	42.12	45.02	42.12	45.02	42.12	45.02
Dental College Alappuzha	64.51	72.31	-12.70	-11.63	51.81	60.68	51.81	60.68	51.81	60.68
ID South Total	**2,975.75**	**7,128.10**	**532.37**	**2,599.25**	**3,508.12**	**9,727.35**	**3,508.12**	**9,727.35**	**3,508.12**	**9,727.35**
PCD										
AIIMS LIKE INSTITUTE	13,490.23	18,723.19	9,062.65	8,800.29	22,552.88	27,523.48	22,552.88	27,523.48	22,552.88	27,523.48
Central drug standard control organisation	707.78	735.39	287.46	287.54	995.24	1,022.93	995.24	1,022.93	995.24	1,022.93
GMC & H NAGPUR	844.18	872.04	550.01	551.64	1,394.20	1,423.68	1,394.20	1,423.68	1,394.20	1,423.68
GMSD_COLD PCD	957.85	966.02	16.19	16.19	974.04	982.21	974.04	982.21	974.04	982.21
Govt. National Capital Territory, Delhi	655.65	684.83	785.98	786.91	1,441.63	1,471.74	1,441.63	1,471.74	1,441.63	1,471.74
IMMUNIZATION	15,600.95	1,356.32	71.34	126.69	15,672.29	1,483.01	15,672.29	1,483.01	15,672.29	1,483.01
International Institure of Population Sciences	207.85	207.88	9.97	9.94	217.82	217.82	217.82	217.82	217.82	217.82
Municipal corporation of delhi	155.16	270.68	271.04	232.77	426.20	503.45	426.20	503.45	426.20	503.45
NACO PCD	62.29	62.39	-11.46	-11.46	50.83	50.93	50.83	50.93	50.83	50.93
OTHERS PROJECTS	-354.74	252.95	3,103.55	2,932.71	2,748.80	3,185.66	2,748.80	3,185.66	2,748.80	3,185.66
PGIMS Rohtak	2,192.43	1,679.55	243.46	243.46	2,435.88	1,923.01	2,435.88	1,923.01	2,435.88	1,923.01
PMSSY PCD	7,680.32	8,113.74	1,154.98	1,183.14	8,835.30	9,296.88	8,835.30	9,296.88	8,835.30	9,296.88
PCD Total	**42,199.95**	**33,924.98**	**15,545.16**	**15,159.84**	**57,745.11**	**49,084.82**	**57,745.11**	**49,084.82**	**57,745.11**	**49,084.82**
Vaccine Projects	**341.19**	**328.08**	**237.67**	**222.07**	**578.85**	**550.14**	**578.85**	**550.14**	**578.85**	**550.14**
MCS & AIIA Project	**11,508.24**	**26,780.66**	**-6,254.84**	**-**	**5,253.41**	**26,780.66**	**5,253.41**	**26,780.66**	**5,253.41**	**26,780.66**
Grand Total	**71,300.09**	**85,615.99**	**12,395.07**	**19,433.42**	**83,695.15**	**1,05,049.41**	**83,695.15**	**1,05,049.41**	**83,695.15**	**1,05,049.41**

For and on behalf of the Board of Directors

Vide our report of even date attached
For K. Varghese & Co, Chartered Accountants
Firm No. 004525S

K.Beji George IRTS
Chairman &
Managing Director
[DIN: 08419099]

Dr.Geeta Sharma
Director (F)
[DIN:08225251]

Santhosh Cherian.C
SVP(F) i/c & CFO
[FCA:049893]

Jaikrishnan A.R
CS & AVP (CAS)
[ACS:14328]

CA. Sam Varghese
Partner
Membership No:216979
UDIN: 21216979AAAAHL7595

Place : Thiruvananthapuram
Date : 28.09.2021

अनुसूची II - वित्तीय विवरण की अतिरिक्त सूचना 2020-21

₹ लाखों में

विवरण	2020-21	2019-20
क. आयात का मूल्य (सी आई एफ)		
कच्चे माल	2,440.61	2593.00
संघटक तथा पुर्जे	78.26	21.04
पूँजीगत माल	-	43.38
तैयार माल	0.63	13,671.77
कुल	**2,519.50**	**16,329.19**
ख.विदेशी मुद्रा में व्यय		
यात्रा	-	2.66
सेवा चार्ज	17.28	44.14
बिक्री प्रचार व्यय	238.35	14.62
भाड़ा और निकासी व्यय	85.93	368.58
ब्याज और अन्य चार्ज	42.10	-
कुल	**383.66**	**430.01**
ग. विदेशी विनिमय में अर्जन		
निर्यात बिक्री/नमूना (एफ ओ बी मूल्य)	7,996.39	9,476.52
भाड़ा & बीमा	577.49	943.30
कुल	**8,573.88**	**10,419.82**
घ. कार्यात्मक निदेशकों को पारिश्रमिक		
वेतन	118.01	102.56
भविष्य निधि अंशदान	10.15	7.71
सी पी एस अंशदान	1.34	1.25
अनुलब्धियाँ	11.06	7.72
कुल	**140.56**	**119.25**

उपदान और अर्जित छुट्टी की देयताएं भारत के जीवन बीमा निगम की ग्रूप योजना द्वारा निधिक की जाती है । इसलिए प्रीमियम व्यक्तिगत तौर पर अभिनिश्चित नहीं है और अतः शामिल नहीं है ।

निदेशक मंडल की तरफ से

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है ।

कृते के.वर्गीस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म नं.004525एस

के.बेजी जोर्ज, आई आर टी एस
अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक
[डिन: 08419099]

डॉ.गीता शर्मा
निदेशक (वित्त)
[डिन: 08225251]

संतोष चेरियान.सी.
उपाध्यक्ष (वित्त) & सी एफ ओ
[एफ सी ए : 049893]

जयकृष्णन.ए.आर
कंपनी सचिव एवं
सह उपाध्यक्ष (सी ए एस)
[ए सी एस : 14328]

सी.ए. साम वर्गीस
साझेदार
सदस्यता सं. 216979

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 28.08.2021

ANNEXURE II - ADDITIONAL INFORMATION TO THE FINANCIAL STATEMENT 2020-2021

₹ lacs

Particulars	2020-21	2019-20
A.Value of imported (CIF)		
Raw Materials	2,440.61	2,593.00
Components and Spares	78.26	21.04
Capital Goods	-	43.38
Finished Products	0.63	13,671.77
Total	**2,519.50**	**16,329.19**
B.Expenditure in Foreign Currency		
Travelling	-	2.66
Service Charges	17.28	44.14
Sales Promotion Expenses	238.35	14.62
Freight and clearing expenses	85.93	368.58
Interest and other Charges	42.10	–
Total	**383.66**	**430.01**
C.Earnings in Foreign Exchange		
ExportSales/Sample (FOB Value)	7,996.39	9,476.52
Freight & Insurance	577.49	943.30
Total	**8,573.88**	**10,419.82**
D.Remuneration to Functional Directors		
Salary	118.01	102.56
P.F.Contribution	10.15	7.71
CPS Contribution	1.34	1.25
Perquisites	11.06	7.72
Total	**140.56**	**119.25**

The Gratuity & Earned Leave liabilities are funded through Group Schemes with LIC of India. As such the premium is not ascertainable on individual basis and hence not included

For and on behalf of the Board of Directors

Vide our report of even date attached
For K. Varghese & Co
Chartered Accountants
Firm No. 004525S

K.Beji George IRTS
Chairman &
Managing Director
[DIN: 08419099]

Dr.Geeta Sharma
Director (F)
[DIN:08225251]

Santhosh Cherian.C
SVP(F) i/c & CFO
[FCA:049893]

Jaikrishnan A.R
CS & AVP (CAS)
[ACS:14328]

CA. Sam Varghese
Partner
Membership No:216979
UDIN: 21216979AAAAHL7595

Place : Thiruvananthapuram
Date : 28.09.2021

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के सदस्यों को

संशोधित समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

प्रतिबंध राय

हमने **एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड** ("धारण कंपनी"), इसकी समनुषंगियों (धारण कंपनी और उसकी समनुषंगी दोनों को एक साथ ग्रूप के रूप में संदर्भित) इसके संयुक्त उद्यम के संलग्न समेकित वित्तीय विवरण की लेखपरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2021 तक के समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित) का विवरण, समेकित नकदी प्रवाह विवरण, उसी तारीख पर समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण और समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ, सार्थक लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना का सारांश (बाद में समेकित भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित) समाविष्ट हैं।

हमारी राय में तथा हमारी उत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रतिबंध विचार के नीचे अनुच्छेद के आधार में वर्णित इस मामले के संभाव्य प्रभाव को छोडकर, पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) द्वारा अपेक्षित सूचना जैसे अपेक्षित तरीके में देता है और अधिनियम की धारा 133 के अधीन परिंत कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के नियम यथा संशोधित (इंड एएस) और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धातों, 31 मार्च 2021 तक की ग्रूप के कार्यों की समेकित स्थिति में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उनकी समेकित लाभ, समेकित कुल व्यापक आय, इक्विटी में समेकित परिवर्तन एवं समेकित नकद प्रवाह निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप सही एवं उचित चित्र देता है:

प्रतिबंध राय के लिए आधार

क. नोट सं. 2.31 में बताए जैसे, कंपनी ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के लिए पारिप्पल्ली में एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण की ओर एक समझौता प्रारंभ किया था और उसको 21 अक्तूबर 2016 को ई एस आई सी को सौपा दिया। इस अनुबंध पर ईएसआईसी से रु. 12374 लाख की रकम देय है और 31 मार्च 2021 तक की व्यापार प्राप्तियों के अधीन दिखाया गया है। पूरी राशि 3 से अधिक वर्षों के लिए बकाया है और इसकेलिए ईएसआईसी से कोई पुष्टि उपलब्ध नहीं है, आगे ईएसआईसी ने रु. 9293 लाखों के लिए कंपनी पर दावा उठाया है। आगे यह मामला मध्यस्थता के अधीन है। हमारी राय में, उपर्युक्त तथ्यों के कारण, रु. 12374 लाख रकम की व्यापार प्राप्तियों के लिए लेखों में प्रावधान बनाया जाना चाहिए। यह रु. 12374 लाख की व्यापार प्राप्तियों के अधिविवरण, वर्ष के लिए लाभ का अधिविवरण और रु. 12374 लाख संचित हानि में परिणत हुआ है।

ख. गोवा एंटिबायोटिक्स और फामस्यिूटिकल्स लिमिटेड (जीएपीएल) , एक समनुषंगी के मामले में, कंपनी ने इंड ए एस -109 वित्तीय साधनों की अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रत्याशित क्रेडिट हानि को नहीं मापा है। प्रत्याशित क्रेडिट हानियाँ प्रतिबिंबित करने केलिए मापन करना अपेक्षित है।

(क) एक दोषरहित संभावित - भारित राशि जो संभावित परिणाोमों का मूल्यांकन करके निर्धारित किया जाता है।

(ख) धन का सामयिक मूल्य; और

(ग) पिछली घटनाओं, वर्तमान स्थितियों और भविष्य की आर्थिक स्थितियों के बारे में पूर्वानुमानों के बारे में रिपोर्टिंग स्थिति पर अनुचित लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध उचित और समर्थन योग्य जानकारी

ग. नोट सं. 2.44 में बताए जैसे, गोवा एंटिबायोटिक्स और फामस्यिूटिकल्स लिमिटेड (जीएपीएल) , एक समनुषंगी, के विषय में कंपनी ने मेसर्स गोवा खाद्य & फार्मा (पी) लिमिटेड के साथ विपणन व्यवस्थायें की थी। मध्यस्थ निर्णय के शर्तों के अनुसार पार्टी पर रु. 850 लाख की रकम कंपनी का बकाया है, जिसमें से रु. 413 लाख मूल दावा और रु. 437 लाख ब्याज की ओर है। कंपनी ने पूर्व वर्ष ब्याज रु. 265 लाख तक पहचान की थी और लेखा बही में अपेक्षित ऋण हानि के लिए समान भत्ता बनाया था। आगे , गोवा खाद्य & फार्मा (पी) लिमिटेड को रु. 17 लाख के जमा भी दिया था। अन्य दो पार्टियों मेसेर्स एमसी एंटरप्राइसस और माधुर फार्मा के मामले में, कंपनी ने क्रमशः रु. 55 लाख और रु, 15 लाख की बकाया रकम वसूल करने के लिए उनके विरुद्ध कंपनी अपील की। उपर्युक्त

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Members of HLL Lifecare Limited

Report on the Audit of Revised Consolidated Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of **HLL Lifecare Limited** ("the Holding Company"), its subsidiaries (the Holding Company and its subsidiaries together referred to as "the Group") its joint venture which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2021, the Consolidated Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Consolidated Cash Flow Statement, the Consolidated Statement of Changes in Equity for the year then ended on that date and notes to the consolidated financial statement, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the Consolidated Financial Statements")

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the possible effect of the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph below, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act")in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the consolidated state of affairs of the Group as at March 31, 2021, the consolidated profit, consolidated total comprehensive income, consolidated changes in equity and its consolidated cash flows for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

a. As stated in note no 2.31, the Company has entered into an agreement for the construction of a medical college at Paripally for Employees' State Insurance Corporation (ESIC) and handed over the same to ESIC on October 21, 2016. On this contract an amount of ₹ 12374 lakh is due from ESIC and shown under Trade Receivables as on March 31, 2021. The whole amount is outstanding for more than 3 years and there is no confirmation available from ESIC, further ESIC has raised a claim on the Company to extent of ₹ 9293 lakh. Further this case is under arbitration. In our opinion, due to the above mentioned facts, provision should have been created in the accounts for the Trade Receivables amounting to ₹ 12374 lakh. This has resulted in the overstatement of Trade Receivables by ₹ 12374 lakh, overstatement of profit for the year and overstatement of accumulated profit by ₹ 12374 lakh.

b. In case of Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited (GAPL), a subsidiary, the Company has not measured expected credit losses of financial assets as per requirements of IND-AS 109 Financial Instruments. Expected credit losses are required to measured to reflect

   (a) an unbiased and probability-weighted amount that is determined by evaluating a range of possible outcomes.

   (b) the time value of money; and

   (c) reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions.

c. As stated in note no 2.44-In the case of Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited (GAPL), a subsidiary, the Company had marketing arrangements with M/s Goa Food & Pharma (P) Limited. The party owes the Company an amount of ₹ 850 lakh as per the terms of Arbitration Award out of which ₹413 lakh is towards substantive claims and ₹437 lakh towards interest. The Company had recognized in the earlier year interest to the extent of ₹ 265 lakh and created equal allowance for expected credit loss in the books of accounts. Further a deposit had also been given to Goa Food & Pharma (P) Limited of ₹ 17 lakh. In case of two other parties M/s Emcee Enterprises and M/s Madhur Pharma, the Company has preferred an appeal against them for recovering dues amounting to ₹55 lakh and ₹ 15 lakh respectively. The above amounts are shown in debtors, however no allowance for expected credit loss is made for the dues. There is no information as

रकम देनदारों में दी गयी है, तथापि अपेक्षित ऋण हानि के लिए कोई भत्ता नहीं बनाया गया है। इन ऋणों के भुगतान के लिए पार्टियों की वित्तीय क्षमता के संबंध में कोई सूचना नहीं है। इसके फलस्वरूप लेखापरीक्षक यह निर्धारित करने में असमर्थ रहे कि इन बकाया के लिए लाभ और हानि में अपेक्षित क्रडिट हानि के लिए पूर्ण या आंशिक भत्ता दिया जाना चाहिए या नहीं।

कंपनी ने कई सरकारी विभागों के पास पडे रु. 19.50 लाख तक के बयाना राशि जमा करने की रिपोर्ट की है। इस में रु.13.10 तक की जमा 3 वर्ष से अधिक पुरानी हैं और इन जमा राशियों की वापसी के लिए पार्टियों की वित्तीय प्रतिबद्धता के संबंध कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। कंपनी ने इन देय राशियों के लिए प्रत्याशित ऋण हानि के लिए कोई भत्ता प्रदान नहीं किया है।

घ. नोट सं. 2.38 में बताए जैसे, एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेज लिमिटेड, एक समनुषंगी के मामले में, रु. 349 लाख की रकम को वेतन संशोधन के प्रावधान के संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपी ई) के दिशानिर्देशों द्वारा अपेक्षित जैसे सक्षम प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।

हम ने अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों (एस ए) के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा चलायी। उन मानकों के अधीन हमारे उत्तदायित्व हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण खंड की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तदायित्वों में आगे वर्णित किया गया है, हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ भारतीय लेखापरीक्षक संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए नैतिक कोड के अनुसार उसके अधीन बनाए गए अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अधीन समेकित वित्तीय विवरण के हमारी लेखापरीक्षक के लिए सुसंगत है, और हमने इन अपेक्षाओं और आईसीएआई के नैतिक कोड के अनुसार हमारे अन्य नैतिक उत्तदायित्वों को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी प्रतिबंध राय को एक आधार देने केलिए पर्याप्त एवं उचित है।

मामले का ज़ोर

हम ध्यान आकर्षित करते हैं कि

1. टिप्पणी सं. 9 चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ - एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के व्यापार प्राप्य रु. 1,83,667 लाख की रकम है जो पुष्टि , सुलह और अनुवर्ती समायोजन यदि कोई हो उसके अधीन है।

2. टिप्पणी सं. 2.32 चालू वित्तीय परिसंपत्तियों के अधीन दिखाए गए रु. 1232 लाख की रकम मेसर्स गुजरात आरोग्य सेवा (पी) लिमिटेड (जीएएससीएल) से और गुजरात मेडिकल सेवा निगम लिमिटेड (जीएमएससीएल) से व्यापार प्राप्तियों के रूप में दिखाये रु. 827 लाख वसूली से संबंधित है, हालांकि कंपनी को जीएमएससीएल से अग्रिम के रूप में रु. 1500 लाख प्राप्त हुआ है।

3. टिप्पणी 2.11 वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान, भारत सरकार को आपूर्ति के लिए उपयुक्त अंतिम मूल्यों पर अनिश्चितता से संबंधित है कि सरकार द्वारा अभी तक अधिसूचित किया जाना है और तदनुसार उसके प्रभाव भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरण में विचार नहीं किया गया है; और हालांकि सरकार ने कंपनी से रु. 587 लाख की सीमा तक मूल्यान्तर की वसूली की मांग की, कंपनी ने आपत्ति उठाई और उसको वित्तीय विवरणों में यह नहीं दिया गया है।

4. गोवा एंटिबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जीएपीएल) के संबंध में,

   क) गोवा एंटिबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के संबंध में, व्यापार प्राप्य, ज़मा, ऋण एवं अग्रिम और विविध लेनदारों के अधीन शेष पुष्टि/ सुलह और अनुवर्ती समायोजन यदि कोई हो के अधीन है।

   ख) कंपनी द्वारा सामना किए गये चलनिधि संकट के संबंध में , कर्मचारियों के वेतन से वसूल किए गए कई कर्मचारी वेतन अंश तुलन पत्र की तारीख के भुगतान के लिए बकाया रहे हैं। तुलन पत्र तारीख के भुगतान के लिए बकाया रहे कर्मचारी वेतन वसूली रु. 33 लाख तक है।

   ग) कंपनी ने कंपनी की बोर्ड बैठक में अनुमोदित की जा रही प्रोत्साहन रकम के बिना रु. 15 लाख तक कर्मचारी प्रोत्साहन के लिए खर्च को मान्यता दी है।

   घ) कंपनी ने लेखापरीक्षा के अधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कोई लेखापरीक्षा समिति बैठक आयोजित नहीं की है।

   ङ) कपनी ने आंध्र प्रदेश चिकित्सा सेवा और अवसंरचना विकास कॉर्पोरेशन (एपीएमएसआईडीसी) और तेलंगाना राज्य चिकित्सा सेवा और अवसंरचना विकास कॉर्पोरेशन (टीएसएमआईडीसी) के साथ आपूर्ति अनुबंधों की ओर प्रवेश किया। कंपनी के ये

regards the financial ability of the parties for payments of these debts. As a result auditors were unable to determine whether full or partial allowance for expected credit loss should have been made in the Profit and Loss Account for these dues.

The company reports Earnest Money Deposit lying with several government departments to the tune of ₹ 19.50 lakh. Out of this, deposits to the tune of ₹ 13.10 lakh are outstanding for more than 3 years old and no information is available as regards financial commitment of the parties for refund of these deposits. Company has not provided any allowance for expected credit loss for these dues.

d. As stated in Note No.2.38 In case of HLL Infra Tech Services Limited, a subsidiary, regarding provision of pay Revision amounting to ₹349 Lakh for which approvals from competent authorities as required by department of Public Enterprises (DPE) guidelines has not been received.

We conducted our audit of the consolidated financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under Section 143 (10) of the Act. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the audit of the Consolidated Financial Statements section of our report accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements under the provisions of the Act and Rules made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion on the consolidated financial statements.

Emphasis of Matter

We draw attention to:

1. Note 9- Current Financial Assets- Trade Receivables of HLL Lifecare Ltd amounts to ₹1,83,667 lakhs which are subject to confirmation, reconciliation and consequent adjustments if any.

2. Note 2.32 regarding recoverability of dues from M/s Gujarat Arogya Seva (P) Limited (GASPL) amounting to ₹ 1232 lakh shown under Current Financial Assets and ₹ 827 lakh shown as trade receivable from Gujarat Medical Services Corporation Limited (GMSCL), though company has received ₹ 1500 lakh as advance from GMSCL.

3. Note 2.11 regarding the uncertainty on final prices applicable for supplies to Government of India during the year 2019-20 and 2020-21, as the same is yet to be notified by the Government and accordingly the effect of the same has not been considered in the Financial Statements; and in respect of supplies for the previous years, though the Government has sought recovery of price difference from the Company to the extent of ₹ 587 lakh, the Company has raised objections and has not provided for the same in the Financial Statements.

4. As regard to the Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited (GAPL):

   a) Balances under trade receivables, deposits, loans and advances and sundry creditors which are subject to confirmation/reconciliation and consequent adjustment if any.

   b) Regarding due to liquidity crisis faced by the company, several employee salary elements recovered from employee salary are outstanding for payment as on the balance sheet date. Employee salary recoveries outstanding for payment as on balance sheet date stand to the tune of ₹ 33 lakh.

   c) Company has recognized expenses towards employee incentive to the tune of ₹ 15 lakh without the incentive amount being approved in the board meeting of the company.

   d) Company has not held any audit committee meetings during the financial year under audit.

   e) Company has entered into supply contracts with Andhra Pradesh Medical Services and Infrastructure Development Corporation (APMSIDC) and Telangana State Medical Services and Infrastructure Development Corporation (TSMIDC). These customers of the company do not provide invoice details for

ग्राहक, ग्राहक द्वारा प्रदत्त किए गए भुगतानों के लिए बीजक विवरण प्रदान नहीं करते हैं। इसके अलावा ग्राहक लेट डिलीवरी चार्ज, एक्सपायर्ड स्टॉक आदि की राशि भी काट लेती हैं, जिसके विवरण उपलब्ध नहीं है। इस तरह के शुल्कों पर ग्राहक द्वारा समायोजित पुरानी राशि की बहुत प्रबल संभावना है और अतः अब वसूली योग्य नहीं है। ये देनदार शेष, राशि उस सीमा तक बढा दिया जाना चाहिए लेकिन यह अनिश्चित है।

5. मेसर्स मातृ एवं शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड के संबंध में :-

क) टिप्पणी सं. 2.45 वर्ष के लिए लेखांकन नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के संबंध में और पिछले वर्ष पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में रिपोर्टिंग उस बात पर जोर देती है कि मातृ एवं शिशु रक्षा अस्पताल परियोजना जिस के लिए एस पी वी की स्थापना की गई उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सका, तदनुसार इस मुद्दे पर कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा चर्चा की गई और यह निर्णय लिया गया कि एक गैर - परिचालन कंपनी को बनाए रखने के लिए प्रशासनिक लागत, कानूनी अनुपालन लागत और अन्य आकस्मिक लागतों की आवश्यकता होगी। तदनुसार , बोर्ड ने कंपनी सचिव - एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड को दिनांक 22.03.2019 की बोर्ड बैठक में एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड के परामर्श से एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड के साथ एचएमसीसीएचएल का विलय या एचएमसीसीएचएल को समाप्त करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी।

तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 & 2020 -21 के वित्तीय विवरण के लिए खातों को यह मानते हुए तैयार किया गया है कि वित्तीय विवरण का लाभकारी संस्था की धारणा विद्यमान नहीं है। इसके अलावा रु. 278.08 लाख के सभी पूर्व संचालन व्यय और रु. 0.28 लाख के प्रारंभिक व्यय वित्तीय वर्ष के दौरान ही बट्टे खाते में डाले गए थे। 31.03.2020 को रु. 109.70 लाख की अप्रतिभूत ऋणों से युक्त देयताएं थीं और 203.19 लाख की अन्य देयताएं मुख्य रूप से एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड और हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोन्नमन न्यास को देय हैं। इस में रु. 3. 31 लाख के प्राप्य, रु. 9.37 लाख की अन्य चालू परिसंपत्तियां और 0.47 लाख की नकद और बैंक शेष थे और कोई अचल परिसंपत्ति नहीं थी। मातृ एवं शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड की बही में रु. 309.55 लाख की संचित हानि (ऋणात्मक आरक्षित अधिशेष) था।

ख) वर्ष के लिए लेखांकन नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के संबंध में टिप्पणी सं. 2.42 को ध्यान में रखते हुए कहा कि :

I. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, मातृ एवं शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड की बही में हिदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोन्नमन न्यास की ओर से रु. 297.08 लाख की कुल देय देयता रकम एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड द्वारा लिया गया है। 22 मार्च 2019 को आयोजित एचएलएफपीपीटी की 99 वीं बोर्ड बैठक में पहले ही इस समझौते की सहमति थी।

II. इसके अलावा विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अपने धारण कंपनी यानी एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के साथ विलय करने के बजाय, कंपनियों के रजिस्ट्रार का रिकॉर्ड से कंपनी का नाम हटाने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 और अन्य लागू प्रावधानों के अधीन कंपनी को बंद करने केलिए 22 आगस्त 2020 को आयोजित कंपनी की 10 वीं बोर्ड बैठक में एक विकल्प प्रस्ताव पेश किया गया था।

III. इसके अलावा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, 31.03.2021 तक एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड को देय (हिन्दुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोन्नमन न्यास की देयताएं सहित, इसके द्वारा लिया गया) रु. 313.05 लाख बकाया देयाताएं छुट पत्र करने के लिए धारण कंपनी यानी एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के साथ अनुरोध किया गया। एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड का निदेशक मंडल एचएलएल मातृ एवं शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड को बंद करने के लिए प्रस्ताव सहित एमसीएच परियोजना का जारी न रखनेवाले विभिन्न कारकों के बारे में अवगत कराया गया, बोर्ड ने एचएलएफपीपीटी को कंपनी द्वारा देय देयताएं लेने के लिए और उसके बाद उसे छुट करने का अनुमोदन दिया।

iv) इसके अलावा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 (2) के प्रावधान के अनुपालन करने के लिए और 22 अगस्त, 2020 को आयोजित 10वीं बोर्ड बैठक में चर्चा की गई वैकल्पिक प्रस्ताव को निष्पादित करना। । उत्तर प्रदेश महा निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से प्राप्य रु. 3.51 लाख जीएसटी इनपुट क्रेडिटरु. 3.96 लाख और अप्रयुक्त टीडीएस रु. 5.50 लाख को वित्तीय वर्ष 2020 -21 के दौरान ही बट्टे खाते में डाले गए हैं।

ग) खातों में उसी की ओर खर्च और पेशेवर शुल्क समाप्त करने का प्रावधान नहीं किया गया है तदनुसार कंपनी को एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड से जब यह उलपन्न होता है, पूरा करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

घ) कंपनी और धारण कंपनी के संबंधित बोर्ड , कंपनी के शेयर धारकों और सभी अन्य अपेक्षित अनुमोदनों के अघीन है।

the payments remitted by the customer. Further, customers also deduct amounts towards Late Delivery Charges, Expired Stock, etc details of which are not available. There is very strong possibility of older balances adjusted by the customer on such charges and hence are no longer recoverable. These debtor balances could be over-stated to that extent but is unascertainable.

5. As regards to the Mother & Child Care Hospital Limited:

   a) Note no. 2.45 regarding the accounting policies & Notes on Accounts for the year and reporting in previous year audit report in emphasis matter to the effect that Mother & Child Care Hospitals Project could not serve the objective for which the SPV was set up, accordingly the issue was discussed by Board of Directors of Company and it was decided that maintaining a non-operating Company will necessitate incurring administrative cost, legal compliance cost and other incidental costs. Accordingly, the Board advised the Company Secretary-HLL Lifecare Ltd. to submit a proposal either merge HMCCHL with HLL Lifecare Limited or wind up HMCCHL in consultation with HLL Lifecare Limited in Board meeting dated 22.03.2019.

   Accordingly, the accounts for financial statements of F.Y. 2019-20 & 2020-21 have been drawn up assuming that the going concern assumption of the Financial Statements does not exist. Further, all pre-operative expenditure of ₹278.08 lakh and preliminary expenditure of ₹ 0.28 lakh were written off during F.Y. 2019-20 itself. As on 31.03.2020, there were liabilities comprising of unsecured loans of ₹ 109.70 lakh and other liabilities of ₹ 203.19 lakh mainly payable to HLL Lifecare Limited and Hindustan Latex Family Planning Promotional Trust. There was a receivable of ₹ 3.51 lakh other current assets of ₹ 9.37 lakh and cash & bank balance of ₹ 0.47 lakh and no fixed assets. There was accumulated loss (negative Reserves Surplus) of ₹ 309.55 lakh in the books of HLL Mother and Child Care Hospital Limited.

   b) Further in view of point no. 2.42 of accounting policies & Notes on Accounts for the year, it is stated that:

      i) During the Financial Year 2020-21, total liabilities payable amounting to ₹297.08 lakh towards Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust in the books of HLL Mother & Child Care Hospitals Ltd have been taken by the HLL Lifecare Ltd. This arrangement was already agreed in 99th Board meeting of HLFPPT held on 22nd March 2019.

      ii) Further during the year under consideration, instead of merger of the Company with its holding Company namely HLL Lifecare Ltd, an alternative proposal was moved in 10th Board meeting of the Company held on 22nd August 2020 for Closure of the Company u/s 248 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 for removal of name of the Company from the record of Registrar of the Companies.

      iii) Further as per the information given and explanation furnished to us, a request was made with the holding Company namely to HLL Lifecare Ltd to waive off the outstanding liabilities ₹313.05 lakh (including liabilities of Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust taken over by it) due to HLL Lifecare Ltd as on 31.03.2021. The Board of Directors of HLL Lifecare Ltd were apprised about various factors causing the non-continuation of MCH project including proposal for closure of HLL Mother & Child Care Hospitals Limited, the Board has approved to take over the liabilities payable by the Company to HLFPPT and thereafter waiver of the same.

      iv) Further, as per the information given and explanation furnished to us, to comply with the provision of Sec. 248(2) of the Companies Act, 2013 and to execute the alternative proposal discussed in the 10th Board meeting held on 22nd August, 2020. Receivable from the Director General Medical & Health, Uttar Pradesh of ₹ 3.51 lakh GST input credit of ₹ 3.96 lakh and unconsumed TDS of ₹ 5.50 lakh have been written off during the FY 2020-21 itself.

   c) The provision for winding up expenses and professional fee towards the same has not been made in the accounts, accordingly the Company to seek approval from HLL Lifecare Ltd to meet out the same as and when it arise.

   d) Subject to necessary approvals from respective Boards of the Company and the holding Company, shareholders of the Company, and all other required approvals.

6. मेसर्स एचएलएल इंफ्रा टेक सर्वीसस लिमिटेड के संबंध में :-

क) व्याख्यात्मक/ स्पष्टीकरण टिप्पणी के नोट सं. 2.7 जो रु. 88.87 लाख की रकम अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि में जमा की जानेवाली सीएसआर से संबंधित है, क्यों कि कंपनी के पास सीएसआर की कोई चालू परियोजना नहीं है।

ख) व्याख्यात्मक/ स्पष्टीकरण टिप्पणी की नोट सं. 2.40 रु. 8499.44 लाख (लगभग) के जीएसटी इनपुट क्रेडिट से संबंधित है, जो कंपनी के जीएसटी 2 ए में प्रतिबिंबित कर रहा है, तथापि कंपनी द्वारा दावा नहीं किया गया है क्यों कि कंपनी यह दावा करने केलिए पात्र नहीं है।

ग) व्याख्यात्मक/ स्पष्टीकरण टिप्पणी के नोट सं. 2.41 परियोजना जुटाव अग्रिम और अल्पकालिक जमा पर ब्याज से संबंधित रु. 74.38 लाख (लगभग) की टीडीएस प्राप्य के दावा करने से संबंधित है, जो परियोजना निधि का हिस्सा है और कंपनी का आय नहीं है।

उक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामला

प्रमुख लेखापरीक्षा मामला,उन मामले हैं, हमारे पेशेवर निर्णय में, ये मामले वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। संपूर्ण रूप में समेकित वित्तीय विवरण के हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में इन मामलों को संबोधित किया गया, और उस पर हमारी राय सूचित करना, और हम इन मामलों पर अलग राय नहीं प्रदान करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त सूचना और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

नियंत्रण कंपनी के निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंधों सहित बोर्ड की रिपोर्ट, व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट अभिशासन और शेयरधारक की सूचना सहित जानकारी शामिल है लेकिन इस में समेकित वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

हमारी राय में समेकित वित्तीय विवरणों पर अन्य सूचना समाविष्ट नहीं है और हम उस पर किसी भी तरह के आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के सिलसिले में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी पढना है, और ऐसे करने में विचार करें कि समेकित वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी प्रत्यक्ष रूप में असंगत है या लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त ज्ञान या अन्यथा प्रत्यक्ष रूप से गलत प्रतीत होता है।

हम ने जो काम निष्पादित किया है उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि इसके अन्य जानकारी के प्रत्यक्ष रूप में अयथार्थ है, हमें इस तथ्य को रिपोर्ट करना अपेक्षित है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन और अभिशासन केलिए प्रभारित व्यक्तियों का उत्तरदायित्व

नियंत्रण कंपनी के निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में निर्दिष्ट मामलों केलिए उत्तरदायी है, जो वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत भारतीय लेखा मानकों और लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन, नकदी प्रवाह और कंपनी की इक्विटी परिवर्तन के सही और निष्पक्ष चित्र देता है। ग्रूप और उसका संयुक्त उद्यम में शामिल की गयी कंपनियों के संबंधित निदेशकों के मंडल ग्रूप और उसका संयुक्त उद्यम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए और धोखाधडी एवं अन्य अनियमिताओं को रोकने तथा पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का अनुरक्षण; उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोग; उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं अनुमान बनाना ; और समेकित भारतीय लेखापरीक्षा मानकों के समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुतीकरण केलिए संगत लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं संपूर्णता सुनिश्चित करने की ओर प्रभावी ढंग से संचालन कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिज़ाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार हैं, जो सही और निष्पक्ष चित्र देता है और धोखाधडी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण से मुक्त है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, ग्रूप और उसका संयुक्त उद्यम समाविष्ट कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल को लाभकारी संस्थान के रूप जारी रखने के लिए ग्रूप की क्षमता का आकलन करने के लिए, लाभकारी संस्थान से संबंधित मामले का प्रकटीकरण जैसे उपयुक्त है करना

6) As regard to the HLL Infra Tech Services Limited:

a) Note 2.7 of Explanatory/clarificatory notes regarding CSR to be deposited in fund specified in Schedule VII amounting to ₹ 88.87 lakh as the company does not have any ongoing projects of CSR.

b) Note 2.40 Explanatory / Clarification notes regarding GST Input Credit of ₹ 8499.44 Lakh (approx..) which is reflecting in GST2A of the Company. However, not claimed by the company as the company is no eligible to claim this.

c) Note 2.41 of Explanatory / Clarification notes regarding claiming of TDS Receivable of ₹ 74.38 lakh (approx...) Pertaining to the interest on Project's mobilization advances and short-term deposit which is part of project funds and not income of the company.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

Key Audit Matter

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, where of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters where addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole; and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion in these matters.

Information Other than the Revised Consolidated Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The holding Company's Board of Directors are responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexures to Board's Report, Business Responsibility Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the Consolidated Financial Statements and our Auditor's Report thereon.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated Financial Statements, or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

The Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexures to Board's Report, Business Responsibility Report and Corporate Governance is not made available to us as at the date of this auditor's report. We have nothing to report in this regard.

Responsibility of Management and Those Charged with Governance for the Revised Consolidated Financial Statements

The Holding Company's Board of Directors are responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the consolidated Financial position, consolidated Financial Performance including consolidated total Comprehensive Income ,consolidated Cash Flows and the consolidated Statement of Changes in Equity of the Group and its joint venture in accordance with the Ind AS and other accounting principles generally accepted in India. The respective Board of Directors of the companies included in the Group and its joint venture are responsible for maintenance of the adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Group and of its joint venture and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial control, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

और लेखांकन के आधार पर लाभकारी संस्थान के उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक प्रबंधन या तो समूह को समाप्त करने या प्रचालन रोकने का इरादा रखता है, या ऐसे करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

ग्रूप और उसके संयुक्त उद्यम में समाविष्ट कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख करने केलिए जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा लक्ष्य है, धोखाधडी या गलती के कारण, समेकित वित्तीय विवरण संपूर्ण रूप से प्रमुख गलत विवरण से मुक्त होने के बारे में, उचित आश्वासन प्राप्त करना, और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षा हमेशा एक प्रमुख गलत विवरण की खोज करेगी, जब यह मौजूद है। अयथार्थ विवरण धोखाधडी या गलती से उत्पन्न हो सकता है और यदि एकल या कुल में यह महत्वपूर्ण तब माना जाता है, जब वे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित अपेक्षा की जायेगी।

एसएएस के अनुसार लेखापरीक्षा के हिंस्से के रूप में, हमने पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय लिया है और व्यावसायिक संदेहवाद का अनुरक्षण किया है। हम भी :

- समेकित वित्तीय विवरणों के मुख्य अयथार्थ विवरण की जोखिमों को पहचान करना और आकलन करना, यदि धोखाधडी या गलती के कारण; उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन एवं प्रदर्शन करना; और लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उचित है। धोखाधडी से उत्पन्न एक मुख्य अयथार्थ विवरण का पता नहीं लगाने की जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले से अधिक है, चूँकि धोखाधडी में गुप्त षडयंत्र, जालसाजी, जानबूझकर चूक, बकवास या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हैं।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के सिलसिले में लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थिति के लिए उचित है। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अधीन, हम अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी है, यदि धारण कंपनी को पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन में प्रभावशीलता है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन आकलन का औचित्य एवं प्रबंधन द्वारा बनाये गये संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के चालू समुत्थान के प्रबंधन के प्रयोग की उपयुक्तता पर नतीजा और, प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर, यदि घटना या शर्तों से संबंधित कोई प्रत्यक्ष अनिश्चितता मौजूद है, जो एक चालू समुत्थान के रूप में आगे जाने केलिए ग्रूप और उसका संयुक्त उद्यम की क्षमता पर एक महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकता है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक प्रमुख अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण की हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट पर ध्यान देना अपेक्षित है या, यदि ऐसी प्रकटीकरण अपर्याप्त है, तो हमारी राय को संशोधित करना है। हमारा निष्कर्ष, हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर है। तथापि, भविष्य की घटना या शर्त कंपनी को एक चालू समुत्थान के रूप में आगे जाने में नुक्सान होने का कारण बन सकता है।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और सामग्री का मूल्याकन करना, और यदि समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरीके से प्रतिनिधान करते हैं जो उचित प्रतिपादन हासिल करता है।
- समेकित वित्तीय विवरण पर राय व्यक्त करने केलिए ग्रूप और उसका संयुक्त जोखिम के अंतर्गत संस्थानओं या व्यावसायिक कार्याकलापों की वित्तीय सूचना के बारे में पर्याप्त उचित लेखपरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरण में समाविष्ट ऐसे संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखपरीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार है, जिनकेलिए हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरण में समाविष्ट अन्य संस्थाओं केलिए, जिनको अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा किये गये हैं, इस तरह के अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखपरीक्षा के पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार बन रहे हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं।

In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Board of Directors of the companies included in the Group and of its joint venture are responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of companies included in the Group and of its joint venture are also responsible for overseeing the financial reporting process of the Group.

Auditor's Responsibility for the Audit of Revised Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance,but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we have exercised professional judgment and maintained professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error; design and perform audit procedures responsive to those risks; and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal financial control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Holding Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group and of its joint venture to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group and its joint venture to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group and its joint venture to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of such entities included in the consolidated financial statements for which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audit carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

प्रत्यक्षता समेकित वित्तीय विवरणों के गलत विवरण का परिमाण है, जो एकल या कुल में, इसे संभावित बनाता है, जो वित्तीय विवरण के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय पर प्रभावित कर सकता है। हम मात्रात्मक प्रमुखता और गुणवत्ता घटक (i) हमारे लेखापरीक्षा काम के कार्यक्षेत्र का नियोजन और हमारे काम के परिणाम के मूल्यांकन; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचान किये गये किसी गलत विवरण के प्रभाव के मूल्यांकन, पर विचार करते हैं।

हम, आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमी सहित नियोजित कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा का समय निर्धारण और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम, अन्य मामलों, जो हम लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं, के संबंध में उच्च प्रबंधन को सूचित करते हैं।

हम उच्च प्रबंधन को भी विवरण सहित सूचित करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित संगत नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और हमारी स्वतंत्रता पर आने वाले सभी संबंधों एवं अन्य मामलों के बारे में उनको सूचित किया है और जहाँ संबंधित सुरक्षा उपाय लागू हो।

उच्च प्रबंधन के साथ संसूचित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जिनका चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा में अत्यधिक महत्व था और इसलिए ये मुख्य लेखापरीक्षा मामला हैं। हम इन मामलों को अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में निर्धारित करते हैं जब तक विधि या विनियम इस मामले के संबंध में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम निर्धारित करते हैं कि यह मामला हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में संसूचित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कार्य के दुष्परिणाम ऐसी संसूचना के सार्वजनिक हित के लाभ को उचित रूप से महत्व देने की अपेक्षा की जायेगी।

अन्य मामले

(क) हम ने 3 समनुषंगियों से संबंधित वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की, जिसके वित्तीय विवरण में - 31 मार्च 2021 तक रु. 395696 लाख की कुल परिसंपत्तियाँ शामिल है, उसी तारीख पर समाप्त वर्ष के लिए रु. 29786 लाख की कुल राजस्व और रु. 859 लाख का निवल नकद प्रवाह और संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय सूचना, जो 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए रु. 66 लाख निवल लाभ का ग्रूप शेयर दर्शाता है ये वित्तीय विवरण और वित्तीय सूचना अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है, जिसका वित्तीय विवरण अन्य वित्तीय सूचना और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है। समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय, जहाँ तक कि उन समनुषंगियों और संयुक्त उद्यम के संबंध में शामिल रकम और प्रकटीकरण से संबंधित है और अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) के संबंध में हमारी रिपोर्ट, जहाँ तक कि यह उपर्युक्त समनुषंगियों और संयुक्त उद्यम से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. पूर्वोक्त जैसे हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143(5) में अपेक्षित जैसे, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सी & ए जी) द्वारा जारी किए गए निर्दोशों के आधार पर एक रिपोर्ट हम अनुबंध - ख में देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित जैसे, "अन्य मामला" पैरा में वर्णित जैसे समनुषंगी और संयुक्त उद्यम के अलग वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय जानकारी पर हमारी लेखापरीक्षा और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के विचार के आधार जिस सीमा तक लागू हो, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क) हमारे उत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी सूचना और स्पष्टीकरण हमने माँगा और प्राप्त हुए।

   (ख) हमारी राय में, अभी तक हमारी उन बहियों की परीक्षा और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से लगते हैं कि उपर्युक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानकों के वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित नियमानुसार अपेक्षित उचित लेखाबही बनायी रखी है।

   (ग) इस रिपोर्ट से संबंधित समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ एवं हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय की विवरण सहित) और समेकित नकद प्रवाह विवरण समेकित और इक्विटी में परिवर्तन के समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य के लिए अनुरक्षित संगत लेखाबहियों के साथ मेल खाता है।

   (घ) हमारी राय में, उपर्युक्त प्रतिबंध विचार पैरा के आधार में वर्णित इस मामले के प्रभाव को छोडकर, उपर्युक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, के साथ पठितअधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के साथ अनुपालन करते हैं।

Materiality is the magnitude of misstatements in the consolidated financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during the audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence and communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

a) We did not audit the financial statements and other financial information, in respect of 3 subsidiaries whose financial statements include total assets of ₹ 395696 lakh as at March 31, 2021, total revenues of ₹ 29786 lakh and net cash outflow of ₹ 859 lakh for the year ended on that date and financial statements and other financial information of joint venture which reflects Group's share of net loss of ₹ 66 lakh for the year ended March 31, 2021. These financial statements and other financial information have been audited by other auditors, whose financial statements, other financial information, and auditor's report have been furnished to us by the management. Our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries and joint venture, and our report in terms of sub-sections (3) of Section 143 of the Act, in so far as it relates to the aforesaid subsidiaries and joint venture, is based solely on the reports of such other auditors.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1) As required under section 143(5) of the Act, based on our audit as aforesaid, we give in the Annexure B, a report on the directions issued by the Comptroller and Auditor general of India (C&AG).

2) As required by section 143(3) of the Act, based on our audit and on the consideration of report of the other auditors on separate financial statements and the other financial information of subsidiaries and joint ventures, as referred in the 'Other Matters' paragraph, we report, to the extent applicable, that:

   a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit of the aforesaid Consolidated Financial Statements;
   b) In our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of the aforesaid Consolidated Financial Statements have been kept so far as it appears from our examination of those books and reports of the other auditors;
   c) The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Statement of Profit and Loss (including the Statement of Other Comprehensive income), the Consolidated Cash Flow Statement and Consolidated Statement of Changes in Equity dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account maintained for the purpose of preparation of the Consolidated Financial Statements;
   d) In our opinion, except for the effect of the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Companies (Indian Accounting standards) Rules, 2015, as amended.

(ङ) हमारी राय में, उपर्युक्त प्रतिबंध विचारों के आधार वर्णित मामलों का ग्रूप के कार्यकलाप में एक प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है।

(च) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गयी अधिसूचना सं जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 द्वारा, अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान नियंत्रण कंपनी केलिए लागू नहीं है और अन्य कंपनियों के मामले में, भारत में निगमित संयुक्त उद्यम और ग्रूप के संबंधित कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, 31 मार्च 2021 तक अधिनियम की धारा 164 (2) के शर्तों के अनुसार निदेशकों में से कोई भी निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाने से अयोग्य नहीं किया गया है।

(छ) नियंत्रण कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर अंतरूनी वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता एवं परिपालन प्रभावशीलता, भारत में निगमित इसकी समनुषंगियों और संयुक्त उद्यम के संबंध में, इस रिपोर्ट के "अनुबंध - क" में हमारी रिपोर्ट का संदर्भ करें।

(ज) हमारी राय और हमारे उत्तम सूचना और हमें दिये स्पष्टीकरण के अनुसार और अलग वित्तीय विवरण पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के विचार करने के आधार पर और समनुषंगियों और संयुक्त उद्यम के अन्य वित्तीय सूचना, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अन्य मामलों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना है, पैराग्राफ "अन्य मामलें" में नोट किये जैसे है:

i) समेकित वित्तीय विवरण, ग्रूप और संयुक्त उद्यम की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमा के प्रभाव को प्रकट करता है - समेकित वित्तीय विवरण का नोट 33 देखें।

ii) प्रतिबंध राय के उपर्युक्त पैरा के आधार में वर्णित मामलों के प्रभाव को छोडकर, लागू कानून या लेखांकन मानकों के अधीन व्युत्पन्न ठेके सहित दीर्घकालीन ठेके पर अपेक्षित जैसे यदि कोई प्रत्यक्ष संभावित नुकसान की ओर समेकित वित्तीय विवरणों में प्रवधान किया गया है।

i) 31 मार्च, 2021 समाप्त वर्ष के दौरान भारत में निगमित धारण कंपनी अपने समनुषंगी और संयुक्त उद्यम द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि की ओर अंतरित किए जाने के लिए अपेक्षित रकम को अंतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है।

3. भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियों के आधार पर, परिवर्धन/संशोधन किए गए हैं । हम संलग्नक ग में उक्त परिवर्धन/संशोधन का विवरण देते हैं, जिसे पूरा किया गया है ।

कृते के वर्गीस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 004525एस)

साम वर्गीस
साझेदार
(सदस्यता सं. 216979)

तिरुवनंतपुरम
सितंबर 28, 2021
युडीआईएन: 21216979एएएएएचएम8676

e) The matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, may have an adverse effect on the functioning of the Group;

f) Vide notification No GSR 463(E) issued by the Ministry of Corporate Affairs dated June 5,2015, provisions of Section 164(2) of the Act, are not applicable to the Holding Company and in case of other Companies, on the basis of report of the statutory auditors of the respective Companies of the Group and joint venture incorporated in India, none of the directors is disqualified as on March 31,2021 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Act;

g) With respect to the adequacy and the operating effectiveness of the internal financial control over financial reporting of the Holding Company, its subsidiaries and joint venture incorporated in India, refer to our report in “Annexure A” to this report.

h) As per notification number G.S.R 463 (E) dated 5th June 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Sec 197 of the Act regarding remuneration to directors is not applicable to the Holding Company and its subsidiaries, since they are government Companies.

i) With respect to the other matters to be included in the Auditor’s Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the report of the other auditors on separate financial statement as also the other financial information of the subsidiaries and joint venture, as noted in the “Other Matter” paragraph:

   i) The consolidated financial statements disclose the impact of pending litigations on its consolidated financial position of the Group and joint venture-Refer Note 33 to the Consolidated Financial Statements;

   ii) Except for the effect of the matters described in the Basis of Qualified Opinion paragraph above, Provision has been made in the Consolidated Financial Statements, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts; and

   iii) There were no amount which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Holding Company its subsidiaries and joint venture incorporated in India during the year ended March 31, 2021.

3. Based on the observation of the Comptroller and Auditor General of India, additions/revisions have been carried out. We give in the Annexure C, the statement of said addition/revision which has been carried out.

For K. VARGHESE & Co.
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 004525S)

Sam Varghese
Partner
(Membership No. 216979)

Thiruvananthapuram
September 28,2021
UDIN: 21216979AAAAHM8676

अनुबंध 'क' स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
हमारी रिपोर्ट की द्वारा अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर
रिपोर्ट के अधीन पैरा 3 (जी) में संदर्भित

कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (1) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए और के रूप में एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के साथ मिलकर, हमने, उस तारीख तक के, **एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड (इसके बाद नियंत्रण कंपनी के रूप में संदर्भित),** इसकी समनुषंगियों और संयुक्त उद्यम, जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

नियंत्रण कंपनी और इसकी समनुषंगियों और संयुक्त उद्यम के संबंधित निदेशक मंडल, जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किये गये वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में प्रस्तावित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए नियंत्रण कंपनी द्वारा संस्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानक पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को संस्थापित और अनुरक्षण करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिकल्पना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है, जो, अधिनियम के अधीन अपेक्षित जैसे, कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधडी एवं त्रुटियों का निवारण एवं खोज, लेखा अभिलेखों का सटीकता एवं संपूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समयोचित तैयारी सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से संचालन किये गये।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर धारण कंपनी, उसकी समनुषंगी और संयुक्त उद्यम जो भारत में निगमित है, के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय प्रकट करना हमारा उत्तरदायित्व है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट भारत के सनदी लेखापरीक्षक संस्थान द्वारा जारी किये गये वित्तीय रिपोर्टिंग (मार्गनिर्देश नोट) मानकों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मार्गनिर्देश नोट के अनुसार उस हद तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू है, हमने अपनी लेखापरीक्षा की, दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किये गये। उन मानकों और मार्गनिर्देश नोट यह अपेक्षित करता है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और यदि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संस्थापित और अनुरक्षित किये गये और यदि ऐसे नियंत्रण सभी प्रत्यक्ष मामलों पर प्रभावी रूप से चालू किया गया है, संबंधी उचित आश्वासन प्राप्त करने की ओर लेखापरीक्षा का नियोजन और निष्पादित करना ।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उनके प्रचालन प्रभावकारिता की पर्याप्तता के संबंध में लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का निर्धारण करना है कि प्रत्यक्ष कमज़ोरी विद्यमान है, और डिज़ाइन की जाँच एवं मूल्यांकन करना और मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता का प्रचालन शामिल है। लेखापरीक्षकों के निर्णय के आधार पर प्रक्रियाओं का चयन किया गया, जिस में वित्तीय विवरणों के प्रत्यक्ष गलत बयान की जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधडी या गलती के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण और नीचे के अन्य मामला पैरा में संदर्भित अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त उनकी रिपोर्टों के अनुसार लेखापरीक्षा प्रमाण, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने को पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता से संबंधित पर्याप्त आश्वासन प्रदान करने और साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण की तैयारी करने की ओर, अभिकल्पित प्रक्रिया है। एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्नलिखित नीतियों और प्रक्रियायें शामिल हैं: (1) अभिलेखों के अनुरक्षण के संबंध में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और संचालन में सही एवं काफी उचित विवरण प्रतिबिंबित होते हैं। (2) उचित आश्वासन प्रदान

ANNEXURE 'A' TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT (REFERRED TO IN PARAGRAPH 2(G) UNDER 'REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS' SECTION OF OUR REPORT)

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

In conjunction with our audit of the Consolidated Financial Statements of HLL Lifecare Limited as of and for the year ended March 31, 2021, we have audited the internal financial controls over financial reporting of HLL Lifecare Limited (herein after referred to as "the Holding Company"), its subsidiaries and joint venture, which are companies incorporated in India, as of that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The respective Board of Directors of the Holding Company, its subsidiaries and joint venture which are companies incorporated in India, are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Holding Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the respective Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Holding Company its subsidiaries and joint venture, which are incorporated in India, on internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting, (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing as specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both issued by Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing whether a risk of material weakness exists, testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the other auditors in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records

करना है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए अनुमति देने की आवश्यकता के रूप में लेन-देन रिकोर्ड किये गये हैं, और केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार, कंपनी के प्राप्ति एवं खर्च किये जा रहे हैं। (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत अर्जन, उपयोग या प्रकृति के रोकथाम या समय पर खोज, से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसके वित्तीय विवरण पर प्रत्यक्ष प्रभाव होगा।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की निहित सीमायें

कूटसंधि या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन अधिरोहन की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की निहित सीमाओं के कारण, त्रुटि या धोखाधडी से प्रत्यक्ष गलत विवरण उत्पन्न हो सकता है और पता नहीं लिया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का अनुमान जोखिम के अधीन है कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो जायेगा या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

राय

हमारी राय में, हमारी सबंसे अच्छी जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के विचार करने के आधार पर, अन्य प्रतिबंध राय पैराग्रफ में संदर्भित जैसे, धारक कंपनी, इसकी समनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम, जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, सभी प्रत्यक्ष पहलुओं में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गनिर्देश नोट में दिये आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, धारक कंपनी, इसकी समनुषंगियों और संयुक्त नियंत्रित सत्ताओं, जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, द्वारा संस्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर, वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2021 तक प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे।

अन्य मामले

नियंत्रण कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और प्रचालन प्रभावकारिता की पर्याप्तता पर अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अधीन हमारे रिपोर्टों और के, जो पाँच समनुषंगियों और एक संयुक्त उद्यम, जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, से संबंधित है, भारत में निगमित ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षकों की समान रिपोर्टों पर आधारित है।

कृते के वर्गीस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 004525एस)

साम वर्गीस
साझेदार
(सदस्यता सं. 216979)

तिरुवनंतपुरम
सितंबर 28, 2021
युडीआईएन: 21216979एएएएएचएम8676

that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of reports of other auditors, as referred to in Other Matter paragraph, the Holding Company, its subsidiaries and joint venture, which are incorporated in India, have maintained in all material respect, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2021, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Holding Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

Our report under Section 143(3) (i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls over financial reporting of the Holding Company, in so far as it relates to separate financial statement of 5 subsidiaries and a joint venture, which are companies incorporated in India, is based on the corresponding reports of the auditors of such subsidiaries and joint venture incorporated in India.

For K. VARGHESE & Co.
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 004525S)

Sam Varghese
Partner
(Membership No. 216979)

Thiruvananthapuram
September 28,2021
UDIN: 21216979AAAAHM8676

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुबंध -ख

("अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट " के अधीन पैरा 1 में संदर्भित।)

होल्डिंग कंपनी, इसकी समनुषंगी कंपनियों और इसकी संयुक्त कंपनियों के लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के टिप्पणियों के आधार पर, इन कंपनियों पर लागू अधिनियम की धारा 143 (5) के प्रावधानों की सीमा तक, हम धारा 143 (5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर एक रिपोर्ट नीचे देते हैं।

क्र. सं	निर्देश	टिप्पणियाँ	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर प्रभाव
1	क्या कंपनी को आईटी सिस्टम के ज़रिए सभी लेखांकन लेनदेनों को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि है तो, वित्तीय संभावनाएँ सहित लेखों की संपूर्णता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेनों के संसाधन का निहितार्थ यदि कोई है तो स्पष्ट करें।	**1. एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड** कंपनी को आईटी सिस्टम के ज़रिए सभी लेखांकन लेनदेनों को संसाधित करने की उचित प्रणाली है। हमारी राय और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हमने आई टी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेनों के किसी संसाधनों पर ध्यान नहीं दिया है। **2. एचएलएल इंफ्रा टेक सर्वीसस लिमिटेड** सभी लेखांकन लेनदेन एसएपी लेखांकन सोफ्टवेयर के माध्यम से सांसाधित किए जाते हैं। प्रबंधन द्वारा समझाया गया और हमारे लेखापरीक्षा के दौरान हमें आई टी प्रणाली के बाहर कोई लेखांकन लेनदेन नहीं मिला है। **3. मातृ एवं शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड** हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आई टी सिस्टम (यानी टैली ईआरपी 9 लेखांकन सोफ्टवेयर के माध्यम से) के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन संसाधित करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण है। **4. गोवा एंटिबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड** कंपनी एसएपी ईआरपी पैकेज का उपयोग करके अपने लेनदेन के लिए लेखांकन कर रही है। सभी लेखांकन लेनदेन एकीकृत ईआरपी प्रणाली के माध्यम से संसाधित किया जाता है जो लेनदेन के सभी चरण प्रारंभ से लेकर पूरा होने तक रिकॉर्ड करता है।	शून्य
2	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा बनाए किसी विद्यमान ऋण का पुनर्गठन या उधार/ऋण/ब्याज आदि के छूट पत्र/बट्टू खाते में डालने के कोई मामला है? यदि हाँ तो वित्तीय प्रभाव बताएँ।	**1. एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड** हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, चालू वर्ष के दौरान किसी विद्यमान ऋण का पुनर्गठन या उधार/ऋण/ब्याज आदि के छूट पत्र/बट्टे खाते में डालने के कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं है। **2. एचएलएल इंफ्रा टेक सर्वीसस लिमिटेड** कंपनी के ऋण चुकाने की क्षमता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा किए गए किसी विद्यमान ऋण का पुनर्गठन या उधार/ऋण/ब्याज आदि के छूट पत्र/बट्टे खाते में डालने का मामला नहीं है।	

ANNEXURE B TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

(Referred to in Paragraph 1 under "Report on Other Legal and Regulatory Requirements")

Based on the comments in the auditor's reports of the Holding company, its subsidiaries and its Joint venture companies, to the extent provisions of sec 143(5) of the Act applicable to these companies, we give below a report on the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India in terms of the section 143(5)

Sl. No	Directions	Action Taken	Impact on standalone financial statements
1.	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	**1. HLL Lifecare Limited** The Company has a proper system in place (SAP) to process all the accounting transactions through IT system. In our opinion and according to the information and explanations provided to us, we haven't noticed any processing of accounting transactions outside the IT system. Therefore, there are no implications on the integrity of the accounts. **2. HLL Infra Tech Services Limited** All the accounting transactions are processed through SAP Accounting Software. As explained by management and during our audit we did not find any accounting transactions outside IT System. **3. HLL Mother & Child Care Hospitals Limited** According to the information and explanation given to us, the company has adequate internal control to process all the accounting transactions through IT system (i.e through tally ERP 9 accounting software) **4. Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited** The Company is accounting for its transactions using the SAP ERP package. All the accounting transactions are processed through the integrated ERP system which records all the phases of the transactions from inception to completion	NIL
2.	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts /loans/interest etc. made by a lender to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.	**1. HLL Lifecare Limited** According to the information and explanations given to us, there are no material cases of restructuring of any existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/ interest etc., during the current year. **2. HLL Infra Tech Services Limited** There is no restructuring of an existing loan or cases of waiver/writeoff of debts/loan/Interest etc. Made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan	

		3. मातृ एवं शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के ऋण चुकाने की क्षमता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा किए गए किसी विद्यमान ऋण का पुनर्गठन या उधार/ऋण/ब्याज आदि के छूट पत्र/बट्टे खाते में डालने का मामला नहीं है। **4. गोवा एंटिबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड** चालू वर्ष के दौरान किसी विद्यमान ऋण का पुनर्गठन या उधार/ऋण/ब्याज आदि के छूट पत्र/बट्टे खाते में डालने का मामला नहीं है।	शून्य
3	क्या केंद्रीय/राज्य अभिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि उसके निबंधन व शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखाबद्ध/उपयोग की गयी हैं? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।	1. एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्रीय/राज्य अभिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि उसके निबंधन व शर्तों के अनुसार दो मामलों के सिवा उचित रूप से परिकलित/उपयोग की गयी हैं। क. वर्ष 2016-17 के लिए निर्यात अवसंरचना और संबद्ध कार्यकलाप (एएसआईडीई) योजना के विकास के लिए राज्यों को समर्थन देने की ओर एचएलएल परिसर, नोएडा में चिकित्सा उपकरणों के लिए ईएमआई/ ईएमसी परीक्षण प्रयोगशाला की ओर रु.14 करोड का अनुदान प्राप्त हुआ था दिनांक 25 नवंबर 2016 की मंजूरी आदेश सं.13/21/ 2015 - एससी में उल्लेख किए खंड 6 के अनुसार यह कहा गया है कि कंपनी को जारी की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र, उपयोग के तुरंत बाद, लेकिन 31.03.2018 के पहले प्रस्तुत करना है। कंपनी ने उपर्युक्त उल्लिखित तारीख तक अनुदान का उपयोग नहीं किया है। कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2021 की पत्र सं. एचएलएल/बीएमई/ईएमआई-ईएमसी/ 19-20/5817 के अनुसार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को अस्थायी उपयोगिता प्रमाणपत्र और समय विस्तार अनुरोध प्रस्तुत किया है। ख) वर्ष 2018-19 की अवधि के लिए सहेली गोलियों के प्रोन्नमन की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से रु.5 करोड का अनुदान प्राप्त हुआ था। चालू वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा उपर्युक्त अनुदान का उपयोग नहीं किया गया। कंपनी ने दिनांक 07 जनवरी 2021 की पत्र सं एचएलएल/एमकेटीजी/ एसएमसी-सहेली अनुदान/20-21 के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए रु.5 करोड के उपयोग का विस्तार करने का अनुरोध किया है, जिसके लिए मंत्रालय से उत्तर की प्रतीक्षा में है। 2. एचएलएल इंफ्रा टेक सर्वीसस लिमिटेड कंपनी ने अपने निबंधन व शर्तों के अनुसार केंद्रीय/राज्य अभिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि उचित रूप से परिकलित /उपयोग की गयी हैं।	

		3. HLL Mother & Child Care Hospitals Limited According to the information and explanation given to us, there are no restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by lender to the company due to the company's inability to repay the loan. **4. Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited** There is no restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc during the year.	NIL
3.	Whether funds received/ receivable for specific schemes from central/state agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	1. HLL Lifecare Limited According to the information and explanations given to us, funds received by the Company for specific schemes from central/state agencies were properly accounted for/utilized as per its terms and conditions except for the two cases :- a) A Grant of ₹14 Crores was received for EMI/ EMC Testing lab for medical equipment's in HLL campus, Noida under Assistance to States for Developing Export Infrastructure and Allied Activities (ASIDE) Scheme for the year 2016-17. As per clause 6 mentioned in the Sanction Order No:13/21/2015-SC dated 25th November, 2016 wherein it is stated that the Company has to submit the utilization certificate for the amount released, immediately after utilization but not later than 31.3.2018.The Company has not utilized the Grant as on the above mentioned date. The company has submitted provisional utilization certificate and time extension request vide Letter No.HLL/BME/EMI-EMC/19-20/5817DATED 31ST March, 2021 to Ministry of Commerce & Industry. b) A Grant of ₹ 5 crore was received from Ministry of Health and Family Welfare for promotion of Saheli pills for the period 2018-19. The above grant was not utilised by HLL during the current year. The Company has vide Letter No. HLL/MKG CBD PMG/SAH/20-21- dated 07TH January,2021 requested the Ministry of Health and Family Welfare for extension of utilization of ₹ 5 Crores to FY 2020-21 for which the reply is awaited from the Ministry. 2. HLL Infra Tech Services Limited Company has properly accounted for/utilized funds received/receivable for specific schemes from central/ state agencies as per its terms and conditions	

3		3. मातृ एवं शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्रीय/राज्य अभिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य कोई धनराशि नहीं है। 4. गोवा एंटिबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड केंद्रीय/राज्य अभिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य किए जा रहे धनराशि का कोई मामला नहीं था।	शून्य

कृते के वर्गीस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 004525एस)

साम वर्गीस
साझेदार
(सदस्यता सं. 216979)

तिरुवनंतपुरम
सितंबर 28, 2021
युडीआईएन: 21216979एएएएएचएम8676

		3. **HLL Mother & Child Care Hospitals Limited** According to the information and explanation given to us, there are not any fund received/receivable for specific schemes from Central/State agencies 4. **Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited** There were no cases of funds being received / receivable by the Company for specific schemes from central/state agencies.	NIL

For K. VARGHESE & Co.
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 004525S)

Sam Varghese
Partner
(Membership No. 216979)

Thiruvananthapuram
September 28,2021
UDIN: 21216979AAAAHM8676

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुबंध -ग

"अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट " के अधीन पैरा 3 में संदर्भित।)

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियों के आधार पर निम्नलिखित परिवर्धन / संशोधन किए गये हैं:

लेखापरीक्षा रिपोर्ट में परिवर्धन/संशोधन :

1. एएस 705 (संशोधित) के अनुसार राय व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए कुछ अन्य जानकारी की अनुपलब्धता। स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के शीर्षक "संशोधित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा सूचना" देखें।
2. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3) के अधीन रिपोर्टिंग में संशोधन के संबध में कि वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करता है या नहीं। स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के "अन्य विधिक और नियामक अपेक्षा" शीर्षक के अधीन पैरा 2(घ) देखें।
3. सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 लागू नहीं है। स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के "अन्य विधिक और नियामक अपेक्षा" शीर्षक के अधीन पैरा 2(ज) देखें।
4. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम , 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में प्रकट मामलों में संशोधन। स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के "अन्य विधिक और नियामक अपेक्षा" शीर्षक के अधीन पैरा 2(झ) (iii) देखें।
5. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अधीन सी & ए जी के निर्देश के अनुसार खातों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधन। स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुबंध 'ख' देखें।

इंड एएस के प्रावधान के अनुपालन में दिए गए टिप्पणियों में निम्नलिखित अतिरिक्त टिप्पणी/संशोधन

क्रम सं	टिप्पणी सं	विषय
1	इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	वित्तीय विवरण के साथ जोडा गया वर्ष 2019-2020 के तुलनात्मक विवरण।
2	1.24	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में प्रदान की गई आकस्मिक परिसंपत्तियों के मान्यता पर लेखांकन नीति
3	1.24	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में प्रदान की गई आकस्मिक देयताओं के मान्यता पर लेखांकन नीति
4	2.29	ईसीजीसी दावे पर अतिरिक्त तथ्यों के साथ प्रदान की गई व्याख्यात्मक टिप्पणी
5	2.55	वित्तीय विवरणों के भाग बननेवाले व्याख्यात्मक टिप्पणी में प्रदान की गई बिक्री के लिए रखी गैर -चालू परिसंपत्ति पर प्रकटीकरण।
6	2.56	प्रदान किए गए अतिरिक्त प्रकटीकरण ।
7	3 & 2.34	टिप्पणियों के बीच असंतुलन सुधार किया गया है।
8	नकद प्रवाह विवरण	लेखांकन नीति के अनुरूप तैयार किया गया नकद प्रवाह विवरण
9	समेकित टिप्पणी	लेखों के लिए समेकन टिप्पणियाँ (समेकन के आधार और सिद्धांत) पहले छोडी गई और अब वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न है।
10	33	रु. 124 लाख तक कम की गयी आकस्मिक देयता
11	2.16	टंकण संबंधी त्रुटियों को सुधार किया गया है।

कृते के वर्गीस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 004525एस)

साम वर्गीस
साझेदार
(सदस्यता सं. 216979)

तिरुवनंतपुरम
सितंबर 28, 2021
युडीआईएन: 21216979एएएएजीएस 8676

ANNEXURE 'C' TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

(Referred to in Paragraph 3 under the heading of "Report on Other Legal and Regulatory Requirements") Based on the observations of the Comptroller and Auditor General of India, following additions / revisions have been carried out:

Additions/Revisions in the Audit report:

1. Non-availability of the certain other information for the purpose of expressing opinion in accordance with SA 705(Revised). Refer heading "Information other than Revised Standalone Financial Statements and Auditor's Report Thereon" of the Independent Auditors Report.
2. Amendment to the reporting under section 143(3) of the Companies Ac, 2013 regarding whether the financial statement comply with the Indian accounting standards. Refer paragraph 2(d) under the heading "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" of the Independent Auditors Report.
3. Non- applicability of sec 197 of the Companies Act, 2013 being a government company. Refer paragraph 2(h) under the heading "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" of the Independent Auditors Report.
4. Amendment to the matters disclosed in the auditor's report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rule, 2014. Refer Paragraph 2(i)(iii) under the heading "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" of the Independent Auditors Report.
5. Amendment to the Audit report on the accounts as per direction of C&AG under section 143(5) of the Companies Act, 2013. Refer Annexure 'B' to the Independent Auditors Report.

The following additional Notes / Modification to Notes given in compliance with provision of IND AS.

Sl.No	Note No:	Subject
1.	Statement of Changes in Equity	Comparative statement for the year 2019-20 added with Financial Statements.
2.	1.24	Accounting policy on disclosure of contingent assets provided as part of Financial Statements.
3.	1.24	Accounting policy on recognition of contingent liabilities provided as part of Financial Statements.
4.	2.29	Explanatory note provided with additional facts on ECGC claim.
5.	2.55	Disclosure on non-Current Asset held for sale provided in the explanatory note forming part of Financial Statements.
6.	2.56	Additional disclosure provided for.
7.	3&2.34	Mismatch between the notes is rectified.
8.	Cash Flow Statement	Cash flow statement prepared in line with accounting policy.
9.	Consolidation Notes	Consolidation Notes to accounts (basis and principles of consolidation) omitted earlier and now attached with financial statements.
10.	33	Contingent liability reduced by ₹124 lakhs.
11	2.16	Typographical errors rectified.

For K. VARGHESE & Co.
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 004525S)

Sam Varghese
Partner
(Membership No. 216979)

Thiruvananthapuram
September 28,2021
UDIN: 21216979AAAAHM8676

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
(स्वास्थ्य, कल्याण एवं ग्रामीण विकास)
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली- 110 002

सं. ए.एम.जी.1/पीडीए(एच डब्लियु & आर डी)पीएसयू/एचएलएल/86/2021-22/664 दिनांक 29.11.2021

सेवा में

श्री अध्यक्ष
एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
पूजप्पुरा पी.ओ,
तिरुवनंतपुरम -695012
केरल

विषयः भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143 (6) (ख), अनुच्छेद 129 (4) के अंतर्गत एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय खातों पर टिप्पणियाँ।

महोदय,

मुझे 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ इसके साथ संलग्न करने का निर्देश दिया गया है ।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

संलग्न : यथोपरि

(प्रवीण कुमार सक्सेना)
उप निदेशक
(ए.एम.जी.I)

दूरभाष : 91-11-23702254
फैक्स : 91-11-23702271

डीजीएसीआर,बिल्डिंग, आई.पी.एस्टेट,नई दिल्ली -110002
ई-मेल : pdahwrd@cag.gov.in

Office of the Principal Director of Audit
(Health, Welfare and Rural Development)
Indraprastha Estate, New Delhi – 110 002

No. AMG-1/PDA(HW & RD)/PSU/HLL/86/2021-22/664 Dated : 29.11.2021

To

The Chairman
HLL Life care Ltd.
Poojappura P.O
Thiruvananthapuram – 695012
Kerala

Sub : Comments of the Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6) (b) r.w section 129 (4) of companies Act 2013 on the Consolidated Financial Accounts of HLL Lifecare Limited for the year ended 31st March, 2021

Sir,

I have been directed to enclose herewith a Comments certificate of the Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6) (b) of companies Act 2013 on the Consolidated Financial Accounts of **HLL Lifecare Limited** for the year ended 31st March, 2021.

The receipt of the letter may kindly be acknowledged.

Encl : As above

Yours faithfully

(Praveen Kumar Saxena)
Deputy Director
(AMG-1)

Ph. : 91-1123702254
Fax : 91-1123702271

DGACR, Building, I.P.Estate, New Delhi – 110002
email : pdahwrd@cag.gov.in

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के 31 मार्च 2021 को
समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन निर्धारित समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षण पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने केलिए अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 139 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षकों उत्तरदायी है। यह कहा गया है कि यह उनके दिनांक 28 सितंबर 2021 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किए गए हैं।

मैं ने, भारत के नियंत्रक महा लेखापरीक्षक की तरफ से अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (क) के अधीन एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के 31 मार्च 2021 को समाप्त समेकित वित्तीय विवरण के अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित की है। हमने एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड, एचएलएच बायोटेक लिमिटेड, एचएलएल इन्फ्राटेक सर्वीसस लिमिटेड, एचएलएल मेडीपार्क लिमिटेड और गोवा एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण की अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित की है लेकिन उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए एचएलएल मातृ व शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की । आगे, निजी संस्था होने से लाइफ़स्प्रिंग अस्पताल (प्राइवट) लिमिटेड को उनके सांविधिक लेखापरीक्षा की नियुक्ति और पूरक लेखापरीक्षा के आयोजन करने के लिए अधिनियम की धारा 139(5) और 143(6) (क) लागू नहीं है। तदनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीखक ने इस कंपनी के लिए न तो सांविधिक लेखापरीक्षा की नियुक्ति की न ही पूरक लेखापरीक्षा का आयोजन किया है।

यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागज़ात की पहूँच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा सांविधिक लेखापरीक्षक की पूछताछ और कंपनी के कार्मिक तथा चयनात्मक परीक्षा के कुछ लेखांकन रिकोर्डों पर मुख्यतः सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं, अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (ख) के अधीन निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों, जो मेरे ध्यान में आये हैं, को हाइलाइट करना चाहता हूँ और जो वित्तीय विवरण और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए मेरे विचार आवश्यक हैं ।

क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

1.परिसंपत्तियाँ

चालू परिसंपत्तियाँ

व्यापार प्राप्य (टिप्पणी - 9) : ₹ 2,04,960.27 लाख

मेसर्स मेडिक्यूबा, क्यूबा को 2016 - 17 में गर्भनिरोधक उत्पादों की आपूर्ति के लिए कंपनी को 3.62 लाख यूरो (बीजक तारीख तक रु.268.12 लाख के समान) का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था। उक्त बीजक निर्यात श्रृण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के श्रृण बीमा के अधीन समावेष्टित किया गया था। कंपनी ने ईसीजीसी के साथ रु 268.12 लाख का दावा दर्ज कराया क्योंकि मेसर्स मेडिक्यूबा ने चालान की राशि का भुगतान नहीं किया। दावे की ओर, ईसीजीसी ने मेसर्स मेडिक्यूबा से वसूली योग्य रु 93.84 लाख को छोड़कर रु174.28 लाख का भुगतान किया। कानूनी कार्यवाही के दौरान, कंपनी और मेसर्स मेडिक्यूबा के बीच एक समझौता हुआ और 18 मार्च 2021 को एक समझौता किया गया। समझौते के अनुसार, मेसर्स मेडिक्यूबा, 31 मार्च 2021 तक कंपनी को रु 3.62 लाख यूरो की रकम का भुगतान करना था (रु 86.099 प्रति यूरो की रूपांतरण दर पर रु 311.96 लाख)। हालांकि समझौता 18 मार्च 2021 को किया गया था, लेकिन निपटान के प्रभाव को वैध बनाने के लिए लेखाबही में कोई लेखांकन नहीं किया गया था। मेसर्स मेडिक्यूबा ने 2.98 लाख यूरो, अप्रैल 2021 में सहमत समझौते का प्रमुख हिस्सा, का भुगतान किया था।

इंड एएस 10 के पैरा 8 - में कहा गया है कि एक इकाई को रिपोर्टिंग तिथि के बाद की घटनाओं के लिए अपने वित्तीय विवरणों को समायोजित

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) READ WITH SECTION 129 (4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF HLL LIFECARE LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31" MARCH 2021

The preparation of consolidated financial statements of HLL Lifecare Limited for the year ended 31st March 2021 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor/auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) read with section 129 (4) of the Act is/are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129 (4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 28th September 2021.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the consolidated financial statements of **HLL Lifecare Limited for the year ended 31 March 2021** under section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Act. We conducted a supplementary audit of the financial statements of HLL Lifecare Limited, HLL Biotech Limited, HLL Infratech Services Limited, HLL Medipark Limited and Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited but did not conduct supplementary audit of the financial statements of HLL Mother & Child Care Hospital Limited for the year ended on that date. **Further, section 139(5) and 143 (6) (a) of the Act are not applicable to Life-spring Hospitals (P) Limited being private entity, for appointment of their Statutory Auditor and for conduct of supplementary audit. Accordingly, Comptroller and Auditor General of India has neither appointed the Statutory Auditors nor conducted the supplementary audit of this company.**

This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) read with section 129(4) of the Act of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report:

Consolidated Financials statements:

A. Comments on Financial Position

1. Assets

Current Assets

Trade Receivables (Note-9): ₹2,04,960.27lakh

Company had not received payment of 3.62 lakh euros (equivalent ₹ 268.12 lakh as on invoice date) for the supply of contraceptive products in 2016-17 to M/s. Medicuba, Cuba. The said invoice was covered under credit insurance of Export Credit Guarantee Corporation (ECGC). Company lodged the claim with ECGC for ₹ 268.12 lakh as M/s Medicuba did not pay the invoiced amount. Against the claim, ECGC paid ₹ 174.28 lakh leaving ₹ 93.84 lakh as recoverable from M/s Medicuba. During legal proceedings, a settlement was arrived at between Company and M/s Medicuba and an agreement was executed on 18 March 2021. As per settlement, M/s Medicuba had to pay an amount of 3.62 lakh euros to the Company as on 31 March 2021 (₹ 311.96 lakh at conversion rate of ₹ 86.099 per euro). Though the settlement was reached on 18 March 2021, no accounting was made in the books to give effect impact of settlement reached. M/s Medicuba had paid 2.98 lakh euros, major part of agreed settlement in April 2021.

Para 8 of Ind AS-10 states that an entity should adjust its financial statements for events after the reporting date that provide further evidence of conditions that existed at the reporting date. Part receipt of payment

करना चाहिए, जो रिपोर्टिंग तिथि पर मौजूद स्थितियों के शर्तों का और सबूत प्रदान करते हैं। अप्रैल 2021 में भुगतान की आंशिक प्राप्ति (सहमति समझौते का 82 प्रतिशत) 'इंड एएस 10 के अनुसार समायोजन की घटना है, यह 31 मार्च 2021 की रिपोर्टिंग तिथि पर मौजूद शर्तों का और सबूत प्रदान करती है, यानी 3.62 लाख यूरो के भुगतान के लिए कंपनी और मेसर्स मेडिक्यूबा के बीच निपटान के लिए समझौता।

लेखाबही में निपटान के लिए समझौते के गैर लेखांकन के परिणामस्वरूप 'व्यापार प्राप्य' की न्यूनोक्ति ₹218.12 लाख (पहले से ही लेखाबही में प्राप्य ₹93.84 लाख को कम करके निपटान के अनुसार मेसर्स मेडिक्यूबा से वसूली योग्य राशि ₹311.96 लाख,) तक हुई। विदेशी मुद्रा लाभ के कारण गैर लेखांकन के लेखा पर वर्ष के लिए आय ₹43.84 लाख तक कम हुआ (31 मार्च 2021 को विनिमय दर पर ₹ 311.96 लाख की निपटान राशि घटाकर ₹ 268.12 लाख)। इसके अलावा, मेसर्स मेडिक्यूबा के साथ हुए समझौते के परिणामस्वरूप ईसीजीसी को वापस की जाने वाली राशि के लिए गैरप्रावधान के परिणामस्वरूप 'अन्य चालू वित्तीय देनदारियों में ₹174.28 लाख की कमी हुई।

इक्विटी और देयतायें

चालू देयतायें

अन्य वित्तीय देयताएं (टिप्पणी **21**): ₹ **1,24,698.72** लाख

कंपनी 2005 से 'कैप्टिव स्टेटस' के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को गर्भनिरोधक उत्पादों की आपूर्ति कर रही है। मंत्रालय ने कंपनी को पिछले वर्ष की न्यूनतम दर के आधार पर अनंतिम दर पर वर्ष की शुरुआत में आपूर्ति आदेश दिए और भुगतान दिए। इसके बाद, खुली निविदा के माध्यम से निर्धारित न्यूनतम दर को उसी वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा की गई आपूर्ति के लिए अंतिम दर के रूप में लागू किया जाता है। अनंतिम दर की तुलना में 2014-15 में की गई आपूर्ति के लिए कम दर को अंतिम रूप देने के कारण, मंत्रालय ने 2014-15 के दौरान आपूर्ति की गई प्रेगनेन्सी टेस्ट किट के संबंध में दर में अंतर के कारण कंपनी से ₹ 587 लाख की राशि की वसूली की मांग की (मार्च 2016)। तथापि, इंडएएस 37 के प्रावधानों के गैर अनुपालन पर, कंपनी ने कंपनी द्वारा की गई आपूर्ति पर सहमत व्यवस्था के अनुसार मंत्रालय द्वारा उठाई गई मांग के लिए कोई प्रावधान/देयता नहीं बनाया है। इसके बजाय, कंपनी ने 2014-15 में की गई आपूर्ति के लिए अंतिम दर की समीक्षा और संशोधन के लिए मंत्रालय के समक्ष लंबित अपने अभ्यावेदन के मद्देनजर वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में आकस्मिक देयताओं के तहत रकम दर्शायी थी।

मंत्रालय के प्रति दायित्व की गैरमान्यता के परिणामस्वरूप अन्य चालू वित्तीय देयताओं को ₹ 587 लाख की न्यूनोक्ति और वर्ष के लिए लाभ को उसी रकम की अत्युक्ति हुई है। तदनंतर, आकस्मिक देनदारियों में ₹ 587 लाख की अत्युक्ति भी हुई।

ख. स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ

उपरोक्त टिप्पणी क (1) और क (2) के प्रभाव और पैरा (क) पर प्राप्त 'प्रतिबंध राय के लिए आधार' के तहत स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर ₹.12,374 लाख तक व्यापार प्राप्तियों की अत्युक्ति और पैरा (ग) अपेक्षित श्रृण हानि के लिए गैर प्रावधान भत्ता रु.13.10 लाख पर विचार करते हुए, वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (₹ 9076.50 लाख), जैसा कि कंपनी के लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया गया है, ₹ 12,930.26 लाख की कमी और ₹ 3,853.76 लाख की हानि में बदल जाएगी। वर्ष के लिए कुल व्यापक आय 142.46 प्रतिशत से प्रभावित है। इसलिए, वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण एक 'सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण' प्रस्तुत नहीं करते हैं और स्वतंत्र लेखापरीक्षक की ओर से अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में यह आश्वासन देना उचित नहीं था कि वित्तीय विवरण ने एक 'सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण' प्रस्तुत किए हैं ।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की तरफ से
(अशोक सिन्हा)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(स्वास्थ्य कल्याण एवं ग्रामीण विकास)
नई दिल्ली

नई दिल्ली
तारीख : 29.11.2021

(82 per cent of agreed settlement) in April 2021 is an 'adjusting event' as per Ind AS-10 since it provides further evidence of conditions that existed at the reporting date of 31 March 2021 i.e. agreement for settlement between Company and M/s Medicuba for payment of 3.62 lakh euros.

Non accounting of agreement for settlement in the books has resulted in understatement of 'Trade Receivables' by ₹ 218.12 lakh (₹ 311.96 lakh being the amount recoverable from M/s Medicuba as per settlement less receivables of ₹ 93.84 lakh already in the books). Income for the year in understated by ₹ 43.84 lakh on account of non-accounting of foreign exchange gain (settlement amount of ₹ 311.96 lakh at exchange rate as on 31 March 2021 less ₹ 268.12 lakh). Further, non-provision for amount to be repaid back to ECGC consequent to settlement reached with M/s Medicuba has resulted in understatement of 'Other Current Financial Liabilities' by ₹ 174.28 lakh.

2. Equity and Liabilities

Current Liabilities

Other Financial Liabilities (Note-21): ₹ 1,24,698.72 lakh

Company has been supplying contraceptive products to the Ministry of Health &Family Welfare under the 'captive status' since 2005. The Ministry placed supply orders on the Company in beginning of the year at the provisional rate based on the lowest rate of the previous year and releases the payment. Subsequently, the lowest rate determined through open tender is made applicable as final rate for supplies made by the Company during the same financial year. Due to finalisation of lower rate for the supplies made in 2014-15 as compared to provisional rate, Ministry had sought (March 2016) recovery from Company amounting to ₹ 587 Lakh on account of difference in rate with respect to pregnancy test kits supplied during 2014-15. However in non-compliance to provisions of Ind AS 37, Company has not made any provision/liability for the demand raised by the Ministry in accordance with agreed arrangement on the supplies made by the Company. Instead Company had shown the amount under 'Contingent Liabilities' in the Notes to Financial Statements in view of its pending representation before the Ministry for review and revision of final rate for the supplies made in 2014-15.

Non recognition of liability to the Ministry has resulted in understatement of 'Other Current Financial Liabilities' by ₹ 587 lakh and overstatement of 'Profit for the year' by the same amount. Consequently 'Contingent Liabilities' is also overstated by ₹ 587 lakh.

B. Comment on Independent Auditor's Report

Considering the impact of comment A(1) and A(2) as above and comments made by the Independent Auditor in his audit report under 'Basis for Qualified Opinion' at Para (a) on overstatement of trade receivables by ₹ 12,374 lakh and Para (c) on non provision of allowance for expected credit loss amounting to ₹ 13.10 lakh, the total comprehensive income for the year (₹ 9,076.50 lakh) as depicted in statement of profit and loss of the Company would decrease by ₹ 12,930.26 lakh and turn into loss of ₹ 3,853.76 lakh. Total comprehensive income for the year is impacted by 142.46 per cent. Hence, the consolidated financial statements of the company for the year 2020-21 do not present a 'true and fair view' and it was not proper on the part of Independent Auditor to have provided an assurance in his audit report that the financial statements presented a 'true and fair view'.

For and on behalf of the Comptroller and Auditor General of India

(Ashok Sinha)
Principal Director of Audit
(Health, Welfare & Rural Development)
New Delhi

New Delhi
Date: 29.11.2021

31 मार्च, 2021 का समेकित तुलन-पत्र

विवरण			टिप्पणी सं	31.03.2021 को ₹ लाखों में	31.03.2020 को ₹ लाखों में	01.04.2019 को ₹ लाखों में
क	**परिसंपत्तियाँ**					
	गैर-चालू परिसंपत्तियाँ					
		संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3	25,310.92	28,463.79	32,459.55
		पूंजी कार्य में प्रगति	3	1,035.21	411.38	222.28
		गुडविल (समेकन पर)		601.93	601.93	601.93
		अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3	304.99	385.45	578.68
		परिसंपत्तियों के उपयोग करने का अधिकार (आर ओ यु)		2,669.40	2,928.05	-
		निवेश संपत्ति		311.96	323.95	-
				30,234.43	**33,114.55**	**33,862.44**
		वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
		i) इक्विटी विधि के अधीन हिसाब निवेश	4	156.66	222.19	184.78
		ii) अन्य निवेश	4	2.25	2.25	2.25
		iii) अन्य	5	166.48	454.83	469.41
		iv) आस्थगित कर परिसंत्तियाँ (निवल)	6	2,046.58	1,381.47	1,159.19
		अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ	7	5,465.67	4,192.16	2,817.56
				38,072.07	**39,367.44**	**38,495.63**
	चालू परिसंपत्तियाँ					
		वस्तुसुचियाँ	8	33,849.91	19,683.82	17,834.00
		वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
		i) व्यापार प्राप्तियाँ	9	2,04,960.27	1,02,447.00	84,604.81
		ii) नकद एवं नकद तुल्यांक	10. क	89,479.59	6,158.55	5,474.75
		iii) उपरोक्त (ii) के अलावा बैंक शेष	10. ख	119.82	197.80	15,845.57
		iv) ऋण	11	3,285.13	2,931.45	-
		v) अन्य	12	23,674.28	18,123.66	8,840.43
		अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	13	2,547.46	1,893.05	1,158.56
				3,57,916.46	**1,51,435.34**	**1,33,758.12**
		बिक्री के लिए रखी वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ	2.55	39.28	**29.14**	**28.33**
		कोन्ट्रा के अनुसार न्यास के अधीन पडी परियोजनाओं के रोकड़ व बैंक शेष	2.10	4,38,800.06	4,18,509.61	3,27,653.78
		कुल परिसंपत्तियाँ		**8,34,827.87**	**6,09,341.53**	**4,99,935.86**
ख	**इक्विटी व देयताएँ**					
	इक्विटी					
		इक्विटी शेयर पूँजी	14	1,553.50	1,553.50	1553.50
		अन्य इक्विटी	15	37,703.86	29,571.34	18,668.78
	सत्ता के मालिकों को देने योग्य इक्विटी			39,257.36	31,124.84	20,222.28
	गैर नियंत्रित ब्याज			12.66	161.55	306.81
	कुल इक्विटी			**39,270.01**	**31,286.40**	**20,529.09**
	देयताएँ					
	गैर - चालू देयताएँ					
		वित्तीय देयताएँ				
		i) उधार	16	2,443.19	4,650.04	6,466.01

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2021

	Particulars	Note No.	As at 31.03.2021 (₹ lacs)	As at 31.03.2020 (₹ lacs)	As at 01.04.2019 (₹ lacs)
A	**ASSETS**				
	Non-current assets				
	Property, Plant & Equipment	3	25,310.92	28,463.79	32,459.55
	Capital work-in-progress	3	1,035.21	411.38	222.28
	Goodwill (on consolidation)		601.93	601.93	601.93
	Other Intangible Assets	3	304.99	385.45	578.68
	Right of Use Assets (ROU)		2,669.40	2,928.05	-
	Investment Propoerty		311.96	323.95	-
			30,234.43	**33,114.55**	**33,862.44**
	Financial Assets				
	i) Investments Accounted under Equity Method	4	156.66	222.19	184.78
	ii) Other Investments	4	2.25	2.25	2.25
	iii) Others	5	166.48	454.83	469.41
	iv) Deffered tax asset (Net)	6	2,046.58	1,381.47	1,159.19
	Other Non Current Assets	7	5,465.67	4,192.16	2,817.56
			38,072.07	**39,367.44**	**38,495.63**
	Current assets				
	Inventories	8	33,849.91	19,683.82	17,834.00
	Financial Assets				
	i) Trade Receivables	9	2,04,960.27	1,02,447.00	84,604.81
	ii) Cash and cash equivalents	10.a	89,479.59	6,158.55	5,474.75
	iii) Bank balances other than (ii) above	10.b	119.82	197.80	15,845.57
	iv) Loans	11	3,285.13	2,931.45	-
	iv) Others	12	23,674.28	18,123.66	8,840.43
	Other current assets	13	2,547.46	1,893.05	1,158.56
			3,57,916.46	**1,51,435.34**	**1,33,758.12**
	Assets classified as held for sale	2.55	**39.28**	**29.14**	**28.33**
	Cash and Bank Balances of Projects Held under Trust as per contra	2.10	**4,38,800.06**	**4,18,509.61**	**3,27,653.78**
	TOTAL ASSETS		**8,34,827.87**	**6,09,341.53**	**4,99,935.86**
B	**EQUITY AND LIABILITIES**				
	Equity				
	Equity Share Capital	14	1,553.50	1,553.50	1553.50
	Other Equity	15	37,703.86	29,571.34	18,668.78
	Equity attributable to owners of the entity		**39,257.36**	**31,124.84**	**20,222.28**
	Non - Controlling interests		**12.66**	**161.55**	**306.81**
	Total Equity		**39,270.01**	**31,286.40**	**20,529.09**
	Liabilities				
	Non-current liabilities				
	Financial Liabilities				
	i) Borrowings	16	2,443.19	4,650.04	6,466.01

विवरण	टिप्पणी सं	31.03.2021 को ₹ लाखों में	31.03.2020 को ₹ लाखों में	01.04.2019 को ₹ लाखों में
ii) आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	6	-	-	-
दीर्घकालीन प्रावधान	17	757.18	654.70	80.84
अन्य गैर चालू देयताएँ	18	988.54	646.62	491.07
पट्टा देयता (आर ओ यु)	2.34	2,498.36	3,108.88	-
		6,687.27	**9,060.24**	**7,037.92**
चालू देयताएँ				
वित्तीय देयताएँ				
i) उधार	19	29,656.20	32,786.86	33,632.62
ii) देय व्यापार	20			
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए बकाया	20 क	1,150.78	2,253.95	1,377.08
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों के लिए बकाया	20 ख	1,83,881.94	65,874.14	58,016.28
iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	21	1,24,698.72	43,818.18	47,460.01
iv) पट्टा देयता (आर ओ यु)	2.34	193.13	234.39	-
प्रावधान	22	10,489.75	5,517.77	4,229.07
		3,50,070.53	**1,50,485.29**	**1,44,715.07**
बिक्री के लिए रखे वर्गीकृत परिसंपत्तियों से जुडे सीधी देयताएँ		-	-	-
कोन्ट्रा के अनुसार न्यास के अधीन पडी परियोजनाओं के लिए प्राप्त अग्रिम	2.10	**4,38,800.06**	**4,18,509.61**	**3,27,653.78**
कुल इक्विटी एवं देयताएँ		**8,34,827.87**	**6,09,341.53**	**4,99,935.86**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1			
वित्तीय विवरण के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ	2			

निदेशक मंडल की तरफ से

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है ।
कृते के.वर्गीस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म नं.004525एस

के.बेजी जोर्ज, आई आर टी एस
अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक
[डिन: 08419099]

डॉ.गीता शर्मा
निदेशक (वित्त)
[डिन: 08225251]

संतोष चेरियान.सी.
वरिष्ठ उपाध्यक्ष (वित्त) & सी एफ ओ
[एफ सी ए : 049893]

जयकृष्णन.ए.आर
कंपनी सचिव एवं
सह उपाध्यक्ष (सी ए एस)
[ए सी एस : 14328]

सी.ए. साम वर्गीस
साझेदार
सदस्यता सं. 216979

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 28.09.2021

यु डी आई एन : 21216979एएएएचएच8676

Particulars	Note No.	As at 31.03.2021 (₹ lacs)	As at 31.03.2020 (₹ lacs)	As at 01.04.2019 (₹ lacs)
ii) Deffered tax liabilities (Net)	6	-	-	-
Long Term Provisions	17	757.18	654.70	80.84
Other non current liabilities	18	988.54	646.62	491.07
Lease Liability (ROU)	2.34	2,498.36	3,108.88	-
		6,687.27	**9,060.24**	**7,037.92**
Current liabilities				
Financial Liabilities				
i) Borrowings	19	29,656.20	32,786.86	33,632.62
ii) Trade payables	20			
Outstanding to Micro and Small enterprises	20.a	1,150.78	2,253.95	1,377.08
Outstanding to creditors otherthan Micro and Small enterprises	20.b	1,83,881.94	65,874.14	58016.28
iii) Other financial liabilities	21	1,24,698.72	43,818.18	47,460.01
(iv)Lease Liability (ROU)	2.34	193.13	234.39	-
Provisions	22	10,489.75	5,517.77	4,229.07
		3,50,070.53	**1,50,485.29**	**1,44,715.07**
Liabilities directly associated with assets classified as held for sale		-	-	-
Advances Received for Projects Held under Trust as per contra	2.10	**4,38,800.06**	**4,18,509.61**	**3,27,653.78**
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES		**8,34,827.87**	**6,09,341.53**	**4,99,935.86**
Significant Accounting Policies	1			
Explanatory notes to Financial Statements	2			

For and on behalf of the Board of Directors

Vide our report of even date attached
For K. Varghese & Co
Chartered Accountants
Firm No. 004525S

K.Beji George IRTS
Chairman &
Managing Director
[DIN: 08419099]

Dr.Geeta Sharma
Director (F)
[DIN:08225251]

Santhosh Cherian.C
SVP(F) i/c & CFO
[FCA:049893]

Jaikrishnan A.R
CS & AVP (CAS)
[ACS:14328]

CA. Sam Varghese
Partner
Membership No:216979
UDIN: 21216979AAAAHM8676

Place : Thiruvananthapuram
Date : 28.09.2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

क. इक्विटी शेयर पूँजी ₹ लाखों में

1 अप्रैल, 2020 के प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2021 के अंत में शेष
1,553.50	0.00	1,553.50

ख. अन्य इक्विटी ₹ लाखों में

विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष					अन्य व्यापक आय	कुल
	लंबित शेयर आबंटन	लाभांश समकरण आरक्षिति	निगमित सामाजिक दायित्व आरक्षिति	सामान्य आरक्षण	प्रतिधारित अर्जन		
1 अप्रैल, 2019 तक के प्रारंभिक शेष	-	129.74	27.53	25,641.05	(7,523.50)		18,274.82
वर्ष के दौरान लाभ					11,113.75		11,113.75
अन्य व्यापक आय					(144.72)		(144.72)
कुल व्यापक आय					10,969.03		10,969.03
न्यून : अनियंत्रित ब्याज					(169.28)		(169.28)
खराब हानि					10.00		10.00
समायोजन/पूर्व अवधि मद				-	4.30		4.30
इस पर कर सहित लाभांश					467.63		467.63
संयुक्त उद्यम से लाभ					37.41		37.41
प्रतिधारित अर्जन (इंड ए एस 116 पट्टा)				-	(140.03)		(140.03)
पूँजीगत व्यय के लिए प्रावधान के उत्क्रमण				-	6.64		6.64
ओ सी आई मदों के पुनर्वर्गीकरण					337.80		337.80
लाभ हानि से ओ सी आई को निवल ओ सी आई मदों का पुनर्वर्गीकरण					628.53		628.53
परिवर्धन			30.43		-		30.43
सामान्य आरक्षण में अंतरण			(4.26)		30.43		26.17
एचबीएल और एचएमएल डीमर्जर के संबंध में समायोजन					393.98		393.98
1 अप्रैल, 2020 तक के प्रारंभिक शेष		129.74	53.70	25,641.05	4375.38		30199.88
वर्ष के दौरान लाभ		129.74	53.70	25,641.05	4375.38		30199.88
अन्य व्यापक आय					10,163.19		10,163.19
कुल व्यापक आय					(1,086.69)		(1,086.69)

Consolidated Statement of Changes in Equity for the period ended March 31, 2021

A. Equity Share Capital

₹lacs

Balance at the beginning of April 1, 2020	Changes in equity share capital during the year	Balance at the end of March 31,2021
1553.50	0.00	1553.50

B. Other Equity

₹lacs

Particulars	Reserves and Surplus					Other Comprehensive Income	Total
	Shares pending allotment	Dividend Equalisation Reserve	Corporate Social Responsibility Reserve	General Reserve	Retained Earnings		
Balance as on April 1, 2019	-	**129.74**	**27.53**	**25,641.05**	**(7,523.50)**		**18,274.82**
Profit for the year					11,113.75		11,113.75
Other comprehensive income					(144.72)		(144.72)
Total comprehensive income					10,969.03		10,969.03
Less: Non Controlling Interest					(169.28)		(169.28)
Impairement loss					10.00		10.00
Adjustments/ Prior period items				-	4.30		4.30
Dividend including tax thereon					467.63		467.63
Profit from Joint Venture					37.41		37.41
Retained earnings (Ind As 116 Leases)				-	(140.03)		(140.03)
Reversal of Provision for Capital expenses				-	6.64		6.64
Reclassification of OCI Items					337.80		337.80
Reclassification of Net OCI items from P&L to OCI					628.53		628.53
Additions			30.43		-		30.43
Transfer to General Reserve			(4.26)		30.43		26.17
Adjustment regarding HBL & HML demerger					393.98		393.98
Balance at the end of March 31,2020		**129.74**	**53.70**	**25,641.05**	**4375.38**		**30199.88**
Balance as on April 1, 2020		**129.74**	**53.70**	**25,641.05**	**4375.38**		**30199.88**
Profit for the year					10,163.19		10,163.19
Other comprehensive income					(1,086.69)		(1,086.69)

विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष					अन्य व्यापक आय	कुल
	लंबित शेयर आबंटन	लाभांश समकरण आरक्षिति	निगमित सामाजिक दायित्व आरक्षिति	सामान्य आरक्षण	प्रतिधारित अर्जन		
न्यून : अनियंत्रित ब्याज					9,076.50		9,076.50
खराब हानि					(317.58)		(317.58)
समायोजन/पूर्व अवधि मदें					-		-
इस पर कर सहित लाभांश				-	409.56		409.56
संयुक्त उद्यम से लाभ					1,490.00		1,490.00
ओ सी आई मदों के पुनर्वर्गीकरण					(65.53)		(65.53)
लाभ हानि से ओ सी आई को निवल ओ सी आई मदों का पुनर्वर्गीकरण					-	(628.53)	(628.53)
परिवर्धन					977.20	(977.20)	-
सामान्य आरक्षण में अंतरण			55.35		55.35		55.35
निधि में जमा किए जाने वाले जानेवाली सी एस आर			20.18				20.18
वर्तमान मूल्य गणना के अनुसार बिजली बकाया पर ब्याज			88.87				88.87
31 मार्च, 2021 के अंत में शेष					6.54		6.54
	-	129.74	0.00	25,641.05	13,538.80	(1,605.73)	37,703.86

निदेशक मंडल की तरफ से

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है ।
कृते के.वर्गीस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म नं.004525एस

के.बेजी जोर्ज, आई आर टी एस
अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक
[डिन: 08419099]

डॉ.गीता शर्मा
निदेशक (वित्त)
[डिन: 08225251]

संतोष चेरियान.सी.
वरिष्ठ उपाध्यक्ष (वित्त) प्रभारी & सी एफ ओ
[एफ सी ए : 049893]

जयकृष्णन.ए.आर
कंपनी सचिव एवं
सह उपाध्यक्ष (सी ए एस)
[ए सी एस : 14328]

सी.ए. साम वर्गीस
साझेदार
सदस्यता सं. 216979

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 28.09.2021
यु डी आई एन : 21216979एएएएएचएच8676

Particulars	Reserves and Surplus					Other Comprehensive Income	Total
	Shares pending allotment	Dividend Equalisation Reserve	Corporate Social Responsibility Reserve	General Reserve	Retained Earnings		
Total comprehensive income					9,076.50		9,076.50
Less: Non Controlling Interest					(317.58)		(317.58)
Impairement loss					-		-
Adjustments/ Prior period items				-	409.56		409.56
Dividend including tax thereon					1,490.00		1,490.00
Profit from Joint Venture					(65.53)		(65.53)
Reclasification of OCI Items					-	(628.53)	(628.53)
Reclassication of Net OCI items from P&L to OCI					977.20	(977.20)	-
Additions			55.35		55.35		55.35
Transfer to General Reserve			20.18				20.18
CSR to be Deposited in Fund			88.87				88.87
Interest on Electricity arrears as per present value calculation					6.54		6.54
Balance at the end of March 31, 2021	-	**129.74**	**0.00**	**25,641.05**	**13,538.80**	**(1,605.73)**	**37,703.86**

For and on behalf of the Board of Directors

Vide our report of even date attached
For K. Varghese & Co
Chartered Accountants
Firm No. 004525S

K.Beji George IRTS
Chairman &
Managing Director
[DIN: 08419099]

Dr.Geeta Sharma
Director (F)
[DIN:08225251]

Santhosh Cherian.C
SVP(F) i/c & CFO
[FCA:049893]

Jaikrishnan A.R
CS & AVP (CAS)
[ACS:14328]

CA. Sam Varghese
Partner
Membership No:216979
UDIN: 21216979AAAAHM8676

Place : Thiruvananthapuram
Date : 28.09.2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि विवरण

विवरण		वर्ष 31.03.2021 को समाप्त	वर्ष 31.03.2020 को समाप्त
		₹ लाखों में	₹ लाखों में
सतत प्रचालन			
आय			
प्रचालनों से राजस्व	23	5,37,532.27	1,98,051.00
अन्य आय	24	4,599.97	3,737.31
कुल आय		5,42,132.24	2,01,788.31
व्यय			
उपभुक्त मालों की लागत	25	23,485.05	22,326.10
व्यापार स्टॉक के क्रय	26	3,82,020.17	68,634.67
तैयार माल,चालू कार्य प्रगति और व्यापार स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन	27	(12,784.74)	(822.14)
कर्मचारी हितलाभ व्यय	28	24,143.22	19,617.47
वित्त लागत	29	2,553.18	3,547.89
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	3	4,807.07	5,418.27
अन्य व्यय	30	77,861.07	47,335.48
ठेका व्यय	2.56	25,586.21	22,307.93
कुल व्यय		**5,27,671.24**	**1,88,365.69**
विशेष मदें और कर के पूर्व लाभ/(हानि)		**14,461.00**	**13,422.62**
विशेष मदें [(आय)/व्यय]		-	-
कर के पूर्व लाभ/(हानि)		**14,461.00**	**13,422.62**
कर व्यय :			
चालू वर्ष के लिए चालू कर व्यय		4,962.88	2,529.36
माट क्रेडिट पात्रता		-	183.60
आस्थगित कर		(665.07)	(404.10)
		4,297.81	**2,308.87**
सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		**10,163.19**	**11,113.75**
बंद प्रचालनों से हानि		-	-
बंद प्रचालनों से वर्ष के लिए हानि			
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		**10,163.19**	**11,113.75**
अन्य व्यापक आय			
क. (i) ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएगी			
- निर्धारित लाभ योजनाओं के पुनः मापन		(1,418.80)	(186.51)
- संयुक्त उद्यम में अन्य व्यापक आय का शेयर		-	-
(ii) ऐसी मदों से संबंधित आय कर जो लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		332.11	41.78
कुल अन्य व्यापक आय		**(1,086.69)**	**(144.72)**

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2021

Particulars	Note No	Year ended 31.03.2021 ₹ lacs	Year ended 31.03.2020 ₹ lacs
Continuing Operations			
Income			
Revenue from operations	23	5,37,532.27	1,98,051.00
Other income	24	4,599.97	3,737.31
Total Income		**5,42,132.24**	**2,01,788.31**
Expenses			
Cost of materials consumed	25	23,485.05	22,326.10
Purchases of stock-in-trade	26	3,82,020.17	68,634.67
Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock-in-trade	27	(12,784.74)	(822.14)
Employee benefits expense	28	24,143.22	19,617.47
Finance costs	29	2,553.18	3,547.89
Depreciation and amortisation expense	3	4,807.07	5,418.27
Other expenses	30	77,861.07	47,335.48
Contract Expenses	2.56	25,586.21	22,307.93
Total expenses		**5,27,671.24**	**1,88,365.69**
Profit / (Loss) before Exceptional items and tax		**14,461.00**	**13,422.62**
Exceptional Items[(Income)/Expense)		-	-
Profit / (Loss) before tax		**14,461.00**	**13,422.62**
Tax expense:			
Current tax expense for current year		4,962.88	2,529.36
MAT Credit Entitilement		-	183.60
Deferred tax		(665.07)	(404.10)
		4,297.81	**2,308.87**
Profit / (Loss) for the year from the continuing operations		**10,163.19**	**11,113.75**
Loss from discontinued operations		-	-
Loss for the year from discontinued operations			
Profit / (Loss) for the year		**10,163.19**	**11,113.75**
Other Comprehensive Income			
A (i) Items that will not be reclassified to profit or loss			
- Remeasurement of Defined Benefit Plans		(1,418.80)	(186.51)
- Share of other comprehensive income in joint venture		-	-
(ii) Income tax relating to Items that will not be reclassified to profit or loss		332.11	41.78
Total Other Comprehensive Income		**(1,086.69)**	**(144.72)**

विवरण		वर्ष 31.03.2021 को समाप्त	वर्ष 31.03.2020 को समाप्त
		₹ लाखों में	₹ लाखों में
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		**9,076.50**	**10,969.03**
वर्ष के लिए लाभ/(हानि) के कारण			
कंपनी के मालिक		10,454.96	11,277.72
गैर नियंत्रित ब्याज		(291.78)	(163.95)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय के कारण			
कंपनी के मालिक		(1,060.89)	(139.40)
गैर नियंत्रित ब्याज		(25.80)	(5.33)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय के कारण			
कंपनी के मालिक			
सतत प्रचालन		9,394.07	11,138.33
बंद प्रचालन			
गैर नियंत्रित ब्याज		(317.58)	(169.28)
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रति शेयर ₹ 10/- के लिए अंकित मूल्य) (सतत प्रचालनों के लिए)			
- मूल		67.30	72.60
- हल्का		67.30	72.60
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1		
वित्तीय विवरण के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ	2		

निदेशक मंडल की तरफ से

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है ।
कृते के.वर्गीस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म नं.004525एस

के.बेजी जोर्ज, आई आर टी एस
अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक
[डिन: 08419099]

डॉ.गीता शर्मा
निदेशक (वित्त)
[डिन: 08225251]

संतोष चेरियान.सी.
वरिष्ठ उपाध्यक्ष (वित्त) प्रभारी & सी एफ ओ
[एफ सी ए : 049893]
[ए सी एस : 14328]

जयकृष्णन.ए.आर
कंपनी सचिव एवं
सह उपाध्यक्ष (सी ए एस)

सी.ए. साम वर्गीस
साझेदार
सदस्यता सं. 216979

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 28.09.2021
यु डी आई एन : 21216979एएएएएचएच8676

Particulars	Note No	Year ended 31.03.2021	Year ended 31.03.2020
		₹ lacs	₹ lacs
Total Comprehensive Income for the year		**9,076.50**	**10,969.03**
Profit / (Loss) for the year attributable to			
Owners of the company		**10,454.96**	**11,277.72**
Non - Controlling Interests		**(291.78)**	**(163.95)**
Other Comprehensive Income for the year attributable to			
Owners of the company		**(1,060.89)**	**(139.40)**
Non - Controlling Interests		**(25.80)**	**(5.33)**
Total Comprehensive Income for the year attributable to			
Owners of the company			
Continuing Operations		**9,394.07**	**11,138.33**
Discontinued Operations			
Non - Controlling Interests		**(317.58)**	**(169.28)**
Earnings per equity share (Face value of `10/- share) (for continuing operations)			
- Basic		**67.30**	**72.60**
- Diluted		**67.30**	**72.60**
Significant Accounting Policies	1		
Explanatory Notes to Financial Statements	2		

For and on behalf of the Board of Directors

Vide our report of even date attached
For K. Varghese & Co
Chartered Accountants
Firm No. 004525S

K.Beji George IRTS
Chairman &
Managing Director
[DIN: 08419099]

Dr.Geeta Sharma
Director (F)
[DIN:08225251]

Santhosh Cherian.C
SVP(F) i/c & CFO
[FCA:049893]

Jaikrishnan A.R
CS & AVP (CAS)
[ACS:14328]

CA. Sam Varghese
Partner
Membership No:216979
UDIN: 21216979AAAAHM8676

Place : Thiruvananthapuram
Date : 28.09.2021

वर्ष 31.03.2021 को समाप्त समेकित नकद प्रवाह विवरण

विवरण	31.03.2021 को समाप्त ₹ लाखों में	31.03.2020 को समाप्त ₹ लाखों में
क. प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
कर के पूर्व लाभ	14,461.00	13,422.62
समायोजन;		
मूल्यह्रास और परिशोधन	4,807.07	5,418.27
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर हानि	2.06	31.32
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	(3.68)	-
वित्त लागत	2,553.18	3,547.89
ब्याज आय	(1,763.86)	(2,060.94)
पहचान की गयी खराब हानि	-	-
चालू पूँजी परिवर्तन के पूर्व प्रचालन लाभ/(हानि)	**20,055.77**	**20,359.16**
चालू पूँजी में परिवर्तन :		
प्रचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी केलिए समायोजन		
वस्तुसूची	(14,166.10)	(1,849.83)
व्यापार प्राप्तियाँ	(1,02,513.27)	(17,842.19)
अल्पावधि ऋण एवं पेशगियाँ	(5,904.30)	(12,214.68)
दीर्घावधि ऋण एवं पेशगियाँ	288.35	14.59
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	(654.41)	(734.49)
प्रचालन देयताओं में वृद्धि/(कमी) केलिए समायोजन		
देय व्यापार	1,16,904.64	8,734.71
अन्य चालू देयताएँ	80,839.28	(3,407.44)
दीर्घकालीन प्रावधान	102.48	654.70
अल्पावधि प्रावधान	3,763.85	(946.43)
गैर चालू परिसंपत्तियाँ	(24.58)	280.52
बिक्री के लिए रखी परिसंपत्तियाँ	(10.14)	(0.81)
प्रचालनों से उत्पन्न रोकड़	**98,681.58**	**(6,952.18)**
निवल आय कर(प्रदत्त)/वापसी	(5,413.35)	(1,765.22)
प्रचालन कार्यकलापों से (प्रयुक्त) निवल नकद प्रवाह (क)	**93,268.23**	**(8,717.40)**
ख. निवेशी कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
चालू पूँजी कार्य में प्रगति	(623.83)	(189.10)
पी पी ई और अमूर्त परिसंपत्तियों के खरीद	(1,301.49)	(4,512.60)
प्राप्त ब्याज	1,763.86	2,060.94
निवेश	(65.53)	-
बैंक जमा में निवेश (तीन महीनों से अधिक के मूल परिपक्वता रहनेवाले)	563.22	14,744.14
निवल रोकड़ प्रवाह/ (प्रयुक्त) निवेश कार्यकलापों से (ख)	**336.23**	**12,103.38**

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2021

Particulars	Period ended 31.03.2021	Year ended 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
A. Cash flow from Operating Activities		
Profit before tax	**14,461.00**	**13,422.62**
Adjustments for:		
Depreciation and amortisation	4,807.07	5,418.27
Loss on sale of Property, plant and equipment	2.06	31.32
Profit on sale of Property, plant & equipment	(3.68)	-
Finance costs	2,553.18	3,547.89
Interest income	(1,763.86)	(2,060.94)
Impairment loss recognized	-	-
Operating profit / (loss) before working capital changes	**20,055.77**	**20,359.16**
Changes in working capital:		
Adjustments for (increase) / decrease in operating assets:		
Inventories	(14,166.10)	(1,849.83)
Trade receivables	(1,02,513.27)	(17,842.19)
Short-term loans and advances	(5,904.30)	(12,214.68)
Long-term loans and advances	288.35	14.59
Other current assets	(654.41)	(734.49)
Adjustments for increase / (decrease) in operating liabilities:		
Trade payables	1,16,904.64	8,734.71
Other current liabilities	80,839.28	(3,407.44)
Long-term provisions	102.48	654.70
Short-term provisions	3,763.85	(946.43)
Non current assets	(24.58)	280.52
Assets held for sale	(10.14)	(0.81)
Cash generated from operations	**98,681.58**	**(6,952.18)**
Net income tax (paid) / refunds	(5,413.35)	(1,765.22)
Net cash flow from / (used in) operating activities (A)	**93,268.23**	**(8,717.40)**
B. Cash flow from Investing Activities		
Capital Work in Progress	(623.83)	(189.10)
Purchase of PPE and intangible assets	(1,301.49)	(4,512.60)
Interest received	1,763.86	2,060.94
Investments	(65.53)	-
Investments in bank deposits (having orginal maturity of more than three months)	563.22	14,744.14
Net cash flow from / (used in) investing activities (B)	**336.23**	**12,103.38**

विवरण	31.03.2021 को समाप्त ₹ लाखों में	31.03.2020 को समाप्त ₹ लाखों में
ग. वित्तीयन कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
गैर-चालू ऋणों से प्राप्तियाँ	(2,206.85)	(1,815.97)
अन्य गैर-चालू देयताओं से प्राप्तियाँ	(268.60)	3,183.59
अल्पसंख्यक ब्याज को भुगतान	(148.90)	(145.26)
अन्य अल्पकालीन ऋणों से प्राप्तियाँ	-	-
प्रदत्त ब्याज	(2,553.18)	(3,547.89)
लाभांश पर कर	(1,490.00)	(467.63)
वित्तीयन कार्यकलापों से (प्रयुक्त) निवल नकद प्रवाह (ग)	**(6,667.53)**	**(2,793.17)**
नकद एवं नकद तुल्यांक में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख + ग)	**86,936.94**	**592.81**
वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकद तुल्यांक	(27,654.89)	(28,247.71)
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद तुल्यांक	**59,282.05**	**(27,654.89)**
तुलन पत्र के साथ नकद तथा नकद तुल्यांक का मिलान :		
नकद एवं नकद तुल्यांक	59,823.39	(26,628.32)
न्यून : इंड ए एस 7 नकद प्रवाह विवरण में निर्धारित जैसे नकद तथा नकद तुल्यांक के रूप में नहीं माने गये बैंक शेष।	541.34	1,026.37
निवल नकद एवं नकद तुल्यांक (इंड ए एस 7 नकद प्रवाह विवरण में निर्धारित जैसे) टिप्पणी 1.12 में सम्मिलित	**59,282.05**	**(27,654.89)**
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद तुल्यांक ।		
*समाविष्ट :		
(क) रोकड़ शेष	201.16	208.81
(ख) बैंकों के साथ शेष		
(i) जमा खाते में	83,803.22	3,075.04
(ii) चालू खाते में	2,855.40	1,685.53
(iii) ई ई एफ सी खाते में	21.58	2.58
(iv) नकदी ऋण खाते में	(17,870.64)	(18,873.96)
(iv) ओ डी खाते में	(11,785.57)	(13,752.88)
(v) सी एस आर/परियोजनाओं के लिए निर्धारित निधि	2,056.89	-
	59,282.05	**(27,654.89)**

1) उपर्युक्त नकद प्रवाह विवरण इंड ए एस -7 में प्रारंभित परोक्ष प्रणाली के अधीन तैयार किया गया है।

2) इस वर्ष के प्रस्तुतीकरण के अनुरूप करने की ओर जहाँ कहीं आवश्यक है, पिछले वर्ष के आँकडे को पुनर्वर्गीकृत किए गए हैं।

3) वर्ष के प्रारंभ और अंत के नकद तुल्यांक में बैंक ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय नकदी ऋण शामिल हैं।

4) न्यास के अधीन पडी परियोजना निधि के लेनदेन और बकाया ₹ 438800.06 लाख (पिछले वर्ष में ₹ 418509.16 लाख) नकद प्रवाह में शामिल नहीं किया गया है।

5) वित्तीयन कार्यकलापों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तन

Particulars	Period ended 31.03.2021 ₹ lacs	Year ended 31.03.2020 ₹ lacs
C. Cash flow from Financing Activities		
Proceeds from non current borrowings	(2,206.85)	(1,815.97)
Proceeds from other non current liabilities	(268.60)	3,183.59
Payment to Minority interest	(148.90)	(145.26)
Proceeds from other short-term borrowings	-	-
Interest paid	(2,553.18)	(3,547.89)
Tax on dividend	(1,490.00)	(467.63)
Net cash flow from / (used in) financing activities (C)	**(6,667.53)**	**(2,793.17)**
Net increase / (decrease) in Cash and cash equivalents (A+B+C)	**86,936.94**	**592.81**
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	(27,654.89)	(28,247.71)
Cash and cash equivalents at the end of the year	**59,282.05**	**(27,654.89)**
Reconciliation of Cash and cash equivalents with the Balance Sheet:		
Cash and cash equivalents	59,823.39	(26,628.32)
Less: Bank balances not considered as Cash and cash equivalents as defined in Ind AS 7 Statement of *Cash Flows*	541.34	1,026.57
Net Cash and cash equivalents (as defined in Ind AS 7 Statement of *Cash Flows*) included in Note 1.12	**59,282.05**	**(27,654.89)**
Cash and cash equivalents at the end of the year *		
* Comprises:		
(a) Cash on hand	201.16	208.81
(b) Balances with banks		
(i) In deposit accounts	83,803.22	3,075.04
(ii) In current accounts	2,855.40	1,685.53
(iii) In EEFC accounts	21.58	2.58
(iv) In cash credit accounts	(17,870.64)	(18,873.96)
(iv) In OD accounts	(11,785.57)	(13,752.88)
(v) Funds earmarked for CSR/Projects	2,056.89	–
	59,282.05	**(27,654.89)**

1) The above Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect method set out in the Ind AS-7.
2) The previous year's figures have been re-grouped whereever necessary in order to confirm to this year's presentation..
3) Cash Equivalents at the beginning and end of the year includes Bank Overdraft and Cash Credit repayable on demand
4) Transactions of project funds held under Trust and balance of ₹ 438800.06 lacs(previous year ₹418509.16 lacs) are not included in the Cashflow
5) Changes in Liabilities arising from Financing Activities

विवरण	1 अप्रैल, 2020 तक	नकद प्रवाह	गैर-नकद परिवर्तन		31 अप्रैल, 2021 तक
			उचित मूल्य समायोजन	अधिग्रहण के कारण अन्य	
गैर चालू उधार (गैर-चालू उधार के चालू परिपक्वता सहित)	6,694.35	(2,236.46)	-	-	4,457.89
चालू उधार	32,786.86	(3,130.66)	-	-	29,656.20
	39,481.21	**(5,367.12)**	**-**	**-**	**34,114.09**

निदेशक मंडल की तरफ से

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है ।
कृते के.वर्गीस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म नं.004525एस

के.बेजी जोर्ज, आई आर टी एस
अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक
[डिन: 08419099]

डॉ.गीता शर्मा
निदेशक (वित्त)
[डिन: 08225251]

संतोष चेरियान.सी.
वरिष्ठ उपाध्यक्ष (वित्त) प्रभारी & सी एफ ओ
[एफ सी ए : 049893]

जयकृष्णन.ए.आर
कंपनी सचिव एवं
सह उपाध्यक्ष (सी ए एस)
[ए सी एस : 14328]

सी.ए. साम वर्गीस
साझेदार
सदस्यता सं. 216979

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 28.09.2021
यु डी आई एन : 21216979एएएएएचएच8676

Particulars	As at 1st April 2020	Cashflows	Non - Cash Changes		As at 31st March 2021
			Fair Value Adjustment	Others on account of Acqusition	
Non current Borrowings (including current maturity of Non - Current Borrowings)	6,694.35	(2,236.46)	-	-	4,457.89
Current Borrowings	32,786.86	(3,130.66)	-	-	29,656.20
	39,481.21	**(5,367.12)**	**-**	**-**	**34,114.09**

For and on behalf of the Board of Directors

Vide our report of even date attached
For K. Varghese & Co
Chartered Accountants
Firm No. 004525S

K.Beji George IRTS
Chairman &
Managing Director
[DIN: 08419099]

Dr.Geeta Sharma
Director (F)
[DIN:08225251]

Santhosh Cherian.C
SVP(F) i/c & CFO
[FCA:049893]

Jaikrishnan A.R
CS & AVP (CAS)
[ACS:14328]

CA. Sam Varghese
Partner
Membership No:216979
UDIN: 21216979AAAAHM8676

Place : Thiruvananthapuram
Date : 28.09.2021

टिप्पणी 1–निगमित सूचना एवं सार्थक लेखा नीतियाँ

निगमित सूचना

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड ("मूल कंपनी") वर्ष 1966 में समाविष्ट कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा शासित और भारत में अधिवासित भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से स्वामित्व रखे, मिनिरत्ना उद्यम है । एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड को 21 फरवरी, 2012 से सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित किया गया है । कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एचएलएल भवन, पूजप्पुरा, तिरुवनंतपुरम, केरल, भारत में स्थित है। मूल कंपनी गर्भनिरोधक उत्पादों की श्रेणी के विनिर्माण एवं विपणन, अस्पताल उत्पादें, महिला स्वास्थ्य फार्मा उत्पादें और स्वास्थ्य रक्षा अवसंरचना, फार्मेसी और नैदानिक सेवाओं के रीटेल ॠंखला के लिए परामर्श एवं ठेका सेवाएं प्रदान करने में लगी रहती है । कंपनी देशीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाज़ारों को प्रबंध करती है। मूल कंपनी को तीन समनुषंगियों और एक संयुक्त उद्यम है। एचएलएल इंफ्राटेक सर्वीसस लिमिटेड जो निर्माण, अवसंरचना विकास, इंजीनियरी सेवाएँ, प्रापण प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सुविधा प्रबंधन सेवाओं के क्षेत्र में सेवा प्रदान करने में लगे रहते हैं, को छोडकर समनुषंगियाँ सामान्यतः स्वास्थ्य क्षेत्र में है। बाद में समनुषंगियों के साथ मिलकर मूल कंपनी "ग्रूप" के रूप में संदर्भित किया है।

समेकित वित्तीय विवरण 27 जुलाई 2021 को निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसार जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अधीन अपनी लेखापरीक्षा के द्वारा नियंत्रण एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियों को समाविष्ट करने को 28 सितंबर, 2021 में बोर्ड को पुनः प्रस्तुत किया गया ।

जारी किए गए मानक लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 18 जून 2021 को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2021 के अनुसार लेखांकन मानकों में कुछ संशोधन अधिसूचित किया है। कंपनी इन संशोधनों को प्रभावी होने पर अपनाने का इरादा रखती है। संशोधनों का प्रारंभिक अनुप्रयोग प्रस्तावित नहीं किया गया है और इसलिए वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय विवरण में कोई भी प्रभाव न मूल्यांकित या न विचार किया गया है। वित्तीय विवरणों को सुसंगत होने के लिए अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में किए जानेवाले आवश्यक प्रकटीकरण को बढ़ाने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में संशोधन करने के लिए 24 मार्च 2021 को अधिसूचना जारी की। ये संशोधन 1 अप्रैल 2021 से शुरू होनेवाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी पर लागू हैं।

1क सार्थक लेखा नीतियाँ

1.1 तैयारी/समेकन का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियम 2016 के अधीन अधिसूचित इंड एएस के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 2013 के सुसंगत प्रावधानों के साथ सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुपालन करके बनाया गया है। 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष तक कंपनी ने पिछले जीएएपी की अपेक्षाओं के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार किया गया, जिसमें कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 के अधीन अधिसूचित मानकें शामिल हैं।

कंपनी ने 1 अप्रैल 2015 के प्रभाव से इंड ए एस अपनाया। इंड एएस के लिए संक्रमण तारीख 1 अप्रैल 2015 है। अलग से विनिर्दिष्ट नहीं किए जाने तक, प्रस्तुत की गई सभी अवधियों के लिए वही लेखांकन नीतियाँ लागू की गई हैं।

वित्तीय विवरण, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापित कुछ वित्तीय साधनों को छोडकर प्रोद्भवन आधार पर और परंपरागत लागत के अधीन नीचे बताये गये लेखांकन नीतियों के अनुसार तैयार किया गया है।

Note 1 : Corporate Information and Significant Accounting Policies

Corporate information

HLL Lifecare Limited, ("Parent Company") incorporated in the year 1966, is a MiniRatna Enterprise, fully owned by Government of India, domiciled in India and governed by the provisions of the Companies Act, 2013. HLL Lifecare Ltd was converted into a Public Limited Company with effect from 21st February 2012.The Company's registered office is situated at HLL Bhavan, Poojapura, Thiruvananthapuram, Kerala, India. The Parent company is engaged in the manufacturing and marketing of a range of Contraceptive products, Hospital products, Women Health Pharma products, providing Consultancy & Contract services for healthcare infrastructure, Retail chain of pharmacies and Diagnostic services. The company caters to both domestic and international markets. The parent company has three subsidiaries and one joint venture. The subsidiaries are generally into health sector except for HLL Infratech services Limited (HITES), which is engaged in providing the services in the area of construction, infrastructure development, engineering services, procurement management, supply chain management, facility management services. The Parent Company together with its subsidiaries is hereinafter referred to as the "Group".

The consolidated financial statements were approved for issue in accordance with a resolution of the Board of directors on 27th July 2021 and resubmitted to Board on 28th September 2021 to incorporate observations of Comptroller and Auditor General vide their Audit under section 143(6) of the Companies Act 2013.

Standards issued but not yet effective

The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has notified certain amendments to Accounting standards as per the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2021 on18th June 2021. The company intends to adopt these amendments, when they become effective. Early application of the amendments is not proposed and hence the impact if any on the financial statements is not assessed or considered in the financial statements during the financial year. The information that are expected to be relevant to the financial statements is provided below.

MCA issued notification dated 24th March 2021 to amend Schedule III to the Companies Act, 2013 to enhance the disclosures required to be made by the Company in its Financial Statements. These amendments are applicable to the Company for the Financial Year starting 01st April 2021.

1A Significant accounting policies

1.1 Basis of Preparation / Consolidation

The financial statements of the company have been prepared in accordance with Ind AS notified under the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and with companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016 and comply in all material aspects with the relevant provisions of the Companies Act, 2013. Up to the year ended March 31, 2016, the Group Company prepared its financial statements in accordance with the requirements of previous GAAP, which includes Standards notified under the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006.

The company adopted Ind AS w.e.f. April 01, 2015. The date of transition to Ind AS is April 1, 2015. The same accounting policies have been applied for all the periods presented unless specified seperately.

The financial statements have been prepared on accrual basis and under the historical cost basis, except for certain financial instruments that are measured at fair values at the end of each

वित्तीय विवरण इंडियन रुपए (₹) में प्रस्तुत किये जाते हैं और अन्यथा जहाँ संकेत दिया गया है के सिवाय मूल्य निकटतम लाखों में पूर्ण किया जाता है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 11 अक्तूबर 2018 को कुछ अतिरिक्त प्रस्तुति और प्रकटीकरण अपेक्षाओं को अधिसूचित करके अनुसूची III का संशोधन किया जो वित्तीय विवरणों में भी विचार किए जाते हैं।

1.1 क समेकन सिद्धांत

क समेकित वित्तीय विवरण, भारतीय लेखांकन मानक 110 (इंड ए एस 110) "समेकित वित्तीय विवरण", भारतीय लेखांकन मानक 28 (इंड ए एस 28) "कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन निर्धारित सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश" के अनुसार तैयार किया गया है।

ख ग्रूप के समेकित वित्तीय विवरण, परिसंपत्तियाँ, देयताएँ, आय और खर्च जैसे समान मदों को जोडकर मदवार आधार पर जोड दिया गया है। इंट्रा-ग्रूप शेष एवं इंट्रा-ग्रूप लेनदेन और अप्राप्त लाभ पूर्ण रूप से हटाया गया है।

ग समनुषंगियों में निवेश की लागत, समनुषंगियों में शेयरों के अधिग्रहण के समय पर निवल परिसंपत्तियों के बीच का अंतर समेकन पर सद्भाव के रूप में समेकित वित्तीय विवरण में पहचान किया जाता है। समेकन पर सद्भाव प्रतिवर्ष खराब हानि के लिए जाँच किया जाता है और मूल्यांकित किसी भी हानि प्रदान की जाती है।

घ समेकित समनुषंगियों की निवल परिसंपत्तियों में गैर नियंत्रण ब्याज में समनुषंगी कंपनियों में मूल कंपनी द्वारा बनाए गए निवेश की तारीख पर गैर-नियंत्रण शेयरधारकों के लिए आरोप्य इक्विटी की रकम और निवेश की तारीख के अनुवर्ती इक्विटी में उनके शेयर के अतिरिक्त गति शामिल हैं।

ङ संयुक्त उद्यम में मूल कंपनी का निवेश इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए परिकलित किया जाता है। इक्विटी पद्धति के अधीन, साझेदार या संयुक्त उद्यम का निवेश प्रारंभ में लागत पर पहचान किया जाता है। निवेश की रखाव रकम, अधिग्रहण की तारीख तक संयुक्त उद्यम की निवल परिसंपत्तियों के ग्रूप शेयरों के परिवर्तनों को पहचान करने के लिए समायोजित की जाती है।

1.2 परिसंपत्तियों और देयताओं के चालू या गैर चालू के रूप में वर्गीकरण

कंपनी के सामान्य प्रचालन साइकिल और कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में निर्दिष्ट किये अन्य मानदंडों के आधार पर सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को चालू या गैर चालू के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं । उत्पादों की प्रकृति और नकद तुल्यांक में उसके प्रसंस्करण और उनकी वसूली के लिए परिसंपत्तियों के बीच के समय के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं के चालू या गैर चालू वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा 12 महीना निर्धारित किया गया है।

परिसंपत्तियों और देयताओं के चालू /गैर चालू में वर्गीकरण

तुलन पत्र के उद्देश्य के लिए, परिसंपत्ति वर्तमान रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि :

i) सामान्य प्रचालन चक्र में होने यह वसूल करने की उम्मीद है, या बेचे जाने या उपभुक्त होने का इरादा हैः या

ii) यह व्यापार के उद्देश्य केलिए मुख्य रूप से रखा है या

reporting period, as explained in the accounting policies below.

The financial statements are presented in Indian Rupees (₹) and all values are rounded to the nearest lakhs, except where otherwise indicated.

The Ministry of Corporate Affairs amended Schedule III on 11th October 2018, notifying certain additional presentation and disclosure requirements which are also considered in the financial statements

1.1A Principles of Consolidation

a. The Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with Indian Accounting Standard 110 (Ind AS 110) “Consolidated Financial Statements”, Indian Accounting Standard 28 (Ind AS 28) “Investments in Associates and Joint Ventures prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013.

b. The Consolidated Financial Statements of the Group have been combined on a line by line basis by adding together like items of assets, liabilities, income and expenses. The intra-group balances and intra-group transactions and unrealized profits have been fully eliminated

c. The difference between the cost of investment in the subsidiaries, over the net assets at the time of acquisition of shares in the subsidiaries is recognized in the Consolidated Financial Statements as Goodwill on Consolidation. The Goodwill on consolidation is tested for impairment every year and any loss assessed is provided for.

d. Non-controlling interests in the net assets of consolidated subsidiaries consists of the amount of equity attributable to the non-controlling shareholders at the dates on which investments are made by the Parent Company in the subsidiary companies and further movements in their share in the equity, subsequent to the dates of investment

e. The parent company’s investment in the joint venture is accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate or a joint venture is initially recognized at cost. The carrying amount of the investment is adjusted to recognize changes in the Group’s share of net assets of the joint venture since the acquisition date.

1.2 Classification of Assets and Liabilities as Current and Non-Current

The group presents assets and liabilities in the Balance Sheet based on Current / Non-current classification.

All assets and liabilities are classified as current or non-current as per the company's normal operating cycle and other criteria set out in schedule III to the Companies Act, 2013. Based on the nature of products and time between acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents, 12 months has been considered by the Company for the purpose of current or non-current classification of assets and Liabilities.

Classification of Assets and Liabilities into Current/Non-Current:

For the purpose of Balance Sheet, an asset is classified as current if:

(i) It is expected to be realised, or is intended to be sold or consumed, in the normal operating cycle; or

(ii) It is held primarily for the purpose of trading; or

iii) यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीने के अंदर वसूल करना अपेक्षित है या

iv) यह परिसंपत्ति नकद या नकद तुल्यांक रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए विचलित होने से जब तक प्रतिबंधित नहीं या देयता व्यवस्थित करने केलिए उपयोगित करता है।

सभी अन्य परिसंपत्तियाँ गैर चालू रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं :

इस प्रकार यह देयता चालू रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं :

i) यह सामान्य संचालन चक्र में व्यवस्थित होने की प्रतीक्षा है।

ii) यह व्यापार के उद्देश्य के लिए मुख्य रूप से होता है।

iii) यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के अंदर व्यवस्थित किये जाने के लिए देय है, या

iv) कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान करने केलिए कोई अप्रतिबंध अधिकार नहीं है।

देयता का शर्त, जो प्रतिकक्षि के विकल्प पर इक्विटी साधनों को जारी करने के द्वारा इसके निपटान पर परिणत होगा, इस वर्गीकरण पर प्रभाव नहीं करता है।

सभी अन्य देयताएं गैर-चालू रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं।

1.3 कोविड -19 से वैश्विक स्वास्थ्य महामारी से संबंधित अनिश्चितताओं का अनुमान

कंपनी ने संभाव्य प्रभावों पर विचार किया है जो वित्तीय परिसंपत्तियाँ, वस्तुसूची, प्राप्य, अग्रिम, संपत्ति, संयंत्र व उपकरण, अमूर्त आदि के साथ ही साथ उपार्जित देयताओं की रखाव राशि पर कोविड-19 से परिणत हो सकता है। इस महामारी के कारण आर्थिक परिस्थितियों में संभाव्य भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित धारणाओं को विकसित करने में कंपनी ने आंतरिक और बाहरी जानकारी जैसे हमारे वर्तमान अनुबंध की शर्तें, क्रडिट रिपोर्ट, व्यवसाय से भविष्य की मात्रा का अनुमान और अन्य संबंधित जानकारी आदि का उपयोग किया है। मुख्य तथ्यों की समीक्षा करके वर्तमान अनुमानों के आधार पर इकाई को उम्मीद है कि परिसंपत्तियों की रखाव राशि की वसूली की जाएगी और उपार्जित देयताओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पडेगा। कंपनी पर कोविड-19 का प्रभाव, वित्तीय विवरणों से भिन्न हो सकता है, जैसा कि इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख से अनुमानित है और भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के निकट निगरानी करना जारी रखेगा।

1.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण परंपरागत लागत पर कम संचित मूल्यह्रास और संचित खराब हानि यदि कोई हो, दिये गये हैं। लागत में सभी प्रासंगिक व्यय सेनवाट क्रेडिट/जीएसटी क्रेडिट के निवल जहाँ कहीं लागू है, शामिल है । नई परियोजनाएँ/ नए व्यवसायों को पहचानने केलिए खर्च हुए राजस्व व्यय को पूँजी कार्य प्रगति के रूप में माना जाता है । इसको व्यवसाय प्रारंभ करने के प्रथम वर्ष में परियोजना लागत में आमेलित किया जाएगा। यदि नई परियोजना/नए व्यवसाय 3 वित्तीय वर्षों की अवधियों में कार्यान्वित नहीं किए गए हैं तो सभी व्यय तीसरे वर्ष में राजस्व में प्रभारित करेंगे।

उत्पादन, आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए निर्माण के दौरान संपत्तियाँ, पहचान की गयी कोई खराब हानि कम करके लागत पर जोडा जाता है।

लागत में उधार पर ब्याज (भारित औसत दर पर परिकलित) और इस तरह की परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए विशेष रूप से आरोप्य प्रशासनिक व्यय शामिल हैं ।

निर्माण अवधि का खर्च पूँजी कार्य प्रगति के अधीन शामिल किया जाता है और यह निर्माण इसकी समाप्ति पर संपत्ति, संयंत्र

(iii) It is expected to realise the asset within twelve months after the reporting period; or

(iv) The asset is cash or cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current. Similarly, a liability is classified as current if:

(i) It is expected to be settled in the normal operating cycle; or

(ii) It is held primarily for the purpose of trading; or

(iii) It is due to be settled within twelve months after the reporting period; or

(iv) The Company does not have an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

Terms of a liability that could result in its settlement by the issue of equity instruments at the option of the counterparty does not affect this classification.

All other liabilities are classified as non-current.

1.3 Estimation of Uncertainties relating to the global health pandemic from COVID -19

The group has considered the possible effects that may result from COVID-19 on the carrying amount of Financial assets, Inventory, Receivables, Advances, Property, Plant and Equipment, Intangibles etc. as well as liabilities accrued. In developing the assumptions relating to the possible future uncertainties in the economic conditions because of this pandemic, the group has used internal and external information such as our current contract terms, credit reports, future volume estimate from the business and other related informations etc. Having reviewed the underlying data and based on current estimates the entity expect the carrying amount of the assets will be recovered and there is no significant impact on liabilities accrued. The impact of COVID -19 on the group financial statements may differ from that estimated as at the date of approval of these financial statements and will continue to closely monitor any material changes to future economic conditions.

1.4 Property, Plant and Equipment

Property, Plant and Equipment are stated at historical cost less accumulated depreciation and accumulated impairment loss if any. Cost includes all incidental expenditure net of CENVAT credit/ GST Credit wherever applicable. Revenue expenses incurred for identification of new projects/ new line of businesses are treated as capital work in progress. This will be absorbed into the project cost in the first year of commencing the business. If the new project/ new line of business does not materialize within a period of three financial years, the entire expenses shall be charged to Revenue in the 3rd year.

Properties in the course of construction for production, supply or administrative purposes are carried at cost, less any recognised impairment loss.

The cost includes interest on borrowings (calculated at the weighted average rates) and administrative expenses specifically attributable to the acquisition of such assets.

Expenditure during construction period is included under Capital Work-in-Progress and the same is allocated to the respective items of Property, Plant and Equipment on the completion of construction. In respect of Pharmaceutical manufacturing facility, expenditure incurred are

और उपकरण से संबंधित मदों में आबंटित किया जाता है । फार्मस्यूटिकल्स विनिर्माण सुविधा के संबंध में हुए खर्च मान्यता प्रक्रिया पूरा होने तक चालू पूँजी कार्य के अधीन शामिल किया जाता है ।

रु. 5 लाख या अधिक अलग-अलग मूल्य के तिरिक्त पुर्जे, स्टान्ट बई उपकरण और सर्वीसिंग उपकरण या 12 महिने से अधिक अवधि के लिए उपयोग किये जाने की संभावना है, को उनके अधिग्रहण पर पूँजीकृत किया जाता है।

इंड एएस केलिए संक्रमण पर समझी लागत

कंपनी ने पिछले जीएएपी के अनुसार मापित 01 अप्रैल, 2015 (संक्रमण तारीख) को पहचान किए इसके सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण जारी रखने के लिए चुना है और संक्रमण तारीख से इस तरह के रखाव मूल्य को समझी लागत के रूप में उपयोग करना।

अस्वीकृत

निपटान या परिसंपत्ति की सतत उपयोग से उठाने के लिए प्रतीक्षित भविष्य के आर्थिक फायदे नहीं होने पर संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के मद को अस्वीकृत किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक मद के निपटान या निवृत्ति पर उठाने वाले कोई भी अभिलाभ या हानि को बिक्री परिणाम और परिसंपत्ति के रखाव रकम के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और उसको लाभ या हानि में स्वीकृत किया जाता है ।

1.5 निवेश संपत्ति

संपत्ति जो लंबी अवधि के किराया वस्तु या पूँजी वृद्धि या दोनों के लिए रखी गई है और जो कंपनी के कब्जे में नहीं है या उसके हिस्से पर कब्जा नहीं है, उसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निवेश संपत्ति को शुरू में इसकी लागत पर मापा जाता है, जिसमें संबंधित लेनदेन लागत और जहाँ लागू हो, उधार लागत शामिल है। आगामी व्यय को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में तभी पूँजीकृत किया जाता है जब यह संभावना हो कि व्यय से जुडे भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मदों की लागत को विश्वासपूर्वक मापा जा सकता है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव की लागत के व्यय होने पर खर्च की जाती है। जब एक निवेश संपत्ति का हिस्सा बदल दिया जाता है तो बदले गए हिस्से की अग्रणीत राशि को अमान्य कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जब किराए पर दी गई संपत्ति खाली हो जाती है और प्रबंधन का इरादा, खाली हिस्से का उपयोग अपनी व्यावसायिक ज़रूरतों के उद्देश्य के लिए करना है, तो निवेश संपत्तियों को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत इमारत के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। निवेश संपत्तियों को उनके अनुमानित उपयोगिता काल पर लिखित मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्यह्रास किया जाता है जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के तहत इमारतों के मूल्यह्रास के लिए उपयोगिता काल के अनुरूप है।

1.6 अमूर्त परिसंपत्ति

कंपनी ने पिछले जीएएपी के अनुसार मापित, 1 अप्रैल, 2015 (संक्रमण तारीख) को पहचान कर लिये इसके सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के रखाव मूल्य के साथ जारी रखने के लिए चुना है और संक्रमण तारीख से इस तरह के रखाव मूल्य को समझी लागत के रूप में प्रयोग करना ।

असीमित उपयोगी काल सहित अमूर्त परिसंपत्तियाँ संचित परिशोधन और संचित खराब हानि कम करके पूँजीकृत किया जाता है और लागत पर ले जाता है। असीमित उपयोगी काल सहित अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन व्यय लाभ और हानि में स्वीकृत किया जाता है जब ऐसे खर्च अन्य परिसंपत्तियों के रखाव मूल्य के हिस्सा नहीं बनता है।

असीमित उपयोगी काल सहित अमूर्त परिसंपत्तियाँ परिशोधित नहीं की जाती हैं, लेकिन प्रतिवर्ष हानि के लिए जाँच की जाती हैं। असीमित काल आगे भी समर्थन योग्य होगा यह निर्धारित करने के लिए प्रतिवर्ष असीमित काल के मूल्यांकन की समीक्षा की जाती है। यदि नहीं है, असीमित से सीमित की ओर उपयोगी काल का परिवर्तन संभावित आधार पर बनाया जाता है।

परिशोधन उनके आकलित उपयोगी जीवि पर सीधी - रेखा प्रणाली के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

included under Capital Work in Progress till the validation process is completed.

Spare parts, stand by equipment and servicing equipment having individual value of ₹5 lakh or more and are expected to be used for a period more than 12 months are capitalized on their acquisition.

Deemed cost on transition to Ind AS;

The Company has elected to continue with the carrying value of all of its property, plant and equipment recognised as of April 1, 2015 (the transition date) measured as per the previous GAAP and use such carrying value as its deemed cost as of the transition date.

De-recognition:

An item of property, plant and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognised in profit or loss.

1.5 Investment Property:

Property that is held for long-term rental yields or for capital appreciation or both, and that is not occupied or part occupied by the Company, is classified as investment property. Investment property is measured initially at its cost, including related transaction costs and where applicable, borrowing costs. Subsequent expenditure is capitalized to the asset's carrying amount only when it is probable that future economic benefits associated with the expenditure will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and maintenance costs are expensed when incurred. When part of an investment property is replaced, the carrying amount of the replaced part is derecognized. Additionally, when a property given on rent is vacated and the management's intention is to use the vacated portion for the purpose of its own business needs, Investment Properties are reclassified as Buildings under Property, Plant and Equipment. Building leased out to HITES has classified under Property, Plant and Equipment. Investment properties are depreciated using the written down value method over their estimated useful lives which is consistent with the useful lives followed for depreciating Buildings under Property, Plant and Equipment.

1.6 Intangible Asset

The Company has elected to continue with the carrying value of all of its intangible assets recognized as of April 1, 2015 (the transition date) measured as per the previous GAAP and use such carrying value as its deemed cost as of the transition date.

Intangible assets with finite useful lives are capitalized and carried at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses. The amortization expense on intangible assets with finite lives is recognized in the statement of profit and loss unless such expenditure forms part of carrying value of another asset.

Intangible assets with indefinite useful lives are not amortized, but are tested for impairment annually. The assessment of indefinite life is reviewed annually to determine whether the indefinite life continues to be supportable. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.

Amortization is recognized on a straight-line basis over their estimated useful lives.

ई आर पी सॉफ्टवेयर सोलूशन के अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की लागत 3 वर्षों की अवधि में समान रूप से परिशोधित किया जाता है जबकि ई आर पी सॉफ्टवेयर सोलूशन यथानुपात आधार पर 8 वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है। प्रदत्त लाइसेंस शुल्क करार अवधि में समान रूप से परिशोधित किया जाता है।

ट्रेड मार्क / पेटेंट 5 साल की अवधि में परिशोधित की जाती है।

ट्रेड मार्क व्यय

ट्रेड मार्क पंजीकरण पर खर्च हुए व्यय, चालू पूँजी कार्य के रूप में माना जाएगा और लाइसेंस प्राप्त होते ही 'अमूर्त परिसंपत्तियों' के अधीन पूँजीकृत किया जाएगा। इन लाइसेंसों पर खर्च हुए उत्तरवर्ती व्यय को ऐसे व्यय खर्च हुई अवधि में राजस्व व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी।

अमूर्त परिसंपत्तियों की अस्वीकृति

एक अमूर्त परिसंपत्ति को निपटान पर या उपयोग या निपटान से कोई भविष्य आर्थिक फायदा की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, अस्वीकृत किया जाता है ।

एक अमूर्त संपत्ति की अस्वीकृति से उत्पन्न अभिलाभ या हानि को निवल निपटान प्राप्ति और परिसंपत्ति की राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है, परिसंपत्ति अस्वीकृत होते समय लाभ हानि में स्वीकृत किया जाता है ।

1.7 मूल्यहास/ऋण मुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 11 के अधीन अपेक्षाओं के अनुसार मूर्त परिसंपत्तियों के अलावा निर्माण के अधीन पूर्ण स्वामित्ववाली भूमि या संपत्तियों पर मूल्यहास बनाया गया है । आगे, मूल्यहास संयंत्र एवं मशीनरी के अधीन सभी परिसंपत्तियों केलिए सीधी रेखा विधि और अन्य परिसंपत्तियों केलिए मूल्यहास मूल्यविधि (अमूर्त परिसंपत्तियों और पट्टाधृत परिसंपत्तियों के अलावा) पर प्रभारित किया गया है ताकि कोई भी तकनीकी सलाह के आधार पर निर्धारित उपयोगी कार्यकाल के उन परिसंपत्तियों को छोडकर अधिनियम में निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी कार्यकाल पर लागत के 5% अवशेष मूल्य बनाए रखने के बाद परिसंपत्तियों की लागत को बट्टे खाते में डालना है।

यदि मुख्य परिसंपत्तियों संघटकों को मूल परिसंपत्तियों से प्रत्यक्ष रूप से अलग उपयोगी जीवन है तो, अलग रूप से पहचान और निर्धारित किये जाते हैं। एक घटक भौतिक या नहीं यह निर्धारित करने की सीमा रेखा के रूप में मूल परिसंपत्ति की मूल लागत की 10% को विचार किया जाता है।

जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक मद का महत्वपूर्ण भाग को विविध उपयोगी जीवन है तो उनको संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अलग मदों (प्रमुख घटक) के रूप में परिकलित किया जाता है ।

01.04.1993 से अचल परिसंपत्तियों में प्रति ₹5000/- या उससे कम लागत के परिवर्धनों को खरीदी के वर्ष की अवधि में, परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य को बनाये रखे, परिवर्धन की तारीख को ध्यान में रखे बिना पूर्णतया मूल्यहास किये जाते हैं। उपकरण के साथ अर्जित मशीनरी पुर्जों का मूल्यहास मूल मशीनरी केलिए उपयुक्त दर व प्रणाली के प्रयोग करके किए जाते हैं।

भविष्य के प्रयोग केलिए अलग रूप से प्रापण किए मशीनरी पुर्जों के मामले में, संबंधित मशीनरी की समाप्त अवधि के लिए संचित मूल्यहास के समतुल्य दर अर्जन वर्ष में उस वर्ष के मूल्यहास के साथ चार्ज किए जाते हैं ।

अवशिष्ट मूल्यों, अनुमानित उपयोगी जीवन और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मूल्यहास/ ऋणमुक्ति की प्रणाली और अमूर्त परिसंपत्तियाँ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है, अनुमान में किसी भी परिवर्तन प्रभाव के साथ प्रत्याशित आधार पर किया जा रहा है।

1.8 पट्टा

कंपनी ने संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का उपयोग करते हुए 01 अप्रैल 2019 से सभी मौजूदा पट्टों पर इंड ए एस 116 को

The cost of computer software other than ERP Software Solution is amortized equally over a period of 3 years, whereas ERP software solution is amortized over a period of 8 years on pro-rata basis. License fee paid is amortized equally over the agreement period.

Trade mark / Patents are amortized over a period of 5 years

Trademark Expenses

Expenses incurred on trade mark registrations will be treated as Capital work in progress and will be capitalized under 'intangible assets' when licenses are received. Subsequent expenditure incurred on those licenses will be recognized as revenue expenses in the period in which such expenses are incurred.

De-recognition of intangible assets:

An intangible asset is derecognized on disposal, or when no future economic benefits are expected from use or disposal. Gains or losses arising from de-recognition of an intangible asset, measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, is recognized in profit or loss when the asset is derecognized.

1.7 Depreciation/ Amortization

Depreciation on tangible assets and Investment Properties other than Freehold land and properties under construction have been made in line with the requirement under Schedule II of the Companies Act, 2013. Further depreciation has been charged on Straight line method for all assets under Plant & Machinery and written down value method for other assets (except intangible asset and leasehold assets) so as to write off the cost of the assets after retaining residual value of 5% of the cost, over the useful lives of the assets prescribed in the Act, except for those assets whose useful lives are determined based on any technical advice.

Components of main assets were identified and determined separately, if they have a useful life that is materially different from that of the principal asset. 10% of the original cost of the principal asset has been considered as threshold limit to determine whether a component is material or not.

When significant parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, they are accounted for as separate items (major components) of Property, Plant and Equipment.

Additions to Fixed Assets from 01.04.1993, costing ₹5000/- each or less are fully depreciated during the year of purchase, irrespective of the date of addition retaining the residual value of assets. Machinery spares acquired with the equipment are depreciated using the same rates and method applicable for the original machinery.

In the case of Machinery spares procured separately for future use, rate equivalent to accumulated depreciation for the expired life of the relative machinery are charged in the year of acquisition along with depreciation for the year.

The residual values, estimated useful life and method of depreciation/amortisation of Property, Plant and Equipment’s and Intangible assets are reviewed at the end of each reporting period, with the effect of any changes in estimate being accounted for on a prospective basis.

1.8 Leases

The company has adopted Ind AS 116 on leases w.e.f 01st April 2019 on all existing leases, using

अपनाया है और प्रारंभिक लागू होने की तिथि पर बनाए रखे आय का संचयी समायोजन किया है। तदनुसार पिछली अवधि की जानकारी को पुनरस्थापित नहीं किया गया है।

अनुबंध की शुरुआत में ग्रूप इस का आकलन करता है कि अनुबंध पट्टा है या अनुबंध में पट्टा शामिल है यदि अनुबंध का विचार करने की ओर बदले में कुछ समय की अवधि पहचान की गई परिसंपत्तियों का उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है तो अनुबंध पट्टा है या अनुबंध में पट्टा शामिल है। अनुबंध पट्टा है या अनुबंध में पट्टा शामिल है, का आकलन करने के लिए, कंपनी यह आकलन करती है कि :

i) अनुबंध में पहचान की गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल है।

ii) कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक हित लाभ को काफी हद तक प्राप्त करने का अधिकार है।

iii) कंपनी के पास परिसंपत्ति के उपयोग के निर्देश देने का अधिकार है।

पट्टा शुरू करने की तिथि पर कंपनी परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार (आरओयु) और सभी पट्टा व्यवस्था के लिए एक समान पट्टा देयता को मान्यता देती है जिसमें बारह महीने या उससे कम अवधिवाले पट्टों (अल्पावधि पट्टा) और कम मूल्य की परिसंपत्ति के पट्टों को छोडकर यह पट्टेदार है। इन अल्पावधि और कम मूल्य परिसंपत्ति के पट्टों के लिए कंपनी, पट्टे की अवधि पर सीधी रेखा के आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में पट्टे भुगतान को पहचानती है।

परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है जिसमें पट्टे की शुरूआत की तारीख को या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे भुगतान के अलावा किसी भी पट्टे प्रोत्साहन से कम किसी भी प्रारंभिक सीधा लागत के लिए समायोजित पट्टे की देयता की प्रारंभिक राशि शामिल है। वे यदि कोई मूल्यह्रास और खराब हानि को कम संचित लागत पर तत्पश्चात् मापा जाता है तो परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार, पट्टे की अल्पकालीन अवधि एवं अंतर्निहित परिसंपत्ति की लाभदायकता को सीधी रेखा के आधार पर प्रारंभ तिथि से मूल्यह्रास किया जाता है।

पट्टा देयता को शुरू में भविष्य के पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके या आसानी से निर्धारित नहीं किया जाता है, तो वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करते हुए छूट दी जाती है। पट्टे देयता पर ब्याज को प्रतिबिंबित करने के लिए रखाव रकम में वृद्धि करके और किए गए पट्टे के भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए रखाव रकम को कम करके पट्टा देयता को बाद में पुनः मापा जाता है।

पट्टे भुगतान का निर्धारण करने के लिए पट्टे अवधि में बदलाव या इंडेक्स या दर में बदलाव जैसी कुछ घटनाएं होने पर पट्टा देयता को पुनः मापा जाता है। पुनः माप आम तौर पर पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को भी समायोजित करता है।

पट्टा देयता और परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार को तुलन पत्र में अलग रूप से प्रस्तुत किया जाता है और पट्टे के भुगतान को वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

1.9 गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की असमर्थता

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी निर्धारण करती है कि वहाँ इसकी परिसंपत्तियों को (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियों और समनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों में लागत पर वहन किए इक्विटी उपकरणों में निवेश लागत पर की गई) उनके रखाव रकम के संदर्भ में खराब हानि की अवस्था हुई है। यदि खराब हानि का कोई संकेत विद्यमान है, रखाव रकम वसूली योग्य रकम से अधिक बन जाते हैं, ऐसी परिसंपत्तियों की वसूली योग्य रकम (यानि उच्च उचित मूल्य से निपटान की लागत और उपयोग में मूल्य कम करके) का परिकलन किया जाता है और खराब हानि की पहचान की जाती है। वसूली योग्य रकम परिसंपत्तियों के निवल विक्रय मूल्य और इसके उपयोग में मूल्य के उच्च है ।

उपयोग में मूल्य निर्धारण में अनुमानित भविष्य के नकद प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर प्रयोग करके जो उनके वर्तमान मूल्य पर

the modified retrospective method and has taken the cumulative adjustment to retained earnings on the date of initial application. Accordingly, previous period information has not been restated.

The Company assesses whether a contract is or contains a lease, at inception of a contract. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract is or contains a lease, the Company assesses whether:

i) The contract involves the right to control the use of an identified asset

ii) The Company has right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset throughout the period of the lease and

iii) The Company has the right to direct the use of the asset.

At the date of commencement of the lease, the Company recognises a right-of-use asset (ROU) and a corresponding lease liability for all lease arrangements in which it is a lessee, except for leases with a term of twelve months or less (short term leases) and leases of low value assets. For these short term and leases of low value assets, the Company recognises the lease payments as an operating expense on a straight line basis over the term of the lease.

The right-of-use assets are initially recognised at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or prior to the commencement date of the lease plus any initial direct costs less any lease incentives. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Right-of-use assets are depreciated from the commencement date on a straight line basis over the shorter of the lease term and useful life of the underlying asset.

The lease liability is initially measured at the present value of the future lease payments. The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease or, if not readily determinable, using the incremental borrowing rates. The lease liability is subsequently remeasured by increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability, reducing the carrying amount to reflect the lease payment made.

A lease liability is remeasured upon the occurrence of certain events such as a change in the lease term or a change in an index or rate used to determine lease payments. The remeasurement normally also adjusts the leased assets.

Lease liability and Right of use asset are separately presented in the Balance Sheet and lease payments are classified as financing cash flows.

1.9 Impairment of Non-financial assets

At the end of each reporting period, the Company assesses whether there is any indication that its assets (property, plant and equipment, intangible assets and investments in equity instruments in subsidiaries, joint ventures and associates carried at cost) have suffered an impairment loss with reference to their carrying amounts. If any indication of impairment exists, the recoverable amount (i.e. higher of the fair value less costs of disposal and value in use) of such assets is estimated and impairment is recognized, if the carrying amount exceeds the recoverable amount. Recoverable amount is the higher of the asset's net selling price and its value in use.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been

कटौती की जाती है, बट्टा दर विद्यमान मार्किट धन के समय मूल्य के निर्धारण पर प्रतिबिंबित है और परिसंपत्तियों पर स्पष्ट जोखिम जिसके लिए भविष्य के नकद प्रवाह मार्किट प्राकलन समयोजित किया जाता है । विकास के अधीन परियोजनाओं के मामले में, भविष्य के नकदी प्रवाह परियोजना से संबंधित सबसे नवीनतम बजट या पूर्वानुमान के आधार पर अनुमानित है, वर्तमान बाज़ार स्थितियों से सामायोजित किया गया है।

जब एकल वसूली योग्य रकम का प्राकलन करना असंभव होता है, तब कंपनी नकद-पैदाइश यूनिट जिसमें परिसंपत्ति संबंध रखती है , वसूली योग्य रकम का प्राकलन करती है ।

जब एक खराब हानि इस के बाद उत्क्रमण होती है, परिसंपत्ति की रखाव रकम (या नकद पैदाइश यूनिट) इसकी वसूली योग्य रकम के संशोधित प्राकलन तक बढा दिया जाता है, लेकिन वृद्धि की गई रखाव रकम, बढी हुई रखाव रकम तक नहीं बढता है,जो निर्धारित किया गया होता। जो पूर्व वर्षों में (या नकद पैदाइश यूनिट) परिसंपत्तियों के लिए स्वीकृत नहीं की गई। एक खराब हानि के उत्क्रमण लाभ या हानि में जल्दी ही पहचान की जाती है ।

1.10 समनुषंगी और संयुक्त उद्यम में निवेश

कंपनी इंड एएस 27 के अनुसार लागत में समनुषंगियों, संयुक्त उद्यम और सहयोगियों की अपनी निवेशों का मूल्यांकन करती है। संक्रमण तारीख में, कंपनी ने पिछले जीएएपी के अनुसार मापित ऐसे निवेशों के रखाव मूल्य के साथ जारी रखने को चुन लिया है और इसकी समझी लागत के रूप में इस तरह के रखाव मूल्य का उपयोग करती है।

1.11 वस्तुसूची

वस्तुसूची कम लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य में कहा गया है।

कच्चे माल, भंडार, पुर्जे, उपभोक्ता साधन और व्यापार माल की लागत में खरीदियों की लागत और कर और शुल्क शामिल है और सेनवेट/वैट योजनाओं के अधीन पात्र क्रेडिट के निवल है। कार्य प्रगति और तैयार माल की लागत में प्रत्यक्ष सामग्रियाँ, प्रत्यक्ष श्रम और परिवर्तनीय और अचल खर्च के उचित अनुपात शामिल है जो एक व्यवस्थित आधार पर आबंटित किया जाता है। वस्तुसूची की लागत में अन्य संबंधित सभी लागत जो वस्तुसूचियों को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में खर्च हुए हैं।

कच्चे माल, भण्डार एवं अतिरिक्त पुर्जों के मूल्यांकन केलिए औसतन भार फार्मुला का इस्तेमाल किया जाता है। कार्य प्रगति, संक्रमण में स्थित/निरीक्षणाधीन सामग्रियों को वास्तविक प्रक्रिया लागत पर लिए जाते हैं। हर वर्ष में अप्रयुक्त ढीला औजारों को उनके उपयोगी कार्यकाल पर ध्यान रखकर पुनर्मूल्यांकित किए जाते हैं और पुनरमूल्यांकित लागत पर लिये जाते हैं। विनिर्मित तैयार माल /व्यापार केलिए खरीदे गये मालों को, जहाँ कहीं लागू है वैट/जीएसटी अधिनियमों के तहत पात्र क्रडिट के कर एवं शुल्क सहित न्यूनतम लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किये जाते हैं। स्टॉक में विनिर्मित/विक्रेय तैयार माल जिसका शेल्फ लाइफ तुलन पत्र की तारीख से 3 महीनों के अंतर समाप्त होता है, को शून्य मूल्य पर लिए जाते हैं।

सामग्रियों/ तैयार उत्पादों के मदों की धीमी गति के संबंध में यदि कोई हानि केलिए प्रावधान उपयोगिता/विपणन योग्यता के संबंध में तकनीकी राय प्राप्त करने के बाद परिकलित किया जाता है।

निवल वसूली योग्य मूल्य में वस्तुसूचियों के लिए प्राकलित विक्रय मूल्य समाप्ति की सभी प्राकलित लागत और बिक्री के लिए बनाई गयी आवश्यक लागत कम कर के प्रतिनिधान करता है।

1.12 नकद और नकद तुल्यांक

हस्तगत नकद और बैंक के साथ माँग जमा समावेशित है। नकद तुल्यांक अल्पावधि शेष के है उच्च नकदी निवेश, जो नकद की ज्ञात रकम में आसानी से परिवर्तनीय है और मूल्य में परिवर्तन नगण्य जोखिम के अधीन होते हैं।

इंड एएस 7 के अनुसार नकद प्रवाह विवरण के उद्देश्य के लिए, नकद तुल्यांक में बैंक ओवरड्राफ्ट और नकद क्रेडिट भी शामिल हैं जो माँग पर चुकाने योग्य होते हैं।

adjusted. In the case of projects under development, the future cash flows are estimated based on the most recent budgets or forecasts relating to the project, adjusted to the current market conditions.

When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the cash-generating unit to which the asset belongs.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

1.10 Investments in Subsidiaries and Joint venture

The Company measures all its investments in subsidiaries, joint ventures and associates at cost in accordance with Ind AS 27. At transition date, the Company has elected to continue with the carrying value of such investments measured as per the previous GAAP and use such carrying value as its deemed cost.

1.11 Inventories

Inventories are stated at lower of cost or net realizable value. Cost of raw materials, stores, spares, consumable tools and traded goods comprises cost of purchases and includes taxes and duties and is net of eligible credits under CENVAT/VAT/GST schemes. Cost of work-in-progress, and finished goods comprises direct materials, direct labour and an appropriate proportion of variable and fixed overheads, which is allocated on a systematic basis. Cost of inventories also includes all other related costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition.

The weighted average formula is used for the valuation of raw materials, stores and spares. Work-in-progress, materials in transit/under inspection is carried at actual process cost. Unused Loose Tools are revalued every year taking into account the useful life of the tools and carried at the revalued cost. Finished goods manufactured/goods purchased for trading are valued at lower of cost/net realizable value, including taxes and duties net of eligible credits under VAT/GST Acts, wherever applicable. Manufactured / traded finished goods in stock other than pharmaceutical products whose shelf life expires within three months from the Balance Sheet date are taken at NIL value.

The provision for loss if any in respect of slow moving items of materials/finished products are accounted after obtaining the technical opinion regarding the usability/marketability.

Net realizable value represents the estimated selling price for inventories less all estimated costs of completion and costs necessary to make the sale

1.12 Cash and cash equivalents

Cash comprises cash on hand and demand deposits with banks. Cash equivalents are short-term balances, highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value.

For the purpose of cash flow statement as per Ind AS 7, Cash Equivalents also include Bank Overdraft and Cash credit which are repayable on demand.

1.13 वित्तीय साधन

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

प्रारंभिक पहचान और मापन

सभी वित्तीय परिसंपत्तियाँ प्रारंभ में उचित मूल्य प्लस पर पहचान की जाती हैं, लाभ या हानि के ज़रिए उचित मूल्य पर रिकॉर्ड नहीं की गयी वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए कारण बन गए लेनदेन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों पर किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों के क्रय या बिक्री, जिसको बाज़ार स्थान (नियमित व्यापार तरीका) में विनियमन या संयोजन के द्वारा संस्थापित समय सीमा के अंतर्गत परिसंपत्तियों का वितरण अपेक्षित है, को व्यापार तारीख पर पहचान किया जाता है, यानी तारीख जो कंपनी परिसंपत्ति को खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्ध रहती है।

आगामी मापन

आगामी मापन के उद्देश्य के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियाँ श्रेणियों में वर्गीकृत की जाती हैं:

- परिशोधित लागत पर ऋण साधन।
- अन्य व्यापक आय के ज़रिए उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफ वी टी ओ सी आई)।
- लाभ या हानि के ज़रिए उचित मूल्य पर ऋण साधन, व्युत्पन्न और इक्विटी साधन (एफ वी टी पी एल)।
- अन्य व्यापक आय के ज़रिए उचित मूल्य पर मापित इक्विटी साधन (एफ वी टी ओ सी आई)

परिशोधित लागत पर ऋण साधन

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरे किए जाते हैं तो कंपनी परिशोधित लागत पर एक ऋण साधन वर्गीकृत करती है।

क) परिसंपत्तियाँ एक व्यवसाय मॉडल के अंतर रखी जाती हैं, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाह को समाहरित करने के लिए परिसंपत्तियों को रखना है और

ख) परिसंपत्ति का संविदात्मक शर्तें नकद प्रवाह पर विनिर्दिष्ट तारीख पर उत्पन्न होते हैं, जो बकाया मूल नकद पर मूलधन और ब्याज का एकल भुगतान है (एस पी पी आई)।

ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियाँ बाद में प्रभावी ब्याज दर (आई आई आर) पद्धति के प्रयोग से परिशोधित लागत पर मापन की जाती हैं। परिशोधित लागत, अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत को लेकर गणना की जाती है, जो ई आई आर का अभिन्न अंग है। ई आई आर अधिग्रहण लाभ या हानि में वित्तीय आय पर शामिल किया जाता है। हानि से उत्पन्न नुक्सान लाभ या हानि में पहचान नही किया जाता है।

एफ वी टी ओ सी आई पर ऋण साधन

यदि निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे किए जाते हैं, तो कंपनी एफ वी टी ओ सी आई पर एक ऋण साधन वर्गीकृत करती है :

क) संविदात्मक नकद प्रवाह को समाहरित करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचते हुए दोनों व्यवसाय मॉडल के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, और

ख) परिसंपत्तियों का संविदात्मक नकद प्रवाह एस पी पी आई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफ वी टी ओ सी आई वर्ग के भीतर सम्मिलित ऋण साधन उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख तक मापन किया जाता है। उचित मूल्य गतिविधियाँ अन्य व्यापक आय (ओ सी आई) पर पहचान की जाती हैं। तथापि, कंपनी लाभ और हानि में ब्याज आय, खराब हानि एवं उत्क्रमण और विदेशी मुद्रा अभिलाभ या हानि पहचान करती है। परिसंपत्तियों की अस्वीकृति पर ओ सी आई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी अभिलाभ या हानि इक्विटी से लाभ एवं हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। एफ वी टी ओ सी आई ऋण साधन नियंत्रित करने के दौरान अर्जित ब्याज ई आई आर पद्धति के प्रयोग से ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

1.13 Financial Instruments

Financial assets

Initial recognition and measurement:

All financial assets are recognized initially at fair value plus, in the case of financial assets not recorded at fair value through profit or loss, transaction costs that are attributable to the acquisition of the financial asset. Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company commits to purchase or sell the asset.

Subsequent measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- Debt instruments at amortized cost
- Debt instruments at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)
- Debt instruments, derivatives and equity instruments at fair value through profit or loss (FVTPL)
- Equity instruments measured at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)

Debt instruments at amortised cost

The Company classifies a debt instrument as at amortized cost, if both the following conditions are met:

a) The asset is held within a business model whose objective is to hold assets for collecting contractual cash flows; and

b) Contractual terms of the asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

Such financial assets are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate (EIR) method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance income in the profit or loss. The losses arising from impairment are recognized in the profit or loss.

Debt instrument at FVTOCI

The Company classifies a debt instrument at FVTOCI, if both of the following criteria are met:

a) The objective of the business model is achieved both by collecting contractual cash flows and selling the financial assets, and

b) The asset's contractual cash flows represent SPPI.

Debt instruments included within the FVTOCI category are measured as at each reporting date at fair value. Fair value movements are recognized in the other comprehensive income (OCI). However, the company recognizes interest income, impairment losses and reversals and foreign exchange gain or loss in the profit and loss. On derecognition of the asset, cumulative gain or loss previously recognized in OCI is reclassified from the equity to profit and loss. Interest earned whilst holding FVTOCI debt instrument is reported as interest income using the EIR method.

एफ वी टी पी एल में ऋण साधन

कंपनी सभी ऋण साधनों का जो परिशोधित लागत या एफ वी टी ओ सी आई या एफ वी टी पी एल के रूप में वर्गीकरण के लिए मानदंड पूरा नहीं करता है, वर्गीकरण करती है।

एफ वी टी पी एल वर्ग के भीतर सम्मिलित ऋण साधन, लाभ एवं हानि में पहचान किए गए सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापन किए जाते हैं।

इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में सभी इक्विटी निवेश उचित मूल्य पर मापन किया जाता है। व्यापार के लिए रखे इक्विटी साधन एफ वी टी पी एल के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। जहाँ, कंपनी ऐसे निवेशों की बिक्री पर भी ओ सी आई से लाभ एवं हानि में रकम के किसी पुनरावर्तन के बिना एफ वी ओ सी आई में इक्विटी साधनों का अपरिवर्तनीय चुनाव करती है, यह अन्य व्यापक आय के उचित मूल्य में अनुवर्ती परिवर्तन का पहचान करता है।

एफ वी टी पी एल वर्ग के भीतर सम्मिलित इक्विटी साधन लाभ एवं हानि में पहचान किए सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापन किए जाते हैं।

अस्वीकृति

वित्तीय परिसंपत्ति मुख्य रूप से अस्वीकृत की जाती है जब :

- समय सीमा समाप्त हो गई परिसंपत्तियों से नकद प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार या
- कंपनी ने परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के इसके अधिकार को हस्तांतरित किया है या "पास - थ्रू" व्यवस्था के अधीन तीसरी पक्षकार को किसी प्रत्यक्ष देरी के बिना प्राप्त नकद प्रवाह को भुगतान करने के दायित्व को ग्रहण किया है और या कंपनी ने पर्याप्त रूप से परिसंपत्ति के सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों को अंतरित किया है या (ख) कंपनी ने पर्याप्त रूप से परिसंपत्ति के सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों को अंतरित या बनाया रखा है, लेकिन परिसंपत्ति के नियंत्रण को अंतरित किया है।

जब कंपनी ने परिसंपत्ति से नकद प्रवाह को प्राप्त करने के इसके अधिकार को हस्तांतरित किया है या एक "पास - थ्रू" व्यवस्था प्रारंभ की है, यह मूल्यांकन करता है कि यदि और किस सीमा तक इसने स्वामित्व के जोखिमों एवं प्रतिफल को बनाए रखा है। जब इसने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से न तो अंतरित या बनाया रखा है न परिसंपत्ति के नियंत्रण को अंतरित किया है, कंपनी इसके अनवरत भागीदारी के किस सीमा तक अंतरित परिसंपत्ति की पहचान जारी रखती है। उस मामले में कंपनी संबंधित देयता को भी पहचानती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति और संबंधित देयता को कंपनी द्वारा बनाये रखे अधिकार एवं दायित्वों के प्रतिबिंब के आधार पर मापन किया जाता है।

अंतरित परिसंपत्ति पर सतत भागीदारी को लेता है, को प्रत्याभूति के रूप में परिसंपत्ति के मूल रखाव रकम और विचार की अधिकतम रकम, जो कंपनी को चुकाने की आवश्यकता हो सकती है कि निम्न स्तर पर मापन की जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर वित्तीय निवेश, व्यापार प्राप्तियाँ, परिशोधन लागत और वित्तीय परिसंपत्तियों (या वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्तियों के दल) की ओर रखे अग्रिम और प्रतिभूति ज़मा जो अन्य व्यापक आय के ज़रिए उचित मूल्य पर मापित किया जाता है, सबूत और सूचना जो अनुचित लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध है। प्रत्याशित क्रेडिट हानियों को (ईसीएल)मूल्य निर्धारित किया जाता है और हानि भत्ताओं की पहचान की जाती है यदि प्रारंभिक स्वीकृति से वित्तीय परिसंपत्ति के क्रेडिट गुणवत्ता अधिक रूप में बिगड जाता है।

ई सी एल मूल ई आई आर में छूट दिए गए ठेका के अनुसार कंपनी को देय सभी संविदात्मक नकद प्रवाह और इकाई प्राप्त

Debt instrument at FVTPL

The Company classifies all debt instruments, which do not meet the criteria for categorization as at amortized cost or as FVTOCI, as at FVTPL.

Debt instruments included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in the profit and loss.

Equity investments

All equity investments in scope of Ind AS 109 are measured at fair value. Equity instruments which are held for trading are classified as at FVTPL. Where the Company makes an irrevocable election of equity instruments at FVOCI, it recognizes all subsequent changes in the fair value in other comprehensive income, without any recycling of the amounts from OCI to profit and loss, even on sale of such investments.

Equity instruments included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in the profit and loss.

De recognition

A financial asset is primarily derecognized when:

- The rights to receive cash flows from the asset have expired, or
- The Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if and to what extent it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Company continues to recognize the transferred asset to the extent of the Company's continuing involvement. In that case, the Company also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company could be required to repay.

Impairment of financial assets

The Company assesses at each reporting date whether a financial asset (or a group of financial assets) such as investments, trade receivables, advances and security deposits held at amortised cost and financial assets that are measured at fair value through other comprehensive income are tested for impairment based on evidence or information that is available without undue cost or effort. Expected credit losses (ECL) are assessed and loss allowances recognised if the credit quality of the financial asset has deteriorated significantly since initial recognition.

ECL is the difference between all contractual cash flows that are due to the Company in accordance

करने के लिए प्रत्याशित सभी नकद प्रवाह (यानी सभी रोकड़ कमी) के बीच का अंतर है, मूल प्रभावी ब्याज दर पर छूट दी जाती है। नकद प्रवाह की गणना करते समय, कंपनी वित्तीय साधन के प्रत्याशित जीवन काल पर वित्तीय साधन के सभी संविदात्मक काल (पूर्व भुगतान, विस्तार, कॉल और समान विकल्प सहित) और रखी हुई जमानत की बिक्री से नकद प्रवाह या संविदात्माक काल के लिए अनिवार्य अन्य क्रेडिट वृद्धि पर विचार करती है।

इस अवधि के दौरान पहचान किए ई सी एल भत्ता (या अलटाव) लाभ एवं हानि के विवरण में खर्च (या आय) के रूप में पहचान किया जाता है। यह रकम लाभ और हानि के 'अन्य खर्च' शीर्षक के अधीन प्रतिबिंबित की जाती है। विविध वित्तीय साधनों के लिए तुलन पत्र प्रस्तुतीकरण नीचे दिया जाता है।

- परिशोधित लागत, संविदात्मक राजस्व प्राप्तियाँ और पट्टा प्राप्तियों के रूप में मापित वित्तीय परिसंपत्तियाँ : ई सी एल एक भत्ते के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो निवल रखाव रकम कम करता है। जब तक परिसंपत्ति बट्टे खाते डालने का मानदंड पूरा नहीं करती है, कंपनी कुल रखाव रकम से हानी भत्ता कम नहीं करती है।
- उधार प्रतिबद्धताएँ और वित्तीय प्रत्याभूति ठेका : ई सी एल तुलन पत्र में प्रावधान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी देयता के रूप में।
- एफ वी टी ओ सी आई में मापित ऋण साधन : वित्तीय परिसंपत्तियाँ उचित मूल्य में पहले ही प्रतिबिंबित है, हानी भत्ता इसके मूल्य से आगे कम नहीं किया जाता है। बल्कि ई सी एल रकम ओ सी आई में " संचित हानि रकम" के रूप में प्रस्तुत की जाती है।

क्रेडिट जोखिम और खराब हानि में वृद्धि के मूल्यांकन करने के लिए, कंपनी एक विश्लेषण को सुगम बनाने के लक्ष्य के साथ साझा क्रेडिट जोखिम विशेषताओं के आधार पर वित्तीय साधनों को जोडती है, जो समय के आधार पर पहचान किये जाने वाले क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि को सक्षम करने के लिए तैयार किया जाता है।

वित्तीय देयताएँ

प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय देयताएँ प्रारंभिक मान्यता पर एफ वी टी पी एल पर वित्तीय देयताओं के रूप में और परिशोधित लागत पर वर्गीकृत की जाती हैं।

परिशोधित लागत, अधिग्रहण पर किसी बट्टा या प्रीमियम और शुल्क या लागत को लेने के लिए आकलित की जाती है, जो ई आई आर का एक अभिन्न भाग है। ई आई आर परिशोधन लाभ और हानि के विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

सभी वित्तीय देयताएँ प्रारंभ में उचित मूल्य पर और ऋण एवं उधार और देय के मामले में, सीधे आरोप्य लेनदेन लागत के निवल पर पहचान की जाती हैं।

कंपनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार एवं अन्य देय, बैंक ओवरड्राफ्ट, वित्तीय प्रतिभूति ठेका और व्युत्पन्न वित्तीय साधन सहित ऋण एवं उधार शामिल हैं।

वर्गीकरण पर आधारित वित्तीय देयताओं का मापन निम्नानुसार है :

एफ वी टी पी एल पर वित्तीय देयताएँ

एफ वी टी पी एल में वित्तीय देयताओं में लाभ या हानि के ज़रिए उचित मूल्य पर प्रारंभिक पहचान पर निर्दिष्ट व्यापार और वित्तीय देयताओं के लिए रखी वित्तीय देयताएँ शामिल हैं। यदि वित्तीय देयताएँ निकट अवधि में पुनः खरीदी के उद्देश्य के लिए खर्च की जाती है तो ये व्यापार के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। इस श्रेणी में ब्याज दर और विदेशी विनिमय दर में इसकी जोखिम प्रबंधन करने के लिए कंपनी द्वारा प्रवेशित व्युत्पन्न वित्तीय साधन भी शामिल हैं, जो भारतीय लेखांकन

with the contract and all the cash flows that the entity expects to receive (i.e., all cash shortfalls), discounted at the original Effective Interest Rate. When estimating the cash flows, the Company considers all contractual terms of the financial instrument (including prepayment, extension, call and similar options) over the expected life of the financial instrument and Cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECL allowance (or reversal) recognized during the period is recognized as expense (or income) in the statement of profit and loss. This amount is reflected under the head 'other expenses' in the profit and loss. The balance sheet presentation for various financial instruments is described below:

- Financial assets measured as at amortised cost, contractual revenue receivables and lease receivables: ECL is presented as an allowance, which reduces the net carrying amount. Until the asset meets write-off criteria, the Company does not reduce impairment allowance from the gross carrying amount.
- Loan commitments and financial guarantee contracts: ECL is presented as a provision in the balance sheet, i.e. as a liability.
- Debt instruments measured at FVTOCI: Since financial assets are already reflected at fair value, impairment allowance is not further reduced from its value. Rather, ECL amount is presented as 'accumulated impairment amount' in the OCI.

For assessing increase in credit risk and impairment loss, the company combines financial instruments on the basis of shared credit risk characteristics with the objective of facilitating an analysis that is designed to enable significant increases in credit risk to be identified on a timely basis.

Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL and as at amortised cost.

Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included as finance costs in the statement of profit and loss.

All financial liabilities are recognised initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The Company's financial liabilities include trade and other payables, loans and borrowings including bank overdrafts, financial guarantee contracts and derivative financial instruments.

The measurement of financial liabilities depends on their classification, as described below:

Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at fair value through profit or loss. Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the Company to manage its exposure to interest rate and foreign exchange rate risks and are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by Ind AS 109. Foreign exchange forward

मानक 109 द्वारा निर्धारित बचाव संबंध में हेजिंग साधनों के रूप में निर्धारित नहीं किए गए हैं। विदेशी मुद्रा वायदा ठेके को बाज़ार के रूप में तुलन-पत्र की तारीख तक चिह्नित किया जाता है और अवास्तविक शुद्ध लाभ या और हानि विवरण में पहचान किया जाता है । जब तक अलग एम्बेडेड व्युत्पन्न को प्रभावी हेजिंग साधनों के रूप में निर्धारित नहीं किया जाता है, वे व्यापार के लिए रखे गए के रूप में भी वर्गीकृत किए जाते हैं।

व्यापार के लिए रखे देयताओं पर अभिलाभ या हानि, लाभ या हानि में पहचान किए जाते हैं।

एफ वी टी पी एल के रूप में निर्धारित देयताओं के लिए अपने क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ/हानि के उचित मूल्य ओ सी आई में पहचान किया जाता है। ये अभिलाभ/हानि बाद में लाभ और हानि के लिए स्थानांतरित नहीं किए जाते हैं। तथापि, कंपनी संचयी अभि लाभ या हानि को इक्विटी के अंतर्गत स्थानांतरित हो सकता है। ऐसी देयताओं के उचित मूल्य पर सभी अन्य परिवर्तन लाभ या हानि के विवरण में पहचान किए जाते हैं।

ऋण और उधार

प्रारंभिक पहचान के बाद, ई आई आर पद्धति का उपयोग करते हुए ऋण और उधार के ब्याज का तदनंतर परिशोधित लागत पर मापन किया जाता है।

जब देयताएँ अस्वीकृत की जाती हैं और साथ ही साथ ई आई आर परिशोधन प्रक्रिया के ज़रिए, अभिलाभ या हानियाँ लाभ या हानि में पहचान की जाती हैं। अधिक जानकारी के लिए नोट 30 देखें।

वित्तीय प्रत्याभूति ठेका

कंपनी द्वारा जारी किए गए वित्तीय प्रत्याभूति ठेका वह ठेका है जो धारक को एक नुकसाान के लिए प्रतिपूर्ति किए जाने का भुगतान देना अपेक्षित है क्योंकि निर्दिष्ट ऋणधारक, ऋण साधन के शर्तों के अनुसार देय होने पर भुगतान करने को असफल होता है। वित्तीय प्रत्याभूति ठेका, प्रत्याभूति जारी करने को सीधे तौर पर आरोप्य लेन-देन लागत के लिए समायोजित उचित मूल्य पर देयता के रूप में प्रारंभ में पहचान किया जाता है। तदनंतर देयता, भारतीय लेखांकन मानक 109 की हानी के अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित उच्च हानि रकम और कम संचयी परिशोधन पर पहचान की गयी रकम पर मापा जाता है।

वित्तीय देयताओं की अस्वीकृति

देयता के अधीन दायित्व पूरा करने या रद्द करने या समाप्त होने पर वित्तीय देयता अस्वीकृत की जाती है।

जब एक विद्यमान वित्तीय देयता पूर्णतया विभिन्न शर्तों पर उसी विक्रेता से एक दूसरे से प्रतिस्थापित की जाती है या विद्यमान देयता की शर्तें पूर्णतया संशोधित की जाती हैं, तब ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता की अस्वीकृति और नयी देयता की स्वीकृति के रूप में माना जाता है। संबंधित रखाव रकम के अंतर लाभ या हानि के विवरण में पहचान किया जाता है।

अंतः स्थापित व्युत्पन्न

यदि हाइब्रिड ठेके में होस्ट सम्मिलित यानी भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे के अंदर एक वित्तीय परिसंपत्ति है तो कंपनी अंतःस्थापित व्युत्पन्न को अलग नहीं करती है। बल्कि, यह संपूर्ण हाइब्रिड ठेके को भारतीय लेखांकन मानक 109 में सम्मिलित वर्गीकरण अपेक्षाओं का प्रयोग करता है। अन्य सभी हॉस्ट ठेकाओं में अंतः स्थापित व्युत्पन्नों को अलग व्युत्पन्नों और अंतःस्थापित व्युत्पन्नों के रूप में माना जाता है और उचित मूल्य पर रिकार्ड किया जाता है यदि उनके आर्थिक विशेषताओं और जोखिम उन हॉस्ट ठेकाओं से निकटस्थ रूप से संबंध नहीं है और हॉस्ट ठेकाएँ व्यापार के लिए नहीं रखे गए हैं या लाभ या हानि के ज़रिए उचित मूल्य पर निर्धारित किए जाते हैं। प्रभावी हेजिंग साधनों के रूप में निर्धारित नहीं किए जाने तक इन अंतःस्थापित व्युत्पन्नों को लाभ या हानि में पहचान लिए उचित मूल्य पर परिवर्तन के साथ उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

contracts are marked to market as at Balance Sheet date and unrealised net gain or loss is recognised in profit and loss statement. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognised in the profit or loss.

For liabilities designated as FVTPL, fair value gains/ losses attributable to changes in own credit risk are recognized in OCI. These gains/ loss are not subsequently transferred to profit and loss. However, the company may transfer the cumulative gain or loss within equity. All other changes in fair value of such liability are recognised in the statement of profit or loss.

Loans and borrowings

After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortised cost using the EIR method. Gains and losses are recognised in profit or loss when the liabilities are derecognised as well as through the EIR amortisation process. For more information, refer Note 30.

Financial guarantee contracts

Financial guarantee contracts issued by the Company are those contracts that require a payment to be made to reimburse the holder for a loss it incurs because the specified debtor fails to make a payment when due in accordance with the terms of a debt instrument. Financial guarantee contracts are recognised initially as a liability at fair value, adjusted for transaction costs that are directly attributable to the issuance of the guarantee. Subsequently, the liability is measured at the higher of the amount of loss allowance determined as per impairment requirements of Ind AS 109 and the amount recognised less cumulative amortisation.

Derecognition of financial liabilities

A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as the derecognition of the original liability and the recognition of a new liability. The difference in the respective carrying amounts is recognised in the statement of profit or loss.

Embedded derivatives

If the hybrid contract contains a host that is a financial asset within the scope of Ind AS 109, the Company does not separate embedded derivatives. Rather, it applies the classification requirements contained in Ind AS 109 to the entire hybrid contract. Derivatives embedded in all other host contracts are accounted for as separate derivatives and separate embedded derivatives. Rather, it applies the classification requirements contained in Ind AS 109 to the entire hybrid contract. Derivatives embedded in all other host contracts are accounted for as separate derivatives and recorded at fair value if their economic characteristics and risks are not closely related to those of the host contracts and the host contracts are not held for trading or designated at fair value though profit or loss. These embedded derivatives are measured at fair value with changes in fair value recognised in profit or loss, unless designated as effective hedging instruments.

वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक पहचान पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक पहचान के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों, जो इक्विटी साधन और वित्तीय देयताएँ हैं, के लिए कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो ऋण साधन हैं, के लिए पुनर्वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है, यदि वहाँ उन परिसंपत्तियों के संचालन के लिए व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन है। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन विरल होने की उम्मीद की जाती है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन, बाहरिक या आंतरिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप व्यवसाय में परिवर्तन निर्धारित करता है, जो कंपनी के प्रचालन के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा परिवर्तन, बाहरिक पार्टियों को स्पष्ट होंगे। जब कंपनी इसके प्रचालन के लिए महत्वपूर्ण एक कार्यकलाप का निष्पादन प्रारंभ या समाप्त करती है तब व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन होता है, है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत करती है तो यह पुनर्वर्गीकरण की तारीख से लागू होता है जो व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन के तुरंत बाद की अगली रिपोर्टिंग अवधि के बाद का पहला दिन है। कंपनी किसी पूर्व पहचान किए अभिलाभ, हानि (खराब अभिलाभ या हानि सहित) या ब्याज को पुनः स्पष्ट नहीं करती है।

निम्नलिखित तालिका विविध पुनर्वर्गीकरण और उसको कैसे परिकलित किये जाते हैं:

क्र. सं	मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन प्रतिपादन
1	परिशोधित लागत	एफ वी टी पी एल	उचित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तारीख पर मापा जाता है। पूर्व परिशोधित लागत और उचित मूल्य के बीच का अंतर पी : एल में पहचान किया जाता है।
2	एफ वी टी पी एल	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तारीख पर उचित मूल्य इसकी नयी सकल रखाव रकम बन जाती है। नयी सकल रखाव रकम के आधार पर ई आई आर की गणना की जाती है।
3	परिशोधित लागत	एफ वी टी ओ सी आई	उचित मूल्य पुनर्वर्गीकरण तारीख पर मापन किया जाता है।पूर्व परिशोधित लागत और उचित मूल्य के अंतर ओ सी आई में पहचान किया जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ई आई आर में कोई परिवर्तन नहीं है।
4	एफ वी टी ओ सी आई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तारीख पर उचित मूल्य इसकी नयी परिशोधित लागत रखाव रकम बन जाती है। तथापि ओ सी आई में संचित अभिलाभ या हानि उचित मूल्य के प्रति समायोजित की जाती है। इसके फलस्वरूप, परिसंपत्ति का मापन किया जाता है जैसा कि यह सदा परिशोधित लागत पर मापा जाता था।
5	एफ वी टी पी एल	एफ वी टी ओ सी आई	पुनर्वर्गीकरण तारीख पर उचित मूल्य इसकी नयी रखाव रकम बन जाती है। अन्य कोई समायोजन अपेक्षित नहीं है।
6	एफ वी टी ओ सी आई	एफ वी टी पी एल	परिसंपत्तियाँ उचित मूल्य पर मापन करना जारी रखेगी। ओ सी आई में पूर्व पहचान किए गए संचित अभिलाभ या हानि पुनर्वर्गीकरण तारीख पर पी : एल में पुनर्वर्गीकृत किए जाते हैं।

एक साथ परिसंपत्तियों को प्राप्त करने और देयताओं को निपटान करने के लिए यदि वहाँ पहचान की गयी रकम को बराबर करने की ओर वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और वहाँ निवल आधार पर निपटान करने का इरादा है तो वित्तीय परिसंपत्तियाँ एवं वित्तीय देयताएँ बराबर की जाती हैं और निवल रकम तुलन पत्र में रिपोर्ट की जाती है।

1.14 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह अप्रत्यक्ष प्रणाली के उपयोग करके रिपोर्ट किया गया है जिसके द्वारा गैर नकदी प्रकृति के और किसी आस्थगन या गत या भविष्य कैश आवतियों के प्रोद्भवन या भुगतान के लेनदेन के प्रभाव के लिए असाधारण मदों के लाभ/(हानि) और कर समायोजित करता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्तीय प्रबंध कार्यकलापों से नकद प्रवाह लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार अलग किए जाते हैं।

Reclassification of financial assets

The Company determines classification of financial assets and liabilities on initial recognition. After initial recognition, no reclassification is made for financial assets which are equity instruments and financial liabilities. For financial assets which are debt instruments, a reclassification is made only if there is a change in the business model for managing those assets. Changes to the business model are expected to be infrequent. The Company's senior management determines change in the business model as a result of external or internal changes which are significant to the Company's operations. Such changes are evident to external parties. A change in the business model occurs when the Company either begins or ceases to perform an activity that is significant to its operations. If the Company reclassifies financial assets, it applies the reclassification prospectively from the reclassification date which is the first day of the immediately next reporting period following the change in business model. The Company does not restate any previously recognised gains, losses (including impairment gains or losses) or interest.

The following table shows various reclassification and how they are accounted for:

S. No	Original classification	Revised classification	Accounting treatment
1	Amortised cost	FVTPL	Fair value is measured at reclassification date. Difference between previous amortized cost and fair value is recognised in P&L.
2	FVTPL	Amortised Cost	Fair value at reclassification date becomes its new gross carrying amount. EIR is calculated based on the new gross carrying amount.
3	Amortised cost	FVTOCI	Fair value is measured at reclassification date. Difference between previous amortised cost and fair value is recognised in OCI. No change in EIR due to reclassification.
4	FVTOCI	Amortised cost	Fair value at reclassification date becomes its new amortised cost carrying amount. However, cumulative gain or loss in OCI is adjusted against fair value. Consequently, the asset is measured as if it had always been measured at amortised cost.
5	FVTPL	FVTOCI	Fair value at reclassification date becomes its new carrying amount. No other adjustment is required.
6	FVTOCI	FVTPL	Assets continue to be measured at fair value. Cumulative gain or loss previously recognized in OCI is reclassified to P&L at the reclassification date.

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the balance sheet, if there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

1.14 Cash flow statement

Cash flows are reported using the indirect method, whereby profit / (loss) before extraordinary items and tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated based on audited financial statements

1.15 राजस्व मान्यता

इंड एएस 115 - ग्राहकों के साथ ठेके से राजस्व 01 अप्रैल 2018 से प्रभावी है। इंड एएस 115 को राजस्व की आवश्यकता तब होती है जब इकाई माल या सेवाओं के नियंत्रण को एक ऐसी राशि पर ग्राहक को हस्तांतरित करती है जो उस विचार को दर्शाती है, जिसके अनुसार इकाई उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होने की अपेक्षा करती है।

प्राप्त या प्राप्त होने वाले विचार के उचित मूल्य पर राजस्व मापा जाता है।

इंड एएस 115 के कार्यान्वयन ने कंपनी की राजस्व मान्यता पर काफी प्रभावित नहीं किया है।

माल की बिक्री :

जब ग्राहक माल अंतरित करने के द्वारा निष्पादन दायित्व को संतुष्ट किया जाता है तब मालों की बिक्री से राजस्व की पहचान की जाती है। जब परिणामी प्राप्य की संग्रहणीयता उचित रूप से सुनिश्चित किये जाते हैं, राजस्व पहचान किया जाता है।

राजस्व तीसरे पक्षों की ओर से एकत्रित रकम का अनन्य है (उदाहरण के लिए, कर) और ग्राहक रिटर्न, बट्टा और छूट और इसी तरह के अन्य भत्तों के लिए कम किया जाता है।

सरकार (एमओएचएफडब्लियु) को बिक्री के संबंध में, मूल्य में यदि कोई संशोधन है तो अधिसूचित किये जाने तक आपूर्तियों को दर अनुबंध के अनुसार मूल्य के आधार पर बिल और हिसाब किया जाता है। बीमा दावा रसीद के आधार पर हिसाब किया जाता है।

सेवाओं का समर्पण :

जब ठेका के विशिष्ट शर्तों के अनुसार सेवाएँ प्रदान की जाती हैं और परिणामिक प्राप्य की संग्रहणीयता उचित रूप से सुनिश्चित किया जाता है तब सेवाओं से राजस्व को पहचान किया जाता है ।

ठेके अनुरक्षण से राजस्व को ठेके की अवधि पर यथानुपात रूप से पहचान किया जाता है। अवसंरचना विकास प्रभाग और प्रापण परामर्श प्रभाग से संबंधित कार्यकलापों से निम्न जैसे आनुपातिक समापन विधि पर स्वीकृत किया जाता है।

क) टर्नकी ठेके के मामले में, सर्वेक्षण प्रणाली के अधीन ठेके मूल्य के लिए बिल्लिंग प्रगति के आधार पर है।

ख) अन्य ठेके के मामले में, संबंधित अभिकरणों के साथ ठेके के शर्तों के अनुसार दायित्व पूरा करने के आधार पर है।

अन्य प्रचालन राजस्व :

अन्य प्रचालन राजस्वों में कंपनी के प्रचालनों से आनुषंगिक सहायक गतिविधियों से आय शामिल है और जब ठेका के शर्तों के अनुसार आय प्राप्त करने का अधिकार संस्थापित किया जाता है तब पहचान किया जाता है ।

रद्दी लैटेक्स, खाली ड्रम, अस्वीकृत उत्पादें तथा अन्य रद्दी मदों की वसूली राजस्व रोकड़ आधार पर परिकलित किए जाते हैं। अप्रचलित परिसंत्तियों/बट्टे खाते डाले गये सामग्रियों की वसूली, रोकड़ आधार पर परिकलित की जाती है ।

निर्यात बिक्री से संबंधित शुल्क वापसी /निर्यात प्रोत्साहन, निर्यात के वर्ष में परिकलित किए जाते हैं ।

लाभांश और ब्याज आय :

भुगतान प्राप्त करने का कंपनी के अधिकार को संस्थापित किये जाने पर निवेश से लाभांश आय को पहचान किया जाता है (बशर्ते कि यह संभावित है कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा और आय की रकम विश्वसनीय तरीके से मापी जा सकती है) ।

1.15 Revenue recognition

Ind AS 115 – Revenue from Contracts with customers is effective from 01st April 2018. Ind AS 115 requires revenue to be recognised when the entity transfers the control of goods or services to customer at an amount that reflects the consideration to which the entity expects to be entitled in exchange for those goods or services.

Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable.

The implementation of Ind AS 115 has not significantly impacted the revenue recognition of the company.

Sale of goods:

Revenue from the sale of goods is recognised when the performance obligation is satisfied by transferring the goods to the customer. Revenue is recognised when collectability of the resulting receivable is reasonably assured.

Revenue is exclusive of amounts collected on behalf of third parties (for eg., taxes) and is reduced for customer returns, rebates and discounts, and other similar allowances.

In respect of sales to Government (MoHFW), the supplies are billed and accounted based on the price as per the rate contract, till revision in price if any is notified. Insurance claims are accounted on receipt basis.

Rendering of services:

Revenue from services is recognised when the services are rendered in accordance with the specific terms of contract and when collectability of the resulting receivable is reasonably assured.

Revenues from maintenance contracts are recognized pro rata over the period of the contract. Revenue from Infrastructure - development division and Procurement Consultancy division related activities are recognized on proportionate completion method as follows:

a) In case of turnkey contracts, on the basis of progress billing to the contract value under survey method.

b) In the case of other contracts, on the basis of completion of obligation as per the terms of contract with the agencies concerned

Other Operating Revenues:

Other operating revenues comprise of income from ancillary activities incidental to the operations of the Company and is recognised when the right to receive the income is established as per the terms of the contract.

The revenue against realization of waste latex, empty drums, rejected products and other scrap items are accounted on cash basis. The realization in respect of obsolete assets/materials written off is accounted on cash basis.

Duty drawback/export incentive in respect of export sales are accounted in the year of export.

Dividend and Interest Income:

Dividend income from investments is recognised when the Company's right to receive payment has been established (provided that it is probable that the economic benefits will flow to the

प्रमुख बकाया और लागू प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ द्वारा ब्याज आय, समय के आधार पर उपार्जित किया जाता है। (बशर्ते है कि यह संभावित है कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा और आय की रकम विश्वसनीय तरीके से मापी जा सकती है)।

1.16 अन्य आय

बीजक में निर्धारित जैसे विविध देनदारों से देरी से की गई वसूली के लिए यदि कोई ब्याज आय है तो की पहचान नहीं की गयी है तो, प्राप्त होने पर वसूल किया जाएगा। उपर्युक्त के अलावा आय प्रोद्भवन आधार पर परिकलित किए जाते हैं।

1.17 विदेशी मुद्रा लेन-देन और अंतरण

कंपनी के वित्तीय विवरण इंडियन रुपए (₹) में प्रस्तुत किया जाता है, जो इसके के कार्यात्मक मुद्रा भी है।

विदेशी विनिमय में लेन-देन, लेन-देन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर में परिकलित किए जाते हैं । विदेशी मुद्रा अर्जन/देय तुलन पत्र तारीख की विनिमय दर पर बदल दिए जाते हैं । इस बदली से होने वाले लाभ या नष्ट, जब तक अन्यथा न कहा जाय, यह लाभ-हानि विवरण में समायोजित किए जाते हैं ।

विनिमय अंतर व्यवहार

दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के अंतरण या व्यवस्थापन पर विनिमय अंतर (अर्थात, जिसका व्यवस्थापन की अवधि उसके प्रारंभ की तारीख से बारह महीने से अधिक है), जो पिछले वित्तीय विवरणियों में पहले ही रिकोर्ड किए गए या रिपोट किए से अलग हैं, जहाँ तक कि यह दिनांक 31.3.2009 और 29.02.2011 के भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार परिसंपत्तियों की लागत के लिए समायोजित किए गए मूल्यह्रास करने योग्य परिसंपत्तियों से संबंधित है और परिसंपत्तियों के शेष काल परिशोधित किया जाएगा ।

1.18 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान (निर्यात प्रोत्साहन सहित) तभी स्वीकृत किया जाता है जब उचित आश्वासन मिलता है कि कंपनी उनके साथ संबंद्ध शर्तों का अनुपालन करेगी और अनुदान प्राप्त होंगे।

राजस्व मदों के स्वरूप में सरकारी अनुदान को एक अवधि में व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि के विवरणों में स्वीकृत किया जाता है, जिसमें कंपनी संबंधित लागतों को खर्च के रूप में मानी जाती है जिसके लिए अनुदान की क्षतिपूर्ति करने का इरादा है।

बिक्रियों से संबंधित राजस्व अनुदान/इमदाद (उत्पाद इमदाद के अलावा) को अन्य आय के अधीन अलग रूप से प्रकट किए जाते हैं जब कि उत्पाद इमदाद को बिक्री और सेवाओं के अधीन प्रकट किए जाते हैं।

मूल्यह्रास परिसंपत्ति के प्रति अनुदान के संबंध में परिसंपत्ति की लागत को सकल मूल्य पर दर्शाया जाता है और उस पर अनुदान को पूँजी अनुदान के रूप में माना जाता है, जिसको उस अवधि पर मूल्यह्रास चार्ज किए अनुपात में लाभ या हानि विवरण में आय के रूप में पहचान किया जाता है।

जब कंपनी को गैर मौद्रिक परिसंपत्ति का अनुदान प्राप्त होता है, परिसंपत्ति और अनुदान उचित मूल्य में अभिलेखित हैं और अंतर्निहित परिसंपत्ति के हितलाभ के उपभोग के रूप में अपेक्षित उपयोगी जीवन पर लाभ या हानि में जारी किया जाता है।

Company and the amount of income can be measured reliably).

Interest income is accrued on a time basis, by reference to the principal outstanding and at the effective interest rate applicable (provided that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the amount of income can be measured reliably)

1.16 Other Income

Interest income if any for delayed realization from Trade debtors as stipulated in invoices is not recognized, unless realized. Income other than the above are accounted on accrual basis.

1.17 Foreign currency transactions and translations

The company's financial statements are presented in Indian Rupee (₹), which is also its functional currency

Transactions in foreign exchange are accounted for at the exchange rates prevailing on the date of transactions. Foreign currency receivables/payables are translated at the exchange rates as on the Balance Sheet date. Gain or losses arising out of such transactions are adjusted to the statement of Profit and Loss unless otherwise stated.

Treatment of exchange differences

Exchange differences on translation or settlement of long term foreign currency monetary items (i.e., whose term of settlement exceeds twelve months from the date of its origination) at rates different from those at which they were initially recorded or reported in the previous financial statements, in so far as it relates to acquisition of depreciable assets are adjusted to the cost of the assets as per GOI notification dated 31.03.2009 and 29.12.2011 and this will be amortized over the remaining life of the Asset

1.18 Government grants

Government grants (including export incentives) are recognised only when there is reasonable assurance that the Company will comply with the conditions attaching to them and the grants will be received.

Government grants in the nature of revenue items are recognised in the statement of profit or loss on a systematic basis over the periods in which the Company recognises as expenses the related costs for which the grants are intended to compensate.

Revenue grants/subsidy (other than product subsidy) relating to sales are disclosed separately under other operating revenues, whereas product subsidy is disclosed under sales and services.

In respect of grants against depreciable asset, the cost of the asset is shown at gross value and grant thereon is treated as capital grant, which are recognised as income in the statement of profit or loss over the period and the proportion in which depreciation is charged

When the company received grant of non-monetary assets, the asset and the grant are recorded at fair value and released to profit or loss over the expected useful life in a pattern of consumption of the benefit of the underlying asset

1.19 कर्मचारी फायदे

सेवानिवृत्ति लाभ लागत और समाप्ति लाभ;

निर्धारित लाभ योजनाः

निर्धारित लाभ योजनाओं के लिए यानी उपदान और अवकाश भुनाना लाभ प्रदान करने की लागत प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर किये जा रहे बीमांकिक मूल्यांकन के साथ अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए निर्धारित की जाती है ।

निर्धारित लाभ लागत

- सेवा लागत(चालू सेवा लागत, गत सेवा लागत और कोई बीमांकिक अभिलाभ या हानि शामिल हैं)
- निवल ब्याज खर्च या आय
- पुनःमापन

सेवा लगात और निवल ब्याज खर्च या आय, लाभ और हानि के विवरण में प्रतिबिंबित किया जाता है। निवल निर्धारित लाभ देयता/परिसंपत्ति के पुनः मापन में बीमांकिक अभिलाभ या हानि शामिल हैं और उस अवधि, जहाँ यह घटित होता है, के अन्य व्यापक आय के ज़रिए जल्दी ही पहचान की जाती है । अन्य व्यापक आय में पहचान किये पुनःमापन प्रतिधारित अर्जन में जल्दी ही प्रकट किया जाता है और लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

निर्धारित अंशदान योजना :

निर्धारित अंशदान योजनाओं, यानि भविष्यनिधि, अधिवर्षिता निधि, कर्मचारी राज्य बीमा और आय निधियों केलिए कंपनी का अंशदान, केलिए भुगतान संगत विधियों के अधीन की योजनाओं के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं और भारग्रहण की अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण केलिए चार्ज किया जाता है जब सेवायें कर्मचारियों द्वारा सर्मपित की जाती हैं।

निर्धारित अंशदान योजना में कंपनी ने 9-10-2012 को कंपनी रॉल पर रहे स्थायी कर्मचारियों के लिए 1-4-2011 से प्रभावित अंशदायी पेंसन योजना भी शामिल हैं। । कंपनी कर्मचारियों से बराबरी अंशदान मूल वेतन एवं डी ए के 3% के साथ योगदान करेगी। पेंशन योजना जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंध किया जाता है।

अल्पकालिक और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

देयता, उस सेवा के बदले में लाभ की बेदाग राशि भुगतान करने की प्रतीक्षा में संबंधित सेवायें समर्पित करने की अवधि के वेतन, मज़दूरी, निष्पादन प्रोत्साहन, चिकित्सा लाभ और अन्य अल्पकालीन लाभों के संबंध में कर्मचारियों को उपार्जित करने के लाभ केलिए पहचान की जाती है।

अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों के संबंध में पहचान की गयी देयतायें रिपोर्टिंग तारीख तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं के संबंध में कंपनी द्वारा दिये जाने केलिए प्रत्यशित भविष्य के अनुमानित नकद बहिर्वाह के विद्यमान मूल्य पर मापन की जाती है।

सेवा समाप्ति लाभ :

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पद्धति के अधीन किए गए भुगतान भारग्रहण पर लाभ और हानि की ओर प्रभारित किए गए हैं।

1.20 उधार लागत

उधार लागत प्रतिबंध परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के सीधे तौर पर आरोप्य है, उन परिसंपत्तियों की लागत पर जोडी जाती है,परिसंपत्तियाँ वे हैं कि जो उनके उद्दिष्ट उपयोग या बिक्री केलिए तैयार होने को समय की पर्याप्त अवधि अनिवार्य रूप से लेती है, परिसंपत्तियाँ उस समय तक उनके उद्दिष्ट उपयोग या बिक्री के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हैं।

1.19 Employee benefits

Retirement benefit costs and termination benefits:

Defined Benefit plans:

For the defined benefit plans i.e. Gratuity and Leave encashment, the cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Defined benefit costs

- Service Costs (comprising of Current service Cost, Past service cost and any actuarial gain or loss)
- Net Interest expense or Income
- Re-measurment

Service costs and net interest expense or income is reflected in the Statement of Profit and Loss. Re-measurement of net defined benefit liability/asset comprises of Actuarial Gain or Loss and are recognised immediately through Other Comprehensive Income in the period in which they occur. Re-measurement recognised in other comprehensive income is reflected immediately in retained earnings and is not reclassified to profit or loss

Defined Contribution Plan:

Payments to defined contribution plans i.e., Company's contribution to provident fund, superannuation fund, Employee State Insurance and other funds are determined based on the schemes under the relevant statutes and charged to the Statement of Profit and Loss in the period of incurrence when the services are rendered by the employees

Defined contribution plan also includes the Contributory pension scheme effective from 1-4-2011 for the permanent employees who are on the rolls of the company as on 9-10-2012. Company contributes 3% of basic plus DA with a matching contribution from employees as per the pension scheme. The pension scheme is managed by LIC of India.

Short-term and other long-term employee benefits:

A liability is recognised for benefits accruing to employees in respect of salaries, wages, performance incentives, medical benefits and other short term benefits in the period the related service is rendered, at the undiscounted amount of the benefits expected to be paid in exchange for that service.

Liabilities recognised in respect of other long-term employee benefits are measured at the present value of the estimated future cash outflows expected to be made by the Company in respect of services provided by employees up to the reporting date.

Termination Benefits:

Payments made under Voluntary Retirement Scheme are charged to Statement of Profit and Loss on incurrence.

1.20 Borrowing costs

The borrowing cost directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their

परिसंपत्तियों/परिसंपत्तियों के ग्रूप के अर्जन के लिए विशेष रूप से लिए ऋण पर ब्याज परिसंपत्ति मूल्य के आधार पर संबंधित परिसंपत्तियों पर आनुपातिक रूप से आबंटित किए जाते हैं।

सभी अन्य उधार लागत उस अवधि जिसमें उनका खर्च किए गए हैं, में लाभ या हानि में पहचान की जाती है ।

1.21 खंड रिपोर्टिंग

कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 108 के अनुसार उत्पादों की प्रकृति, जोखिम, वापस माल और आंतरिक व्यापार रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर खण्ड रिपोर्टिंग के लिए रिपोर्ट करने योग्य खंड के पहचान किया है। व्यापार प्रभागों को मुख्य रूप से गर्भनिरोधक , स्वास्थ्य रक्षा, अस्पताल, फार्मा, परियोजनाएं & सेवाएं में बांटा गया है। द्वितीय खंड, ग्राहकों का भौगोलिक स्थान है। निम्नलिखित विनिर्दिष्ट लेखा नीतियाँ, खंड रिपोर्टिंग केलिए पालन की गयी हैं :

(क) खंड राजस्व में अन्तर खंड राजस्व सहित खंड केलिए सीधे अभिज्ञेय/विनियोज्य बिक्री एवं अन्य आय शामिल है ।

(ख) खंड परिणाम निश्चित करने के लिए सीधे अभिज्ञेय/विनियोज्य खर्च खण्डों पर विचार किए जाते हैं। पूर्ण रूप से कंपनी से संबंधित खर्च और खंडों को अविनियोज्य खर्चों को 'अविनिधानीय व्यय' के अधीन शामिल किए जाते हैं ।

(ग) कंपनी के पूर्ण रूप से संबंधित खण्डों केलिए अविनियोज्य आय को और 'अविनिधानीय आय' के अधीन शामिल किए जाते हैं ।

(घ) खण्ड परिसंपत्तियों और देयताओं में संबंधित खण्डों के साथ सीधे अभिज्ञेय शामिल हैं। अविनिधानीय कंपनी परिसंपत्तियों एवं देयतायें कंपनी को पूर्ण रूप से संबंधित संपत्तियों और देयताओं के प्रतिनिधित्व करते हैं और किसी भी खंड के लिए विनियोज्य नहीं है।

1.22 आय कर

आय कर खर्च, वर्तमान में देय कर और आस्थगित कर के योग को दर्शाता है। चालू और आस्थगित कर, लाभ या हानी में पहचान किये जाते हैं जब इससे संबंधित मद अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में पहचाम किये जाते हैं, उस अवसर पर चालू और आस्थगित कर क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी पहचान किये जाते हैं।

चालू कर :

चालू कर, अन्य उपयुक्त कर कानून, जो अधिनियमित या काफी अधिनियमित किया गया है, सहित आय कर अधिनियम 1961 के प्रावधानों केलिए उपयुक्त कर दरों और प्रावधानों के अनुसार कर को प्रभार्य वर्ष केलिए कर योग्य लाभ पर निर्धारित किया जाता है।

आस्थागित कर :

आस्थगित कर, वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों एवं देयताओं के रखाव रकम और कर योग्य लाभ के अभिकलन में प्रयुक्त तदनुरूप कर आधार के बीच अल्पकालिक अंतर पर पहचान किया जाता है।आस्थगित कर देयताएँ सामान्तया सभी कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए पहचान की जाती हैं।

आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ सामान्यतया सभी कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए उस सीमा तक पहचान की जाती हैं कि यह संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध हो जाएगा जिस के प्रति उन घटाया अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। यदि लेन - देन में परिसंपत्तियों और देयताओं के प्रारंभिक पहचान (व्यवसाय संयोग के अतिरिक्त) से अस्थायी अंतर उद्भूत होता है, तो ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ और देयतायें पहचान नहीं की जाती है, यह ना तो कर योग्य लाभ या न ही लेखांकन लाभ को प्रभावित करता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ और देयताएँ,अप्रयुक्त कर हानियों को अग्रनीत करने के लिए उस सीमा तक पहचान की जाती हैं

intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time the assets are substantially ready for their intended use or sale.

Interest on loan taken specifically for acquiring assets/group of assets, are proportionately allocated to respective assets based on asset value.

All other borrowing costs are recognised in profit or loss in the period in which they are incurred

1.21 Segment reporting

The Company has identified its reportable segments for Segment Reporting based on the nature of Products, risks, returns and the internal business reporting system in accordance with Ind AS 108. The Business divisions are primarily divided into Contraceptives, Healthcare, Hospital, Pharma, Projects& Services. The secondary segment is the geographical location of customers The following specific policies have been followed for Segment Reporting.

a) Segment revenue includes sales and other income directly identifiable with/allocable to the segment, including inter segment revenue.

b) Expenses that are directly identifiable with/allocable to segments are considered for determining the segment results. Expenses which relate to the company as a whole and not allocable to segments are included under “Unallocable expenditure”.

c) Income which relates to the company as a whole and not allocable to segments is included in “Unallocable Income”.

d) Segment assets and liabilities include those directly identifiable with the respective segments. Unallocable Corporate assets and liabilities represent the assets and liabilities that relate to the company as a whole and not allocable to any segment.

1.22 Income Taxes

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax. Current and deferred tax are recognised in profit or loss, except when they relate to items that are recognised in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the current and deferred tax are also recognised in other comprehensive income or directly in equity respectively.

Current tax:

Current tax is determined on taxable profits for the year chargeable to tax in accordance with the applicable tax rates and the provisions of the Income Tax Act, 1961 including other applicable tax laws that have been enacted or substantively enacted.

Deferred Tax:

Deferred tax is recognised on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognised for all taxable temporary differences.

Deferred tax assets are generally recognised for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilised. Such deferred tax assets and liabilities are not recognised if the temporary difference arises from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit.

कि यह संभावित है कि भविष्य के कर योग्य लाभ उपलब्ध हो जाएगा जिस के प्रति अप्रयुक्त कर हानियाँ और अप्रयुक्त कर क्रेडिट उपयोग किया जा सकता है। इसकी समाप्ति के पहले उपयोग किया जा सकता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की रखाव रकम की समीक्षा की जाती है और उस सीमा तक कम की जाती है कि यह अब संभव नहीं है कि परिसंपत्तियों के सभी या आंशिक भाग की वसूली करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध किये जायेंगे।

आस्थगित कर देयताएँ और परिसंपत्तियाँ कर दर पर मापी गयी हैं, जो अवधि में लागू होने की प्रत्याशा है, जहाँ कर दरों (और कर कानून) के आधार पर देयता की व्यवस्थिति की जाती है या परिसंपत्तियाँ प्राप्त की जाती हैं, जो रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर अधिनियमित या वास्तवित रूप से अधिनियमित की जाती हैं।

आस्थगित कर देयताओं और परिसंपत्तियों का मापन, कर परिणामों को दर्शाता है, जो इस तरीके से पालन करेगा, जिसमें रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर, कंपनी अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं की रखाव रकम को वसूली करने या निपटाने की प्रत्याशा की जाती है।

1.23 आय कर अनुसंधान एवं विकास व्यय

अनुसंधान लागत व्यय किए जैसे खर्च किया जाता है। एकल परियोजना पर विकास खर्च को जब कंपनी प्रदर्शित कर सकती है, विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में पहचान किया जाता है।

- अमूर्त परिसंपत्ति को पूरा करने की तकनीकी व्यवहार्यता जो कि परिसंपत्ति उपयोग या बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगी।
- पूरा करने का इसका इरादा और परिसंपत्ति को उपयोग करने या बेचने का इसके क्षमता एवं इरादा।
- परिसंपत्ति कैसे भविष्य के आर्थिक लाभ उत्पन्न करेगी।
- परिसंपत्ति को पूरा करने के लिए संसाधन की उपलब्धता ।
- विकास के दौरान के खर्च को विश्वसनीय तरीके से मापने की क्षमता।

परिसंपत्ति के रूप में, विकास खर्च के प्रारंभिक स्वीकृति के बाद, परिसंपत्ति, किसी कम संचित ऋणमुक्ति और संचित हानि नुकसान लागत पर कार्यान्वित की जाती है। जब विकास पूरा होता है और परिसंपत्ति उपयोग्य के लिए उपलब्ध है तब परिसंपत्तियों का परिशोधन प्रारंभ होता है। यह भविष्य के प्रत्याशित लाभ की अवधि पर परिशोधित की जाती है। परिशोधन खर्च लाभ और हानि के विवरण में पहचान किया जाता है जब तक ऐसा खर्च अन्य परिसंपत्ति के रखाव मूल्य का भाग बनता है।

विकास की अवधि के दौरान, परिसंपत्तियों को वार्षिक रूप से हानि के लिए जाँच की जाती है, और नुक्सान हानि को तत्काल लाभ और हानि में स्वीकृत किया जाता है।

1.24 प्रावधान,आकस्मिक परिसंपत्ति और देयताएं

गत घटना के परिणामस्वरूप जब कंपनी को विद्यमान दायित्व है (विधिक या निर्माणात्मक), प्रावधानों को पहचान किया जाता है, यह संभावित है कि कंपनी को दायित्व का निपटान करना अपेक्षित होगा और दायित्व की रकम का एक विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है।

दायित्वों के आसपास के जोखिमों एवं अनिश्चितताओं को लेकर, रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर, विद्यमान दायित्वों को निपटाने के लिए अपेक्षित विचार का उत्तम आकलन है, प्रावधान के रूप में पहचान की गयी रकम ।

विद्यमान दायित्व व्यवस्थापित करने के लिए प्राकलित नकद प्रवाह उपयोग करके प्रावधान मापा जाता है तब इस रखाव रकम उन नकद प्रवाहों के वर्तमान मूल्य है । (उस समय के प्रभाव से धन का मूल्य महत्वपूर्ण है।)

Deferred tax asset is recognised for the carry forward of unused tax losses to the extent of Deferred tax liability considering a prudential approach and unused tax credits (MAT Credit) to the extent it is probable that future taxable profit will be available against which it can be utilised before its expiry.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Deferred tax liabilities and assets are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realised, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax liabilities and assets reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities

1.23 Research and development expenses

Research costs are expensed as incurred. Development expenditures on an individual project are recognised as an Intangible Assets under Development, when the Company can demonstrate:

- the technical feasibility of completing the intangible asset so that the asset will be available for use or sale
- its intention to complete and its ability and intention to use or sell the asset
- how the asset will generate future economic benefits
- the availability of resources to complete the asset
- the ability to measure reliably the expenditure during development

Following initial recognition of the development expenditure as an asset, the asset is carried at cost less any accumulated amortisation and accumulated impairment losses. Amortisation of the asset begins when development is complete and the asset is available for use. It is amortised over the period of expected future benefit. Amortisation expense is recognised in the statement of profit and loss unless such expenditure forms part of carrying value of another asset.

During the period of development, the asset is tested for impairment annually and impairment loss is recognised immediately in the statement of profit and loss.

1.24 Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of past events and it is probable that the company will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognised as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation.

When a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows (when the effect of the time value of money is material).

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ वित्तीय विवरण में आम तौर पर नहीं पहचान की गयी है, इसलिए यह रकम, कभी भी वसूल नहीं किये जाने वाले आय की स्वीकृति में परिणत होगी। आकस्मिक परिसंपत्तियाँ, जिनकी आय की प्राप्ति वास्तव में निश्चित है, अलग से प्रकट की जाती हैं। तथापि, जब रकम की प्राप्ति वास्तव में निश्चित है, तब संबंधित परिसंपत्ती आकस्मिक परिसंपत्ती नहीं है और पहचान की जाती है।

आकस्मिक देयता पिछली घटनाओं से उत्पन्न कर रहे एक संभावित दायित्व है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न घटित होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं या एक वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है, लेकिन इसे नहीं पहचान की गयी है, क्योंकि यह संभव नहीं है कि दायित्वों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्वों की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण किया जाता है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर समीक्षा की जाती है।

1.25 पूर्व प्रदत्त खर्च

प्रति ₹10000/- तथा उससे कमवाले के मदों से संबंधित पूर्व प्रदत्त खर्च राजस्व की ओर प्रभारित किए गए हैं।

1.26 बिकी के लिए रखी गई गैर चालू परिसंपत्तियाँ

यदि रखाव रकम उनके निरंतर उपयोग के बजाय मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूलकी जाएगी तो गैर चालू परिसंपत्तियों या निपटान ग्रूप को बिक्री के लिए रखे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।जब परिसंपत्ति उनके वर्तमान स्थिति में इस शर्त् के अधीन कि तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध होता है तब को माना जाता है, ऐसी परिसंपत्ति की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत होती है और इसकी बिक्री अत्याधिक संभावित होती है।

बिक्री के लिए रखे वर्गीकृत गैर चालू परिसंपत्तियाँ या निपटान ग्रूप इनके रखाव रकम के नयूनतम परमापा जाता है और बेचने केलिए उचित मूल्य के कम लागत न्यूनतम से और तुलन पत्र में अलग रूप में प्रकट किया जाता है।

बिक्री के लिए रखे के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से संबंधित देयताए ंतुलन पत्र में अलग से आकलन और प्रकट किया गया है।

1 ख महत्वपूर्ण लोखा निर्णय और अनुमान अनिश्चितता के मुख्य श्रोत

क इंड एएस के साथ समनुरूपता में वित्तीय विवरण की तैयारी प्रबंध को वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों औरदेयताओं की रकम (प्रासंगिक देयताओं सहित) और रिपोर्ट किए गए आय और व्यय में विचार किए निर्णय, आकलन और पूर्वानुमान बनाना अपेक्षित है।

निर्णय, आकलन और संबंधित धारणाएँ, ऐतिहासिक अनुभव और प्रासंगिक मानी जानेवाली अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के प्रभाव के आकलन सहित अन्य घटकों पर आधारित होती है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित है। इन अनुमानों में परिवर्तन के कारण भविष्य के परिणाम भिन्नहो सकते हैं और वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों के बीच के अंतर को उन अवधियों में पहचाना जाता है जिनमें परिणाम ज्ञात/भौतिक होते हैं।

ख. पट्टाधृत भूमि के मामले में पट्टा वर्गीकरण

कंपनी को संयंत्र, सुविधाएं और कार्यालयों को संस्थापित करने के उद्देश्य के लिए सरकार से भूमि प्राप्त की। जहाँ

Provisions (excluding retirement benefits) are not discounted to their present value and are determined based on the best estimate required to settle the obligation at the Balance Sheet date. These are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current best estimates.

Contingent assets are not generally recognized in the financial statements, since this may result in the recognition of income that may never be realised. Contingent assets, whose realization of income is virtually certain, are disclosed separately. However, when the realisation of income is virtually certain, then the related asset is not a contingent asset and is recognised.

Contingent liability is a possible obligation arising from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Company or a present obligation that arises from past events but is not recognized because it is not possible that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligations or reliable estimate of the amount of the obligations cannot be made. Contingent liabilities are disclosed on the basis of judgment of the management/independent experts and reviewed at each Balance Sheet date to reflect the current management estimate.

1.25 Prepaid Expenses

Prepaid expenses of items of ₹10000/- each and below are charged off to the revenue.

1.26 Non-current assets held for sale

Non-current assets or disposal groups are classified as held for sale if their carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use. This condition is regarded as met only when the asset is available for immediate sale in its present condition subject only to terms that are usual and customary for sales of such asset and its sale is highly probable.

Non-current assets and disposal groups classified as held for sale are measured at the lower of their carrying amount and fair value less costs to sell and disclosed separately in balance sheet.

Liabilities associated with assets classified as held for sale are estimated and disclosed separately in the balance sheet.

1B Critical accounting judgments and key sources of estimation uncertainty

a The preparation of the financial statements in conformity with IndAS , requires the Management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) and the reported income and expenses during the year.

The judgements, estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors including estimation of effects of uncertain future events that are considered to be relevant. The Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ due to changes in these estimates and the difference between the actual results and the estimates are recognized in the periods in which the results are known / materialized

b Lease classification in the case of Leasehold land

The company has obtained land from the Government for the purpose of setting up

कहाँ भी न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य पट्टे परपरिसंपत्ति के काफी बराबर है, ऐसे पट्टों को वित्त पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वित्त पट्टा मानदंडों को पूरा नहीं करने वालों को परिचालन पट्टे के अधीन वर्गीकृत किया जाता है।

ग. प्रासंगिक व्यय

कानूनी, ठेकादार, भूमि पहूँच और अन्य दावाएं सहित कंपनी के खिलाफ दावों के संबंध में सामान्य व्यवसाय के दौरान सामान्य तरीके से प्रासंगिक देयताएं उत्पन्न हो सकती है। उनकी प्रकृति से, आकस्मिक व्यय का समाधान किया जाएगा । जब एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाएं होती हैं, या होने में विफल हो जाता है। अस्तित्व का मूल्यांकन और आकस्मिक व्यय के संभावित मात्रा महत्व पूर्ण निर्णय और भविष्य घटनाओं के परिणाम के संबंध में आकलनों के प्रयोग स्वाभाविक रूप से शामिल है।

घ आकलन और पूर्वानुमान

रिपोर्टिंग तारीख में भविष्य संबंधी महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों और अनिश्चितता आकलन के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत, अगले वित्तीय वर्ष के अंतर्गत परिसंपत्तियों और देयताओं के रखाव रकम को प्रत्यक्ष समायोजन को कारण बनने का एक महत्वपूर्ण जोखिम है, ये नीचे वर्णित हैं। भविष्य के विकास के संबंध विद्यमान स्थिति और पूर्वानुमान जैसे भी हो, बाज़ार के परिवर्तन या कंपनी के नियंत्रण से परे उत्पन्न होने वाली परिस्थियों से हैं। परिवर्तन हो जायें जो ऐसे परिवर्तनजब होते हैं, पूर्वानुमान में प्रतिबिंबित होते हैं।

निर्धारित हितलाभ योजना/अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ

निर्धारित हितलाभ योजना और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ योजनाओं की लागत बीमांकिक मूल्यांकन उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएं बनाने में शामिल हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो। इन में छूट दर, भविष्य की वेतन की वृद्धियाँ और मृत्यु दर का निर्धारण समाविष्ट हैं। मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में जुडे जटिलता के कारण, एक निर्धारित लाभ दायित्व इन धारणाओं में परिवर्तन करना अत्यधिक भावुक है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में सभी धारणाएं समीक्षा कीजाती हैं।

परिवर्तन के अधीन सबसे अधिक पैरामीटर छूट दर है। प्रबंधन विभिन्न परियोजनाओं के प्रत्याशित निपटान अवधि के आधार पर सरकारी प्रतिभूतियों की ब्याज दरों परविचार करता है।

वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्यों को जब तुलन पत्र में रिकॉर्ड किए जाते हैं, सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत मूल्य के आधार पर मापन नहीं किया जा सकता है, उनके उचित मूल्य स्तर -2, स्तर -3 इनपुटो के आधार पर रियायती नकद प्रवाह (डीसीएफ) मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापन किया जाता है। इन मॉडलों के इनपुट्स जहाँ संभव हो निरीक्षण बाज़ारों से लिया जाता है, लेकिन जहाँ यह संभव नहीं है, तो उचित मूल्यों को संस्थापित करने के लिए अपने विवेक के अनुसार एक निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णय में मूल्य आकलन, मात्रा आकलन, दर आकलन आदि जैसे इनपुटों के विचार शामिल हैं। इन घटकों के बारे में धारणाओं में परिवर्तन वित्तीय साधनों की रिपोर्ट किए गये उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की असमर्थता

व्यापार प्राप्यों केलिए खराब हनि प्रावधान, अदायगी न करना और अपेक्षित हानि दर के जोखिम के बारे में धारणाओं पर आधारित हैं। कंपनी इन पूर्वानुमानों को बनाने और कंपनी के विगत इतिहास के आधार पर खराब हानि के गणना केलिए इनपुट और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अन्य घटकों के चयन करनेके लिए निर्णय का उपयोग करती है।

plant,facilities and offices. Wherever the present value of minimum lease payments is substantially equal to the leased asset, such leases are classified as finance lease.

Leases not meeting the finance lease criteria are classified under operating leases.

c **Contingencies**

Contingent liabilities may arise from the ordinary course of business in relation to claims against the Company, including legal, contractor, land access and other claims. By their nature, contingencies will be resolved only when one or more uncertain future events occur or fail to occur. The assessment of the existence, and potential quantum, of contingencies inherently involves the exercise of significant judgement and the use of estimates regarding the outcome of future events

d **Estimates and Assumptions**

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are described below. Existing circumstances and assumptions about future developments, however, may change due to market changes or circumstances arising that are beyond the control of the company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Defined benefit plans / Other Long term employee benefits

The cost of the defined benefit plans and other long term employee benefit plans are determined using actuarial valuations. An actuarial valuation involves making various assumptions that may differ from actual developments in the future. These include the determination of the discount rate, future salary increases and mortality rates.

Due to the complexities involved in the valuation and its long-term nature, a defined benefit obligation is highly sensitive to changes in these assumptions. All assumptions are reviewed at each reporting date.

The parameter most subject to change is the discount rate. The management considers the interest rates of government securities based on expected settlement period of various plans.

Fair value measurement of financial instruments

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded in the balance sheet cannot be measured based on quoted prices in active markets, their fair value is measured using valuation techniques including the discounted cash flow (DCF) model based on level-2 and level-3 inputs. The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgement is required in establishing fair values. Judgements include considerations of inputs such as price estimates, volume estimates, rate estimates etc. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

Impairment of financial assets

The impairment provisions for trade receivables are based on assumptions about risk of default and expected loss rates. The company uses judgement in making these assumptions and selecting the inputs to the impairment calculation based on the company's past history and other factors at the end of each reporting period. .

2 अतिरिक्त प्रकटीकरण/ स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणियाँ

2.1 प्रति शेयर अर्जन

मूल एवं हल्का ईपीएस रकम वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के द्वारा मूल के इक्विटी धारकों को देने की ओर वर्ष के लिए लाभ को विभाजित करके गणना की जाती है।

प्रति शेयर मूल एवं हल्का आय*		
	31.03.2021	**31.03.2020**
निवल लाभ का अंश ₹ लाखों में		
लाभ व हानि के विवरण के अनुसार कर के बाद लाभ	10454.96	11277.72
डिनोमिनेटर- अवधि के दौरान बकाए साम्या शेयरों की औसतन संख्या	15535000	15535000
शेयरों की संख्या- मूल & हल्का	15535000	15535000
अर्जन प्रति शेयर (₹)		
मूल (प्रति शेयर ₹10/- का अंकित मूल्य)	67.30	72.60
हल्का(प्रति शेयर ₹10/- का अंकित मूल्य)	67.30	72.60

2.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास [एम एस एम ई डी] अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण नीचे जैसे हैं :

(₹ लाखों में)

क्र.सं		**31.03.2021**	**31.03.2020**
(क)	वर्षांत में अप्रदत्त शेष मूल राशि	1123.73	2004.56
(ख)	वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे प्रदत्त मूल राशि का विलंबित भुगतान	शून्य	शून्य
(ग)	एम एस एम ई डी अधिनियम की धारा 16 के अधीन प्रदत्त वास्तविक ब्याज	शून्य	शून्य
(घ)	सहमत शर्तों के अनुसार सभी विलंबित भुगतान के लिए वर्ष के दौरान देय एवं प्रदत्त सामान्य ब्याज	शून्य	शून्य
(ङ)	वर्ष के दौरान कुल उपार्जित ब्याज और अप्रदत्त शेष	शून्य	शून्य

कंपनी के साथ उपलब्ध सूचना के आधार पर पहचान की गयी ऐसी पार्टियों की सीमा तक इस सूचना को निर्धारित किया गया है।

2.3 समनुषंगी/संयुक्त उद्यम कंपनियों के स्वामित्व की सीमा निम्नानुसार है।

कंपनी का नाम	**संस्थापन देश**	**संबंध**	**31.03.2021 को स्वामित्व ब्याज**
गोवा एंटिबायोटिक्स & फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जीएपीएल)	भारत	समनुषंगी	74%
एचएलएल इन्फ्राटेक सर्वीसस लिमिटेड (हाइट्स)	भारत	समनुषंगी	100%
लाइफस्प्रिंग अस्पताल प्राइवट लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	50%
एचएलएल मातृ व शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड	भारत	समनुषंगी	100%

एमसीए आदेश संख्या 24/5/2019-सीएल-III दिनांक 24.03.2021 के परिणामस्वरूप और एमसीए आदेश संख्या

2 Additional Disclosures/ Explanatory Notes to Financial Statements

2.1 Earnings per Share

Basic and Diluted EPS amounts are calculated by dividing the profit for the year attributable to equity holders of the parent by the weighted average number of Equity shares outstanding during the year.

Basic and Diluted Earnings per share *		
	31.03.2021	31.03.2020
Numerator Net Profit ₹. In Lacs		
Profit after Tax as per Statement of Profit & Loss	10454.96	11277.72
Denominator- Average No. of Equity Shares outstanding during the period	15535000	15535000
No. of Shares - Basic & Diluted	15535000	15535000
Earnings per share (₹)		
Basic (Face Value of ₹10/- per share)	67.30	72.60
Diluted (Face Value of ₹10/- per share)	67.30	72.60

2.2 Disclosures required by the Micro, Small and Medium Enterprises Development [MSMED] Act, 2006 are as under: (₹in lacs)

S. No.		31.03.2021	31.03.2020
(a)	The principal amount remaining unpaid at the end of the year.	1123.73	2004.56
(b)	The delayed payments of principal amount paid beyond the appointed date during the year.	Nil	Nil
(c)	Interest actually paid under Section 16 of the MSMED Act .	Nil	Nil
(d)	Normal interest due and payable during the year, for all the delayed payments, as per the agreed terms.	Nil	Nil
(e)	Total interest accrued during the year and remaining unpaid	Nil	Nil

This information has been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information available with the Company.

2.3 The extent of ownership in Subsidiary/Joint Venture Companies are as follows:

Name of the Company	Country of Incorporation	Relationship	Ownership Interest as on 31.03.2021
Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited (GAPL)	India	Subsidiary	74%
HLL InfraTech Services Limted (HITES)	India	Subsidiary	100%
Life Spring Hospitals Pvt. Ltd	India	Joint Venture	50%
HLL Mother & Child Care Hospitals Limited	India	Subsidiary	100%

Consequent to MCA order no. 24/5/2019 – CL- III dated 24.03.2021 and vide MCA order no

24/3/2019-सीएल-III दिनांक 31.03.2021 के अनुसार, एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड से क्रमशः एचएलएल बायोटेक लिमिटेड और एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड अलग हो गए हैं। व्यवस्था की योजना लागू होने की नियत तिथि 1 अप्रैल 2019 है। तदनुसार, एचएलएल बायोटेक लिमिटेड और एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड डीमर्जर की व्यवस्था की योजना के अनुसार नियत तिथि से एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड की समनुषंगी कंपनियाँ नहीं रहेंगी।

2.4 कंपनी को कोचिन एक्सपोर्ट प्रोससिंग ज़ोन में स्थित अपने यूनिट में फीमेइल कंडोम एफ सी 2 नाइट्रेल वर्ज़न के विनिर्माण केलिए ऋण के आधार पर ₹89.27 लाख मूल्य के उपकरण मैसेर्स फिमाइल हेल्थ कंपनी (यु के) से प्राप्त हुआ था । पूर्ति की गई संपत्ति एवं उपकरण के स्वामित्व मैसेर्स फिमाइल हेल्थ कंपनी, यु के के साथ निहित होने से कोई लेखांकन प्रविष्टियाँ नहीं की गई हैं।

2.5 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में यूनीपिल संयंत्र में बनाये निवेश शामिल है, कंपनी द्वारा कनगला, बेलगाम में डब्लियुएचओ सीजीएमपी (जेनीवा) अनुपालन सुविधा का संस्थापन किया गया है। रु.68.36 करोड की मूल लागत पर अगस्त 2017 के दौरान संयंत्र को पूंजीकरण किया गया था। यूनीपिल उत्पाद तीन विदेश देशों के साथ पंजीकृत किया जाता है, जहाँ पंजीकरण अनिवार्य है और वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी ने यूनिपिल संयंत्र से ईज़ी गोली एफ एस के 131.72 लाख स्ट्रिप्स के मंत्रालय आदेश को निष्पादित किया है। यूनिपिल गोली का एक बैच जनवरी 2020 में 1.00 लाख स्ट्रिप्स के बैच आकार के साथ विनिर्मित किया गया था। जिनमें से 52,020 स्ट्रिप्स वित्तीय वर्ष 2020-21 में फ्रांस, भूटान, स्विज़रलैंड और युएएफपीए निविदाओं के कई परेषितियों को भेजी गईं। कंपनी पहले ही नए देशों में भी उत्पाद को पंजीकृत करने की प्रक्रिया में है। इंड एएस 36 द्वारा अपेक्षित जैसे, एक खराब हानि परीक्षण आयोजित किया गया है और पाया जाता है कि परिसंपत्ति का रखाव मूल्य, वसूली योग्य मूल्य से कम है और इसलिए यूनिपिल संयंत्र पर कोई खराब हानि नहीं पहचान की गयी है।

2.6 वर्ष के दौरान पूँजीकृत उधार लागत शून्य है। (पिछले वर्ष ₹ शून्य लाख है)

2.7 कंपनी अधिनियम 2013की अनुसूची VII के अनुसार, ₹500 करोड या उससे अधिक के निवल मूल्य या ₹1000 करोड या उससे अधिक के व्यापारावर्त या ₹ 5 करोड या उससे अधिक के निवल लाभवाली हर कंपनी, सी एस आर (कोर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी) की ओर तत्काल तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के निवल लाभ (कर के पूर्व लाभ) के औसतन के कम से कम 2% खर्च करने की आवश्यकता है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए विवरण निम्नलिखित हैं ।

(क) वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जानेवाली सकल रकम -रु.46.26 लाख।

(ख) वर्ष के दौरान व्यय किए जाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित रकम -रु.46.26 लाख।

(ग) वर्ष के दौरान खर्च की गयी रकम :

		नकद में (₹ लाख)
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-
(ii)	उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	43.64
	कुल	43.64

(घ) चालू परियोजनाओं का विवरण (135(5) और 135(6) में संशोधन के अनुसार)

विवरण	**रकम(लाखों में)**	**रकम(लाखों में)**
अधशेष 19-20		
कंपनी के साथ	53.70	
अलग सीएसआर में अव्ययित खाता		
वर्ष के दौरान खर्च की गई रकम		**43.64**
कंपनी के बैंक खाता से	43.64	

24/3/2019 – CL – III dated 31.03.2021, HLL Biotech Limited and HLL Medipark Ltd has demerged from HLL Lifecare Ltd respectively . The appointed date for coming into force of the scheme of arrangement is 01st April 2019. Accordingly, HLL Biotech Ltd and HLL Medipark Ltd cease to be the subsidiaries of HLL Lifecare Ltd with effect from the appointed date as per the scheme of arrangement of demerger.

2.4 The Company had received from M/s. Female Health Company (UK) equipment's valuing ₹89.27 Lakhs on loan basis for the manufacture of female condom FC2 Nitrile version at its unit located in Cochin Export Processing Zone. No accounting entries have been passed as the property & title of the equipment supplied vests with M/s. Female Health Company, U.K.

2.5 Property, Plant and Equipment includes Investments made in Unipill Plant, a WHOcGMP (Geneva) compliant facility, set up by the company at Kanagala Belgaum. The plant was capitalised during August 2017 at an original cost of ₹ 68.36 Crores. The product Unipill is registered with three foreign countries where registration is mandatory and during the year 2020-21 company has executed ministry order of ₹131.72 lakh strips of Ezy Pill FS from UNIPILL plant. One batch of UNIPILL tablet was manufactured in January 2020 with a batch size of 1 lakh strips. Out of which 52,020 strips were dispatched in the financial year 2020-21 to multiple consignees from France, Bhutan, Swaziland and UNFPA tenders. The company is already in the process of registering the product in new countries as well. As required by Ind AS36, an impairment test is conducted and found that the carrying value of the asset is lower than the recoverable value and hence no impairment is recognised on the Unipill Plant.

2.6 Borrowing costs capitalised during the year is Nil. (Previous Year is ₹Nil lacs)

2.7 As per Schedule VII of the Companies Act, 2013, every company with net worth of ₹500 Crores or more, or with a turnover of ₹1000 Crores or more or having a net profit of ₹5 Crores or more is required to spend at least 2% of the average net profits (Profit before tax) of three immediately preceding financial years towards CSR (Corporate Social Responsibility).

The following are the details for the financial year 2020-21.

a) Gross amount to be spent by the Company during the year 2020-21. ₹46.26 lakhs.

b) Amount approved by the board to be spent during the year- ₹46.26 lakhs.

c) Amount spent during the year on:

		In cash (₹lakhs)
(i)	Construction/acquisition of any asset	-
(ii)	On purposes other than (i) above	43.64
	Total	**43.64**

d) Details of ongoing projects (In line with amendments to 135(5) and 135(6):

Particulars	**Amount (₹in lakhs)**	**Amount (₹in lakhs)**
Opening balance 19-20		NIL
With company	53.70	
In separate CSR unspent account		
Amount spent during the year		43.64
From Company's bank account	43.64	

विवरण	रकम(लाखों में)	रकम(लाखों में)
अलग अव्ययित सीएसआर खाता से	-	
अंतिम शेष : 20-21		**2.62**
कंपनी के साथ	88.87	
अलग सीएसआर में अव्ययित खाता	2.62	

₹2.62 लाख की अव्ययित रकम एक अलग बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई है जिसे अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खाता कहा जाता है और नकद एवं बैंक शेष के तहत खुलासा किया गया है।

2.8 बीमा प्रीमियम में सेवानिवृत्ति के बाद के मेडिकल फायदे केलिए प्रदत्त चिकित्सा बीमा प्रीमियम की किश्त शामिल है।

2.9 वर्ष के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की ओर कोई अदायगी नहीं थी ।

2.10 भारत के सनदी लेखाकार के संस्थान के विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के अनुसार तुलन-पत्र में कंपनी द्वारा न्यास के अधीन लिए गए रोकड़ व बैंक शेष और इस पर समतुल्य देयताओं को अधीन कॉन्ट्रा मद के रूप में प्रकटन किये गये हैं । प्रापण परियोजनाएँ, अवसंरचना विकास परियोजनाओं की परिसंपत्तियाँ और देयताएं परिशिष्ट में प्रकट की जाती हैं।

2.11 भारत सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्लियु) को कंडोम और विविध गर्भनिरोधक उत्पादों की आपूर्ति के लिए दिनांक 26.08.2005 के आदेश के अनुसार एचएलएल को 'कैप्टिव पदवी' प्रदान की है और वह समय -समय पर विस्तार के लिए समीक्षाधीन है। मंत्रालय ने 3 जनवरी 2020 के पत्र के अनुसार 31.03.2020 तक 'कैप्टिव पदवी' के विस्तार की सूचना दी है और 14 मई 2020 के पत्र के अनुसार एचएलएल की 'कैप्टिव पदवी' 31-03-2022 तक विस्तार किया गया है।

कंपनी मंत्रालय को गर्भनिरोधक उत्पाद(कंडोम, मौखिक गर्भनिरोधक गोलियाँ, ई सी गोलियाँ, कॉपर-टी और ट्यूबल रिंग्स), प्रेग्नन्सी टेस्ट किट और सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति कर रही है। कैबिनेट आदेश और इसके तदनंतर संशोधनों के अनुसार, मंत्रालय वर्ष के प्रारंभ में पिछले वर्ष की एल 1 दर के आधार पर अस्थायी दर पर एचएलएल को आपूर्ति आदेश प्रदान करेगा। तदनंतर, खुली निविदा द्वारा निर्धारित एल 1 दर को उसी वित्तीय वर्ष में एचएलएल को इसकी आपूर्ति के लिए अंतिम दर के रूप में लागू किया जायेगा। निविदा प्रक्रिया के ज़रिए एल 1 मूल्य निर्धारण के अभाव में, एचएलएल से आपूर्ति के लिए उचित मूल्य निर्धारण करने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के टैरिफ कमीशन (टीसी) को या वित्त मंत्रालय के लागत एवं लेखा शाखा (सीएबी) को संदर्भ किया जाएगा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कंपनी द्वारा प्रतिनिधित्व के आधार पर वर्ष 2018-19 के दौरान एचएलएल द्वारा आपूर्ति किए गए कंडोम के उचित मूल्य निर्धारण के लिए सीएबी को संदर्भित किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से सूचना के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए उचित मूल्य की सिफारिश पर रिपोर्ट अक्तूबर 2020 में प्रस्तुत की गई थी और मंत्रालय ने इसे लागू करने के लिए स्वीकार कर लिया है। तदनुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पूरक बीजक प्रस्तुत करने के लिए एचएलएल को निर्देशित किया है और एचएलएल ने वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 46.43 करोड के मूल्य में मूल्य वृद्धि राजस्व को मान्यता दी है।

मंत्रालय ने मई 2016 के दौरान वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक के लिए आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियों के प्रति ₹ 5.22 करोड़ और वर्ष 2014-15 के लिए प्रेग्नेन्सी टेस्ट किट के प्रति ₹ 5.87 करोड़ रकम की दर अंतर के प्रति एचएलएल से वसूली माँगी थी। एचएलएल ने दावे की आपत्ति जतायी है और आदेश की समीक्षा के लिए मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया है। मंत्रालय ने मार्च 2021 के दौरान ईसी गोली के रूप में ₹ 5.22 करोड की रकम वसूल करने के निर्णय को सूचित किया है और इसे चालू वर्ष 2020-21 के दौरान लाभ और हानि के लिए प्रभारित किया गया है। पीटी किट्स के संबंध के अभ्यावेदन

Particulars	Amount (₹in lakhs)	Amount (₹in lakhs)
From Separate unspent CSR account	-	
Closing balance: 20-21		2.62
With company	88.87	
In separate CSR unspent account	2.62	

Unspent amount of ₹2.62 lakhs has been transferred to a separate bank account called the Unspent Corporate Social Responsibility Account and disclosed under Cash and Bank balances.

With respect to HITES, company doesn't have any ongoing projects of CSR. Accordingly as per Sec 135 (5) amount unspent as on 31.03.2021 is to be deposited in the fund specified in Schedule VII.

2.8 Insurance premium includes instalment of medical insurance premium paid for post-retirement medical benefits

2.9 During the year there was no payment towards voluntary retirement scheme.

2.10 The cash and bank balances held by the Company under trust and the corresponding liabilities are disclosed as contra items in the Balance Sheet in accordance with the opinion of the Expert Advisory Committee of the Institute of Chartered Accountants of India. The Assets &Liabilities of the Procurement Projects & Infrastructure Development Projects are disclosed as annexure only.

2.11 Govt. of India has accorded "captive status" to HLL vide Order dated 26.08.2005 for the supply of condoms and other Contraceptive products to the Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW) and same is subjected to review for extension from time to time. Ministry has vide letter dated 14th May 2020 intimated the extension of Captive status upto 31.03.2022 .

The Company supplies Contraceptive products (Condoms, Oral Contraceptive Pills, EC Pills, Copper-T and Tubal Rings), Pregnancy Test Kits and Sanitary Napkins to the Ministry. As per the Cabinet order and its subsequent amendments, the Ministry shall place the supply orders on HLL in the beginning of the year at the provisional rates basedon the L1 rates of the previous year. Subsequently, the L1 rates determined through the open tender shall be made applicable to HLL as the final rate for its supplies during the same financial year. In the absence of L1 rate determination through the tender process, reference shall be made either to Tariff Commission (TC) of the Ministry of commerce & Industry or Cost & Accounts Branch (CAB) of the Ministry of Finance for determining the fair price for the supplies from HLL.

MoHFW has based on the representation by the company, referred to CAB for fair price fixation of Condoms supplied by HLL during 2018-19. As per the intimation from MoHFW, the report on the recommendation of fair price for the year 2018-19 was submitted in October 2020 and Ministry has accepted the same for implementation. Accordingly, MoHFW has directed HLL to submit supplementary invoices and HLL has recognised price escalation revenue to the tune of ₹46.43 Crores during the year 2020-21.

Ministry during May 2016 had sought recovery from HLL towards rate difference, amounting to ₹5.22 crore towards Emergency Contraceptive Pills for the years 2008-09 to 2011-12 and ₹5.87 crore towards Pregnancy Test Kit for the year 2014-15.

HLL has objected to the claim and represented to the Ministry for review of the order.Ministry has during March 2021 informed the decision to recover an amount of ₹5.22 Cr towards EC pill and the same has been charged to Profit and Loss during the current year 2020-21. With respect to

मंत्रालय के विचाराधीन है और इसे आकस्मिक देयता के अंतर्गत शामिल किया गया है।

2.12 एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड (एचएलएल) और मेसेर्स अकुमन फंड, यु एस ए (अकुमन) के बीच में 50:50 साम्या शेयरधारिता के साथ संयुक्त उद्यम सत्ता के रूप में फरवरी 2008 में मेसेर्स लाइफस्प्रिंग अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड बनाया गया था इस संयुक्त उद्यम को भारत के आर-पार के कम आयवाली महिलाओं को उच्च गुणवत्तावाली, किफायती मातृ स्वास्थ्य रक्षा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ बनाया गया था। यह शहरी गंदी बस्तियों के निकट छोटे आकार (20 बिस्तर) के प्रसूती अस्पतालों में प्रचालन करता है। समुदाय जिसमें इन अस्पतालें स्थित हैं, को पीडियाट्रिक संरक्षण (प्रतिरक्षण सहित), नैदानिक एवं फार्मसी सेवाएँ और स्वास्थ्य रक्षा शिक्षा भी प्रदान करते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत में, संयुक्त उद्यम की इक्विटी शेयर पूँजी में एचएलएल द्वारा कुल निवेश रु. 950.76 लाख था।

अब, संयुक्त उद्यम हाइद्राबाद में 10 अस्पतालों के क्लस्टर चला रहा है। उद्यम स्तर पर संयुक्त उद्यम का निष्पादन भी स्थिर हो गया।

संयुक्त उद्यम कंपनी सकारात्मक हो गई और पिछले तीन वर्षों के लिए उपलब्ध की गई लगातार लाभ का विस्तृत विवरण निम्न जैसे हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, संयुक्त उद्यम कंपनी को रु. 131.05 लाख का घाटा हुआ।

विवरण	**2020-21**	**2019-20**	**2018-19**
	रकम लाखों में		
नकद लाभ	100.62	107.34	138.82
मूल्यह्रास/ ऋणमुक्ति	33.20	33.86	41.18
कर के पूर्व लाभ	(133.82)	73.48	97.64
आस्थगित कर आय	(2.77)	1.35	3.47
कर के बाद लाभ	(131.05)	74.83	101.11

कोविड 19 महामारी के प्रभाव और सरकार द्वारा लॉकडाउन लागू करने के साथ-साथ निम्नलिखित कारणों से मात्रा में गिरावट आई।

(क) कोविड 19 लॉकडाउन के कारण हैदराबाद से अपने गृहनगर और गांवों में लोगों का प्रवास और उनके गृह नगरों में प्रसव कराना।

(ख) कोरोना पॉज़िटिविटी बढ़ने के कारण मात्रा में कमी और ग्राहकों को प्रसव के लिए कोविड चिकित्सा केंद्र में रफर कर दिया गया क्योंकि हमारे अस्पतालों में कोरोना पॉज़िटिव ग्राहकों के इलाज की सुविधा नहीं है।

पिछली तिमाही के दौरान खासकर राजस्व सृजन में प्रभावित हुआ और इसके फलस्वरूप लाभप्रदत्ता में भी प्रभावित हुई।

उपर्युक्त सभी को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन का विचार है कि इस संयुक्त उद्यम में एचएलएल द्वारा इक्विटी निवेश से संबंद्ध कोई संभावित खराब हानि नहीं है।

2.13 वर्ष 2018-19 के दौरान, केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाएं (सीजीएचएस) ने एचएलएल अमृत स्टोर्स के माध्यम से सीजीएचएस के द्वारा अपेक्षित दवाओं के प्रापण के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन संसूचित किया था। दिनांक 21 अगस्ता, 2018

PT Kits, the representation is under consideration of the ministry and is included under contingent liability.

2.12 M/s. LifeSpring Hospitals (P) Limited was formed in February 2008 as a Joint Venture entity with 50:50 equity shareholding between HLL Lifecare Ltd. [HLL] and M/s Acumen Fund Inc., USA [Acumen]. This Joint Venture was formed with the objective of providing High Quality, Affordable Maternal Health Care for Low-Income Women across India. It operates small-sized (20 bed) maternity hospitals in the proximity of urban slums. The hospitals also provide pediatric care (including immunizations), diagnostic and pharmacy services, and health care education to the communities in which its hospitals are located. At the end of the FY 2020-21, total investment by HLL in the equity share capital of the JV was ₹950.76 Lacs.

Presently, the JV is running a cluster of ten hospitals in Hyderabad. The JV's performance at the enterprise level also has become stable.

The JV company turned positive and achieved the profits consecutively for the last three financial years. During the FY 2020-21, the JV company incurred a loss of ₹131.05 lakhs.

Particulars	2020-21	2019-20	2018-19
	Amount in ₹Lacs		
Cash Profit	100.62	107.34	138.82
Depreciation & Amortization	33.20	33.86	41.18
Proft Before Tax	(133.82)	73.48	97.64
Deferred tax Income	(2.77)	1.35	3.47
Profit After Tax	(131.05)	74.83	101.11

The impact of Covid 19 Pandemic and imposing of lockdown by Government together with the following reasons resulted in the dip in volumes.

a) Migration of people from Hyderabad to their hometowns and villages due to Covid 19 lockdown and got deliveries done in their home towns

b) Losing of volumes due to increased Corona positivity and the customers were referred to Covid treatment centres for delivery as our hospitals do not have facility to treat corona positive customers.

The revenue generation especially during the last quarter got affected and consequently profitability also got affected.

Considering the above, the management is of the view that there is no potential impairment associated with the equity investment by HLL in this JV.

2.13 During the year 2018-19, Central Government Health Services (CGHS) communicated the

के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, आपूर्ति किए गए दवाओं के लिए भुगतान एमआरपी के 30% से कम नहीं छूट पर किया जाएगा। तदनुसार आपूर्तियाँ पूरी की गईं।

हालांकि सीजीएचएस के मामले में 4 जनवरी 2019 को आगे की चर्चा हुई और एचएलएल के खर्च समाविष्ट करने केलिए सीजीएचएस को लागत प्लस मार्क अप आधार पर अधिक फायदे पारित करने के लिए बिल्लिंग की शर्तों को संशोधित किया गया। तदनुसार, एचएलएल ने सीजीएचएस को बिल किए गए चिकित्सा उत्पादों पर कॉस्ट प्लस 25 % मार्क अप में चालान किया। आगे की चर्चा के आधार पर, एचएलएल को अलग रूप से क्रय लागत प्लस जीएसटी, लागत की प्रतिपूर्ति और एचएलएल सेवा शुल्क के आधार पर दवाओं का मूल्य प्राप्त करनी थी। सीजीएचएस ने एचएलएल को क्रय लागत प्लस जीएसटी की ओर पूरी रकम का भुगतान किया था, हालांकि सेवा शुल्क के लिए दावा लंबित है। चर्चा के बाद प्रतिपूर्ति और सेवा शुल्क के अंतिम दावे को संशोधित कर ₹21.80 करोड के पिछले दावे के खिलाफ ₹15.71 करोड कर दिया गया।

पहले के दावे और ₹ 6.09 करोड(₹21.80 करोड - ₹15.71 करोड) के अंतिम दावे के अंतर को वर्ष के दौरान लाभ और हानि विवरण से चार्ज ऑफ किया जाता है क्योंकि यह अब प्राप्य नहीं है।

2.14 सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पी आई बी), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 10.02.2012 को आयोजित अपनी बैठक में ₹594 करोड जिसमें भारत सरकार से साम्या अंश ₹285 करोड होगा, के निवेश के साथ एकीकृत वैक्सीन कॉम्प्लेक्स (आई वी सी) स्थापित करने के लिए अपनी सिफारिशें दी थी। **पी आई बी** की सिफारिशें आर्थिक कार्य के कैबिनेट समिति (सी सी ई ए) द्वारा अनुमोदित किया गया था और तदनुसार एचएलएल ने पी आई बी सिफारिशों के अनुसार संपूर्ण स्वामित्व समनुषंगी कंपनी, एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एच बी एल)का गठन किया था। भारत सरकार एकीकृत वैक्सीन कॉम्प्लेक्स में निवेश करने केलिए एचएलएल को निधि प्रदान करती रहती हैं और इसके बदले में एचएलएल उस निधि को एचएलएल बायोटेक लिमिटेड के साम्या पूँजी में निवेश कर रहा है।

भारत सरकार ने एचएलएल को रु. 274.88 करोड जारी किए थे और उस की ओर भारत सरकार को इक्विटी शेयरें जारी किए गए थे। 18 जुलाई 2018 को आयोजित एचएलएल बायोटेक लिमिटेड की 29 वीं बोर्ड बैठक में, बोर्ड ने आईवीसी परियोजना के लिए रु. 904.33 करोड की संशोधित परियोजना लागत का अनुमोदन दिया था। रु. 904.33 करोड की संशोधित लागत के लिए प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

दिनांक 24.03.2021 के आदेश के अनुसार एमसीए द्वारा एचबीएल के डीमर्जर की व्यवस्था की योजना के अनुमोदन के फलस्वरूप, एचएलएल बायोटेक लिमिटेड योजना की नियत तिथि अर्थात् 01 अप्रैल 2019 से समनुषंगी नहीं रह गई है। योजना के अनुसार भारत सरकार द्वारा निवेश की गई ₹ 274.88 करोड की शेयर पूँजी और एचएलएल द्वारा एचबीएल में किए गए संबंधित निवेश को घटाकर ₹ 274.88 करोड कर दिया गया है।एचएलएल द्वारा किए गए ₹1 लाख के प्रारंभिक निवेश को नोट 12-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ-अन्य में भारत सरकार से प्राप्य के रूप में दिखाया गया है।

एचएलएल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से एचबीएल के डीमर्जर के आवश्यक उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है और उन आदेशों की प्रतीक्षा में है।

2.15 कंपनी को जनवरी 2008 से 430.10 एकड़ भूमि का अधिकार है, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अधीन केंद्रीय कुष्ठ शिक्षण शोध संस्थान (सी एल टी आर आई), तमिलनाडु से 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर आबंटित किया था। 10.02.2012 को आयोजित सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पी आई बी), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की बैठक में उसने ₹10.12 करोड (प्रति एकड़ के लिए ₹16.50 लाख की दर पर 56 एकड़ और प्रति एकड़ ₹2 लाख की दर पर छोटी पहाडी के 44 एकड़) के मूल्य के लिए एकीकृत वैक्सीन कॉप्लेक्स (आई वी सी) के संस्थापन की ओर चेंगलपेट्टु में कंपनी के अधिकार के 430.10 एकड़ में से 100 एकड़ अनुदान देने के लिए सिफारिश की थी।

पी आई बी की सिफारिशों को आर्थिक कार्य के कैबिनट समिति (सी सी ई ए) द्वारा अनुमोदित किया गया है। कंपनी ने मार्च 2012 में पी आई बी की सिफारिशों के अनुसार आई वी सी के संस्थापन करने के लिए संपूर्ण स्वामित्त समनुषंगी कंपनी, मेसेर्स एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एच बी एल) को बनाया है। एच बी एल के नाम में 100 एकड भूमि के अंतरण की कानूनी औपचारिकताएँ और उसके बदले में एचबीएल को अभी तक पूरा किया जाना है, कंपनी ने 20 फरवरी 2014 में इस उद्देश्य

approval of the competent authority for procurement of medicines required by CGHS through HLL AMRIT stores. As per the OM dated 21st August 2018, the payment for the medicines supplied shall be made at a discount of not less than 30% of MRP. Accordingly, supplies were completed.

However, at the instance of CGHS, further discussions were held on 4th January 2019, and the terms of billing was revised to pass on more benefit to CGHS at cost plus mark-up basis to cover the expenses of HLL. Accordingly, HLL has invoiced at Cost plus 25% mark up on the medical products billed to CGHS. Based on further discussions, HLL was to receive value of medicines based on "purchase cost plus GST" and reimbursement of cost and HLL service charges seperately. CGHS had paid to HLL the full amount towards purchase cost plus GST , however the claim towards services charges is pending. The final claim towards reimbursement and service charges after discussions was revised to ₹15.71 Crores against previous claim of ₹21.80 Crores

The differential of earlier claim and final claim of ₹. 6.09 Crores (₹21.80 Crores – ₹15.71 Crores), is charged off to Profit and Loss Statement during the year as the same is no longer receivable.

2.14 The Public Investment Board (PIB), Ministry of Finance, Govt. of India in its meeting held on 10.02.2012 had given its recommendations for setting up of the Integrated Vaccine Complex (IVC), with an investment of ₹594 crores, wherein the Equity portion shall be ₹285 crores from Govt. of India. The recommendations of the PIB were approved by the Cabinet Committee of Economic Affairs (CCEA) and accordingly HLL had formed a fully owned Subsidiary Company, HLL Biotech Limited (HBL), in line with the PIB recommendation. Govt. of India has been infusing funds into HLL for the investment in Integrated Vaccine Complex and HLL in turn has been investing the same funds into the Equity capital of HLL Biotech Limited.

GoI had released ₹274.88 Crores to HLL and equity shares were issued to GoI towards the same. In the 29th Board meeting of HLL Biotech Ltd. held on 18th July 2018, the Board had approved the revised project cost of ₹904.33 Crores. for IVC Project. The proposal for the revised cost of ₹904.33 crore has not been approved by the Government of India.

Consequent to the approval of the scheme of arrangement of Demerger of HBL by MCA vide order dated 24.03.2021, HLL Biotech Limited has ceased to be the subsidiary w.e.f the appointed date of the scheme ie., 01st April 2019. As per the scheme, the share capital of ₹274.88 Crores invested by GoI and corresponding investment made by HLL in HBL is reduced to the tune of ₹274.88 Crores. The initial investment of ₹1.00 lakh made by HLL is shown as Receivable from Govt. of India in Note 12- Current Financial Assets –Others.

HLL has requested Ministry of Health and Family Welfare to take appropriate actions necessitated by Demerger of HBL and the orders are awaited.

2.15 The Company is in possession of 430.10 acres of land since January 2008, allotted on lease for a period of 99 years from the Central Leprosy Teaching Research Institute (CLTRI), Tamil Nadu, under directives from Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India. The Public Investment Board (PIB), Ministry of Finance, Govt. of India in its meeting held on 10.02.2012 had recommended to earmark 100 acres of land out of the 430.10 acres in possession with the Company at Chengalpattu for setting up of the Integrated Vaccine Complex (IVC), for a value of ₹10.12 crores (56 acres @ ₹16.50 lacs per acre and 44 acres of hillock @ ₹2 lacs per acre).

The recommendations of the PIB are approved by the Cabinet Committee of Economic Affairs (CCEA). The Company in March 2012 has formed a fully owned subsidiary company, M/s HLL Biotech Limited (HBL), for setting up the IVC, in line with the PIB recommendations. As the legal formalities of transfer of 100 acres of land in the name of HLL and in turn to HBL are yet to be

के लिए पहचान की गई 100 एकड भूमि 94 वर्षों के लिए रु.1/- की दर पर एच बी एल के नाम में उप पट्टे पर ली है।

कंपनी के अधिकार के 430.10 एकड़ में से 3.38 एकड़ भूमि ₹1.00 मात्रा के वार्षिक पट्टा किराये पर 92 वर्षों की अवधि के लिए तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम लिमिटेड (टानजेडको) (टीएनईबी लिमिटेड की समनुषंगी) को पट्टे पर दिया गया है। एचबीएल और टानजेड को के बीच में उप - पट्टा 19 सितंबर 2016 को कार्यान्वित किया गया ।

2.16 मेडिपार्क संस्थापित करने के लिए वर्ष 2009 में चेंगलपट्टु, कांचीपुरम जिले (तमिलनाडु) में पट्टे पर ली गई 330.10 एकड़ भूमि को उप पट्टे पर देने के कैबिनट के अनुमोदन के फलस्वरूप 20 दिसंबर 2016 को एचएलएल की अलग 100% समनुषंगी के रूप में एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड निगमित किया गया है। तमिलनाडु में चेन्नै के पास चेंगलपट्टु में 330.10 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित किये जा रहे मेडिपार्क में चिकित्सा प्रौद्योगिकी उद्योग को समर्थन करने के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना और सामान्य सुविधाएं समाविष्ट होंगी।

एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड को एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड की इक्विटी साझेदारी 90% से अधिक नहीं है और तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टिडको) की 10% से अधिक नहीं है। एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड ने रु. 6.40 करोड और टिड्को ने रु. 71.17 लाख का निवेश किया है।

31 मार्च 2021 तक कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी ₹ 1300 लाख है। 31 मार्च 2021 तक एचएमएल की जारी, अभिदत्त और प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी रु. ₹ 71.17 लाख है। एचएलएल और टिड्को ने एचएमएल में 90:10 अनुपात में शेयर रखा है।

दिनांक 23 जनवरी 2019 के परिपत्र संकल्प द्वारा, एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड के बोर्ड ने इसके लाभकारी स्थान और उद्योग अवसंरचना के विकास में तमिलनाडु सरकार के विशेषज्ञता की दृष्टि में तमिलनाडु उद्योग विकास निगम लिमिटेड (टिड्को) को मेडिपार्क के विकास केलिए प्रबंधन ठेका सौंपने के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया। टिड्को द्वारा मेडिपार्क परियोजना के प्रबंधन अभिशासन के शर्त एवं निबंधन के संबंध की चर्चा में एचएलएल और टीड्को लगे हुए हैं। एचएलएल और टिड्को ने एचएमएल की शेयर पूँजी में उनके द्वारा इक्विटी निवेश को निर्यंत्रित करनेवाले नियमों और शर्तों को रिकोर्ड करने के लिए 5 जुलाई 2019 से पूर्वव्यापी प्रभाव से 8 अप्रैल 2021 को एसएचए पर हस्ताक्षर किया है।

दिनांक 31 मार्च 2021 के आदेश के अनुसार एमसीए द्वारा एचएलएल से एचएमएल के डीमर्जर की व्यवस्था की योजना के अनुमोदन के फलस्वरूप, एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड योजना की नियत तिथि अर्थात् 01 अप्रैल 2019 से समनुषंगी नहीं रह गई है।

योजना के अनुसार, भारत सरकार, एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड को उनके द्वारा एचएमएल में किए गए ₹ 6.40 करोड के इक्विटी निवेश के प्रतिफल का भुगतान करेगी। तदनुसार, एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड में कंपनी द्वारा किए गए निवेश को इस हद तक कम कर दिया गया है और टिप्पणी सं -12 वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ-अन्य के तहत भारत सरकार से प्राप्य के रूप में खुलासा किया गया है।

एचएलएल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से एचएमएल के डीमर्जर के आवश्यक उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

2.17 आर्थिक कार्यों की कैबिनेट समिति (सीसीईए), भारत सरकार 1 नवंबर, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में एचएलएल के वैक्सीन उद्यम और मेडिपार्क परियोजना को तीन महीने की अवधि के अंतर अलग एसपीवी के रूप में बदलने और उसके बाद दो चरण नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड में सरकार की इक्विटी का 100 % की बिक्री के लिए 'इन - प्रिन्सिपल' अनुमोदन प्रदान किया गया। निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), विनिवेश प्रक्रिया का समन्वय करने का नोडल एजेंसी, (1) लेन-देन सलाहकार (टी ए) के रूप में मेसेर्स प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवट लिमिटेड (पीडब्लियुसी) और (2) विधिक सलाहकार (एल ए) के रूप में मेसेर्स क्रॉफोर्ड बेले & कंपनी को चयनित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया गया है। परिसंपत्ति मूल्य-निर्धारक (ए वी) के रूप में मेसेर्स एड्रोइट टेक्निकल सर्वीसस प्राइवट लिमिटेड का चयन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया गया ।

completed, the Company had, on 20th February 2014, sub-leased the 100 acres identified for the purpose, in favour of HBL @ ₹1/- for 94 years

Out of 100 acres land leased to HLL Biotech Limited, 3.38 Acres of land is given on lease to Tamilnadu Generation and Distribution Corporation Ltd [TANGEDCO] (Subsidiary of TNEB Ltd.) for a period of 92 years, on an annual lease rent of ₹1/- only. The sub-lease between HBL and TANGEDCO was executed on 19th September 2016.

2.16 Consequent to Cabinet Approval to sub- lease the 330.10-acre land at Chengalpattu, Kanchipuram district (Tamil Nadu) leased to it in 2009, for setting up Medipark, HLL Medipark Limited has been incorporated as a separate 100% subsidiary of HLL on 20th December 2016. The MediPark being set up in Chengalpattu near Chennai in Tamilnadu in an area of 330.10 acres shall comprise of state-of-art infrastructure and common facilities to support the medical technology industry.

HLL Medipark Ltd (HML) has equity participation by HLL Lifecare Ltd not exceeding 90% and Tamil Nadu Industrial Development Corporation (TIDCO) not exceeding l0% and HLL Lifecare Ltd has invested ₹6.40 Cr and TIDCO has invested ₹71.17 lakhs

The authorized share capital of the company as on 31st March 2021 is ₹1300 lakh. The issued, subscribed and paid-up equity share capital of HML as on 31st March 2021 is ₹711.70 lakhs. HLL & TIDCO hold the shares in the ratio 90: 10 in HML.

By a Circular Resolution dated 23rd January 2019, the Board of HLL Medipark Ltd. approved the proposal to hand over management contract for the development of Medipark to Tamil Nadu Industrial Development Corporation Ltd (TIDCO), in view of its advantageous location and the expertise of Tamil Nadu Government in developing industrial infrastructure. HLL and TIDCO is engaged in discussion regarding the terms and conditions governing management of Medipark project by TIDCO. HLL and TIDCO has signed SHA dated 8th April, 2021 with retrospective effect from 5th July 2019 to record the terms and conditions governing equity investment by HLL and TIDCO in the share capital of HML.

Consequent to the approval of the scheme of arrangement of Demerger of HML from HLL by MCA vide order dated 31st March 2021, HLL Medipark Limited has ceased to be the subsidiary w.e.f the appointed date of the scheme ie.,01st April 2019. As per the scheme, Govt. of India shall pay HLL LifecareLimtied the consideration of equity investment made by HLL in HML of ₹ 6.40 Crores. Accordingly, the investment made by the company in HLL Medipark Limited is reduced to this extent and is disclosed as Receivable from Govt. of India under Note -12 Current Financial Assets-Others.

HLL has requested Ministry of Health and Family Welfare to take appropriate action(s) necessitated by the Demerger of HML.

2.17 The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), Government of India, in its meeting held on 1st November 2017 has granted 'in-principle' approval for hiving off the Vaccine venture and Medipark project of HLL Lifecare Limited [HLL] as separate SPVs with 100% equity holding by Govt. of India within a period of three months and thereafter sale of 100% of Government's equity in HLL via a two-stage auction process. The Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), the nodal agency coordinating the disinvestment process selected (1) M/s. Price Water House Coopers Pvt. Ltd. (PWC) as Transaction Advisor (TA) and (2) M/s. Crawford Bayley& Co. as Legal Advisor (LA) through competitive bidding process. The selection of M/s. Adroit Technical Services Pvt. Ltd as Asset Valuer (AV) was done by the Administrative Ministry through competitive bidding process.

एचएचएल के प्रस्तावित विनिवेश के मामले में भारत सरकार द्वारा नियुक्त पीडब्लियुसी, लेनदेन सलाहकार (टी ए) ने एचएलएल द्वारा प्रदान किए गए डेटा, दस्तावेज़ें और सूचना के आधार प्रारंभिक निवेशक ज्ञापन (पीआईएम) तैयार किया । लेनदेन सलाहकार ने पीआईएम मसौदा प्रतिक्रिया और स्पष्टीकरण के लिए एचएलएल और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ शेयर किया। पीआईएम की विषय- सूची एचएलएल और मंत्रालय द्वारा प्रदान किये गये प्रतिक्रिया और स्पष्टीकरण के आधार पर उसको प्रकाशित करने से पहले सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ लेनदेन सलाहकार के द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। एचएलएल ने पीआईएम मसौदे पर प्रतिक्रिया और स्पष्टीकरण 3 अप्रैल, 2019 को लेनदेन सलाहकार को प्रदान किया है।

31 मई, 2019 को टीए ने एचएलएल द्वारा प्रदान किए गए अतिरिक्त इनपुट के आधार पर पीआईएम मसौदा मंत्रालय और एचएलएल के साथ साझा किया है । एचएलएल के निदेशक मंडल ने 3 जून 2019 को आयोजित की गई अपनी बैठक में पीआईएम की अंतर्वस्तुओं की जानकारी ली है। एचएलएल ने विभिन्न तिथियों पर टीए द्वारा मांगे गए कई मामलों पर आवश्यक जानकारी/स्पष्टीकरण भी प्रदान किया है। प्रस्तावित विनिवेश और इस संबंध में आवश्यक कार्यों के बारे में चर्चा करने के लिए निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

2.18 एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड ने एचएलएल बायोटेक लिमटेड और एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड के डिममर्जर के लिए योजनाएँ तैयार की हैं और 6 मार्च 2019 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) को योजनाएँ प्रस्तुत की हैं और उसके बाद 7 जून 2019 को एमसीए को एक संयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया है।

एचबीएल का डीमर्जर

एमओएचएफडब्लियु, भारत सरकार द्वारा दिए गए सीसीईए के निर्णय एवं निर्देश को ध्यान में रखते हुए एचएलएल और एचबीएल के निदेशक मंडल ने 20 फरवरी 2019 को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66 के साथ पठित धारा 230 से 232 के तहत एचएलएल और एचबीएल के बीच में व्यवस्था की योजना पर विचार करके अनुमोदन किया है। बोर्ड की मंजूरी के आधार पर कंपनी ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार को डीमर्जर के लिए एक संयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया । इस संबंध में, एमसीए ने कई तिथियों और विभिन्न अन्य कार्यवाही पर सुनवाई की थी और 4 जून 2020 को एचएलएल और एचबीएल को एचएलएल से एचबीएल के डीमर्जर की योजना पर विचार करने और उसे मंजूरी देने के लिए दोनों कंपनियों के असुरक्षित लेनदारों की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया था। एमसीए के निर्देशानुसार, एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड और एचएलएल बायोटेक लिमिटेड ने 26 अगस्त 2020 को वीसी के माध्यम से 10 लाख रुपए से अधिक के बकाया कर्जवाले असुरक्षित लेनदारों की बैठक आयोजित की और एचबीएल के डीमर्जर की प्रस्तावित योजना के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए लेनदारों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की। मूल्य में तीन-चौथाई से अधिक का प्रतिनिधित्व करनेवाले एचएलएल के अधिकांश असुरक्षित लेनदारों ने डीमर्जर की योजना को मंजूरी दे दी, हालांकि, मूल्य में तीन-चौथाई से अधिक का प्रतिनिधित्व करनेवाले एचबीएल के अधिकांश असुरक्षित लेनदारों ने डीमर्जर की योजना को मंजूरी नहीं दी । इसके बाद एचबीएल ने लेनदारों से एनओसी प्राप्त की और इन दो लेनदारों के मूल्य को जोडकर एचबीएल के असुरक्षित लेनदारों द्वारा सकारात्मक वोटों का कुल मूल्य, तीन-चौथाई से अधिक हो गया।

इसके बाद एचएलएल और एचबीएल दोनों ने 9 फरवरी 2021 को सीएए5 को सूचित करने के लिए संयुक्त द्वितीय गति याचिका प्रस्तुत की और एमसीए से व्यवस्था की योजना को मंजूरी देने का अनुरोध किया ताकि उन सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी है जिन पर यह योजना बाध्यकारी है। एमसीए ने सुनवाई के दौरान याचिकाओं में किए गए कथनों पर विचार करने के बाद और संबंधित आरओसी एवं आरडी को रिपोर्टों पर भी विचार करके व्यवस्था की योजना को अपनी मंजूरी दे दी और 22 मार्च 2021 को अंतिम आदेश जारी किया। इसके बाद, 10 अप्रैल 2021 को एचएलएल और एचबीएल ने एमसीए के आदेश की प्रमाणित प्रति निर्धारित ई-फार्म (आईएनसी 28) में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, केरल को कानून द्वारा निर्धारित के रूप में प्रस्तुत की। फॉर्म आईएनसी 28 की जाँच करने के बाद, एमसीए ने टिप्पणी की और टिपिपणी के लिए स्पष्टीकरण के साथ फॉर्म को पुनः प्रस्तुत करने की सलाह दी। एचएलएल और एचबीएल, दोनों ने आवश्यक स्पष्टीकरण के साथ फॉर्म आईएनसी 28 को पुनः प्रस्तुत कर दिया है।

PWC, the Transaction Advisor (TA) appointed by the Government of India in the matter of proposed Disinvestment of HLL has prepared the Preliminary Information Memorandum [PIM] based on the data, documents and information provided by HLL. The TA has shared the draft PIM with HLL and the Ministry of Health, Government of India for feedback and clarifications. The contents of the PIM will be finalized by the TA based on the feedback and clarifications that would be provided by HLL and the Ministry before publishing the same with approval of the Competent Authority. HLL has provided feedback and clarifications on the draft PIM to the TA on 3rd April 2019.

On 31st May 2019 the TA shared with the Ministry and HLL draft PIM based on additional inputs provided by HLL. HLL Board of directors in its meeting held on 3rd June 2019 took cognizance of the contents of the PIM. HLL has also provided necessary information/clarifications on several matters sought by TA on various dates. Periodic review meetings are held by Ministry of Health & Family Welfare in association with Department of Investment and Public Asset Management to discuss about the proposed disinvestment and actions required in this regard.

2.18 HLL Lifecare Ltd has formulated the schemes for Demerger of HLL Biotech Ltd and HLL Medipark Ltd and submitted the schemes to the Ministry of Corporate Affairs [MCA] on 6th March 2019 and thereafter on 7th June 2019 submitted a joint application to the MCA.

Demerger of HBL

Considering the CCEA decision and direction given by the MoHFW, Government of India, the Board of Directors of HLL & HBL had on 20th February, 2019 considered and approved Scheme of arrangement between HLL and HBL under Section 230 to232 read with Section 66 of the Companies Act, 2013. Based on the Board approval the Company submitted a joint application for Demerger to the Ministry of Corporate Affairs [MCA], Government of India. In this regard, the MCA had conducted hearings on several dates & various other proceedings and on 4th June 2020 interalia directed HLL and HBL to convene meetings of the Unsecured Creditors of both the companies to consider and approve the Scheme of Demerger of HBL from HLL. As directed by the MCA, HLL Lifecare Ltd. and HLL Biotech Ltd held the meeting of the Unsecured Creditors having outstanding debt of above ₹10 Lakh on 26th August 2020 through VC and provided e-voting facility to the Creditors to obtain approval for the proposed Scheme of Demerger of HBL. The majority of the unsecured creditors of HLL representing more than three-fourth in value have approved the scheme of Demerger, however, the majority of the unsecured creditors of HBL representing more than three-fourth in value have not approved the scheme of Demerger. Thereafter, HBL obtained NOC from two creditors and by adding the value of these two creditors the total value of affirmative votes by the unsecured creditors of HBL became more than three-fourth in value.

Subsequently, both HLL & HBL submitted joint second motion petition in form CAA5 on 9th February, 2021 and requested the MCA to sanction the scheme of arrangements so as to binding on all parties on whom the scheme is to be binding. The MCA after considering the averments made in the petitions and during the course of hearing and further considering the reports of the concerned ROC & RD accorded its sanction to the Scheme of Arrangement and issued final order on 22nd March, 2021. Thereafter, on 10th April, 2021 HLL & HBL submitted certified copy of the MCA order in the prescribed e-form (INC28) with the Registrar of Companies, Kerala as stipulated by law. After examining the form INC 28, the MCA raised remark and advised to re-submit the form with clarifications for the remark. Both HLL & HBL have resubmitted the form INC 28 with necessary clarification.

एचएमएल का डीमर्जर

एमओएचएफडब्लियु, भारत सरकार द्वारा दिए गए सीसीईए के निर्णय एवं निर्देश को ध्यान में रखते हुए एचएलएल और एचएमएल के निदेशक मंडल ने 20 फरवरी 2019 को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66 के साथ पठित धारा 230 से 232 के तहत एचएलएल और एचएमएल के बीच में व्यवस्था की योजना पर विचार करके अनुमोदन किया है। बोर्ड की मंजूरी के आधार पर कंपनी ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार को डीमर्जर के लिए एक संयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया । इस संबंध में, एमसीए ने कई तिथियों और विभिन्न अन्य कार्यवाही पर सुनवाई की थी और अंततः 18 जनवरी 2021 को आदेश जारी किया और एचएलएल से एचएमएल के डीमर्जर की योजना पर विचार करने और उसे मंजूरी देने के लिए एचएलएल अपने असुरक्षित लेनदारों की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। एमसीए के निर्देशानुसार, एचएलएल ने 22 फरवरी 2021 को वीसी के माध्यम से 10 लाख रुपए से अधिक के बकाया कर्जवाले असुरक्षित लेनदारों की बैठक आयोजित की। मूल्य में तीन-चौथाई से अधिक का प्रतिनिधित्व करनेवाले एचएलएल के अधिकांश असुरक्षित लेनदारों ने डीमर्जर की योजना को मंजूरी दे दी।

इसके बाद एचएलएल और एचएमएल दोनों ने 8 मार्च 2021 को फार्म सीएए5 में संयुक्त द्वितीय गति याचिका प्रस्तुत की और एमसीए से व्यवस्था की योजना को मंजूरी देने का अनुरोध किया ताकि उन सभी पक्षों पर बाध्यकारी हो जिन पर यह योजना लागू है। एमसीए ने सुनवाई के दौरान याचिकाओं में किए गए कथनों पर विचार करने के बाद और संबंधित आरओसी एवं आरडी को रिपोर्टों पर भी विचार करके निष्कर्ष निकाला कि व्यवस्था की योजना क्रम में है और अतः व्यवस्था की योजना केलिए केंद्र सरकार की मंजूरी दी गई है और 31 मार्च 2021 को अंतिम आदेश जारी किया। इसके बाद, 10 अप्रैल 2021 को एचएलएल और एचएमएल ने एमसीए के आदेश की प्रमाणित प्रति निर्धारित ई-फार्म (आईएनसी 28) में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, केरल को कानून द्वारा निर्धारित के रूप में प्रस्तुत की। फॉर्म आईएनसी 28 की जाँच करने के बाद, एमसीए ने टिप्पणी की और टिपिपणी के लिए स्पष्टीकरण के साथ फॉर्म को पुनः प्रस्तुत करने की सलाह दी। एचएलएल और एचएमएल, दोनों ने आवश्यक स्पष्टीकरण के साथ फॉर्म आईएनसी 28 को पुनः प्रस्तुत कर दिया है।

2.19 वर्ष के दौरान मेसेर्स एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड (एचएलएल) ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 179, धारा 180, धारा 185 , धारा 186 और अन्य लागू प्रावधानों के अधीन एचएलएल की पूर्ण स्वामित्ववाली समनुषंगी कंपनी, मेसेर्स एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एचबीएल) को मासिक आधार पर देय एचएलएल द्वारा लाभ उठाई नकदी ऋण सुविधा पर लागू अधिकतम ब्याज दर की दर पर विभिन्न खर्चों को पूरा करने के लिए ₹ 65 करोड तक की अस्थायी ऋण (अप्रतिभूत) प्रदान किया है। 31.03.2021 तक के शेष ₹ 19.41 करोड है और टिप्पणी सं -11 खाते के हिस्से के तहत खुलासा किया गया है।

2.20 वर्ष के दौरान मेसेर्स एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड (एचएलएल) ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 179, धारा 180, धारा 185 , धारा 186 और अन्य लागू प्रावधानों के अधीन एचएलएल की पूर्ण स्वामित्ववाली समनुषंगी कंपनी, मेसेर्स एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड (एचएमएल) को मासिक आधार पर देय एचएलएल द्वारा लाभ उठाई नकदी ऋण सुविधा पर लागू अधिकतम ब्याज दर की दर पर विभिन्न खर्चों को पूरा करने के लिए ₹ 1.68 करोड तक की अस्थायी ऋण (अप्रतिभूत) प्रदान किया है। 31.03.2021 तक के शेष ₹ 1.68 करोड है और टिप्पणी सं -11 खाते के हिस्से के तहत खुलासा किया गया है।

2.21 कंपनी ने 19 मार्च 2014 को कंपनी पर किए गए उचित परिश्रम के आधार पर 708.75 लाख रुपए के कीमत के लिए मेसेर्स गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मस्युटिकल्स लिमिटेड (जीएपीएल) की इक्विटी शेयर पूँजी का 74% अधिग्रहण किया है। जीएपीएल मेसेर्स ईडीसी लिमिटेड, गोवा सरकार उपक्रम की पूर्ण स्वमित्व वाली समनुषंगी कंपनी थी और विभिन्न फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों के विनिर्माण एवं बिक्री में लगी हुई है। सांविधिक लेवी के साथ भुगतान किए कीमत को गैर वर्तमान निवेश के भाग के रूप में दिखाया जाता है। कंपनी को हानि हुई है और 31 मार्च 2021 तक कंपनी का निवल मूल्य नकारात्मक हो गया है। चालू वर्ष का नुकसान मुख्य रूप से मेडिसेंटरों से कम कारोबार, कोविड महामारी की अवधि के दौरान ओपीडी नहीं होने और एपी, तेलंगाना और कर्नाटका के सरकारी संस्थानों के आदेशों की कमी के कारण हुआ है। भारत सरकर द्वारा आयुष क्षेत्र में दिए गए महत्व को ध्यान में रखते हुए, कंपनी आयुष विभाग से आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाओं के आदेश मिलने की उम्मीद करती है। तदनुसार प्रबंधन का विचार है कि निवेश से जुडे कोई संभावित हानि नहीं है।

Demerger of HML

Considering the CCEA decision and direction given by the MoHFW, Government of India, the Board of Directors of HLL & HML on 20th February, 2019 considered and approved Scheme of arrangement between HLL and HBL under Section 230 to 232 of the Companies Act, 2013.Based on the Board approval, the Company submitted joint application for Demerger to the Ministry of Corporate Affairs [MCA], Government of India. In this regard, the MCA had conducted hearings on several dates & various other proceedings and eventually issued order on18th January, 2021 and directed HLL to convene meetings of the Unsecured Creditors of them to consider and approve the Scheme of Demerger of HML from HLL. As directed by the MCA, HLL held the meeting of the Unsecured Creditors having outstanding balance of above ₹10 Lakh on 22nd February, 2021 through VC. The majority of the unsecured creditors of HLL representing more than three-fourth in value have approved the scheme of Demerger.

Subsequently, both HLL & HML submitted joint second motion petition in Form CAA 5 on 8th March, 2021 and requested the MCA to sanction the scheme of arrangement so as to be binding all parties on whom the scheme is applicable. The MCA after considering the averments made in the petitions and during the course of hearing and also considering the reports of the concerned ROC & RD concluded that the Scheme of arrangement is in order and hence accorded the sanction of the Central Government to the Scheme of Arrangement and issued Final Order on 31st March, 2021.Thereafter, on 21st April, 2021 both HLL & HML submitted certified copy of the MCA order in the prescribed e-form (INC28) with the Registrar of Companies, Kerala as stipulated bylaw. After examining the form INC 28, the MCA raised remark and advised to re-submit the form with clarifications for the remark. Both HLL & HML have resubmitted the form INC 28 with necessary clarification.

2.19 HLL Lifecare Limited [HLL] has granted temporary loan (Unsecured) under the provisions of Sec. 179, Sec. 180, Sec. 185, Sec. 186 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with rules made there under to M/s. HLL Biotech Limited [HBL], upto ₹65 Crores. for meeting various expenditure at a rate of interest rate linked to maximum interest rate applicable to Cash Credit facility availed by HLL payable on monthly basis. The balance as on 31.03.2021 is ₹19.41Crores and disclosed under Note 11 forming part of accounts.

2.20 HLL Lifecare Limited(HLL) has granted temporary loan (Unsecured) under the provisions of Sec. 179,Sec.180, Sec.185, Sec 186 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with rules made there under to M/s HLL Medipark Ltd(HML) upto ₹1.68Crore for meeting various expenditure at the rate of interest linked to maximum interest rate applicable to Cash credit facility availed by HLL payable on monthly basis. The balance as on 31.03.2021 is ₹1.68Crores and is disclosed under Note 11 forming part of accounts,

2.21 The Company, on 19th March, 2014 has acquired 74% of the Equity Share Capital of M/s Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (GAPL) for a consideration of ₹708.75 lacs based on a due diligence conducted on the company. GAPL was a wholly owned subsidiary company of M/s EDC Limited, a Govt. of Goa undertaking and is engaged in the manufacturing & selling of various pharmaceuticals products. The consideration paid together with statutory levies is shown as part of noncurrent investments. The company has incurred losses and as on 31st March 2021 the networth of the company has turned negative. The current year losses are primarily due to the reduced business from Medicentres due to no OPD during the Covid Pandemic period and lack of orders from Government Institutions from AP, Telengana & Karnataka. Taking into account the importance given by Govt. of India into AYUSH sector, company is expecting orders from AYUSH Departments towards Ayurvedic and Homeopathic medicines. Accordingly , the management is of the view that there is no potential impairment losses associated with the investment.

2.22 उत्तर प्रदेश राज्य के 20 जिलों में 100 बिस्तर वाले मातृ एवं शिशु अस्पताल स्कंध के संचालन के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में 1 अगस्त , 2017 को एचएलएल की एक अलग 100% समनुषंगी के रूप में एचएलएल मातृ एवं शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड(एचएमसीसीएचएल) गठित किया गया। एचएमसीसीएचएल द्वारा प्रत्येक रु. 10/- के 10000 शेयर एचएलएल के नाम में आबंटित किया गया है। हालांकि एचएमसीसीएचएल उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सका जिसके लिए एसपीवी की स्थापना की गई थी।

शेल कंपनी को बनाए रखने के लिए अन्य आकस्मिक लागतों के साथ-साथ प्रशासनिक लागत और कानूनी अनुपालन लागत की आवश्यकता होगी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने 31 मार्च 2021 से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के रिकॉर्ड से नाम काटकर एचएमसीसीएचएल को बंद करने का निर्णय लिया। कंपनी बोर्ड बैठक में एचएमसीसीएचएल के निदेशक मंडल के नाम काटने के लिए एक विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी जिसमें लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण 2020-21 को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

समनुषंगी लाभकारी संस्था नहीं होने से वर्ष 2019-2020 के दौरान रु. 10.00 लाख के निवेश पर खराब हानि पहचान की गई है और उस वर्ष के लाभ या हानि के विवरण में चार्ज है। एचएलएल द्वारा प्रदत्त पूर्व प्रचालन व्यय की ओर एचएलएल मातृ एवं शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड द्वारा मूल कंपनी को देय ₹3.13 करोड की बकाया राशि को चालू वर्ष 2020-21 के दौरान लाभ व हानि में प्रभारित किया गया है।

2.23 एचएलएल बायोटेक लिमिटेड ने चेंगलपेट्टु में एकीकृत वैक्सीन परियोजना स्थापित करने के लिए एचएलएल अवसंरचना विकास प्रभाग (आईडीडी) को सिविल निर्माण परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है। एचएलएल-आईडीडी ने खुली निविदा प्रक्रिया के ज़रिए मेसर्स शापूरजी & कंपनी प्रा. लिमिटेड को परियोजना प्रदान किया है। एसपीसीपीएल ने परियोजना पूरा करने की संशोधित निर्धारित तारीख से 571 दिनों की देरी के साथ पूरी की । एसपीसीपीएल के कारण भुगतान के संबंध में पार्टियों के बीच में वाद-विवाद हुआ। एसपीसीपीएल ने रु.74.95 करोड का मध्यस्थता दावा दायर किया जिसके विरुद्ध एचएलएल ने रु.46.07 करोड का काउंटर दावा की है। मध्यस्थता चल रही है। एचबीएल के निदेशक मंडल ने एसपीसीपीएल के मध्यस्थता दावे को संभालने की मंजूरी दे दी जो एचबीएल-आईवीसी के निर्माण से संबंधित है, मध्यस्थता दावे को एचएलएल बायोटेक लिमिटेड के वित्तीय में आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

2.24 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) स्यू मोटो ने वर्ष 2010 से 2013 तक की अवधि के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्लियु) द्वारा जारी की गई निविदाओं में अभिकथित कार्टेलिज़ेशन के लिए पुरुष गर्भनिरोधक उत्पादों के दस निजी विनिर्माताओं के खिलाफ जाँच प्रारंभ की थी और जाँच में कंपनी को अभिकथित गुटबंदी के लिए एक पार्टी के रूप में भी शामिल की थी। कंपनी से माँगी गई सभी जानकारी भी प्रस्तुत की गई। एचएलएल को डीजी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देने के लिए 11.11.2019 तक का समय दिया गया जो 11.11.2019 को दायर किया गया था। वर्ष 2019 के डब्लियु.पी नं. 2293 में तेलंगाना न्यायलय द्वारा पारित दिनांक 14.10.2019 के आदेश के मद्देनज़र, मामले में आगे की कार्यवाही जारी रखते हुए, आयोग ने 20.11.2019 को नियत मामले में डीजी रिपोर्ट पर अंतिम सुनवाई को रद्द करने का निर्णय लिया। यह निर्णय 15.11.2019 को सीसीआई द्वारा एचएलएल और अन्य विरोधी पक्षों को सूचित किया गया।

2.25 आरबीडी और एचसीएस प्रभाग प्रत्येक सेंटर के दैनिक लेन-देन प्राप्त करने के लिए इको ग्रीन, वंडर सोफ्ट, 21 सेन्चवरी एलअईएस सोफ्टवेयर &सुवर्णा जैसे विभिन्न सोफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं । लेन-देन का सारांश आवधिक आधार पर एचएलएल खाता बही में अधिकृत कर लिया है।

2.26 कंपनी ने दिसंबर 2015 से 20 वर्षों की अवधि के लिए सोपानम कॉम्प्लेक्स, मेडिकल कॉलेज जंग्शन, तिरुनवंतपुरम के उनके मकान के दो मंज़िलों को पट्टे पर देने की ओर तिरुनवंतपुरम विकास प्राधिकरण (ट्रिडा) के साथ पट्टा समझौता प्रारंभ किया है।

रु. 500 लाख का ब्याज मुक्त प्रतिदेय प्रतिभूति जमा इंड एस 109 के अनुसार गैर चालू और चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ - अन्य के अधीन प्रकट किया जाता है और जमा के वर्तमान मूल्य और पूर्व प्रदत्त किराए के रूप में आस्थगित भुगतान की गई

2.22 HLL Mother & Child Care Hospitals Limited (HMCCHL) was formed as a separate 100% subsidiary of HLL on 1st August 2017, as a Special Purpose Vehicle for operationalization of 100 bedded Mother & child Hospitals Wings in 20 districts in the state of Uttar Pradesh 10000 shares @ ₹10/- each is allotted in the name of HLL by HMCCHL. However, HMCCHL could not serve the objective for which the SPV was set up.

Considering the fact that maintaining a shell company will necessitate incurring administrative cost and legal compliance cost among other incidental costs, the Board decided to close down HMCCHL by striking off the name from the records of the Registrar of Companies [ROC] in accordance with the provisions of Section 248 of the Companies Act, 2013 after 31st March, 2021. The company will submit a specific proposal to strike off the name to the Board of directors of HMCCHL in the Board meeting in which audited financial statements 2020-21 will be submitted for approval.

As the subsidiary is not a going concern impairment on investment of ₹10.00 lakhs was recognised during the year 2019-2020 and charged to the statement of Profit or Loss of that year. An outstanding amount of ₹3.13 Crores due to the parent company by HLL Mother and Child Care Hospital Ltd towards pre-operative expenses paid by HLL has been charged to Profit and Loss during the current year 2020-21.

2.23 HLL Biotech Ltd, appointed HLL- Infrastructure Development Division (IDD) as Civil Construction consultant for setting up the Integrated Vaccine Project in Chengalpattu. HLL- IDD awarded the project to M/s ShapoorjiPallonji& Company Pvt Ltd, Chennai through Open Tender Process. SPCPL completed the project with a delay of 571 days from the revised scheduled date of completion. Dispute arose between the parties with regard to payments due to SPCPL. SPCPL has filed an arbitration claim of ₹74.95 Crores against which HLL has filed a counter claim of ₹46.07 Crores. The arbitration is under progress. The Board of Directors of HBL has approved taking over of the arbitration claim of SPCPL as the same is pertaining to the construction of HBL-IVC, the arbitration claim is disclosed as contingent liability in the financials of HLL Biotech Ltd.

2.24 The Competition Commission of India (CCI) suomoto had initiated (30.9.2014) an investigation against ten private manufacturers of male contraceptive products for alleged cartelisation in tenders floated by Ministry of Health and Family Welfare (MoH&FW) during the period 2010 to 2013 and upon investigation the Company was also included as a party to the alleged cartelisation.

All information sought from the company was also submitted. HLL was granted time till 11.11.2019 to file response on the DG Report which was filed on 11.11.2019. In view of the Order dated 14.10.2019 passed by the Hon'ble Court of Telangana in W.P. No. 2293 of 2019, staying all further proceedings in the matter, the Commission decided to cancel the date of final hearing on DG Report fixed in the matter on 20.11.2019. This decision was communicated by the CCI to HLL and other Opposite Parties on 15.11.2019.

2.25 RBD and HCS divisions are using multiple software's like Eco Green, Wonder soft, 21st Century LIS software &Suvarna for capturing daily transactions of each centres. Summary of transactions are captured in HLL books of accounts on a periodical basis.

2.26 Company has entered into a lease agreement with Thiruvananthapuram Development Authority (TRIDA) to lease out two floors of their building at Sopanam Complex, Medical College Junction, Thiruvananthapuram for a period of 20 years from December 2015.

The interest free refundable security deposit of ₹500 lakhs is discounted and shown at its present value under Non-current & Current Financial assets –others as per Ind AS 109 and the difference between the Present value of deposit and the amount of deposit paid deferred as prepaid rent is

रकम के बीच के अंतर को इंडएएस 116 के तहत आरओयु परिसंपत्ति के रूप में प्रकट किया जाता है।

2.27 एचएलएल कैंपस, नोएडा में चिकित्सा उपकरणों के लिए परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की ओर एमओसी &आई से एचएलएल को प्राप्त निर्यात अवसंरचना और अन्य संबद्ध गतिविधियों के विकास(एसाईड) के लिए राज्यों को सहायता के अधीन नवंबर 2016 के दौरान रु.14 करोड की रकम प्राप्त हुई थी। मंजूरी पत्र की शर्तों के अनुसार, (क) वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधि सहित परियोजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एचएलएल द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा। (ख) परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना है (ग) एचएलएल को 31.03.2018 को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा (घ) अनुदेयी नियमों व शर्तों का पालन करने में विफल होने की स्थिति में, अनुदान का पूरा या उसका हिस्सा प्रतिवर्ष 10% की दर से ब्याज के साथ वापस किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

यह परियोजना निर्माणाधीन है और नियमित आधार पर निर्धारित जैसे उपयोग प्रमाणपत्र एमओसी &आइ को प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी अनुदान के पुनर्भुगतान की परिकल्पना नहीं करती है क्योंकि परियोजना पूर्ण होने के अंतिम चरण में है। कंपनी को समय के विस्तार के लिए लिखित स्वीकृति मिलना बाकी है। परियोजना के निर्माण की पूर्ति लंबित रहने से, प्राप्त राशि को अन्य चालू देयताओं के अधीन अग्रिम में प्राप्त अनुदान के रूप में दिखाया जाता है। 31.03.2018 के निर्धारित समापन तारीख से 31.03.2021 तक के ₹208.02 लाख की अप्रयुक्त रकम के ब्याज को ₹62.46 लाख की आकस्मिक देयता मानी जाती है।

2.28 वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी ने फार्मास्यूटिकल फंड और सफ्लाई एजेंसी , इथियोपिया के माध्यम से इथियोपिया मंत्रालय को पुरुष कंडोम के 69.88 दशलक्ष अदद निर्यात किया था। इन में से कुछ बैच इथियोपिया फुड मेडिसिन और हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन (ईएफएमएएचसीए) के परीक्षणों में असफल हो गये हैं। इस शर्त पर चार परेषण में पूरी आपूर्ति प्रतिस्थापित करने की सहमति व्यक्त की गयी कि इथियोपियन संस्था को एचएलएल द्वारा प्रतिस्थापित किये गये प्रत्येक बैच की ओर खराब सामाग्रियों के समान मात्रा वापस भेजना है।

कंपनी ने वर्ष 2017-18 के दौरान कंडोम के 15 दशलक्ष अदद (35 बैचों में) बदले में प्रतिस्थापित किया और फार्मस्यूटि कल फंड और सुल्ली एजेंसी (पीएफएसए) ने 137 बैचों से 15 दशलक्ष अदद वापस किए। वापसी मालों के केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, चेन्नै में आगे परीक्षण किया गया और सभी बैच पारित किये गये। पीएफएसए ने सूचित किया था कि वे पहले सहमत किये जैसे वे प्रतिस्थापन के साथ जारी नहीं रहेंगे।

तदनुसार रु. 186.91 लाख के 15 दशलक्ष अदद भेजने के लिए खर्च किए वास्तविक व्यय 2016-17 के दौरान 30 दशलक्ष अदद के खिलाफ बनाए गए 380.45 लाख के प्रावधान की ओर छूट दी गयी और रु. 193.54 लाख की शेष प्रावधान 2017-18 में वापस लिखा गया है।

पीएफएसए, ऐथियोपिया ने हमें भुगतान की गई रकम की शेष रकम की वापसी मांग कर दिनांक 13.2.2018 के कानूनी नोटीस भेजा था। हालंकि दिनांक 21.02.2018 के पत्र के अनुसार एचएलएल द्वारा इसको इनकार कर दिया गया। दिनांक 5.2.2019 के पत्र द्वारा पीएफएसए, मेसेर्स ग्लोबल फंड टु फाइट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस ऑण्ड मलेरिया, जनिवा को संपूर्ण रकम की प्रतिपूर्ति के लिए एचएलएल के खिलाफ आवश्यक उपाय लेने के लिए सूचित किया गया। इसके बाद दिनांक 18.02.2019 के पत्र द्वारा एचएलएल, मेसेर्स ग्लोबल फंड को विस्तृत समर्थन दिया गया और एचएलएल और उसके व्यवसाय की छवी को कलंकित करना रोकने केलिए पीएफएसए को सलाह देने का अनुरोध किय गया।

23 सितंबर 2020 को पीएफएसए ने एचएलएल के खिलाफ फेडरल हाईकोर्ट-फेडरल डेमोक्राटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया के साथ उपरोक्त मामले के अनुरूप 45.60 करोड आईएनआर के बराबर दावा रकम के लिए एक सिविल मुकद्दमा दायर किया। एचएलएल को फेडरल हाईकोर्ट-फेडरल डेमोक्राटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया से 12.10.2020 को सूचना मिली कि इस मामले पर पहली सुनवाई फरवरी 2021 को होगी। एचएलएल 18.02.2021 को अपने वकील, अधिवक्ता जेनेट मुलतु के द्वारा प्रतिवाद बयान दाखिल कर सकता है।

₹45.60 करोड की दावा रकम 31.03.2021 तक के आकस्मिक देयता में शामिल है।

2.29 2016-17 के दौरान एचएलएल राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा, क्यूबा को ठेका सं : 75323 द्वारा एस बी ई के 2,00,000 संख्या

disclosed as ROU Asset under Ind AS 116.

2.27 An amount of ₹14 Crores was received by HLL from MoC&I during November 2016 for setting up testing lab for medical equipments at HLL campus, Noida under Assistance to States for Developing Export Infrastructure and Allied Activities (ASIDE). As per the terms of the sanction letter , (a) A committee shall be constituted by HLL for implementation and monitoring the projects including a representative from the department of commerce , (b) the project is to be completed in time bound manner, (‘c) HLL has to submit the utilisation certificate by 31.03.2018 (d) In the event of grantee failing to comply the terms and conditions, whole or part of the grant is liable to be refunded with interest @10% per annum.

The project is under construction and utilisation certificates are submitted to MoC&I as stipulated on regular basis. The company does not envisage repayment of the grant as the project is in final stages of completion. The company is yet to get a written approval for extension of time. Pending completion of construction of the project, the amount received is shown as grant received in Advance under other current liabilities. A contingent liability of ₹62.46 lakhs is considered towards interest on the un-utilised amount of ₹208.02 lakhs as on 31.03.2021 from the date of scheduled completion of 31.03.2018

2.28 During the year 2015-16 the company had exported 69.88 Mpcs of male condoms to Ministry of Ethiopia through Pharmaceutical Fund and Supply Agency, Ethiopia. Out of these, some of the batches failed the tests of Ethiopia Food Medicines and Health Care Administration (EFMAHCA). It was agreed to replace the entire supplies in four consignments on the condition that the Ethiopian entity has to send back equal quantity of the defective material against each batch of replacement done by HLL.

The Company replaced 15 Mpcs of Condom (in 35 batches) and in return Pharmaceuticals Fund and Sully Agency (PFSA) has returned 15 Mpcs from 137 batches during 2017-18. The returned goods were further tested at Central Drug Testing Laboratory, Chennai and all batches were passed. PFSA had informed that they would not continue with the replacement, as agreed earlier.

Accordingly, actual expenditure incurred for despatch of 15 Mpcs of ₹186.91 lakhs are netted off against the provision created of ₹380.45 lakhs against 30 Mpcs during 2016-17, and balance provision of ₹193.54 lakhs were written back in 2017-18

PFSA, Ethiopia had send a legal notice dated 13.02.2018 demanding refund of balance amount paid to us. However, this was denied by HLL vide letter dated 21.02.2018. PFSA by a letter dated 5.2.2019 had informed ‘M/s Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria’, Geneva to take necessary measures against HLL for reimbursement of the entire amount. Subsequently, by letter dated 18.2.2019, HLL furnished detailed justification to M/s Global Fund and requested them to advise PFSA to stop tarnishing the image of HLL and its business

On 23rd September 2020, PFSA filed a Civil Case against HLL with the Federal High Court – Federal Democratic Republic of Ethiopia in line with the above matter for a claim amount equivalent to ₹45.60 Cr INR.HLL received intimation from the Federal High Court – Federal Democratic Republic of Ethiopia on 12.10.2020 that the first hearing on the matter will be on February 2021. HLL could file the defence statement though our counsel, Adv. Genet Mulatu on 18.2.2021.

The claim amount of ₹45.60 Crores is included in Contingent Liability as on 31.03.2021.

2.29 HLL supplied 2,00,000Nos of SBE to National Health Service, Cuba during 2016-17 vide contract no: 75323. During June 2017, Department of Medical Equipment and Devices, Cuba (CEC MED)

आपूर्ति किया गया। जून 2017 के दौरान चिकित्सा उपकरण और डिवाईस विभाग, क्यूबा (सीईएस एमईडी) ने गुणवत्ता संबंधी मामले पर मुद्दा उठाया। पार्टियों ने संवाद के ज़रिए गुणवत्ता मुद्दों को संबोधित करने की कोशिश की और नमूनों को भारत में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित एसजीएस लैब में जाँच किया गया । नमूने स्टेरिलिटी परीक्षण पारित किया गया और मेडिकुबा भी 19.03.2018 को आपूर्ति की ओर भुगतान भी जारी किया गया। 29.10.2018 को मेसेर्स मेडिकुबा ने अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक आर्बिट्रेशन, क्यूबा न्यायालय के समक्ष 936404.81 यूरो (रु. 7.38 करोड के तुल्य) के दावा याचिका फाइल किया। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा सुझाई गई शर्तों को ध्यान में रखते हुए और एचएलएल और मेडिकुबा के सहमति के साथ, मौखिक सुवनाई के दौरान चेंबर ऑफ कॉमेर्स की सीट में, मेडिकुबा औरएचएलएल के बीच में 7.2.2020 को दोनों पक्षों के लिए एक दोस्ताना और अनुकूल समझौते पर पहुँचने के लिए समझ की एक बैठक आयोजित की गई जो बहस में आनेवाले मुद्दों को समाप्त कर सकता है। एचएलएल द्वारा मेसर्स मेडिकुबा को एक प्रस्ताव तैयार और साझा किया गया। मेडिकुबा और एचएलएल दोनों द्वारा उनके काउंसल्स के साथ प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया और हस्ताक्षर किए गए।

क्यूबा के न्यायालय सचिवालय ने 23.02.2021 को एचएलएल और मेडिक्यूबा को निर्देश दिया था कि 21.03.2021 से पहले मध्यस्थता मामले को अतिरिक्त न्यायिक वाणिज्यिक समझौता जमा करके बंद कर दिया जाए। मेडिक्यूबा के साथ सहमति हुई और प्रबंधन की मंजूरी प्राप्त करने के बाद 18.03.2021 को अतिरिक्त न्यायिक वाणिज्यिक समझौता निष्पादित किया गया। न्यायालय से औपचारिक आदेश का इंतजार है।

अतिरिक्त न्यायिक वाणिज्यिक समझौते में, जब तक कि यूरो 794793.77 की राशि, आज मुकदमेबाजी में अनुबंध के अनुरूप मूल्य पूरी नहीं हो जाती, जब तक इसको प्रदान करने के लिए आयात प्रबंधन की स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है एचएलएल भविष्य के अनुबंधों को वित्तीय छूट प्रदान करने के लिए स्वीकार करता है । उक्त छूट को दो (2) वर्ष तक की अवधि के लिए बढाया जा सकता है और इसमें गैर सीमित आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली के लिए आवश्यक अन्य संसाधनों जैसे ब्लड बैग, अंतर्गर्भाशय उपकरण (आईयूडी), दस्ताने, सूचेर्स और कंडोम शामिल हैं। कोर्ट से औपचारिक आदेश का इंतजार है।

मेसर्स मेडिक्यूबा को मामले के परिणामस्वरूप रोके गए यूरो 362323.29, के लंबित बकाया को जारी करना है। ईसीजी नीति के अनुसार, एचएलएल को नियमित तारीख की समाप्ति से 1 वर्ष के अंतर ईसीजीसी के पास दावा प्रस्तुत करना है। इसलिए एचएलएल ने ईसीजीसी के सामने दावा किया है। इस बीच कंपनी को 2019 के दौरान मेसर्स मेडिक्यूबा से प्राप्त राशियों की ओर रु. 1.74 करोड़ का ईसीजीसी दावा प्राप्त हुआ है। मेसर्स मेडिक्यूबा के साथ उपरोक्त समझौते के परिणामस्वरूप, जब मेसेर्स मेडिक्यूबा से प्राप्तियों का निपटान किया जाता है, तो ईसीजीसी का दावा कंपनी द्वारा वापस किया जा सकता है।

2.30 लेखा मानक (ए एए -37) के अनुसार प्रावधान, प्रासंगिक देयताएँ और प्रासंगिक परिसंपत्तियाँ, 31मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखे में बनाए गए प्रावधानों में गति से संबंधित प्रकटीकरण निम्न जैसे हैं:

(₹ लाखों में)

	वस्तुसूचियों की ओर प्रावधान		**अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता***		**ऋण व पेशगियों के लिए प्रावधान****	
वर्ष	**20-21**	**19-20**	**20-21**	**19-20**	**20-21**	**19-20**
प्रारंभिक शेष	27.46	16.19	2233.88	2227.52	1538.61	1538.61
परिवर्धन	179.17	27.46	2483.72	135.63		-
उपयोग			2425.72	80.02		-

raised quality concerns. The parties tried to address the quality issue by dialogues and also got the samples tested in internationally reputed SGS Lab in India. The samples passed the sterility test and Medicuba also released payments towards the supply on 19.03.2018. In 29.10.2018 M/s. MediCuba filed a claim petition before the Cuban Court of International Commercial Arbitration raising a claim of EURO 936404.81 . Considering the suggested terms by the Arbitral Tribunal, and with the express will of HLL and Medicuba during the Oral Hearing, at the seat of the Chamber of Commerce, a meeting of understanding was held on 7.2.2020 between Medicuba and HLL to reach a agreement for both parties that can end the issues in argument. A proposal was prepared and shared to M/s Medicuba by HLL. The proposal was finalized and signed by both Medicuba and HLL along with their counsels. Cuban court Secretariat had instructed HLL and Medicuba on 23.02.2021 to close the arbitration matter before 21.03.2021 by submitting the Extrajudicial Commercial Agreement. Consensus was arrived at with Medicuba and after obtaining Management approval the Extrajudicial Commercial agreement has been executed on 18.03.2021. In the Extrajudicial Commercial Agreement, HLL accepts to grant financial discounts to future contracts, until completing the amount of EURO 794793.77, value corresponding to the contract in litigation today, as long as the established process of import management for its award is complied with. Said discounts may be extended for the period up to two (2) years and to include, on a non-limited basis to other resources necessary for the National Health system such as blood bags, intrauterine devices (IUD), Gloves, Suture and condoms. Formal Order from court is awaited.

In the Extra judicial Commercial Agreement, HLL accepts to grant financial discounts to future contracts, until completing the amount of EURO 794793.77, value corresponding to the contract in litigation today, as long as the established process of import management for its award is complied with. Said discounts may be extended for the period up to two (2) years and to include, on a non-limited basis to other resources necessary for the National Health system such as blood bags, intrauterine devices (IUD), Gloves, Suture and condoms.Formal Order from court is awaited.

M/s Medicuba is to release the pending dues of EURO 362323.29, withheld consequent to the case. As per ECGC policy, HLL has to raise the claim with ECGC within 1 year from the expiry of the due date. Therefore HLL has raised the claim with ECGC. Company has meanwhile received an ECGC claim of ₹ 1.74 Crore during 2019, against the receivables from M/s Medicuba. Consequent to the agreement with M/s Medicuba as above, when the receivables from M/s Medicuba are settled, the ECGC claim is refundable by the company.

2.30 Pursuant to the Ind AS 37 - Provisions, Contingent Liablities and Contingent Assets, the disclosure relating to movement in provisions made in the accounts for the year ended 31st March 2021 is as follows:

(₹lacs)

	Provision against Inventories*		**Allowance for Bad and doubtful debts****		**Provision for Loans and Advances****	
Year	**20-21**	**19-20**	**20-21**	**19-20**	**20-21**	**19-20**
Opening Balance	27.46	16.19	2233.88	2227.52	1538.61	1538.61
Additions	179.17	27.46	2483.72	135.63		-
Utilisations			2425.72	80.02		-

	वस्तुसूचियों की ओर प्रावधान		अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता*		ऋण व पेशगियों के लिए प्रावधान**	
वर्ष	20-21	19-20	20-21	19-20	20-21	19-20
व्युत्क्रम	27.46	16.19	216.95	49.24		-
अंतिम शेष	179.17	27.46	2074.92	2233.88	1538.61	1538.61

* अप्रचलित वस्तुसूची की ओर प्रावधान बनाया गया।

** प्राप्य & ऋण और पेशगियों की ओर प्रावधान बनाए गए।

2.31 टिप्पणी सं 9 के अनुसार व्यापार प्राप्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) से प्राप्य रु. 137.41 करोड शामिल है। इस में से रु. 123.74 करोड नवंबर, 2010 में निर्माण शुरू हुए केरल के पारिप्पल्ली में मेडिकल कॉलेज के निर्माण से संबंधित है, 21/10/2016 को पूरा किया गया और ईएसआईसी द्वारा लिया गया और शेष रकम रु. 13.67 करोड अन्य परियोजना से संबंधित है। इन में से रु. 123.74 करोड, रु. 28.98 करोड किये गये काम का मूल्य है और रु. 94.76 करोड, अक्तूबर, 2012 से समय विस्तार के लिए लंबित अनुमोदन वद्धित का दावा किया जा रहा है।

इस ₹ 94.76 करोड प्राप्य के खिलाफ ₹62.45 करोड को इस टर्नकी परियोजना पर मेसेर्स एल & टी के बिल के हिस्से के रूप में उनको देय वर्धित दावा की ओर खर्च के रूप में मान्यता प्राप्त है।

एचएलएल अनुबंध के अनुसार भुगतान जारी करने के लिए अनुरोध करने से, ईएसआईसी के पत्र दिनांक 27.03.2018 के अनुसार एचएलएल को ₹92.93 करोड को वापस भुगतान करने का निर्देश दिया जो एचएलएल और ईएसआईसी के बीच में दिनांक 21.01.2010 के किसी भी सहमत अनुबंध की शर्तों के आधार पर नहीं है। लंबे समय से लंबित प्राप्तियों को विचार करके एचएलएल ने ईएसआईसी के साथ के समझौते के अनुसार विवाद निवारण प्रक्रिया के लिए अनुरोध किया है। तदनुसार ईएसआईसी ने एकमात्र मध्यस्थ को नियुक्त किया है और कार्यवाही 03.08.2018 को शुरू की। एचएलएल ने 29.12.2018 को ईएसआईसी को ₹ 437.19 करोड के कुल दावे का विवरण प्रस्तुत किया और ईएसआईसी ने 05.04.2019 को प्रतिवाद का बयान और ₹ 103.51 करोड के काउंटर दावा प्रस्तुत किया। एचएलएल ने दावों पर विस्तृत बहस की और निष्कर्ष निकाला गया कि 13.03.2020 की सुनवाई पर प्रारंभिक तर्क है। हालांकि कोविड के प्रकोप के कारण, ईएसआईसी के तर्कों के लिए आगे की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी और देश की स्थिति में सुधार होने पर कार्यवाही का पुनरारंभ करेगा। कोविड लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण, ईएसआईसी के तर्क-वितर्क के लिए निर्धारित आगे की सुनवाई, योजना के अनुसार शुरू नहीं कर सकी और एचएलएल द्वारा दायर आवेदन के आधार पर, दिल्ली उच्च न्यायलय ने 22.01.2022 तक मध्यस्थता कार्यवाही के लिए विस्तार प्रदान किया और पहले के कार्यक्रम के आधार पर सुनवाई फिर से शुरू हुई। हालांकि, ईएसआईसी ने लॉकडाउन और अन्य प्रशासनिक कारणों को उद्धृत करके विस्तार की मांग की। देरी से बचने के लिए एचएलएल ने वर्चुअल सुनवाई के लिए एक अनुरोध प्रस्तुत किया और ईएसआईसी द्वारा इस पर आपत्ति की गई जिससे प्रक्रिया में और देरी हुई।

कोविड महामारी की दूसरी तरंग के प्रकोप ने सामान्य कार्यवाही/प्रकत्रिया के समयबद्धन को और प्रभावित किया और इस तरह मध्यस्थता प्रक्रिया में और देरी हुई, जो अन्यथा अब तक समाप्त हो जाती।

मेसेर्स एल &टी के साथ व्यवस्थापन लंबित होने के कारण, अनुबंध के अनुसार मेसेर्स एल & टी द्वारा विवाद निवारण तंत्र की शुरूआत की गई थी। तदनुसार एचएलएल ने एकमात्र मध्यस्थ को नियुक्त किया है और मेसेर्स एल&टी ने ₹ 248.07 करोड के ब्याज (30.09.2019) के साथ ₹ 278.95 का दावा प्रस्तुत किया। एचएलएल ने ₹ 38.50 करोड के काउंटर दावे के साथ दावों का स्पष्ट रूप से खंडन करते हुए अपने प्रतिवाद के बयान को प्रस्तुत किया। आगे एल & टी के प्रत्युत्तर के लिए उत्तर देते हुए एचएलएल के काउंटर दावे को ₹ 53.98 करोड में संशोधित कर दिया गया। वर्चुअल मोड में मध्यस्थता की कार्यवाही प्रगति पर है और मौखिक प्रस्तुतियों के लिए देय है

2.32 एचएलएल ने गुजरात राज्य सरकार के सहयोग से राज्य भर में जेनरिक ड्रग्स को बढावा देने के लिए अपने पहल के रूप में अमृत दीनदयाल प्रधान मंत्री जन औषधि स्टोर (एडीडीपीएमजेएएस) खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ की । इस संबंध में, एचएलएल ने 6 सितंबर 2016 को मेसेर्स गुजरात राज्य सीएसआर प्राधिकरण और मेसेर्स गुजरात मेडिकल सर्वीसस कॉर्पोरेशन

	Provision against Inventories*		Allowance for Bad and doubtful debts**		Provision for Loans and Advances**	
Year	20-21	19-20	20-21	19-20	20-21	19-20
Reversals	27.46	16.19	216.95	49.24		-
Closing Balance	179.17	27.46	2074.92	2233.88	1538.61	1538.61

*Provision created against obsolete inventories
**Provision created against receivables & loans and advances

2.31 Trade Receivables as per Note No 9 includes ₹137.41 crores receivable from Employees State Insurance Corporation (ESIC). Out of this, ₹123.74 Crores pertains to claims for Construction of Medical College at Paripally in Kerala, started in November 2010, was completed and taken over by ESIC on 21/10/2016 and balance ₹13.67 crores pertains to other assignments. Out of this ₹123.74 crores, ₹28.98 crores is value of work done and ₹94.76 crores being escalation claims pending approval for extension of time from October 2012.

As against this ₹94.76 crores receivable, ₹62.45 crores is recognized as expenses towards escalation claims payable to M/s L&T as part of their bills on this turnkey project.

As HLL was requesting for release of eligible payments due as per contract, ESIC vide letter dated 27.03.2018 directed HLL to pay back ₹92.93 crores, which is not based on any agreed contract terms between HLL and ESIC dated 21.01.2010. Considering the long pending receivables, HLL has requested for dispute redressal process as per agreement with between ESIC. Accordingly, ESIC appointed sole arbitrator and the proceedings started on 03.08.2018. HLL submitted Statement of claim totalling to ₹437.19 crores to ESIC on 29.12.2018, and ESIC submitted a statement of defence and counter claim of ₹103.51 crores on 05.04.2019. HLL had detailed arguments on the claims and concluded is preliminary arguments on hearing dated 13.03.2020. Due to COVID lockdown restrictions, further hearings scheduled for arguments of ESIC could not commence as planned and based on application filed by HLL, High Court of Delhi, granted extension for arbitration proceedings upto 22.01.2022 and hearing resumed based on earlier schedule. However, ESIC further sought extension, citing lock down and other administrative reasons. To avoid delay HLL submitted a request for virtual hearings and this was objected by ESIC leading further delay in the process.

The outbreak of second wave of COVID pandemic further affected scheduling of normal proceedings / process and thereby delaying the arbitration process further , which otherwise would have been concluded by now.

Due to pendency on settlement with M/s L&T, Dispute redressal mechanism as per contract was initiated by M/s L&T. Accordingly HLL appointed Sole arbitrator and M/s L&T submitted claim of ₹278.95 crores along with interest (upto 30.09.2019) of ₹248.07 crores. HLL submitted its statement of Defence explicitly denying the claims along with counter claim of ₹38.50 crores. Further while responding to the Rejoinder of L&T the counter claim of HLL was revised to ₹53.98 crores. The arbitration proceedings are in progress in virtual mode and is due for oral submissions

2.32 HLL in association with Gujarat State Government started the process of opening AMRIT DeendayalPradhanMantri Jan Aushadhi Stores (ADDPMJAS) as part of their initiative for promoting Generic Drugs across the State. In this regard, HLL signed a MoU with M/s. Gujarat State CSR Authority and M/s. Gujarat Medical Services Corporation Limited [GMSCL] on 6th

लिमिटेड (जीएमएससीएल) के साथ एमओयु हस्ताक्षर किया ।

एम ओ यु के अनुसार, एचएलएल एक संयुक्त उद्यम का गठन होने तक फार्मेसियाँ स्थापित करेगा और संचालन करेगा और उसके बाद संयुक्त उद्यम में एचएलएल की भूमिका एक ज्ञान साझेदार की होगी और एचएलएल द्वारा किये गये परिसंपत्तियों और निवेशों को संयुक्त उद्यम में संस्थानांतरित किया जाएगा और संयुक्त उद्यम का गठन होने के बाद इक्विटी में परिवर्तित किया जाएगा ।

पहले चरण में एचएलएल ने नवंबर 2016 के महीने में गुजरात के 12 मेडिकल कॉलेजों और 40 जिला/सिविल आस्पतालों में 52 अमृत दीनदयाल प्रधान मंत्री जन औषधि स्टोर संस्थापित किये थे। ऐसे रिटेल ड्रग स्टोर के संस्थापन का उद्देश्य गुजरात में असेवित आबादी के लिए किफायती और उच्च गुणवत्तावाले स्वास्थ्य रक्षा उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान किया था।

28 मार्च 2017 को, जीएसएफसी अग्रोटेक लिमिटेड (जीएटीएल) &गुजरात मेडिकल सर्वीसस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएमएससीएल) द्वारा प्रोन्नमित एक संयुक्त उद्यम कंपनी, गुजरात आरोग्य सेवा प्राइवेट लिमिटेड (जीएएसपीएल) परियोजना आगे ले जाने के लिए गठित की गयी। 6 सितंबर, 2016 को हस्ताक्षरित एमओयु के अनुसार, पार्टियों ने सहमत की है कि एक बार गठित होने से रिटेल ड्रग स्टोर की परिसंपत्तियाँ, देयताएं और प्रचालन जेवीसी द्वारा लिया जाएगा।

एम ओ यु में उल्लिखित शर्त व निबंधन के विरुद्ध, इस उद्देश्य के लिए बनाए गए जेवीसी द्वारा रिटेल ड्रग स्टोर की परिसंपत्तियाँ, देयताएं और प्रचालन नहीं लिया गया।

तदनुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गुजरात सरकार द्वारा पारित संकल्प सं. एमएसपी/1018/467/जीएच, दिनांक 08/05/2018 के अनुसार एचएलएल ने 18/05/2018 के प्रभाव से स्टोर के प्रचालन ले लिया। संकल्प के अनुसार, जीएमएससीएल ने उसकी लेखापरीक्षा आयोजित करने के बाद स्थानांतरण की तारीख तक गुजरात प्रचालन की हानि रकम व्यवस्थापन करने के लिए सहमति दी है।

इस प्रकार 17/05/2018 तक रु. 12.32 करोड की रकम की संचित हानि चालू वित्तीय परिसंपत्तियों - अन्य के तहत मेसेर्स गुजरात आरोग्य सेवा प्राइवेट लिमिटेड (जीएएसपीएल) से प्राप्य के रूप में परिकलित किया गया है। आगे रु. 13.83 करोड मेडिसिन आपूत्ति की ओर गुजरात मेडिकल सर्वीसस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएमएससीएल) से देय है जो व्यापार प्राप्य में शामिल है। जीएमएससीएल से परिक्रामी निधि के रूप में एचएलएल द्वारा प्राप्त रु. 15. 00 करोड की रकम अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों के अधीन दिखायी गयी है।

उपर्युक्त को दृष्टि में रखकर, परियोजना वित्तीयन संकलित किया गया है और प्रतिपूर्ति के लिए मेसेर्स जीएमएससीएल को प्रस्तुत किया गया है। मई 2018 तक गुजरात परियोजना के प्रचालन हानि का कुल दावा ₹ 1232.34 लाख है। साथ ही, समझौता ज्ञापन के खंड 6 के अनुसार, एचएलएल द्वारा खर्च हुए ₹217 लाख के पूँजीगत व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा भी जीएमएससीएल को प्रस्तुत किया गया था।

19 मई 2018 के समझौता ज्ञापन के शर्तों व निबंधनों के अनुसार, एचएलएल द्वारा प्रस्तुत वित्तीय विवरण और पूँजीगत व्यय विवरण का पुनर्मूल्यांकन जीएमएससीएल द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार/लेखापरीक्षकों द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति से पहले किया जाना है। तदनुसार, दिनांक 28.01.2021 के पत्र संख्या जीएमएससीएल/एल.एस.एस/जेनरिक/2020-21/2145-50 के अनुसार जीएमएससीएल ने मेसर्स धीरूभाई शाह & कंपनी एलएलपी, सनदी लेखाकार को एचएलएल के प्रचालन हानि के दावे का विशेष लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया है।

लेखापरीक्षा फर्म ने एचएलएल कार्यालय, अहमदाबाद में दौरा किया और 7 जून 2021 तक के एचएलएल दावे केलिए समर्थन दस्तावेज़ों का सत्यापन पूरा किया। लेखापरीक्षकों द्वारा उठाए गए सभी लेखापरीक्षा प्रश्नों का उत्तर दिया गया। उम्मीद है कि हमारे दावे को पूरी तरह स्वीकार कर लिया जाएगा। लेखापरीक्षा पार्टी अपनी रिपोर्ट जीएमएससीएल को प्रस्तुत की जाएगी और ₹1232.34 करोड की दावारकम की प्रतिपूर्ति यथाशीघ्र करने के लिए जीएमएससीएल के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की गई है।

2.33 अन्य चालू परिसंपत्तियें में मेसेर्स गोवा माइनिंग इंडस्ट्रीज से प्राप्य रु. 492 लाख की रकम शामिल है जो मध्यस्थता के अधीन है। वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी को मेसेर्स गोवा माइनिंग इंडस्ट्रीज के मामले में को 01.04.2014 के प्रभाव से प्रति वर्ष 9% की दर के ब्याज के साथ रु. 492 लाख के लिए कंपनी के पक्ष में एक मध्यस्थता एवार्ड प्राप्त हुआ है। पिछले वर्षों

September 2016.

As per the MoU, HLL shall setup and operate the pharmacies until a JV Company is formed and thereafter the role of HLL in the JV would be that of a knowledge partner and the assets and investments done by HLL would be transferred to the JV and be converted to equity once the JV was formed.

In the first Phase, the company had setup 52 AMRIT DeendayalPradhanMantri Jan Aushadhi Stores in 12 Medical Colleges and 40 District/Civil Hospitals of Gujarat in the month of November 2016. The aim of setting up such Retail Drug Stores was to provide affordable and high quality health care products and services for underserved population in Gujarat.

On 28th March 2017, a Joint Venture Company, Gujarat ArogyaSeva Private Limited [GASPL] promoted by GSFC Agrotech Limited [GATL] & Gujarat Medical Services Corporation Limited [GMSCL] was formed to take the project forward. According to the MoU signed on 6th September 2016, the parties have agreed that the Assets, Liabilities and Operation of the Retail Drug Stores would be taken over by the JVC once it is formed.

Contrary to the terms and conditions stated in the MoU, the JVC formed for the purpose did not take over Assets, Liabilities and Operation of the Retail Drug Stores.

Accordingly, in line with the Resolution No. MSP/1018/467/GH, dated 08/05/2018, passed by Health and Family Welfare Department, Government of Gujarat, HLL has taken over the operations of the stores w.e.f 18.05.2018. As per the Resolution, GMSCL has agreed to settle the loss amount of Gujarat operations till the date of transfer after conducting audit of the same.

Thus, the cumulative loss up to 17/05/2018 amounting to ₹12.32 Crores is accounted as receivable from M/s Gujarat ArogyaSeva Private Limited [GASPL] under Current Financial Assets- Others Further ₹13.83 Crores is due from Gujarat Medical Services Corporation Ltd (GMSCL) against medicine supplies, which is included in Trade Receivables. An amount of ₹15.00 crores received by HLL as revolving fund from GMSCL is shown under Other Current Financial Liabilities.

In view of the above, the project financials are compiled and submitted to M/s GMSCL for reimbursement. The total claim of operating loss of Gujarat Project up to May 2018 works out to ₹1232. 34 lakhs. Also, as per Clause 6 of MoU, claim for the reimbursement of the Capital Expenditure incurred by HLL amounting to ₹217 Lakhs was also submitted to GMSCL.

As per the terms & conditions of the MoU dated 19th May 2018, the financial statements & capital expenditure statements submitted by HLL are to be re-assessed by the Chartered Accountants/ Auditors appointed by GMSCL prior to its reimbursements. Accordingly, GMSCL vide letter number GMSCL/L.S.S/Generic/2020-21/2145-50 dated 28.01.2021 has appointed M/S Dhirubhai Shah & Co LLP, Chartered Accountants to do the special audit of the HLL claim of operational loss.

The audit firm has visited HLL office at Ahmedabad and completed the verification of the supporting documents for the HLL claim as on 07th June 2021. All audit queries raised by the auditors have been replied. It is expected that our claim will be admitted in full .The audit party will be submitting their report to GMSCL and follow up is made with GMSCL for the re-imbursement of the claim amount of ₹1232.34 Crores at the earliest.

2.33 Other Current Assets include an amount of ₹492 Lakhs receivable from M/s Goa Mining Industries which was under under Arbitration. During the year 2018-19. the company has received an arbitral award in favour of the company for ₹492 Lakhs with interest @ 9% per annum w.e.f. 01.04.2014 in the case of M/s Goa Mining Industries. Provision for bad and doubtful advances includes an

के दौरान बनाए जा रहे रु. 492 लाख की रकम डूबंत और संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान में शामिल है।

2.34 कंपनी ने संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का उपयोग करते हुए 1 अप्रैल 2019 से इंड एएस 116 को अपनाया है। कंपनी ने प्रारंभिक आवेदन(1 अप्रैल 2019) की तारीख पर मान्यता प्राप्त संचयी प्रभाव के साथ अपने पट्टों के लिए मानक लागू की है। तदनुसार पिछली अवधि की जानकारी को पुनरीक्षित नहीं किया गया है।

लाभ व हानि के विवरण में, प्रचालन पट्टा खर्चें, जो पिछले अवधियों में अन्य खर्चों के रूप में मान्यता दी गई थी, को अब पट्टा देयता पर अर्जित ब्याज की ओर परिसंपत्ति उपयोग अधिकार और वित्त लागत के लिए मूल्यहास व्यय के रूप में पहचान किया गया है। 8% की भारित औसतम वृद्धिशील उधार दर को प्रारंभिक आवेदन की तारीख पर तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त पट्टे देयताओं के लिए लागू किया गया है।

कंपनी के पट्टों में मुख्य रूप से विनिर्माण व्यवसाय के साथ गोदाम सुविधाओं के लिए भूमि और भवन और संयंत्र और उपकरण शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 का विवरण इस प्रकार है :

परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार (पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियाँ)

रु. लाखों में

विवरण	भूमि व मकान	संयंत्र व उपकरण	कुल
1 अप्रैल 2020 तक के शेष	**560.78**	**3,241.25**	**3,802.03**
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जोड	0.89	-	0.89
व्यवस्थापन	-	-	-
31 मार्च 2021 तक के शेष	561.67	3,241.25	3,802.92
संचित मूल्यहास	86.27	1,047.25	1,133.52
31 मार्च 2021 तक के निवल ब्लॉक	**475.40**	**2,194.00**	**2,669.40**

पट्टा देयता

रु. लाखों में

विवरण	पट्टा देयता
1 अप्रैल 2020 तक के शेष	3,342.97
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जोड	-
अर्जित ब्याज	232.60
पट्टा किराया	(884.40)
31 मार्च 2021 तक के शेष	2,691.16

चालू के रूप में वर्गीकृत पट्टा देयता	193.13
गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत पट्टा देयता	2,498.03

amount of ₹492 lakhs, being provision created during previous years.

2.34 The Company has adopted Ind AS 116 w.e.f 1st April, 2019, using the modified retrospective method. The Company has applied the standard to its leases with the cumulative impact recognised on the date of initial application (1st April, 2019). Accordingly, previous period information has not been restated.

In the statement of profit and loss, operating lease expenses which were recognised as other expenses in previous periods is now recognised as depreciation expense for the right-of-use asset and finance cost for interest accrued on lease liability. The weighted average incremental borrowing rate of 8.0% has been applied to lease liabilities recognised in the balance sheet at the date of initial application.

The Company's leases mainly comprise of land and buildings and Plant and equipment for manufacturing , business as well as warehouse facilities.

The details of Financial year 2020-21 is as follows:

Right of Use Assets (Leased Assets)

₹in lacs

Particulars	Land & Building	Plant & Equipment	Total
Balance as on 1st April 2020	**560.78**	**3,241.25**	**3,802.03**
Additions during FY 2020-21	0.89	-	0.89
Disposals	-	-	-
Balance as on 31st March 2021	561.67	3,241.25	3,802.92
Accumulated depreciation	86.27	1,047.25	1,133.52
Net Block as on 31st March 2021	**475.40**	**2,194.00**	**2,669.40**

Lease Liability

₹in lacs

Particulars	Lease liability
Balance as on 1st April 2020	3,342.97
Additions during FY 2020-21	-
Interest accrued	232.60
Lease rent	(884.40)
Balance as on 31st March 2021	2,691.16

Lease liability classified as current	193.13
Lease liability classified as Non- current	2,498.03

2.35 कोविड- 19 की प्रापण के लिए नोडल एजेंसी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 21 फरवरी 2020 को कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति के प्रापण के लिए एचएलएल को नोडल प्रापण एजेंसी के रूप में नामित किया।

आपातकालीन चिकित्सा आपूर्ति में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट शामिल है जिनमें कवरऑल (गारमेंट्स), एन 95 मास्क,गॉगल्स, नाइट्राइल ग्लाव्स, फेस शील्ड, ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क और अन्य उत्पाद यानी वेंटिलेटर, दवाएं जैसे एचसीक्यू और एज़िथ्रोमाइसिन, कार्ट्रिज आदि शामिल हैं। एचएलएल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, घरेलू स्रोतों से संभावित निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करके उपरोक्त उत्पादों के प्रापण शुरू किया। कपडा मंत्रालय (एमओटी) की मदद से विकसित विनिर्माण क्षमताएं, मानकीकृत परीक्षण प्रोटोकॉल और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से आयात के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों की मदद मांगी गई। इस उद्देश्य के लिए एक 24/7 आपातकालीन नियंत्रण कक्ष चालू किया गया था।

उपरोक्त गतिविधियों को कुशलतापूर्वक लागू करने के लिए,आदेशों की निर्बाध नियुक्ति, आपूर्तिकर्ताओं के साथ त्वरित संचार, भुगतान की प्रक्रिया, प्राप्त प्रस्तावों का तेज़ी से मूल्यांकन, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और पूरे भारत में वितरण सुनिश्चित करने के लिए, मौजूदा विनिर्माण और अन्य व्यावसायिक यूनिटों से जनशक्ति संसाधनों को एकत्रित करके,जैसा कि प्रापण, रसद, वितरण और भुगतान संस्करण आदि के लिए एचएलएल में विशेष टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों द्वारा चौबीसों घंटे में किए गए अथक प्रयास, इस अवधि के दौरान, समेकित,प्रेरित,समन्वित और कुशल तरीके से सेवाओं/उत्पादों का वितरण सुनिश्चित किया।

लॉकडाउन की प्रारंभिक अवधि मार्च-अगस्त 2020 में, पर्याप्त आपूर्तिकर्ताओं की अनुपलब्धता, उत्पादों की आवश्यक मात्रा के कारण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुमोदन के साथ मूल्य, भुगतान आदि पर उनकी शर्तों को स्वीकार किया गया क्योंकि यह एक विक्रेता का बाज़ार था। देशीय लॉकडाउन और विभिन्न राज्यों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को देखते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए आवंटन के अनुसार, निर्धारित स्थानों पर खरीदे गए सामानों के परिवहन और वितरण को सुनिश्चित करना, विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पडा था। ये गतिविधियाँ दिसंबर 2020 तक जारी रहीं (जब कोविड-19 के कम प्रभाव को देखते हुए पीपीई के प्रापण रोक दी गई थी)। प्रारंभिक लॉकडाउन अवधि के दौरान, एचएलएल द्वारा देश भर में उत्पादों की समय पर आपूर्ति के लिए रेल, सडक और हवाई परिवहन के सभी साधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया गया था, और दूसरी लहर के दौरान दुनिया भर के मित्र राष्ट्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता अनुदान के रूप में विभिन्न आपातकालीन राहत सामग्री के लिए दिल्ली हवाई अड्डे से वायुसेना और एनडीआरएफ के उपयोग का भी समन्वय किया गया था।

कोविड-19 की पहली लहर के दौरान वेंटिलेटर के आदेश दिए गए थे। चूँकि स्वदेशी वेंटिलेटर आपूर्तिकर्ता सीमित थे, और उत्पाद के लिए आवश्यक तकनीकी विशिष्टताओं को देखते हुए, कुछ आपूर्तिकर्ताओं ने केवल प्रतिक्रिया दी और आपूर्ति की। एचएलएल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिए गए आवंटन के अनुसार नामित अस्पतालों में वेंटिलेटर का परीक्षण, सत्यापन और चालू करना सुनिश्चित करना था।

जनवरी 2021 के दौरान, एचएलएल को कोविड-19 वैक्सीन की प्रापण के लिए प्रापण एजेंसी के रूप में भी नियुक्त किया गया था। अग्रिम भुगतान और आपूर्ति प्रतिबद्धताओं के साथ भारत सरकार द्वारा पहचाना गया। दो घरेलू वैक्सीन निर्माताओं से प्रापण किया जाना था। प्रारंभिक आदेश के लिए, धनराशि प्रधानमंत्री सुरक्षा निधि से जारी की गई थी और उसके बाद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एचएलएल के माध्यम से वैक्सीन प्रापण का निघीकरण कर रहा है। एचएलएल ने वैक्सीन के प्रापण की गतिविधियों के लिए एचएलएल बायोटेक लिमिटेड की क्षमता का उपयोग किया है और तदनुसार वैक्सीन की आपूर्तियों पर प्रबंधन शुल्क एचएलएल बायोटेक लिमिटेड के साथ साझा किये गये थे।

एचएलएल ने 31 मार्च 2021 तक उपरोक्त आदेशों के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को निम्नलिखित मात्रा में विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति को प्रभावित किया है और वेंटिलेटर और वैक्सीनों की आपूर्ति अभी भी जारी है

2.35 Nodal agency for Procurement of COVID-19

MoHFW on 21st Feb 2020 designated HLL as the nodal procurement agency for procurement of essential medical supplies concerning Covid-19 management.

The emergency medical supplies covered Personal Protective Equipment's (PPE) Kits consisting of Coverall (Garments), N95 mask, Goggles, Nitrile Gloves, Face Shield, Triple Layer Surgical mask and other products ie., Ventilators, Medicines like HCQ & Azithromycin, Cartridges etc. HLL as per directions from MoHFW, initiated the procurement of above products by identifying potential manufacturers / suppliers from domestic sources, developed manufacturing capabilities with the help of Ministry of Textiles (MoT), standardized testing protocols, and the help of Indian Missions abroad was sought for import from overseas suppliers. A 24/7 Emergency Control Room was made operational for the purpose.

For implementing the above activities efficiently, exclusive teams were formed in HLL, such as procurement, logistics, distribution and payment processing etc., by pooling of manpower resources, from existing manufacturing and other business units, to ensure uninterrupted placement of orders, prompt communications with the suppliers, processing of payments, faster evaluations of the offers received , warehousing, logistics and distribution pan India . The tireless efforts put forth by these teams round the clock, throughout this period, ensured the delivery of the services/products in a cohesive, motivated, coordinated and efficient manner.

In the initial period of lockdown in March – August 2020, non-availability of sufficient suppliers, required quantity of products led to accepting their terms on price, payment etc. with the approval of MOHFW as it was a seller's market. Ensuring the transportation and delivery of the procured goods, at the designated locations, as per the allocation provided by MoHFW, had posed various challenges, considering the National Lockdown and restrictions imposed by various states. These activities continued till December 2020 (when the procurement of PPEs was stopped considering the reduced impact of Covid-19). During the initial lockdown period, all modes of transport rail, road and air were used efficiently, by HLL for timely supply of products across the country, and during the second wave use of Airforce and NDRF was also coordinated from Delhi Airport for various emergency relief materials as grant-in-aid provided by friendly nations across the world.

Orders for Ventilators were placed during the first wave of COVID19. Since the indigenous ventilator suppliers were limited, and given the technical specifications required for the product, few suppliers only responded and supplied. HLL had to ensure testing, validation and commissioning of the ventilators at the designated hospitals as per the allocation given by MOHFW.

During January 2021, HLL was appointed as Procuring Agency for the procurement of Covid19 Vaccine as well. The procurement was to be made from two domestic vaccine manufacturers, as identified by Government of India, with upfront payment and supply commitments. For initial order, funds towards the same was released from PM CARES fund and thereafter, MoHFW is funding the vaccine procurement through HLL. HLL has utilized the capacity of HLL Biotech Limited towards the vaccine procurement activities and accordingly management fee on vaccine supplies were shared with HLL Biotech Ltd.

HLL has effected supplies of following quantity of various materials to MOHFW as a result of the above orders upto 31st March 2021 and supplies of ventilators and vaccines are still continuing:

प्रापण किए गए सामान	मात्रा
वैक्सीन	885.34 lacs
पीपीई किट	158 lacs
वेंटिलेटर्स	6044 Nos
हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन	1145 lacs
असित्रोमाइसिन	25 lacs
कार्ट्रिड्जस	1 lacs

एचएलएल को पीपीई किट, एन-95 मास्क, वेंटिलेटर और वैक्सीनों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम धनराशि प्रदान की गई। एचएलएल ने अग्रिमों के निपटान के लिए नियमित आधार पर दस्तावेज़ें जमा की हैं। एचएलएल सरकार को बिल की गई राशि पर 5% + जीएसटी का प्रबंधन शुल्क लेने केलिए पात्र हैं।

एचएलएल द्वारा विनिर्माण और सेवा पहल

कीटाणुशोधन और कोविड-19 परीक्षण के लिए उत्पादों की उच्च मांग की शुरुआत के साथ, एचएलएल ने इन-हाउस या साझेदारी के माध्यम से निम्नलिखित उत्पादों का निर्माण शुरू किया:

- डब्ल्युएचओ के विनिर्देशों के अनुसार 'मेडीगार्ड' ब्रांड नाम के तहत हैंड सैनिटाइज़र का इन-हाउस निर्माण।
- 'वेंडिगो' ब्रांड नाम के साथ हैंड सैनिटाइज़र वेंडिंग मशीन का इन-हाउस निर्माण जो सैनिटाइज़र के संपर्क रहित वितरण को सुनिश्चित करता है और एक ही रिफिल में 1500 चक्र संचालन करता है।
- पोर्टेबल यु वी सैनिटाइज़र: एचएलएल द्वारा निर्मित पोर्टेबल यु वी सैनिटाइज़र, 20 मिनट के लिए अपने केबिन के अंदर रखी वस्तुओं को कीटाणुरहित और साफ करने के लिए युवीसी (लघु तरंग दैर्घ्य अल्ट्रावायलट) प्रकाश को शामिल करता है।
- श्री चित्र तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइन्स और तकनॉलजी (एससीटीआईएमएसटी) के तकनॉलजी सहयोग से, एचएलएल ने चित्रा स्वाब संग्रह बूथ और परीक्षा बूथ का निर्माण भी किया, ताकि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक लाइन-ऑफ-डिफेन्स प्रदान किया जा सके जो कोविड रोगियों के करीब काम करते हैं।
- चित्रा 'कीटाणुशोधन गेटवे' का निर्माण, एक कीटाणुशोधन सुरंग जिसका उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर एससीटीआईएमएसटी के तकनीकी सहयोग से प्रवेश/निकास से पहले कपडों, बैग और व्यक्तियों के हाथों पर वायरल लोड को कम करने के लिए किया जा सकता है।
- एचएलएल के डायग्नोस्टिक किट प्रभाग ने मनेसर कारखाने में कोविड-19 के लिए एचएलएल ब्रांड नाम 'मेकशुवर' के तहत सभी संदिग्ध कोविड-19 रोगियों की प्रारंभिक जांच करने के लिए रैपिड एंटीबोडी (आईजीजी/आईजीएम) डायग्नोस्टिक किट की किटिंग और पैकेजिंग भी शुरू की।
- एचएलएल ने केरल के सभी हवाई अड्डों पर कोविड 19 एंटीबोडी स्क्रीनिंग सेवाओं का संचालन किया, और यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए चेन्नई के साथ-साथ कोलकत्ता हवाई अड्डे पर प्रयोगशाला सेवाओं की स्थापना की।

Items Procured	Quantity
Vaccines	885.34 lacs
PPE Kits	158 lacs
Ventilators	6044 Nos
Hydroxychloroquine	1145 lacs
Azithromycin	25 lacs
Cartridges	1 lacs

HLL was provided with advance funds for ensuring timely supplies of PPE Kits, N-95 masks, Ventilators and Vaccines. HLL has on regular basis submitted documents for settlement of the advances. HLL is eligible to charge a management fee of 5% + GST on the amount billed to the Government.

Manufacturing and Service initiatives by HLL

With the onset of high demand for products for disinfection and COVID-19 testing, HLL started the manufacturing of the following products either in-house or through partnerships:

- In-house manufacturing of Hand Sanitizers under the brand name 'MediGard' as per WHO specifications
- In-house manufacturing of Hand Sanitiser Vending Machine with the brand name 'VENDIGO' which ensures contactless dispensing of sanitiser and has 1500 cycles of operation in a single refill
- Portable UV Sanitiser: The portable UV sanitizer manufactured by HLL incorporates UVC (Short wavelength Ultraviolet) light to disinfect and sanitize the items kept inside its cabin for 20 minutes.
- In technical collaboration with Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology (SCTIMST), HLL also took up the Fabrication of Chitra Swab Collection Booth & Examination Booth to provide a line-of-defense for the health workers who work in close proximity to COVID patients.
- Fabrication of Chitra 'Disinfection Gateway', a disinfection tunnel which could be used in public places to reduce viral load on clothing, bags and hands of individuals before entry / exit in technical collaboration with SCTIMST.
- The diagnostic kits division of HLL also started the kitting and packaging of Rapid antibody (IgG/IgM) diagnostic kit for COVID-19 at the Manesar factory for initial screening of all suspected COVID-19 patients under the HLL brand name 'Makesure'.
- HLL conducted COVID 19 antibody screening services at all airports across Kerala, and established lab services at Chennai as well as Kolkata airport, for screening the passengers.

2.36 जनवरी 2007 से दिसंबर 2016 तक की अवधि के लिए क्रियान्वित वेतन संशोधन के लिए दीर्घकालिक समझौता समाप्त हो गया है। वेतन संशोधन की ओर बातचीत लंबित है, वेतन संशोधन पर कोई भी देयता का प्रावधान नहीं बनाया गया है। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यपालकों के मामले में, संशोधित वेतनमान इस शर्त के अधीन लागू किया जाएगा कि संशोधित वेतन-पैकेज को लागू करने के वर्ष में अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव, कर के पूर्व औसत लाभ के 20% से कम है। कंपनी ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान निष्पादन के आधार पर केवल वित्तीय वर्ष 2020-21 में सामर्थ्य मानदंडों को पूरा किया है। अतः इस वित्तीय वर्ष में कोई प्रावधान नहीं किया गया है और कार्यपालकों एवं गैर-कार्यपालकों के वेतन संशोधन को 1.04.2021 से लागू करने का प्रस्ताव है।

2.37 गोवा सरकार द्वारा टुएम गाँव के सर्वेक्षण सं.47/0 के पट्टे पर भूमि पर यह देखा गया कि तुलन-पत्र की तारीख तक लगभग 45 अतिक्रमण रिपोर्ट किया गया है । समनुषंगी, जी ए पी एल ने लगभग 15000 स्क.मीटर क्षेत्र में अतिक्रमण इन अवैध संरचनाओं के बेदखली के लिए राजस्व/उपयुक्त प्राधिकारी के साथ मामला उठाया है ।

2.38 सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने कार्यालय ज्ञापन सं. डब्लियु-02/0028/2017-डीपीई (डब्लियुसी)-जीएल- XIII/17, दिनांक 3 अगस्त 2017 के अनुसार 01.01.2017 से कार्यान्वित किए जानेवाले बोर्ड स्तर एवं बोर्ड स्तर के नीचे के कार्यपालक और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन के लिए 3वीं वेतन संशोधन समिति(पीआरसी) द्वारा सिफारिश किए जैसे भारत सरकार द्वारा वेतन संशोधन की स्वीकृति संसूचित किया है। उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार फिटमेंट बेनिफिट की अधिकतम सीमा बेसिक + डीए का 15% है और भत्तों की अधिकतम सीमा संशोधित मूल वेतन का 35% है। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी 01.04.2020 से प्रभावी रूप से काम करने की क्षमता के आधार पर वेतनमेन को संशोधित करने के लिए पात्र है, तदनुसार 01.01.2017 से सैद्धांतिक रूप से और 01.04.2020 से वास्तव में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बोर्ड के लंबित अनुमोदन के लिए वेतन संशोधन के कार्यान्वयन के लिए रु.3.49 करोड का प्रावधान किया गया है।

डीपीई ओ.एम.सं.2(70)/08- डीपीई (डब्लियुसी)-जीएल- XVI/08, दिनांक 26 नवंबर 2008, के अनुबंध - III के प्रावधान के अनुसार, पीआरपी प्रत्यक्ष एवं वित्तीय निष्पादन पर आधारित होगा और सीपीएससी के लाभसे निकलेगा। पीआरपी के 60%, कर के पहले लाभ (पीबीटी) के 3% लाभ तक दिया जाएगा और । पीआरपी के 40%, वृद्धिशील लाभ के 10% होगा। पिछले वर्ष के लाभ की तुलना में वृद्धिशील लाभ का अर्थ लाभ में वृद्धि होगा। हालांकि कुल पीआरपी, वर्ष के पीबीटी के 5% तक सीमित होगा, जो सीपीएससी में अधिकारियों व गैर-संघीय पर्यवेक्षकों के लिए होगा।

2.39 डीपीई ओ.एम.सं.2(70)/08- डीपीई (डब्लियुसी)-जीएल- XVI/08, दिनांक 26 नवंबर 2008, के अनुबंध - III के प्रावधान के अनुसार, पीआरपी प्रत्यक्ष एवं वित्तीय निष्पादन पर आधारित होगा और सीपीएससी के लाभसे निकलेगा। पीआरपी के 60%, कर के पहले लाभ (पीबीटी) के 3% लाभ तक दिया जाएगा और । पीआरपी के 40%, वृद्धिशील लाभ के 10% होगा। पिछले वर्ष के लाभ की तुलना में वृद्धिशील लाभ का अर्थ लाभ में वृद्धि होगा।

हालांकि, उपर्युक्त डीपीई दिशानिर्देशों के संदर्भ में कंपनी की पात्रता के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों से अलग अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उपरोक्त प्रावधान की देयता का निर्वहन किया जाएगा।

2.40 एचएलएल इंफ्रा टेक सर्वीसस लिमिटेड(हाइट्स) एक निष्पादन एजेंसी और प्रापण समर्थन एजेंट है और ग्राहकों के लिए अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों से संबंधित निर्माण एवं प्रापण परियोजनाएँ चालू करते हैं।

निर्माण एवं प्रापण के लिए किए गए भुगतान को हाइट्स द्वारा चालू रखी परियोजनाओं के लिए चार्ज किया जाता है। कंपनी के राजस्व को इंड ए एस 115 में परिभाषित जैसे और न सकल निर्माण एवं प्रापण मूल्य के लिए ग्राहक के साथ के समझौते के अनुसार योग्य परामर्श शुल्क के लिए ही अंकित किया जाता है।इसलिए परियोजनाओं के लिए निर्माण व खरीद के लिए किए

2.36 The long term agreement for wage revision executed for the period January 2007 to December 2016 has expired. Pending finalisation of negotiations, no liability towards wage revision is estimated and provided for. In case of Executives as per DPE guidelines, the revised pay scales would be implemented subject to the condition that the additional financial impact in the year of implementing the revised pay-package is less than 20% of the average Profit Before Tax. The company has met the affordability criteria only in FY 2020-21 based on performance during last 3 financial years. Hence no provision is made in this financial year and wage revision to Executives and Non-Executives is proposed to be implemented from 01.04.2021

2.37 On the land leased by Government of Goa in Survey no 47/0 of Village Tuem, over a period it is noticed that there are about 45 encroachments reported as on Balance Sheet date. The subsidiary, GAPL has taken up the matter with the Revenue /Appropriate Authorities for eviction of these illegal structures, encroaching around 15000 Sq. meter area

2.38 Department of Public Enterprises (DPE) vide O.M. No. W-02/0028/2017-DPE (WC)-GL-XIII/17 dated 3rd Aug, 2017 has communicated the acceptance of pay revision by GOI, as recommended by the 3rd Pay Revision Committee (PRC) for the pay revision of board level and below board level executives and non-unionised supervisors to be implemented w.e.f 01.01.2017. As per the above guidelines maximum ceiling of fitment benefit is 15% of Basic + DA and the ceiling of the perks is 35% of the revised basic pay. As per DPE guidelines the company is eligible to revise the pay scale based on affordability as worked out effective from 01.04.2020 accordingly a provision of ₹3.49 Cr is made towards implementation of pay revision w.e.f. 01.01.2017 notionally and w.e.f. 01.04.2020 actually for the FY 2020-21 pending approval of board.

As per the provision of Annexure- III of the DPE O.M. No. 2(70)/08-DPE (WC)-GL-XVI/08 dated 26th Nov, 2008, the PRP would be based on physical and financial performance and will come out of profits of the CPSE. 60% of the PRP will be given with the ceiling of 3% of profit before Tax (PBT) and 40% of PRP will come from 10% of incremental profit. Incremental profit would mean the increase in profit as compared to previous year's profit. The total PRP, however, will be limited to 5% of the year's PBT, which will be for executives as well as non-unionised supervisors in a CPSE

2.39 As per the above guidelines maximum ceiling of PRP is 5% of the year's profit, accordingly a provision of ₹53.09 Lacs has been made for PRP by HLL Infra Tech Services Limited (HITES) during current Financial Year in order to follow the matching principle of accounting. As per the matching principle, the expenses should be recorded during the period in which they are incurred, regardless of when the transfer of cash occurs.

However, the liability of the above provision will be discharged after obtaining separate approvals from the competent authorities as per the eligibility of the company with reference to the above mentioned DPE guidelines.

2.40 HLL Infra Tech Services Limited (HITES) is an executing agency & procurement support agent and undertakes the construction and procurements projects related to Hospitals & Medical College for the clients.

The payment made for construction and procurement are charged to the projects held by HITES. The revenue of the company is booked only for the eligible consultancy fee as per the agreement with client and as defined in IND AS 115 and not for the gross construction and procurement

गए भुगतान से संबंधित जीएसटी क्रडिट हाइट्स के लिए पात्र नहीं है।

वर्ष के दौरान, प्रापण/ठेकेदार के भुगतान के खिलाफ के जीएसटी क्रडिट की ओर ₹ 8499.44 लाख (अनुमानित) का रकम, हाइट्स के लिए पात्र नहीं है और उसी का दावा नहीं किया जाता है। हालांकि वही हाइट्स के जीएसटी संख्या पर प्रतिबिंबित किया जाता है।

2.41 एचएलएल इंफ्रा टेक सर्वीसस लिमिटेड (हाइट्स) कंपनी के कर दायित्व को ₹ 74.38 लाख (लगभग) के प्राप्य टीडीएस, अर्थात् परियोजना निधि और परियोजना के जुटाव अग्रिमों पर ब्याज से घटाया गया है, के साथ समायोजित करके धनवापसी का दावा कर रहा है। चूँकि ग्राहकों के साथ के समझौते के अनुसार परियोजनाओं की निधि के अंतर्गत के ब्याज पर घटाए गए टीडीएस को हाइट्स के पैन में दर्ज किया जाता है, उसी को आयकर उद्देश्य के लिए क्रडिट के रूप में लिया जाता है और समतुल्य निधि को संबंधित परियोजना निधि में वापस अंतरित किया जाता है।

2.42 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान एचएलएल मातृ एवं शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड की पुस्तकों में हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोन्नमन न्यास के प्रति देयताओं को एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया है। 22 मार्च 2019 को आयोजित एचएलएफपीपीटी की 99वीं बोर्ड बैठक में इस व्यवस्था पर पहले ही सहमति हो गई थी।

इसके अलावा, एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड से (हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोन्नमन न्यास द्वारा ली गई देयताओं सहित) 31.03.2021 तक बकाया देयताओं को छोडने का अनुरोध किया गया था। एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के निदेशक मंडल को एचएलएल मातृ एवं शिशु सुरक्षा अस्पताल लिमिटेड को बंद करने का प्रस्ताव सहित एमसीएच परियोजना को जारी न रखने वाले विभिन्न कारकों के बारे में अवगत कराया गया था और तदनुसार बोर्ड ने कंपनी द्वारा एचएलएफपीपीटी को भुगतान किए गए देयताओं को लेने के लिए मंजूरी दे दी है और उसके बाद उसी की छूट।

कंपनी सचिव के सुझाव के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 248(2) के प्रवधान का पालन करना है और 22 अगस्त, 2020 को आयोजित 10 वीं बोर्ड बैठक में चर्चा किए गए वैकल्पिक प्रस्ताव को निष्पादित करना है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश से प्राप्य रु. 3.51 लाख, जीएसटी इनपुट क्रेडिट के रु.3.96 लाख और रु.5.50 लाख के बिना उपभोगवाले टीडीएस को बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

2.43 जीएपीएल के संबंध में, लेखापरीक्षक द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं के अवलोकन हो गए।

क) जीएपीएल के समक्ष नकदी संकट के कारण, कर्मचारी वेतन से वसूल किए गए कई कर्मचारी वेतन तत्व तुलन पत्र की तारीख के भुगतान के लिए बकाया है। तुलन पत्र की तारीख के अनुसार भुगतान के लिए कर्मचारियों की बकाया वेतन वसूली रु. 33.24 लाख है।

ख) जीएपीएल ने कंपनी की बोर्ड बैठक में प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किए बिना कर्मचारी प्रोत्साहन के लिए रु.15.08 लाख के खर्चों को मान्यता दी है ।

ग) जीएपीएल ने वित्तीय वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के तहत कोई लेखापरीक्षा समिति की बैठक नहीं की है।

घ) जीएपीएल ने आंध्रा प्रदेश मेडिकल सर्वीसस और अवसंरचना विकास कॉर्पोरेशन (एपीएमएसआईडीसी) और तेलुंगाना राज्य मेडिकल सर्वीसस और अवसंरचना विकास कॉर्पोरेशन (टीएसएमआईडीसी) के साथ आपूर्ति अनुबंध में प्रवेश किया है। कंपनी के ये ग्राहक, ग्राहक द्वारा प्रेषित भुगतान के लिए चलान विवरण प्रदान नहीं करते। इसके अलावा, ग्राहक देरी डेलिवरी शुल्क, एक्सपायेर्ड स्टॉक आदि के लिए भी राशि काट लेते हैं, जिसका विवरण उपलब्ध नहीं

value. Hence the GST credit related to the payments made for the construction and procurement for projects are not eligible to HITES.

During the year, an amount of ₹8499.44 Lakh (Approx.) towards GST credit against the procurement/contractor payments is not eligible to HITES and the same is not claimed. However, the same is reflected on the GST portal of HITES

2.41 HLL Infra Tech Services Limited (HITES) is claiming refund by adjusting Company's tax liability with TDS receivable of ₹74.38 Lakh (Approx.) i.e., deducted from the interest on project funds and project's mobilization advances. Since the interest belongs to the projects fund, as per the agreement with clients and the TDS deducted on the interest is recorded at the PAN of HITES, the same is taken as credit for income tax purpose and the equivalent fund is transferred back to the respectively

2.42 During the Financial Year 2020-21 liabilities payable towards Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust in the books of HLL Mother & Child Care Hospitals Ltd have been transferred to the HLL Lifecare Ltd. This arrangement was already agreed in 99th Board meeting of HLFPPT held on 22nd March, 2019.

Further, request was made to HLL Lifecare Ltd to waive off the outstanding liabilities (including liabilities of Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust taken over by it) payable to it as on 31.03.2021. The Board of Directors of HLL Lifecare Ltd were appraised about various factors causing the non-continuation of MCH project including proposal for closure of HLL Mother & Child Care Hospitals Limited and accordingly the Board has approved to take over the liabilities payable by the Company to HLFPPT and thereafter waiver of the same.

As per the suggestion from practising company secretary, to comply with the provision of Sec. 248(2) of the Companies Act, 2013 and to execute the alternative proposal discussed in the 10th Board meeting held on 22nd August, 2020.

Receivable from the Director General Medical & Health, Uttar Pradesh of ₹3.51 lakhs, GST input credit of ₹3.96 lakhs and unconsumed TDS of ₹5.50 lakhs have been written off during the FY 2020-21 itself

2.43 With respect to GAPL, following points were observed by the auditor.

a) Due to liquidity crisis faced by the GAPL, several employee salary elements recovered from employee salary are outstanding for payment as on the Balance sheet date. Employee salary recoveries outstanding for payment as on Balance sheet date stand to the tune of ₹33.24 Lakhs

b) GAPL has recognized expenses towards employee incentive to the tune of ₹15.08 lakhs-without the incentive amount being approved in the board meeting of the company.

c) GAPL has not held any audit committee meetings during the financial year under audit.

d) GAPL has entered into supply contracts with Andhra Pradesh Medical Services and Infrastructure Development Corporation (APMSIDC) and Telangana State Medical Services and Infrastructure Development Corporation (TSMIDC). These customers of the company do not provide invoice details for the payments remitted by the customer. Further, customers also deduct amounts towards Late Delivery Charges, Expired Stock, etc details of which are not available. There is very strong possibility of older balances

है।इस तरह के शुल्कों पर ग्राहक द्वारा समायोजित की गई पुरानी शेष राशि की बहुत प्रबल संभावना है और इसलिए अब वसूली योग्य नहीं है। इन देनदार शेष राशि को उस हद तक अधिक बताया जा सकता है लेकिन यह अनिश्चित है।

2.44 कंपनी ने मेसर्स गोवा खाद्य और फार्मा (प्राइवेट) लिमिटेड के साथ विपणन व्यवस्था की थी। पार्टी मध्यस्थता एवार्ड की शर्तों के अनुसार कंपनी को रु.850.32 लाख की बकाया है, जिसमें से रु.412.99 लाख पर्याप्त दावे की ओर और रु.437.32 लाख ब्याज की ओर है। कंपनी ने पहले वर्ष में रु.264.94 लाख की सीमा तक ब्याज को मान्यता दी थी और खातों की किताबों में अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए समान भत्ता बनाया था। इसके अलावा गोवा खाद्य और फार्मा (प्राइवेट) लिमिटेड को रु. 16.56 लाख की जमा राशि भी दी गई थी।

अन्य दो पार्टी मेसर्स एम सी एंटरप्राइज़ेज़ और मेसर्स मधुर फार्मा के मामलों में भी, क्रमशः रु.55.16 लाख और रु.15.04 लाख देय रकम की वसूली के लिए उनके खिलाफ कंपनी ने भी एक अपील अधिमत की है। उपरोक्त राशियों को देनदारों में दिखाया गया है हालांकि बकाया राशि के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए कोई भत्ता नहीं दिया गया है। इन ऋणों के भुगतान के लिए पार्टियों की वित्तीय क्षमता के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। परिणामस्वरूप हम यह निर्धारित करने में असमर्थ रहे कि इन देय राशियों के लिए लाभ और हानि खाते में अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए पूर्ण या आंशिक भत्ता दिया जाना चाहिए था या नहीं।

कंपनी कई सरकारी विभागों के पास रु.19.50 लाख की बयाना राशि जमा होने की रिपोर्ट करती है। इसमें से रु.13.10 लाख की जमा राशि 3 साल से अधिक पुरानी है और इन जमा राशियों की वापसी के लिए पार्टियों की वित्तीय प्रतिबद्धता के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। कंपनी ने इन देय राशियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि के लिए कोई भत्ता प्रदान नहीं किया है।

2.45 मिशन निदेशक, एनएचएम के पत्र सं. एसपीएमयू/एनएचएम/सीओएनएसटी.96/2017-18/3386 दिनांक 4.7.2018 में दोनों केपीआई अर्थात् डीईआईसी को जोडने और प्रत्येक 20 एमसीएच अस्पताल विंग के लिए स्किल लैब की स्थापना के बारे में सूचित किया है, लेकिन इसके लिए अलग बजट आबंटित नहीं किया गया था। ये दो केपीआई प्रत्येक अस्पताल के लिए एक बार के व्यय के रूप में रु. 2.5 करोड का अतिरिक्त पूंजीगत व्यय कर रहे हैं और उसके बाद आवर्ती व्यय के रूप में प्रति वर्ष रु. 2.1 करोड प्रति अस्पताल खर्च कर रहे हैं। यह अतिरिक्त व्यय परियोजना को अव्यवहार्य बनाता है।

इस संबंध में प्रबंधन ने उत्तर प्रदेश सरकार में उपरोक्त तथ्यों के बारे में जानकारी देते हुए उपयुक्त स्तर पर कई पत्राचार किया और उपरोक्त को संबोधित करने का अनुरोध किया ताकि अस्पताल में संचालन में तेजी लाई जा सके।

हालांकि एचएमसीसीएचएल को उपरोक्त के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पत्र सं. 110/7706 दिनांक 26.10.2018 में सीएमडी को एक पत्र जारी कर पूछा कि परियोजना को रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए। उसी के जवाब में हमने अपनी समस्या एक बार फिर सहानुभूति के साथ युपी सरकार को भेज दी है। चूँकि हमारे अनुरोध को युपी सरकार द्वारा अनुकूल नहीं माना गया था, तब सीएमडी एचएलएल मे पत्र सं. एचएमसी/एमसीएच/2018-19 दिनांक 05.12.2018 द्वारा किसी अन्य पार्टी को परियोजना सौंपने के लिए सलाह दी।

बाद में यूपी सरकार ने गोरखपुर अस्पताल के लिए अस्पताल उपकरण और अस्पताल के फर्नीचर की आपूर्ति पर विचार करने के लिए कहा था, जिसके लिए क्रय आदेश जारी किया गया था और तदनुसार एचएलएल मातृ एवं शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड और महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, युपी सरकार के बीच 31.12.2018 को एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

इसके अलावा इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मातृ एवं शिशु रक्षा अस्पताल परियोजना उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकी जिसके लिए एसपीवी की स्थापना की गई थी। बोर्ड ने निर्णय लिया है कि एक गैर-प्रचालन कंपनी को बनाए रखने के लिए

adjusted by the customer on such charges and hence are no longer recoverable. These debtor balances could be over-stated to that extent but is unascertainable

2.44 The Company had marketing arrangements with M/s Goa Food & Pharma (P) Limited.The party owes the company an amount of ₹850.32 lakhs as per the terms of Arbitration Award out of which ₹412.99 Lakhs is towards substantive claims and ₹437.32 lakhs towards interest. The company had recognized in the earlier year interest to the extent of ₹264.94 Lakhs and created equal allowance for expected credit loss in the books of accounts. Further a deposit had also been given to Goa Food & Pharma (P) Limited of ₹16.56 Lakhs.

In case of two other parties M/s Emcee Enterprises and M/s Madhur Pharma, the company has preferred an appeal against them for recovering dues amounting to ₹55.16 lakhs and ₹ 15.04 lakhs respectively. The above amounts are shown in debtors however no allowance for expected credit loss is made for the dues. There is no information as regards the financial ability of the parties for payments of these debts. As a result we were unable to determine whether full or partial allowance for expected credit loss should have been made in the Profit and Loss Account for these dues.

The company reports Earnest Money Deposit lying with several government departments to the tune of ₹19.50 lakhs. Out of this, deposits to the tune of ₹13.10 lakhs are outstanding for more than 3 years old and no information is available as regards financial commitment of the parties for refund of these deposits. Company has not provided any allowance for expected credit loss for these dues

2.45 Mission Director, NHM vide letter no. SPMU/NHM/Const.96/2017-18/3386 dated 4.7.2018 have communicated about addition of two KPIs i.e. DEIC and setting of skill lab for each 20 MCH hospital wings but separate budget was not allotted for the same. These two KPIs are incurring an additional capital expenditure of ₹2.5 crores as one time expenditure for each hospital and thereafter ₹2.1 Crores per Hospital per year as recurring expenses. These additional expenditure makes the project unviable.

In this regard the management made the several correspondence at appropriate level in Government of UP briefing about the above facts with a request to address the above so that operationalisation of the Hospital can be expedited.

However HMCCHL could not get the favourable response from GoUP regarding above. The GoUP vide letter no. 110/7706 dated 26.10.2018 issued a letter to CMD asking why project should not be cancelled. In responses to the same we have referred our problem to Govt. of UP again with a sympathetic view. Since our request was not considered favourably by the Govt. of UP, then CMD HLL vide letter no. HMC/MCH/2018-19 dated 05.12.2018advice Govt. of UP to handover the project to some other party.

Later Govt of UP had asked to consider to supply the Hospital Equipment and Hospital Furniture for Gorakhpur Hospital for which purchase order had been issued and accordingly a fresh Memorandum of Understanding was signed between HLL Mother &Child Care Hospitals Ltd and Director General, Medical Health, Government of UP on 31.12.2018.

Further considering the fact that the Mother & Child Care Hospitals project could not serve the objective for which the SPV was set up, the board has decided that maintaining a non-operating company will necessitate incurring administrative cost and legal compliance cost among other incidental costs accordingly the Board advised the Company Secretary-HLL to submit a proposal

अन्य आकस्मिक लागतों के बीच प्रशासनिक लागत और कानूनी अनुपालन लागत की आवश्यकता होगी, तदनुसार बोर्ड ने एचएलएल के कंपनी सचिव को सलाह दी कि या तो एचएमसीसीएचएल को एचएलएल के साथ विलय करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करें या एचएलएल के परामर्श से एचएमसीसीएचएल को दिनांक 22.03.2019 की बोर्ड बैठक में बंद करें।

निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 233 के अधीन धारण कंपनी के साथ पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी कंपनी के विलय के लिए फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया को अपनाते हुए एचएलएल मातृ एवं शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड को एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड के साथ विलय करने का प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की। विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने 22.03.2019 को हुई बोर्ड की बैठक में विलय के प्रस्ताव की मंजूरी दी।

तदनुसार, वित्तीय विवरण यह मानकर तैयार किए गए हैं कि कंपनी एक चालू संस्था के रूप में जारी नहीं रहेगी। चूँकि कंपनी की लाभकारी संस्था मौजूद नहीं है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान रु.2,78.08 लाख के सभी पूर्व संचालन व्यय और रु.28.00 लाख के प्रारंभिक व्यय को बट्टे खाते में डाल दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान एचएमसीसीएचएल परिचालन में नहीं है, इसलिए कोविड-19 का कोई प्रभाव नहीं है।

2.46 देनदार, लेनदार तथा ऋण व पेशगियों में शेष पुष्टि/मेल-मिलाप के अधीन है । निर्यात बिक्री से प्राप्य विदेशी मुद्रा, पुष्टि/मेल मिलाप के अधीन है और इसके फलस्वरूप, विदेशी मुद्रा मूल्यांकन का अभिलाभ या हानि भिन्न हो सकते हैं ।

2.47 निवेश संपत्तियों के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण

(i) किराए से आय

रु. लाखों में

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
किराए से आय	96.62	
किराए की आय बनानेवाले प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	31.76	-
प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय जिससे किराए की आय नहीं बनाते हैं।	-	-
मूल्यह्रास से पहले निवेश संपत्तियों को पट्टे पर देने से लाभ	64.86	-
मूल्यह्रास	11.99	-
निवेश संपत्तियों के पट्ट पर देने से लाभ	52.87	-

(ii) उचित मूल्य

31 मार्च 2021 को निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य सीपीडब्लियु रेटिंग के आधार पर प्रति पीएआर (प्लिंथ क्षेत्र संदर्भ) ₹7.36 करोड अनुमानित है।

(iii) मूल्यह्रास

निवेश संपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के तहत आवश्यकता के अनुरूप किया गया है।

समनुषंगियों को किराये के लिए दी गई निवेश संपत्तियों को संयंत्र के तहत समूहीकृत किया गया था, संपत्ति , उपकरण और अन्य किराये को समेकित वित्तीय विवरणों में निवेश संपत्तियों के तहत वर्गीकृत किया गया था।

2.48 इंड एएस 109 के अनुसार वित्तीय साधन पर अपेक्षित प्रकटीकरण टिप्पणी 31 में दिया गया है।

2.49 इंड एएस 19 के अनुसार कर्मचारी लाभ व्यय से संबंधित प्रकटीकरण टिप्पणी 32 में दिया गया है।

2.50 इंड एएस 33 के अनुसार आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों से संबंधित प्रकटीकरण टिप्पणी 33 में दिये गये हैं।

either merge HMCCHL with HLL or wind up HMCCHL in consultation with HLL in board meeting dated 22.03.2019.

The Board of directors discussed in detail the proposal to Merge HLL Mother & Child Care Hospitals Ltd. with HLL Lifecare Ltd. by adopting the fast-track procedure for Merger of wholly owned subsidiary company with the holding company under Section 233 of the Companies Act, 2013. After deliberation, the Board approved the proposal of Merger in the meeting of Board held on 22.03.2019.

Accordingly, the financial statements have been prepared assuming the Company will not continue as a going concern. Since the going concern of the company does not exist, hence all pre-operative expenditure of ₹278.08 Lakhs and preliminary expenditure of ₹28.00 lakhs had been written off during F.Y. 2019-20 itself. The HMCCHL is not in operation during the financial year 2020-21, so there is no Impact of COVID-19.

2.46 Balance in Debtors, Creditors and loans and advances are subject to confirmation / reconciliation. Receivable in Foreign Currency out of Export sales is subject to confirmation/reconciliation and consequently Foreign Currency Valuation gain or loss may vary.

2.47 Additional Disclosure for Investment Properties:

(i) Rental Income ₹in Lacs

Description	As at 31 st March 2021	As at 31 st March 2020
Rental income	96.62	
Direct operating expenses that generated rental income	31.76	-
Direct operating expenses that did not generate rental income	-	-
Profit from leasing of investment properties before depreciation	64.86	-
Depreciation	11.99	-
Profit from leasing of investment properties	52.87	-

(ii) Fair value:

Fair value of Investment Properties as on 31st March 2021 is estimated at ₹7.36 crores based on CPW ratings per PAR (Plinth area reference).

(iii) Depreciation:

Depreciation on Investment properties have been made in line with the requirement under schedule II of the Companies Act, 2013.

Investment properties given for rental to subsidiaries were grouped under plant, property, equipment and rental to others were classified under investment properties in the consolidated financial statements.

2.48 The disclosures required on Financial Instruments as per Ind AS 109 are given in Note 31

2.49 The disclosures relating to Employee Benefit expense as per Ind AS 19 are given in Note 32

2.50 The disclosures relating to Contingent Liabilities and contingent assets as per Ind AS 33 are given in Note 33

2.51 इंड एएस 24 के अनुसार संबंधित पार्टी लेन देन से संबंधित प्रकटीकरण टिप्पणी 34 में दिया गया है।

2.52 इंड एएस 108 के अनुसार प्रचालन खंड के संबंध में प्रकटीकरण टिप्पणी 35 में दिया गया है।

2.53 इंड एएस 12 के अनुसार आयकर और आस्थगित कर के संबंध में प्रकटीकरण टिप्पणी 36 में दिया गया है।

2.54 कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित समनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित वित्तीय सूचना अनुबंध I & II में दिया गया है।

2.55 बिक्री के लिए धारित के रूप वर्गीकृत परिसंपत्तियों में गैर-परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जो तकनीकी अप्रचलन और परिसंपत्तियों की उम्र बढाने के कारण अनुप्रयोगी हैं और उन्हें स्क्रैप की गई परिसंपत्तियों के रूप में घोषित किया गया है। इन वस्तुओं के संचयन और स्कैप निपटान की आर्थिक मात्रा को ध्यान में रखते हुए नि परिसंपत्तियों को नियमित अंतराल पर एक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निपटाया जाएगा।

2.56 अनुबंध व्यय, परियोजना और सेवा प्रभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किए गए प्रत्यक्ष व्यय है, जिसके खिलाफ अनुबंध आय को मान्यता दी जाती है।

2.57 पिछले वर्ष के आँकडों को जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुनर्व्यवस्थित एवं पुनर्समूहित किया गया है। एचएलएल बायोटेक लिमिटेड और एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड 01.04.2019 से अलग होने के फलस्वरूप, डीमर्जर को प्रभावी करके 01.04.2019 तक के तुलन पत्र को दोबारा बनाया जाता है और तुलन पत्र में खुलासा किया जाता है।

2.58 भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियों के आधार पर, इंड-एएस के प्रावधानों के अनुपालन में निम्नलिखित अतिरिक्त टिप्पणी/संशोधन दिए जाते हैं।

क्रम सं	टिप्पणी सं	विषय
1	इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	वित्तीय विवरण के साथ जोडा गया वर्ष 2019-2020 के तुलनात्मक विवरण।
2	1.24	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में प्रदान की गई आकस्मिक परिसंपत्तियों के मान्यता पर लेखांकन नीति
3	1.24	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में प्रदान की गई आकस्मिक देयताओं के मान्यता पर लेखांकन नीति
4	2.29	ईसीजीसी दावे पर अतिरिक्त तथ्यों के साथ प्रदान की गई व्याख्यात्मक टिप्पणी
5	2.55	वित्तीय विवरणों के भाग बननेवाले व्याख्यात्मक टिप्पणी में प्रदान की गई बिक्री के लिए रखी गैर -चालू परिसंपत्ति पर प्रकटीकरण।
6	2.56	प्रदान किए गए अतिरिक्त प्रकटीकरण ।
7	3 & 2.34	टिप्पणियों के बीच असंतुलन सुधार किया गया है।
8	नकद प्रवाह विवरण	लेखांकन नीति के अनुरूप तैयार किया गया नकद प्रवाह विवरण
9	समेकित टिप्पणी	लेखों के लिए समेकन टिप्पणियाँ (समेकन के आधार और सिद्धांत) पहले छोडी गई और अब वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न है।
10	33	रु. 124 लाख तक कम की गयी आकस्मिक देयता
11	2.16	टंकण संबंधी त्रुटियों को सुधार किया गया है।

2.51 The disclosure relating of Related Party transactions as per Ind AS 24 are given in Note 34

2.52 The disclosure in respect of Operating Segments as per Ind AS 108 is given in Note 35

2.53 The disclosure in respect of Income Tax and Deferred Tax as per Ind AS 12 is given in Note 36

2.54 Financial Information regarding subsidiaries and joint venture as required by Companies Act, 2013 is given in Annexure I & II

2.55 Assets classified as held for sale consists of non-current assets which are un-serviceable due to technological obsolescence and ageing of the assets and are declared as scrapped assets. These assets will be disposed off through a tendering process on regular intervals taking into consideration of the accumulation of these items and economic quantity of scrap disposal.

2.56 Contract Expenses are direct expenses incurred towards the implementation of various projects by Projects & Services Division against which Contract Income is recognized.

2.57 Figures for the previous year have been rearranged and regrouped wherever necessary. Consequent to the demerger of HLL Biotech Ltd and HLL Medipark Ltd w.e.f 01.04.2019, the Balance sheet as at 01.04.2019 is recasted by giving effect to the demerger and disclosed in the balance sheet.

2.58 Based on the observations of Comptroller and Auditor General of India, following additional Notes/Modifications are given in compliance with Provisions of Ind AS.

S.No	Note No:	Subject
1.	Statement of Changes in Equity	Comparative statement for the year 2019-20 added with Financial Statements.
2.	1.24	Accounting policy on disclosure of contingent assets provided as part of Financial Statements.
3.	1.24	Accounting policy on recognition of contingent liabilities provided as part of Financial Statements.
4.	2.29	Explanatory note provided with additional facts on ECGC claim.
5.	2.55	Disclosure on non-Current Asset held for sale provided in the explanatory note forming part of Financial Statements.
6.	2.56	Additional disclosure provided for.
7.	3&2.34	Mismatch between the notes is rectified.
8.	Cash Flow Statement	Cash flow statement prepared in line with Accounting policy.
9.	Consolidation Notes	Consolidation Notes to accounts (basis and principles of consolidation) omitted earlier are now attached with Financial statements.
10.	33	Contingent liability reduced by ₹124 lakhs.
11	2.16	Typographical errors rectified.

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष केलिए समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3 : संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

	अचल परिसंपत्तियाँ	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यहास और हानि				निवल ब्लॉक	
		1 अप्रैल 2019	परिवर्धन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2020	1 अप्रैल 2019	वर्ष के दौरान मूल्यहास / परिशोधन व्यय	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2020	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
क	**मूर्त परिसंपत्तियाँ**										
	(क) भूमि										
	पूर्ण स्वामित्व	592.54	-	-	592.54	-	-	-	-	592.54	592.54
	पट्टे पर भूमि	702.82	-	-	702.82	40.68	8.14	-	48.82	654.00	662.13
	(ख) इमारतें	17,247.54	53.71	-	17,301.26	4,844.53	973.13	-	5,817.66	11,483.60	12,402.82
	(ग) सडक	110.50	-	-	110.50	84.43	6.51	-	90.94	19.55	26.06
	(घ) संयंत्र व मशीनरी	19,481.41	318.50	63.84	19,736.07	8,723.77	1,730.80	52.75	10,401.82	9,334.25	10,748.36
	(ङ) इलेक्ट्रिकल संस्थापन और उपकरण	4,650.03	54.92	9.68	4,695.27	2,870.30	495.76	9.34	3,356.71	1,338.56	1,787.52
	(च) फर्नीचर व जुडनार	2,921.84	326.57	24.55	3,223.85	1,924.41	486.99	23.68	2,387.72	836.14	987.66
	(छ) मोटर गाडियाँ	72.63	-	-	72.63	57.03	4.07	-	61.09	11.54	26.86
	(ज) कंप्यूटर डेटा प्रोससिंग	1,453.50	104.89	10.50	1,547.89	1,237.44	119.24	10.26	1,346.42	201.47	202.05
	(i) कार्यालय उपकरण	540.03	47.81	13.61	574.23	415.17	51.88	13.00	454.05	120.18	138.01
	(ii) लैब उपकरण	2,677.93	57.37	18.57	2,716.72	1,789.01	226.19	17.60	1,997.60	719.12	889.77
	कुल	**50,450.76**	**963.77**	**140.75**	**51,273.78**	**21,986.76**	**4,102.71**	**126.64**	**25,962.84**	**25,310.92**	**28,463.79**
	पिछले वर्ष	**49,643.07**	**1,005.42**	**197.92**	**50,450.58**	**17,001.96**	**4,617.24**	**137.92**	**21,481.28**	**28,463.79**	**32,293.45**
ख	**निवेश संपत्ति**										
	पिछले वर्ष	**381.67**	**-**	**-**	**381.67**	**57.72**	**11.99**	**-**	**69.71**	**311.96**	**323.95**
	पूँजी कार्य में प्रगति	**381.67**			**381.67**	**43.72**	**14.00**		**57.72**	**323.95**	**337.95**
	कमीशनिंग के लिए लंबित परिसंपत्तियाँ										
	(च) ट्रेडमार्क और पेटेंट										

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED 31 MARCH 2021

Note 3 : Plant, Property and Equipment

(. lacs)

	Fixed Assets	Gross block				Accumulated depreciation and impairment				Net block	
		1 April 2020	Additions	Disposals/ Adjustments	31 March 2021	1 April 2020	Depreciation / amortisation expense for the year	Disposals/ Adjustments	31 March 2021	31 March 2021	31 March 2020
A.	**Tangible assets**										
	(a) Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Freehold	592.54	-	-	592.54	-	-	-	-	592.54	592.54
	Leasehold	702.82	-	-	702.82	40.68	8.14	-	48.82	654.00	662.13
	(b) Buildings	17,247.54	53.71	-	17,301.26	4,844.53	973.13	-	5,817.66	11,483.60	12,402.82
	(c) Roads	110.50	-	-	110.50	84.43	6.51	-	90.94	19.55	26.06
	(d) Plant and Machinery	19,481.41	318.50	63.84	19,736.07	8,723.77	1,730.80	52.75	10,401.82	9,334.25	10,748.36
	(e) Electrical Installation & Eqpt.	4,650.03	54.92	9.68	4,695.27	2,870.30	495.76	9.34	3,356.71	1,338.56	1,787.52
	(f) Furniture &Fixture	2,921.84	326.57	24.55	3,223.85	1,924.41	486.99	23.68	2,387.72	836.14	987.66
	(g) Motor Vehicles	72.63	-	-	72.63	57.03	4.07	-	61.09	11.54	26.86
	(h) Computer Data Processing	1,453.50	104.89	10.50	1,547.89	1,237.44	119.24	10.26	1,346.42	201.47	202.05
	(i) Office Equipment	540.03	47.81	13.61	574.23	415.17	51.88	13.00	454.05	120.18	138.01
	(j) Lab Equipment	2,677.93	57.37	18.57	2,716.72	1,789.01	226.19	17.60	1,997.60	719.12	889.77
	Total	**50,450.76**	**963.77**	**140.75**	**51,273.78**	**21,986.76**	**4,102.71**	**126.64**	**25,962.84**	**25,310.92**	**28,463.79**
	Previous year	**49,643.07**	**1,005.42**	**197.92**	**50,450.58**	**17,001.96**	**4,617.24**	**137.92**	**21,481.28**	**28,463.79**	**32,293.45**
B	**Investment Property**	**381.67**	**-**	**-**	**381.67**	**57.72**	**11.99**	**-**	**69.71**	**311.96**	**323.95**
	Previous year	**381.67**			**381.67**	**43.72**	**14.00**		**57.72**	**323.95**	**337.95**
C	**Capital Work In Progress**										
	(a) Assets Pending Commissioning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

अचल परिसंपत्तियाँ	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास और हानि				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल 2019	परिवर्धन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2020	1 अप्रैल 2019	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास / परिशोधन व्यय	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2020	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
(ख) सिविल कार्य में प्रगति	292.25	659.90	-	952.15	-	-	-	-	952.15	292.25
(ग) परामर्श चार्ज	16.77	0.24	0.03	16.98	-	-	-	-	16.98	16.77
(घ) नयी परियोजनाओं पर आकस्मिक व्यय	-		-	-	-	-	-	-	-	
(ङ) मशीनरी डब्लियु आई पी	102.35	-	36.28	66.08	-	-	-	-	66.08	102.35
(ख) ट्रेडमार्क एवं पेटेंट		-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**411.38**	**660.14**	**36.31**	**1,035.21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,035.21**	**411.38**
पिछले वर्ष	**222.28**	**287.05**	**97.94**	**411.38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**411.38**	**222.28**
अमूर्त परिसंपत्तियाँ										
(क) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,318.31	30.99	-	1,349.30	938.13	110.94	-0.46	1,049.54	299.77	380.18
(ख) ट्रेडमार्क एवं पेटेंट	100.34	-	0.23	100.11	95.07	0.03	0.21	94.89	5.23	5.27
कुल	**1,418.65**	**30.99**	**0.23**	**1,449.41**	**1,033.20**	**110.97**	**-0.25**	**1,144.43**	**304.99**	**385.45**
पिछले वर्ष	**1,591.43**	**55.88**	**0.46**	**1,646.85**	**1,012.74**	**249.08**	**0.43**	**1,261.39**	**385.45**	**572.81**
परिसंपत्तियों के उपयोग करने का अधिकार										
(ख) इमारतें	560.60	0.89	-	561.49	32.39	53.71	-	86.10	475.39	206.17
(क) संयंत्र व मशीनरी	3,241.25	-	-	3,241.25	519.56	527.69	-	1,047.25	2,194.00	2,721.88
कुल	**3,801.85**	**0.89**	**-**	**3,802.74**	**551.95**	**581.40**	**-**	**1,133.35**	**2,669.40**	**2,928.05**
पिछले वर्ष	**-**	**3,480.00**	**-**	**3,480.00**	**-**	**551.95**	**-**	**551.95**	**2,928.05**	

टिप्पणी

1. पूर्ण स्वामित्व भूमि के मूल्य में शामिल हैं -
   - क) केरल सरकार द्वारा निःशुल्क अंतरित 11.44 एकड के टोकन मूल्य ₹1/-रहा है।.
   - ख) केरल सरकार द्वारा निःशुल्क अंतरित 7.14 एकड के टोकन मूल्य ₹1/-रहा है।
   - ग) कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा अंतरित 25 एकड और 38 गुंटा की पूर्ण स्वामित्व भूमि का मूल्य ₹4.86 लाख रहा है।
   - घ) कनगला गाँव में विविध पार्टियों से खरीदे 15 एकड़ और 33 गुंटा के पूर्ण स्वामित्व भूमि का मूल्य ₹16.82 लाख रहा है।
   - ङ) चेन्नै में 0.30 एकड़ पूर्ण स्वामित्ववाले भूमि की कीमत ₹567.92 लाख रहा है।
   - च) चेरुवैक्कल गाँव में 20 सेंट भूमि की कीमत ₹0.76 लाख रहा है।
   - छ) केरल सरकार द्वारा अंतरित 1.06 एकड़ भूमि का मूल्य ₹2.16 लाख रहा है।
2. इंड ए एस 101 के अनुसार 01.04.2015 (संक्रमण तारीख) तक की सभी परिसंपत्तियों को संक्रमण तारीख तक के इसकी समझी लागत के रूप में पूर्व जी ए ए पी के अनुसार मापित, मूल कीमत अपनाने के लिए कंपनी को चुना है।
3. पट्टे पर भूमि की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं।
   - क) 99 वर्षों केलिए केरल के बालरामपुरम में पट्टे पर रही 3 एकड भूमि और इमारत की मूल्य लागत ₹130.46 लाख रही है। (01.04.2015 तक की समझी लागत - 123.74 लाख)
   - ख) ₹92.41 लाख मुंबई में 60 वर्षों के लिए पट्टे पर लिए 1005.22 स्क्वयर मीटेर्स प्लॉट का आबंटन मूल्य रहा है। (01.04.2015 तक की समझी लागत - 87.48 लाख)

(₹ lacs)

	Fixed Assets	Gross block				Accumulated depreciation and impairment				Net block	
		1 April 2020	Additions	Disposals/ Adjustments	31 March 2021	1 April 2020	Depreciation / amortisation expense for the year	Disposals/ Adjustments	31 March 2021	31 March 2021	31 March 2020
	(b) Civil work in progress	292.25	659.90	-	952.15	-	-	-	-	952.15	292.25
	(c) Consultancy Charges	16.77	0.24	0.03	16.98	-	-	-	-	16.98	16.77
	(d) Incidental Expenses on New Projects	-		-	-	-	-	-	-	-	
	(e) Machinary WIP	102.35	-	36.28	66.08	-	-	-	-	66.08	102.35
	(f) Trademarks & Patents		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	**411.38**	**660.14**	**36.31**	**1,035.21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,035.21**	**411.38**
	Previous year	**222.28**	**287.05**	**97.94**	**411.38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**411.38**	**222.28**
D	**Intangible assets**										
	Computer Software	1,318.31	30.99	-	1,349.30	938.13	110.94	-0.46	1,049.54	299.77	380.18
	Trademarks & Patents	100.34	-	0.23	100.11	95.07	0.03	0.21	94.89	5.23	5.27
	Total	**1,418.65**	**30.99**	**0.23**	**1,449.41**	**1,033.20**	**110.97**	**-0.25**	**1,144.43**	**304.99**	**385.45**
	Previous year	**1,591.43**	**55.88**	**0.46**	**1,646.85**	**1,012.74**	**249.08**	**0.43**	**1,261.39**	**385.45**	**572.81**
E	**ROU Assets**										
	(a) Buildings	560.60	0.89	-	561.49	32.39	53.71	-	86.10	475.39	206.17
	(b)Plant & Machinery	3,241.25	-	-	3,241.25	519.56	527.69	-	1,047.25	2,194.00	2,721.88
	Total	**3,801.85**	**0.89**	**-**	**3,802.74**	**551.95**	**581.40**	**-**	**1,133.35**	**2,669.40**	**2,928.05**
	Previous year	**-**	**3,480.00**	**-**	**3,480.00**	**-**	**551.95**	**-**	**551.95**	**2,928.05**	

Note:

1. Cost of Free hold Land includes -
   a) ₹ 1/- being the token value of 11.44 acres of land transferred by the Govt. of Kerala free of cost.
   b) ₹ 1/- being the token value of 7.14 acres of land transferred by the Govt. of Kerala free of cost.
   c) ₹ 4.86 lacs being the price of freehold land of 25 acres and 38 Guntas transferred by Karnataka Industrial Area Development Board.
   d) ₹ 16.82 lacs being the price of freehold land of 15 acres and 33 Guntas purchased from various parties at kanagala village.
   e) ₹ 567.92 lacs being the price of freehold land of 0.30 acres at Chennai.

ग) ₹261.94 लाख न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकारी (नोएडा), उत्तर प्रदेश में 90 वर्षों के लिए आबंटित 5000 स्क्वयर मीटर पट्टे पर ली गयी भूमि का मूल्य रहा है। (01.04.2015 तक की समझी लागत - 231.51 लाख)

घ) ₹262.39 लाख रबड़ पार्क इंडिया प्राईवट लिमिटेड से 90 वर्षों के लिए रबड़ पार्क, ऐरापुरम, पेरुंबावूर, केरल राज्य की 306 सेन्ट भूमि का मूल्य रहा है। (01.04.2015 तक की समझी लागत - 260.07 लाख)

4. ₹99/- केंद्रीय लेप्रसी शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (सी एल टी आर आई), चेंगलपेट्टु, तमिलनाडु में 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर आबंटित 430.10 एकड़ भूमि के मूल्य रहा है। (01.04.2015 तक की समझी लागत - रु.93/-) आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति के निर्णय के अनुसार, अपने अधिकार क्षेत्र के 430.10 एकड भूमि में 100 एकड भूमि एचएलएल बायोटेक लिमिटेड को @10.12 करोड की दर पर निर्धारित किया गया है (56 एकड प्रति एकड के लिए @ ₹16.5 लाख पर और हिल्लोक के 44 एकड प्रति एकड @ ₹2.00 लाख पर) ।

5. अधिकार के 430.10 एकडों में 3.38 एकड भूमि, तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीबूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्रति वर्ष ₹1/- पर 92 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दी गयी है ।

6. केरल सरकार ने कोन्नी तालूक, इरावोन गांव, पत्तनमतिट्टा जिला केरल में 4.783 एकड़ भूमि (पुनर सर्वे नं. 34/146/1,35/120/2,35/120/3) ग्रीनफील्ड ब्लड बैग परियोजना स्थापित करने की ओर आबंटित भूमि कंपनी को सुपुर्द की गयी है । भूमि को प्रति वर्ष ₹19400/- की दर से पट्टे किराये पर 30 वर्षों की अवधि केलिए आबंटित किया गया है ।

7. अपनाई गई मूल्यह्रास रीति निम्न जैसी हैं।

(क) मूर्त परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अधीन अपेक्षा के अनुसार किया गया है।

(ख) संयंत्र और मशीनरी के अधीन सभी परिसंपत्तियों के लिए सीधी रेखा प्रणाली पर मूल्यह्रास चार्ज किया गया है और अन्य परिसंपत्तियों के लिए (अमूर्त परिसंपत्तियों और पट्टे पर परिसंपत्तियों को छोड़कर) मूल्यह्रासित मूल्य प्रणाली चार्ज की गयी है ताकि अधिनियम में निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर लागत के मूल्य के 5% अवशेष मूल्य रखने के बाद परिसंपत्तियों की लागत मूल्यह्रासित कर सकें ।

(ग) ट्रेडमार्क/पेटेंट पाँच वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया गया ।

(घ) ईआरपी सोफ्टवेयर के अलावा अन्य सोफ्टवेयर सोलूशन 3 वर्षों की अवधि केलिए समनुपातिक आधार पर परिशोधित की गयी है, जबकि ईआर पी सोफ्टवेयर सोलूशन 8 वर्षों की अवधि केलिए समनुपातिक आधार पर परिशोधित की जाती है। भुगतान किये लाइसेंस शुल्क करार अवधि पर समान रूप से परिशोधित किया गया।

8. चेंगलपेट्टु, कांचीपुरम जिला (तमिलनाडु) में 330.10 एकड भूमि मेडिपार्क के संस्थापन के लिए वर्ष 2009 को उप पट्टे पर देना का कैबिनेट अनुमोदन के परिणामस्वरूप एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड 20 दिसंबर, 2016 को एचएलएल के 100% अलग समनुषंगी के रूप में प्रारंभ किया गया । एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड को एचएलएल लाइफ़केयर द्वारा 90% तक और तमिलनाडु उद्योग विकास बोर्ड (टिड्को) द्वारा 10% तक इक्विटी भागीदारी होगी । एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड ने मार्च, 2017 को नयी समनुषंगी कंपनी में ₹10.01 लाख का निवेश किया है । तमिलनाडु में चेन्नै के पास चेंगलपेट्टु 330.10 एकड़ क्षेत्र में संस्थापित किये जा रहे मेडिपार्क लिमिटेड में मेडिकल प्रौद्योगिकी उद्योग के समर्थन करने के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना और साधारण सुविधाएं होंगी ।

9. संपत्ति भूमि और उपकरण, जो परिचालन पट्टे के अधीन है, पर मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम या पट्टा करार, जो कम है, के अनुसार उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया जाता है।

10. अनुमोदित अनुसंधान एवं विकास सुविधा में किए गए निम्न पूँजी व्यय की मूल लागत अचल परिसंपत्तियों के परिवर्धन में शामिल हैं।

	2020-21 ₹लाखों में	2019-20 ₹लाखों में
लैब उपकरण	14.44	-
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	2.05	-
विद्युत संस्थापन	0.33	-
	16.82	-

11. कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 को इंड ए एस 116 कार्यान्वित किया और संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति को लागू किया और टिप्पणी सं.2.33 में परिसंपत्तियों के उपयोग करने का अधिकार का खुलासा किये गये हैं ।

f) ₹ 0.76 Lacs being price of 20 Cents of land at Cheruvaikal Village.

g) ₹ 2.16 Lacs being value of 1.06 acres of land transferred by the Govt. of Kerala.

2. As per IND AS 101, the Company has elected to adopt the carrying value measured as per previous GAAP as on 01-04-2015 (Transition date) of all assets as its Deemed cost as on Transition Date.

3. Cost of Lease hold land includes the following

a) ₹ 130.46 lacs being the original cost of 3 acres of leasehold land and building at Balramapuram, Kerala for 99 years (Deemed Cost as on 01.04.2015 - ₹123.74 Lacs)

b) ₹ 92.41 lacs being the allotment value of 1005.22 sq. mtrs plot in Mumbai on lease for 60 years. (Deemed Cost as on 01.04.2015 - ₹87.48 Lacs)

c) ₹ 261.94 lacs being the value of 5000 Sq.Mtr. of leasehold land allotted in the New Okhla Industrial Development Authority (NOIDA), Uttar Pradesh for 90 years (Deemed Cost as on 01.04.2015 - ₹231.51 Lacs)

d) ₹ 262.39 Lacs being the value of 306 Cents of land at rubber park, Irapuram, Perumbavoor, Kerala State for 81 years from Rubber Park India (P) LTD. (Deemed Cost as on 01.04.2015 - ₹260.07 Lacs)

4. ₹ 99/- being the value of 430.10 acres leasehold land allotted in Chengalpettu, Chennai, on lease for a period of 99 years, from Central Leprosy Training & Research Institute (CLTRI) in Chengalpettu, Tamil Nadu. (Deemed Cost as on 01.04.2015 - ₹93 /-) In line with the decision of the Cabinet Committee on Economic Affairs, 100 acres of land is earmarked out of the 430.10 acres in possession, for HLL Biotech Limited valued @₹ 10.12 crores (56 acres @ ₹ 16.5 Lacs per acre and 44 acres of hilllock @ ₹ 2.00 Lacs per acre) was transferred from HLL to HBL by way of sub leasedeed on the consideration of ₹1/- for a period of ninety four years but was not accounted for by HBL.

5. 3.38 Acres of land, out of 100cm acres in possession, is given on lease for a period of 92 years @ ₹1/- per year to Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Ltd

6. The Govt of Kerala has allotted on lease 4.783 acre of Land (Re-survey no. 34/146/1, 35/120/2,35/120/3) at Konni Taluk, Iravon Village,Pathanamthitta District, Kerala towards setting up of Green Field Blood Bag Project.The land has been handed over to the company. The land is allotted on Lease Rent @ ₹ 19400/- per year for a period of 30 years.

7. Methods of depreciation adopted are as follows.

a) Depreciation on tangible assets including Investment Property have been made in line with the requirement under schedule II of the Companies Act, 2013.

b) Depreciation has been charged on straight line method for all assets under Plant & Machinery and written down value method for other assets(except intangible asset and leasehold asset) so as to write off the cost of the assets after retaining residual value of 5% of the cost, over the useful lives of the assets prescribed in the Act.

c) Trade Mark/ Patents are amortised over a period of 5 years.

d) The cost of computer software other than ERP Software Solution is amortized equally over a period of 3 years, whereas ERP software solution is amortized over a period of 8 Years on pro-rata basis. Licence fee paid is amortized over the agreement period.

e) Depreciation has been charged on useful life basis irrespective of the shut downs in plants which are in the nature off Continuous Process.

8. Consequent to Cabinet Approval to sub- lease the 330.10 acre land at Chengalpattu, Kanchipuram district (Tamil Nadu) leased to it in 2009, for setting up Medipark, HLL Medipark Limited has been incorporated as a separate 100% subsidiary of HLL on 20th December 2016. The subsidiary company, HLL Medipark Ltd will have equity participation by HLL Lifecare Ltd not exceeding 90% and Tamil Nadu Industrial Development Corporation (TIDCO) not exceeding l0%. HLL Lifecare Ltd has invested ₹ 10.01 lakh in the new subsidiary company in March 2017 . The MediPark being set up in Chengalpattu near Chennai in Tamilnadu in an area of 330.10 acres shall comprise of state-of-art infrastructure and common facilities to support the medical technology industry.

9. Depreciation on Property plant and Equipment which are under operating lease, is provided on the basis of useful life as per companies act or as per lease agreement whichever is lower.

10. Additions to fixed assets include original cost of the following capital expenditure incurred in the approved R&D facility.

	2020-21 (₹ in Lacs)	2019-20 (₹ in Lacs)
Lab Equipments	14.44	-
office Equipments	2.05	-
Electrical Installation	0.33	-
	16.82	-

11. The Company implemented IND AS 116 on 1 April 2019, and applied the modified retrospective method and right of use asssets are disclosed in Note 2.34

टिप्पणी 4. गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ-निवेश

निगमित निकाय का नाम	धारण की सीमा (%)	शेयरों की सं./यूनिट	₹ लाखों में	शेयर/ यूनिटों की सं.	₹ लाखों में
		31.03.2021 को		31.03.2020 को	
अनुद्धृत - पूर्णरूप से प्रदत्त इक्विटी शेयर					
इक्विटी उपकरणों में निवेश					
I) समनुषंगी					
क) प्रत्येक ₹10 का इक्विटी शेयर					
एचएलएल इंफ्राटेक सर्वीसस लिमिटेड	100.00	20,00,000	-	20,00,000	-
एचएलएल मातृ व शिशु रक्षा अस्पताल	100.00	1,00,000	-	1,00,000	-
ख) प्रत्येक ₹100 का इक्विटी शेयर					
जी ए पी एल	74.00	14,07,480	-	14,07,480	-
II) संयुक्त उद्यम					
क) प्रत्येक ₹10 का इक्विटी शेयर					
लाइफ़स्प्रिंग अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड	50.00	85,79,929	156.66	85,79,929	222.19
III) अन्य					
गोवा राज्य सहकारी बैंक		250	0.25	250	0.25
केरल एनविरो अवसंरचना लिमिटेड	0.16	20,000	2.00	20,000	2.00
एन एस सी प्रमाणन में निवेश					
कुल			**158.91**		**224.44**

टिप्पणी 5. गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ - अन्य

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
अप्रतिभूत, योग्य समझे गए		
प्रतिभूति जमा	157.37	144.21
आस्थगित किराया	0.00	301.50
पूँजी अग्रिम	-	0.00
अन्य		
कर्मचारी अग्रिम	-	-
अन्य अग्रिम	9.11	9.11
कुल	166.48	454.83
उपर्युक्त में, निदेशक/अधिकारियों से देय	-	

NOTE 4. NON CURRENT FINANCIAL ASSETS - INVESTMENTS

Name of the Body Corporate	Extent of Holding (%)	No. of Shares / Units	₹lacs	No. of Shares / Units	₹ lacs
		As at 31.03.2021		As at 31.03.2020	
Unquoted -Fully paid equity Shares					
Investment in Equity Instruments					
I) Subsidiaries					
a) Equity Shares of ₹10 each					
HLL Infratech Services Ltd	100.00	20,00,000	-	20,00,000	-
HLL Mother & Child care Hospital	100.00	1,00,000	-	1,00,000	-
b) Equity Shares of ₹100 each					
GAPL	74.00	14,07,480	-	14,07,480	-
II) Joint Ventures					
a) Equity Shares of ₹10 each					
Life Spring Hospital Pvt.Ltd *	50.00	85,79,929	156.66	85,79,929	222.19
III) Others					
Goa State Cooperative bank		250	0.25	250	0.25
Kerala Enviro Infrastructures Ltd.	0.16	20,000	2.00	20,000	2.00
Investment in NSC Certificate			-		-
Total			**158.91**		**224.44**

NOTE 5. NON CURRENT FINANCIAL ASSETS - OTHERS

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
Unsecured, Considered good		
Security Deposits	157.37	144.21
Deferred Rent	0.00	301.50
Others		
i) Employee advances	-	-
ii) Other advances	9.11	9.11
Total	**166.48**	**454.83**
of the above,		
Due from Directors / Officers	-	-

टिप्पणी 6 . इंड ए एस - 12 आय कर के अधीन प्रकटीकरण

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		
क) आस्थगित कर देयताएँ	(1031.61)	(1339.13)
ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	3,078.19	2,720.61
	2046.58	**1381.47**
ग) अप्रयुक्त कर क्रेडिट (एम ए टी क्रेडिट पात्रता)	0.00	0.00
कुल	**2046.58**	**1381.47**

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
आस्थगित कर (देयता)/परिसंपत्ति		
मूल्यहास	(359.78)	(602.25)
अन्य	0.00	0.00
आर ओ यु परिसंपत्तियाँ	(671.83)	(736.88)
आस्थगित कर देयता बनाने वाली वस्तुओं का कर प्रभाव	(1031.61)	(1339.13)
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ बनाने वाली वस्तुओं का कर प्रभाव		
संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	1042.30	949.46
गैर चलती स्टॉक एवं अप्रयुक्त स्टॉक के लिए प्रावधान	16.40	6.91
कर्मचारी फायदा के लिए प्रावधान	1043.41	482.89
अप्रयुक्त कर नुकसान	0.00	440.00
अन्य	347.38	0.00
आर ओ यु देयताएं	628.70	841.35
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ बनानेवाली मदों के कर प्रभाव	3,078.19	2,720.62
निवल आस्थगित कर (देयता)/परिसंपत्ति	**2,046.58**	**1381.47**

टिप्पणी 7 . अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
सेस में गोदाम के लिए पट्टा किराया अग्रिम	14.00	15.98
आय कर अग्रिम (निवल प्रावधान)	5,425.11	4,176.18
प्राप्य आयकर वापसी	26.56	-
कुल	**5,465.67**	**4,192.16**

NOTE 6. DISCLOSURES UNDER IND AS - 12 INCOME TAXES

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
Deferred tax asset (Net)		
a) Deffered tax liabilities	(1031.61)	(1339.13)
b) Deffered tax assets	3,078.19	2,720.61
	2046.58	**1381.47**
c) Unused tax credits (MAT credit entitlement)	0.00	0.00
Total	**2046.58**	**1381.47**

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
Deferred tax (liability) / asset		
Depreciation	(359.78)	(602.25)
Others	0.00	0.00
ROU Assets	(671.83)	(736.88)
Tax effect of items constituting deferred tax liability	**(1031.61)**	**(1339.13)**
Tax effect of items constituting deferred tax assets		
Provision for doubtful debts	1042.30	949.46
Provision for Non Moving Stock & Obsolete Stock	16.40	6.91
Provision for Employee Benefits	1043.41	482.89
Unused tax losses	0.00	440.00
Others	347.38	0.00
ROU Liabilities	628.70	841.35
Tax effect of items constituting deferred tax assets	3,078.19	2,720.62
Net deferred tax (liability) / asset	**2,046.58**	**1381.47**

NOTE 7. OTHER NON - CURRENT ASSETS

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
Lease rent advance for Warehouse in CSEZ	14.00	15.98
Advance Income Tax (Net of Provisions)	5,425.11	4,176.18
Income Tax Refund Receivable	26.56	
Total	**5,465.67**	**4,192.16**

टिप्पणी 8. वस्तुसूची

(निम्नतम लागत पर और निवल वसूली साध्य मूल्य)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
क. कच्चे माल (लागत पर मूल्यांकित)	2,694.44	1,901.28
ख. पैंकिंग सामग्रियाँ (लागत पर मूल्यांकित)	1,134.00	1,002.50
ग. चालू कार्य प्रगति (वास्तविक प्रक्रिया लागत पर मूल्यांकित)	1,850.57	1,813.32
घ. तैयार माल (निम्नतम लागत पर या **एन आर वी** पर मूल्यांकित)		
विनिर्मित उत्पादें	2,619.87	3,400.01
सामाजिक विपणन उत्पादें	135.84	75.36
आउटसोर्स उत्पादें	23,158.73	9,667.21
मार्गस्थ माल	2.36	26.72
	25,916.79	**13,169.30**
ङ. सामान्य भंडार एवं उपभोज्य (लागत पर मूल्यांकित)	1,294.27	820.90
च. अन्य सामग्रियाँ, मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जे, इमारती सामान आदि (लागत पर मूल्यांकित)	1,041.31	918.11
छ. प्रबंधन द्वारा पुनर्मूल्यांकित और प्रमाणित औजार	6.37	5.06
ज. अन्य :		
उपहार मदें (लागत पर)	12.26	11.45
लेखन सामग्री (लागत पर)	79.07	69.37
	91.33	**80.82**
	34,029.08	**19,711.28**
न्यून : अप्रयुक्त स्टॉक के लिए प्रावधान	179.17	27.46
कुल	**33,849.91**	**19,683.82**

NOTE 8. INVENTORIES

(At lower of cost and net realisable value)

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
a. Raw Materials (Valued at cost)	2,694.44	1,901.28
b. Packing Materials (Valued at cost)	1,134.00	1,002.50
c. Work-in-progress (Valued at Actual Process Cost)	1,850.57	1,813.32
d. Finished goods (Valued at Lower of cost or NRV)		
Manufactured Products	2,619.87	3,400.01
Social Marketing Products	135.84	75.36
Outsourced Products	23,158.73	9,667.21
Goods-in transit	2.36	26.72
	25,916.79	**13,169.30**
e. General Stores and Consumables (Valued at cost)	1,294.27	820.90
f. Other materials, machinery, spare parts, building materials etc. (Valued at cost)	1,041.31	918.11
g. Tools revalued & certified by management	6.37	5.06
h. Others :		
Gift items (at cost)	12.26	11.45
Stationery (at cost)	79.07	69.37
	91.33	**80.82**
	34,029.08	**19,711.28**
Less : Provision for Obselete Stock	179.17	27.46
Total	**33,849.91**	**19,683.82**

टिप्पणी 9. चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ - व्यापार प्राप्तियाँ

विवरण	31.03.2021 तक ₹ लाखों में	31.03.2020 तक ₹ लाखों में
भुगतान के लिए नियत तारीख से छह महीने की कम अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्तियाँ		
प्रतिभूत, शोध्य समझे गए	896.64	289.25
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए	1,54,462.84	66,121.97
	1,55,359.48	**66,411.22**
भुगतान के लिए नियत तारीख से छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्तियाँ		
प्रतिभूत, शोध्य समझे गए*	120.00	754.54
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए	49,958.27	35.758.72
संदिग्ध समझे गए	2,074.92	2,233.88
	52,153.19	**38,747.14**
न्यून : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	2,552.40	2,711.36
	49,600.79	**36,035.78**
कुल	**2,04,960.27**	**1,02,447.00**

* साख पत्र, बैंक गारंटी और ग्राहकों की जमा की ओर प्रतिभूत

प्रतिभूति विवरण का ब्रेक अप

विवरण	31.03.2021 तक ठ लाखों में	31.03.2020 तक ठ लाखों में
व्यापार प्राप्य शोध्य समझे गए - प्रतिभूत	1,016.64	1,043.79
व्यापार प्राप्य शोध्य समझे गए - अप्रतिभूत	2,06,496.03	1,04,114.57
व्यापार प्राप्य जिसको ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि है		
व्यापार प्राप्य- ऋण हानि		
कुल	**2,07,512.67**	**1,05,158.36**
न्यून : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	2,552.40	2,711.36
कुल व्यापार प्राप्य	**2,04,960.27**	**1,02,447.00**

NOTE 9. CURRENT FINANCIAL ASSETS - TRADE RECEIVABLES

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
Trade receivables outstanding for a period less than six months from the date they were due for payment		
Secured, considered good	896.64	289.25
Unsecured, considered good	1,54,462.84	66,121.97
	1,55,359.48	**66,411.22**
Trade receivables outstanding for a period exceeding six months from the date they were due for payment		
Secured, considered good*	120.00	754.54
Unsecured, considered good	49,958.27	35,758.72
Considered Doubtful	2,074.92	2,233.88
	52,153.19	**38,747.14**
Less: Allowance for doubtful debts	2,552.40	2,711.36
	49,600.79	**36,035.78**
Total	**2,04,960.27**	**1,02,447.00**

* Secured against Letter of Credit, Bank Guarantee & Customer Deposit

Break Up of Security Details

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
Trade receivables considered good - Secured	1,016.64	1,043.79
Trade receivables considered good - Unsecured	2,06,496.03	1,04,114.57
Trade receivables which have significant increase in credit risk		
Trade receivables - Credit impaired		
Total	**2,07,512.67**	**1,05,158.36**
Less: Allowance for doubtful debts	2,552.40	2,711.36
Total Trade receivables	**2,04,960.27**	**1,02,447.00**

टिप्पणी 10. रोकड़ और रोकड़ तुल्यांक

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(क) बैंक शेष		
(i) चालू खाते में	2,855.40	1,685.53
(ii) कैश क्रेडिट खाते में	-	160.02
(iii) जमा खाते में		
(क) 3 महीने से कम परिपक्वता वाले सावधि जमा खाते में	83,803.22	3,075.04
(ख) उधार और गारंटी के लिए मार्जिन मणी के रूप में रखे सावधि जमा	541.34	1,026.57
(iv) ई ई विदेशी मुद्रा खाते में	21.58	2.58
(v) हस्तगत कैश/स्टाम्प	201.16	208.81
(vi) सी एस आर के लिए निर्धारित धनराशि	2.62	
(vii) परियोजनाओं के लिए निर्धारित धनराशी	2,054.27	
कुल	**89,479.59**	**6,158.55**
(ख) **उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त बैंक शेष**		
जमा खाते में	119.82	197.80
कुल	**119.82**	**197.80**

NOTE 10. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
(a) Balances with banks		
(i) In Current Accounts	2,855.40	1,685.53
(ii) In Cash credit Accounts	-	160.02
(iii) In Deposit Accounts		
(a) In Term Deposit accounts with less than 3 months maturity	83,803.22	3,075.04
(b) In Term deposits held for margin money for borrowings and guarantee	541.34	1,026.57
(iv) In EE Foreign Currency accounts	21.58	2.58
(v) Cash/stamps on hand	201.16	208.81
(vi) Funds earmarked for CSR	2.62	
(vii) Funds earmarked for Projects	2,054.27	
Total	**89,479.59**	**6,158.55**
(b) Bank balances other than (a) above		
In deposit accounts	119.82	197.80
Total	**119.82**	**197.80**

टिप्पणी 11. ऋण

विवरण		31.03.2021 तक ₹ लाखों में	31.03.2020 तक ₹ लाखों में
(क)	प्रतिभूति जमा एवं ई एम डी		
	प्रतिभूत, शोध्य समझे गए	462.89	443.63
	आस्थगित किराया	-	20.54
	उप योग	**462.89**	**464.17**
(ख)	कर्मचारियों को ऋण एवं पेशगियाँ		
	प्रतिभूत, शोध्य समझे गए	0.01	17.93
	अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए	713.56	757.84
	संदिग्ध समझे गए	1.17	1.17
		714.74	**776.94**
	न्यून : संदिग्ध ऋण और अग्रिम केलिए भत्ता	1.17	1.17
	उप योग	**713.57**	**775.77**
(ग)	संबंधित पार्टियों से ऋण		
	अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए	2,108.67	1,691.51
	उप योग	2,108.67	1,691.51
	कुल	**3,285.13**	**2,931.45**

प्रतिभूति विवरण का ब्रेक अप

विवरण	31.03.2021 तक ₹ लाखों में	31.03.2020 तक ₹ लाखों में
शोध्य समझे गए ऋण व पेशगियाँ- प्रतिभूत	0.01	17.93
शोध्य समझे गए ऋण व पेशगियाँ - अप्रतिभूत	2,823.40	759.01
ऋण व पेशगियाँ जिनके ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ।	-	-
ऋण व पेशगियाँ -क्रेडिट हानि	-	-
कुल	**2,823.41**	**776.94**
न्यून : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	1.17	1.17
ऋण और पेशगियाँ	**2,822.24**	**775.77**

विवरण	31.03.2021 तक ₹ लाखों में	31.03.2020 तक ₹ लाखों में
निदेशक	0.24	0.24
कंपनी के अन्य अधिकारीगण	45.66	45.66
कुल	**45.90**	**45.90**

NOTE 11. LOANS

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
(a) Security deposits & EMD		
Secured, considered good	462.89	443.63
Deferred Rent	-	20.54
Sub Total	**462.89**	**464.17**
(b) Loans and advances to employees		
Secured, considered good	0.01	17.93
Unsecured, considered good	713.56	757.84
Considered Doubtful	1.17	1.17
	714.74	**776.94**
Less: Allowance for doubtful loans and advances	1.17	1.17
Sub Total	**713.57**	**775.77**
(c) Loans to Related parties		
Unsecured, considered good	2,108.67	1,691.51
Sub Total	2,108.67	1,691.51
Total	**3,285.13**	**2,931.45**

Breakup of security details

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
Loans & Advances considered good-Secured	0.01	17.93
Loans & Advances considered good-Unsecured	2,823.40	759.01
Loans & Advances which have significant increase in credit risk	-	–
Loans & Advances-Credit Impaired	-	–
Total	**2,823.41**	**776.94**
Less: Allowance for doubtful debts	1.17	1.17
Loans And Advances	**2,822.24**	**775.77**

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
Directors	0.24	0.24
Other officers of the Company	45.66	45.66
Total	**45.90**	**45.90**

टिप्पणी 12 . चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ - अन्य

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
	₹ लाखों में	**₹ लाखों में**
(क) एफ डी आर पर उपार्जित ब्याज	204.29	9.13
(ख) अन्य (लेनदारों को अग्रिम, विविध अभिकरणों के लिए जमा)		
प्रतिभूत, शोध्य समझे गए	201.17	144.92
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए	22,627.29	17,328.08
संदिग्ध समझे गए	1,538.62	1,538.62
(ग) भारत सरकार से प्राप्य	641.53	641.53
	25,212.90	**19,662.28**
न्यून : संदिग्ध कर्ज केलिए भत्ता	1,538.62	1,538.62
उप योग	**23,674.28**	**18,123.66**
कुल	**23,674.28**	**18,123.66**

NOTE 12. CURRENT FINANCIAL ASSETS - OTHERS

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
(a) Interest accrued on FDR	204.29	9.13
(b) Others (Advance to Creditors, Deposit to various agencies etc)		
Secured, considered good	201.17	144.92
Unsecured, considered good	22,627.29	17,328.08
Considered Doubtful	1,538.62	1,538.62
(c) Receivable from Govt of India	641.53	641.53
	25,212.90	**19,662.28**
Less: Allowance for doubtful debts	1,538.62	1,538.62
Sub Total	23,674.28	18,123.66
Total	**23,674.28**	**18,123.66**

टिप्पणी 13 . अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

विवरण		31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
		₹ लाखों में	₹ लाखों में
अप्रतिभूत, शोध्य समझा जाता है अन्यथा निर्धारित न किया गया हो ।			
(क)	निर्यात प्रोत्साहन/वापसी शुल्क	395.99	382.67
(ख)	डी ई पी बी लाइसेंस, एफ एम आई और एम ई आई एस का स्टॉक	54.64	74.12
(ग)	सरकारी प्राधिकारियों से शेष		
	अप्रतिभूत/शोध्य समझे गए		
	(i) बिक्री कर अग्रिम	20.44	20.44
	(ii) टी डी एस प्राप्य	-	5.50
	(iii) जी एस टी ऋण प्राप्य	1,012.99	753.18
	(iv) अन्य	351.13	210.84
(घ)	पूर्व प्रदत्त व्यय - अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए	211.61	251.15
(ङ)	परियोजनाओं से प्राप्य	500.49	194.99
(च)	अन्य	0.17	0.15
कुल		**2,547.46**	**1,893.05**

NOTE 13. OTHER CURRENT ASSETS

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
Unsecured, considered good unless otherwise stated		
(a) Export Incentives/Duty Draw back	395.99	382.67
(b) Stock of DEPB Licence FMI & MEIS	54.64	74.12
(c) Balances with government authorities		
Unsecured, considered good		
(i) Sales Tax Advances	20.44	20.44
(ii) TDS Receivable	-	5.50
(iii) GST Credit Receivable	1,012.99	753.18
(iv) Others	351.13	210.84
(d) Prepaid expenses - Unsecured, considered good	211.61	251.15
(e) Receivable from Projects	500.49	194.99
(f) Others	0.17	0.15
Total	**2,547.46**	**1,893.05**

टिप्पणी 14 . शेयर पूँजी

विवरण		31.03.2021 तक
		₹ लाखों में
(क)	प्राधिकृत शेयर पूँजी	
	प्रत्येक ₹10/- के इक्विटी शेयर - 30,00,00,000 संख्याएं	**30,000.00**
(ख)	जारी की गई शेयर पूँजी	
	प्रत्येक ₹10/- के इक्विटी शेयर - 15,53,5000 संख्याएं	**1,553.50**
(ग)	अभिदत्त और पूर्ण रूप से प्रदत्त शेयर पूँजी	
	प्रत्येक ₹10/- के इक्विटी शेयर - 15,53,5000 संख्याएं	**1,553.50**
कुल		**1,553.50**

शेयर पूँजी के मेल मिलाप

विवरण	31.03.2021 तक	
	शेयरों की सं.	₹ लाखों में
इक्विटी शेयर पूँजी		
प्राधिकृत		
अधशेष (प्रत्येक रु.10/- के अंकित मूल्य)	30,00,000	30, 000.00
संवर्धन	-	-
अंतिम शेष (प्रत्येक रु.10/- के अंकित मूल्य)	30,00,00,000	30,000.00
जारी किए गए		
अधशेष (प्रत्येक रु.10/- के अंकित मूल्य)	1,55,35,000	1,553.50
संवर्धन/विलोपन	-	-
अंतिम शेष (प्रत्येक रु.10/- के अंकित मूल्य)	1,55,35,000	1,553.50
अभिदत्त और प्रदत्त		
अधशेष (प्रत्येक रु.10/- के अंकित मूल्य)	1,55,35,000	1,553.50
संवर्धन/विलोपन		
अंतिम शेष (प्रत्येक रु.10/- के अंकित मूल्य)	1,55,35,000	1,553.50

5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के शेयरों के विवरण

शेयरधारक का नाम	31.03.2021 तक	
	रखे हुए शेयरों की सं.	धारण की प्रतिशतता
भारत सरकार	1,553.50	100%

टिप्पणी :

1. एचएलएल बायोटेक लिमिटेड के 1 अप्रैल, 2019 से डीमर्जर के परिणामस्वरूप, 27,48,80,000 नंबर शेयरों में निवेश @ 10 रुपए प्रति शेयर की दर से आई वी सी परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा निवेश किए गए रु.27,488 लाख शेयर पूँजी से और तदनुसार निवेश से घटाए गए हैं ।
2. शेयर पूँजी में परिवर्तन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी है और तदनुसार 31 मार्च, 2020 को शेयर पूँजी से कमी के रूप में दिखाया गया है ।

NOTE 14. SHARE CAPITAL

Particulars	As at 31.03.2021
	₹ lacs
(a) Authorised Share Capital	
Equity shares of ₹10/-each - 30,00,00,000 Nos.	30,000.00
(b) Issued Share Capital	
Equity shares of ₹10/- each - 15,53,5000 Nos.	1,553.50
(c) Subscribed and fully paid up Share Capital	
Equity shares of ₹10/-each - 15,53,5000 Nos.	1,553.50
Total	**1,553.50**

Reconciliation of Share Capital

Description	AS AT 31.03.2021	
	No of Shares	₹ lacs
Equity Share Capital		
Authorized		
Opening Balance (Face value of ₹10/- each)	30,00,000	30,000.00
Additions	-	-
Closing Balance (Face value of ₹10/- each)	30,00,00,000	30,000.00
Issued		
Opening Balance (Face value of ₹10/- each)	1,55,35,000	1,553.50
Additions/Deletion	-	-
Closing Balance (Face value of ₹10/- each)	1,55,35,000	1,553.50
Subscribed & Paid up		
Opening Balance (Face value of ₹10/- each)	1,55,35,000	1,553.50
Additions/Deletion	-	-
Closing Balance (Face value of ₹10/- each)	1,55,35,000	1,553.50

Details of shares held by each shareholder holding more than 5% shares:

Name of shareholder	AS AT 31.03.2021	
	Number of shares held	% of Holding
Govt. of India	1,553.50	100%

Notes:

1. Consequent to demerger of HLL Biotech Ltd w.e.f 1st April 2019 ,investment in 27,48,80,000 number of shares @ ₹10 per share amounting to ₹ 27,488 lakhs invested by Govt of India for IVC project is reduced from share capital and correspondingly from investments.

2. The change in Share Capital is w.e.f 1st April 2019 and accordingly shown as reduction from the share capital as on 31st March 2020.

टिप्पणी 15. अन्य इक्विटी

विवरण		31.03.2021 तक ₹ लाखों में	31.03.2020 तक ₹ लाखों में
(क)	**कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) आरक्षित**		
	अथ शेष	53.70	27.53
	जोड : वर्ष के दौरान परिवर्धन/अंतरण	55.35	30.43
	न्यून : वर्ष के दौरान सामान्य आरक्षण में अंतरित	20.18	4.26
	निधि में जमा होने वाले सी एस आर	88.87	-
	अंतिम शेष	(0.00)	53.70
(क)	**लाभांश समीकरण आरक्षण**	129.74	129.74
(ख)	**सामान्य आरक्षण**		
	अथ शेष	25,641.05	25,641.05
	अंतिम शेष	25,641.05	25,641.05
(ग)	**लाभ व हानि के विवरण में अधिशेष/(घाटा)**		
	अथ शेष	4,375.38	(7,129.54)
	जोड : वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	9,394.07	11,138.33
	लेखांकन नीति या पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	(0.32)
	संयुक्त उद्यम के शेयर	(65.53)	37.41
	अन्य समायोजन	300.50	-
	आरक्षण से अंतरित	109.05	4.62
	प्रतिधारित कमाई(इंड ए एस 116 पट्टा)	-	(140.03)
	पूँजीगत व्यय के लिए प्रावधान के उत्क्रमण	-	6.64
	ओ सी आई मदों का पुनर्वर्गीकरण	-	337.80
	पी & एल से ओ सी आई में निवल ओ सी आई मदों का पुनर्वर्गीकरण	977.20	628.53
	लाभांश	1,490.00	467.63
	वर्तमान मूल्य गणना के अनुसार बिजली बकाया पर ब्याज	6.54	-
	अंतरित :		
	सीएसआर के लिए आरक्षित	55.35	30.43
	एचएमसीसीएच में निवेश की खराब हानि	-	10.00
	अंतिम शेष	13,538.80	4,375.38
(ङ)	**अन्य व्यापक आय**		
	अथ शेष		
	जोड़ : प्रतिधारित कमाई से पुनर्वर्गीकृत शेष राशि	(628.53)	(628.53)
	अन्य व्यापक आय	(977.20)	-
	कुल	**37,703.86**	**29,571.34**

टिप्पणी. अन्य इक्विटी

विवरण	31.03.2021 तक ₹ लाखों में	31.03.2020 तक ₹ लाखों में
लाभांश समीकरण आरक्षित	129.74	129.74
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित	(0.00)	53.70
अन्य व्यापक आय	(1,605.73)	(628.53)
सामान्य आरक्षित	25,641.05	25,641.05
प्रतिधारित अर्जन	13,538.80	4,375.38
कुल	**37,703.86**	**29,571.34**

NOTE 15. OTHER EQUITY

Particulars	As at 31.03.2021 ₹ lacs	As at 31.03.2020 ₹ lacs
(a) Corporate Social Responsibility (CSR) Reserve		
Opening balance	53.70	27.53
Add: Additions / transfers during the year	55.35	30.43
Less: Transferred during the year to General Reserve	20.18	4.26
CSR to be Deposited in Fund	88.87	
Closing balance	(0.00)	53.70
(b) Dividend Equalisation Reserve	129.74	129.74
(c) General reserve		
Opening balance	25,641.05	25,641.05
Closing balance	25,641.05	25,641.05
(d) Surplus / (Deficit) in Statement of Profit and Loss		
Opening balance	4,375.38	(7,129.54)
Add: Profit / (Loss) for the year	9,394.07	11,138.33
Changes in Accounting Policy or Prior Period Errors	-	(0.32)
Share of Joint Venture	(65.53)	37.41
Other Adjustment	300.50	
Transferred from reserves	109.05	4.62
Retained earnings (Ind As 116 Leases)	-	(140.03)
Reversal of Provision for Capital expenses	-	6.64
Reclasification of OCI Items	-	337.80
Reclassication of Net OCI items from P & L to OCI	977.20	628.53
Dividend	1,490.00	467.63
Interest on Electricity arrears as per present value calculation	6.54	
Transferred to:		
Reserves for CSR	55.35	30.43
Impairement loss of Investement in HMCCH	-	10.00
Closing balance	13,538.80	4,375.38
(e) Other Comprehensive Income		
Opening Balance		
Add: Balance reclassified from Retained earnings	(628.53)	(628.53)
Other Comprehensive Income	(977.20)	
Total	**37,703.86**	**29,571.34**

Note. Other Equity

Particulars	As at 31.03.2021 ₹ lacs	As at 31.03.2020 ₹ lacs
Dividend Equailisation Reserve	129.74	129.74
Corporate social responsibility reserve	0.00	53.70
Other Comprehensive Income	(1,605.73)	(628.53)
General Reserve	25,641.05	25,641.05
Retained Earnings	13,538.80	4,375.38
Total	**37,703.86**	**29,571.34**

टिप्पणी 16. गैर-चालू वित्तीय देयताएँ - उधार

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(क) प्रतिभूत उधार		
आवधिक ऋण :		
रुपया आवधिक ऋण - प्रतिभूत	2,443.19	4,540.34
(ख) अप्रतिभूत उधार		
विदेशी मुद्रा क्रेताओं की क्रेडिट	-	-
एचएलएलएफपीपीटी से ऋण	-	109.70
कुल	**2,443.19**	**4.650.04**

(i) प्रतिभूत दीर्घकालिक उधार के संबंध में दी गई प्रतिभूति के विवरण

विवरण	प्रतिभूति के विवरण ।	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
बैंकों से आवधिक ऋण			
रुपया आवधिक ऋण			
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (पूर्व एस बी टी)	1) अन्य मियादी उधारदाताओं के साथ कंपनी के प्रचलित एवं भविष्य दोनों अचल परिसंपत्तियों (चल और अचल) जैसी परियोजना परिसंपत्तियों पर पारी पासु चार्ज की ओर प्रतिभूत। 2) अन्य मियादी उधारदाताओं के साथ परियोजना नकदी प्रवाह और प्राप्य का दृष्टिबंधक। 3) भूमि (100 एकड़) पर पट्टा अधिकार का ई एम, जहाँ चेंगलपेट्ट में फैक्टरी स्थित हैं । 4) धारक कंपनी, एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड से कम्फर्ट पत्र (एच बी एल)।	3543.49	5178.74
एच डी एफ सी बैंक से	पेरूरकड़ा फैक्टरी-बालरामपुरम सुविधा, आक्कुलम के निगमित आर & डी केंद्र,कनगला (एचएलएल) के सैनिटरी नैपकिन विनिर्माण यूनिट के ऋण से खरीदी चल संपत्ति पर प्रथम चार्ज	695.87	1,166.67
	आक्कुलम, तिरुवनंतपुरम (एचएलएल) में भूमि और मकान पर साम्यक बंधक		
एच डी एफ सी बैंक से	1) अन्य उधारदाताओं के साथ कंपनी के सभी चल और अचल परिसंपत्तियों पर प्रथम पारी पासु चार्ज की ओर प्रतिभूत । 2) धारक कंपनी, एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड से कम्फर्ट पत्र। 3) इस परियोजना के लिए निधिक करने वाले अन्य उधार देने वाले बैंकों के बराबर कोई अन्य प्रतिभूति (एच बी एल)।	0.00	0.00
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से	पारि पासू आधार पर कंपनी की समग्र चालू परिसंपत्तियों पर चार्ज का विस्तार।	0.00	-
	नोएडा बिल्डिंग फेस II & भूमि और ऐरापुरम की मकान पर साम्यक बंधक		

NOTE 16. NON-CURRENT FINANCIAL LIABILITIES - BORROWINGS

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
(a) Secured Borrowings		
Term loans:		
Rupee Term Loan - Secured	2,443.19	4,540.34
(b) Unsecured Borrowings		
Foreign currency Buyers Credit	-	-
Loans from HLFPPT	-	109.70
Total	**2,443.19**	**4,650.04**

(i) Details of Security provided in respect of the secured long-term borrowings:

Particulars	Details of security*	AS AT 31.03.2021	AS AT 31.03.2020
Term loans from banks:			
Rupee Term Loan			
From State Bank of India (Earlier SBT)	1) Secured against Pari passu charge on the project assets such as fixed assets (movable and immovable) of the company, both present and future along with other term lenders. 2) Hypothecation of project cash flows and receivables along either other term lenders. 3) EM of lease hold right on land (100 acres) where the factory is located at chengalpettu. 4) Letter of comfort from the holding company HLL Lifecare Limited. (HBL)	3543.49	5178.74
From HDFC Bank	First charge over movable assets purchased out of the loan at Peroorkada Factory - Balaramapuram facility, Corporate R&D Centre at Akkulam, Sanitary Napkin Manfacturing Unit at Kanagala (HLL)	695.87	1,166.67
	Equitable mortagage over land and buildings at Akkulam, Trivandrum (HLL)		
From HDFC Bank	1) Secured against first pari passu charge on all movable and immovable fixed assets of the company along with other lenders. 2) Comfort letter from Holding Company HLL Lifecare Limited. 3) Any other Securitie to be on par with other lending banks funding this project. (HBL)	0.00	0.00
- State Bank of India	Extension of charge over entire current assets of the company on pari passu basis	0.00	-
	Equitable Mortgage over the Noida Building Phase II & land and building at Irapuram		

विवरण	प्रतिभूति के विवरण ।	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	एच बी एल	0.00	-
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से	(घ) पट्टे की भूमि अधिकार, भूमि पर मकान और अन्य ढाँचा के साम्यिक बंधक द्वारा प्रतिभूत । संयंत्र और मशीनरी, प्रयोगशाला उपकरण, इलैक्टिकल संस्थापन, फर्नीचर और जुड़नार, वाहन और अन्य चल संपत्ति (गोवा एंटीबायोटिक्स & फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड) का साम्यिक बंधक द्वारा प्रतिभूत	159.17	140.33
बैंकों से कुल आवधिक ऋण		**4398.53**	**6485.74**
न्यून: अगले 12 महीनों में देय को चालू देयताओं के रूप में माना जाता है।		1955.29	1945.40
12 महीनों के बाद देय		**2443.25**	**4540.34**
अन्य ऋण और अग्रिम			
क्रेताओं की साख-उधार	परियोजना जमों द्वारा प्रतिभूत	0.00	0.00
न्यून:अल्पकालिक उधार		0.00	-
अप्रतिभूत ऋण	एचएलएफपीपीटी से ऋण	0.00	109.70
		0.00	**109.70**

टिप्पणी: विदेशी मुद्रा क्रेताओं की साख उधार पूँजीगत मदों के प्रापण केलिए हैं उपलब्धता के अनुसार तीन वर्षों तक आवर्ती के लिए पात्रता हैं अन्यथा उसको मंजूर किए गए आवधिक ऋण में परिवर्तित किया जाएगा।

(₹ lacs)

Particulars	Details of security*	AS AT 31.03.2021	AS AT 31.03.2020
- State Bank of India	HBL	0.00	-
From State Bank of India	(d) Secured by an equitable mortgage of leasehold rights of the land, building and other structures on the land. Hypothecation of plant & machinery, laboratory equipments, electrical installations, furniture & fixtures, vehicles and other movable assets. (Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited)	159.17	140.33
Total - Term loans from banks		**4398.53**	**6485.74**
Less: Payable within next 12 months treated as Current Liabilities		1955.29	1945.40
Payable after 12 months		**2443.25**	**4540.34**
Other loans and advances:			
Buyers Credit	Secured by Project Deposits	0.00	0.00
Less: Short Term Borrowings		0.00	-
Unsecured loans	Loan from HLFPPT	0.00	109.70
		0.00	**109.70**

Note: Foreign Currency Buyers Credit are for Capital item procurement, eligible for roll over upto three years subject to availability, or else shall be converted into sanctioned Term Loan.

टिप्पणी 17. गैर-चालू प्रावधान

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
	ठ लाखों में	ठ लाखों में
कर्मचारी फायदा के लिए प्रावधान :		
i) निष्पादन संबंधी वेतन के लिए प्रावधान	757.18	654.70
कुल	**757.18**	**654.70**

टिप्पणी 18. अन्य गैर-चालू देयताएँ

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
वापसी योग्य प्रतिभूति जमा	709.00	646.62
देय वेतन बकाया	279.53	
कुल	988.54	646.62

NOTE 17. NON-CURRENT PROVISIONS

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
Provision for employee benefits		
(i) Provision for performance related pay	757.18	654.70
Total	757.18	654.70

NOTE 18. OTHER NON-CURRENT LIABILITIES

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
Refundable security deposits	709.00	646.62
Salary Arrears Payable	279.53	
Total	988.54	646.62

टिप्पणी 19. चालू वित्तीय देयताएँ - उधार

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(क) मांग पर प्रतिदेय उधार (नकदी ऋण) - प्रतिभूत		
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से	14,406.38	11,955.04
कैनरा बैंक से	17.70	4,936.35
एच डी एफ सी बैंक से	3,446.56	2,142.59
कुल	**17,870.64**	**19,033.98**
(ख) बैंकों से अल्पकालीन उधार -प्रतिभूत- ओवरड्राफ्ट		
कैनरा बैंक से	5,313.08	7,457.82
एच डी एफ सी बैंक से	0.00	0.00
एस बी आई से	6,472.49	6,295.06
कुल	**11,785.57**	**13,752.88**
(ग) अन्य ऋण व अग्रिम - प्रतिभूत		
विदेशी मुद्रा क्रेता साख - उधार	0.00	0.00
कुल	**29,656.20**	**32,786.86**
(ङ) एस बी टी से अल्पकालिक विदेशी मुद्रा ऋण (अप्रतिभूत)	**-**	**-**
कुल	**29,656.20**	**32,786.86**

टिप्पणियाँ :

(i) प्राप्त अल्पकालिक उधार के लिए प्रतिभूति के विवरण :

विवरण	प्रतिभूति की प्रकृति	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
		₹ लाखों में	₹ लाखों में
बैंकों से मांग पर प्रतिदेय ऋण			
एस बी आई	कंपनी की चालू परिसंपत्तियों पर पारिपासु चार्ज। भारतीय स्टेट बैंक की ओर पूजप्पुरा, तिरुवनंतपुरम के मकान सहित भूमि पर जमानती के रूप में साम्यिक बंधक-एचएलएल	14072.32	11,218.54
कैनरा बैंक		17.70	4,936.35
एच डी एफ सी बैंक		3,446.56	2,142.59
एस बी आई	गोवा सरकार- गोवा एंटीबायोटिक एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की पट्टे पर भूमि द्वारा प्रतिभूत	334.05	736.50
एस बी आई	जमा के प्रति प्रतिभूति - एच एम एल	334.05	736.50
बैंकों से अल्पकालिक ऋण-प्राप्त ओवरड्राफ्ट			
कैनरा बैंक से	परियोजना जमा द्वारा प्राप्त	**5,313.08**	**7,457.82**
एच डी एफ सी बैंक			
एस बी आई से		**6,472.49**	**6,295.06**
		11,785.57	**13,752.88**
कुल		**29,656.20**	**32,786.86**

NOTE 19. CURRENT FINANCIAL LIABILITIES - BORROWINGS

Particulars	As at 31.03.2021 ₹ lacs	As at 31.03.2020 ₹ lacs
(a) Loans repayable on demand (Cash Credit) - Secured		
From State Bank of India	14,406.38	11,955.04
From Canara Bank	17.70	4,936.35
From HDFC Bank	3,446.56	2,142.59
Total	**17,870.64**	**19,033.98**
(b) Short Term Loans from Banks - Secured Overdraft		
From Canara Bank	5,313.08	7,457.82
From HDFC Bank	0.00	0.00
From SBI	6,472.49	6,295.06
Total	**11,785.57**	**13,752.88**
(c) Other loans and advances - Secured		
Foreign Currency Buyers Credit	0.00	0.00
Total	**29,656.20**	**32,786.86**
(d) Short Term Foreign Currency Loan from SBT (Unsecured)	-	-
Total	**29,656.20**	**32,786.86**

Notes:

(i) Details of security for the secured short-term borrowings:

Particulars	Nature of security	As at 31.03.2021 ₹ lacs	As at 31.03.2020 ₹ lacs
Loans repayable on demand		14,072.32	11,218.54
from banks:	Parri passu charge over current assets of the company. Equitable Mortgage as collateral over the land with building at Poojappura, Trivandrum towards State Bank of India - HLL		
SBI			
Canara Bank		17.70	4,936.35
HDFC Bank		3,446.56	2,142.59
SBI	Secured by Lease land of Goa Govt- Goa Antibiotics & Pharmacauticals Ltd	334.05	736.50
SBI	Secured against Deposits - HML	-	-
Short Term Loans from Banks - Secured overdraft			
From Canara Bank	Secured by Project Deposits	**5,313.08**	**7,457.82**
From HDFC Bank		**-**	**-**
From SBI		**6,472.49**	**6,295.06**
		11,785.57	**13,752.88**
Total		**29,656.20**	**32,786.86**

टिप्पणी 20. चालू वित्तीय देयताएँ - देय व्यापार

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
देय व्यापार :		
सामग्री, सेवाएँ और व्यय केलिए		
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (20 ए)	1,150.78	2,253.95
- अन्य (20 बी)	1,83,881.94	65,874.14
कुल	**1,85,032.72**	**68,128.08**

NOTE 20. CURRENT FINANCIAL LIABILITIES - TRADE PAYABLES

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
Trade payables:		
for materials, services and expenses		
- Micro Small and Medium Enterprises (20.a)	1,150.78	2,253.95
- Others (20.b)	1,83,881.94	65,874.14
Total	**1,85,032.72**	**68,128.08**

टिप्पणी 21 चालू वित्तीय देयताएँ -अन्य

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(क) दीर्धावधि ऋण की चालू परिपक्वताएँ(नीचे टिप्पणी(i)का संदर्भ करें।)	2,014.70	2,044.31
(ख) अन्य		
ग्राहक/मुवक्किलों से अग्रिम	92,080.81	19,639.99
ई एम डी और प्रतिभूति जमा	6,312.74	5,601.05
ब्याज उपार्जित लेकिन देय नहीं	5.07	3.72
अन्य देयताएँ	23,208.72	15,991.02
अंशदायी पेंशन योजना	-	538.09
देय जी एस टी	1,076.68	
कुल	**1,24,698.72**	**43,818.18**

टिप्पणी (i) : दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएँ (दीर्घकालिक उधार के लिए प्रतिभूति के विवरण- टिप्पणी 16 में टिप्पणी(i) का संदर्भ करें) :

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
मियादी ऋण		
एच डी एफ सी बैंक से मियादी ऋण रुपए	471.30	466.67
एस बी आई से मियादी ऋण रुपए	1483.99	1,478.74
ई डी सी से मियादी ऋण रुपए	59.41	98.91
कुल	**2,014.70**	**2,044.31**

NOTE 21. CURRENT FINANCIAL LIABILITIES - OTHERS

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
(a) Current maturities of long-term debt (Refer Note (i) below)	2,014.70	2,044.31
(b) Others		
Advance from Customers/Clients	92,080.81	19,639.99
EMD & Security Deposits	6,312.74	5,601.05
Interest Accrued but not due	5.07	3.72
Other Liabilities	23,208.72	15,991.02
Contributory Pension Scheme	-	538.09
GST Payable	1,076.68	
Total	**1,24,698.72**	**43,818.18**

Note (i): Current maturities of long-term debt (Refer Notes (i) in Note 16 - Long-term borrowings for details of security)

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
Term loans		
Rupee Term Loan from HDFC Bank	471.30	466.67
Rupee Term Loan from SBI	1483.99	1,478.74
Rupee Term Loan from EDC	59.41	98.91
Total	2,014.70	2,044.31

टिप्पणी 22. चालू प्रावधान

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(क) कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान :		
(i) बॉनस और प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	348.96	329.15
(ii) उपदान के लिए प्रावधान	2,595.91	1,845.11
(iii) ग्रूप ई एल प्रीमियम के लिए प्रावधान	989.25	77.42
(iv) वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	366.11	-
(v) देय व्यय के लिए प्रावधान	69.81	590.70
(vi) सी एस आर व्यय के लिए प्रावधान	91.49	-
(vii) प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान	1,490.00	-
(viii) निष्पादन संबंधी वेतन के लिए प्रावधान	654.70	-
	6,606.23	**2,842.38**
(i) कर के लिए प्रावधान	3,883.52	2,675.40
	3,883.52	**2,675.40**
कुल	**10,489.75**	**5,517.77**

NOTE 22. CURRENT PROVISIONS

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
(a) Provision for employee benefits:		
(i) Provision for bonus and incentive	348.96	329.15
(ii) Provision for gratuity	2,595.91	1,845.11
(iii) Provision for group EL Premium	989.25	77.42
(iv) Provision for Pay Revision	366.11	-
(v) Provision for Expenses payable	69.81	590.70
(vi) Provision for CSR expenses	91.49	-
(vii) Provision for proposed Dividend	1,490.00	-
(viii) Provision for performance related pay	654.70	-
	6,606.23	**2,842.38**
(i) Provision for tax	3,883.52	2,675.40
	3,883.52	**2,675.40**
Total	**10,489.75**	**5,517.77**

टिप्पणी : 23 प्रचालनों से राजस्व

	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
		₹ लाखों में	₹ लाखों में
(क)	उत्पादों की बिक्री*	4,29,548.72	1,30,310.68
(ख)	सेवाओं की बिक्री	80,065.27	61,908.10
(ग)	ठेका से आय	6,397.41	4,096.90
(घ)	अन्य प्रचालन राजस्व	21,520.86	1,735.32
	कुल	**5,37,532.27**	**1,98,051.00**

टिप्पणी	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
		₹ लाखों में	₹ लाखों में
(i)	उत्पादों की बिक्री में शामिल हैं		
	गर्भनिरोधक उत्पादों की बिक्री	40,836.27	37,591.35
	स्वास्थ्यरक्षा उत्पादों की बिक्री	11,987.69	14,031.94
	फार्मा उत्पादों की बिक्री	61,015.02	78,687.39
	कोविड-19 के लिए आपातकालीन आपूर्ति	3,15,709.75	-
	उप कुल	**4,29,548.72**	**1,30,310.68**
	सेवाओं की बिक्री	59,405.41	61,908.10
	कोविड सेवाएं	20,910.93	4,096.90
	ठेके से आय	6,397.41	1,735.32
	अन्य प्रचालन राजस्व	21,520.86	-
	कुल योग	**5,37,783.34**	**1,98,051.00**

अन्य प्रचालन राजस्व में शामिल है :

	सामाजिक विपणन पर प्रोत्साहन	-	216.00
	सहेली और नोवेक्स की बिक्री पर प्रोन्नमन इमदाद	342.00	1,089.91
	शुल्क में छूट/शुल्क वापसी/अन्य निर्यात प्रोत्साहन	543.22	417.26
	रद्दी, अपशिष्ट कंडोम और अन्य विविध मदों की बिक्री	413.55	12.15
	निविदा फार्म की बिक्री	14.56	-
	खर्चों की प्रतिपूर्ति (कोविड -19 के लिए आपूर्ति)	20,207.53	-
	कुल	21,520.86	1,735.32

* उत्पादों को बिक्री में ₹ 4643.50 लाख की लागत वृद्धि लाभ शामिल है। (पिछले वर्ष ₹ 5680.96 लाख)

NOTE 23. REVENUE FROM OPERATIONS

S.No	Particulars	Year Ended 31.03.2021 ₹ lacs	Year Ended 31.03.2020 ₹ lacs
(a)	Sale of products *	4,29,548.72	1,30,310.68
(b)	Sale of services	80,065.27	61,908.10
(c)	Income from Contract	6,397.41	4,096.90
(d)	Other operating revenues	21,520.86	1,735.32
	Total	**5,37,532.27**	**1,98,051.00**

Note	Particulars	Year Ended 31.03.2021 ₹ lacs	Year Ended 31.03.2020 ₹ lacs
(i)	Sale of products comprises		
	Sale of Contraceptive Products	40,836.27	37,591.35
	Sale of Healthcare Products	11,987.69	14,031.94
	Sale of Pharma Products	61,015.02	78,687.39
	Emergency supplies for COVID-19	3,15,709.75	-
	Sub Total	**4,29,548.72**	**1,30,310.68**
	Sale of services	59,405.41	61,908.10
	Covid services	20,910.93	4,096.90
	Income from Contract	6,397.41	1,735.32
	Other operating revenues	21,520.86	-
	Grand Total	**5,37,783.34**	**1,98,051.00**

Other operating revenues comprise:

	Incentive on Social Marketing	-	216.00
	Promotional Subsidy on Saheli and Novex sales	342.00	1,089.91
	Duty Rebate / Duty drawback / Other export incentives	543.22	417.26
	Sale of scrap, waste condoms and other misc.items	413.55	12.15
	Sale of tender form	14.56	-
	Reimbursement of Expenses (for COVID-19 supplies)	20,207.53	-
	Total	**21,520.86**	**1,735.32**

*Sale of Products includes Cost escaslation benefit of ₹ 4616.50 lakhs (PY ₹ 5680.96 lakhs)

टिप्पणी : 24 अन्य आय

	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
		₹ लाखों में	₹ लाखों में
(क)	ब्याज आय (नीचे टिप्पणी (i) देखें)	1,763.86	2,060.94
(ख)	अन्य गैर-प्रचालन आय (नीचे टिप्पणी (ii) देखें)	2,836.10	1,676.37
	कुल	**4,599.97**	**3,737.31**

टिप्पणी	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
		₹ लाखों में	₹ लाखों में
(त)	ब्याज आय में सम्मिलित :		
	बैंकों से ब्याज :		
	क) अन्यों पर	1,710.89	1,991.16
	ख) जमों पर	52.97	69.78
	कुल-ब्याज आय	**1,763.86**	**2,060.94**
(त्त)	अन्य गैर-प्रचालन आय में शामिल हैं :		
	कर्मचारी आवासों से किराए आय	2.59	2.62
	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	3.68	-
	बीमा दावा	10.43	11.42
	पुनरांकित किए अधिक प्रावधान/क्रेडिट	1,415.25	1,151.72
	पट्टा किराया	123.85	108.30
	लाभांश आय (समनुषंगी से - हाइट्स लिमिटेड)	0.09	-
	रद्दी माल की बिक्री	7.47	(37.26)
	अन्य - सरकारी अनुदान	2.64	439.57
	विनिमय में उतार-चढ़ाव	243.25	-
	अन्य विविध आय	1,026.85	-
	कुल-अन्य गैर-प्रचालन आय	2,836.10	1,676.37

NOTE 24. OTHER INCOME

	Particulars	Year Ended 31.03.2021	Year Ended 31.03.2020
		₹ lacs	₹ lacs
(a)	Interest income (Refer Note (i) below)	1,763.86	2,060.94
(b)	Other non-operating income (Refer Note (ii) below)	2,836.10	1,676.37
	Total	**4,599.97**	**3,737.31**

Note	Particulars	Year Ended 31.03.2021	Year Ended 31.03.2020
		₹ lacs	₹ lacs
(i)	Interest income comprises:		
	Interest from banks on:		
	a) On Others	1,710.89	1,991.16
	b) On Deposits	52.97	69.78
	Total - Interest income	**1,763.86**	**2,060.94**
(ii)	Other non-operating income comprises:		
	Rental income from Staff quarters	2.59	2.62
	Profit on sale of fixed assets	3.68	-
	Insurance claims	10.43	11.42
	Excess provision / credits written back	1,415.25	1,151.72
	Lease rent	123.85	108.30
	Dividend Income (from subsidiary-HITES Ltd)	0.09	-
	Sale of scrap	7.47	(37.26)
	Others - Govt Grant	2.64	439.57
	Exchange Fluctuation	243.25	-
	Other Misc.Income	1,026.85	-
	Total - Other non-operating income	**2,836.10**	**1,676.37**

टिप्पणी : 25 खपा हुआ माल की लागत

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष ₹ लाखों में	31.03.2020 को समाप्त वर्ष ₹ लाखों में
आरंभिक स्टॉक	2,903.78	1,940.29
जोड : खरीदियाँ	24,409.71	23,289.59
	27,313.49	**25,229.88**
न्यून : अंतिम स्टॉक	3,828.44	2,903.78
प्रयुक्त सामग्री की लागत	**23,485.06**	**22,326.11**
प्रयुक्त सामग्री में शामिल है :		
कच्चे माल	12,838.33	13,179.26
केमिकल	2,486.03	2,790.24
पैकिंग सामग्रियाँ	6,887.44	5,275.89
गुणवत्ता एवं उप-ठेका व्यय की लागत	1,235.34	1,080.88
स्क्रैप की खपत	0.18	(0.18)
बेची गई सामग्री की लागत	37.73	-
कुल	**23,485.05**	**22,326.10**

टिप्पणी : 26 विक्रेय मालों का खरीद

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष ₹ लाखों में	31.03.2020 को समाप्त वर्ष ₹ लाखों में
व्यापार उत्पाद	3,81,776.23	67,790.33
सामाजिक विपणन ब्रांडेड उत्पाद	243.94	844.34
कुल	**3,82,020.17**	**68,634.67**

टिप्पणी : 27 तैयार मालों की वस्तुसूची और चालू कार्य प्रगति में परिवर्तन

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष ₹ लाखों में	31.03.2020 को समाप्त वर्ष ₹ लाखों में
वर्ष के अंत में वस्तुसूची		
तैयार माल	25,906.33	13,169.30
कार्य प्रगति	1,850.57	1,813.32
बिक्री माल	10.46	
	27,767.36	**14,982.62**
वर्ष के प्रारंभ में वस्तुसूची		
तैयार माल	13,146.88	12,525.52
कार्य प्रगति	1,813.32	1,634.96
बिक्री माल	22.42	-
	14,982.62	**14,160.48**
निवल(वृद्धि)/कमी	**(12,784.74)**	**(822.14)**
वस्तुसूची के एन आर वी की कमी	-	-
कुल	**(12,784.74)**	**(822.14)**

NOTE 25. COST OF MATERIALS CONSUMED

Particulars	Year ended 31.03.2021	Year ended 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
Opening stock	2,903.78	1,940.29
Add: Purchases	24,409.71	23,289.59
	27,313.49	**25,229.88**
Less: Closing stock	3,828.44	2,903.78
Cost of material consumed	**23,485.06**	**22,326.11**
Material consumed comprises:		
Raw Materials	12,838.33	13,179.26
Chemicals	2,486.03	2,790.24
Packing Materials	6,887.44	5,275.89
Cost of quality and Sub contract Expense	1,235.34	1,080.88
Consumption of Scrap	0.18	(0.18)
Cost of Goods sold Materials	37.73	-
Total	**23,485.05**	**22,326.10**

NOTE 26. PURCHASES OF STOCK-IN-TRADE

Particulars	Year Ended 31.03.2021	Year Ended 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
Trading Products	3,81,776.23	67,790.33
Social Marketing Branded Products	243.94	844.34
Total	**3,82,020.17**	**68,634.67**

NOTE 27. CHANGES IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS, AND WORK-IN-PROGRESS

Particulars	Year Ended 31.03.2021	Year Ended 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
Inventories at the end of the year:		
Finished goods	25,906.33	13,169.30
Work-in-progress	1,850.57	1,813.32
Stock in Trade	10.46	
	27,767.36	**14,982.62**
Inventories at the beginning of the year:		
Finished goods	13,146.88	12,525.52
Work-in-progress	1,813.32	1,634.96
Stock in Trade	22.42	-
	14,982.62	**14,160.48**
Net (increase) / decrease	**(12,784.74)**	**(822.14)**
Writedown of Inventories to NRV	-	-
TOTAL	**(12,784.74)**	**(822.14)**

टिप्पणी: 28 कर्मचारी हितलाभ व्यय

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(क) वेतन और प्रोत्साहन	18,873.32	16,025.77
वेतन संशोधन का प्रावधान/(उलटा)	349.00	-
(ख) अंशदान -		
भविष्य निधि	1,720.87	1,535.26
नई पेंशन योजना	187.68	188.52
उपदान एवं अर्जित छुट्टी	1,567.16	650.50
कर्मचारी राज्य बीमा में अंशदान	114.01	107.92
(ग) कर्मचारी कल्याण व्यय	1,331.18	1,109.49
कुल	**24,143.22**	**19,617.47**

टिप्पणी : 29 वित्त लागत

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(क) ब्याज व्यय :		
(i) नकदी उधार	1,827.10	2,626.68
(ii) आवधिक ऋण	448.33	642.18
(ख) अन्य उधार लागत	45.15	12.36
(ग) परिसंपत्तियों के उपयोग करने का अधिकार (आर ओ यु) पर ब्याज	232.60	266.67
कुल	**2,553.18**	**3,547.89**

NOTE 28. EMPLOYEE BENEFITS EXPENSE

Particulars	Year ended 31.03.2021	Year ended 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
(a) Salaries and incentives	18,873.32	16,025.77
Provision/(Reversal) of Wage Revision	349.00	-
(b) Contributions to -		
Provident fund	1,720.87	1,535.26
New pension scheme	187.68	188.52
Gratuity & Earned Leave	1,567.16	650.50
Contribution to ESI	114.01	107.92
(c) Staff welfare expenses	1,331.18	1,109.49
Total	**24,143.22**	**19,617.47**

NOTE 29. FINANCE COSTS

Particulars	Year ended 31.03.2021	Year ended 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
(a) Interest expense on:		
(i) Cash credit	1,827.10	2,626.68
(ii) Term Loan	448.33	642.18
(b) Other borrowing costs	45.15	12.36
(c) Interest on Right of Use Assets(ROU)	232.60	266.67
Total	**2,553.18**	**3,547.89**

टिप्पणी : 30 अन्य व्यय

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
विज्ञापन एवं प्रचार और बिक्री प्रोन्नमन व्यय	2,929.92	3,940.27
एच सी एस प्रत्यक्ष व्यय	15,023.73	16,577.88
बिजली और इंधन चार्ज	3,587.06	3,677.38
भाड़ा और अन्य विक्रय व्यय	16,594.55	3,162.24
यात्रा तथा परिवहन	981.78	1,258.25
अन्य उत्पादन व्यय	1,832.11	3,986.25
कोविड़ खरीद पर सीमा शुल्क	11,679.45	-
ठेके कर्मचारियों को वेतन	4,283.35	1,568.40
परामर्श तथा सेवा शुल्क	9,146.73	7,017.56
प्रशासनिक शुल्क	150.19	98.37
विविध व्यय	2,900.72	2,391.45
अशोध्य और संदिग्ध कर्ज/अग्रिम के लिए प्रावधान	2,703.08	135.63
मरम्मत तथा अनुरक्षण मशीनरी	552.89	515.97
डाक तथा तार, दूरभाष	452.85	379.85
अनुसंधान एवं विकास व्यय	24.28	9.96
निगमित आर & डी केंद्र व्यय	342.72	312.14
किराया	664.61	557.91
मुद्रण तथा लेखन सामग्री	269.55	282.52
अन्य परिसंपत्तियों के मरम्मत तथा अनुरक्षण	464.60	345.49
जल चार्ज	121.18	181.32
बीमा चार्ज	343.05	162.21
बैंक चार्ज	145.53	187.90
कर्मचारियों के भर्ती व्यय	20.35	24.68
दर एवं कर	64.14	69.09
बट्टे खाते डाले गए बेकार भंडार के लिए प्रावधान	192.15	27.46
बट्टे खाते डाले गए बेकार परिसंपत्तियाँ/भंडार के बही मूल्य	40.92	18.35
प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यय	10.81	10.33
इमारतों के मरम्मत तथा अनुरक्षण	138.25	71.07
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य कर्ज एवं पेशगियाँ	1,967.97	-
लेखापरीक्षकों को भुगतान (नीचे टिप्पणी(i) देखें)	24.30	26.13
जी एस टी लेखापरीक्षा शुल्क	5.00	5.00
लागत लेखापरीक्षा शुल्क	4.00	5.50
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	2.06	31.32
रद्दी परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	(0.42)	(0.42)
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व खर्च	135.13	10.06
रॉयल्टी प्रदत्त	1.50	1.75
दान	0.00	0.07
अन्य व्यय	56.15	7.80
प्रारंभिक व्यय	-	278.36
विदेशी मुद्रा अभिलाभ/हानि	0.88	-
बट्टे खाते डाले गए जी एस टी इंनपुट क्रेडिट	3.96	-
कुल	**77,861.07**	**47,335.48**

NOTE 30. OTHER EXPENSES

Particulars	Year ended 31.03.2021 ₹ lacs	Year ended 31.03.2020 ₹ lacs
Advertisement & Publicity and Sales Promotion Expenses	2,929.92	3,940.27
HCS Direct expenses	15,023.73	16,577.88
Power & fuel charges	3,587.06	3,677.38
Freight & Other Selling Expenses	16,594.55	3,162.24
Travelling & Conveyance	981.78	1,258.25
Other Production expenses	1,832.11	3,986.25
Customs duty on Covid procurements	11,679.45	-
Wages to Contract Labourers	4,283.35	1,568.40
Consultancy & Service Charges	9,146.73	7,017.56
Administrative charges	150.19	98.37
Miscellaneous Expenses	2,900.72	2,391.45
Provision for bad & doubtful debts/Advances	2,703.08	135.63
Repairs & Maintenance Machinery	552.89	515.97
Postage & Telegram, Telephone	452.85	379.85
Research & Development Expenses	24.28	9.96
Corporate R&D Centre Expenses	342.72	312.14
Rent	664.61	557.91
Printing & Stationery	269.55	282.52
Repairs & maintenance of other assets	464.60	345.49
Water charges	121.18	181.32
Insurance charges	343.05	162.21
Bank Charges	145.53	187.90
Staff recruitment expenses	20.35	24.68
Rates & Taxes	64.14	69.09
Provision for obsolete stores written off	192.15	27.46
Book value of obsolete assets/stores written off	40.92	18.35
Training program expenses	10.81	10.33
Repairs & maintenance of buildings	138.25	71.07
Bad debt & advances written off	1,967.97	-
Payments to auditors (Refer Note (i) below)	24.30	26.13
GST Audit Fees	5.00	5.00
Cost audit fees	4.00	5.50
Loss on sale of Fixed Assets	2.06	31.32
Loss on sale of scrapped assets	(0.42)	(0.42)
Corporate Social Responsibility expenses	135.13	10.06
Royalty paid	1.50	1.75
Donation	0.00	0.07
Other Expenses	56.15	7.80
Preliminary Expenses	-	278.36
Foreign Exchange Gains / Loss	0.88	-
GST Input Credit W/Off	3.96	-
Total	**77,861.07**	**47,335.48**

टिप्पणी :30 अन्य व्यय (जारी)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(त) लेखापरीक्षकों के भुगतान में शामिल है		
लेखापरीक्षा शुल्क	18.80	18.75
लेखापरीक्षा शुल्क कर	4.05	3.55
लेखापरीक्षा व्यय	3.79	3.83
कुल	**26.64**	**26.13**

Note 30. Other expenses (Contd.)

Particulars	Year Ended 31.03.2021	Year Ended 31.03.2020
	₹ lacs	₹ lacs
(i) Payments to the auditors comprises		
Audit fees	18.80	18.75
Tax Audit fees	4.05	3.55
Audit expenses	3.79	3.83
Total	**26.64**	**26.13**

टिप्पणी 31 : वित्तीय उपकरण (टिप्पणी : 2.48 देखें)

क. पूँजी प्रबंधन

कंपनी अपनी पूँजी का प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि ऋण और इक्विटी शेष के अनुकूलन के माध्यम से हितधारकों के लिए अधिकतम वापसी करके कंपनी की संस्थाएं लाभकारी कारोबार वाली संस्था के रूप में जारी रहेंगी । कंपनी वार्षिक प्रचालन योजनाओं और दीर्घकालीन उत्पाद और अन्य कार्यनीति निवेश योजनाओं के आधार पर अपेक्षित पूँजी की रकम निर्धारित करती है । कंपनी की निधिक अपेक्षाएं इक्विटी और अन्य दीर्घकालिक/हस्वकालिक ऋणों के ज़रिए पूरी की जाती है । कंपनी की पूँजी संरचना में कंपनी के निवल ऋण (टिप्पणी 16,18 और 20 में विस्तृत जैसे उधार) और कंपनी के कुल इक्विटी शामिल है । कंपनी के इक्विटी अनुपात का कुल ऋण और समग्र ऋण पोर्टफोलियो के परिपक्वता प्रोफाइल के आधार पर कंपनी पूँजी संरचना का मॉनिटर करती है ।

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
उधार	34,054.68	39,382.30
इक्विटी पूँजी	1,553.50	1,553.50
आरक्षण और अधिशेष	37,703.86	29,571.34
इक्विटी	39,257.36	31,124.84
ऋण/इक्विटी	0.87:1	1.26:1

ख. वित्तीय उपकरणों की श्रेणी

₹ लाखों में

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
क. परिशोधित लागत पर मापित		
i) व्यापार प्राप्य	2,04,960.27	1,02,447.00
ii) नकद और नकद तुल्यांक	89,599.41	6,356.35
iii) ऋण व अन्य	26,959.41	21,055.11
ख. लाभ व हानि के माध्यय से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से मापित		
व्युत्पन्न परिसंपत्तियाँ	-	-
वित्तीय देयताएं		
क. परिशोधित लागत पर मापित		
वित्तीय देयताएं		
i) उधार	34,054.68	39,382.30
ii) देय व्यापार	1,85,032.72	68,128.08
iii) अन्य वित्तीय देयताएं	1,22,743.43	41,872.78
ख. लाभ व हानि के माध्यय से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से मापित		
व्युत्पन्न देयताएं	0.00	0.00

ग.वित्तीय जोखिम प्रबंधन

रोजकोष कार्य व्यवसाय को सेवाएं प्रदान करता है, देशीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाज़ारों के लिए पहुँच का समन्वयन करता है, आंतरिक जोखिम रिपोर्टों के ज़रिए प्रचालन से संबंधित वित्तीय जोखिमों का अनुवीक्षण और प्रबंधन करता है, जो एक्सपोज़र का विश्लेषण जोखिम की डिग्री और परिमाण द्वारा किया जाता है । इन जोखिमों में बाज़ार जोखिम (मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य कीमत जोखिम सहित) क्रेडिट और तरलता जोखिम शामिल है ।

NOTE 31: FINANCIAL INSTRUMENTS (REFER NOTE: 2.48)

A. Capital Management

The Company manages its capital to ensure that entities in the Company will be able to continue as going concern, while maximizing the return to stakeholders through the optimization of the debt and equity balance. The Company determines the amount of capital required on the basis of annual operating plans and long-term product and other strategic investment plans. The funding requirements are met through equity and other long-term/short-term borrowings. The capital structure of the Company consists of net debt (borrowings as detailed in notes16,18 and 19) and total equity of the Company. The Company monitors the capital structure on the basis of total debt to equity ratio and maturity profile of the overall debt portfolio of the Company.

₹ in lacs

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
Borrowings	34,054.68	39,382.30
Equity Capital	1,553.50	1,553.50
Reserves & Surplus	37,703.86	29,571.34
Equity	39,257.36	31,124.84
Debt/ Equity	0.87:1	1.26:1

B. Categories of Financial Instruments

₹ in lacs

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
Financial Assets		
a. Measured at Amortised Cost		
i) Trade Receivables	2,04,960.27	1,02,447.00
ii) Cash and cash equivalents	89,599.41	6,356.35
iii) Loans &Others	26,959.41	21,055.11
b. Mandatorily Measured at Fair value through Profit or Loss		
Derivative Asset		-
Financial Liabilities		
a. Measured at Amortised Cost	-	-
Financial Liabilities		
i) Borrowings	34,054.68	39,382.30
ii) Trade payables	1,85,032.72	68,128.08
iii) Other financial liabilities	1,22,743.43	41,872.78
b. Mandatorily Measured at Fair value through Profit or Loss		
Derivative Liability	0.00	0.00

C. Financial risk management

The treasury function provides services to the business, co-ordinates access to domestic and international financial markets, monitors and manages the financial risks relating to the operations through internal risk reports which analyze exposures by degree and magnitude of risks. These risks include market risk (including currency risk, interest rate risk and other price risk), credit risk and liquidity risk.

कंपनी, इन हेज जोखिम एक्सपोज़रों से बचाने के लिए व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को उपयोग करके इन जोखिमों के प्रभावों को कम करने की कोशिश करती है। वित्तीय व्युत्पन्नों का उपयोग, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी की नीतियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो विदेशी विनिमय जोखिम वित्तीय व्युत्पन्नों का उपयोग और अधिक लिक्विडिटी का निवेश पर लिखित सिद्धांत प्रदान करता है । कंपनी अव्यवहारिक उद्देश्यों के लिए व्युत्पन्न वित्तीय साधनों सहित वित्तीय साधनों में प्रवेश या व्यापार नहीं करती है ।

घ.बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम, भविष्य के अर्जन, वसूली योग्य उचित मूल्य या भविष्य के रोकड़ प्रवाह जो एक वित्तीय साधन के मूल्य में परिवर्तन का परिणाम हो सकता है, किसी हानि के जोखिम है । कंपनी के कार्यकलाप, प्राथमिक रूप से विदेशी मुद्रा विनिमय पर और ब्याज दरों में परिवर्तनों के वित्तीय जोखिमों में इसकी खुलासा करता है। कंपनी अपने वित्त प्रभाग के माध्यम से अपने मुद्रा एवं ब्याज दर पहलुओं को सक्रिय रूप से प्रबंध करती है और ऐसे पहलुओं से जोखिमों को कम करने के लिए वायदा अनुबंध और मुद्रा स्वैप जैसे व्युत्पन्न साधनों का प्रयोग करती है । व्युत्पन्न उपकरणों का उपयोग प्रबंधन के उचित स्तरों द्वारा सीमाओं और नियमित निगरानी के अधीन है ।

ङ.विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

कंपनी विदेशी मुद्राओं में अंकित लेन-देन करती है, फलस्वरूप, विनिमय दर में अस्थिरता के जोखिम उत्पन्न होता है । कंपनी एक केंद्रीकृत राजकोष प्रभाग के माध्यम से इसकी मुद्रा दर पहलुओं को सक्रिय रूप से प्रबंध करती है और ऐसे पहलुओं से जोखिमों को कम करने के लिए वायदा अनुबंध और मुद्रा स्वैप जैसे व्युत्पन्न साधनों का प्रयोग करती है। व्युत्पन्न उपकरणों का उपयोग सीमा के अधीन है और उचित स्तर प्रबंधन द्वारा नियमित रूप से निगरानी रखती है ।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौद्रिक परिसंपत्तियों और मौद्रिक देयताओं में अंकित कंपनी के विदेशी मुद्रा की मूल राशि टिप्पणी में दी गई हैं ।

च. विदेशी विनिमय परिसंपत्तियों और देयताओं की मूल कीमत

31 मार्च, 2021 तक (सभी रकम ₹ लाखों के बराबर है)

मुद्रा	देयताएं			परिसंपत्तियाँ			मुद्रा पर निवल समग्र एक्सपोज़र- निवल परिसंपत्तियाँ/ (निवल देयताएं)
	सकल एक्सपोज़र	व्युत्पन्न का उपयोग करके बचाये एक्सपोज़र	मुद्रा पर निवल देयता एक्सपोज़र	सकल एक्सपोज़र	व्युत्पन्न का उपयोग करके बचाये एक्सपोज़र	मुद्रा पर निवल देयता एक्सपोज़र	
यु एस डी	2139.67		2139.67	1179.21		1179.21	(960.46)
ई यु आर	11.84		11.84	108.74		108.74	96.9
सी एच एफ	5.49		5.49				(5.49)
ए ई डी	0.00		0.00				(0.00)
जी बी पी	0.00		0.00				(0.00)
कुल	**2157.00**		**2157.00**	**1287.95**		**1287.95**	**(869.05)**

The Company seeks to minimize the effects of these risks by using derivative financial instruments to hedge risk exposures. The use of financial derivatives is governed by the Company's policies approved by the board of directors, which provide written principles on foreign exchange risk, the use of financial derivatives, and the investment of excess liquidity. The Company does not enter into or trade financial instruments, including derivative financial instruments, for speculative purposes.

D. Market Risk

Market risk is the risk of any loss in future earnings, in realizable fair values or in future cash flows that may result from a change in the price of a financial instrument. The Company's activities expose it primarily to the financial risks of changes in foreign currency exchange rates and interest rates. The Company actively manages its currency and interest rate exposures through its finance division and uses derivative instruments such as forward contracts and currency swaps to mitigate the risks from such exposures. The use of derivative instruments is subject to limits and regular monitoring by appropriate levels of management.

E. Foreign currency risk management

The Company undertakes transactions denominated in foreign currencies; consequently, exposures to exchange rate fluctuations arise. The Company actively manages its currency rate exposures through a centralized treasury division and uses derivative instruments such as forward contracts and currency swaps to mitigate the risks from such exposures. The use of derivative instruments is subject to limits and regular monitoring by appropriate levels of management.

The carrying amounts of the Company's foreign currency denominated monetary assets and monetary liabilities at the end of the reporting period are given in Note

F. Carrying value of Foreign Exchange Assets & Liabilities

As on March 31, 2021 (all amounts are in equivalent ₹in lacs):

Currency	Liabilities			Assets			Net overall exposure on the currency - net assets / (net liabilities)
	Gross exposure	Exposure hedged using derivatives	Net liability exposure on the currency	Gross exposure	Exposure hedged using derivatives	Net liability exposure on the currency	
USD	2139.67		2139.67	1179.21		1179.21	(960.46)
EUR	11.84		11.84	108.74		108.74	96.9
CHF	5.49		5.49				(5.49)
AED	0.00		0.00				(0.00)
GBP	0.00		0.00				(0.00)
Total	2157.00		2157.00	1287.95		1287.95	(869.05)

31 मार्च, 2020 को (सभी रकम रुपए लाखों के बराबर है)

मुद्रा	देयताएं			परिसंपत्तियाँ			मुद्रा पर निवल समग्र एक्सपोज़र- निवल परिसंपत्तियाँ/ (निवल देयताएं)
	सकल एक्सपोज़र	व्युत्पन्न का उपयोग करके बचाये एक्सपोज़र	मुद्रा पर निवल देयता एक्सपोज़र	सकल एक्सपोज़र	व्युत्पन्न का उपयोग करके बचाये एक्सपोज़र	मुद्रा पर निवल परिसंपत्ति एक्सपोज़र	
यु एस डी	324.04		324.04	137.16		137.16	(186.88)
ई यु आर	21.53		21.53	13.30		13.30	(8.23)
ए ई डी	31.73		31.73				(31.73)
सी एच एफ	4.79		4.79				(4.79)
जी बी पी	0.00		0.00				(0.00)
कुल	382.09		382.09	150.46		150.46	231.63

छ.विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

प्रमुख विदेशी मुद्राओं के प्रति कंपनी के विविध प्रचालनों के कार्यात्मक मुद्राओं में चलन इसके प्रचालनों से कंपनी के राजस्व में प्रभावित कर सकता है । कार्यात्मक मुद्रा की किसी भी कमज़ोरी कंपनी के आयात की लागत और उधार की लागत को प्रभावित करेंगे और इसके फलस्वरूप कंपनी के पूँजी व्यय के वित्तपोषण की लागत में वृद्धि हो सकती है । मुद्रा के निवल विदेशी विनिमय दर एक्सपोज़र के एकत्रीकरण के द्वारा प्रत्येक मुद्रा के लिए विदेशी विनिमय दर संवेदनशीलता का आकलन किया जाता है और प्रत्येक मुद्रा के विदेशी विनिमय दर में एक ही समानांतर विदेशी विनिमय दर 2% तक बदलाव किया जाता है, जो विदेशी विनिमय दर पर उचित रूप से संभावित परिवर्तन के प्रबंधन का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है । संवेदनशीलता विश्लेषण में केवल मौद्रिक वस्तु अंकित बकाया विदेशी मुद्रा शामिल है और विदेशी मुद्रा दर में 2% परिवर्तन के लिए अवधि की समाप्ति पर उनके अंतरण को समायोजित करता है । संवेदनशीलता विश्लेषण में ऋण शामिल है, जहाँ ऋण का मूल्य वर्ग ऋणदाता या उधारकर्ता के कार्यात्मक मुद्रा के अलावा करेंसी में है ।

प्रबंध की राय में, संवेदनशीलता विश्लेषण, निहित विदेशी मुद्रा जोखिम का अप्रतिनिधिक है, क्योंकि रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति का एक्सपोज़र वर्ष के दौरान के एक्सपोज़र पर प्रभावित नहीं करता है ।

As on March 31, 2021 (all amounts are in equivalent ₹ in lacs):

Currency	Liabilities			Assets			Net overall exposure on the currency - net assets / (net liabilities)
	Gross exposure	Exposure hedged using derivatives	Net liability exposure on the currency	Gross exposure	Exposure hedged using derivatives	Net liability exposure on the currency	
USD	324.04		324.04	137.16		137.16	**(186.88)**
EUR	21.53		21.53	13.30		13.30	**(8.23)**
AED	31.73		31.73				**(31.73)**
CHF	4.79		4.79				**(4.79)**
GBP	0.00		0.00				**(0.00)**
Total	**382.09**		**382.09**	**150.46**		**150.46**	**231.63**

G. Foreign currency sensitivity analysis

Movement in the functional currencies of the various operations of the Company against major foreign currencies may impact the Company's revenues from its operations. Any weakening of the functional currency may impact the Company's cost of imports and cost of borrowings and consequently may increase the cost of financing the Company's capital expenditures. The foreign exchange rate sensitivity is calculated for each currency by aggregation of the net foreign exchange rate exposure of a currency and a simultaneous parallel foreign exchange rates shift in the foreign exchange rates of each currency by 2%, which represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items and adjusts their translation at the period end for a 2% change in foreign currency rates. The sensitivity analysis includes external loans, where the denomination of the loan is in a currency other than the functional currency of the lender or the borrower.

In management's opinion, the sensitivity analysis is unrepresentative of the inherent foreign exchange risk because the exposure at the end of the reporting period does not reflect the exposure during the year.

निम्नलिखित तालिका विदेशी मुद्राओं में संवेदिता गतिविधि प्रस्तुत करती है ।

यु एस डी प्रभाव		
विवरण	**31.03.2021 तक**	**31.03.2020 तक**
लाभ या हानि	(19.21)	3.74
यूरो प्रभाव		
विवरण	**31.03.2021 तक**	**31.03.2020 तक**
लाभ या हानि	1.94	0.16
जी बी पी प्रभाव		
विवरण	**31.03.2021 तक**	**31.03.2020 तक**
लाभ या हानि	-	-
ए ई डी प्रभाव		
विवरण	**31.03.2021 तक**	**31.03.2020 तक**
लाभ या हानि	0.00	0.63
सी एच एफ प्रभाव		
विवरण	**31.03.2021 तक**	**31.03.2020 तक**
लाभ या हानि	0.11	0.10

ज.ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

कंपनी ब्याज दर को जोखिम एक्सपोज़ किया गया है क्योंकि यह स्थायी एवं अस्थायी ब्याज दर दोनों में से निधि उधार लेती है। यह जोखिम, स्थायी एवं अस्थायी दर ऋणों के बीच उचित मिश्रण का अनुरक्षण करते हुए और ब्याज दर स्वैप संविदा के उपयोग से कंपनी द्वारा प्रबंध किया जाता है ।उत्तम लागत प्रभावी हेजिंग कार्यनीतियों को लागू किया गया है, यह सुनिश्चित करने की ओर ब्याज दर विचार और निर्धारित जोखिम प्रवृत्ति के साथ तालमेल रखने के लिए हेजिंग गतिविधियाँ नियमित रूप से मूल्यांकित की जाती हैं ।

झ.ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

संवेदनशीलता विश्लेषण, रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर रुपए और विदेशी मुद्रा ऋण दोनों के लिए ब्याज दर के एक्सपोज़र के आधार पर नीचे निर्धारित किये गये हैं । अस्थायी दर देयताओं के लिए विश्लेषण यह मानते हुए तैयार किया जाता है कि रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति की बकाया देयता की रकम पूरे वर्ष के लिए बकाया थी । मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को ब्याज दर खतरे को आंतरिक रूप से रिपोर्टिंग करते समय 25 आधार पोयिंट वृद्धि या कमी का उपयोग किया जाता है और ब्याज दरों में संभाव्य उचित परिवर्तन प्रबंधन के निर्धारण प्रतिनिधान करता है।

निम्नलिखित तालिका ब्याज दर में 0.25% परिवर्तन के लिए लाभ में संभावित प्रभाव प्रदान करती है, अन्य घटक स्थिर रहता है ।

₹ लाखों में

उधार	**कर के पूर्व लाभ पर प्रभाव**	
	2020-21	**2019-20**
आई एन आर	40.13	61.65

The following table details the Company's sensitivity movement in the foreign currencies.

₹ in lacs

USD impact		
Particulars	**As at 31.03.2021**	**As at 31.03.2020**
Profit or Loss	(19.21)	3.74
EURO Impact		
Particulars	**As at 31.03.2021**	**As at 31.03.2020**
Profit or Loss	1.94	0.16
GBP Impact		
Particulars	**As at 31.03.2021**	**As at 31.03.2020**
Profit or Loss	-	-
AED Impact		
Particulars	**As at 31.03.2021**	**As at 31.03.2020**
Profit or Loss	0.00	0.63
CHF Impact		
Particulars	**As at 31.03.2021**	**As at 31.03.2020**
Profit or Loss	0.11	0.10

H. Interest rate risk management

The Company is exposed to interest rate risk because it borrows funds at both fixed and floating interest rates. The risk is managed by the Company by maintaining an appropriate mix between fixed and floating rate borrowings and by the use of interest rate swap contracts. Hedging activities are evaluated regularly to align with interest rate views and defined risk appetite, ensuring the most cost-effective hedging strategies are applied.

I. Interest rate sensitivity analysis

The sensitivity analysis below has been determined based on the exposure to interest rates for both rupee and foreign currency loans at the end of the reporting period. For floating rate liabilities, the analysis is prepared assuming that the amount of the liability outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole year. A 25 basis point increase or decrease is used when reporting interest rate risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in interest rates.

The following table provides the possible impact in the profits for a change of 0.25% in interest rate, other factor remaining constant.

₹ in lacs

Borrowings	Effect on Profit before Tax	
	2020-21	**2019-20**
INR	40.13	61.65

ञ. क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम उस जोखिम का उल्लेख करता है यानी एक प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्व पूरा नहीं करेगा, जो कंपनी की वित्तीय हानि का कारण बन जाता है । प्राप्य व्यापार वस्तुओं में देश भर के विविध उद्योगों एवं भौगोलिक क्षेत्रों तक व्याप्त असंख्य ग्राहक शामिल हैं । कंपनी के व्यापार और अन्य प्राप्तियों में भौगोलिक क्षेत्रों के बड़ी संख्या वाले ग्राहक शामिल हैं, अतः कंपनी एकाग्रता जोखिम को प्रकट नहीं की जाती है । कंपनी प्रत्याशित क्रेडिट हानि मॉडल के ज़रिए और प्रत्येक मामले के तौर पर संदिग्ध ऋणों के लिए एक भत्ता बनाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की रखाव रकम अधिकतम क्रेडिट प्रभावन का प्रतिनिधित्व करती है । बैंक के साथ शेष की रखाव रकम, बैंक के साथ अल्पकालीन जमा, व्यापार प्राप्य वस्तुओं, मार्जिन राशि और इक्विटी निवेश को छोड़कर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का कुल अधिकतम प्रभावन है ।

ट. उचित मूल्य मापन

प्रबंधन निर्धारित करता है कि प्राप्य देयताओं का उचित मूल्य, रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यांक, बैंक शेष, प्राप्य और देय प्रतिभूति जमा, कर्मचारियों को ऋण एवं पेशगी, अन्य गैर व्युत्पन्न चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ, देय व्यापार, अन्य चालू वित्तीय देयताएं उनके रखाव मूल्य को अनुमानित करते हैं ।

ठ. लिक्विडिटी जोखिम

लिक्विडिटी जोखिम उस जोखिम है जो कंपनी अपने वित्तीय दायित्व को पूरा नहीं कर पाने का उल्लेख करता है। लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है, पर्याप्त लिक्विडिटी का अनुरक्षण करना और सुनिश्चित करना कि अपेक्षाओं के अनुसार उपयोग के लिए निधि उपलब्ध है। कंपनी अपनी अधिक निधि बैंक स्थायी जमा और म्यूचल निधि में निवेश करती है, जो अल्पतम बाज़ार जोखिम को अंकित करता है। कंपनी वित्तीय लचीलापन को अनुरक्षण करने की दृष्टि से ऋण और पूँजी बाज़ारों में उपलब्ध निधिक विकल्पों को लगातार निगरानी भी करती है ।

ढ. लिक्विडिटी तालिका

निम्नलिखित तालिकाएं सहमत चुकौती अवधि के साथ इसके गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं के लिए कंपनी के शेष संविदात्मक परिपक्वता का विवरण देती हैं । तालिकाएँ, जल्द से जल्द तारीख, जिस पर कंपनी को भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है,के आधार पर वित्तीय देयताओं के गैर छूट नकद प्रवाहों के आधार पर की गयी हैं।

₹ लाखों में

विवरण	प्रथम वर्ष में देय	2 से 5 वर्षों में देय	5 वर्ष के बाद देय	रखाव रकम
मार्च 31, 2021				
उधार	31,611.49	2,443.19		34,054.68
देय व्यापार	1,85,032.72			1,85,032.72
अन्य वित्तीय देयताएं	1,22,743.43			1,22,743.43
मार्च 31, 2020				
उधार	34,731.91	4,650.39		39,382.30
देय व्यापार	68,128.08			68,128.08
अन्य वित्तीय देयताएं	41,872.78			41,872.78

J. Credit risk management

Credit risk refers to the risk that a counter party will default on its contractual obligations resulting in financial loss to the Company. Trade receivables consist of a large number of customers, spread across diverse industries and geographical areas. The Company's trade and other receivables consists of a large number of customers, across geographies, hence the Company is not exposed to concentration risk. The Company makes an allowance for doubtful debts using expected credit loss model and on a case to case basis.

The carrying amount of financial assets represents the maximum credit exposure. The maximum exposure is the total of the carrying amount of balances with banks, short term deposits with banks, trade receivables, margin money and other financial assets excluding equity investments.

K. Fair value Measurement

The management assesses that the fair value of Trade receivables, Cash and Cash equivalents, Bank Balances, Security deposits receivable & paid, Loans and advances to employees, other non-derivative current financial assets, Trade payables, other current financial liabilities approximate their carrying value.

L. Liquidity Risk

Liquidity risk refers to the risk that the Company cannot meet its financial obligations. The objective of liquidity risk management is to maintain sufficient liquidity and ensure that funds are available for use as per requirements. The Company invests its surplus funds in bank fixed deposit, which carry minimal mark to market risks. The Company also constantly monitors funding options available in the debt and capital markets with a view to maintaining financial flexibility.

M. Liquidity Table

The following table details the Company's remaining contractual maturity for its non-derivative financial liabilities with agreed repayment periods. The tables have been drawn up based on the undiscounted cash flows of financial liabilities based on the earliest date on which the Company can be required to pay.

₹ in lacs

Particulars	Due in 1st year	Due in 2nd to 5th year	Due after 5th year	Carrying amount
March 31,2021				
Borrowings	31,611.49	2,443.19		34,054.68
Trade payables	1,85,032.72			1,85,032.72
Other financial liabilities	1,22,743.43			1,22,743.43
March 31,2020				
Borrowings	34,731.91	4,650.39		39,382.30
Trade payables	68,128.08			68,128.08
Other financial liabilities	41,872.78			41,872.78

टिप्पणी 32 : समेकित कर्मचारी हितलाभ व्यय (2.49 का संदर्भ करें)

1.1 बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त प्रमुख पूर्वानुमान इस प्रकार थे :

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
उपदान		
बट्टा दर	6.33%	6.54%
वेतन वृद्धि की प्रत्याशित दर	7.00%	5.00%
मुआवज़ा अनुपस्थितियाँ		
बट्टा दर	6.33%	6.54%
वेतन वृद्धि की प्रत्याशित दर	7.00%	5.00%

1.2 निर्धारित लाभ योजना से संबंधित कंपनी के दायित्व से उत्पन्न तुलन पत्र में शामिल की गई राशि निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
उपदान		
निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य	9,345.04	7,713.79
योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य	6,599.81	5,788.74
बीमा लाभ	-	-
निर्धारित लाभ दायित्व से उत्पन्न निवल देयताएँ (निधिक)	**2,407.59**	**1,836.77**
मुआवज़ा अनुपस्थितियाँ		
निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य	2,502.78	1,650.87
योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य	1,625.72	1,714.47
बीमा लाभ	-	-
निर्धारित लाभ दायित्व से उत्पन्न निवल देयताएँ (निधिक)	**819.01**	**(96.10)**

टिप्पणी : भारत सरकार की अधिसूचना सं.एस.ओ 1420 (ई) दि. 29 मार्च, 2018 के अनुसार संशोधन पर विचार करने के बाद मूल्यांकन किया जाता है।

1.3 चालू वर्ष के निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में संचलन निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
उपदान		
निर्धारित प्रारंभिक लाभ दायित्व	7,713.79	7,570.63
पिछली सेवा लागत - (निहित लाभ)	-	-
चालू सेवा लागत	541.41	447.62
ब्याज लागत	501.83	564.26
दायित्व पर बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	1,426.42	180.78
प्रदत्त लाभ	(838.39)	(1,049.50)

NOTE 32: CONSOLIDATED EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES (REFER NOTE : 2.49)

1.1 The principal assumptions used for the purposes of the actuarial valuations were as follows:

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
Gratuity		
Discount rate	6.33%	6.54%
Expected rate of salary increase	7.00%	5.00%
Compensated Absences		
Discount rate	6.33%	6.54%
Expected rate of salary increase	7.00%	5.00%

1.2 The amount included in the balance sheet arising from the Company's obligation in respect of its defined benefit plans is as follows:

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
	₹ lakhs	₹ lakhs
Gratuity		
Present value of defined benefit obligation	9,345.04	7,713.79
Fair value of plan assets	6,599.81	5,788.74
Insurance benefits	-	-
Net liability arising from defined benefit obligation (funded)	**2,407.59**	**1,836.77**
Compensated Absences		
Present value of defined benefit obligation	2,502.78	1,650.87
Fair value of plan assets	1,625.72	1,714.47
Insurance benefits	-	-
Net liability arising from defined benefit obligation (funded)	**819.01**	**(96.10)**

Note: The valuation is after considering the amendments as per Govt.of India Notification No.S.O. 1420 (E) dated 29th March 2018

1.3 Movements in the present value of the defined benefit obligation in the current year were as follows:

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
	₹ lakhs	₹ lakhs
Gratuity		
Opening defined benefit obligation	7,713.79	7,570.63
Past Service Cost -(vested benefits)	-	-
Current service cost	541.41	447.62
Interest cost	501.83	564.26
Actuarial (gain)/loss on obligations	1,426.42	180.78
Benefits paid	(838.39)	(1,049.50)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
निर्धारित अंतिम लाभ दायित्व	9,345.06	7,713.79
मुआवज़ा अनुपस्थितियाँ		
निर्धारित प्रारंभिक लाभ दायित्व	1,650.87	1,829.69
पिछली सेवा लागत - (निहित लाभ)	-	-
चालू सेवा लागत	1,030.61	660.24
ब्याज लागत	107.79	135.95
दायित्व पर बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	(43.80)	(699.62)
प्रदत्त लाभ	(242.70)	(275.40)
निर्धारित अंतिम लाभ दायित्व	2,502.77	1,650.87

1.4 चालू वर्ष में योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में संचलन निम्नानुसार थे :

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
उपदान		
योजना परिसंपत्तियों के प्रारंभिक उचित मूल्य	5,788.74	5,615.35
योजना परिसंपत्तियों पर उचित मूल्य खोलने के लिए समायोजन	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ पूर्व ब्याज आय	351.12	380.88
योगदान	1,336.18	842.01
प्रदत्त हितलाभ	(838.39)	(1,049.50)
योजना परिसंपत्तियों के अंतिम उचित मूल्य	6,637.65	5,788.74
मुआवजा अनुपस्थितियाँ		
योजना परिसंपत्तियों के प्रारंभिक उचित मूल्य	1,714.47	1,806.06
योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य खोलने के लिए समायोजन	(3.38)	(0.90)
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित आय	103.85	124.13
योगदान	40.07	60.57
प्रदत्त फायदा	(229.30)	(275.40)
योजना परिसंपत्तियों के अंतिम उचित मूल्य	1,625.71	1,714.47

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
	₹ lakhs	₹ lakhs
Closing defined benefit obligation	9,345.06	7,713.79
Compensated Absences		
Opening defined benefit obligation	1,650.87	1,829.69
Past Service Cost -(vested benefits)	-	-
Current service cost	1,030.61	660.24
Interest cost	107.79	135.95
Actuarial (gain)/loss on obligations	(43.80)	(699.62)
Benefits paid	(242.70)	(275.40)
Closing defined benefit obligation	2,502.77	1,650.87

1.4 Movements in the fair value of the plan assets in the current year were as follows:

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
	₹ lakhs	₹ lakhs
Gratuity		
Opening fair value of plan assets	5,788.74	5,615.35
Adjustment to opening Fair Value of Plan Asset	-	-
Expected return on plan assets ex interest income	351.12	380.88
Contributions	1,336.18	842.01
Benefits paid	(838.39)	(1,049.50)
Closing fair value of plan assets	6,637.65	5,788.74
Compensated Absences		
Opening fair value of plan assets	1,714.47	1,806.06
Adjustment to opening Fair Value of Plan Asset	(3.38)	(0.90)
Expected return on plan assets	103.85	124.13
Contributions	40.07	60.57
Benefits paid	(229.30)	(275.40)
Closing fair value of plan assets	1,625.71	1,714.47

1.5. कंपनी वार्षिक आधार पर अर्जित किये जानेवाले उपदान की लागत, भारतीय जीवन बीमा निगम को निधिक करती है, जो योजना परिसंपत्तियों का प्रबंधन करता है।

योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक वापसी निम्नानुसार है

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
उपदान	356.21	397.65
मुआवजा अनुपस्थितियाँ	97.32	120.18

ऊपर प्रस्तुत संवेदनशील विश्लेषण, निर्धारित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, क्योंकि यह संभव नहीं है कि धारणा में परिवर्तन एक दूसरे के अलगाव में घटित होगा क्योंकि कुछ धारणाएँ सहसंबद्ध हो सकती है।

गत वर्ष से संवेदनशीलता विश्लेषण तैयार करने में उपयोगित प्रणाली एवं धारणा में कोई परिवर्तन नही था।

1.5 The Company funds the cost of the gratuity expected to be earned on a yearly basis to Life Insurance Corporation of India, which manages the plan assets.

The actual return on plan assets is as under

Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
	₹ lakhs	₹ lakhs
Gratuity	356.21	397.65
Compensated Absences	97.32	120.18

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated..

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from previous year.

टिप्पणी 33 : समेकित प्रासंगिक देयताएँ & प्रासंगिक परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी 2.50 देखें)

प्रासंगिक देयताएँ और प्रतिबद्धताएँ (प्रावधान नहीं किए गए हद तक)			2020-21 ₹ लाखों में	2019-20 ₹ लाखों में
I)	प्रासंगिक देयताएं			
	(i)	आय कर		
		क) कंपनी के खिलाफ पडी आय कर माँगें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है तथा जिसके संबंध में कंपनी अपील में और प्रावधान नहीं किए गए तथा लंबित निर्धारण एवं ब्याजों से संबंधित ऐसे मामलों में अनन्य है ।	614.81	1,727.01
		ख) ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं किए कंपनी के विरुद्ध पडे बिक्री कर और सेव कर दावे	2,974.40	3,143.34
	(ii)	ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं किये गये कंपनी के खिलाफ पडे दावे।	15,683.52	11,274.35
	(iii)	सरकारी विभागों केलिए बैंक गारंटी (निवल मार्जिन राशि)	7,550.71	7,831.32
	(iv)	अन्यों केलिए बैंक गारंटी (निवल मार्जिन राशि)	165.91	427.38
	(v)	जारी की गई कॉर्पोरेट गारंटी और उसी तारीख में बकाया	2,906.94	3,268.08
	(vi)	साख-पत्र (निवल मार्जिन राशि)	776.06	7,174.68
	(vii)	ई एम आई/ई एम सी लैब परियोजना पर ब्याज का प्रावधान	62.46	-
		कुल	**30,734.79**	**34,846.16**
II)	प्रतिबद्धताएं			
	(i)	पूँजी लेखे पर कार्यान्वित किए जाने के लिए शेष रहे ठेके की अनुमानित रकम और प्रावधान नहीं किए गए। (निवल अग्रिम)	-	8,645.93
	(ii)	फायल किए गए अपीलों के लिए लंबित छूट दावा	3.35	3.35
		कुल	**3.35**	**8,649.28**
III)	प्रासंगिक परिसंपत्तियाँ			
		राज्य नवाचार परिवार नियोजन सेवा ऐजेन्सी (सिफ्प्सा) के साथ विधिक मुकदमा में कंपनी के पक्ष में मध्यस्थता एवार्ड ।	**2,684.36**	**2,684.36**

टिप्पणियाँ

* प्रासंगिक देयता को प्रति वर्ष मूल प्लस 12% की ब्याज दर पर परिकलित किया गया है। दावेदारों द्वारा बनाए गए दावे 8-24% से लेकर है। जैसे भी हो, आयकर और प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त जैसे सांविधिक ब्याज लेवी को ध्यान में रखकर प्रति वर्ष 12% दर से अधिक आने वाले मामलों में प्रति वर्ष 12 % की दर पर सभी दावों के लिए ब्याज दर ली गयी है। आकस्मिक परिसंपत्तियों पर ब्याज पर विचार नहीं किए गए।

मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 के लिए प्रेग्नन्सी टेस्ट किट के प्रति रु.5.87 करोड़ रकम की दर अंतर की प्रति एचएलएल से वसूली माँगी है। कंपनी ने इस वसूली के खिलाफ आपत्ति उठायी है और इस दृष्टि से लेखा बही में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है । तथापि, यह ऋण के रूप में न स्वीकृत कंपनी के खिलाफ दावा शीर्षक के अधीन आकस्मिक देयताओं में प्रकट किया गया है ।

NOTE: 33 CONSOLIDATED CONTINGENT LIABILITIES & CONTINGENT ASSETS (REF: 2.50)

Contingent liabilities and commitments (to the extent not provided for)			2020-21 ₹ lacs	2019-20 ₹ lacs
(I) Contingent Liabilities				
	(i)	Income Tax		
		(a) Income Tax demands against the Company not acknowledged as debt and not provided for in respect of which the Company is in appeal and exclusive of the similar matters in respect of pending assessments and interest.	614.81	1,727.01
		(b) Sales Tax & Service Tax Claims against the Co. not acknowledged as debt	2,974.40	3,143.34
	(ii)	Claims against the Company not acknowledged as debts	15,683.52	11,274.35
	(iii)	Bank Guarantees to Govt. Departments. (Net of Margin Money)	7,550.71	7,831.32
	(iv)	Bank Guarantees to others(net of margin money)	165.91	427.38
	(v)	Corporate Guarantees issued and outstanding as on date	2,906.94	3,268.08
	(vi)	Letter of Credits (net of Margin Money)	776.06	7,174.68
	(vii)	Provision for Interest on EMI/EMC Lab Project	62.46	-
TOTAL			**30,734.79**	**34,846.16**
(II) Commitments				
	(i)	Estimated amount of contracts remaining to be executed on Capital Account and not provided for (Net of advances)	-	8,645.93
	(ii)	Pending rebate claim for which appeals filed	3.35	3.35
TOTAL			**3.35**	**8,649.28**
(II) Contingent Assets				
Arbitration award in favour of the company in the legal case with state Innovations in Family Planning Services Agency (SIFPSA)			**2,684.36**	**2,684.36**

Notes

"Contingent liability has been calculated as Principal plus Interest @ 12% p.a. The claims made by the claimants have ranged from 8-24%. However, keeping in view the statutory interest levies like Income Tax and principle of Natural Justice, the rate of interest for all claims have been taken @ 12% p.a. in cases where the interest is above 12% p.a. Interest on contingent assets have not considered.

Ministry had sought recovery from HLL towards rate difference, ₹ 5.87 Crore towards pregnancy test kit for the year 2014-15. The company has raised objections against the recovery and in view of the above no provision has been considered in the books of accounts. However this has been disclosed in contingent liability under the head claims against the company not acknowledged as debt.

टिप्पणी : 34 समेकित संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (टिप्पणी 2.51 देखें)

इंड ए एस 24 के अनुसार संबंधित पार्टी के बारे में प्रकटीकरण

संबंध का विवरण	नाम
समनुषंगी	गोवा एंटीबायोटिक्स & फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जी ए पी एल)
	एचएलएल इंफ्राटेक सर्वीसस लिमिटेड (हाइट्स)
	एचएलएल मातृ व शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड(एचएमसीसीएचएल)
संयुक्त उद्यम	लाइफ़स्प्रिंग अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड (एल एस एच)
सहयोगी	हिंदुस्तान लैटेक्स परिवार नियोजन प्रोन्नमन न्यास (एचएलएफपीपीटी)
	एचएलएल प्रबंधन अकादमी (एच एम ए)
	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एच बी एल)
	एचएलएल मेडीपार्क लिमिटेड (एच एम एल)
	एचएलएल प्रतीक्षा धर्मार्थ सोसाइटी
मुख्य प्रबंधन कार्मिक (के एम पी)	**क. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,** पूर्णकालिक निदेशक, कंपनी सचिव & सी एफ ओ
	श्री के.बेजी जोर्ज, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सी एम डी)
	श्री ई.ए.सुब्रमण्यन - निदेशक (तकनीकी एवं प्रचालन)
	श्री टी.राजशेखर-निदेशक (विपणन)
	डॉ.गीता शर्मा - निदेशक (वित्त)
	श्री संतोष चेरियान.सी - वी पी (एफ) & सी एफ ओ
	श्री जयकृष्णन ए.आर - कंपनी सचिव एवं ए वी पी (सी ए एस)
	ख.स्वतंत्र निदेशक
	डॉ.विजयचंदर रेड्डी
	ग. सरकारी नॉमिती निदेशक
	डॉ. मनदीप कुमार भंडारी आई ए एस
	डॉ. धर्मेंद्रा एस.गंगवर आई ए एस
मुख्य प्रबंधन कार्मिकों का मानदेय	₹ 166.76 लाख (विवरण अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है)

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड

मुख्य प्रबंधन कार्मिकों का मानदेय का अनुबंध

(₹ लाखों में)

मुख्य प्रबंधन कार्मिक	टिप्पणी : 34 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (टिप्पणी 2.51 देखें)	उत्तर रोज़गार लाभ*	अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	कुल मानदेय	बैठक शुल्क	बकाया ऋण (सकल)/प्राप्य अग्रिम
श्री के.बेजी जोर्ज	30.96			30.96		
श्री सुब्रमण्यन.ई.ए	32.47	-	-	32.47	-	0.13
श्री राजशेखर.टी	31.12	-	-	31.12	-	0.12
श्रीमती डॉ.गीता शर्मा	34.51	-	-	34.51	-	-
श्री संतोष चेरियान.सी	21.60			21.60		
श्री जयकृष्णन.ए.आर	16.10	-	-	16.10	-	0.12
श्री डॉ.विजयचंदर रेड्डी	-			-	1.30	-
कुल	**166.76**	**-**	**-**	**166.76**	**1.30**	**0.37**

*रोज़गारोत्तर लाभों को समग्र रूप से निर्धारित/भुगतान किया जाता है और व्यक्तिगत आधार पर निर्धारणीय नहीं है ।

NOTE : 34 CONSOLIDATED RELATED PARTY DISCLOSURE (REFER NOTE: 2.51)

Disclosure in respect of related party pursuant to Ind AS 24

Description of Relation	Names
Subsidiaries	Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited (GAPL)
	HLL InfraTech Services Limited (HITES)
	HLL Mother & Child Care Hospitals Limited(HMCCHL)
Joint Venture	Life Spring Hospital Private Ltd (LSH)
Associates	Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust (HLFPPT)
	HLL Management Academy (HMA)
	HLL Biotech Ltd (HBL)
	HLL Medipark Ltd (HML)
	HLL Pratheeksha Charitable Society
Key Management Personnel (KMP)	**A. Chairman & Managing Directors,** Whole Time Directors, Company Secretary & CFO
	Shri. K.Beji George, IRTS Chairman & Managing Director (CMD)
	Shri.E A Subramaniam, Director (Technical & Operations)
	Shri. T. Rajasekar- Director (Marketing)
	Dr. Geeta Sharma- Director (Finance)
	Shri. Santhosh Cherian.C - VP(F) & CFO
	Shri. Jaikrishnan A.R - Company Secretary & AVP(CAS)
	B. Independent Directors
	Dr. Vijaychander Reddy
	C. Government Nominee Directors
	Dr.Mandeep Kumar Bhandari IAS
	Dr.Dharmendra S. Gangwar IAS
Remuneration to Key Managerial Personnel	₹166.76 lakhs (details enclosed as annexure-1)

HLL Lifecare Limited
Remuneration of Key Managerial Personnel

(₹lacs)

Key managerial Personnel	Note : 34 Related Party Disclosure (Refer Note. 2.51)	Post employment Benefit *	Other long term employee benefit	Total Remmuneration	Sitting Fees	Outstanding Loans (Gross) / Advance receivables
Shri. K.Beji George	30.96			30.96		
Shri.Subramanian.E.A	32.47	-	-	32.47	-	0.13
Shri.Rajesekar T	31.12	-	-	31.12	-	0.12
Smt.DR.Geeta Sharma	34.51	-	-	34.51	-	-
Shri.Santhosh Cherian C	21.60			21.60		
Shri.Jaikrishnan A.R.	16.10	-	-	16.10	-	0.12
Dr. Vijaychander Reddy	-	-	-	-	1.30	-
Total	**166.76**	**-**	**-**	**166.76**	**1.30**	**0.37**

* Post-employment benefits are actuarially determined/paid on overall basis, and not ascertainable on individual basis

टिप्पणी 35 : इंड ए एस - 108 के अधीन प्रकटीकरण खंड रिपोर्टिंग (टिप्पणी 2.52 देखें)

विवरण						₹ लाखों में
राजस्व खंड	**गर्भनिरोधक**	**स्वास्थ्य रक्षा**	**फार्मा**	**परियोजना एवं सेवाएं**	**कोविड-19**	**कुल**
निवल बिक्री एवं सेवाएँ	40,837.27	9,426.53	62,039.40	68,400.86	3,56,828.21	5,37,532.27
अन्य अविनिधानीय राजस्व	-	-	-	-	-	4,599.97
कुल						5,42,132.24
कर के पूर्व लाभ	**गर्भनिरोधक**	**स्वास्थ्य रक्षा**	**फार्मा**	**परियोजना एवं सेवाएं**	**कोविड-19**	**कुल**
ब्याज एवं कर के पूर्व लाभ	1,879.31	(1,037.98)	411.64	5,089.00	13,232.46	19,574.43
न्यून : ब्याज	714.22	100.07	487.85	1,251.04		2,553.18
न्यून : अन्य विनिधानीय व्यय						3,817.25
पूर्व अवधि मदें						-
जोड : अन्य अविनिधानीय आय						1,257.00
कर के पूर्व लाभ	**1,165.09**	**(1,138.05)**	**(76.21)**	**3,837.96**	**13,232.46**	**14,461.00**
नियुक्त पूँजी	**गर्भनिरोधक**	**स्वास्थ्य रक्षा**	**फार्मा**	**परियोजना एवं सेवाएं**	**कोविड-19**	**कुल**
आबंटित अचल परिसंपत्तियाँ (क)	11,597.97	2,239.08	550.28	12,094.37	31.06	26,512.75
आबंटित चालू परिसंपत्तियाँ (ख)	7,524.66	7,932.66	8,050.53	39,556.93	3,24,127.46	3,87,132.23
(क) + (ख)	**19,122.63**	**10,171.73**	**8,600.81**	**51,651.29**	**3,24,158.52**	**4,13,704.98**
आबंटित चालू देयताएँ	6,722.10	8,185.21	1,49,041.01	78,437.05	1,06,695.71	3,49,081.09
नियुक्त पूँजी आबंटन	**12,400.53**	**1,986.52**	**(1,40,440.20)**	**(26,783.76)**	**2,17,462.81**	**64,623.89**
नियुक्त पूँजी के अविनिधानीय अंश						(26,543.54)
कुल नियुक्त पूँजी						38,080.36
2. सेकन्डरी खंड सूचना - भौगोलिक						
राजस्व						
भारत						5,33,558.86
भारत के बाहर						8,573.88
						5,42,132.24
नियुक्त पूँजी						-
भारत						38,080.36
भारत के बाहर						
						38,080.36

निदेशक मंडल की तरफ से

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है ।
कृते के.वर्गीस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म नं.004525एस

के.बेजी जोर्ज, आई आर टी एस
अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक
[डिन: 08419099]

डॉ.गीता शर्मा
निदेशक (वित्त)
[डिन: 08225251]

संतोष चेरियान.सी.
वरिष्ठ उपाध्यक्ष (वित्त) प्रभारी & सी एफ ओ
[एफ सी ए : 049893]

जयकृष्णन.ए.आर
कंपनी सचिव एवं
सह उपाध्यक्ष (सी ए एस)
[ए सी एस : 14328]

सी.ए. साम वर्गीस
साझेदार
सदस्यता सं. 216979

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 28.09.2021

NOTE - 35: DISCLOSURE UNDER IND AS-108 SEGMENT REPORTING (REFER : NOTE 2.52)

Particulars						₹ lacs
Segment Revenue	**Contraceptives**	**Health Care**	**Pharma**	**Projects& Services**	**Covid-19**	**Total**
Net Sales & Services	40,837.27	9,426.53	62,039.40	68,400.86	3,56,828.21	5,37,532.27
Other Unallocable Revenue	-	-	-	-		4,599.97
Total						**5,42,132.24**
Profit before Tax	**Contraceptives**	**Health Care**	**Pharma**	**Projects & Services**	**Covid-19**	**Total**
Profit before Interest & Tax	1,879.31	(1,037.98)	411.64	5,089.00	13,232.46	19,574.43
Less:- Interest	714.22	100.07	487.85	1,251.04		2,553.18
Less: Other unallocable expenditure						3,817.25
Prior period items						-
Add:-Other unallocable income			-			1,257.00
Profit before tax	**1,165.09**	**(1,138.05)**	**(76.21)**	**3,837.96**	**13,232.46**	**14,461.00**
Capital Employed	**Contraceptives**	**Health Care**	**Pharma**	**Projects & Services**	**Covid-19**	**Total**
Allocated Fixed Assets (a)	11,597.97	2,239.08	550.28	12,094.37	31.06	26,512.75
Allocated Current Assets (b)	7,524.66	7,932.66	8,050.53	39,556.93	3,24,127.46	3,87,192.23
(a+b)	**19,122.63**	**10,171.73**	**8,600.81**	**51,651.29**	**3,24,158.52**	**4,13,704.98**
Allocated Current Liabilities	6,722.10	8,185.21	1,49,041.01	78,437.05	1,06,695.71	3,49,081.09
Capital Employed Allocation	**12,400.53**	**1,986.52**	**(1,40,440.20)**	**(26,785.76)**	**2,17,462.81**	**64,623.89**
Unallocable portion of Capital Employed						(26,543.54)
Total Capital Employed						38,080.36
2. Secondary Segment Information - Geographical						
Revenue						
India						5,33,558.36
Outside India						8,573.88
						5,42,132.24
Capital Employed						
India						38,080.36
Outside India						-
						38,080.36

For and on behalf of the Board of Directors

Vide our report of even date attached
For K. Varghese & Co
Chartered Accountants
Firm No. 004525S

K.Beji George IRTS
Chairman &
Managing Director
[DIN: 08419099]

Dr.Geeta Sharma
Director (F)
[DIN:08225251]

Santhosh Cherian.C
SVP(F) i/c & CFO
[FCA:049893]

Jaikrishnan A.R
CS & AVP (CAS)
[ACS:14328]

CA. Sam Varghese
Partner
Membership No:216979
UDIN: 21216979AAAAHM8676

Place : Thiruvananthapuram
Date : 28.09.2021

टिप्पणी 36 : आय कर (टिप्पणी 2.53 देखें)

सतत प्रचालन से संबंधित आय कर

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
चालू कर	**4,991.04**	**2,717.19**
पिछले वर्ष	-	1.83
पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन/(क्रेडिट) - निवल	-	-
आय कर	-	(187.82)
मैट क्रेडिट पात्रता	-	(261.00)
मैट क्रेडिट उत्क्रमण	-	444.60
आस्थगित कर		
चालू वर्ष से संबंधित	(1,670.24)	(1,165.52)
पिछले वर्ष से संबंधित	1,005.60	759.59
लाभ और हानि में पहचान किए गए कुल आय कर व्यय	**4,326.40**	**2,308.87**
वर्ष के लिए लेखांकन लाभ में मेल मिलाप किये गये आय कर व्यय :		
कर के पूर्व लाभ/हानि	**15,757.51**	**15,885.55**
आय कर दर*	25,168%	25.168%
लाभ बही के अनुसार आय कर व्यय	**4,328.31**	**3,310.57**
अनुमति नहीं दिए गए व्यय का प्रभाव	258.27	20.15
गैर कर योग्य आय का प्रभाव	-	(2,339.03)
मूल्यहास और ऋणमुक्ति का प्रभाव	1,391.963	1,569.95
प्रावधानों का प्रभाव	2,044.69	181.73
आर & डी खर्चों का प्रभाव	-	-
परिसंपत्ति की बिक्री का प्रभाव	(1.62)	31.29
कटौती का प्रभाव	(2,101.75)	(2,300.55)
पट्टे का प्रभाव	(475.11)	(453.47)
अन्य आय का प्रभाव	2,024.15	2,208.36
कुल	**3,140.59**	**(1,131.78)**
आय कर के अनुसार आय	18,898.09	14,753.77
न्यून : नुकसान को आगे ले जाना	-	4,662.58
कर योग्य आय	**18,898.09**	**14,753.77**
कर लाभ के अनुसार आयकर व्यय	**4,756.27**	**3,713.23**
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		
देनदारों और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानों का प्रभाव	1,042.30	1,082.30
वस्तुसूची से संबंधित प्रावधानों का प्रभाव	306.58	297.09
कर्मचारी भुगतान और कटौती और कर नुकसान से संबंधित प्रावधानों का प्रभाव	1,100.61	499.89
पट्टे परिसंपत्तियों के प्रभाव	628.70	104.47
कुल (क)	**3,078.19**	**1,983.75**
आस्थगित कर देयताएं		
मूल्यहास और अन्य का प्रभाव	(1,031.84)	(602.19)
कुल (ख)	**(1,031.84)**	**(602.19)**
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (क)-(ख)	**2,046.35**	**1,381.56**
अन्य व्यापक आय में पहचान किए गए आय कर		
निर्धारित लाभ दायित्व के पुनः मापन	(332.11)	(41.78)

*टिप्पणी - आय कर अधिनियम के नियम 115 बीएए के अधीन कम कर दर को निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी द्वारा चुन लिया गया।

NOTE 36 INCOME TAXES (REFER NOTE 2.53)

Income tax relating to continuing operations

₹lacs

Particulars	Year ended March 31, 2021	Year ended March 31, 2020
Current Tax	**4,991.04**	**2,717.19**
Previous Year	-	1.83
Adjustments/(credits) related to previous years-Net	-	-
Income Tax	-	(187.82)
Mat Credit Entitlement	-	(261.00)
Reversal of MAT Credit	-	444.60
Deferred Tax	-	-
In respect of the current year	(1,670.24)	(1,165.52)
In respect of the previous year	1,005.60	759.59
Total Income Tax expense recognised in Profit & Loss	**4,326.40**	**2,308.87**
Income Tax expense for the year reconciled to the accounting profit:		
Profit / (Loss) before Tax	**15,757.51**	**15,885.55**
Income Tax Rate*	25.168%	25.168%
Income Tax expense as per Book Profits	**4,328.31**	**3,310.57**
Effect of Expenses not allowed	258.27	20.15
Effect of Income not taxable	-	(2,339.03)
Effect of Depreciation and Amortisations	1,391.96	1,569.95
Effect of Provisions	2,044.69	181.73
Effect of R & D Expenses	-	-
Effect of Sale of Assets	(1.62)	31.29
Effect of Deductions	(2,101.75)	(2,300.55)
Effect of Leases	(475.11)	(453.47)
Effect of other income	2,024.15	2,208.36
Total	**3,140.59**	**(1,131.78)**
Income as per Income Tax	18,898.09	14,753.77
Less:Carry forward of losses	-	4,662.58
Taxable Income	**18,898.09**	**14,753.77**
Income Tax expense as per Tax Profits	**4,756.27**	**3,713.23**
Deferred Tax Assets		
Effect of provisions related to Debtors and Advances	1,042.30	1,082.30
Effect of provisions related to Inventory	306.58	297.09
Effect of provisions related to Employee payments and deductions and tax losses	1,100.61	499.89
Effect to Leased Assets	628.70	104.47
Total (A)	**3,078.19**	**1,983.75**
Deferred Tax Liabilties		
Effect of Depreciation and others	(1,031.84)	(602.19)
Total (B)	**(1,031.84)**	**(602.19)**
Net Deferred Tax Assets (A)-(B)	**2,046.35**	**1,381.56**
Income Tax recognised in other comprehensive income		
Remeasurement of defined benefit obligation	(332.11)	(41.78)

*Note - Lower tax rates u/s 115 BAA of Income Tax Act are opted by the company from AY 2020-21

अनुबंध I : कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार समनुषंगी और संयुक्त उद्यम की अतिरिक्त जानकारी (टिप्पणी 2.54 देखें)

सत्ता का नाम	निवल परिसंपत्तियाँ (कुल परिसंपत्तियाँ न्यून कुल देयताएँ)		लाभ या हानि में शेयर		अन्य व्यापक आय में शेयर		कुल व्यापक आय में शेयर	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों की प्रतिशतता के रूप में	₹ लाखों में	समेकित कुल लाभ या हानि की प्रतिशतता के रूप में	₹ लाखों में	अन्य व्यापक आय के प्रतिशतता के रूप में	₹ लाखों में	समेकित कुल व्यापक आय की प्रतिशतता के रूप में	₹ लाखों में
मूल								
एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड	98%	38,574.10	111%	11,233.01	90%	(977.20)	113%	10,255.81
समनुषंगी (भारत)								
गोवा एंटीबायोटिक्स & फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड	-1%	(538.77)	-11%	(1,155.08)	9%	(99.24)	-14%	(1,254.32)
एचएलएल इंफ्राटेक सर्वीसस लिमिटेड	5%	1,980.83	11%	1,086.20	1%	(10.25)	12%	1,075.95
एचएलएल मातृ एवं शिशु रक्षा अस्पताल लिमिटेड	0%	-	0%	(0.96)	0%	-		(0.96)
कुल		**40,016.16**		**11,163.17**		**(1,086.69)**		**10,076.48**
जोड़/न्यून : अंतर कंपनी समायोजन/उन्मूलन का प्रभाव	-2%	**(758.80)**	-10%	**(999.99)**	0%	**-**	-11%	**(999.99)**
इक्विटी प्रणाली के अधीन परिकलित संयुक्त उद्यम के बिना कुल	99%	**39,257.36**	100%	**10,163.19**	100%	**(1,086.69)**	100%	**9,076.49**
संयुक्त उद्यम								
लाइफ़स्प्रिंग अस्पताल (पी) लिमिटेड	0%	12.66	-3%	(317.58)	0%	-	-3%	(317.58)
कुल निवल परिसंपत्तियाँ	100%	39,270.01		-		-		-

ANNEXURE I: ADDITIONAL INFORMATION AS PER SCHEDULE III OF COMPANIES ACT, 2013 OF SUBSIDIARIES & JOINT VENTURE (REFER NOTE : 2.54)

Name of the entity	Net Assets (Total Assets minus Total Liabilities)		Share in profit or loss		Share in Other Comprehensive Income		Share in Total Comprehensive Income	
	As % of Consolidated Net Assets	₹ lacs	As a % of Consolidated Profit or Loss	₹ lacs	As a % of Consolidated Other Comprehensive Income	₹ lacs	As a % of Consolidated Total Comprehensive Income	₹ lacs
Parent								
HLL Lifecare Limited	98%	38,574.10	111%	11,233.01	90%	(977.20)	113%	10,255.81
Subsidiaries (Indian)								
Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited	-1%	(538.77)	-11%	(1,155.08)	9%	(99.24)	-14%	(1,254.32)
HLL Infra Tech Services Limited	5%	1,980.83	11%	1,086.20	1%	(10.25)	12%	1,075.95
HLL Mother & Child Care Hospitals Limited	0%	-	0%	(0.96)	0%	–		(0.96)
Total		**40,016.16**		**11,163.17**		**(1,086.69)**		**10,076.48**
Add/ Less: Effect of intercompany adjustments/ eliminations	-2%	**(758.80)**	-10%	**(999.99)**	0%	-	-11%	**(999.99)**
Total without Joint Venture accounted under Equity method	99%	**39,257.36**	100%	**10,163.19**	100%	**(1,086.69)**	100%	**9,076.49**
Joint Venture								
Lifespring Hospitals (P) Limited	0%	12.66	-3%	(317.58)	0%	-	-3%	(317.58)
Total Net Assets	100%	39,270.01		-		-		-

अनुबंध II:कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अतिरिक्त जानकारी (फॉर्म ए ओ सी-1 में कंपनी नियम 2014 (खाते) के नियम 5 के साथ पठित धारा 129(3)(1) के अनुसार

भाग'क' समनुषंगी (वित्तीय वर्ष 2020-21)

क्रम सं.	समनुषंगी कंपनी का नाम	गोवा एंटीबायोटिक्स & फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	एचएलएल इंफ्राटेक लिमिटेड	एचएलएल मातृ एवं शिशु रक्षा अस्पताल
1	रिपोर्टिंग मुद्रा	आई एन आर	आई एन आर	आई एन आर
2	शेयर पूँजी	1,902.00	200.00	-
3	आरक्षित और अधिशेष	(2,440.76)	1,780.83	-
4	कुल परिसंपत्तियाँ	4,171.48	3,91,524.37	-
5	कुल देयताएं	4,710.24	3,89,543.54	-
6	निवेश	0.25	-	-
7	व्यापारावर्त	2,656.78	27,002.61	-
8	कर के पूर्व लाभ	(1,195.79)	1,503.10	(0.96)
9	कर के लिए प्रावधान	(40.71)	416.90	-
10	कर के बाद लाभ/ हानि	(1,155.08)	1,086.21	(0.96)
11	प्रस्तावित लाभांश	शून्य	शून्य	शून्य
12	शेयरधारिता की प्रतिशतता	74%	100%	100%
समनुषंगियों के नाम जिनका परिचालन अभी शुरू होना है				शून्य
समनुषंगियों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन या बिक्री हो गई है				कोई नहीं

भाग 'बी' सह और संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम : लाइफ़ स्प्रिंग अस्पताल (पी) लिमिटेड

1	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की तारीख		31.03.2021
2	वर्ष के अंत पर कंपनी द्वारा लिए गए सहयोगी/ संयुक्त उद्यम की शेयरों की संख्या		85,79,929
3	सहयोगी/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि		950.76
4	धारण विस्तार %		50%
5	वहाँ महत्वपूर्ण प्रभाव के विवरण	50 % इक्विटी शेयर धारण और अक्युमन के साथ तुल्य बोर्ड प्रतिनिधान	
6	सहयोगी/संयुक्त उद्यम के समेकन नहीं करने का कारण		लागू नहीं
7	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के शेयरधारिता के लिए निवल मूल्य		156.66
8	वर्ष के लिए लाभ/हानि		(131.05)
	i. समेकन में विचार किए गए		(65.53)
	ii. समेकन में विचार नहीं किए गए		(65.53)

निदेशक मंडल की तरफ से

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है ।
कृते के.वर्गीस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म नं.004525एस

के.बेजी जोर्ज, आई आर टी एस
अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक
[डिन: 08419099]

डॉ.गीता शर्मा
निदेशक (वित्त)
[डिन: 08225251]

संतोष चेरियान.सी.
वरिष्ठ उपाध्यक्ष (वित्त) प्रभारी & सी एफ ओ
[एफ सी ए : 049893]

जयकृष्णन.ए.आर
कंपनी सचिव एवं
सह उपाध्यक्ष (सी ए एस)
[ए सी एस : 14328]

सी.ए. साम वर्गीस
साझेदार
सदस्यता सं. 216979

स्थान : तिरुवनंतपुरम

तारीख : 28.09.2021

ANNEXURE II : ADDITIONAL INFORMATION AS PER COMPANIES ACT, 2013 (PURSUANT TO SECTION 129 (3) (1) READ WITH RULE 5 OF COMPANIES (ACCOUNTS) RULES, 2014) IN FORM AOC-1

PART "A" SUBSIDIARIES (FY 2020-21)

Sl. No	Name of the subsidiary company	Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited	HLL Infra Tech Services Limited	HLL Mother & Child Care Hospital Limited
1	Reporting Currency	**INR**	**INR**	**INR**
2	Share Capital	1,902.00	200.00	-
3	Reserves & Surplus	(2,440.76)	1,780.83	-
4	Total Assets	4,171.48	3,91,524.37	-
5	Total Liabilities	4,710.24	3,89,543.54	-
6	Investments	0.25	-	-
7	Turnover	2,656.78	27,002.61	-
8	Profit Before Tax	(1,195.79)	1,503.10	(0.96)
9	Provision for Tax	(40.71)	416.90	-
10	Profit/loss After Tax	(1,155.08)	1,086.21	(0.96)
11	Proposed Dividend	Nil	Nil	Nil
12	Percentage of Shareholding	74%	100%	100%
Names of subsidiaries which are yet to commence operations:				Nil
Names of subsidiaries which have liquidated or sold during the year:				None

PART "B" ASSOCIATES &JOINT VENTURES
Name of Joint Venture Company : Life Spring Hospital (P) Limited

1	Latest audited Balance Sheet Date		31.03.2021
2	No. of shares of Associate / Joint Ventures held by the company on the year end		85,79,929
3	Amount of Investment in Associates/Joint Ventures		950.76
4	Extend of Holding %		50%
5	Description of how there is significant influence	50% Equity Share holding and equal Board representation along with Acumen	
6	Reason/why the associate /joint venture is not consolidated		N.A
7	Net worth attributable to shareholding as per latest audited Balance Sheet		156.66
8	Profit/Loss for the year		(131.05)
	(i) Considered in Consolidation		(65.53)
	(ii) Not Considered in Consolidation		(65.53)

For and on behalf of the Board of Directors

Vide our report of even date attached
For K. Varghese & Co
Chartered Accountants
Firm No. 004525S

K.Beji George IRTS
Chairman &
Managing Director
[DIN: 08419099]

Dr.Geeta Sharma
Director (F)
[DIN:08225251]

Santhosh Cherian.C
SVP(F) i/c & CFO
[FCA:049893]

Jaikrishnan A.R
CS & AVP (CAS)
[ACS:14328]

CA. Sam Varghese
Partner
Membership No:216979
UDIN: 21216979AAAAHM8676

Place : Thiruvananthapuram
Date : 28.09.2021

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय
एचएलएल भवन, पूजप्पुरा,
तिरुवनंतपुरम
केरल, भारत 695 012
दूरभाष सं.: 91-471-2354949 (5 लाइन)
तार : रोलैटेक्स
फैक्स सं. : 91-471-2356739
ई-मैल : enquiry@lifecarehll.com
वेबसाइट : www.lifecarehll.com

फैक्टरी

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
पेरूरकड़ा फैक्टरी
पेरूरकड़ा
तिरुवनंतपुरम - 695 005
दूरभाष सं. : 91-471-2437270/2433602/2433459/2432880/2432292
फैक्स सं. : 91-471-2435013

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
आक्कुलम फैक्टरी
आक्कुलम, तिरुवनंतपुरम -695 017
दूरभाष : 91-471-2441384, 2442641, 2442642, 2442692, 2442697
फैक्स सं. : 91-471-2441383

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
कनगला फैक्टरी, बेलगाम
कनगला, बेलगाम -591 225
दूरभाष सं. : 08333-279206, 279207, 279244, 279245, 279239
फैक्स सं. : 08333-321443

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
काक्कनाड फैक्टरी, कोच्चिन
प्लॉट नं. 16 ए/1
काक्कनाड़, कोच्चिन - 682 037
दूरभाष सं. : 0484 - 2413332, 2413293
फैक्स सं. : 0484-2413293

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
मनेसर यूनिट
प्लॉट नं. 71, सेक्टर 7,
गुडगाव, हरियाणा-122 050
दूरभाष सं. : 0124- 4030949
फैक्स सं. : 0124 - 4030949

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड इंदौर संयंत्र
सेक्टर - ई, सानवर रोड़
औद्योगिक क्षेत्र,
इंदौर - म.प्र
दूरभाष सं. (0731) 3259458/4011740

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
ऐरापुरम फैक्टरी
री-सर्वे नं.156/3 ब्लॉक नं.29
रबड़ पार्क,
वलयनचिरंङरा,
ऐरापुरम, कोच्चिन- 683 556

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
हरिद्वार फैक्टरी
घरसा सं. 37, ग्राम मखनपुर, भगवानपुर तहसील,
हरिद्वार जिला, उत्तराखंड - 247 661

क्षेत्रीय कार्यालय :

नोएडा
विपणन कार्यालय :
एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
नं. बी-14ए, सेक्टर - 62,
नोएडा (उ.प्र) - 201 301
दूरभाष सं. : 0120-4071500, 0120-4071609 (विपणन)
फैक्स सं. : 0120-4071513/4071627

कोलकत्ता
एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
स्यूट नं. 901, 9 वाँ तल,
कृष्णा बिल्डिंग,
224 ए, ए.जे.सी.बोस रोड़,
कोलकत्ता -700 017
पश्चिम बंगाल
दूरभाष सं. : 033-22905275/74

REGISTERED & CORPORATE OFFICE

HLL Lifecare Limited
Registered & Corporate Office
HLL Bhavan, Poojappura
Thiruvananthapuram
Kerala, India 695 012
Tele : 91-471-2354949 (5 lines)
Grams ROLATEX
Fax : 91-471-2356739
E mail : enquiry@ lifecarehll.com
Website : www.lifecarehll.com

FACTORIES

HLL Lifecare Limited
Peroorkada Factory
Peroorkada
Thiruvananthapuram 695 005
Tel : 91-471-2437270/2433602/2433459/2432880/2432292
Fax : 91-471-2435013

HLL Lifecare Limited
Akkulam Factory
Akkulam, Thiruvananthapuram-695017
Tel : 91-471 - 2441384, 2442641, 2442642, 2442692, 2442697
Fax : 91-471-241383

HLL Lifecare Limited
Kanagala Factory, Belgaum
Kanagala, Belgaum – 591225
Tele : 08333-279206, 279207, 279244, 279245, 279239
Fax : 08333-321443

HLL Lifecare Limited
Kakkanad Factory, Cochin
Plot No.16A/1
Kakkanad, Cochin – 682 037
Tele : 0484 – 2413332,2413293
Fax : 0484 - 2413293

HLL Lifecare Limited
Manesar Unit
Plot No.71, Sector 7
Gurgaon, Haryana - 122050
Tel.No. : 0124 – 4030949
Fax No. : 0124– 4030949

HLL Lifecare Limited Indore Plant,
Sector-E, Sanver Road
Industrial Area
Indore - M.P.
Tel : (0731) 3259458 / 4011740

HLL Lifecare Limited
Irapuram Factory
Re. Sy. No.156/3 Block No.29
Rubber Park
Valayanchirangara
Irapuram, Cochin-683556

HLL Lifecare Limited
Haridwar Factory
Kharsa No. 37, Gram Makhanpur,
Bhagwanpur Tehsil, Haridwar District,
Uttarakhand – 247 661

REGIONAL OFFICE:

NOIDA

Marketing office:
HLL Lifecare Limited
No.B-14A, Sector-62
Noida (U.P.) – 201 301
Tel : 0120-4071500, 0120-4071609 (Mktg.)
Fax No. : 0120-4071513/4071627

KOLKATTA

HLL Lifecare Limited,
Suite No: 901, 9th Floor
Krishna Building,
224A, A.J.C.Bose Road
Kolkata - 700017
West Bengal
Tel : 033 22905275/74

चेन्नै

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड (सी बी डी/एच सी डी)
नं. 185, प्लॉट नं. 1, लिंगावल टवर,

100 फीट बै पास रोड़, विजया नगर,
वेलाचेरी, चेन्नै - 600 042
दूरभाष सं. : 044 - 22453478/22551860/
22551868/22441727
फैक्स सं. : 044-22550764
ई-मैल : hllmktsr@md3.vsnl.net.in

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड (डब्लियु एच डी)
नं. 12, 100 फीट रोड़,
वेलाचेरी तारामणि रोड़,
कैनरा बैंक के पास, वेलाचेरी,
चेन्नै - 600 042.
दूरभाष सं. : 044-22435604, 22435607,
22433306

हैदराबाद

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड,
3-5-816, वीणा धारी कॉम्प्लेक्स,
4वाँ तल, किंङ कोती रोड,
हैदरगुडा, हैदराबाद - 560029
दूरभाष & फैक्स सं. : 040-23210041

लखनाऊ

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
9/316, विकास नगर
लखनाऊ - 226 022
दूरभाष सं. : 0522 - 2330945, 2320592
फैक्स सं. : 0522- 2738947/2330945
ई-मैल : hlatex@satyam.net.in

मुंबई

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
एचएलएल भवन, 501 & 502, 5वां तल
प्लॉट नं. 86, सेक्टर-11
मंदिर चौक के पास, कोपरा रोड़
कोपरा बस स्टोप के पीछे
खारघर, नवी मुंबई-410210
महाराष्ट्र
दूरभाष : 022-20870667, 20870668

CHENNAI

HLL Lifecare Limited (CBD/HCD)
No.185, Plot No.1, Lingavel tower
100 ft. Bye Pass Road, Vijayanagar
Velachery
Chennai – 600 042.
Tel : 044-22453478/22551860/
22551868/22441727
Fax No. : 044-22550764
E-mail : hllmktsr@md3.vsnl.net.in

HLL Lifecare Limited (WHD)
No.12, 100 Feet Road,
Velacherry Taramani Road,
Near Canara Bank, Velacherry,
Chennai – 600042
Phone : 044 -22435604, 22435607, 22433306

HYDERABAD

HLL Lifecare Limited
3-5-816,Veena Dhari Complex,
4th Floor, King Koti Road,
Hyderguda, Hyderabad - 560029.
Phone & Fax No.: 040-23210041

LUCKNOW

HLL Lifecare Limited,
9/316, Vikas Nagar
Lucknow-226 022.
Phone No: 0522-2330945, 2320592
Fax : 0522-2738947/2330945
E-mail: hlatex@satyam.net.in

MUMBAI

HLL Lifecare Limited
HLL Bhavan, 501& 502, 5th Floor
Plot No. 86, Sector-11
Near Mandir Chowk, Khopra Road
Behind Khopra Bus Stop
Kharghar, Navi Mumbai - 410210
Maharashtra
Phone No : 022-20870667, 20870668

HLL Lifecare Limited
(A Government of India Enterprise)

एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

CIN : U25193KL1966GOI002621

Registered & Corporate Office
HLL Bhavan, Poojappura
Thiruvananthapuram - 695 012
Tel: 91-471-2354949
Fax: 91-471-2356739
Email: enquiry@lifecarehll.com

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय
एचएलएल भवन, पूजप्पुरा,
तिरुवनंतपुरम - 695 012
दूरभाष: 91-471-2354949
फैक्स : 91-471-2356739
ई-मैल : enquiry@lifecarehll.com

www.lifecarehll.com

Innovating for Healthy Generations

स्वस्थ पीढियों के लिए नवान्वेषण